

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अनुसार 30 जून 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत केन्द्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. सवि.625/02.16.001/2011-12

25 अगस्त, 2011
3 भाद्र, 1933(शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली -110 001

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

- (i) 30 जून 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, जिस पर मैंने, उप गवर्नरों ने और मुख्य महाप्रबंधक ने हस्ताक्षर किए हैं और जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है; और
- (ii) 30 जून 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय

डी. सुब्बाराव

[डी. सुब्बाराव]

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शाहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स: +91 22 2266 1784 ई-मेल: governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax: +91 22 2266 1784 E-mail: governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

डी. सुब्बाराव

उप गवर्नर

श्यामला गोपीनाथ¹

उषा थोरात²

के.सी. चक्रवर्ती

सुबीर गोकर्ण

आनंद सिन्हा³

एच.आर.खान⁴

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक

वाइ.एच.मालेगाम

सुरेश डी. तेंडुलकर⁵

यू.आर.राव

लक्ष्मी चंद

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक

एच.पी.रानिना

अजीम प्रेमजी

कुमार मंगलम बिड़ला

शशि राजगोपालन⁶

सुरेश नेवतिया

ए. वैद्यनाथन

एम.एम. शर्मा

संजय लाब्रू

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक

अशोक चावला⁷

आर. गोपालन⁸

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

वाइ.एच.मालेगाम

के. वेंकटेशन

दत्तराज वी. सालगांवकर

जयंतीलाल बी. पटेल

पूर्वी क्षेत्र

सुरेश डी. तेंडुलकर⁵

ए.के.सैकिया

शोभन कानूनगो

मो. सोहराब⁹

उत्तरी क्षेत्र

मीठा लाल मेहता¹⁰

यू.आर.राव

राम नाथ

प्रीतम सिंह

कमल किशोर गुप्ता¹¹

मिहिर कुमार मित्र¹²

दक्षिणी क्षेत्र

लक्ष्मी चंद

सी.पी.नायर

एम. गोविंद राव

देवकी जैन

1 20 जून 2011 को कार्यकाल समाप्त

2 9 नवंबर 2010 को कार्यकाल समाप्त

3 19 जनवरी 2011 को कार्यभार ग्रहण किया

4 4 जुलाई 2011 को कार्यभार ग्रहण किया

5 21 जून 2011 को देहावसान

6 5 अगस्त 2011 को देहावसान

7 31 जनवरी 2011 को सेवानिवृत्त

8 15 फरवरी 2011 को नियुक्त

9 13 मई 2011 से पद छोड़ा

10 23 सितंबर 2010 को कार्यकाल समाप्त

11 26 अगस्त 2010 को नियुक्त

12 24 सितंबर 2010 को नियुक्त

2010-11 की स्थिति के अनुसार
(11 अगस्त 2011 तक)

प्रधान अधिकारी

(11 अगस्त 2011 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक	वी.के.शर्मा
.....	वी.एस.दास
.....	जी. गोपालकृष्ण
.....	दीपक मोहंती
.....	एस. करुप्पसामी
.....	आर. गांधी
.....	पी. विजय भास्कर
.....	बी. महापात्र
.....	जी.पद्मनाभन
केन्द्रीय कार्यालय	
ग्राहक सेवा विभाग	राजेश वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग	दीपक सिंहल, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	जी. जगनमोहन राव, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग	ए.आइ. किल्लावाला, प्रेस संपर्क अधिकारी (ग्रेड 'एफ')
मुद्रा प्रबंध विभाग	एन. कृष्ण मोहन, मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	बी. एम. मिश्रा, प्रभारी अधिकारी
व्यय और बजट नियंत्रण विभाग	दीपा श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	एम. एस. देब, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	ए.के. बेरा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	ए.एस. रामशास्त्री, मुख्य महाप्रबंधक
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	उमा सुब्रमण्यम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	विजय चुग, मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	ए.बी. चक्रवर्ती, प्रभारी अधिकारी
वित्तीय बाजार विभाग	जी. महालिंगम, मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय स्थिरता इकाई	रवि एन. मिश्र, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग	मीना हेमचंद्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग	संदीप घोष, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग	करुणासागर, मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	के. के. वोहरा, मुख्य महाप्रबंधक
विधि विभाग	जी.एस. हेगडे, प्रधान विधि परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग	जनक राज, प्रभारी परामर्शदाता
परिसर विभाग	के. आर. अनंदा, मुख्य महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग	रमाकांत गुप्ता, उप महाप्रबंधक
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग	दीपाली पंत जोशी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग	प्रेस ई. कोशी, मुख्य महाप्रबंधक और सचिव
शहरी बैंक विभाग	ए.उद्गाता, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मुख्य सतर्कता अधिकारी	काजा सुधाकर
महाविद्यालय	प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	कमला राजन
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै	जे. सदाकदुल्ला
कार्यालय	क्षेत्रीय निदेशक
चेन्नै	एन.एस. विश्वनाथन
कोलकाता	सलीम गंगाधरन
मुंबई	जे. बी. भोरिया
नई दिल्ली	चंदन सिन्हा
शाखाएं	
अहमदाबाद	सुदर्शन सेन
बेंगलुरु	उमा शंकर
भोपाल	पी.के.पंडा
भुवनेश्वर	बी.के. भोई
चंडीगढ़	जसबीर सिंह
गुवाहाटी	सुरेखा मरांडी
हैदराबाद	ए.एस.राव
जयपुर	बी. पी. कानूनगो
जम्मू	के.के. सराफ
कानपुर	बाजिल शेख
लखनऊ	अमरेन्द्र साहू
नागपुर	फूलन कुमार
पटना	एम. के. सिंह
तिरुवनंतपुरम	सुमा वर्मा
	प्रभारी अधिकारी
अगरतला	ए.के.पांडेय, महाप्रबंधक
बेलापुर	एस. भटनागर, महाप्रबंधक
देहरादून	वी.एस.बाजवा, महाप्रबंधक
गंगटोक	ई.ई.कार्थिक, महाप्रबंधक
कोची	सी.वी.जॉर्ज, महाप्रबंधक
पणजी	एम.ए.आर.प्रभु, महाप्रबंधक
रायपुर	निर्मल चंद, महाप्रबंधक
रांची	एच.एन. पंडा, महाप्रबंधक
शिमला	आर. गुरुमूर्ति, महाप्रबंधक
श्रीनगर	डी.पी.शर्मा, उप महाप्रबंधक

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं

I. मूल्यांकन और संभावनाएं.....	1
वर्ष 2010-11 का मूल्यांकन	2
वर्ष 2011-12 के लिए संभावनाएं	5
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधिक चुनौतियों के संबंध में रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण	9
II. आर्थिक समीक्षा	15
वास्तविक अर्थव्यवस्था	15
मूल्य स्थिति	26
मुद्रा तथा कर्ज	35
वित्तीय बाजार	42
सरकारी वित्त	52
बाह्य क्षेत्र	60

भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन

III. मौद्रिक नीति का परिचालन	72
मौद्रिक नीति का परिचालन: संदर्भ तथा औचित्य	74
IV. ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन	81
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार	81
वित्तीय समावेशन	84
आउटरीच गतिविधियां	87
V. वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन	89
मुद्रा बाजार	89
सरकारी प्रतिभूति बाजार	90
विदेशी मुद्रा बाजार	90
डेरिवेटिव बाजार	92
VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता	96
वित्तीय स्थिरता का आकलन	96
वित्तीय स्थिरता की निगरानी	98
बैंकिंग क्षेत्र का आकलन	98
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय	101
वाणिज्य बैंक	102
शहरी सहकारी बैंक	108
ग्रामीण सहकारी समितियां	110
निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	110
भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड	111
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	111

VII. लोक ऋण प्रबंधन	114
केंद्र सरकार के ऋण का प्रबंधन	114
राज्य सरकारों के ऋण का प्रबंधन	117
VIII. मुद्रा प्रबंधन	122
संचलन में बैंकनोट	122
संचलन में सिक्के	122
मुद्रा परिचालन	123
स्वच्छ नोट नीति	123
जाली बैंकनोट	124
ग्राहक सेवा	126
बैंकनोटों के उत्पादन के लिए कागज, स्याही एवं अन्य कच्चे माल का स्वदेशीकरण	126
सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एवं संचितरण पर व्यय	126
IX. भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी	127
भारत में भुगतान प्रणालियों की निगरानी	127
नीति संबंधी उपाय	129
भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी समिति की पहलें	131
सूचना प्रौद्योगिकी	133
सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर	133
सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग	134
नीति संबंधी उपाय	136
X. अभिशासन, मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक प्रबंधन	137
बेहतर अभिशासन के उपाय	137
बेहतर संप्रेषण हेतु किये गये प्रयास	140
मानव संसाधन विकास संबंधी उपाय	142
संगठनात्मक प्रबंधन संबंधी उपाय	143
XI. रिज़र्व बैंक का 2010-11 का लेखा	150
आय	150
व्यय	151
तुलनपत्र	153
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और 2010-11 के लेखे पर टिप्पणियां	160

अनुबंध I : गवर्नर और उप गवर्नरों द्वारा दिये गये भाषणों की सूची: अप्रैल 2010 से अगस्त 2011	164
अनुबंध II : 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारतीय रिज़र्व बैंक में आगमन	166

परिशिष्ट सारणियों की सूची

1 समष्टि-आर्थिक और वित्तीय संकेतक	168
2 वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रीय संरचना	171
3 सकल देशी बचत और निवेश	172
4 पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल)	173
5 कृषि उत्पादन	174
6 खाद्यान्नों की खरीद, उठाव और स्टॉक	175
7 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की प्रवृत्ति	176
8 थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़	177
9 आरक्षित मुद्राओं में घट-बढ़	178
10 मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़	179
11 सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन	180
12 पूंजी बाजार - प्राथमिक और द्वितीयक बाजार	181
13 भारत के डेरिवेटिव बाजार में टर्नओवर	182
14 भारतीय रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर)	183
15 प्रमुख राजकोषीय संकेतक	184
16 राज्य सरकारों के बजटीय परिचालन	185
17 भारत के निर्यात तथा आयात	186
18 भारत का समग्र भुगतान संतुलन	187
19 भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह : देश-वार तथा उद्योग-वार	188
20 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार	189
21 भारत का बाह्य ऋण (मार्च के अंत में)	190

बॉक्स

II.1 क्या तेल की बढ़ती कीमतें वृद्धि दर को कम करेंगी?	17
II.2 खाद्यान्न प्रबंधन - क्या सुधार किये जाने चाहिए?	21
II.3 वैश्विक पण्य मूल्यों में बढ़ोतरी के आघातों का देशी मुद्रास्फीति में संचरण	30
II.4 वृद्धि- मुद्रास्फीति सामंजस्य और न्यूनतम मुद्रास्फीति	32
II.5 बेहतर मूल्य सांख्यिकी की ओर	34

II.6	मुद्रा की मांग के निर्धारक - किस कारण से प्रवृत्ति में बदलाव हुआ	38
II.7	मुद्रा की वेग में अल्पावधिक आघात और मुद्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति	39
II.8	भारत में वित्तीय डेरिवेटिव - वर्तमान स्थिति	48
II.9	गैर-बैंक वित्तीयन की प्रवृत्तियां - क्या वित्तीय प्रणाली अभी भी बैंक प्रधान है	50
II.10	बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों पर वित्तीय बाजार की गतिविधियों का प्रभाव	51
II.11	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तीयन	51
II.12	राजस्व और व्यय सुधार - सुदृढ़ और व्यापक वृद्धि के लिए राजकोषीय परिवेश में सुधार लाना	55
II.13	नियम आधारित ढाँचे में राजकोषीय संकेतक : विभिन्न देशों का सर्वेक्षण	57
II.14	राजकोषीय गुणक : विभिन्न देशों के अनुभव	59
II.15	राष्ट्रीय लघु बचत निधि की व्यापक समीक्षा पर समिति की राय	60
II.16	क्या बढ़ते वैश्वीकरण ने भारत की राष्ट्रीय नीतियों के प्रभाव को सीमित कर दिया है?	63
II.17	भारत के चालू खाता घाटे का वहनीय न्यूनतम स्तर	67
II.18	ब्याजदरों का भारत में प्राप्त होने वाली पूँजी पर प्रभाव	69
II.19	संतुलित विनिमय दर	70
III.1	आधार दर को अपनाये जाने के बाद मौद्रिक नीति संचरण	73
III.2	मौद्रिक नीति की परिचालनात्मक प्रक्रिया में परिवर्तन	77
IV.1	वित्तीय समावेशन और समावेशक वृद्धि : प्रायोगिक तथ्य क्या दर्शाते हैं?	84
IV.2	माइक्रोफाइनेंस संस्था क्षेत्र पर समिति (मालेगाम समिति)	88
V.1	कारपोरेट बांडों के लिए क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप पर दिशानिर्देश	94
V.2	गैर-सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड बाजार और देशी वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभाव	95
VI.1	वित्तीय स्थिरता बोर्ड	97
VI.2	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद और इसकी उप समिति से संबंधित गतिविधियां	98
VI.3	कारपोरेट और हाउसहोल्ड लीवरेज, ऋण चक्र और आर्थिक वृद्धि	99
VI.4	रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III मानदंड अपनाने की दिशा में उठाये गये कदम	104
VI.5	नये शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिकरण पर विशेषज्ञ समिति	109
VI.6	कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियामक ढांचा	112
VII.1	सरकार के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक की भूमिका संबंधी गतिविधियां	118
VIII.1	जाली नोटों से निपटने की क्रियाविधि	125
IX.1	भुगतान प्रणाली में अंतर्निर्भरताएं	132
IX.2	आइटी विज्ञान दस्तावेज: 2011-2017	134
IX.3	डेटा प्रसार के माध्यम के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी	135
X.1	भारतीय रिजर्व बैंक में अभिशासन का ढांचा	138
X.2	ज्ञान संबंधी पहलें	144

चार्ट

II.1	वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि	16
II.2	बचत और निवेश (चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)	16
II.3	घरेलू वित्तीय बचत	18
II.4	तुलनात्मक पैदावार : भारत और विश्व	19
II.5	2010-11 पैदावार में अंतर - राज्य-वार	19
II.6	मानसून और कृषि	20
II.7	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)	22
II.8	औद्योगिक वृद्धि	22
II.9	कुल मांग के घटक और संबंधित उद्योग की वृद्धि की प्रवृत्ति	23
II.10	इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगों में वृद्धि	23
II.11	सेवा क्षेत्र सकल देशी उत्पाद में वृद्धि	24
II.12	कार्गो के आवगमन में वृद्धि की प्रवृत्ति	24
II.13	सेवा क्षेत्र में वृद्धि (समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं को छोड़कर)	24
II.14	सकल देशी उत्पाद का व्यय पक्ष	25
II.15	डब्ल्यूपीआइ की वृद्धि में बदलते भार का योगदान	26
II.16	थोक मूल्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां	27
II.17	मुद्रास्फीति में योगदान : प्रमुख समूह	27
II.18	खाद्यान्न मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां	28
II.19	वैश्विक तथा देशी ईंधन मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)	28
II.20	विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति	29
II.21	पण्य की अंतरराष्ट्रीय कीमतें	29
II.22	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)	31
II.23	सकल देशी उत्पाद में वृद्धि की प्रवृत्तियां और मुद्रास्फीति	31
II.24	आरक्षित मुद्रा में वृद्धि	35
II.25	आरक्षित मुद्रा में घट-बढ़ के महत्वपूर्ण स्रोत	36
II.26	चलनिधि प्रबंधन परिचालन	36
II.27	मुद्रा एवं जमा में वृद्धि	37
II.28	एम ₃ में घट-बढ़ करोड़ रुपये में और एम ₃ के घट-बढ़ में प्रमुख घटकों की प्रतिशत भागीदारी	37
II.29	खाद्येतर कर्ज में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)	37
II.30	वृद्धिशील औद्योगिक कर्ज में विभिन्न उप-क्षेत्रों की भागीदारी	40
II.31	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियां और बैंक ऋण	41
II.32	वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रवाह	41
II.33	वैश्विक वित्तीय बाजारों की गतिविधियों के संकेतक	42
II.34	वित्तीय बाजार में नीति दरों का संप्रेषण	43
II.35	सरकारी प्रतिभूति आय वक्र में उतार-चढ़ाव	44

II.36	देशी वित्तीय बाजार में गतिविधियां	46
II.37	भारतीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता	47
II.38	इक्विटी बाजारों में उतार-चढ़ाव	47
II.39	वित्तीय डेरिवेटिव बाजार में गतिविधियां	49
II.40	आवास मूल्यों में उतार-चढ़ाव और लेनदेन	49
II.41	विनिमय दर और वायदा प्रीमियम	50
II.42	घाटे के प्रमुख संकेतक	53
II.43	केंद्र सरकार की सब्सिडियाँ	54
II.44	प्रमुख वैश्विक संकेतक	61
II.45	भारत का बाह्य व्यापार	64
II.46	उन्नत अर्थव्यवस्थों और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थों की तुलना में भारत की वर्ष-दर-वर्ष निर्यात वृद्धि	64
II.47	मुख्य पण्यों के निर्यात और आयात	65
II.48	भारत की अदृश्य मदों का निष्पादन	66
II.49	भुगतान संतुलन के प्रमुख घटकों की प्रवृत्तियां	66
II.50	पूंजी प्रवाह (निवल) के प्रमुख घटकों की प्रवृत्तियां	68
II.51	देश -वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह	68
II.52	उद्योग-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह	68
II.53	भारत में विनिमय दर का लचीलापन	68
II.54	अमरीकी डॉलर और यूरो की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन	70
II.55	बाह्य ऋण संकेतक	71
III.1	चलनिधि समायोजन योजना के अंतर्गत रिपो (+) / रिवर्स रिपो (-)	78
III.2	चलनिधि समायोजन योजना के अंतर्गत बकाया राशि तथा भारत सरकार की शेष राशि	78
VI.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	100
VII.1	भारत सरकार के नकदी शेष	117
VIII.1	सिक्क्युरिटी प्रिंटिंग की लागत	126
IX.1	इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की तुलना में कागज आधारित लेनदेनों का हिस्सा	130
X.1	रिजर्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या	146

सारणियां

III.1	प्रमुख नीतिगत दरों में घट-बढ़ तथा भारत में आरक्षित निधि अपेक्षाएं	75
III.2	मौद्रिक नीति की समीक्षाएं	75
III.3	2010-11 में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए चलनिधि प्रबंधन के उपाय	79
IV.1	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	81
IV.2	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत संवितरण	82
IV.3	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली	82
IV.4	उधार देने वाली संस्थाओं को कृषि ऋण छूट तथा ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत मुआवजा	82
IV.5	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अति लघु और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण	83

	पृष्ठ संख्या
VI.1 चुनिंदा वित्तीय संकेतक	101
VII.1 केंद्र सरकार की सकल तथा निवल बाजार उधारियां	114
VII.2 केन्द्र सरकार के बाजार ऋण - एक प्रोफाइल	115
VII.3 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता पैटर्न	115
VII.4 राज्यों की बाजार उधारियां	117
VII.5 बकाया राज्य विकास ऋण और पावर बांड की अवशिष्ट परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च 2011 के अंत में)	117
VII.6 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	119
VII.7 राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट (औसत मासिक बकाया)	119
VII.8 राज्यों द्वारा लिए गए विशेष एवं सामान्य अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट - दिनों की संख्या	120
VII.9 राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के निवेश	120
VIII.1 संचलन में बैंकनोट	122
VIII.2 संचलन में सिक्के	123
VIII.3 करेंसी चेस्ट और छोटा सिक्का डिपो	123
VIII.4 बैंकनोटों की मांग तथा आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)	123
VIII.5 सिक्कों के मांगपत्र एवं आपूर्ति	124
VIII.6 गंदे नोटों का निपटान एवं नए बैंकनोटों की आपूर्ति	124
VIII.7 पकड़े गये जाली नोट	125
IX.1 भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार	128
X.1 रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थान - चलाये गये कार्यक्रम	142
X.2 भारत और विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किये गये अधिकारियों की संख्या	143
X.3 रिजर्व बैंक द्वारा भर्ती - 2010	146
X.4 रिजर्व बैंक की स्टाफ संख्या	147
X.5 श्रेणी-वार स्टाफ संख्या	147
X.6 रिजर्व बैंक की कार्यालय-वार स्टाफ संख्या	148
XI.1 सकल आय	151
XI.2 विदेशी स्रोतों से अर्जन	151
XI.3 देशी स्रोतों से अर्जन	152
XI.4 व्यय	152
XI.5 सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां	153
XI.6 आकस्मिक तथा आस्ति विकास आरक्षित निधियां और सरकार को अधिशेष अंतरण	153
XI.7 मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते, विदेशी मुद्रा समकरण खाते और निवेश पुनर्मूल्यन खाते में शेष राशियां	155
XI.8 आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में शेष राशियां	156
XI.9 बकाया विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियां	156
XI.10 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि	157
XI.11 सहायक / सहयोगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश	157

संक्षेपाक्षर - सूची

एएसएस/	- ऐडवान्ड ऐक्सेस कंटेंट सिस्टम	सीएएफएल	- उन्नत वित्तीय अध्ययन केंद्र
एडी	- प्राधिकृत व्यापारी	सीएएफआरएएल	- उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र
एडीबी	- एशियाई विकास बैंक	सीएएस	- केंद्रीय लेखा अनुभाग
ईई	- अग्रिम अनुमान	सीबीएलओ	- संपार्श्विकीकृत उधार लेने और उधार देने संबंधी दायित्व
ईईज	- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	सीबीआरसी	- चाइना बैंकिंग विनियामक आयोग
एएलएम	- आर्स्टि देयता प्रबंधन	सीबीएस	- कोर बैंकिंग समाधान
एएमए	- उन्नत मापन दृष्टिकोण	सीसीबीज	- केन्द्रीय सहकारी बैंक
एएमएल	- धनशोधन निवारण	सीसीआइएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
आसियान	- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन	सीसीपी	- केन्द्रीय काउंटर पार्टी
एसोचैम	- एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया	सीसीज	- करेंसी चेस्ट
एटीबीज	- नीलामी खजाना बिल	सीडीबीएस	- मुद्रा विघटन और ब्रिकेटिंग प्रणाली
एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन	सीडीआर	- कंपनी ऋण पुनर्गठन
बीसी	- बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट	सीडीज	- जमा प्रमाणपत्र
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति	सीडीएस	- ऋण चूक स्वैप
बीसीपी	- कारोबार निरंतरता योजना	सीजीए	- लेखा महानियंत्रक
बीसीएसबीआइ	- भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड	सीआइसी	- मूल निवेश कंपनी
बीई	- बजट अनुमान	सीआइआइ	- भारतीय उद्योग परिसंघ
बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड	सीआइपी	- केन्द्रीय निर्गम मूल्य
बीआइ	- कारोबार आसूचना	सीएमबीज	- नगदी प्रबंधन बिल
बीआइएफआर	- औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	सीओडीज	- केन्द्रीय कार्यालय विभाग
बीआइएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक	सीओआर	- पंजीकरण प्रमाणपत्र
बीओ	- बैंकिंग लोकपाल	सीपी	- वाणिज्यिक पत्र
बीपीएल	- गरीबी रेखा से नीचे	सीपीएडीएस	- केंद्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली
बीपीएलआर	- बेंचमार्क मूल उधार दर	सीपीआइ	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
बीपीएस	- आधार अंक	सीपीआइ-आइडब्ल्यू	- औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड	सीपीआइओ	- मुख्य लोक सूचना अधिकारी
बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	सीपीआइओज	- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
बीएसई	- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज	सीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
बीडब्ल्यूए	- ब्रॉडबैंड वायरलेस ऐक्सेस	सीपीएसयूज	- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीएबी	- चालू खाता शेष	सीआरए	- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां
सीएसपीपी	- कृषि लागत और मूल्य आयोग	सीआरएआर	- जोखिम-भारित आस्तियों और पूंजी का अनुपात
सीएडी	- चालू खाता घाटा		

संक्षेपाक्षर-सूची

सीआरसीएस	- सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक	एफएओ	- खाद्य और कृषि संगठन
सीआरएम	- ग्राहक संबंध प्रबंधन	एफसी	- वित्त आयोग
सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात	एफसीआइ	- भारतीय खाद्य निगम
सीएसएफ	- समेकित ऋण-शोधन निधि	एफसीएमडी	- वित्तीय समूह निगरानी प्रभाग
सीएसओ	- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय	एफसीएनआर(बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते (बैंक)
सीटीएस	- चेक ट्रैकेशन प्रणाली	एफडीआइ	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
सीवीपीएस	- मुद्रा सत्यापन और प्रोसेसिंग प्रणाली	फेमा	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
डीसीसीबीज	- जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	एफआइ	- वित्तीय संस्थाएं
डीईपीआर	- आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	एफआइसीसीआइ	- भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ
डीजीए	- अवधि अंतराल विश्लेषण	एफआइएफ	- वित्तीय समावेशन निधि
डीजीसीआइएण्डएस	- वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय	एफआइटीएफ	- वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि
डीआइसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	एफआइआइ	- वित्तीय समावेशन सूचकांक
डीआइएफ	- जमा बीमा निधि	एफआइआइज	- विदेशी संस्थागत निवेशक
डीआइटी	- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	फिम्मडा	- भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्स संघ
डीआर	- आपदा रिकवरी	एफएलसीसीज	- वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र
डीआरएम	- विवाद समाधान प्रणाली	एफएमसी	- वायदा बाजार आयोग
डीएसआइएम	- सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	एफएमडी	- वित्तीय बाजार विभाग
डीएसएस	- निर्णय समर्थन प्रणाली	एफएमआइ	- वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर
डीटीसी	- प्रत्यक्ष कर कोड	एफपीएस	- उचित मूल्य की दुकान
डीटीएल	- मांग और मीयादी देयताएं	एफआरएज	- वायदा दर करार
डीडब्ल्यूएम	- डाइनेमिक वर्किंग मॉडल	एफआरबीएम	- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
ईबीटी	- इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर	एफआरबीज	- फ्लेटिंग दर बांड
ईसीबी	- बाह्य वाणिज्यिक उधार	एफआरएलज	- राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून
ईसीसीएस	- द्रुतगामी चेक समाशोधन प्रणाली	एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड
ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
ईकेपी	- उद्यम ज्ञान पोर्टल	एफएसएफ	- वित्तीय स्थिरता मंच
ईएमडीईज	- उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	एफएसटी	- वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी
ईएमईज	- उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं	जीसीसी	- सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड
ईएमएस	- संपदा प्रबंधन प्रणाली	जीसीएफ	- सकल पूंजी निर्माण
ईआरईआर	- इक्विलिब्रियम वास्तविक विनिमय दर	जीडीपी	- सकल देशी उत्पाद
ईटीएल	- एक्स्ट्रैक्ट ट्रांसफार्म एंड लोड	जीडीएस	- सकल देशी बचत
		जीएफसीई	- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय

संक्षेपाक्षर - सूची

जीएफसीएफ	- सकल अचल पूंजी निर्माण	आइआरएफ	- ब्याज दर फ्यूचर्स
जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा	आइआरएस	- ब्याज दर स्वैप
जीओआइ	- भारत सरकार	आइएसएमएस	- सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली
जीपीएस	- ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम	आइएसओ	- अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
जीआरएफ	- गारंटी मोचन निधि	आइटी	- सूचना प्रौद्योगिकी
जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूतियां	आइटीबीज	- मध्यवर्ती खजाना बिल
जीएसटी	- माल और सेवा कर	आइटीईएस	- सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं
एचएलसीसीएफएम	- वित्तीय बाजार पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति	जेएलजी	- संयुक्त देयता समूह
एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित	जेवी/डब्ल्यूओएस	- संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां
आइएडीआइ	- अंतरराष्ट्रीय जमा बीमा संगठन	केसीसीज	- किसान क्रेडिट कार्ड
आइएएस	- एकीकृत लेखांकन प्रणाली	केवीपी	- किसान विकास पत्र
आइबीए	- भारतीय बैंक संघ	केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए
आइसीसीएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	एलएबीज	- स्थानीय क्षेत्र बैंक
आइसीओआर	- वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात	एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
आइसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	लैन	- लोकल एरिया नेटवर्क
आइडीआरबीटी	- बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान	एलसी	- साख-पत्र
आइईएस	- एकीकृत स्थापना प्रणाली	एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात
आइएफसीज	- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां	एलटीवी	- मूल्य- ऋण अनुपात
आइएफआरएस	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक	एम3	- व्यापक मुद्रा
आइएफटीपी	- अंतर-बैंक निधि लेन-देन प्रोसेसर	एमसीएक्स	- बहु पण्य केन्द्र
आइजीआइडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान	एमसीएक्स-एसएक्स	- एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज
आइआइबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान	एमईएनए	- मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका
आइआइएफसीएल	- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	एमएफआइज	- माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं
आइआइएम	- भारतीय प्रबंध संस्थान	एमएफज	- म्यूच्युअल फंड
आइआइपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	एमआइबीओआर	- मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
आइआइटी	- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	माइकर	- माइकर
आइएमडी	- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग	एमआइएस	- प्रबंध सूचना प्रणाली
आइएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एमएमएस	- एमएमएस
इन्फिनेट	- इन्फिनेट	एमओएफ	- वित्त मंत्रालय
आइओएससीओ	- अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन	एमओयू	- सहमति ज्ञापन
आइपीसीज	- अपरिवर्तनीय भुगतान वादे	एमपीएलएस	- मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
आइआरडीए	- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	एमक्यूआर्स	- मध्य तिमाही समीक्षाएं
		एमएसई	- अति लघु और लघु उद्यम

संक्षेपाक्षर-सूची

एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा	एनएसएसएफ	- राष्ट्रीय लघु बचत निधि
एमएसएमई	- अति लघु, लघु और मझोले उद्यम	एनएसएसओ	- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन मूल्य	ओबीसीज	- अन्य पिछड़ा वर्ग
एमएसएस	- बाजार स्थिरीकरण योजना	ओडी	- ओवरड्राफ्ट
एमयूआरआइ	- न्यूनतम बेरोजगारी मुद्रास्फीति दर	ओआइएस	- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप
एनएबी	- उधार लेने के लिए नया करार	ओएलएस	- ऑर्डिनरी लीस्ट स्व्केयर
नाबार्ड	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	ओएमओ	- खुला बाजार परिचालन
एनएआइआरयू	- बेरोजगारी की अत्वरित मुद्रास्फीति दर	ओआरएफएस	- ऑनलाइन विवरणी फ़ाइलिंग प्रणाली
एनएसएससीओएम	- नैस्कॉम	ओटीसी	- ओवर दि काउंटर
एनबीएफसीज	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	ओटीएस	- एक बारगी निपटान
एनबीएस	- पोषक आधारित सब्सिडी	पीएसएस	- प्राथमिक कृषि ऋण समिति
एनसीएएफ	- निवल पूंजी पर्याप्तता ढांचा	पीएडी	- लोक लेखा विभाग
एनसीडी	- अपरवर्तनीय डिबेंचर	पीएआर	- कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट
एनडीएफ	- अपूरणीय वादे	पीसीआर	- अस्थायी कवरेज अनुपात
एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं	पीडीओ-एनडीएस	- पीडीओ - एनडीएस
एनईसीएस	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं	पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	पीएफसीई	- निजी अंतिम उपभोग व्यय
एनईएल	- निवल बाह्य देयताएं	पीजीपीबीएफ	- बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर कार्यक्रम
एनएफएसबी	- राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक	पीआइ	- सहभागी इंटरफेस
एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक	पीआइओज	- भारतीय मूल के व्यक्ति
एनआइबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान	पीएन्स	- सहभागिता नोट
एनआइएम	- निवल ब्याज मार्जिन	पीओएस	- बिक्री केंद्र
एनओसी	- अनापत्ति प्रमाणपत्र	पीपीपी	- सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी
एनओएफ	- निवल स्वाधिकृत निधि	पीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली
एनपीएज	- अनर्जक आस्तियां	क्यूई	- त्वरित अनुमान
एनपीएस	- नयी पेंशन प्रणाली	क्यूआइएस	- मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन
एनआर(ई)आरए	- अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता	आरबीआइ	- भारतीय रिजर्व बैंक
एनआरईजीए	- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	आरबीएससी	- रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय
एनआरआइज	- अनिवासी भारतीय	आरसीसीपी	- केन्द्रीय काउंटर पार्टी के लिए अनुशंसाएं
एनएससी	- राष्ट्रीय बचत प्रमाणत्र	आरसीएस	- सहकारी समितियों के पंजीयक
एनएससीसीएल	- राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड	आरडी	- राजस्व घाटा
एनएसई	- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	आरई	- संशोधित अनुमान
एनएसएफआर	- निवल स्थिर निधीयन अनुपात	आरईसीएस	- क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
एनएसएम	- नोट छंटाई मशीन	आरईईआर	- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
		आरआइए	- सूचना का अधिकार अधिनियम

संक्षेपाक्षर - सूची

आरआइडीएफ	- ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि	एसपीवीज	- विशेष प्रयोजन संस्था
आरएनबीसीज	- अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों	एसटी सीसीएस	- अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण समितियां
आरओज	- क्षेत्रीय कार्यालय	एसटीसी	- अल्पावधि व्यापार ऋण
आरओए	- आस्तियों पर प्रतिलाभ	एसटीसीबीज	- राज्य सहकारी बैंक
आरओई	- इक्विटी पर प्रतिलाभ	एसटीसीआरसी	- अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण
आरआर	- राजस्व विनियमावली	एसटीओज	- उप खजाना अधिकारी
आरआरबीज	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	एसटीज	- अनुसूचित जनजाति
आरएसएसएस	- प्रतिभूति निपटान प्रणाली के लिए अनुशंसाएं	टीएसी	- तकनीकी सलाहकार समिति
आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान	टीएएफसीयूबीज	- शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यदल
आरटीआइ	- सूचना का अधिकार	टैग	- तकनीकी सलाहकार दल
एसएसपीपी	- विशेष कृषि ऋण योजना	टी बिल्स	- खजाना बिल
एससीबीज	- अनुसूचित वाणिज्य बैंक	टीजीए	- पारंपरिक अंतराल विश्लेषण
एससीईपीआर	- आर्थिक और नीति अनुसंधान संबंधी दिशानिर्देशन समिति	यूसीबीज	- शहरी सहकारी बैंक
एससीज	- अनुसूचित जाति	यूएसई	- यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज
एससीएसएस	- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	यूटीज	- संघ शासित प्रदेश
एसडीएल	- राज्य विकास ऋण	वीएआर	- वेक्टर आटो रिप्रेसन
सेबी	- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड	वीएटी	- मूल्य योजित कर
एसईजेड	- विशेष आर्थिक क्षेत्र	वीईसीएम	- वेक्टर एरर करेक्शन मेकेनिज्म
एसजीएल	- सहायक सामान्य ऋण	वीजीएफ	- वायबिलिटी गैप फंडिंग
एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह	वीवीवीएफ	- वैरिबल वोल्टेज वैरिबल फ्रेक्वेंसी
सिडबी	- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
एसआइएफआइ	- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं	डब्ल्यूपीआइ	- थोक मूल्य सूचकांक
एसएलएएफ	- द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा	एक्सबीआरएल	- एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर समिति	एक्सएमएल	- एक्स्टेंसिव मार्क अप
एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात	वाई-ओ-वाई	- वर्ष-दर-वर्ष
एसएमईज	- लघु और मझोले उद्यम	जेडसीबीज	- जीरो कूपन बांड
एसपीएमसीआइएल	- सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	जेडसीवाइसी	- शून्य कूपन प्रतिफल वक्र
		जेडटीसीज	- आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in

पर भी देखी जा सकती है।

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2010-11 में उच्च वृद्धि के रास्ते पर वापस आ गई। लेकिन नए साल में समय बीतने के साथ-साथ चुनौतियां भी उभर कर सामने आईं। सर्वप्रथम, वर्ष की दूसरी छमाही में निवेश संबंधी गतिविधियां धीमी पड़ गई क्योंकि वस्तुओं की ऊंची कीमतों, कठोर मौद्रिक नीति, राजनीतिक कारणों और कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों ने कारोबार संबंधी आत्मविश्वास को ठेस पहुँचाई। दूसरा, वर्ष के दौरान, हेडलाइन राजकोषीय आंकड़ों में सुधार तो हुआ लेकिन यह सुधार मुख्यतः चक्रीय था तथा एकाध बार ही घटित हुआ जिससे ऐसे सुधारों के जारी रहने पर प्रश्नचिह्न लग गया। तीसरा, यद्यपि वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति कठोर बनायी जाती रही, फिर भी नए दबावों के बीच मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही। लागत में वृद्धि और मांग में हुई बढ़ोत्तरी के चलते उत्पादकों के स्तर पर कीमतों में की गई वृद्धि के कारण वर्ष के परवर्ती भाग में मुद्रास्फीति का आयाम व्यापक हो गया। इसके चलते रिज़र्व बैंक को मई से जुलाई 2011 के बीच नीति संबंधी कड़े कदम उठाने पड़े। इसके अलावा, वैश्विक अनिश्चितता, उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती हुई ब्याज दरें और ऊँचे आधार, विशेषतः कृषि के लिए, वर्ष 2011-12 में वृद्धि की गति को धीमा कर सकते हैं। दूसरी ओर, यद्यपि वैश्विक पण्य मूल्यों में कमी आ गई प्रतीत होती है, निकट भविष्य में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है तथा अन्य क्षेत्रों पर मौद्रिक नीति के पड़ने वाले प्रभाव जैसे-जैसे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे वर्ष के परवर्ती भाग में ही मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है। मध्यावधिक वृद्धि को कायम रखने के लिए निजी और सरकारी खपत से जुड़ी मांग की निजी और सार्वजनिक निवेश से तुलना करके उनमें सामंजस्य स्थापित करना महत्वपूर्ण है, जबकि बेहतर आपूर्ति की व्यवस्था करके स्थायी आधार पर मुद्रास्फीति में कमी लानी होगी। सरकारी नीति के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकी पर फोकस बनाए रखने से आपूर्ति में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट के कारण पैदा हुई मंदी से उबरकर बाहर आ गई और वर्ष 2010-11 में उसमें भारी उछाल आया। लेकिन कई समष्टि-आर्थिक कारणों ने वर्ष 2010-11 में नयी चुनौतियां पैदा कीं। पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान रिज़र्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीति बहुत सोच-समझकर निर्धारित करनी पड़ी क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट और उसके चलते वैश्विक वृद्धि में आई मंदी ने भारत की वास्तविक और आर्थिक वित्तीय परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से, तेजी से और दृढ़तापूर्वक बाहर निकालने में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों ने एक साथ काम किया।

1.2 जैसे-जैसे वृद्धि अपने पुराने रास्ते पर आती गयी, नयी चुनौतियां भी पैदा होती गईं। सर्वप्रथम, वर्ष 2009 के मध्य में जो

हेडलाइन मुद्रास्फीति ऋणात्मक स्तर पर थी, वह बढ़कर मार्च-जुलाई 2010 के दौरान दो अंकों में पहुंच गयी। 2010-11 के पूरे वर्ष में मुद्रास्फीति बरकरार रही, तथा हेडलाइन मुद्रास्फीति का अंश 9.6 प्रतिशत रहा। मुद्रास्फीति की चुनौती से निबटने के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान सालभर में रिपो दर में सात बार वृद्धि की तथा ऐसी प्रत्येक वृद्धि 25 आधार अंकों की थी। इन उपायों के बावजूद, आपूर्ति संबंधी नए आघातों और मांग के कारण मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही। चूंकि इनपुट की लागत बढ़ी और खपत संबंधी सुदृढ़ मांग के बीच उक्त वृद्धि ने अन्य क्षेत्रों को भी बहुत प्रभावित किया, इसलिए दिसंबर 2010 से मुद्रास्फीति का स्तर व्यापक हो गया।

1.3 मुद्रास्फीति का स्तर व्यापक होने की चुनौती से निबटने के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2011-12 में अपनी नीति दर - रिपो रेट - में

* यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, लेकिन कई चरों से संबंधित आंकड़े वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल-मार्च के आधार पर उपलब्ध हैं। अतः ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण वित्त वर्ष के आधार पर किया गया है। संबंधित आंकड़े उपलब्ध होने पर उन्हें मार्च 2011 के बाद तक, मध्य अगस्त तक उपलब्ध सूचना के आधार पर, अद्यतन किया गया है। विश्लेषण के प्रयोजन से तत्काल नीतियों का तुलनात्मक महत्त्व दर्शाने के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों तथा भावी अवधि के संदर्भ भी रिपोर्ट में दिए गए हैं।

और तेज वृद्धि की। इसने रिपो रेट मई में 50 आधार अंक, जून में 25 आधार अंक और जुलाई में पुनः 50 आधार अंक बढ़ाया। इसी के साथ, मार्च 2010 से दर में वृद्धि आरंभ होने के समय से परिचालनगत नीति दर 17 महीने से कम की अवधि में 475 आधार अंक बढ़ायी जा चुकी है। चलनिधि की निरंतर प्रतिकूल स्थिति के कारण बैंकों द्वारा जमा और उधार दरों में वृद्धि किए जाने के बाद वर्ष 2010-11 की दूसरी छमाही में मौद्रिक नीति का पर्याप्त बेहतर प्रभाव देखा गया। यह वर्ष 2011-12 में भी जारी रहा तथा उच्च मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं और उत्पादकों की कीमत निर्धारण क्षमता बने रहने के बीच, जो मांग में वृद्धि की सूचक है, इससे मुद्रास्फीति में होने वाली और वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता मिली।

1.4 दूसरा, निजी खपत से जुड़ी भारी मांग के कारण समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में तेजी आयी लेकिन वर्ष 2010-11 की दूसरी छमाही में निवेश की गति धीमी पड़ गई और अभी तक इसमें सुधार के कोई लक्षण दिखायी नहीं दे रहे हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि वर्ष 2010-11 की दूसरी छमाही में नई परियोजनाओं में निवेश संबंधी इरादों में क्रमिक रूप से भारी कमी आई, वर्ष 2011-12 में कारपोरेट निवेश का स्तर कायम रख पाना मुश्किल होगा। जिन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी उनकी स्थिति से संबंधित प्राप्त ब्यौरों के आधार पर कारपोरेट नियत निवेश में भी वर्ष 2003-04 से 2009-10 के दौरान 7 गुना वृद्धि हुई थी लेकिन वर्ष 2010-11 में यह सपाट हो गया और वर्ष की दूसरी छमाही में उसमें भारी गिरावट आयी। अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में सार्वजनिक निवेश में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में कमी आई। राजस्व घाटे में वर्ष 2010-11 के दौरान सुधार के बावजूद उसके 2004-05 से 2007-08 के दौरान के स्तर से अधिक बने रहने के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित है। इससे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता पर ध्यान देने के महत्त्व का पता चलता है। इस बीच अनिश्चित ब्याज दर परिवेश में इस बात पर नजर रखना होगा कि निवेश में वृद्धि की गति किस स्तर तक और अधिक समय तक बनाये रखी जा सकती है। अतः अल्प अवधि में, अधूरे पड़े निवेश के बेहतर कार्यान्वयन और सभी स्तरों पर किसी फर्म के आंतरिक और बाह्य अभिशासन में सुधार पर और ज्यादा ध्यान देकर निवेश के चक्र को और लंबा किया जा सकता है।

वर्ष 2010-11 का मूल्यांकन

1.5 वर्ष 2010-11 के समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करते समय, समग्र मूल्यांकन से जुड़े कुछ प्रमुख प्रश्न नीचे दिये गये हैं।

मुद्रास्फीति लंबे समय तक क्यों बनी रही और क्या इसका पूर्वानुमान किया सकता था?

1.6 उच्च मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं, मानसून के बाद की बेमौसम बरसात के कारण सब्जियों की कीमत में भारी उछाल और वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, जिनके परिणामस्वरूप दिसंबर 2010 से लागत में हुई वृद्धि और मांग वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि हुई, के बीच वर्ष 2010-11 में उच्च मुद्रास्फीति लंबे समय तक बनी रही। मुद्रास्फीति के चालकों में वर्ष 2010-11 में परिवर्तन हुआ। अप्रैल से जुलाई 2010 के दौरान खाद्यान्न संबंधी उत्पादन कीमत वृद्धि के प्रमुख चालक थे जो थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के लगभग 2/5 भाग के लिए उत्तरदायी थे। उनका हिस्सा अगस्त-नवंबर के दौरान घट गया जब खाद्यान्न से भिन्न प्राथमिक उत्पाद मुद्रास्फीति के मुख्य चालक बन गये। फिर भी, दिसंबर 2010-मार्च 2011 के दौरान कीमतों के दबाव का प्रभाव खाद्यान्न से भिन्न विनिर्मित उत्पादों पर भी पड़ा जिनका हिस्सा इस अवधि में हुई मूल्यवृद्धि का 61 प्रतिशत था।

1.7 इस बदलते स्वरूप के कारण मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान करना कठिन हो गया क्योंकि इस अवधि में कीमतों पर अप्रत्याशित दबाव उभर कर सामने आए। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में आशा से अधिक तेज गति से हुई वृद्धि और सामान्य मानसून के बावजूद खाद्यान्नों की कीमतों में आने वाली कमी को प्रतिबंधित करने वाले ढांचागत कारणों ने वर्ष 2010-11 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति में कमी की प्रवृत्ति में व्यवधान डाला। अच्छे मानसून के बाद बेमौसम बरसात के कारण सब्जियों की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल आया। अंततोगत्वा जैसे-जैसे मुद्रास्फीति का प्रभाव खाद्यान्न से भिन्न विनिर्मित उत्पादों पर पड़ता गया, उत्पादकों ने इनपुट संबंधी वस्तुओं की लागत के बड़े हिस्से का दबाव दूसरे क्षेत्रों पर भी अंतरित किया जो बढ़ती हुई मांग का सूचक था।

क्या मौद्रिक कठोरीकरण पर्याप्त था और क्या इससे मुद्रास्फीति रोकने में मदद मिली?

1.8 मार्च 2010 के मध्य से परिचालनगत नीति दरों में 475 आधार अंकों की वृद्धि करके किया गया बार-बार का मौद्रिक कठोरीकरण पूरी दुनिया में उठाए गए सबसे कठोर कदमों में से एक था। इसमें से 350 आधार अंकों की भारी वृद्धि वर्ष 2010-11 के दौरान ही की गई। नीति दरों में उछाल का आकार अपेक्षाकृत छोटा था लेकिन यह उछाल बार-बार किया गया क्योंकि नीति संबंधी निर्णयों की निर्धारित बारंबारता 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई ताकि वित्तीय बाजार मौद्रिक नीति संबंधी

उपायों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सके। दरों में की गई वृद्धि का आकार छोटा था क्योंकि मुद्रास्फीति का स्वरूप वर्ष के ज्यादातर भाग में मुख्यतः आपूर्ति द्वारा चालित था। इसके अलावा 3-जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त हुए भारी राजस्व के परिणामस्वरूप चलनिधि की स्थिति पहले से ही प्रतिकूल थी जिसके परिणामस्वरूप सरकार के भारी नकदी शेष वर्ष 2010-11 के अधिकांश भाग में रिजर्व बैंक के पास रहे।

1.9 वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान नीति संबंधी विकल्प कम हो गये। वर्ष के परवर्ती भाग में मुद्रास्फीति व्यापक हो गई थी, जब पुराने सूचकांक (आधार: 1993-94) के आधार पर हेडलाइन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि संबंधी उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट गिरावट का संकेत दे रहे थे। रिजर्व बैंक ने यह अनुमान लगाया कि यह कमी कुछ अस्थिर घटकों द्वारा प्रेरित थी। यदि इन अस्थायी घटकों को वृद्धि से बाहर निकाल दिया जाता तो यह कमी और भी कम हो जाती। इसके अलावा ऋण की मात्रा में वृद्धि, कारपोरेट लाभप्रदता, निर्यात और आयात, कर-संग्रह की प्रवृत्ति जैसे संबंधित संकेतकों से मंदी की पुष्टि नहीं होती थी। उच्च मुद्रास्फीति के जारी रहते हुए मौद्रिक नीति को और कठोर बनाया गया। फिर भी मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि मात्रा की दृष्टि से कम रही क्योंकि हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति के कम हो जाने की संभावना थी। इसके अलावा, आंकड़ों की गुणवत्ता के कारण वृद्धि के संबंध में अनिश्चित निष्कर्ष के कारण भी बहुत सोच-समझकर कदम उठाने पड़े। बाद में जारी किये गये औद्योगिक उत्पादन संबंधी नए सूचकांक (आधार: 2004-05) ने रिजर्व बैंक की इस धारणा को और बल प्रदान किया कि वर्ष 2010-11 की दूसरी छमाही के दौरान वृद्धि में कमी नहीं हुई थी।

1.10 आपूर्ति संबंधी कई तरह के आघातों के बीच, मौद्रिक कठोरीकरण ने दूसरे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों तथा उच्च मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखने में मदद की। लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने के लिए उपलब्ध कराए गए बहुत बड़े मौद्रिक समर्थन के चलते मौद्रिक नीति पर एक तरह का बंधन लग गया था। दरों में की गई वृद्धि से अच्छे परिणाम प्राप्त करने से पहले यह जरूरी था कि भारी मात्रा में अधिशेष चलनिधि को अर्थव्यवस्था से बाहर किया जाता। मौद्रिक संप्रेषण की दर और मात्रा संबंधी चैनल (दोनों) वर्ष की पहली छमाही में बहुत ही कमजोर थे। वर्ष की दूसरी छमाही में जमा और उधार दरों में वृद्धि करके बैंकों ने मौद्रिक संकेतकों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना आरंभ कर दिया जिससे मुद्रास्फीति संबंधी दबावों में और वृद्धि होने पर नियंत्रण रखने में मदद मिली।

क्या वर्ष 2010-11 में वृद्धि में आए उछाल का जोर वर्ष की दूसरी छमाही में कम हो गया?

1.11 अब यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 की दूसरी छमाही में वृद्धि की गति कमजोर नहीं पड़ी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संबंधी वृद्धि पिछले वर्ष के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 8.2 प्रतिशत हो गई। वृद्धि दर दूसरी छमाही में भी उसी गति से बढ़ी जिस गति से वह पहली छमाही में बढ़ी थी।

1.12 सामान्य मानसून के कारण रिकार्ड खरीफ उत्पादन से वर्ष की दूसरी छमाही में कृषि से संबंधित वृद्धि में भारी उछाल आया। इसके परिणामस्वरूप कृषि संबंधी आय में वृद्धि होने से मांग संबंधी परिस्थितियों को बल मिला तथा उद्योग और सेवा क्षेत्र से इसका संपर्क बढ़ा जिससे समग्र वृद्धि को गति मिली। सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवा क्षेत्रों में उछाल आया। सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं में राजकोषीय सुदृढीकरण शुरू करने के बाद नीति द्वारा प्रेरित मंदी स्पष्टतः ज्ञात हो रही थी।

1.13 वर्ष 2010-11 में इस समय समग्र वृद्धि 8.5 प्रतिशत के स्तर पर अनुमानित है तथा सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़ों में संशोधन के बाद नये आधार वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को शामिल किये जाने के बाद इसमें और वृद्धि संभावित है। वर्ष 2010-11 में वृद्धि की उपर्युक्त प्रवृत्ति को, मुख्य रूप से उच्च निजी खपत से पैदा होने वाली सकल मांग की परिस्थितियों से सहायता मिली। इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति पक्ष से संबद्ध कीमतों के दबाव का प्रभाव व्यापक मुद्रास्फीति पर भी पड़ा।

वर्ष 2010-11 में राजकोषीय सुदृढीकरण अस्थायी या स्थायी था?

1.14 वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुपातों में, संघीय बजट में अनुमानित स्तर की तुलना में सुधार आया। केन्द्र का सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत था जबकि बजट में इसके 5.5 प्रतिशत होने का अनुमान था। वर्ष 2009-10 के 6.4 प्रतिशत सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में यह परिवर्तन बहुत बड़ा था।

1.15 लेकिन वर्ष 2010-11 के दौरान हुए राजकोषीय सुधार का गुणात्मक मूल्यांकन करने पर चिंताएं बढ़ी हैं। राजस्व लेखे में हुए सुधार न केवल स्पेक्ट्रम की नीलामी से आशा से अधिक गैर-कर राजस्व सूचित करते हैं, बल्कि वर्ष 2010-11 की अंतिम तिमाही का

सब्सिडी संबंधी खर्च चालू राजकोषीय वर्ष में भी जारी रहा। कुल खर्च में पूंजीगत खर्च का हिस्सा वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में बढ़ा लेकिन यह बजट आकलनों की तुलना में थोड़ा कम था। खास तौर से पूंजीगत खर्च-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2010-11 के बजट में अनुमानित स्तर से कम रहा और संकट के पहले की अवधि के दौरान प्राप्त स्तर से अभी भी बहुत कम है। इसके परिणामस्वरूप, बकाया की दृष्टि से, मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकार का पूंजीगत खर्च (सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में) एक वर्ष पहले के 13.8 प्रतिशत से अपेक्षाकृत कम अर्थात् 12.9 प्रतिशत था।

1.16 राजकोषीय स्थिति में आए सुधार के अंतर्गत कारोबारी चक्र में आए उछाल और एक बार हुए राजस्व संबंधी लाभों से जुड़े बड़े अस्थायी घटक समाहित हैं। इसके परिणामस्वरूप हेडलाइन घाटे संबंधी आंकड़ों में सुधार हुआ। दो मुख्य मदों - स्पेक्ट्रम नीलामी और विनिवेश - से एक-एक बार प्राप्त राजस्व को यदि इस गणना से बाहर कर दिया जाए तो सकल राजकोषीय घाटा-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2010-11 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 6.3 प्रतिशत था। इसके अलावा राजस्व में आए उछाल में चक्रीय वृद्धि से सहायता मिली जिसके चलते वृद्धि की उपर्युक्त प्रवृत्ति देखी गयी। इस प्रकार एक-एक बार हुई प्राप्तियों और सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में, बजट में अनुमानित 12.5 प्रतिशत के बदले 20.0 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि ने घाटों को कम करने में बहुत बड़ा योग दिया जबकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का स्थायी घटक अपेक्षाकृत कमजोर था।

1.17 स्पष्ट रूप से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की और अधिक स्थायी ऐसी रणनीति अविलंब लागू किए जाने की जरूरत है जिसका फोकस सब्सिडी में कमी लाकर खर्च कम करने तथा प्रत्यक्ष कर कोड और माल तथा सेवा कर लागू करके राजस्व बढ़ाने पर हो।

चालू खाता घाटे में सुधार क्यों हुआ और क्या इस सुधार को कायम रखा जा सकता है?

1.18 राजकोषीय अंतर की तुलना में चालू खाता अंतर में सुधार बनाए रखना ज्यादा आसान है। यह सुधार वैश्विक व्यापार में आए चक्रीय उछाल तथा अदृश्य प्राप्तियों में आए परिवर्तन के कारण हुआ। चालू खाता घाटे में, निर्यात में नवंबर 2010 से भारी वृद्धि के कारण, वर्ष 2010-11 की दूसरी छमाही में पर्याप्त सुधार हुआ। स्वरूप और दिशा की दृष्टि से व्यापार में आई विविधता के कारण निर्यात संबंधी कार्य-निष्पादन में भारी सुधार हुआ। फोकस मार्केट स्कीम, फोकस

प्रॉडक्ट स्कीम और ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम जैसी निर्यात को बढ़ावा देने वाली व्यापार नीति से भी मदद मिली।

1.19 चालू खाता घाटा वर्ष 2009-10 में 2.8 प्रतिशत था लेकिन 2010-11 में वह सुधरकर 2.6 प्रतिशत हो गया। आगे चलकर, यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो चालू खाता घाटे पर कुछ दबाव पड़ सकता है। चूंकि भारत के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है इसलिए वह निकट भविष्य में बाहरी क्षेत्र के किसी भी तरह के दबाव का मुकाबला करने में समर्थ है। तथापि मध्यम अवधि से लेकर दीर्घ अवधि के दृष्टिकोण से ऐसी नीतियों का अनुकरण करके बाह्य लेखा की अनुकूल क्षमता में सुधार करना महत्वपूर्ण होगा जिनसे पूंजीगत प्रवाहों का स्वरूप बदल जाए ताकि उसके अस्थिर घटकों पर निर्भरता कम की जा सके। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में और वृद्धि से पूंजी प्रवाह के विभिन्न घटकों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकता है तथा अस्थिर मुद्रा उतार-चढ़ाव की संभावना और आरक्षित निधियों पर अन्य क्षेत्र से पड़ने वाले किसी भी प्रकार के दबावों को कम किया जा सकता है।

क्या वित्तीय बाजारों में संकटोत्तर जोखिम कम हो गए हैं?

1.20 पूरे विश्व के वित्तीय बाजारों में संकट के बाद की अवधि में बड़ी डिलिवरेजिंग देखी गई है। लेकिन तुलना-पत्र संबंधी जोखिम अभी भी बने हुए हैं। बाजार संबंधी प्रभावी अनुशासन फिर से स्थापित नहीं हो पा रहा है। ऐसे आश्वासनों में विश्वसनीयता की कमी है कि बहुपक्षीय वित्तीय समर्थनों में राजकोषीय या बैंक निधीयन में और वृद्धि किए बिना, व्यवस्थित डिलिवरेजिंग करने की क्षमता है। इस पृष्ठभूमि में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यदि वित्तीय संकट का प्रभाव दुबारा पड़े तो क्या भारत में वित्तीय जोखिम पर्याप्त कम हो गए हैं।

1.21 भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली का सुदृढ़ ढांचा, जिसमें केंद्रीय काउंटरपार्टियां हैं और परिदान बनाम भुगतान भी है, भलीभांति काम कर रहा है। लेहमैन संकट के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और म्यूच्युअल फंडों पर कुछ दबाव तो पड़ा लेकिन बैंकों ने अपने को उस दौरान आवश्यकता के अनुसार लगभग ढाल लिया। विनियामकों ने विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने तथा डेरिवेटिवों और अन्य वित्तीय लिखतों के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने और निपटान संबंधी जोखिम कम करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इन उपायों के बावजूद अभी भी कई समस्याएं बनी हुई हैं।

1.22 भारत में ओटीसी ब्याजदर डेरिवेटिव बाजारों में कुछ संस्थाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हैं जिनमें कुछ बैंकों की प्रधानता है। भारतीय बैंकों के तुलन-पत्र से भिन्न मर्दों के रूप में डेरिवेटिवों की वृद्धि भी जोखिम का स्रोत है। तीन महीने या छह महीने की अर्थसुलभ निधियों वाले बाजार के अभाव के कारण आवधिक बेंचमार्क वक्र का भी अभाव है। इसके चलते वायदा दर करारों और स्वैपों की खरीद-बिक्री में व्यवधान पैदा हो रहा है। फिर भी, सुदृढ़ और अर्थसुलभ जमा प्रमाण-पत्र बाजार, जहां गौण बाजार संबंधी भारी खरीद बिक्री की जा सकती है, के हाल में उभरने से इस संबंध में हो रही कठिनाइयां कम होंगी।

1.23 भारत वित्तीय बाजारों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। खास तौर से भारत में दीर्घावधिक ऋण वित्तीयन को समर्थन देने के लिए एक सुदृढ़ ब्याज दर फ्यूचर बाजार विकसित करने के प्रयास किए गए हैं। मार्च 2011 में रिजर्व बैंक ने 91-दिवसीय खजाना बिलों की ब्याज दर फ्यूचर खरीद-बिक्री की अनुमति दी जिसमें रुपये में नकदी निपटान किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से विचार-विमर्श करके 5 वर्षीय और 2 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा ब्याज दर फ्यूचर बाजार और आवधिक रिपो बाजार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में मंदड़िया बिक्री की वर्तमान 5 दिनों की अवधि को बढ़ाकर अधिकतम तीन महीने करने का निर्णय लिया।

क्या भारतीय बैंक वित्तीय बाजारों का दबाव झेल सकते हैं?

1.24 उपर्युक्त प्रश्न से मिलता-जुलता एक दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वित्तीय प्रणाली वैश्विक बाजारों में दबावों का दूसरा दौर झेल सकती है? चूंकि भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंक हावी हैं, इसलिए समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए दबाव झेलने की बैंकों की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋण, चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा कई तरह के दबाव संबंधी परीक्षण करने पर पता चला कि भारत के बैंकों में अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की उपयुक्त क्षमता है। लेकिन भारी आघात की स्थिति में कुछ बैंक चलनिधि की थोड़ी कमी झेल सकते हैं और उनकी लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।

1.25 कुछ प्रमुख बैंकों के मामले में आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट पाए जाने के बाद आस्तियों की गुणवत्ता की हाल की प्रवृत्तियां चिंता का कारण हैं। चूंकि छोटे और मध्यम उद्यमों के अवरुद्ध ऋण संविभाग में

वृद्धि हो सकती है, इसलिए बदलते हुए ब्याज दर परिवेश में बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आने का जोखिम बना हुआ है। कीमत निर्धारण और इनपुट की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों का तेजी से समाधान करके ऐसी गिरावट को रोके जाने की जरूरत है। फिर भी, अनर्जक आस्तियों की समग्र प्रवृत्तियों से किसी प्रणालीगत दुर्बलता का संकेत नहीं मिलता है। प्रणाली स्तर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात मार्च 2011 के अंत के 2.35 से थोड़ा बढ़कर जून 2011 के अंत में 2.52 प्रतिशत हो गया। इन बैंकों के अलेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर बासेल II के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात जून 2011 के अंत में 13.86 प्रतिशत था। यद्यपि यह मार्च 2011 के अंत के 14.19 प्रतिशत से कम था फिर भी यह न्यूनतम अपेक्षा से काफी ऊपर था।

वर्ष 2011-12 के लिए संभावनाएं

1.26 भारतीय अर्थव्यवस्था को समष्टि आर्थिक दृष्टि से कठिन वर्ष का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद रहना पड़ेगा। चूंकि आपूर्ति संबंधी उपाय कमजोर हैं इसलिए मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक चुनौती बनी हुई है। खपत संबंधी मांग अभी तक सुदृढ़ है, यद्यपि अधिक ब्याज दर के प्रभावों से होने वाले मौद्रिक प्रभावों के परिणामस्वरूप निजी खपत में और कमी आ सकती है। तथापि मध्यम अवधि में उच्च वृद्धि दर कायम रखने के लिए निवेशों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। यदि वैश्विक परिस्थितियों में गिरावट आती है तो किसी भी प्रति-चक्रीय वित्तीय सहायता के लिए राजकोषीय और मौद्रिक - दोनों दृष्टियों से गुंजाइश बहुत कम है। अतः वर्ष 2011-12 में समष्टि-आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, मांग का रुख "निजी और सरकारी खपत" से बदलकर "निजी और सार्वजनिक निवेश" की दिशा में ले जाकर इनमें नया संतुलन स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण होगा।

1.27 यदि वैश्विक आर्थिक समस्याएं और बढ़ती हैं तो ऐसे कई जोखिम हैं जो राजकोषीय और चालू खाता - दोनों घाटों के चलते बढ़ सकते हैं। जब से स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने अमेरिका की दीर्घावधिक सरकारी ऋण रेटिंग को 'एएए' से घटाकर 5 अगस्त 2011 को 'एए+' कर दिया तब से वैश्विक अनिश्चितताओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ऐसा आगामी दस वर्षों में अमेरिका द्वारा लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डालर के घाटा न्यूनीकरण के तीव्र कार्यक्रम के बदले 2.4 ट्रिलियन

अमेरिकी डालर के घाटा न्यूनीकरण कार्यक्रम को अपनाए जाने के बाद हुआ। जबसे इस घटना के परिणामस्वरूप यूरो क्षेत्र में ऋण संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं तबसे, सरकारी ऋणों सहित, ऋण चूक स्वैप से संबंधित स्प्रेडों में भारी वृद्धि हुई है।

1.28 स्टैंडर्ड ऐण्ड पूअर्स द्वारा उठाया गया कदम ऐसे समय आया जब बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अमेरिका में वृद्धि में कमी आने के संकेत बढ़ने लगे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन घटनाओं का संभावित प्रभाव, व्यापार, पूंजी प्रवाह और वैश्विक पण्य मूल्यों पर इनके पड़ने वाले प्रभावों पर निर्भर करेगा।

वर्ष 2011-12 के लिए वृद्धि की संभावना

1.29 वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धि की उपर्युक्त प्रवृत्ति के बाद वर्ष 2011-12 में वृद्धि में कमी आने की संभावना है लेकिन यह 8 प्रतिशत के आस-पास बनी रह सकती है। अनेक प्रतिकूल गतिविधियों के कारण वर्ष 2011-12 संबंधी वृद्धि की संभावनाएं, पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत कम रह सकती हैं। वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। यदि वैश्विक वित्तीय समस्याओं में वृद्धि होती है और वैश्विक वृद्धि में ज्यादा कमी आती है तो वर्ष 2011-12 की मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में निर्दिष्ट वृद्धि संबंधी अनुमानों में कमी आएगी। इस समय वैश्विक तेल और पण्य मूल्य, कुछ सुधार के बाद भी, उच्च स्तर पर बने हुए हैं और उनका वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निरंतर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, इनपुट वाली वस्तुओं की बढ़ती लागत, मौद्रिक कठोरीकरण के कारण पूंजी की लागत में वृद्धि और परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन कुछ ऐसे कारक हैं जो वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। अब तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य बने रहने के कारण कृषि क्षेत्र से जुड़ी संभावनाएं आशाजनक प्रतीत होती हैं, लेकिन ऊपर उद्धृत कारणों से औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में कमी आने की संभावना है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर बाद की वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ेगा लेकिन मोटे तौर पर इसमें गति बने रहने की संभावना है।

1.30 क्षेत्रवार स्तर पर, कुछ अनाजों, दालों और मूँगफली को छोड़कर, फसल की संभावनाएँ अच्छी हैं। 17 अगस्त 2011 तक मानसून दीर्घावधिक औसत से 1 प्रतिशत कम था। हरियाणा, उड़ीसा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कम वर्षा का कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, रिजर्व बैंक का समग्र खाद्यान्न उत्पादन धारित वर्षा सूचकांक, पिछले वर्ष की समरूप अवधि

के 88 की तुलना में, 17 अगस्त 2011 तक 101 था। 12 अगस्त 2011 तक की गई बुआई पिछले वर्ष की समरूप अवधि से थोड़ी अधिक थी। कुल मिलाकर, इस समय कृषि संबंधी संभावनाएं आशाजनक प्रतीत होती हैं, यद्यपि पिछले वर्ष के उच्च आधार की तुलना में वृद्धि की दर के कम रहने की संभावना है।

1.31 वृद्धि की तुलना में गिरावट की स्थिति पैदा करने वाले जोखिमों के हावी रहने के कारण वर्ष 2011-12 में औद्योगिक क्षेत्र की संभावनाएं अनिश्चित हैं। वर्ष 2011-12 में (i) वैश्विक अनिश्चितताओं और राजनीतिक कारकों के बीच गिरते कारोबारी विश्वास, (ii) मुद्रास्फीति दबावों के बीच वस्तुओं की बढ़ी कीमतों, (iii) मौद्रिक स्थितियों के कठोरीकरण और (iv) आपूर्ति संबंधी कमजोर उपायों के कारण औद्योगिक वृद्धि में कमी लाने वाले जोखिम पैदा हो सकते हैं। नियत निवेश वृद्धि वर्ष 2011-12 की अंतिम तिमाही में गिरकर 0.4 प्रतिशत हो गई है। यदि मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बने रहते हैं तो निजी खपत में भी कमी आ सकती है। कोर सेक्टर का कार्य-निष्पादन समग्र आर्थिक गतिविधि से पिछड़ा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी कठिनाइयां पैदा हुई हैं। भारत में समग्र विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत है, अतः यदि कोयला क्षेत्र का कार्य-निष्पादन अपेक्षित से कम रहा तो वर्ष 2011-12 में विद्युत क्षेत्र की वृद्धि में कमी आ सकती है।

1.32 अच्छी बात यह है कि जून महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि, खराब दौर में प्रवेश कर रही औद्योगिक वृद्धि की प्रवृत्ति से उलटी है। यद्यपि यह वृद्धि मासानुमास अस्थिर परिणाम देने वाले पूंजीगत माल से प्रेरित है, फिर भी वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की 6.8 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने में इससे मदद मिली है। अधिक वेतन और मजदूरी से लोगों की आय में वृद्धि के कारण घरेलू मांग में वृद्धि से औद्योगिक वृद्धि को सहायता मिल सकती है। यद्यपि ब्याज दर से प्रभावित होने वाले कुछ क्षेत्रों से जुड़ी मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन कीमतों और ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद समग्र खपत मांग उच्च स्तर पर बनी हुई है। मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर के बावजूद वास्तविक मांग में कमी नहीं आयी है क्योंकि विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, वस्तुओं की कीमतों से जुड़ी मुद्रास्फीति की तुलना में मजदूरी से जुड़ी मुद्रास्फीति अधिक रही।

1.33 भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि के मामले में अत्यंत सुदृढ़ ढांचागत आयाम भी जुड़ा है, विशेष रूप से सस्ते उत्पादों की भरमार, जनसंख्या का अनुकूल स्वरूप और ग्रामीण अर्द्धशहरी क्षेत्रों से होने वाली सुदृढ़

मांग जो परिवहन, संचार, वित्त और बीमा जैसी सेवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली चक्रीय मंदी से बचाए रखती है। वर्ष 2011-12 के दौरान घरेलू मांग के कारण होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र में तेज वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन चूंकि वैश्विक वृद्धि में पुनः कमी आ रही है, इसलिए बाह्य मांग द्वारा चालित सेवाओं में अनिश्चितता बनी हुई है।

1.34 वर्तमान गणना के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के वर्ष 2010-11 के 8.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 8.0 प्रतिशत के आस-पास आ जाने की संभावना है। साथ ही, यह भी आशा की जाती है कि सेवा क्षेत्र में होने वाली सुदृढ़ वृद्धि, जिसका हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद के 65 प्रतिशत से अधिक है, वृद्धि की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करती रहेगी। इसके अलावा, यदि (i) वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ और खराब हो जाएँ, (ii) वैश्विक रिकवरी की गति और कमजोर पड़ जाए, या (iii) खाद्यान्न और गैर-खाद्यान्न पण्य मूल्य संबंधी मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रहे तो वर्ष 2011-12 के दौरान वृद्धि में कमी लाने वाले बड़े जोखिम पैदा हो सकते हैं। मांग में कमी आने की संभावना है क्योंकि निकट भविष्य में निवेश के कम रहने और निजी खपत में कमी आने की संभावना है। मांग में कमी आने की स्थिति में सरकारी खपत पर होने वाले खर्च के बदले सार्वजनिक निवेशों में खर्च बढ़ाने से सहायता मिलेगी।

वर्ष 2011-12 के लिए मुद्रास्फीति संबंधी संभावनाएं

1.35 मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है और आशा है कि वर्ष के परवर्ती भाग में मार्च 2012 तक घटकर यह लगभग 7 प्रतिशत हो जाएगी। वैश्विक वृद्धि के परिवेश में गिरावट आने के साथ ही कच्चे तेल सहित वैश्विक पण्य मूल्यों में जुलाई के चौथे सप्ताह से गिरावट आनी शुरू हो गयी है। तथापि, यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। यदि वैश्विक रिकवरी में और गिरावट आती है तो पण्य मूल्यों में और कमी आएगी जिसका घरेलू मुद्रास्फीति पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है।

1.36 राजकोषीय सीमाओं और अमेरिका में बढ़ती कमजोरी के लक्षणों के साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने पहले ही घोषित किया है कि यह कम-से-कम वर्ष 2013 के मध्य तक लगभग शून्य दर वाली नीति का अनुसरण करेगा। इसने दूसरे दौर की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का भी संकेत दिया है। इस नीति के रुझान के कारण पण्य मूल्यों में वृद्धि बनी रह सकती है। वैश्विक पण्य मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में इस समय उच्चतर स्तर पर बने हुए हैं। वैश्विक पण्य मूल्यों में अप्रैल 2011 तक हुई वृद्धि का प्रभाव अभी तक पूरी तरह उभर

कर सामने नहीं आया है, विशेष रूप से खनिज और तेल के क्षेत्र में। अतः वैश्विक पण्य मूल्यों में थोड़ी गिरावट का घरेलू मूल्यों पर बहुत कम असर पड़ेगा।

1.37 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निकट भविष्य में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रह सकती है तथा वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में किसी समय यह कम होनी शुरू हो सकती है। वैश्विक उच्च पण्य मूल्यों के अपूर्ण प्रभाव पड़ने, खाद्यान्नों के मूल्यों पर दबाव बने रहने के साथ-साथ उच्च मुद्रास्फीति के जारी रहने से निकट भविष्य में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रह सकती है। यदि वैश्विक तेल मूल्य वर्तमान स्तर पर बने रहे तो सब्सिडी को नियंत्रित रखने के लिए नियंत्रित तेल उत्पादों की कीमतों में और वृद्धि आवश्यक हो जाएगी। इनपुट संबंधी वस्तुओं की लागत में तेज वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उर्वरक और बिजली की कीमतों को भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी।

1.38 पिछले दो वर्षों से उच्च और निरंतर मुद्रास्फीति बने रहने से यह स्पष्ट हो गया है कि आपूर्ति संबंधी पर्याप्त व्यवस्था के अभाव में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना कठिन होगा। आपूर्ति द्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति के दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने में मौद्रिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका फिर भी बनी रहेगी। थोड़ी विपरीत परिस्थितियों तथा कीमतों के उच्च स्तर पर बने रहने के बीच एक खतरा यह है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर को लोग उसका नया सामान्य स्तर मान सकते हैं। ऐसा करने पर मुद्रास्फीति संबंधी दीर्घवधिक प्रत्याशाएं अनियंत्रित हो जाएंगी जिसके प्रभाव से मुद्रास्फीति अपने वर्तमान स्तर से और बढ़ सकती है। अंततोगत्वा, इससे अत्यंत कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे पैदा होने वाली अवस्फीति की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

वर्ष 2011-12 के लिए दोहरे घाटे संबंधी संभावना

1.39 कमजोर होती वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2011-12 के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था पर उसके पड़ने वाले संभावित प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में दोनों घाटों पर बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। यदि वैश्विक संकट और गहरा होता है तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में वर्तमान अनुमान से अधिक मंदी आती है तो राजकोषीय स्थिति में आनेवाली गिरावट चिंता का विषय बन सकती है। इसका पिछले वर्षों में किए गए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान आकलन के अनुसार वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों से बहुत अधिक होने का अनुमान है। यदि अर्थव्यवस्था में वर्तमान अनुमान से अधिक मंदी आती है तो उसके परिणामस्वरूप राजस्व में आने वाली

कमी से समस्याएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। साथ ही किसी प्रतिचक्रिय नीति को राजकोषीय समर्थन देने की गुंजाइश, वर्ष 2008 के वैश्विक संकट के समय की तुलना में, और भी कम है।

1.40 दूसरी ओर, आधारभूत स्तर पर, चालू खाता घाटा वर्ष 2011-12 में धारणीय स्तर पर बना रहेगा। धारणीय चालू खाता घाटे के अनुमान के अनुसार इसकी सीमा सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 - 3.0 प्रतिशत के बीच रहेगी। अमेरिका की सरकारी रेटिंग कम किए जाने के बाद पैदा हुई आर्थिक उथल-पुथल से जुड़ी वैश्विक अनिश्चितताओं, वैश्विक रिकवरी की धीमी पड़ती गति और यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण संबंधी समस्याओं से पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण वर्ष 2011-12 के लिए बाह्य क्षेत्र संबंधी संभावनाएं कुछ अनिश्चित बनी रहेंगी। इसका पण्य मूल्यों और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव पर प्रभाव पड़ सकता है।

1.41 वर्ष 2010-11 में तथा 2011-12 में अब तक निर्यात क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में जो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई थी, उसमें गिरावट आने का जोखिम पैदा हो गया है। यदि ये समस्याएं बनी रहें लेकिन बड़े संकट का रूप न ले सकें तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में कमी आने का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव निर्यातों में निरंतर विविधीकरण लाकर आंशिक रूप से कम किया जा सकता है। हाल के वर्षों में भारत के निर्यातों में स्वरूप तथा गंतव्य देश की दृष्टि से पर्याप्त विविधीकरण आया है। इसके बावजूद यदि वैश्विक वृद्धि में तेजी से कमी आती है और इसका आधार व्यापक रहता है तो इसका प्रभाव बड़ा हो सकता है।

1.42 सॉफ्टवेयर सेवाओं में भारत के अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में होने के कारण सेवा संबंधी निर्यात में वृद्धि की संभावना है। चूंकि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है और भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात अमेरिका और यूरोप को सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने से उसका कुछ प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। नेस्कॉम, जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ कंपनियों के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स का काम करता है, ने वर्ष 2011-12 में सॉफ्टवेयर निर्यातों में डालर की दृष्टि से 16-18 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। कई संकेतक यह बताते हैं कि मोटे तौर पर इसी तरह की वृद्धि अभी भी हासिल की जा सकती है। इनके अंतर्गत (i) वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में सॉफ्टवेयर फर्मों द्वारा अनुमान से अधिक डॉलर राजस्व की कमाई, (ii) दूसरी तिमाही के लिए काफी अच्छा मार्गदर्शन, (iii) इस वर्ष अवरुद्ध संविदाएं, और (iv) कम वृद्धि के बावजूद

अमेरिकी फर्मों के तुलनपत्र पर अच्छी कारपोरेट आय और नकदी। अतः किसी भी तरह की मंदी का प्रभाव निकट भविष्य में मामूली होगा। तथापि, यदि संकट बढ़कर इतना गंभीर हो जाता है कि उसका प्रभाव चालू वर्ष के बाद की वैश्विक वृद्धि की संभावना पर पड़ने लगे तो यह कुछ समय के बाद महसूस भी किया जा सकेगा। चालू वर्ष के लिए संभावना यह है कि अमेरिका, यूरोक्षेत्र और मध्य-पूर्व तथा उत्तर अफ्रीकी देशों में समस्याएं बने रहने के बावजूद, सेवाओं के निर्यात तथा निजी अंतरणों में स्थिरता आएगी।

1.43 जहां तक पूंजी प्रवाहों का संबंध है, इसके प्रभावों को मापना और अधिक कठिन है। कई अन्य कारकों के साथ-साथ जोखिम उठाने की अनिच्छा की मात्रा के आधार पर पूंजी प्रवाह बढ़ या घट सकते हैं। बाद में यदि वैश्विक संकट और गंभीर हो जाता है तो पूंजी प्रवाहों में कमी आने की ज्यादा संभावना है क्योंकि (i) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक दूसरे जगह हुए घाटे को कवर करने के लिए भारत सहित अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बेच सकते हैं, (ii) जोखिम उठाने की अनिच्छा के कारण भारतीय कारपोरेट के लिए उधार लेने की लागत बढ़ सकती है तथा इसका प्रत्यक्ष निवेशों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, और (iii) यदि राजकोषीय स्थिति पर मंदी का प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो घरेलू बांड कम आकर्षक बने रह सकते हैं।

1.44 दूसरी ओर, भारत में निवेश की जाने वाली पूंजी की मात्रा, कई दौर में, बढ़ सकती है क्योंकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में तुलनात्मक लाभ इस समय और अधिक हो सकता है। इसके अलावा, कई निवेशक भारत में स्टॉक मार्केट संबंधी मूल्यांकनों को अनुमानित भावी लाभों के आधार पर आकर्षक समझते हैं। ऋण प्रवाहों के मामले में ब्याज संबंधी अंतर का स्तर बढ़ा तथा आकर्षक रहने की संभावना है। भारत में वृद्धि की संभावनाएं मोटे तौर पर अभी भी अच्छी हैं, इसलिए निवेश के गंतव्य के रूप में इसका आकर्षण बढ़ सकता है। अल्प अवधि में यदि पण्य मूल्यों में कमी आती है और वैश्विक संकट नियंत्रण में रहता है तो मुद्रास्फीति घटाने, तथा राजकोषीय और चालू खाता घाटों को कम करने में इससे मिलने वाले लाभों के कारण नए निवेश आकर्षित किए जा सकते हैं। इसलिए थोक पूंजी आगम की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। समय बीतने के साथ पूंजी प्रवाहों में उतार-चढ़ाव आ सकता है तथा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विनिमय दर में उतार-चढ़ावों पर व्यापार और मुद्रा प्रवाहों तथा अन्य समष्टि आर्थिक मानदंडों का क्या प्रभाव पड़ता है।

1.45 कुल मिलाकर, भुगतान संतुलन की दृष्टि से वर्ष 2011-12 का प्रारंभ अच्छा रहा है। अप्रैल-जुलाई 2011 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्यातों में डालर की दृष्टि से 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयातों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप समग्र दृष्टि से व्यापार घाटे का आकार प्रारंभिक 4 महीनों में, पिछले वर्ष की समरूप अवधि से, अपरिवर्तित रहा है। पूंजी प्रवाह की दृष्टि से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में, पिछले वर्ष की समरूप अवधि से, 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की संभावनाएं अच्छी प्रतीत होती हैं क्योंकि इससे संबंधित और नीति तैयार की जा रही है। ब्याज दर अंतरों में वृद्धि होने के साथ ही पूंजीगत आगमों के ऋण घटक में वृद्धि हो सकती है तथा वर्ष 2011-12 में भुगतान संतुलन अच्छी स्थिति में रहेगा, लेकिन फिर भी वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण उस पर कड़ी नजर रखनी होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधिक चुनौतियों के संबंध में रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

1.46 निरंतर उच्च वृद्धि बनाए रखने के रास्ते की तात्कालिक चुनौती मुद्रास्फीति को कम करना है लेकिन मध्यम अवधि में वृद्धि को कायम रखना अर्थव्यवस्था के सम्मुख उपस्थित ढांचागत व्यवधानों को दूर करने पर निर्भर करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष ऐसी कई चुनौतियां हैं जो वृद्धि को रोक रही हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र शामिल हैं जहां सरकारी नीति बनाकर विभिन्न उपाय करने की जरूरत होगी क्योंकि उनसे संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के मामले में बाजार स्वयं समर्थ नहीं होंगे। इनसे संबंधित अधिकांश समस्याओं के समाधान में रिज़र्व बैंक की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के संभाव्य स्तर को बढ़ाने के लिए उनका समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ पर नीचे विचार किया गया है।

मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को घटाकर स्वीकार्य स्तर पर लाना

1.47 मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को कम करके स्वीकार्य स्तर पर लाने में कौन-सी नीतियां सहायक हो सकती हैं? मौद्रिक नीति को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, लेकिन जब तक पूरक नीतियां लागू न की जाएं तब तक अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा। इनके अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति में सुधार लाना, अनाजों के लिए और अधिक भंडारण क्षमता निर्मित करना,

जल्दी नष्ट होने वाले उत्पादों के मामले में आपूर्ति संबंधी आघातों को प्रबंधित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार करना और अनाज से भिन्न खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बाजार आधारित इंसेंटिव प्रदान करना शामिल हैं। अंततोगत्वा आपूर्ति के संबंध में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी बेहतर जल प्रबंधन, कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित गतिविधियों में तकनीकी तथा संस्थागत सुधारों पर निर्भर करेंगे। भूमि की चकबंदी, जमीन की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर बीज, सिंचाई, फसलों की कटाई, प्रौद्योगिकी तथा वस्तुओं की खुदरा बिक्री के चेन - ये सभी मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की संभावनाओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

1.48 खाद्यान्न संबंधी मुद्रास्फीति की समस्या के समाधान के लिए भी एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जिससे बढ़ती हुई उस वास्तविक मजदूरी से पैदा होने वाली निष्क्रियता वाले तत्वों को तोड़ा जा सके जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ता है। बढ़ती हुई वास्तविक मजदूरी से खाद्यान्न संबंधी मुद्रास्फीति बढ़ती है और यह मुद्रास्फीति मजदूरी में वृद्धि करने के लिए आधार-भूमि तैयार करती है क्योंकि उससे (मजदूरी से) सूचकांकन का तत्व जुड़ा होता है। इस संबंध में सरकार द्वारा कुछ नीतियां तैयार किया जाना वांछनीय है। ग्रामीण मजदूरी कार्यक्रमों को भी उत्पादकता से जोड़ना होगा। यदि उत्पादकता में सुधार होगा तो वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी लेकिन उसका कीमतों पर दबाव नहीं पड़ेगा। तब मुद्रास्फीति और राजकोषीय स्थिति पर नियंत्रण किए बिना भी, समावेशन कार्यक्रम धारणीय आधार पर जारी रखा जा सकता है।

1.49 हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने के मामले में बाहर के देशों से मुद्रास्फीति का संचरण एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। अंतरराष्ट्रीय पण्यों की कीमतें अभी भी एक बड़ा खतरा हैं क्योंकि उन्नत देशों द्वारा मौद्रिक नीति संबंधी दी जाने वाली सहूलियतों के कारण वैश्विक चलनिधि की मात्रा अभी भी बहुत अधिक है। इंधन और खाद्यान्न सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऊर्जा सुरक्षा के प्रबंधन के लिए पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय समाधान तैयार किए जाने की जरूरत है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से नियंत्रण हटाने से इस संबंध में मदद मिल सकती है क्योंकि जिस मद के लिए देश को निर्यात पर निर्भर रहना पड़े उसके लिए बड़ी जनसंख्या को सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। अंत में, विनिर्माण क्षेत्र में कीमत निर्धारण की शक्ति से जुड़े व्यापक और सूक्ष्म पहलू भी हैं। इस संबंध में प्रतियोगिता की एक नीति लागू की गई है और प्रतियोगितारोधी पद्धतियों तथा षड्यंत्रपूर्ण व्यवहार को पूरी तरह समाप्त करने के

लिए कीमत संबंधी सूचना के साथ-साथ औद्योगिक संगठनों के ढांचों का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे व्यवहार से भी मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बढ़ते हैं तथा उन्हें रोकने की जरूरत है।

कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग

1.50 भारत सुदृढ़ प्रौद्योगिकी आधार वाला, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था है। फिर भी यह प्रौद्योगिकी से जुड़े लाभ पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सका है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, प्रोत्साहनों में वृद्धि करके और संस्थागत सुधार करके उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। जीआइएस सहित व्यापक प्रेसीजन फार्मिंग टेकनीक के प्रयोग, स्थानीय आधार पर सिंचाई के साथ ही उर्वरकों के प्रयोग, कृषि की बेहतर उप-जातियों के प्रयोग और जल के इष्टतम प्रबंधन के माध्यम से धारणीय आधार पर कृषि की उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण भूमि की उपलब्धता में कमी और जैव इंधनों के अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर लिए जाने के कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पैदावार बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग, जीनॉम पर आधारित उपकरणों / साधनों, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल समेकित कीट प्रबंधन की प्रौद्योगिकी, बीज आपूर्ति चेन और प्रणाली, क्षेत्रीय आधार पर अपनायी गई प्रजातियों और वर्णसंकर, विशेष रूप से सूखे के समय में भी उगायी जा सकने वाली प्रजातियों से कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में बेहतर जल संचयन, इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और उचित कानून बनाकर भूमि संबंधी अभिलेखों को डिजिटाइज करना जैसे संस्थागत सुधार इस संबंध में सहायक हो सकते हैं।

1.51 ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली उन्नति पर्यावरण के लिए अनुकूल होनी चाहिए। इसका फोकस जमीन के जैव पदार्थों का प्रबंधन करके अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने और भूमि की जैविक गतिविधियां बढ़ाने, मृदा संरक्षण और जलसंरक्षण के तरीकों में सुधार लाने; हाइड्रोकार्बन इनपुट्स पर अत्यधिक निर्भरता कम करने; न्यूनतम या शून्य जुताई; भूमि की उर्वरता और कीट नियंत्रण के लिए रोटेशन समूह अपनाने; समेकित कीट प्रबंधन; उच्च स्तर की जेनेटिक विविधता के साथ कृषि प्रणाली की इन विधियों को सम्मिलित करते हुए जेनेटिक संसाधनों के प्रयोग के समय इससे जुड़ी सुविधाओं का अधिकतम लाभ लेने पर होना चाहिए। इनपुट के प्रयोग की दक्षता बढ़ाने वाली और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने वाली संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किये जाने की जरूरत है।

1.52 भारत में वर्षा पर आधारित कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है तथा इसका हिस्सा फसल वाले क्षेत्र का 55 प्रतिशत और कुल कृषि उत्पादन का 45 प्रतिशत है। चूंकि भारत में सिंचाई की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश है। दालों और तिलहन के उत्पादन में वर्षा से सिंचित क्षेत्र का योगदान 70 प्रतिशत तथा बागवानी और पशुपालन से संबंधित उत्पादों में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सिंचाई / जल-प्रबंधन की व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है क्योंकि 21वीं शताब्दी में जल संभवतः सर्वाधिक दुर्लभ संसाधन होने जा रहा है।

1.53 जल प्रबंधन का विशेष महत्व है। स्थान, समय, और मात्रा की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक आसानी से सुलभता के कारण पूरे विश्व में सतह पर उपलब्ध जल की अपेक्षा भूमिगत जल ज्यादा पसंद किया जाता है। भारत में भी यही स्थिति है, जैसा कि 1970 के दशक की नहर से सिंचाई पर निर्भरता से 1990 के दशक में भूमिगत जल से सिंचाई की ओर अग्रसर होने से पता चलता है। तृतीय लघु सिंचाई सर्वेक्षण, 2005 के अनुसार इस समय कृषि की क्षमता का 75-80 प्रतिशत भाग भूमिगत जल पर निर्भर है, जिसमें से अधिकांश कुएं, छिछले और गहरे ट्यूबवेल हैं, और जो मुख्यतः निजी हाथों में हैं। दुर्लभता, जल के कम-से-कम उपयोग और कृषि में जल के न्यूनतम उपयोग के स्वरूप के बावजूद कृषि सुधार संबंधी नीति में देश के भूमिगत जल भंडार के प्रबंधन और उसकी भरपाई के लिए कार्यक्रम बनाने की जरूरत का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि जमीन से उतना ही जल निकाला जाए जितना हर वर्ष रिचार्ज किया जा सके। वर्षा, मिट्टी की विशेषताओं और भू-आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) जैसे कारकों पर आधारित प्राकृतिक और आकस्मिक भरपाई के उपाय भूमिगत जल की मात्रा को बनाए नहीं रख सकते क्योंकि खपत किए जा रहे जल की मात्रा बहुत अधिक है। जल संचयन, अधिक मूल्यवाली और कम पानी की जरूरत वाली फसलों की खेती (जैसे दालें और तिलहन - पानी की कमी वाले क्षेत्र में), धान और गन्ने के लिए सिस्टम आफ राइस इंटेसिफिकेशन जैसी जल की बचत वाली विधि का प्रयोग, समुद्र तटीय क्षेत्रों में खारे जल में विकसित होने वाली फसलों के लिए सी-वॉटर फार्मिंग और कम पानी की जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान में निवेश से कृषि उत्पादन में दीर्घावधिक धारणीयता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

1.54 कृषि में वर्तमान की लगभग 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि को बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने के लिए प्रौद्योगिकी का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करने, भूमि सुधारों सहित संस्थागत सुधार करने, आपूर्ति बढ़ाने के

लिए प्रोत्साहन देने और इनपुट संबंधी वस्तुओं का बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जैव-रसायन तत्वों का उपयोग करके पैदावार में सुधार लाना होगा जिसके अंतर्गत सिंचाई, जेनेटिक बीज, रासायनिक उर्वरक, तथा कीटनाशक शामिल होंगे। नयी किस्मों की पैदावार की अधिक संभावनाओं से जैव- रासायनिक तत्वों और जल का इष्टतम प्रयोग करके पैदावार बढ़ायी जा सकती है जिसके अंतर्गत भूमि की नमी का ध्यान रखा जाता है। भूमि और जलवायु की स्थिति का ध्यान रखते हुए इनपुट की वस्तुओं का इष्टतम उपयोग करके पैदावार में बहुत सुधार लाया जा सकता है। चूंकि बुआई वाले क्षेत्र का और विस्तार कर पाना संभव नहीं है, इसलिए फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए यह रणनीति आवश्यक है।

1.55 कृषि संबंधी कार्य-निष्पादन अपनी क्षमता की तुलना में नीचे गिर गया लगता है जिसका आंशिक कारण, गैर-मूल्य कारकों की तुलना में मूल्य संबंधी कारक अधिक है। जिन बड़े किसानों के पास उपयोग से ज्यादा अनाज बचता है, उनके लिए मूल्य संबंधी प्रोत्साहन अभी भी कारगर होंगे, लेकिन गैर-मूल्य कारक छोटे और बड़े (सभी) किसानों के लिए फायदेमंद होंगे और मूल्य संबंधी प्रोत्साहनों की तुलना में उत्पादन संबंधी उपाय ज्यादा कारगर होंगे। केवल मूल्य संबंधी कारकों पर अधिक ध्यान देने वाली नीतियों से व्यवस्था में ज्यादा विकृति पैदा हुई है। उदाहरण के लिए, पहले उर्वरकों के संबंध में दी जाने वाली सब्सिडी से उर्वरकों के इष्टतम उपयोग के मामले में विकृति आई है, और साथ ही, इससे उर्वरक के उत्पादन के क्षेत्र में जरूरत से कम निवेश किए जाने की स्थिति भी पैदा हुई है क्योंकि पहले सब्सिडी को पोषकों के साथ जोड़कर नहीं रखा गया था तथा इससे, नये दक्ष संयंत्रों की तुलना में पुराने अक्षम संयंत्रों को ज्यादा लाभ मिला। अतः पोषकों के आधार पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना लागू करना उपयुक्त होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर मूल्य संबंधी प्रोत्साहन कृषि से होने वाली आय में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक हैं लेकिन कृषि के लिए सकल आपूर्ति संबंधी उपाय करने के मामले में इसकी भी एक सीमा है।

खपत और निवेश के बीच उचित संतुलन स्थापित करना

1.56 तेजी से बढ़ने वाले उभरते बाजारों में भारत एक ऐसा देश है जिसने खपत और कुल माँग में निवेश के बीच उचित संतुलन बनाए रखा है। भारत के सामने अति-निवेश या बचत में से खपत पर किए गए अत्यधिक खर्च से पैदा हुई समस्याएं नहीं हैं। उच्च वृद्धि के चरण में, वैश्विक वित्तीय संकट के पहले बचत में से खर्च

करके की गई खपत की मात्रा जरूर बढ़ी, लेकिन इसका पहले का आधार अपेक्षाकृत कम था। दूसरी ओर, निवेश ज्यादा तेजी से बढ़ा। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सरकारी खपत तब बढ़ा जब बड़ी राजकोषीय सहायताएं उपलब्ध करायी गईं। वर्ष 2010 में पुनर्संतुलन स्थापित करने पर सरकारी खपत की तुलना में निजी खपत बढ़ी। लेकिन वर्ष की दूसरी छमाही में निवेश में तेजी से कमी आई। इस समय खपत से जुड़ी मांग और निवेश के बीच तुलना करके खपत और निवेश के बीच दीर्घावधिक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। इसके लिए अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ावा देने की जरूरत है।

1.57 वर्ष 2000-01 के बाद से मुख्य रूप से निजी कारपोरेट बचत में वृद्धि और सरकारी क्षेत्र की बचत में सुधार आने के कारण सकल घरेलू बचत में वृद्धि हुई। लेकिन इसके साथ ही घरेलू क्षेत्र की बचत, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की दृष्टि से लगभग स्थिर बनी हुई है। जो सरकारी क्षेत्र अपनी बचत में से खर्च कर रहा था वह बचत करने वाला क्षेत्र बन गया जिसका सबसे बड़ा कारण राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत किया गया राजकोषीय सुदृढीकरण था। दक्षता और लाभप्रदता के अनुरूप ही निजी कारपोरेट बचत में भी वृद्धि हुई। बारहवीं पंच वर्षीय योजना (2012-17) बनाने की प्रक्रिया आरंभ करते समय योजना आयोग ने 9.0-9.5 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था। परिवर्तित परिदृश्य में, जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम वृद्धि की स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है, यह लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल हो सकता है। 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने के लिए भी 40.5 प्रतिशत की निवेश दर की आवश्यकता होगी, वह भी तब जब ग्यारहवीं योजना के दौरान हासिल किया गया 4.5 प्रतिशत का वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात अपरिवर्तित बना रहे। पिछले दो दशकों के दौरान बचत-निवेश अंतराल का निधीयन करने वाले चालू खाता घाटे का औसत सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से कम रहा है। चालू खाता घाटा / सकल घरेलू उत्पाद का इससे भी अधिक दो प्रतिशत का अनुपात मान लेने पर, सकल घरेलू बचत दर में, वर्ष 2009-10 के 33.7 प्रतिशत से, 5 प्रतिशतता अंक की वृद्धि करने की जरूरत होगी। यह इस बात को रेखांकित करता है कि उच्चतर निवेशों और निम्नतर वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के माध्यम से उच्चतर वृद्धि हासिल करने के लिए बचत में वृद्धि करना और प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सुधार करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार समग्र निवेश की आवश्यकताओं और चालू खाते की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए निजी कारपोरेट और सरकारी क्षेत्र की हाल की उच्च वृद्धि दर

बनाए रखने तथा पिछले कई वर्षों से लगभग एक ही स्तर पर बनी हुई घरेलू बचतों को बढ़ाने की संभावना की तलाश करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

ऊर्जा सुरक्षा को सुकर बनाना

1.58 उच्च वृद्धि के बीच भारत के सामने ऊर्जा की कमी की समस्या है जो अंततोगत्वा वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। भारत में ऊर्जा की आपूर्ति और मांग की वर्तमान और संभावित प्रवृत्ति को यदि ध्यान में रखें तो भारत में ऊर्जा की कमी वर्ष 2010-11 के लगभग 170 मिलियन टन तेल के बराबर से बढ़कर बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दोगुनी हो जाने की संभावना है। बारहवीं योजना के अंत तक भारत को अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं का 40 प्रतिशत भाग आयात करने की जरूरत होगी। मांग आपूर्ति के बीच के अंतर कोयला और कच्चे तेल के मामले में बड़े हो सकते हैं। इसका दबाव ऊर्जा की कीमतों और भुगतान संतुलन पर भी पड़ेगा।

1.59 भारत को अपना घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए "मांग में कमी", "कम ऊर्जा का उपयोग" और "ऊर्जा के वैकल्पिक साधन" को 3 स्तंभ बनाना होगा। ऊर्जा संरक्षण के लिए इन्सेंटिव प्रदान करने, मांग को नियंत्रित रखने तथा क्षमता में वृद्धि करके आपूर्ति संबंधी उपायों को समर्थन देने के लिए कीमत बढ़ाना आवश्यक होगा। इसके अलावा, निजी और सरकारी निवेशों के माध्यम से घरेलू हाइड्रो-कार्बन, कोयला और विद्युत उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सरकारी नीति का समर्थन आवश्यक है। भारत में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर के बढ़ने की संभावना है। चूंकि नयी एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत एक्सप्लोरेशन ब्लॉकों की नीलामी के नौवें दौर के परिणाम पर्याप्त उत्साहजनक नहीं रहे हैं, इसलिए इस रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है ताकि ऐसे वित्तीय और विनियामक परिवेश का सृजन किया जा सके जहां सरकारी और निजी क्षेत्र एक्सप्लोरेशन के काम में प्रभावी ढंग से सहभागी बन सकें।

1.60 भारत में कोयले का बहुत बड़ा भंडार है; कोयले के ब्लॉक्स की नीलामी उसके लिए निर्धारित समय से पहले की जा सकती है। विद्युत परियोजनाओं में ऐसे बहुत से निवेश हैं जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। लेकिन इन परियोजनाओं के एक बार तैयार हो जाने पर उनके इष्टतम उपयोग के लिए कोयले की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों का समाधान करना आवश्यक होगा। यह प्राथमिकता का ऐसा क्षेत्र है

जिसके लिए बेहतर नियोजन तथा संबंधित एजेंसियों और इससे जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान विद्युत संयंत्रों को न केवल पर्याप्त कोयला मिले, बल्कि नए संयंत्रों को भी इनपुट की आपूर्ति होती रहे ताकि वे उचित लोड फैक्टर के साथ काम करना आरंभ कर सकें। चूंकि बैंक वित्त का बहुत बड़ा भाग इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में फँसा हुआ है, इसलिए पुनर्गठन संबंधी किसी आवश्यकता से बचने के लिए नये इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परियोजनाओं की लाभप्रदता सुनिश्चित करने की जरूरत होगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त सुकर बनाना

1.61 योजना आयोग के आकलन के अनुसार 12वीं योजना (2012-17) के दौरान भारत को इन्फ्रास्ट्रक्चर में एक ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। यह वित्तीयन का बहुत बड़ा काम है। दूसरे प्रमुख देशों की तुलना में और बढ़ती हुई अपनी मांग (दोनों) की दृष्टि से भारत का इन्फ्रास्ट्रक्चर अंतराल एक ऐसा प्रमुख कारक है जो निवेश की समग्र उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है। बहुत अधिक मात्रा वाली प्रारंभिक पूंजी के खर्च की आवश्यकता, वह भी बहुत लंबे समय के लिए, के लिए यह जरूरी है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में क्षमता वृद्धि के लिए वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़ी बाधाओं के समाधान के उपाय किये जाएं। वित्तीयन का मुद्दा केवल संभावित संसाधन अंतराल से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यह वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद ऐसा निधीयन सुनिश्चित करने से भी जुड़ा है जो लंबे कारोबारी चक्रों तक लाभप्रद भी बना रहे।

1.62 बारहवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र (दोनों) की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश किए जाने की जरूरत होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी अंतराल को कम करने में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के बावजूद सरकारी निवेश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इससे संबंधित लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजकोषीय सुदृढीकरण तथा खर्च की दिशा पूंजीगत खर्च की ओर मोड़ने की जरूरत है। दीर्घावधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण देते समय आस्ति देयता असमानता का जोखिम मौजूद होने के बावजूद बैंकिंग प्रणाली ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र को ऋण की मात्रा में वृद्धि की है।

1.63 निकट अतीत में दीर्घावधिक वित्त की उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए कारपोरेट बांड मार्केट के विकास को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर में किये जाने वाले निवेश में वृद्धि हो सके। कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों

द्वारा किए जाने वाले निवेश की सीमा बढ़ाकर 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किए गए 5 वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशक अब समग्र सीमा के अंतर्गत 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि का निवेश कर सकते हैं। प्रकटीकरण संबंधी मानदंडों को सरल बना दिया गया है और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बांडों में निवेश पर विथहोल्डिंग टैक्स कम कर दिया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों और निवेश बैंकों - सभी को बाजार के भागीदार के रूप में अनुमति दे दी गई है। गौण बाजार में कारपोरेट बांडों में रिपो की अनुमति दे दी गई है और 91-दिवसीय ब्याजदर फ्यूचर का नया उत्पाद शुरू किया गया है। निकट भविष्य में इस क्षेत्र में ऋण चूक स्वैपों के भी आरंभ किए जाने की संभावना है। ओटीसी ब्याजदर डेरिवेटिवों के संबंध में अब रिपोर्टिंग प्लैटफार्म काम करने लगा है और खातों की अस्थायी पूलिंग के जरिए भुगतान के बदले परिदान की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है।

1.64 तथापि वाणिज्यिक आधार पर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को संसाधनों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है। इनके अंतर्गत सभी राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी को तर्कसंगत बनाना और टैक्स लगाने के मामले में पास थ्रू सर्टिफिकेट पर पुनर्विचार करना शामिल हैं। बैंकों द्वारा ऋण की आंशिक वृद्धि एक विकल्प है लेकिन इससे जुड़ी समस्याएं भी हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या बांड बीमा के माध्यम से जोखिम कम करने के वैकल्पिक तरीके ढूँढे जा रहे हैं। और अधिक भागीदारों की भी जरूरत होगी ताकि कारपोरेट बांड मार्केट के और अधिक सुदृढ़ होने तथा गतिशील होने में मदद मिल सके।

वित्तीय समावेशन और व्यापक वृद्धि को बढ़ावा देना

1.65 वृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखना व्यापक वृद्धि की स्थिति हासिल करने पर निर्भर है। प्रकारांतर से, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन एक अनिवार्य शर्त है। समावेशन संबंधी नीति का लक्ष्य केवल वृद्धि की गति ही नहीं बल्कि वृद्धि की प्रक्रिया में सबको शामिल करने का तौर-तरीका भी है। इसके अनुसार लोगों को आर्थिक वृद्धि में सहयोग देने और उससे लाभ प्राप्त करने (दोनों) का अवसर मिलता है। वित्तीय समावेशन का मतलब मुख्य धारा के संस्थागत संगठनों द्वारा, कम आय वर्ग वाले या सुविधाहीन ऐसे समूहों को, जिनकी पहुंच औपचारिक वित्त तक नहीं है, सस्ती दर पर, उचित और पारदर्शी तरीके से, वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यापक वृद्धि को समर्थन देने के लिए रिजर्व बैंक बैंकों को अनिवार्य ओवरड्राफ्ट की सुविधा सहित "नो फ्रिल खाते"

खोलने, गरीबों और ग्रामीण परिवारों को उनके नकदी लेन-देन के स्वरूप के उपयुक्त आवर्ती जमा और धनप्रेषण सुविधाएं तैयार करने, उद्यमियों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने तथा माइक्रोइंश्योरेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

1.66 व्यापक वृद्धि के लिए धारणीय मॉडल को बढ़ावा देने में वित्त की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन व्यापक वृद्धि के मार्ग में कई तरह की रुकावटें भी हैं। कृषि में निवेश, इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी के निर्माण का बहुत बड़ा महत्व है। उदाहरण के लिए आगामी दशक में हर वर्ष लगभग एक करोड़ व्यक्ति कार्यबल के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जो नियोजन तथा कौशल निर्माण के लिए चुनौती साबित होगा। यदि कौशल निर्माण को गति नहीं मिलेगी तो जनसंख्या का जो आकार आज एक सुविधा है, जोखिम का रूप ले लेगा। इसे स्वीकार करते हुए कौशल विकास के संबंध में इस समय एक राष्ट्रीय नीति लागू की जा रही है। इन सभी गतिविधियों की आपूर्ति के लिए वित्त की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इन गतिविधियों की मांग को समर्थन देने के लिए व्यापक वित्त आवश्यक है ताकि उनके लिए धन सुलभ कराया जा सके।

1.67 वित्तीय समावेशन रिजर्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों की केवल 30 प्रतिशत शाखाएं हैं और देश की जनसंख्या के केवल 61 प्रतिशत लोगों के बैंक खाते हैं। विशेषरूप से जब जनसंख्या के बहुत बड़े भाग के लिए अत्यंत आधारभूत औपचारिक वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध न हों तब यह एक राष्ट्रीय वचनबद्धता और नीतिगत प्राथमिकता (दोनों) बन जाता है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन का काम मिशन समझकर आरंभ किया है और शाखा लाइसेंसिंग को उदार बनाकर, बैंकों के लिए 25 प्रतिशत नयी शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों पर खोलना अनिवार्य बनाकर, कारपोरेट्स सहित अनेक संस्थाओं को बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेन्ट्स तथा बिजनेस फैसिलिटेटर्स के रूप में काम करने की अनुमति देकर, नये उत्पाद आरंभ करके और बैंक सुविधाओं से वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देकर समर्थनकारी विनियामक और नीतिगत परिवेश विकसित किया है।

1.68 मध्यम अवधि की चुनौतियों की ऊपर दी गयी सूची संपूर्ण नहीं है। तथापि वे यह स्पष्ट करती हैं कि प्रतिचक्रीय मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के जरिए मांग का प्रबंधन करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और वृद्धि के रुझानों में स्थिरता लाने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन वृद्धि की प्रवृत्ति में सुधार लाने के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता पड़ेगी जो मध्यम अवधि में ढांचागत

व्यवधानों को दूर कर सकें। भारत भारी वृद्धि की संभावनाओं वाला देश है क्योंकि यहां प्राकृतिक संसाधन हैं, बहुत बड़ा जनबल है, इसके पास ज्ञान का भंडार है और इसकी अर्थव्यवस्था में खुलापन बढ़ रहा है। तथापि इन संभावनाओं का दोहन प्रौद्योगिकी में सुधार लाकर, उत्पादकता में वृद्धि करके, ऊर्जा की कमी दूर करके, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करके, बचत और निवेश बढ़ाकर, व्यापक समावेशन के

रास्ते पर चलते रहकर और निरंतर मुद्रास्फीति कम करके ही किया जा सकता है। बारहवीं योजना में वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति से बेहतर वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना संभव होगा। तथापि, अधिक तेज, अधिक व्यापक और धारणीय वृद्धि की सहायता से समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए योजना के अंतर्गत मध्यम अवधि के मुद्दों का ईमानदारी से हल निकालना जरूरी होगा।

वैश्विक वित्तीय संकट के चलते 2008-09 में आई गिरावट और 2009-10 की आर्थिक रिकवरी के बाद 2010-11 में वृद्धि में पुनः काफी उछाल आया। तथापि, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई और 2010-11 के दौरान यह सारे समय बहुत उच्च स्तर पर बनी रही। समग्र मांग के उच्च स्तर पर बने रहने से आपूर्ति पक्ष के आघात अधिक व्यापक हो गये। मुद्रास्फीति की सीमारेखा, जहां वृद्धि-मुद्रास्फीति का तालमेल संभव होता है, से ऊपर होती मुद्रास्फीति से वृद्धि के लिये उत्पन्न अतिरिक्त जोखिमों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 और जुलाई 2011 के बीच ग्यारह बार नीति दरों में वृद्धि की। इससे मौजूदा ब्याज-दर चक्र में प्रभावी नीति दरों में 475 आधार अंकों की वृद्धि हुई। मौद्रिक कठोरीकरण और वैश्विक आर्थिक दशाओं में गिरावट होने के परिणामस्वरूप वर्ष के बाद वाले भाग से वृद्धि में थोड़ी कमी और मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तथापि, परिकल्पित राजकोषीय सुदृढीकरण में होने वाली संभाव्य गिरावट से मांग कम होने का जोखिम बना हुआ है।

II.1.1 वैश्विक वित्तीय संकट और उसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई मंदी के प्रतिकूल प्रभावों से रिकवरी की प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई। 2010 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादन में अनुमानित 3.4 प्रतिशत का अंतर आया और उनमें आई आर्थिक सुस्ती और भविष्य में उनकी वृद्धि, रोजगार और ऋण संबंधी अनिश्चितताएं भारत में भी गतिविधि-स्तरों पर अपना प्रभाव डाल रही हैं। तथापि, भारत में वृद्धि दर अपनी पूर्वगामी उच्च वृद्धि के रास्ते पर वापस आ चुकी है।

II.1.2 दो अंकों से शुरू होकर, हेडलाइन मुद्रास्फीति 2010-11 में सारे वर्ष उच्च स्तर पर बनी रही। अच्छे मानसून के बाद आई बेमौसम बरसात ने सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि कर दी और 2010-11 की दूसरी छमाही में वैश्विक पण्यों की कीमतों में आई तेजी से मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्वतः बल मिलने लगा और विनिर्माण क्षेत्र के लागत-वृद्धि संबंधी घटकों ने भी मुद्रास्फीति पर दबाव बनाया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में निरंतरता बनी रही और यह व्यापक हो गई। 2010-11 और वर्ष के दौरान अभी तक मौद्रिक नीति का रुख मुद्रास्फीतिरोधी बना हुआ है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा जा सके और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

I वास्तविक अर्थव्यवस्था

2010-11 में वृद्धि में उछाल

II.1.3 कारक लागत पर वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2009-10 के 8.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 8.5 प्रतिशत हो गई


(परिशिष्ट सारणी 1 और 2)। 2008-09 में वैश्विक संकट से उत्पन्न तीव्र मंदी के बाद इस रफ्तार से लगातार दूसरे वर्ष वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई।

II.1.4 वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धि का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र रहा जिसमें सामान्य मानसून के चलते रुझान से कहीं अधिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसी को परिलक्षित करते हुए 2010-11 में समग्र जीडीपी वृद्धि में कृषि क्षेत्र के योगदान में तीव्र बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.1)। सेवा क्षेत्र वृद्धि का प्रमुख संवाहक बना रहा, यद्यपि 2003-08 की संकट-पूर्व की उच्च वृद्धि वाले दौर की तुलना में इसकी वृद्धि कुछ कम रही।

उच्च वृद्धि की निरंतरता - समर्थनकारी परिस्थितियां

II.1.5 वर्ष 2011-12 में वृद्धि दर के 8.0 प्रतिशत के सामान्य रुख के स्तर तक नीचे आने की संभावना है। यदि वैश्विक दशाएं खराब होती हैं तो यह अनुमान नीचे के ओर जा सकता है। इससे मध्यावधि से दीर्घावधि के दौरान उच्च वृद्धि की निरंतरता के विषय में चिंता उत्पन्न होती है। योजना आयोग ने बारहवीं योजना (2012-17) के दृष्टिकोण के मुद्दे पर अपने पेपर में 9.0-9.5 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य का अनुमान लगाया गया है। उच्च वृद्धि की एक पूर्वापेक्षा, विधिक और संस्थागत ढांचे पर विशिष्ट ध्यान देते हुए संरचनात्मक बाधाओं को तत्काल दूर करना, कार्यान्वयन और अभिशासन लाना भी है। अल्पावधि में वृद्धि को कम कृषि उत्पादकता, खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर, उच्च वैश्विक पण्य मूल्यों, कार्पोरेट अभिशासन की गुणवत्ता और विनिर्माण क्षेत्र में कम उत्पादकता वृद्धि के जोखिमों से जूझना पड़ेगा। इसके अलावा, 2010-11 में और 2011-12 में अब तक हुई तेल की कीमतों में

चार्ट II.1: वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि




भारी वृद्धि ने निकट-भविष्य की वृद्धि के संबंध में चिंताएं पैदा कर दी हैं (बॉक्स II.1)।

II.1.6 गणनाएं बताती हैं कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अभिकल्पित 9.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि प्राप्त करने के लिये 2009-10 में समग्र बचत और निवेश दरों को जीडीपी के 33.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 36.5 प्रतिशत करना आवश्यक था। लगभग 4.1 के वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात के साथ (जैसा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया था) लगभग 38-39 प्रतिशत की निवेश दर अपेक्षित होगी। अतः निवेश दर को 2.5-3.0 प्रतिशत अंकों तक बढ़ाने की आवश्यकता है। सकल देशी बचत दर को बढ़ाकर 37 प्रतिशत या अधिक किया जाना आवश्यक है। यह पूर्व में प्राप्त किये गये निजी कार्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों के उच्च स्तर को प्राप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके अलावा, घरेलू बचतों को बढ़ाने की जरूरत है जो हाल के वर्षों में स्थिर हो गयी हैं, और जो वित्तीय तथा भौतिक आस्तियों के बीच बचतों के पुनः

आबंटन तथा वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं में हुए परिवर्तनों के प्रायः समान उतार-चढ़ाव की द्योतक हैं (चार्ट II.2 और परिशिष्ट सारणी- 3)।

II.1.7 उपलब्ध अद्यतन सूचना के आधार पर प्राथमिक अनुमान दर्शाते हैं कि 2010-11 में वर्तमान बाजार मूल्य पर घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचतें कम होकर जीडीपी की 9.7 प्रतिशत हो गई जबकि पिछले वर्ष ये 12.1 प्रतिशत थीं (चार्ट II.3 और परिशिष्ट सारणी 4)। घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचतों की दर में आई कमी, बैंक जमा राशियों और जीवन बीमा फंड में घरेलू बचतों में कम वृद्धि तथा शेयरों और डिबेंचरों में निवेश में हुई तीव्र गिरावट, जिसका मुख्य कारण म्यूचुअल फंड यूनितों का मोचन है, में परिलक्षित हुई। फिर भी, वर्ष के दौरान लघु बचतों और मुद्रा के पक्ष में रुझान बना रहा। तथापि, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देयताओं में वृद्धि हुई जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक उधार दिए जाने को परिलक्षित करता है। 2010-11 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर में तेजी आने के बावजूद लगातार

चार्ट II.2: बचत और निवेश (चालू बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)



बॉक्स II.1

क्या तेल की बढ़ती कीमतें वृद्धि दर को कम करेंगी?

1970 के दशक के तेल मूल्यों संबंधी आघातों के साथ उत्पादन में तीव्र गिरावट और बड़े मुद्रास्फीतिकारी दबाव भी काम कर रहे थे। 2000 के दशक में तेल मूल्यों में इससे कहीं अधिक हुई वृद्धि इन समष्टि-आर्थिक चरों पर पड़ने वाले हल्के प्रभाव से जुड़ी थी। अरब-इजराइल युद्ध की पृष्ठभूमि में 1973 के तेल प्रतिबंध और ईरानी क्रांति के बाद 1979 में तेल मूल्यों में बढ़ोतरी के बाद तेल की आपूर्ति में कमी आ गई थी। इसके विपरीत, 2002-06 के दौरान तेल मूल्यों में 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई परंतु इसका मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर चलनिधि की अधिकता और तेल की मांग में वृद्धि होना था।


इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या 2011 में तेल के बढ़ते मूल्यों के संबंध में हमें चिंतित होना चाहिए। ब्लैनचर्ड और गैली (2007) ने यह पता लगाया कि ढांचागत परिवर्तनों के कमजोर पड़ने और तेल संबंधी आघातों के परेषण-तंत्र में अंतर आ जाने से तेल मूल्य अब व्यापारिक चक्र से जुड़े नहीं रह गए हैं। इसके अलावा अध्ययन बताता है कि इस परिवर्तन का मुख्य कारण वेतन वृद्धि और हाल की अवधि में मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं में स्थिरता आना है। इसके अलावा, आर्थिक कारक हाल में तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि की घटनाओं को अस्थायी और उतार-चढ़ाव युक्त मानते हैं।

वृद्धि पर तेल के मन्द होते प्रभाव की पुष्टि आईएमएफ के अप्रैल 2011 माह के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में की गई है। इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि यदि 2011 में वैश्विक तेल मूल्य औसतन यूएस \$ 150 प्रति बैरल हो जाता है तो इससे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर में 0.75 प्रतिशत की कमी आएगी, जबकि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन हानि एशिया और उप सहारा अफ्रीका के 0.75 प्रतिशत से लैटिन अमरीका में 0.5 प्रतिशत भिन्न-भिन्न हो सकती है। तथापि, यदि वैश्विक तेल मूल्यों में इससे और अधिक तेजी आती है तो समष्टिआर्थिक समायोजन करने आवश्यक होंगे, अतः इस विषय में किए जा रहे प्रयासों को रोक देने की आवश्यकता नहीं है। बोडेन्स्टेन आदि (2007) ने दिखाया कि यह प्रभाव देश-दर-देश अलग-अलग हो सकता है और अंततः यह तेल पर निर्भरता एवं वित्तीय बाजार के ढांचे, जोखिम-सहभागिता, ढांचागत मानदंडों के गंभीरता से अनुपालन पर निर्भर करता है।

हेज फंडों के परिसमापन और मूल्यों में अस्थिरता लाने वाली पुननिर्माण स्थितियों के कारण 2011 में तेल बाजारों का व्यापारिक वातावरण अनिश्चित बना रहा। मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल, जापान में आए भूचाल से तेलशोधन कारखानों का बंद हो जाना, यूरो जोन में सरकारों की चूकों संबंधी जोखिमों ने, सामान्यतः पटरी पर आ चुकी वैश्विक रिकवरी की पृष्ठभूमि में अन्यथा मजबूत होते तेल मूल्यों को बार-बार प्रभावित किया। कमजोर वैश्विक वृद्धि की प्रत्याशा में मई 2011 को यूएस \$ 110.6 प्रति बैरल तक गिरने से पहले भारतीय बास्केट के कच्चे तेल का मूल्य 2009-10 के औसत यूएस \$ 69.8 प्रति बैरल से बढ़कर 2010-11 में यूएस \$ 85.1 प्रति बैरल हो गया और इसके बाद, अप्रैल 2011 में यह यूएस \$ 118.5 प्रति बैरल तक पहुंच गया। आपूर्ति संबंधी स्कावटों को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों द्वारा अपने रणनीतिक आरक्षित भंडार में से 60 मिलियन बैरल कच्चा तेल जारी करने के निर्णय के चलते जून 2011 में तेल के मूल्यों में थोड़े समय के लिए कमी आई, परंतु इनमें पुनः वृद्धि दर्ज की गई, जुलाई 2011 के दौरान औसतन यूएस \$ 112.4 प्रति बैरल। एसएंडपी

द्वारा अमरीकी सरकार की निम्न रेटिंग के कारण तेल के मूल्यों में अगस्त 2011 के पहले पखवाड़े में एक बार फिर औसतन यूएस \$ 106.6/ प्रति बैरल की गिरावट हुई। इसके बावजूद भारतीय बास्केट के कच्चे तेल के अगस्त के मूल्य 2010-11 के दौरान इसके औसत की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक थे।

भारत में 2010-11 में आयात कुल देशी तेल आवश्यकता का 87.3 प्रतिशत था। 2010-11 में निवल तेल आयात (तेल आयात से घटाया तेल निर्यात) कुल पण्य व्यापार घाटे का 65.3 प्रतिशत था। यद्यपि, वृद्धि पर तेल के मूल्यों के प्रभावों की मात्रात्मक गणना करना काफी कठिन है, फिर भी भारत की आर्थिक वृद्धि पर तेल मूल्यों के आघात के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया एक छोटा मैक्रो नमूना दर्शाता है कि इसका प्रभाव कुछ अधिक हो सकता है। इस मॉडल में उपभोग, निवेश, सरकारी उपभोग खर्च, निवल निर्यात और गैर-तेल वस्तुओं के मूल्यों तथा तेल तथा गैर-तेल वस्तुओं के मूल्यों सहित समग्र थोक मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय से संबंधित दो प्रमुख वस्तुओं सहित सात ढांचागत समीकरणों को शामिल किया गया है। इसका परिणाम दर्शाता है कि तेल मूल्यों में 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के पूर्ण प्रभाव से वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 0.3 प्रतिशत अंकों की कमी आएगी। इसके सीधे प्रभाव से मुद्रास्फीति में 1.0 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होगी, जबकि बाद के चरणों में वृद्धि के बाद इसके कुल प्रभाव से मुद्रास्फीति में वृद्धि लगभग 2.0 प्रतिशत अंक होगी। ये मोटे अनुमान हैं और वास्तविक प्रभाव अन्य कई कारकों पर निर्भर हो सकता है। इन प्रभावों में रैखिकता के न होने पर, यदि तेल मूल्यों में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन होता है तो इसका दुष्प्रभाव अधिक व्यापक हो सकता है।




संदर्भ:

- बोडेन्स्टेन, मार्टिन, क्रिस्टोफर जे. ईरसेज और ल्यूका गुइरेइरी (2007), "ऑयल शाक्स एंड एक्सटर्नल ऐडजस्टमेंट्स", *इंटरनेशनल फाइनेंस डिस्कशन पेपर सं. 897*, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ फेडरल रिजर्व बोर्ड।
- ब्लेनचार्ड, आलिवर जे. एंड जोर्डी गैली (2007) "द मैक्रोइकोनॉमिक इफेक्ट्स आफ आयल शाक्स: व्हाई आर दि 2000ज सो डिफरेंट फ्रम दि 1970ज?", *एनबीईआर वर्किंग पेपर सं. 13368*, सितंबर।
- पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ; भारत सरकार।

ऊंची मुद्रास्फीति, बैंक जमा दरों के अपेक्षाकृत धीमे समायोजन और वैश्विक समष्टि आर्थिक अनिश्चितताओं से प्रभावित भारतीय इक्विटी

बाजार में उतार-चढ़ाव ने घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचतों के स्तर और स्वरूप को प्रभावित किया।

चार्ट II.3: घरेलू वित्तीय सेवाएं



2010-11 में कृषि वृद्धि में अत्यधिक उछाल

II.1.8 लगातार दो वर्षों तक धीमे कार्यनिष्पादन के बाद 2010-11 में कृषि क्षेत्र, वृद्धि का प्रमुख संवाहक बन गया। सामान्य और भली प्रकार विस्तारित दक्षिण-पश्चिम मानसून के एक समान फैलाव और उत्तर-पूर्वी मानसून की अधिकता के कारण पिछले एक दशक के दौरान पहली बार खरीफ और रबी - दोनों की बुआई सामान्य से अच्छी रही। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ (परिशिष्ट सारणी 5)।

II.1.9 2011 में अभी तक मानसून की प्रगति समग्र रूप से संतोषजनक रही है। मानसून समय पर आया और यह अपने तय समय से एक सप्ताह पहले ही 09 जुलाई 2011 तक सम्पूर्ण देश में छा गया। 17 अगस्त 2011 की स्थिति के अनुसार, मानसून के प्रारंभ से समग्र बरसात सामान्य रही है जो दीर्घावधि औसत से 1 प्रतिशत कम है। भारतीय मौसम विभाग ने 2011-12 में सामान्य मानसून के अपने आरंभिक पूर्वानुमान में थोड़ा परिवर्तन कर मॉडल गलती की +4 प्रतिशत गुंजाइश के साथ इसे दीर्घावधि औसत का 95 प्रतिशत सामान्य मानसून कर दिया है। स्थान की दृष्टि से मानसून का फैलाव काफी अच्छा रहा है फिर भी अभी तक यह हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर-पूर्व के कुछ भागों, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कम रहा है।

II.1.10 यद्यपि कृषि उत्पादन पर मानसून के प्रभाव का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी, फिर भी खरीफ की बुआई भली प्रकार चल रही

है और 12 अगस्त 2011 तक यह पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक है। तथापि, मोटे अनाजों, दालों, मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई में कुछ कमी दृष्टिगत हो रही है। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आपूर्ति प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी ताकि किसी भी प्रकार के मूल्य दबावों को दूर रखा जा सके। समग्र रूप से कृषि उत्पादन की संभावनाएं उत्साहजनक हैं, यद्यपि पिछले उच्च आधार के कारण वृद्धि में कमी आने की संभावना है।

मांग-आपूर्ति संतुलन बनाए रखने में प्रौद्योगिकीय अड़चनों को दूर करना महत्वपूर्ण है


II.1.11 ऐसे कई कारक हैं जो कृषि आपूर्ति बढ़ाने के उपायों में बाधक हैं जो परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कम उत्पादकता और मानसून पर निर्भरता। इस समय, उत्पादकता का स्तर कम है और राज्यों तथा फसलों के बीच उत्पादकता में अंतर विद्यमान है। लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि की रुझान के संबंध में कृषि क्षेत्र के लिए 4 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर (बारहवीं पंच-वर्षीय योजना) प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार किए जाने अपेक्षित हैं।

II.1.12 विश्व स्तर की उत्पादकता में चीन एवं यू.एस जैसे प्रमुख उत्पादकों की तुलना में भारतीय कृषि में उत्पादकता का स्तर कम है (चार्ट II.4)। देश के सबसे अधिक उत्पादक राज्यों में भी खाद्यान्नों, दलहनों और तिलहनों जैसी प्रमुख फसलों की उपज में यह विश्व के मानकों से नीचे है। इसके अलावा, राज्यों/क्षेत्रों के बीच भी इन फसलों की उत्पादकता में काफी अंतर मौजूद है (चार्ट II.5)। खाद्य तेलों और दालों के लिए आयात पर निर्भरता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। भूमि संरक्षण जिसे नजरदांज किया गया और इष्टतम तथा स्थान-विशिष्ट कृषि पद्धतियों के प्रयोग और सटीक कृषि पद्धतियों को लागू करके, खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

II.1.13 जनसंख्या और आय के स्तरों में हो रही वृद्धि के चलते मांग में होने वाली वृद्धि के साथ तालमेल बैठाने हुए यदि प्रौद्योगिकीय उन्नयन नहीं किया गया तो भोजन और अन्य कृषि उत्पादों के संबंध में भारत की आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ जाएगी। फसल उत्पादन में निरंतर वृद्धि करना और उन्नत एवं विविधतापूर्ण प्रजातियों, पर्यावरण-अनुकूल और कम खर्चीली कीटनाशक प्रबंधन पद्धतियों, प्रभावी बीज

चार्ट II.4: तुलनात्मक पैदावार : भारत और विश्व

(टन प्रति हेक्टेअर)



आपूर्ति प्रणाली, फसल-उत्पादों के विविधतापूर्ण और वैकल्पिक वाणिज्यीकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन सबसे खेती से होने वाली आय और खाद्यान्न सुरक्षा में सुधार होगा और साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति को भी कम रखा जा सकेगा।


II.1.14 जीडीपी में कृषि की भागीदारी पचास के दशक के 53 प्रतिशत के औसत से कम होकर 2000 के दशक में 19 प्रतिशत तक पहुंच गई लेकिन इस तीव्र गिरावट के बावजूद कार्यबल का 52 प्रतिशत भाग अभी भी कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सकल फसल क्षेत्र के केवल 44.6 प्रतिशत भाग (2007-08 के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार) के ही सिंचित होने के कारण भारतीय कृषि के अपेक्षाकृत अधिक भाग की बरसात पर अभी भी निर्भरता बनी हुई है (चार्ट II.6)। इस पृष्ठभूमि में खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के लिए निवेश और उत्पादकता प्रोन्नयन हेतु सार्वजनिक नीतिगत हस्तक्षेपों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रोटीन-आधारित वस्तुओं की उच्चतर मांग के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जरूरत है


II.1.15 हाल के वर्षों में अन्य कृषि उत्पादों, विशेषकर प्रोटीन-आधारित उत्पादों जैसे मांस, अंडे, दूध और मछली तथा फल एवं सब्जियों की मांग में काफी वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आय का बढ़ता हुआ स्तर कहा जा सकता है जिससे लोगों की भोजन संबंधी आदतों में बदलाव आ रहा है। मांग की प्रकृति में हुए मूलभूत परिवर्तनों से उत्पन्न अपर्याप्त आपूर्ति से इन वस्तुओं के संबंध में मांग-आपूर्ति असंतुलन हुआ है जिससे कीमतों में वृद्धि हुई है। बढ़ते हुए असंतुलन को दूर करने के उपाय किए गए हैं। आशा है कि पशु विकास, दुग्ध उत्पादन, सुअर पालन, बकरी पालन और मछली पालन के जरिए प्रोटीन अनुपूरकों हेतु चलाए गए राष्ट्रीय मिशन से पशुधन-आधारित प्रोटीन की मांग-आपूर्ति में क्रमशः बढ़ रहे अंतर को पूरा किया जा सकेगा। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, उत्पादन बढ़ाने और बाजार श्रृंखला को सुदृढ़ करने के

चार्ट II.5: 2010-11 में पैदावार में अंतर-राज्यवार

(किलोग्राम प्रति हेक्टेअर)



चार्ट II.6: मानसून और कृषि



लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 गांवों के एकीकृत विकास के लिए सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है।

II.1.16 यद्यपि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1994-95 के 194 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2008-09 में 258 ग्राम प्रति दिन हो गई है, फिर भी इस क्षेत्र में व्याप्त मूलभूत बाधाओं को दूर किया जाना आवश्यक है। मुख्य रूप से क्रमशः आनुवंशिकीय गुणवत्ता में हास, खराब प्रजनन और भोजन तथा चारे की खराब गुणवत्ता के कारण भारतीय पशुधन की उत्पादकता वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। किसानों के लाभ के लिए 25,000 गांवों में उद्देश्यित ऐक्सिलरेटेड फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि दूध के उत्पादन में निरंतरता बनाई रखी जा सके। पशुओं की पर्यावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली क्रासब्रीड प्रजातियों के विकास पर केंद्रित अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है।

उच्च खाद्यान्न मुद्रास्फीति के समय खाद्यान्न प्रबंधन, उत्पादन और बर्बादी रोकने की तरफ ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता

II.1.17 हाल के वर्षों में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और खाद्यान्नों का बड़ा भंडार एक साथ मौजूद था। यह बात विरोधाभासी लग सकती है। तथापि, हाल की मुद्रास्फीति खाद्यान्न संबंधी उन वस्तुओं के कारण उत्पन्न हुई है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की परिधि से बाहर हैं और जो आय के स्तरों में हुई वृद्धि के कारण मांग में आए परिवर्तन को दर्शाती हैं। सार्वजनिक खरीद एजेंसियों के पास उपलब्ध

खाद्यान्न भंडार, बफर मानदंडों तथा खाद्य सुरक्षा के लिए अपेक्षित स्तर से ऊपर बना रहा और इसने मूल्य संबंधी दबावों को कम करने में योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी 6) तथापि, 1 जून 2011 की स्थिति के अनुसार लगभग 66 मिलियन टन के आसपास पहुंचे स्टॉक के भंडारण के लिए मौजूदा क्षमता अपर्याप्त है। अतः भंडारण क्षमता में वृद्धि करना भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों के वितरण की मात्रा में वृद्धि करना भी महत्वपूर्ण है। इससे मूल्य पर दबावों को नियंत्रण में रखा जा सकेगा और एकसमान वितरण और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। फल और सब्जियों जैसी महत्वपूर्ण खाद्य वस्तुओं और प्रोटीन आधारित उत्पादों के मामले में मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण पैदा हुए मूल्य दबाव कम उत्पादन और मांग में वृद्धि के होने कारण जारी हैं। अतः समर्थनकारी नीतिगत ढाँचा और अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, अनाज-केंद्रित नीति से धीरे-धीरे हटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रभावी खाद्यान्न सुरक्षा के लिए खाद्यान्नों के स्टॉक का बेहतर प्रबंधन करना भी अत्यावश्यक है (बॉक्स II.2)।

नया आईआईपी आधार दर्शाता है कि 2010-11 में औद्योगिक वृद्धि में तेजी आई

II.1.18 जून 2011 में संशोधित आधार (2004-05=100) के साथ जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े मौजूदा औद्योगिक ढाँचे की बेहतर तस्वीर पेश करते हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के बीच 2008-09 में यह औद्योगिक वृद्धि में पुराने आधार (1993-94=100) की तुलना में तीव्र गिरावट दर्शाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह इस ओर भी इशारा करता है कि 2009-10 में औद्योगिक उत्पादन में पहले की सोच की तुलना में रिकवरी कहीं कम हुई। पिछले वर्ष की 5.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2010-11 में आईआईपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिकवरी में निरंतरता बनी रही (चार्ट 7 और परिशिष्ट सारणी 7)।

II.1.19 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के पुराने आधार वाले आँकड़े यह दर्शाते हैं कि 2010-11 की दूसरी छमाही में औद्योगिक वृद्धि में कमी आई। नए आधार के तहत 2010-11 की दोनों छमाहियों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संबंधी वृद्धि व्यापक रूप से अपरिवर्तित रही। पहली छमाही में इसमें 8.2 प्रतिशत तथा दूसरी तिमाही में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। नए आधार का कवरेज बेहतर है और पुराने आधार में शामिल 303 वस्तुओं की तुलना में नए आधार में

बॉक्स II.2

खाद्यान्न प्रबंधन - क्या सुधार किये जाने चाहिए?

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक के मसौदे के अंतर्गत भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को यह कानूनी अधिकार देने की बात कही गई है कि वे 35 किलोग्राम गेहूँ या चावल, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूँ प्रति माह ले सकते हैं और यह वितरण केन्द्र द्वारा राज्यों को किए गए आबंटन के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में खाद्यान्न प्रबंधन की व्यापक समीक्षा मददगार साबित होगी।

आज की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्यान्न प्रबंधन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं, विशेष तौर पर समाज के कमजोर वर्ग को कम दामों पर खाद्यान्न का वितरण, और खाद्यान्न सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्यान्न के भंडार का रखरखाव शामिल है। यह अकाल के खतरे को दूर रखने में बहुत हद तक सफल रहा है, यद्यपि ऐसा करने से कतिपय अन्य लक्ष्यों, जैसे कि मूल्य स्थिरता, न्यायोचित उपलब्धता और खाद्यान्न सुरक्षा के संबंध में सीमित सफलता मिली।

खरीद और मूल्यनिर्धारण

खाद्यान्नों, विशेष तौर पर गेहूँ और चावल, की खरीद एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। भारतीय खाद्य निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद करता है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में कई राज्यों ने 1997 में शुरू की गई विकेंद्रीकृत खरीद योजना को अपनाया है, जिसके अंतर्गत स्वयं राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद की जाती है और उसे वितरित किया जाता है। 2006-07 और 2010-11 के बीच चावल और गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 14.1 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर बढ़े। औसत दर पर कृषि मूल्य नीति ने चावल और गेहूँ की कुल लागत पर लगभग 20 प्रतिशत का मार्जिन उपलब्ध कराया है (देव और राव, 2007)। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की पर्याप्त और नियमित खरीद सुनिश्चित हुई जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी मांग को और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की मांग को पूरा करती है। तथापि, केवल मूल्य संबंधी हस्तक्षेप बेहतर खाद्य प्रबंधन के लिए अपर्याप्त हैं और गैर-मूल्य उपायों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। असमान प्रोत्साहनों ने भूमि के प्रयोग और फसलों के पैटर्न को प्रभावित किया है। अनाज की खरीद के अवसरों के अभाव के कारण ज्यादातर सार्वजनिक खरीद केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित है।

केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जिस पर राज्यों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों को वितरण हेतु खरीदा जाता है, के 2002 तक स्थिर रहने के बावजूद खाद्यान्नों के उठाव की गति उनकी खरीद के अनुरूप नहीं रही है। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का भंडार, तिमाही भंडार के मानकों का और खाद्यान्न सुरक्षा संबंधी आरक्षित भंडार की अपेक्षाओं से काफी अधिक हो गया। बसु (2010) का मत है कि भंडारण की समुचित व्यवस्था का न होना खाद्यान्न प्रबंधन के लिए मुख्य समस्या नहीं है। उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन, उसकी खरीद और इसके मोचन और वितरण की समस्त प्रणाली पर फिर से विचार करने पर बल दिया।

उत्पादन और खाद्यान्न सुरक्षा

भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1990 और 2010 के बीच 1.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर बढ़ा, जो कि एक दशक में होने वाली जनसंख्या वृद्धि की 1.8 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। परिणामतः प्रति व्यक्ति, प्रति दिन खाद्यान्नों की उपलब्धता 1991 के 510 ग्राम से घटकर 2009 में 444 ग्राम रह गई। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि खाद्यान्न भंडार 2000 के दशक में सबसे अधिक थे। इस तरह भविष्य में खाद्यान्न सुरक्षा एक चुनौती साबित होगी।

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक के मसौदे को खाद्यान्न सुरक्षा पर बने मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यदि यह विधेयक लागू कर दिया जाता है तो खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता बढ़ जाएगी। चूँकि बुआई के क्षेत्र का विस्तार करना संभव नहीं है इसलिए खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि करके ही कर पाना संभव होगा। कृषि सहित इसके भंडारण की सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय संबंधी प्रभाव भी पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त खाद्य सप्लाइ खर्च में भारी वृद्धि के कारण यह राजकोषीय चुनौती पैदा कर सकता है जिसके संबंध में विशेषज्ञ समिति (भारत सरकार, 2010) ने 92,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है।


वितरण और सुपुर्दगी प्रणाली

देश में खाद्यान्न प्रबंधन का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण पक्ष वितरण और सुपुर्दगी रहा है। उचित मूल्य की लगभग 0.5 मिलियन दुकानों के साथ, भारत में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई कमियाँ हैं जैसे कि निम्न मार्जिन जिसके कारण विपरीत प्रोत्साहन की स्थिति पैदा होती है जिससे खाद्यान्नों को दूसरी जगहों पर बेच दिया जाता है। पूर्व में किए गए सर्वेक्षणों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कवरेज में महत्वपूर्ण समावेशन और वर्जन संबंधी गड़बड़ियों का पता चलता है। 2000 के दशक के आरंभ में योजना आयोग ने यह पाया कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए दिए जाने वाले खाद्यान्नों में से गलत तरीके से दूसरे क्षेत्रों को चले गए खाद्यान्नों का हिस्सा 58 प्रतिशत था। लाभग्राहियों की पहचान के लिए सभी का एक समान मत नहीं बन पाने तक, आधार स्मार्ट कार्ड के द्वारा पहचान संबंधी गड़बड़ियों और खाद्यान्नों के अन्य क्षेत्रों में चले जाने के मामलों को काफी कम किया जा सकता है। स्मार्ट कार्डों में यह क्षमता होती है कि वे बड़ी मात्रा में प्रोग्राम की गई और प्राधिकृत बायोमेट्रिक सूचना को दर्ज और संचित कर सकते हैं जिसका मिलान लेनदेन में शामिल व्यक्ति के वास्तविक फिंगरप्रिंट अथवा हस्ताक्षरों से किया जा सकता है जिसमें राशन के लिए पात्रता, मात्रा तथा मूल्य और कितने समय के अंतराल पर उस व्यक्ति को राशन दिया जा सकता है इत्यादि शामिल हैं। प्रस्तावित स्मार्ट कार्ड की विशेषताएं मौजूदा खाद्यान्न कूपन अथवा खाद्य-स्टैम्प प्रणाली में काफी सहायक होंगी, जिसे प्रयोग के तौर पर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार के चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी सामग्री ले जा रहे वाहनों की स्थिति की जानकारी रखने के लिए जीपीएस का प्रयोग, उचित मूल्य की दुकानों की सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न परिचालनों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। खाद्य प्रबंधन के लिए सुधार के अन्य उपायों, जिन पर विचार किया जा सकता है, में मान्यता प्राप्त खाद्यान्न की निजी दुकानों में खाद्यान्न कूपनों के मोचन की अनुमति प्रदान करना शामिल है, जिससे अच्छे अनाजों को चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी और परिणामतः खाद्यान्नों में मिलावट को कम किया जा सकेगा। इससे भी अच्छा उपाय होगा सीधा नकदी अंतरण जिससे परिवारों को कूपन के मूल्य के बराबर के मूल्य के अनाजों, दालों अथवा घरेलू जरूरत की अन्य वस्तुओं की खरीद के संबंध में चयन करने की स्वतंत्रता मिलेगी।

संदर्भ:

- बसु, कौशिक (2010), "दि इकॉनॉमिक्स ऑफ फूडग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया", आर्थिक कार्य विभाग वर्किंग पेपर, सं. 2/2010-डीई।
- देव, एस महेन्द्र और चंद्रशेखर राव, "एग्रिकल्चरल प्राइस पॉलिसी, फार्म प्रॉफिटेबिलिटी ऐंड फूड सिक्योरिटी" इकॉनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली, जून, 45: (26 और 27):, 174-182।
- भारत सरकार (2010), रिपोर्ट ऑफ दि एक्सपर्ट कमेटी टु एक्जामिन दि इंप्लिकेशन्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, (अध्यक्ष: डॉ. सी.रंगराजन), प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद।

चार्ट II.7: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



शामिल 399 वस्तुओं के आधार पर यह उत्पादन के नवीनतम ढांचे को प्रदर्शित करता है। मई 2011 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ प्रकाशित 'समष्टिआर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों' संबंधी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने दर्शाया है कि कुछेक संवेदनशील मर्चों के कारण हाल में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गिरावट और तीव्र हुई। संवेदनशील वस्तुओं को अलग करके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि की गणना करने के ट्रिम्ड मीन तरीके से किया गया विश्लेषण यह दर्शाता है कि औद्योगिक वृद्धि में उतनी गिरावट नहीं हुई जितनी कि वह हेडलाइन आँकड़ों से प्रतीत होती है। नए आधार के आंकड़े इस विचार की पुष्टि करते हैं और यह दर्शाते हैं कि वास्तव में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि उच्चतर थी।


II.1.20 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि का अन्य विश्लेषण यह बताता है कि कोयला क्षेत्र के खराब कार्यनिष्पादन और इसके परिणामस्वरूप ताप विद्युत के उत्पादन में कमी आने के कारण 2010-11 में खनन और विद्युत उत्पादन में कुछ गिरावट दर्ज की गई। उपयोग आधारित वर्गीकरण दर्शाता है कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों में वृद्धि में तीव्रता आई और पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में कार्यनिष्पादन बेहतर रहा (चार्ट II.8 चार्ट II.9)। अप्रैल-जून 2011 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि में कुछ कमी आई परंतु यह काफी अधिक उच्च आधार के कारण थी।

II.1.21 भारत की योजनागत प्रक्रिया में विनिर्माण क्षेत्र पर जोर देने के बावजूद, 2010-11 की स्थिति के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी केवल 15.8 प्रतिशत ही थी। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि न केवल आउटपुट बढ़ाया जा सके बल्कि काफी लोगों को इसमें लाभप्रद रोजगार भी मिल सके। हाल के कई अध्ययनों ने संगठित विनिर्माण क्षेत्र में पिछले तीन दशकों में कुल कारक उत्पादकता की वृद्धि पर जोर डाला है। फिर भी, विभिन्न राज्यों और विभिन्न उद्योग समूहों के बीच उत्पादन में काफी बड़ा अंतर मौजूद है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र के संगठित और असंगठित उप-क्षेत्रों के बीच भी उत्पादकता में काफी बड़ा अंतर मौजूद है। चूंकि विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार के लगभग 4/5 भाग का सृजन असंगठित क्षेत्र में होता है अतः इस अंतर को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है।


क्षमतावर्द्धन की चिंताओं के बीच इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वृद्धि में कुछ कमी दर्ज की गई

II.1.22 आठ सर्वप्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का कार्यनिष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान कुछ कम रहा

चार्ट II.8: औद्योगिक वृद्धि




चार्ट II.9: कुल मांग के घटक और संबंधित उद्योगों की वृद्धि की प्रवृत्ति



(चार्ट II.10)। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम शोधन और इस्पात जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगों ने अच्छी वृद्धि दर्ज की जबकि सीमेंट उत्पादन और विद्युत उत्पादन की वृद्धि में कुछ कमी आई। उर्वरकों का उत्पादन स्थिर रहा और कोयले के उत्पादन में कमी आई। प्राकृतिक गैस और सीमेंट उत्पादन में कमी के कारण मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अप्रैल-जून 2011 के दौरान 5.0 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की गई।

II.1.23 विद्युत उत्पादन में अत्यधिक कमी होना वृद्धि के लिए बड़ी बाधा है। इस समय परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कोयले की तुलना में मंहगे विकल्प हैं। अतः फिलहाल विद्युत उत्पादन में तीव्र वृद्धि परंपरागत प्रणालियों के जरिए ही करनी पड़ेगी।

II.1.24 कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगों के उत्पादन में, मांग में भारी वृद्धि होने के कारण उनकी वृद्धि में निरंतरता बनाए रखने संबंधी चिंताओं के चलते, हाल में कमी आई। देश में प्राकृतिक गैस के मौजूदा उत्पादन का स्तर औद्योगिक मांग, विशेषकर विद्युत और उर्वरक उद्योग की, को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। भारत में हाइड्रोकार्बन्स की मांग-आपूर्ति असंतुलन संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए विदेश में तेल और गैस संबंधी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना महत्वपूर्ण घटकों में से एक रहा है। इस दिशा में सरकार भी राष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे विदेश में तेल और गैस में इक्विटी संबंधी अवसरों का लाभ उठाएं। कृष्णा गोदावरी बेसिन में खोज तेज करने की भी आवश्यकता है।



II.1.25 क्षमता उपयोग, जो अर्थव्यवस्था में मांग के दबाव का संकेतक है, विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगों में भिन्न-भिन्न रहा। 2010-11 के दौरान पेट्रोलियम शोधन में क्षमता उपयोग बढ़कर 109.3 प्रतिशत हो गया, वहीं सीमेंट और ताप विद्युत क्षेत्र में उत्पादन इन दोनों ही उद्योगों के उत्पादन रुझान के अनुरूप कम हो गया। 2010-11 के दौरान विद्युत क्षेत्र में 12,161 मेगावाट की क्षमता का अतिरिक्त सृजन हुआ जो वर्ष के लिए तय लक्ष्य का 56.7 प्रतिशत है। कोयला, पत्तन और रेलवे क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने संबंधी बाधाएं वृद्धि बनाए रखने की राह में प्रमुख चिंताएं हैं

थोड़ी गिरावट के साथ सेवा क्षेत्र में गति बनी रही


II.1.26 2010-11 में सेवा क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से कम रही। इसका मुख्य कारण 'सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं' में कमी आना है जो राजकोषीय

सुदृढीकरण का द्योतक है (चार्ट II.11)। सैलानियों की आवक, अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर यात्रियों का आवागमन, कार्गो का निर्यात और आयात जैसी बाह्य मांग पर आधारित सेवाओं में 2010-11 के दौरान वृद्धि में तेजी आई जो वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सुधार का सूचक है। मोबाइल फोन के कनेक्शनों में भी दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई, यद्यपि यह पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। क्षमता संबंधी बाधाओं के कारण बंदरगाहों में कार्गो के आवागमन और रेलवे से माल के यातायात में 2010-11 के दौरान कुछ कमी आई (चार्ट II.12)।

सेवा क्षेत्र की निरंतर उच्च वृद्धि में रुकावट पैदा करने वाली कमजोरियां मौजूद हैं


II.1.27 भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र होने के नाते सेवा क्षेत्र का वृद्धि पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। यह निर्यातोन्मुख, रोजगारोन्मुखी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों के लिए आर्कषक है। उपर्युक्त को देखते हुए सेवा क्षेत्र में वृद्धि की निरंतरता महत्वपूर्ण है। बाह्य मांग पर इसकी निर्भरता इसकी वृद्धि की निरंतरता के लिए प्रमुख चुनौती है। इसके कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के प्रति इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जैसा कि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखा गया (चार्ट II.13)। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना / प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं तथा दूरसंचार के क्षेत्र में भारत को हाल में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र ने अभी तक इसका भली प्रकार मुकाबला किया है परंतु भविष्य में वेतन

चार्ट II.12: कार्गो के आवागमन में वृद्धि की प्रवृत्ति




मूल्यों का दबाव इसकी वृद्धि और लाभप्रदता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां दूसरे देशों ने काफी लाभ उठाया है। भारत में इसकी क्षमता है परंतु पर्यटन क्षेत्रों में सड़क संपर्क जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है। वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शिक्षा, एकाउंटेंसी और अन्य कारोबारी सेवाओं जैसी वैश्विक व्यापारिक सेवाओं में भी वृद्धि की भरपूर संभावनाएं हैं परंतु भारत में उनका अभी तक दोहन नहीं किया जा सका है।

चार्ट II.11: सेवा क्षेत्र संबंधी सकल देशी उत्पाद में वृद्धि



चार्ट II.13: सेवा क्षेत्र में वृद्धि (सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं को छोड़कर)



II.1.28 दि इंडियन हेल्थ केयर फेडरेशन ने भारत को विश्व स्तरीय मेडिकल पर्यटन का केन्द्र बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इसके लिए भारतीय अस्पतालों का प्रमाणन अत्यावश्यक है क्योंकि इससे स्पेशलिटी और सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों के समूह के बीच गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वायु संपर्क मार्ग में सुधार, आप्रवासन प्रक्रिया में सुधार तथा स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

निजी उपभोग और निवेश वृद्धि के संवाहक बने रहे

II.1.29 मांग पक्ष¹ से संबंधित वृद्धि के संवाहकों ने दर्शाया कि वृद्धि को आगे बढ़ाने में निजी अंतिम उपभोग खर्च सबसे बड़ी भूमिका निभाता रहा और इसके बाद सकल नियत पूंजी निर्माण का स्थान रहा। दूसरी ओर 2010-11 में सरकारी अंतिम उपभोग खर्च की वृद्धि में तीव्र गिरावट आई जो आर्थिक रिकवरी के लिए पिछले दो वर्षों में दी गई राजकोषीय मदद के धीरे-धीरे वापस लिए जाने के साथ ही राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर पुनः बल दिए जाने को परिलक्षित करती है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर बने रहकर 2011-12 में सरकारी खर्च के पुनः संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। वैश्विक रिकवरी की प्रक्रिया के अनुरूप ही बाह्य मांग में सुधार होने के परिणामस्वरूप 2010-11 में निवल निर्यातों का योगदान धनात्मक हो गया (चार्ट II.14)।

II.1.30 यद्यपि वास्तविक रूप में निजी उपभोग के साथ-साथ निवेश खर्च में तीव्र बढ़ोतरी के साथ समग्र खर्च में 2010-11 में बढ़त दर्ज



की गई, फिर भी उच्च मुद्रास्फीति और मांग-पक्ष संबंधी नीतिगत उपायों के कारण आने वाले समय में खर्च में कुछ कमी आने की संभावना है। 2010-11 की दूसरी छमाही में निवेश में स्पष्ट कमी दिखाई दी। थोड़ी बहुत बाधाओं से रिकवरी तभी संभव हो पाएगी जब बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी।

हाल के वर्षों में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है

II.1.31 सुधार के बाद की अवधि में रोजगार सृजन में बहुत कम या नाममात्र की वृद्धि के साथ उच्च वृद्धि दर गंभीर चिंता का विषय है। उपलब्ध आंकड़े रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन का प्रमाण जरूर देते हैं परंतु हाल के वर्षों की उच्च आर्थिक वृद्धि की तुलना में इनकी रफ्तार अपेक्षाकृत कम है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ, 66वां चरण) द्वारा किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, पिछले चरण (2004-05) की तुलना में 2009-10 में ग्रामीण और शहरी - दोनो क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार आया है। समग्र बेरोजगारी दर, जिसे मौजूदा दैनिक स्थिति द्वारा मापा जाता है, 2004-05 के 8.2 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 में 6.6 प्रतिशत हो गई और बेरोजगारी दर में कमी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के संबंध में अधिक मुखर रही। तथापि, समग्र कार्य सहभागिता दर (सामान्य स्थिति) 2004-05 के 42.0 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 में 39.2 प्रतिशत हो गई और इसका मुख्य कारण स्त्रियों की कार्य सहभागिता दर में कमी होना है।

II.1.32 उच्च औद्योगिक वृद्धि संगठित विनिर्माण में रोजगार सृजन में हुई वृद्धि से भी जुड़ी हुई थी जिसने 2003-09 की अवधि में वास्तविक

चार्ट II.14: सकल देशी उत्पाद का व्यय पक्ष



¹सर्वज्ञात सीमाओं के बावजूद खर्च संबंधी जीडीपी आंकड़ों को समग्र मांग के घटकों के लिए प्रॉक्सी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है।

मूल्ययोजित वृद्धि में लगभग 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर के साथ योगदान दिया। उद्योगों के अद्यतन वार्षिक सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि 2003-04 और 2008-09 के दौरान संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा जबकि 1995-96 और 2003-04 के बीच इसमें 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गिरावट आई थी। इससे विनिर्माण संबंधी उत्पादन में उच्च वृद्धि के पहले के चरणों से स्पष्ट अंतर नजर आता है जब रोजगार सृजन में इसका कोई प्रमुख योगदान नहीं था।

II.1.33 भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख उद्योगों में वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए श्रम ब्यूरो जनवरी 2009 से "तत्काल रोजगार सर्वेक्षणों" पर काम कर रहा है। उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2010-11 के दौरान रोजगार में 9.8 लाख की वृद्धि हुई और इसमें मुख्य भूमिका आईटी/बीपीओ क्षेत्र की रही।

II. मूल्य स्थिति

सम्पूर्ण वर्ष मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही


II.2.1 वृद्धि के प्रवृत्ति के आसपास सुदृढ़ बने रहने के साथ 2010-11 के दौरान मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के लिए प्रमुख नीतिगत चुनौती के रूप में उभरकर आयी। मुद्रास्फीति पूरे वर्ष उच्च स्तर पर बनी रही, यद्यपि वर्ष के दौरान इसके प्रमुख कारकों में तीन अलग-अलग चरणों में परिवर्तन हुआ (चार्ट II.15)। मूल्य पर दबाव देशी तथा बाह्य दोनों ओर से रहा, साथ ही आपूर्ति और मांग पक्ष के कारकों की संबंधित भूमिका में परिवर्तन होता रहा। रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति

संबंधी उपाय मुद्रास्फीति के परिवर्तित होते कारकों के आकलन और मुद्रास्फीति के विभिन्न स्रोतों का सामना करने में मौद्रिक नीति की भूमिका के आधार पर परिवर्तित होते रहे। तथापि, संपूर्ण वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति लगातार कठोर बनी रही, जो शुरुआती तौर पर संकट के समय दिए गए प्रोत्साहनों के सामान्य स्थिति की ओर लौटने का इशारा करती है, परंतु बाद में मुद्रास्फीतिक दबावों के अनुसार इसे संतुलित किया गया। यदि मुद्रास्फीति-रोधी मौद्रिक नीति संबंधी उपाय नहीं किये गये होते तो मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं दोनों की स्थिति और बिगड़ गई होती।

मुद्रास्फीति के कारकों का तीन अलग-अलग चरणों में स्वरूप बदलना


II.2.2 वर्ष 2010-11 के दौरान मुद्रास्फीति की परिवर्तित होती प्रकृति तीन भिन्न-भिन्न चरणों में थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में इसके भारित योगदान में हुए परिवर्तनों में स्पष्ट झलकती है। अप्रैल-जुलाई 2010 की पहली अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि (3.4 प्रतिशत) काफी अधिक थी जिसकी वजह ऊंची खाद्य कीमतें थीं। रबी की अच्छी आवक होने के बावजूद, प्रोटीन-बहुल वस्तुओं की कीमतों में आई तेजी से, जो शायद आय के बढ़ते स्तरों से मांग में निरंतर आ रहे परिवर्तन को दर्शाती है, मुद्रास्फीति ऊंची बनी रही। अगस्त और नवंबर 2010 के बीच दूसरे चरण के दौरान मूल्यवृद्धि की दर में कुछ गिरावट रही (2.0 प्रतिशत) परंतु खाद्येतर वस्तुओं के संबंध में कीमतों का दबाव अत्यधिक बना रहा और इस दौरान यह मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण बना। कपास के मूल्यों में वृद्धि हुई और सितंबर में इसमें और तेजी आ गई, जो इसकी आपूर्ति में हुई वैश्विक कमी दर्शाती है। खनिज के मूल्यों में भी बढ़ोतरी हुई। दिसंबर 2010 और जुलाई 2011 के दौरान तीसरे दौर में मुद्रास्फीति में फिर से भारी

चार्ट II.15: डब्ल्यूपीआई की वृद्धि में बदलते भार का योगदान



नोट: पाई चार्ट डब्ल्यूपीआई की बढ़त में विभिन्न उप समूहों का योगदान दर्शाता है (पूर्णकन हेतु समायोजित)।

चार्ट II.16: थोक मूल्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां



उछाल आया। विनिर्मित उत्पादों के समूह में व्यापक मूल्य दबावों के कारण थोक मूल्य सूचकांक में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मूल्य दबावों के व्यापक होने का सूचक है। 2011-12 के दौरान अब तक मूल्य दबाव मजबूत बने रहे जो निविष्टि लागत का दबाव तेजी से विनिर्मित उत्पाद के मूल्यों में अंतरित होने और ईंधन की नियंत्रित कीमतों में किये गये संशोधनों को दर्शाता है।


II.2.3 2010-11 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में निरंतर तेजी बनी रही (चार्ट II.16)। नवंबर 2010 तक मुद्रास्फीति में कुछ गिरावट (वर्ष-दर-वर्ष) देखी गई जो समग्र मुद्रास्फीति में खाद्य मुद्रास्फीति के योगदान में कमी आने के कारण थी (चार्ट II.17)। सुदृढ़ वृद्धि के वातावरण में 2010-11 की अंतिम तिमाही के दौरान समग्र मुद्रास्फीति में खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों का योगदान बढ़ गया क्योंकि उच्चतर निविष्टि लागत उत्पादन मूल्यों में संचरित हो गयी थी। नये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की श्रृंखला (आधार 2004-05) ने यह पुष्टि कर दी कि आधार प्रभावों की कमी के बावजूद औद्योगिक वृद्धि में गिरावट नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने खाद्येतर विनिर्माण उत्पाद मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान दिया।

आपूर्ति आघातों और आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों ने मूल्य दबाव को बनाए रखा


II.2.4 खाद्य और ईंधन संबंधी मुद्रास्फीति के रुझानों से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में आपूर्ति पक्षीय कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। सामान्य मानसून के बावजूद, प्राथमिक खाद्य कीमतों की मुद्रास्फीति में आशानुरूप कमी नहीं आई क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में

मुख्यतः प्रोटीन-बहुल पदार्थों का योगदान रहा तथा अल्पावधि में इनका उत्पादन मानसून पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है (चार्ट II.18)। भारत के परिवारों के उपभोग संबंधी खर्च पर एनएसएसओ द्वारा किए गए हाल के सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ ही खाद्यान्न पर किए जाने वाले खर्च के हिस्से में कमी आई है। तथापि, 2004-05 से 2009-10 तक शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में खाद्यान्न में प्रोटीन-बहुल पदार्थों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति मोटे तौर पर उन गैर-अनाज खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर भी दिखाई पड़ती है जिनकी कीमतें हाल के वर्षों में औसत के आसपास आए बिना प्रवृत्ति से काफी दूर चली गयी है।

चार्ट II.17: मुद्रास्फीति में योगदान- प्रमुख समूह



चार्ट II.18: खाद्यान्न मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां




II.2.5 नवंबर-दिसंबर 2010 के दौरान देश के कुछ भागों में बेमौसम बरसात ने शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं, मुख्यतः सब्जियों के उत्पादन को काफी हानि पहुंचाई जिससे मूल्यों पर और अधिक दबाव पड़ा। जनवरी 2011 से खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई जो मूल्य दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के साथ-साथ बाजार में नई फसल की आवक की सूचक है। सरकार ने चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों और चीनी पर से आयात शुल्क हटाने और कुछ अन्य कृषि-वस्तुओं पर आयात शुल्कों में कमी करने जैसे राजकोषीय उपाय भी किए। इसने चीनी के और अधिक आयात के लिए रास्ते खोल दिए। इसके अलावा, इसने कई प्रशासनिक उपाय भी किए जिनमें राज्यों को गेहूं और चावल का आवंटन बढ़ाना और नेफेड तथा एनसीसीएफ को उनके वितरण केन्द्रों के जरिए वितरण हेतु आर्बटित करना और इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम के जरिए खुले बाजार में बिक्री करने के लिए अधिक गेहूं आवंटित करना शामिल है। सरकार ने गैर-बासमती चावल, खाद्य तेलों और दालों (काबुली चना को छोड़कर) के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी। इस प्रकार की मुद्रास्फीति का समाना करने में मौद्रिक नीति की ज्ञात सीमाओं को देखते हुए खाद्य मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए आपूर्ति बढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो गया। ब्याज दर के संबंध में किए गए उपायों से खाद्य वस्तुओं की मांग पर अधिक असर नहीं पड़ता है, लेकिन मुद्रास्फीति को व्यापक होने से रोकने के लिए ये उपाय करना भी आवश्यक है।

II.2.6 ईंधन संबंधी मुद्रास्फीति में वृद्धि, ईंधन समूह के तहत सरकार द्वारा नियंत्रित और नियंत्रण मुक्त उत्पादों (दोनों) में वृद्धि होने के

कारण हुई (चार्ट II.9)। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि के साथ ही जून 2010 में पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त किया जाना वर्ष के दौरान की एक महत्वपूर्ण घटना रही। चूंकि वर्ष के दौरान कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में काफी वृद्धि हुई, अतः वर्ष की दूसरी छमाही में नियंत्रणमुक्त कीमत वाले उत्पादों ने मुद्रास्फीति को बढ़ाने में मदद की। तथापि, नियंत्रित मूल्यों में की गई वृद्धि कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में हुई वृद्धि से काफी कम रही, जो नियंत्रित मुद्रास्फीति की उपस्थिति दर्शाती है। जून 2011 में डीजल, एलपीजी और किरोसीन की कीमतों में वृद्धि कर स्थिति में कुछ सुधार किया गया। उसके बाद स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा अमेरिका की सरकारी रेटिंग को कम किए जाने के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में थोड़ी-सी कमी आई, परंतु ये अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। अगस्त 2011 के पहले पखवाड़े के दौरान कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की कीमत औसतन 106.6 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रही। इस स्तर पर भी कम वसूली की राशि 90,000 करोड़ रुपये से भी अधिक रहने का अनुमान किया गया है जिसमें से अधिकांश हिस्से को सरकार को वहन करना होगा।

II.2.7 पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के समायोजन में लगने वाले समय के कारण जब अनियमित समायोजन किया जाता है तब नियंत्रित मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशा में वृद्धि होती है। ये समय अंतराल राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। सब्सिडियों को कम करने के लक्ष्य से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त रखने की आवश्यकता है ताकि आयात निर्भर उत्पाद की मांग

चार्ट II.19: वैश्विक तथा देशी ईंधन मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)



का आवश्यक समायोजन सुनिश्चित किया जा सके और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। किसी अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अलग निधि का गठन किया जा सकता है जिसमें राजकोषीय विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर रहते हुए बजट से वार्षिक राजकोषीय अंतरण का प्रावधान हो।


मूल्य दबावों के व्यापक होने की गति में तेजी आयी जिसने सुदृढ़ मुद्रास्फीति-रोधी मौद्रिक उपायों की आवश्यकता को बल दिया

II.2.8 खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति 2010-11 के प्रारंभिक आठ महीनों के दौरान 5.3 से 5.9 प्रतिशत के बीच रही, फिर भी यह पिछले दशक के लगभग 4 प्रतिशत की औसत दर की तुलना में अधिक है। तथापि, वर्ष की अंतिम तिमाही में मार्च 2011 में इस श्रेणी की मुद्रास्फीति में काफी अधिक वृद्धि हुई और यह 8.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह आशा के विपरीत निविष्टि लागत के अधिक तीव्रता से अंतरण और मजबूत निजी उपभोग मांग, जिसने औद्योगिक वृद्धि की गति बनाए रखी, सहित उत्पादकों की मूल्य निर्धारण करने क्षमता को दर्शाता है (चार्ट II.20)। वर्ष की प्रारंभिक अवधि के दौरान विनिर्मित खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई जो चीनी के मूल्यों में आई गिरावट और मजबूत आधार प्रभावों को दर्शाती है, परंतु समय के साथ इसकी दिशा में परिवर्तन हुआ।

वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में तेजी आई जो अंशतः भू-राजनीतिक गतिविधियों और मौसम संबंधी व्यवधानों का द्योतक है

II.2.9 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी की भारी अनिश्चितताओं से पण्य बाजार प्रभावित होने के कारण 2010-11 की पहली तिमाही के दौरान अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में कुछ गिरावट आई (चार्ट II.21)। तथापि, इसके बाद पण्य उत्पादक कई प्रमुख देशों में मौसम संबंधी आपूर्ति व्यवधानों और मध्य-पूर्व तथा उत्तर

चार्ट II.20: विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति





अफ्रीका क्षेत्रों में भू-राजनीतिक चिंताओं (दोनों ही) के कारण कीमतों में पुनः जबरदस्त उछाल आया। वैश्विक खाद्य कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसका कम आय वाले देशों में जनकल्याण कार्यों पर गंभीर असर पड़ा। 2011-12 के आरंभिक कुछेक महीनों में वैश्विक खाद्य कीमतों में कुछ गिरावट नजर आई। देशी मुद्रास्फीति पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों का असर विभिन्न पण्य समूहों पर अलग-अलग रूप में पड़ा (बॉक्स II.3)।

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में एकरूपता

II.2.10 वर्ष 2010-11 के दौरान शुरुआती समय में थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाने वाली मुद्रास्फीति के बीच काफी अधिक अंतर रहा जो बाद में भारत में नीतियों के

चार्ट II.21: पण्य की अंतरराष्ट्रीय कीमतें



बॉक्स. II. 3

वैश्विक पण्य मूल्यों में बढ़ोतरी के आघातों का देशी मुद्रास्फीति में संचरण

ब्याज दरों के अत्यधिक न्यूनतम स्तरों तक चले जाने के परिणामस्वरूप और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की लगातार खरीद करने से (मात्रात्मक सुगमता का उपाय अपनाने के कारण) अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध चलनिधि से लीवरेज व्यापार से समर्थित वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में वैश्विक पण्यों की कीमतों में तेजी से सुधार हुआ। यह 2010-11 के दौरान भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति के दबाव का मुख्य कारण बन गई। वस्तु मूल्य चक्र में उल्लेखनीय परिवर्तन भी काफी व्यापक रहा जिसने खाद्यान्न, तेल, धातुओं और अन्य पण्य जैसे सभी क्षेत्रों को कवर किया। एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक ने फरवरी 2011 में संकट पूर्व 2009 और 2010 के अपने उच्चतम स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया। 2010-11 की अंतिम तिमाही में तेल के मूल्यों ने 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर लिया और उसके बाद से वह ऊंचे स्तर पर बना रहा।

बढ़ती हुई मांग और कम आपूर्ति दोनों के सम्मिलित प्रभाव वैश्विक खाद्य मूल्य के दबाव पर परिलक्षित होते हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की जबरदस्त वृद्धि और बढ़ती आबादी ने खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ा दी। बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय, भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन कर रही है और इसके परिणामस्वरूप मांस और दुग्ध उत्पाद जैसे प्रोटीन-बहुल खाद्य वस्तुओं की मांग में अधिक वृद्धि हो रही है। आपूर्ति की दिशा में, बढ़ते हुए शहरीकरण और बायो-ईंधन के उत्पादन के लिए भूमि के अन्य उपयोग से कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता में कमी हो रही है। तेल की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि ने परिवहन और उर्वरक लागत सहित खेती की इनपुट लागत में वृद्धि कर दी है। जलवायु परिवर्तन और मौसम संबंधी व्यवधान भी वैश्विक खाद्य कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। आयात प्रतिबंध और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफी बड़ी मात्रा में दी जाने वाली कृषि सब्सिडी भी मूल्य में व्यवधानों के जरिए आपूर्ति पक्ष को प्रभावित कर रही है।

ऊर्जा के किफायती उपयोग का कम स्तर तथा तेल की सब्सिडी संबंधी नीतियों ने भी मांग में होने वाली वृद्धि में अपना योगदान दिया। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शहरीकरण की गति और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनके द्वारा दिये गये बल ने मांग-आपूर्ति असंतुलनों को बढ़ा दिया। धातुओं और खनिजों, विशेष रूप से इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, तेल और कोयले की मांग में वृद्धि हुई। तेल के संबंध में,

इसकी उच्चतम स्तर संबंधी अवधारणा से प्रतीत होता है कि इसका वैश्विक उत्पादन अपने उच्चतम स्तर के आसपास है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में हुई प्रगति मांग के अनुरूप नहीं है। जापान के भूकंप के बाद की स्थितियों में नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में हाल की चिंताएं ऊर्जा आपूर्ति को और अधिक प्रभावित कर सकती हैं। वस्तुओं के वित्तीयकरण ने भी पण्य मूल्य चक्रों में एक नया आयाम जोड़ दिया है। जैसा कि 2011 के प्रारंभ से देखने में आया है, तेल के मूल्यों में अचानक और शीघ्रता से आई तेजी में भू-राजनीतिक कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विकासशील देशों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर वैश्विक पण्यों के आघातों का प्रभाव सरकारी नीतिगत उपायों पर निर्भर करता है (जॉगवानिच और पार्क, 2011)। देशी मूल्यों पर स्पिलओवर का प्रभाव किसी पण्य के लिए आयात पर निर्भरता, देशी मांग-आपूर्ति रुझानों, नियंत्रित मूल्य हस्तक्षेपों और थोक स्तर पर मूल्य निर्धारण की शक्ति पर निर्भर करता है। इसका प्रभाव अंततः थोक मूल्य सूचकांक में संबंधित पण्य के भार और अन्य वस्तुओं के साथ उसके सह-संबंध पर निर्भर करता है जो द्वितीय चरण के प्रभावों को निर्धारित करता है (सारणी-1)। द्वितीय चरण के प्रभाव इनपुट लागत के बढ़ने पर वास्तविक वेतन और लाभ मार्जिन को बचाने के उद्देश्य से वेतन और मूल्यों को ध्यान में रखकर किए गए उपायों के परिणामों को भी दर्शाता है। विभिन्न वस्तुओं के लिए सारणी-1 में जो अनुमान प्रस्तुत किया गया है वह सम्मिलित प्रभाव को दर्शाता है जिसमें कारणों की दिशा को वैश्विक मूल्यों से देशी मूल्यों पर अनुमानित प्रभाव के रूप में दर्शाया गया है। पण्यों के मूल्यों में अनिश्चित परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान अब तक कीमत संबंधी दबावों में कमी आने के बावजूद भारत में मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर बरकरार रहने का जोखिम बना रह सकता है।

संदर्भ:

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) (2010): वर्ल्ड फूड आउटलुक, नवंबर 2010
जॉगवानिच, जुथाथिप एंड डोंग्यहान पार्क (2011), "इन्फ्लेशन इन डेवलपिंग एशिया: पास-थ्रू फ्रॉम ग्लोबल फूड एंड ऑयल प्राइस शॉक्स", एशियन पैसिफिक इकॉनामिक लिटरेचर, 25 (1): 79-92, मई

सारणी-1: वैश्विक पण्य मूल्यों में उतार-चढ़ाव का देशी कीमतों पर प्रभाव

मद	2010-11 प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, मार्च			मार्च 2011 की तुलना में जुलाई 2011 (प्रतिशत में वृद्धि)		अनुमानित लोच	
	थोक मूल्य सूचकांक में भारत	अंतरराष्ट्रीय कीमतें	देशी कीमतें (थोक मूल्य सूचकांक)	अंतरराष्ट्रीय कीमतें	देशी कीमतें (थोक मूल्य सूचकांक)	अल्पावधि#	दीर्घावधि\$
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल	1.8	-1.9	2.3	8.8	1.8	0.01	--
गेहूँ	1.1	65.7	0.2	-4.0	-1.2	0.02	--
मक्का	0.2	82.7	25.3	3.5	7.5	0.02	--
सोयाबीन तेल	0.4	42.8	19.2	2.3	3.2	0.06**	0.47
चीनी	1.7	40.6	-7.1	7.5	-0.2	0.05**	0.66
कपास	0.7	167.6	103.0	-46.9	-31.5	0.17**	0.98
रबड़	0.2	63.8	44.8	-12.8	-1.8	0.34**	1.08
कोयला	2.1	33.6	13.3	-4.9	0.0	0.03**	0.48
पेट्रोलियम	9.4	37.0	6.3	-0.7	33.4	0.07**	0.55
उर्वरक	2.7	28.5	9.9	29.0	5.1	0.00	--
एल्युमिनियम	0.5	15.9	2.1	-1.2	0.9	0.03**	0.42
तांबा	0.1	27.3	3.2	1.5	-2.5	0.03**	0.53
स्वर्ण	0.4	27.9	36.2	10.4	5.4	0.28**	1.00
चांदी	0.0	109.6	90.3	6.0	2.4	0.41**	1.00


स्रोत: विश्व बैंक और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

\$: आंशिक समायोजन मॉडल का उपयोग करके अनुमान किया गया है।

: जिन उत्पादों की अल्पावधि लोच उल्लेखनीय नहीं है उनकी दीर्घावधि लोच की रिपोर्टिंग नहीं की गयी है।

** : महत्त्व के एक प्रतिशत स्तर पर महत्त्वपूर्ण।

चार्ट II.22: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति




क्रियान्वयन के लिए मुद्रास्फीति की माप हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले संगत उपायों के संदर्भ में विवाद का विषय बन गया (चार्ट II.22)। परंतु, वर्ष के दौरान इस अंतर में काफी कमी आई। जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गिरावट खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में आई कमी को दर्शाती है वहीं उच्च थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति मूल्य दबावों के व्यापक हो जाने को दर्शाती है।

वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच सामंजस्य नीतिगत बहस का विषय बन गया

II.2.11 चूंकि समूचे वर्ष मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के वांछित स्तर से लगातार उंची बनी रही अतः मुद्रास्फीति को रोकने के लिए वृद्धि को कम प्राथमिकता देने जैसे कठिन विकल्प का चुनाव करना जरूरी हो गया। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक अनुभवों में वृद्धि-मुद्रास्फीति सामंजस्य के पारंपरिक उदाहरण नहीं हैं जो उच्चतर वृद्धि के माध्यम के रूप में मुद्रास्फीति सहन करने की क्षमता का भी समर्थन करे। वास्तव में, दीर्घकालिक आंकड़े दर्शाते हैं कि उच्च मुद्रास्फीति से सामान्य तौर पर आर्थिक वृद्धि नहीं होती बल्कि इससे वृद्धि में कमी आती है (चार्ट II.23)।

II.2.12 अनुभवजन्य साक्ष्य और समयसिद्ध सैद्धांतिक समर्थनों से वृद्धि-मुद्रास्फीति सामंजस्य और मौद्रिक नीति की भूमिका संबंधी बहस ने मुख्य विचारधारा की सोच 'मुद्रास्फीति की सहनशीलता वृद्धि को बढ़ावा देती है' में परिवर्तन किया है और अब ऐसा माना जाता है कि 'मुद्रास्फीति वृद्धि के रास्ते की रुकावट है अतः इसे नियंत्रित करना चाहिए'। यद्यपि कुछ लोग अभी भी इस पारंपरिक सोच (फिलिप्स

चार्ट II.23: सकल देशी उत्पाद में वृद्धि की प्रवृत्तियां और मुद्रास्फीति



कर्व से प्रभावित होकर) में विश्वास रखते हैं कि मुद्रास्फीति की अधिक सहनशीलता से उच्चतर वृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि मुद्रास्फीति अपने आप में वृद्धि के लिए एक जोखिम है, खास तौर पर तब जब मुद्रास्फीति अधिक या सामान्य स्तर से अधिक हो। अतः "निम्न तथा स्थिर मुद्रास्फीति" रिजर्व बैंक की प्रमुख नीतिगत लक्ष्य बनी हुई है।

II.2.13 यदि मुद्रास्फीति मध्यावधि वृद्धि के लिए जोखिम है तो इसके माध्यमों की पहचान करना जरूरी है जिनसे वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही इस मुद्रास्फीति के उस न्यूनतम स्तर की संभावना का पता लगाने की भी जरूरत है जिससे अधिक हो जाने पर यह वृद्धि के लिए खतरा बन सकती है। भारत के मामले में तीन महत्वपूर्ण कारकों ने वैश्विक संकट से पूर्व उच्च वृद्धि के निष्पादन में अपना योगदान दिया। लगातार मौजूद मुद्रास्फीति से इन कारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये तीन कारक इस प्रकार हैं: (क) खुलेपन में बढ़ोतरी (और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक पैमाने पर प्रतिस्पर्धा), (ख) निजी क्षेत्र के नेतृत्व में निवेश मांग में तीव्र वृद्धि, और (ग) राजकोषीय समेकन।

II.2.14 निरंतर बनी हुई उच्च मुद्रास्फीति वाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए जोखिम है क्योंकि इसके विनिमय दर में वास्तविक वृद्धि से जुड़े होने के कारण यह निर्यात पर असर डालकर निर्यात को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा, खुली अर्थव्यवस्था में आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण देशी उत्पादकों को उच्चतर इनपुट लागत को उच्चतर आउटपुट कीमतों के रूप में अंतरित करना कठिन होता है

जिसके परिणामस्वरूप कमाई पर असर पड़ता है और निवेश योजनाएं भी स्थगित रह जाती हैं। निजी निवेश व्यवधानों, विशेष रूप से उच्च मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति के उतार-चढ़ाव (दोनों) के जरिए प्रभावित होता है। निजी निवेशकों को अपने व्यापार पर मुद्रास्फीति के प्रभावों को समझने और उनका प्रबंधन करने में समय और धन दोनों ही खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा, विदेशी निवेशक मुद्रास्फीति को एक जोखिम घटक के रूप में भी मान सकते हैं जो पूंजी के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है।

11.2.15 राजकोषीय समेकन हेतु सुनियोजित उद्देश्यों के बावजूद उच्च मुद्रास्फीति के वातावरण में राजकोषीय स्थिति में सुधार नहीं हो पाता। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के वातावरण में सरकारी खर्च मुद्रास्फीति की दर को पार कर तेजी से बढ़ता रह सकता है परंतु राजस्व संग्रहण मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं हो पाता। ऐसा मुख्यतः वैश्विक पण्य कीमतों के कारण होने वाली मुद्रास्फीति के दौरान होता है जिसके कारण योजना से अधिक सब्सिडी देने की आवश्यकता पड़ती है। विलंब से शुरू किया गया राजकोषीय समेकन वृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित करने के साथ-साथ मुद्रास्फीति का जोखिम भी

बढ़ा देता है और इस प्रकार उच्च मुद्रास्फीति का माहौल तेज गति से राजकोषीय समेकन करने की दिशा में स्वयं ही बाधा बन जाता है।


11.2.16 मुद्रास्फीति अन्य माध्यमों के जरिए भी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मुद्रास्फीति के संबंध में किया गया वह मौद्रिक नीतिगत उपाय होता है जो ब्याज दर के रूप में पूंजी की लागत को बढ़ा देता है। उच्च मुद्रास्फीति के चलते आस्ति कीमतों में आई गिरावट भी, जो संपदा और आय को प्रभावित करती है, वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति नहीं होती। तथापि मुद्रास्फीति-रोधी उपायों को लागू करते समय केन्द्रीय बैंक के लिए मुद्रास्फीति के उस न्यूनतम स्तर की पहचान करना आवश्यक है जो उच्चतम व्यवहार्य वृद्धि पथ के अनुरूप हो। औसत स्तर से अधिक की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि उच्च मुद्रास्फीति और कमतर वृद्धि दोनों से कल्याणकारी उपायों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके। यह पाया गया है कि भारत के लिए मुद्रास्फीति के औसत स्तर का दायरा 4-6 प्रतिशत है (बॉक्स II.4)। मुद्रास्फीति के संवितरण संबंधी प्रभावों और अन्य समष्टि-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखने पर मुद्रास्फीति का वांछित स्तर किसी अनुमानित न्यूनतम

बॉक्स II.4

वृद्धि-मुद्रास्फीति सामंजस्य और न्यूनतम मुद्रास्फीति

अर्थशास्त्र में वृद्धि-मुद्रास्फीति के सामंजस्य के विषय पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। फिलिप्स वक्र के संबंध- सांकेतिक मौद्रिक वेतन और बेरोजगारी दर के बीच अनुभवजन्य नकारात्मक संबंध- ने 1950 के अंतिम वर्षों और 1960 के दशक में लोकप्रियता हासिल की परंतु काफी समय पूर्व ही अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे नकार दिया गया है। इस संबंध पर जो विश्वास था उसे 1970 की मुद्रास्फीतिजनित मंदी ने समाप्त कर दिया। फेल्ट्स और फ्रीडमैन ने 'अल्पावधि फिलिप्स वक्र' जिसे 'आशा संवर्धित फिलिप्स वक्र' भी कहा जाता है, के जरिए मुद्रास्फीतिजनित मंदी की मौजूदगी को समझाया। दीर्घावधि में मुद्रास्फीति प्रत्याशा के बढ़ने पर अल्पावधि फिलिप्स वक्र ऊपर की ओर उठ जाने पर भी मौद्रिक नीति बेरोजगारी को प्रभावित नहीं कर सकती और वह अपनी 'सामान्य दर' पर पुनः समायोजित हो जाती है। अतः दीर्घावधि में फिलिप्स वक्र लंबवत रहता है क्योंकि प्रत्याशित मुद्रास्फीति वास्तविक मुद्रास्फीति के बराबर हो जाती है। दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र को बेरोजगारी की तीव्रता रहित मुद्रास्फीति दर (एनएआईआरयू) के रूप में भी जाना जाता है।

सामंजस्य विषयक नीतिगत बहस में, अल्पकालिक फिलिप्स वक्र और दीर्घकालीन एनएआईआरयू के बीच अक्सर सामान्य अंतर किया जाता है। एनएआईआरयू में मुद्रास्फीति पूर्णतः अनुमानित होती है। यदि कोई केन्द्रीय बैंक अल्पावधि में सामंजस्य का उपयोग करता है और क्षमता से अधिक स्तर पर वृद्धि की अनुमति देने के अपने प्रयासों से मुद्रास्फीति विस्मय (जिसका अनुमान नहीं किया गया था) की स्थिति उत्पन्न करता है तो वास्तविक मुद्रास्फीति संभावित मुद्रास्फीति से अधिक हो जाएगी और सामंजस्य के संबंध केवल अल्पावधि में कार्य करेंगे। परंतु संभावनाओं की अनुकूलन प्रक्रिया जल्द ही मुद्रास्फीति की संभावनाओं में संशोधित होने की ओर अग्रसर होगी और अल्पकालिक फिलिप्स वक्र में ऊर्ध्वगामी विचलन होगा, जिस पर एनएआईआरयू के साथ-साथ ऊंची मुद्रास्फीति बनी रहेगी। यदि संभावनाएं विवेकपूर्ण हुईं तो अल्पावधि में भी सामंजस्य-संबंधों का बना रहना संभव नहीं हो पाएगा।



पाल्ले (2003) के अध्ययनों के बाद यह महसूस किया गया कि संबंधों के कम मुद्रास्फीति से उच्च मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो जाने की संभावना से फिलिप्स वक्र संबंध और जटिल हो सकता है। इन मॉडलों में, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं वास्तविक मुद्रास्फीति के सकारात्मक कारक हैं। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति के कम स्तरों पर नकारात्मक रूप से नीचे झुकता है जबकि मुद्रास्फीति के उच्च स्तरों पर सकारात्मक रूप से ऊपर जाता है और यदि मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं वास्तविक मुद्रास्फीति से मिलती हैं तो यह लंबवत हो जाता है (चार्ट: 1)। इस प्रकार, न्यूनतम मुद्रास्फीति P^* पर होती है जो देश विशिष्ट हो सकती है और अल्पकालिक सामंजस्य के लिए इसका उपयोग करने और वृद्धि को ध्यान में न लेते हुए केवल मुद्रास्फीति रोकने के लिए इसका उपयोग करने के संदर्भ में मौद्रिक नीति के लिए यह संकेतक का कार्य कर सकती है। मुद्रास्फीति के P^* से नीचे होने पर, अल्पकालिक सामंजस्य पर भरोसा किया जा सकता है। परंतु मुद्रास्फीति दर P^* से ऊपर रहने पर नीति के लिए किसी (... जारी)

(समाप्त...)

प्रकार का कोई उल्लेखनीय सामंजस्यपूर्ण संबंध खोजा ही नहीं जा सकता है और कोई भी केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके केवल वहनीय रोजगार की स्थिति बनाए रखने और मध्यावधि में वृद्धि का स्तर बनाए रखने में ही अपना योगदान दे सकता है (गोकर्ण, 2011)।

न्यूनतम मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने के लिए किए गए अध्ययनों में विभिन्न प्रकार के तरीके उपयोग में लाए गए हैं। इनमें से तीन प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं- (1) सारेल (1996) को अपनाते हुए कई प्रकार के स्लीन रिग्रेशनों का उपयोग करना ताकि आर्थिक मुद्रास्फीति का पता लगाया जा सके, जो समायोजित R² को अधिकतम कर सके और रूट-मीन-स्क्वायर-एरर (आरएमएसई) को न्यूनतम कर दे, (2) नॉन-लीनियर लीस्ट स्क्वायर्स (एनएलएस) का प्रयोग करते हुए अन्य परावर्तक मानदंडों के साथ अज्ञात न्यूनतम मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना (काह और सेनहादजी, 2001) और (3) लॉजिस्टिक स्मूथ ट्रांजिशन रिग्रेशन (एलएसटीआर) का प्रयोग करते हुए न्यूनतम बिंदु का अनुमान लगाना (एसपिनोजा एवं अन्य (2010))। इन वैकल्पिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए भारत में न्यूनतम मुद्रास्फीति के लिए अनुभवजन्य अनुमान 4-6 प्रतिशत के बीच पाए गए हैं।

तथापि, यह आवश्यक नहीं है कि अनुमानित न्यूनतम स्तर, मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति संबंधी सभी उद्देश्यों को पूरा करे, क्योंकि न्यूनतम स्तर पर भी विशेष रूप से समाज के निर्धन तबके के लिए, कल्याणकारी कार्यों की लागत का मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित रखना होगा। संवितरण संबंधी परिणामों और एक खुली अर्थव्यवस्था की समष्टि-आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि मुद्रास्फीति के संबंध में रिजर्व बैंक का अनुमान 3 प्रतिशत है ताकि अन्य देशों की तुलना में मुद्रास्फीति को कम रखा जा सके। पिछले एक दशक में खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों में औसत मुद्रास्फीति लगभग 4 प्रतिशत रही है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित

करने के लिए मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाना मौद्रिक नीतिगत उपायों का एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे प्रभावित होकर रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की धारणा को 4.0 से 4.5 प्रतिशत के दायरे में रखने की संभावना पर जोर दिया। नीतिगत वक्तव्य में इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अल्पावधि में वृद्धि की अपेक्षा को कुछ कम करके भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का महत्व भारत के लिए वृद्धि-मुद्रास्फीति सामंजस्य के अनुमान के साथ सामंजस्य रखता है, साथ ही यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के संवितरण संबंधी तथा अन्य लक्ष्यों के साथ भी इसका सामंजस्य है।

संदर्भ

एस्पिनोजा, आर.लिओन, एच. तथा प्रसाद, ए., (2010) एस्टिमेटिंग दि इन्फ्लेशन ग्रोथ नेक्सस, ए स्मूथ ट्रांजिशन मॉडल', आईएमएफ वर्किंग पेपर 10/76।

गोकर्ण, सुबीर (2011), "सस्टेनिबिलिटी ऑफ इकॉनामिक ग्रोथ एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन-दि वे फारवर्ड", फिक्की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में भाषण, मुंबई, 05, अप्रैल।

काह, मोहसीन एस. तथा अब्देलहक एस. सेनहादजी (2011), "थ्रेसहोल्ड इफेक्ट्स इन दि रिलेशनशीप बिटुइन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ," आईएमएफ स्टाफ पेपर्स, खंड 48 (1)। पाल्लै, टी.आई. (2003), "दि बैकवर्ड बेंडिंग फिलिप्स कर्व एंड दि मिनिमम अनएंपालयमेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन (एमयूआरआई): वेज एडजस्टमेंट विथ ऑपॉरचुनिस्टिक फर्मस्", दि मैनेज्मेंट स्कूल ऑफ इकॉनामिक एंड सोशल स्टडीज, 71(1):35-50।

सारेल, एम (1996), "नॉन-लीनियर इफेक्ट्स आफ इन्फ्लेशन ऑन इकॉनामिक ग्रोथ", आईएमएफ स्टाफ पेपर्स, खंड.43, सं. 1।

स्तर से भी कम हो जाएगा। वृद्धि-मुद्रास्फीति के सामंजस्य पर काफी समय से चली आ रही नीतिगत बहस में हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि अल्पावधि में मौद्रिक नीति को स्थिरीकारक की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक वृद्धि की प्रवृत्ति ढांचागत कारकों पर निर्भर करती है।

थोक मूल्य सूचकांक के संशोधित आधार और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नये सूचकांकों से मूल्य सांख्यिकी में सुधार

II.2.17 वर्ष के दौरान कीमतों से संबंधित डाटाबेस में दो महत्वपूर्ण सुधार किये गये - थोक मूल्य सूचकांक का आधार 1993-94 से 2004-05 करने संबंधी संशोधन और जनवरी 2011 से 'ग्रामीण', 'शहरी' और 'अखिल भारतीय' के लिए नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागू करना (बॉक्स II.5)। थोक मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखला में उसके क्षेत्र और कवरेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण सुधार किया गया है और यह बदलते हुए आर्थिक ढांचे का बेहतर प्रतिनिधित्व भी करती है। यह मौजूदा आर्थिक ढांचे में उत्पादन और उपभोग पैटर्न में आए बदलाव को भी कवर करता है। नया

उपभोक्ता सूचकांक ऐसा राष्ट्रव्यापी सूचकांक उपलब्ध कराता है जिसका कवरेज क्षेत्रों और वस्तु-वार समूहों की दृष्टि से व्यापक है। भार देने का पैटर्न भी मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में अधिक अद्यतन उपभोग पैटर्न को दर्शाता है। नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति के आंकड़े जनवरी 2012 से उपलब्ध होंगे और यह मौद्रिक नीति के परिचालन के लिए मुद्रास्फीति को मापने के अन्य देशों में प्रचलित पद्धतियों के करीब होगा।

मुद्रास्फीति के बदलते स्वरूप के बीच 2010-11 में नीति के मुद्रास्फीति-रोधी उपायों पर जोर कायम रहा

II.2.18 मुद्रास्फीति के बदलते स्वरूप में समूचे वर्ष एक प्रमुख अस्थिर घटक रहा जिसने मुद्रास्फीति संबंधी रिजर्व बैंक के भविष्य के अनुमानों में उल्लेखनीय जटिलताएं पैदा कीं। अनंतिम आंकड़ों में किये जाने वाले परवर्ती मासिक उल्लेखनीय संशोधन ने भी, विशेष रूप से मूल्य दबावों के व्यापक होने संबंधी सूचना ने, सूचना के अंतर को बढ़ा दिया है। उच्च मुद्रास्फीति और आपूर्ति संबंधी निरंतर आघातों ने मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव

बॉक्स II.5
बेहतर मूल्य सांख्यिकी की ओर

थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन

वर्ष 2010-11 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन करके 1993-94 से 2004-05 किया गया जो कीमतों के आंकड़ों के संबंध में वर्ष की एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के भारांक में गिरावट आई, जबकि ईंधन समूह और विनिर्मित उत्पादों के भारांक में वृद्धि हुई (सारणी 1)। विनिर्मित उत्पादों के संपूर्ण समूह के भारांकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन न होने पर भी खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों के भारांक में परिवर्तन हुआ है। जोड़ी गई/ संशोधित की गई नई मर्दानों में अच्छी-खासी वृद्धि एक दशक के दौरान उत्पादन के संबंध में आए परिवर्तनों को दर्शाती है। नई श्रृंखला में 417 नए पण्य शामिल हैं जिनमें से 406 नये विनिर्मित उत्पाद हैं। इनमें असंगठित विनिर्माण गतिविधियों की मर्दानें शामिल हैं। इसके अलावा, नई श्रृंखला का दायरा काफी अधिक है क्योंकि पुरानी श्रृंखला के मूल्य कोटेशन 1,918 से बढ़कर नई श्रृंखला में 5,482 हो गए हैं।

मुद्रास्फीति की नई और पुरानी श्रृंखला की ओवरलैपिंग अवधि, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, की समग्र औसत मुद्रास्फीति की दर लगभग 5.5 प्रतिशत रही जो यह

दर्शाता है कि दोनों श्रृंखलाओं में मुद्रास्फीति की दर में अधिक अंतर नहीं है। तथापि, नई और पुरानी श्रृंखला में खाद्य और खाद्येतर उत्पादों में मुद्रास्फीति की दर में महत्वपूर्ण अंतर रहा। नई श्रृंखला में खाद्य उत्पादों में ऊंची मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों में कम मुद्रास्फीति के चलते, संतुलित हो गई और इस वजह से समग्र मुद्रास्फीति में थोड़ा अंतर रहा।



नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की शुरुआत

सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने समूचे भारत में राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों के लिए अलग-अलग और दोनों को मिलाकर संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) शुरू किया। जनवरी 2011 से सूचकांक जारी किए जा रहे हैं और इनमें 2010 को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। भारांक का पैटर्न एनएसएसओ के 2004-05 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से लिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला के साथ नई श्रृंखला की तुलना से मालूम होता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों समूहों में खाद्य का भारांक काफी अधिक कम हुआ है और मिश्रित समूह की, जिसमें मुख्य रूप से सेवाएं शामिल हैं, हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है (चार्ट 1)।

सारणी 1: संशोधित थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला में भारांक तथा वस्तुओं में प्रमुख परिवर्तन

मद	भार		पण्यों की संख्या		जोड़ी गयी /संशोधित की गई मर्दानें
	नई श्रृंखला (आधार:2004-05)	पुरानी श्रृंखला (आधार:1993-94)	नई श्रृंखला (आधार:2004-05)	पुरानी श्रृंखला (आधार:1993-94)	
1	2	3	4	5	6
सभी वस्तुएं	100.00	100.00	676	435	417
I. प्राथमिक वस्तुएं	20.12	22.03	102	98	11
खाद्य	14.34	15.40	55	54	1
खाद्येतर एवं खनिज	5.78	6.63	47	44	10
II. ईंधन एवं उर्जा	14.91	14.23	19	19	0
III. विनिर्मित उत्पाद	64.97	63.75	555	318	406
खाद्य	9.97	11.54	57	41	25
खाद्येतर	55.00	52.21	498	277	381

चार्ट 1: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भार (पुराना और नया)



डाला और रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति-रोधी उपायों को बनाये रखा ताकि मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाया जा सके और मुद्रास्फीति पर मांग आधारित दबावों को कम किया

जा सके। तथापि, मध्यावधि मुद्रास्फीति प्रबंधन का फोकस उन प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना होना चाहिए जहां मांग में वृद्धि जारी रहने की संभावना है।

III. मुद्रा और कर्ज

II.3.1 वर्ष 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का रुख अत्यंत मुद्रास्फीतिरोधी बना रहा। वर्ष के दौरान मुद्रा में कम वृद्धि हुई लेकिन 2010-11 की अंतिम तिमाही में इसमें तेजी आई। वर्ष के दौरान अधिकांश समय संरचनागत और अस्थायी (दोनों) वजहों से चलनिधि की मात्रा कम रही। चलनिधि की तंग स्थिति से मौद्रिक नीति का प्रभाव पड़ने में तेजी आई और यह प्रभाव वर्ष के उत्तरार्ध में बैंकों द्वारा जमा राशि और कर्ज पर ब्याज-दरें बढ़ाए जाने के रूप में प्रकट हुआ। वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को कर्ज देने की गति में तेज वृद्धि हुई जो मुख्यतया यह दर्शाता है कि टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम नीलामी का भुगतान करने के लिए उधार लिया। अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि के अनुरूप वर्ष 2010-11 की दूसरी तिमाही में कुछ गिरावट के बावजूद समूचे वर्ष कर्ज देने में बढ़ोतरी जारी रही।


II.3.2 वर्ष 2011-12 में जुलाई तक, चूंकि चलनिधि की स्थिति में सुधार आ गया है और मोटे तौर पर यह कमी के वांछित स्तर के अंदर है (बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं का एक प्रतिशत), इसलिए प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराए जाने की गति धीमी हो गई जिससे आधार मुद्रा की बढ़ोतरी में गिरावट आई। दूसरी ओर, जमाराशियों में तेज वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई।

वर्ष 2010-11 में आरक्षित मुद्रा में तेज वृद्धि मुद्रा की मांग में तेजी और बड़े पैमाने पर प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराने के रूप में प्रकट हुई

II.3.3 आरक्षित मुद्रा की प्रवृत्ति मुख्य रूप से मौद्रिक नीति में हुए परिवर्तनों और चलनिधि प्रबंधन परिचालन का प्रभाव दर्शाती है। मई 2010 के अंत से चलनिधि की तंग स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराई गई और इस वजह से वर्ष 2010-11 के दौरान आरक्षित मुद्रा में तेज वृद्धि हुई। तथापि, नीतिगत निर्णय द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात में परिवर्तन करने पर भी वर्ष 2009-10 के मुकाबले 2010-11 में आरक्षित मुद्रा में अधिक वृद्धि हुई (चार्ट II.24 और परिशिष्ट सारणी 9)।

II.3.4 संचलन में स्थित मुद्रा आरक्षित मुद्रा का सबसे बड़ा भाग है और मुख्य रूप से यह मांग द्वारा निर्धारित होती है। वर्ष के दौरान

चार्ट II.24: आरक्षित मुद्रा में वृद्धि



अधिकांश समय आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति और जमाराशियों पर कम लाभ के चलते बढ़ती मांग के कारण 2010-11 में संचलन में स्थित मुद्रा बढ़ी (बॉक्स II.6)।


II.3.5 स्रोत पक्ष में, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया जाने वाला निवल कर्ज प्रभावी कारक रहा जिसकी वजह से 2008-09 से आरक्षित मुद्रा बढ़ी (चार्ट II.25)। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट के चलते सरकार द्वारा उधार लेने की मात्रा में काफी तेजी आई और बाजार स्थिरीकरण योजना की शेष राशि को अनवाइंड करके चलनिधि का सक्रिय प्रबंधन शुरू किया गया (2008-09 और 2009-10 में)। इसके अलावा, इन तीन वर्षों में चलनिधि पर दबाव के चलते चलनिधि समायोजन सुविधा और खुले बाजार परिचालन के अंतर्गत खरीदी नीलामी के जरिए बड़े पैमाने पर चलनिधि उपलब्ध कराई गई।

वर्ष 2010-11 में मुख्य रूप से रिपो और खुले बाजार परिचालन के जरिए बड़े पैमाने पर प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराई गई

II.3.6 वर्ष 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले निवल कर्ज में वृद्धि का सबसे प्रमुख स्रोत चलनिधि समायोजन सुविधा संबंधी परिचालन था। यह चलनिधि समायोजन सुविधा के

² रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले निवल कर्ज में परिवर्तन मुख्य रूप से ओएमओ, एमएसएस परिचालन, एलएएफ और, सीमांत स्थायी सुविधा (2011-12 में शुरू किया गया) के जरिए रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि प्रबंधन के प्रयोजन से की गई गतिविधियों और साथ ही सरकार के नकद प्रबंधन परिचालन की गतिविधियों का संयुक्त प्रभाव दर्शाता है। एलएएफ के तहत रिपो/ओएमओ खरीद/एमएसएफ का लाभ उठाने में बढ़ोतरी और एलएएफ के तहत रिजर्व रिपो/एमएसएस की शेष राशि/रिजर्व बैंक के पास रखी सरकार की अधिशेष राशि में गिरावट के चलते रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले निवल कर्ज में वृद्धि होती है और इसकी विपरीत स्थिति में इसका परिणाम ठीक उल्टा होता है।

चार्ट II.25: आरक्षित मुद्रा में अंतर के महत्वपूर्ण स्रोत




टिप्पणी: रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले निवल कर्ज में एमएसएस, खुली बाजार खरीद, एलएफएफ और केंद्र की अधिशेष राशि में हुए परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव प्रतिबिंबित होता है।

रिवर्स रिपो (चलनिधि अवशोषित करना) से रिपो मोड (चलनिधि उपलब्ध कराना) में परिवर्तन को दर्शाता है। चलनिधि उपलब्ध कराने का अन्य प्रमुख स्रोत लगभग 67,000 करोड़ रुपये की खुली बाजार खरीद था और यह खरीद मुख्य रूप से नीलामी के जरिए की गई। खुले बाजार का परिचालन अर्थात ओएमओ वर्ष की दूसरी छमाही तक ही सीमित रहा। रिजर्व बैंक ने जुलाई 2010 तक बाकी बची एमएसएस की 2,737 करोड़ रुपये की शेष राशि को भी विमुक्त कर दिया।

II.3.7 यद्यपि चलनिधि समायोजन सुविधा संबंधी परिचालन और खुले बाजार के जरिए की गई खरीद से रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले निवल कर्ज में हुआ लगभग पूरा राजकोषीय घट-बढ़ स्पष्ट होता है, तथापि वर्ष के दौरान इस घट-बढ़ को प्रभावित करने वाली सबसे प्रमुख चलनिधि रिजर्व बैंक के पास रखी सरकार की अधिशेष राशि थी और यह चलनिधि को प्रभावित करने वाला एक स्वतंत्र कारक है। जून 2010 के अंत से, रिजर्व बैंक के पास रखी सरकार की अधिशेष राशि में काफी अधिक वृद्धि हुई जो यह दर्शाता है कि टेलीफोन स्पेक्ट्रम की नीलामी से आशा से अधिक राशि प्राप्त हुई। तिमाही अग्रिम कर की वसूली से इस राशि में और अधिक वृद्धि हुई। सरकार की शेष अधिशेष राशि 2010-11 की तीसरी तिमाही तक बढ़ती रही। चौथी तिमाही के दौरान सरकार की शेष राशि में तेज गिरावट से चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ।

चार्ट II.26: चलनिधि प्रबंधन परिचालन




II.3.8 समग्र मौद्रिक स्थिति दर्शाती है कि चलनिधि के स्वतंत्र चालकों और साथ ही इसे संतुलित करने के लिए रिजर्व बैंक के विवेकाधीन परिचालनों में काफी परिवर्तन हुए। 2010-11 की तीसरी तिमाही के दौरान मौद्रिक नीति के कड़े रुख के चलते चलनिधि की स्थिति काफी तंग रही। रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा रिपो के जरिए चलनिधि उपलब्ध कराई और यह रिजर्व बैंक की अपेक्षा के दुगुने स्तर तक पहुंच गई। चलनिधि के स्वतंत्र और विवेकाधीन भाग में घट-बढ़ के सकल परिणाम बैंक के रिजर्व में हुए परिवर्तन के समरूप हैं (चार्ट II.26)। रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले चलनिधि प्रबंधन परिचालन पर विस्तृत चर्चा अध्याय III में दी गई है।

जमाराशि के कम संग्रह और गुणक में गिरावट के चलते वर्ष 2010-11 में मुद्रा में वृद्धि की दर धीमी रही

II.3.9 वर्ष 2010-11 में लगातार तीसरे साल व्यापक मुद्रा (एम₃) की वृद्धि में गिरावट हुई, यद्यपि गिरावट की गति पिछले वर्ष के मुकाबले धीमी थी, जो आर्थिक गतिविधियों में सुधार दर्शाता है (परिशिष्ट सारणी 10)। घटक पक्ष में, यह गिरावट मुख्य रूप से मांग जमाओं में कमी के चलते हुई। यद्यपि शुष्कता में मीयादी जमाओं में कम वृद्धि हुई, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में इसकी प्रवृत्ति उलट गई जब बैंकों ने ब्याज-दरों काफ़ी बढ़ा दीं (चार्ट II.27)। मौद्रिक नीति के तेज प्रभाव के चलते वर्ष 2010-11 की अंतिम तिमाही और 2011-12 में अब तक लोगों की पसंद मांग जमा के बजाय मीयादी जमा हो गई। तथापि,

चार्ट II.27: मुद्रा एवं जमा में वृद्धि



लोगों के पास रखी मुद्रा तेज गति के साथ बढ़ी और तदनुसार 2010-11 में एम₃ की वार्षिक वृद्धि में मुद्रा की हिस्सेदारी भी बढ़ी (चार्ट II.28)।

II.3.10 वर्ष के दौरान अधिकांश समय उच्च मुद्रास्फीति, वास्तविक आय में बढ़ोतरी और जमाराशियों पर कम लाभ की वजह से जनता के पास मुद्रा में काफी अधिक वृद्धि हुई (बॉक्स II.6)। तथापि वर्ष 2011-12 में अब तक, मीयादी जमाओं पर बढ़े ब्याज-दर के


परिणामस्वरूप अपने पास नकदी रखने की अवसर लागत में बढ़ोतरी के कारण मुद्रा की मांग में गिरावट आई है।

II.3.11 मुद्रा में तेज बढ़ोतरी और साथ ही जमाओं में धीमी बढ़ोतरी के चलते 2010-11 में मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि हुई। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2010 में सीआरआर बढ़ाया जिसके चलते आरक्षित जमाराशि अनुपात में वृद्धि हुई। इन दो चल अनुपातों में वृद्धि के चलते मुद्रा गणक में गिरावट आई। यह स्पष्ट करता है कि वर्ष 2010-11 में आरक्षित मुद्रा में अधिक वृद्धि के बावजूद व्यापक मुद्रा में वृद्धि धीमी रही। मुद्रा गणक में गिरावट के अनुरूप वर्ष 2010-11 की उत्तरोत्तर तिमाहियों में मुद्रा का वेग बढ़ा जो यह दर्शाता है कि छोटी-मोटी गतिविधियां बढ़ गईं। (बॉक्स II.7)


एम₃ की वार्षिक वृद्धि में वाणिज्यिक बैंक को दिए जाने वाले बैंक कर्ज की हिस्सेदारी काफी अधिक बढ़ी

II.3.12 स्रोत पक्ष में, निवल विदेशी आस्ति में पिछले वर्ष हुई गिरावट के मुकाबले 2010-11 में वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष के दौरान एम₃ की वृद्धि में निवल घरेलू आस्ति प्रभावी स्रोत बनी रही। एम₃ की वार्षिक वृद्धि में वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाले बैंक कर्ज की हिस्सेदारी काफी अधिक बढ़ गई जो यह दर्शाता है कि वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाले कर्ज में काफी तेजी आई। वर्ष के दौरान खाद्यान्नेतर कर्ज में भी इसी प्रकार की तेजी देखी गई (चार्ट II.29)। वर्ष 2011-12 में अब

चार्ट II.28: एम₃ में घट-बढ़ करोड़ रुपये में और एम₃ के घट-बढ़ में प्रमुख घटकों का प्रतिशत हिस्सा



चार्ट II.29: खाद्येतर कर्ज में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)




बॉक्स II.6

मुद्रा की मांग के निर्धारक - किस कारण से प्रवृत्ति में बदलाव हुआ

मुद्रा की मांग को निर्धारित करने वाले कई कारक हैं जैसे आय, कीमत, मुद्रा को अपने पास रखने की अवसर लागत अर्थात् ब्याजधारक आस्तियों पर ब्याज-दर और क्रेडिट/डेबिट कार्ड, एटीएम, चेक भुगतान जैसे लेन-देन के वैकल्पिक लिखतों की उपलब्धता आदि। विशेषकर ऐसे देशों में जहां बड़े पैमाने पर आभासी अर्थात् शैडो अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां मुद्रा का उपयोग एक मूल्य के संग्रह के रूप में किया जाता है। बाहरी मुल्कों में अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन तथा पाँड जैसी मुद्राओं की अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के माध्यम के रूप में बड़ी मांग है।


ऐसे कई कारक हैं जो वर्ष 2010-11 में भारत में मुद्रा की बढ़ती मांग को स्पष्ट करते हैं। वर्ष 2009-10 और 2010-11 में खाद्यान्न, दाल, फल, सब्जी और दूध जैसी वस्तुओं के संदर्भ में मुद्रास्फीति अधिक रही - अक्सर दो अंकों में, और ये ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लेन-देन में नकदी के प्रयोग की सबसे अधिक संभावना होती है। परिणामस्वरूप, लंबी अवधि तक लगातार गिरावट के बाद सांकेतिक जीडीपी में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की हिस्सेदारी 2008-09 के 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 19.0 प्रतिशत हो गई। दूसरा, वास्तविक आर्थिक गतिविधि के प्रवृत्ति स्तर में तेजी आई और 2008-09 में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में यह 8.5 प्रतिशत हो गया। तीसरा, 2010-11 के दौरान पूरे समय बैंक जमाओं पर ब्याज-दरें मुद्रास्फीति से कम थीं जिसका अर्थ है कि इन जमाओं पर मिलने वाले वास्तविक लाभ की दर ऋणात्मक थी।

ऐसी प्रवृत्तियों के दस वर्षों के अध्ययन से पता चलता है कि मुद्रा की मांग में आय लोच अपेक्षाकृत स्थिर बनी रही, जबकि 2000 के दशक में कीमत लोच में काफी अधिक वृद्धि हुई और अधिकांश समय मुद्रास्फीति कम और स्थिर रही। शेष वर्षों में जब मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत अधिक थी, तब मुद्रा की मांग काफी तेजी से बढ़ी। सिद्धांत में, एटीएम नेटवर्क में वृद्धि (एटीएम की संख्या बढ़ने के साथ-साथ अन्य बैंकों के एटीएम का मुक्त प्रयोग करने को लेकर इस्तेमाल संबंधित नियम) से शो लेदर कॉस्ट में कमी होती है। तथापि, भिन्न-भिन्न देशों से मिले साक्ष्य बताते हैं कि आपस में लेनदेन के माध्यम के रूप में कार्ड भुगतान के मुकाबले नकदी मुद्रा के प्रति आकर्षक बढ़ सकता है। ऐसा भारत में भी पाया गया है (चार्ट 1)। इससे हाल के वर्षों में यह बात सुकर हुई कि मुद्रा का स्थान मांग जमा और मांग जमा का स्थान मुद्रा लेती रहे।



2000 के दशक में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में बढ़ोतरी, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का वाणिज्यीकरण, शहरीकरण और उच्च मूल्यवर्ग

के नोटों की उपलब्धता ने मांग एवं आपूर्ति दोनों पक्षों से परिचालित होनेवाली नकदी अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि की प्रवृत्ति बनाए रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए सामाजिक व्यय (एमजीएनआरईजीएस आदि) से भी विशेषकर 2008-09 में नकदी की मांग बढ़ी और ऐसा तब हुआ जब जीडीपी की तुलना में मुद्रा का अनुपात चरम पर था। इसके अलावा, बेनाम होने की वजह से नकदी मुद्रा कर बचाने में भी काम आती है। हाल के वर्षों में केवाईसी एवं सीबीएस के बढ़ते महत्त्व और कर के प्रयोजन से उच्च मूल्य के बैंक लेनदेन की रिपोर्टिंग से मुद्रा की मांग तेजी से बढ़ सकती है जो जीडीपी की तुलना में मुद्रा के अनुपात में निरंतर आधिक्य के रूप में प्रकट होता है (चार्ट 2)।



लंबे समय में, 1972-73 से 2010-11 की अवधि के दौरान भारत में मुद्रा की मांग के बारे में वीडिटीएम विधि का प्रयोग करते हुए किया गया अध्ययन यह बताता है कि वास्तविक आय (जीडीपी) में 1 प्रतिशत की वृद्धि से मुद्रा की मांग में 1.24 प्रतिशत वृद्धि होती है। यह भी पाया गया कि मुद्रा की मांग में कीमत का प्रभाव एक पूर्ण इकाई के बराबर है। कीमतों (डब्ल्यूपीआई) में एक प्रतिशत वृद्धि से मुद्रा की मांग में 1.05 प्रतिशत वृद्धि होती है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि ब्याज-दरें अपने आप में मुद्रा की मांग निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण निर्धारक नहीं हैं। तथापि, हाल के वर्षों में जब मीयादी जमाओं पर वास्तविक लाभ ऋणात्मक है, (औसत मुद्रास्फीति एक-से-तीन वर्ष की परिपक्वता वाली जमा राशियों की औसत दर के मुकाबले अधिक रही) तब ब्याज-दरें एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक हो गईं।

संदर्भ :

जेने एग्रोमिन, एवं सुजीत चक्रवर्ती (2009), ‘‘क्विडर लूज चेंज’’? द डिमिनिशिंग डिमांड फॉर स्मॉल डिनॉमिनेशन करेंसी’, जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग, 41(2-3): 315-335, मार्च-अप्रैल

एबेल एंबे और वाई-चूं यू (2010)। ‘‘ टैक्स इवेजन एंड करेंसी रेशियो: पैनल एविडेंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज’’, एम्पिरिकल इकॉनॉमिक्स

लार्स नेबर्ग (2011), ‘‘ विल कैश रिप्लेस कार्ड्स’’? मई में स्टाकहोम, स्वीरीज रिक्स बैंक में कार्ड एवं नकद भुगतान फोरम में दिया गया भाषण।


बॉक्स II.7

मुद्रा के वेग में अल्पावधिक आघात और मुद्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति

वर्ष 2010-11 के अधिकांश समय एम₃ में वृद्धि रिजर्व बैंक की निर्देशात्मक सीमा रेखा के नीचे रही। मुद्रा की वृद्धि में यह गिरावट और साथ-ही-साथ सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि तथा उच्च मुद्रास्फीति मुद्रा के वेग में भी इसी प्रकार की वृद्धि की ओर संकेत करते हैं (मुद्रा समीकरण की परंपरागत मात्रा सिद्धांत एमवी = पीवाई के अनुसार)। सैद्धांतिक ढांचे के अनुसार, सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि विशेषकर अल्पावधि में मुद्रा का वेग, यदि स्थायी नहीं है, तो स्थिर रहता है। विशेषकर अधिक अल्पावधि आघातों और इसके बाद अस्थिरता के चलते इसकी स्थिरता भंग होने से मुद्रा, आउटपुट और कीमत के बीच संभावित संबंध या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। (जैसा कि उपर्युक्त सैद्धांतिक मौद्रिक अंकगणित में वर्णित किया गया है)। इसके अलावा, मुद्रा की मांग में अनुमानित एवं गैर-अनुमानित आघातों तथा इसके वेग के पैटर्न में परिणामी परिवर्तन से मुद्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति और बढ़ सकती है।

वैश्विक संकट के बाद लगभग प्रत्येक देश में मुद्रा के वेग में अपनी संबंधित मध्यावधिक प्रवृत्ति से काफी अधिक अंतर देखने को मिला और तदनुसार आउटपुट तथा कीमत की तुलना में मौद्रिक लक्ष्य का विश्लेषण जटिल हो गया। आर्थिक मंदी के बाद बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता के जरिए नकदी उपलब्ध कराने के बावजूद अमेरिका में इस वेग में तेज गिरावट (वित्तीय संकट के कारण) और परवर्ती ‘‘वेलसिटी क्राउडिंग आउट ऑफ़ क्वांटिटेटिव ईजिंग’’ यह रेखांकित करते हैं कि बाह्य गतिविधियां, विशेषकर संकट से उत्पन्न संक्रामक जोखिम घरेलू मुद्रा मांग को काफी अस्थिर कर सकते हैं।

भारत में मुद्रा के वेग की गणना व्यापक मुद्रा की तुलना में सांकेतिक आय के अनुपात के रूप में की जाती है और इसके वेग में 1960 से गिरावट हुई है। बोर्डों और जौंग (1987) ने अपने पथप्रदर्शक अध्ययन में बताया कि देश भर में विकास के स्तर के अनुरूप अलग-अलग चरणों में ‘यू’ आकार का वेग पैटर्न हो सकता है। किसी देश के शुरुआती विकास के दौर में अर्थव्यवस्था में अधिक मौद्रिकरण की वजह से मुद्रा की मांग बढ़ती है (जैसाकि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि में दिखाई देता है) और वेग कम होता है। देश में विकास के साथ-साथ वित्तीय और





तकनीकी खोजों के जरिए एक बार वित्तीय प्रणाली के स्थापित होते ही वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में बढ़ते विश्वास से मुद्रा की मांग में आय लोच कम हो जाती है जो वेग के बढ़ते चरण के रूप में दिखाई देता है।

भारत के संदर्भ में, वेग के शुरुआती गिरते चरण से संबंधित वार्षिक और तिमाही - दोनों आंकड़े अर्थव्यवस्था में बढ़ते मौद्रिकरण का कारण हो सकते हैं (चार्ट 1)। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों तथा अधिक वित्तीय सुदृढ़ीकरण के बावजूद पिछले दशक की आर्थिक वृद्धि मुद्रिकरण की प्रक्रिया की तुलना में इतनी ज्यादा बढ़ी कि इसने वित्तीय अपमिश्रण से होने वाले लाभों को समंजित कर लिया। इसलिए मुद्रा के वेग में कमी बनी रही।

तथापि, हाल के वर्षों में वेग की गिरावट की दर कम हुई। संकट के बाद नकदी की प्राथमिकता पर अधिक जोर और कर्ज की कम मांग का प्रभाव वेग में तेज गिरावट के रूप में दिखाई दिया (चार्ट 2)। बाद में वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था में फिर से विश्वास आने के साथ वेग बढ़कर सामान्य प्रवृत्ति के पास आ गया। पिछले दो वर्षों में वेग में हुई तेज गिरावट के बाद इस वृद्धि से मालूम होता है कि 2010-11 में एम₃ में कम वृद्धि हुई।

चार्ट 2: वैश्विक संकट के समय से मुद्रा वेग की प्रवृत्ति



(जारी...)

(समाप्त...)

सैद्धांतिक और प्रायोगिक साहित्य द्वारा बताया गए वेग के कुछ निर्धारकों का वेक्टर एरर करेक्टिंग मॉडल (वीईसीएम) आकलन - आउटपुट (वाई-फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी (स्थिर कीमत), ब्याज दर (आर₁ - एसबीआई की वार्षिक उधार दर/आर₂ - तिमाही 91-दिवसीय खजाना बिल दर), मुद्रास्फीति आकलन (डब्ल्यूपीआई), जीडीपी की तुलना में बैंक कर्ज के अनुपात के जरिए बताया गए वित्तीय संकेतक (सीवाई) और वेग में अल्पावधि परिवर्तन के प्रभाव को व्यक्त करने वाला एक छद्म वेरिएबल (डी1/डी2) - निम्नलिखित परिणाम देता है:

वार्षिक आंकड़े:

$$\text{वेग} = 54.38 - 4.03 Y + 0.04 R_1 + 1.28 D_1$$

(9.81) (1.39) (6.29)

तिमाही आंकड़े:

$$\text{वेग} = 39.52 - 3.19Y + 0.05 R_2 + 1.90 WPI + 2.30 CY - 0.18D_2$$

(5.06) (6.34) (6.96) (2.65) (6.98)

मुद्रा के वृद्धि-पथ के आकलन में वेग की सशर्त भविष्यवाणी शामिल होती है। इसलिए वेग की प्रवृत्ति की अनुपस्थिति में अल्पावधि में भी कभी-कभी मुद्रा की वृद्धि की गणना भ्रामक हो सकती है। प्रायोगिक आकलन बताते हैं कि वेग के परंपरागत

निर्धारक (जीडीपी, ब्याज-दर और वित्तीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण) और साथ ही अल्पावधि आघात सांख्यिकीय रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। लेकिन बड़ी अनिश्चितता के समय वेग अपनी मध्यम प्रवृत्ति से काफी अधिक विचलित हो सकता है और यह आगे के आकलन को कमजोर कर सकता है।

मुद्रा की वृद्धि में होनेवाली अल्पावधि प्रवृत्ति वेग में संभावित परिवर्तन के साथ-साथ देखी जा सकती है। हालांकि दीर्घवधि प्रवृत्ति के सापेक्ष मध्यम अवधि में वेग के स्थिर रहने की संभावना रहती है और इसलिए अल्पावधि के मुकाबले मध्यम अवधि में मुद्रा में वृद्धि मुद्रास्फीति और आउटपुट प्रवृत्ति के अधिक अनुरूप होती है।

संदर्भ:

सितिकंठ पटनायक और एस सुभद्रा (2011), "द वेलांसिटी क्राउडिंग-आउट इम्पैक्ट: व्हाइ हाइ ग्रोथ इज नॉट ऑल्वेज इन्फ्लेशनरी," आरबीआई वर्किंग पेपर, मई 2011।


माइकल डी बोर्डो, एवं लार्स जौंग, द लांग-रन बिहैविअर ऑफ द वेलांसिटी ऑफ सर्कुलेशन: द इंटरनेशनल एविडेंस, कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1987।

तक (जुलाई तक), कर्ज देने की गति धीमी होने के बावजूद यह इस वर्ष के लिये रिजर्व बैंक की निर्देशात्मक सीमा रेखा से ऊपर रही।

II.3.13 भिन्न-भिन्न प्रकार के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2010-11 के दौरान उद्योग क्षेत्र को मिलने वाले कर्ज में तेजी बनी रही और साथ ही सेवा क्षेत्र को मिलने वाले ऋण और वैयक्तिक ऋण काफी अधिक बढ़े (परिशिष्ट सारणी 11)। उद्योग के भीतर यद्यपि औद्योगिक कर्ज में इन्फ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी

रही, तथापि उद्योग को मिलने वाले वृद्धिशील कर्ज में अन्य उद्योग समूह, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, आधारभूत धातु एवं धातु उत्पाद और इंजीनियरिंग की हिस्सेदारी बढ़ी (चार्ट II.30)। वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही के दौरान वृद्धिशील औद्योगिक कर्ज में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रबल हिस्सेदारी रही, जबकि इस तिमाही के दौरान औद्योगिक कर्ज में आधारभूत धातु एवं धातु उत्पाद, पेट्रोलियम तथा खनन एवं उत्खनन की हिस्सेदारी एक तिहाई रही।

चार्ट II.30: वृद्धिशील औद्योगिक कर्ज में विभिन्न उप-क्षेत्रों की भागीदारी




कर्ज और जमाओं की वृद्धि में बढ़ते अंतर से वर्ष 2010-11 में अधिकांश समय चलनिधि पर दबाव बना रहा

II.3.14 वर्ष के दौरान अधिकांश समय कर्ज देने की गति में लगातार तेज बढ़ोतरी और साथ ही जमाओं की मात्रा में कम बढ़ोतरी एक ऐसा संरचनागत कारक था जिससे प्रणाली में चलनिधि कम हो गई। दिसंबर मध्य में कर्ज देने और जमा की वृद्धि दर के बीच अंतर चरम सीमा पर पहुंच गया और इसके बाद यह अंतर कम होता गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मौद्रिक नीति के तेज प्रभाव के चलते कर्ज देने में थोड़ी कमी आई और जमाओं पर ब्याज-दरें बढ़ने से बैंक की जमाराशियों में वृद्धि हुई (चार्ट II.31)

वर्ष 2010-11 में वाणिज्यिक क्षेत्र को किए गए वृद्धिशील निधीयन को बैंकों ने पूर्णतः लेखाकृत किया

II.3.15 यद्यपि वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाले बैंक कर्ज में फिर से तेजी आई, तथापि बैंकों से इतर, घरेलू एवं विदेशी - दोनों क्षेत्रों से संसाधनों के अंतर्प्रवाह कम हुए (चार्ट II.32)। बैंक से इतर घरेलू निधीयन में तेज गिरावट की मुख्य वजह प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए संसाधनों में कमी थी। बैंक से इतर संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पत्रों की खरीद में भी कमी आई। जहां तक विदेशी स्रोतों का सवाल है, बाह्य वाणिज्यिक उधारों और विदेशों से अल्पावधिक कर्ज लेने में वृद्धि हुई, लेकिन एफडीआइ अंतर्प्रवाह कम हुए जिससे वाणिज्यिक क्षेत्र को विदेशों से मिलने वाली निधि में समग्र गिरावट हुई। वर्ष 2010-11 में वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों से इतर

चार्ट II.32: वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रवाह




संस्थाओं से मिलने वाले वित्त के स्रोतों में कमी आई और इस वजह से इस क्षेत्र को बैंकों से मिलने वाले संसाधनों के अंतर्प्रवाह में लगभग 49 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद इस क्षेत्र में संसाधनों के कुल प्रवाह में धीमी वृद्धि हुई।

II.3.16 वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाली निधि में बैंकों से इतर स्रोतों का हिस्सा दो-तिहाई से अधिक था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एफडीआइ अंतर्प्रवाह फिर से शुरू हो गया और बैंकों से इतर संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पत्रों की खरीद फिर शुरू हो गई।

II.3.17 हाल की अवधि में डेट म्यूच्युअल फंड की लिक्विड स्कीम में बैंकों के निवेश में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, म्यूच्युअल फंड ओवरनाइट मुद्रा बाजार में (जहां बैंक बड़े पैमाने पर कर्ज लेते हैं) और बैंकों के जमा प्रमाणपत्रों में बड़े उधारदाता हैं। निधि के ऐसे चक्रिय प्रवाह से दबाव/चलनिधि की कमी के समय प्रणालीगत जोखिम हो सकता है। यद्यपि वर्ष 2010-11 में म्यूच्युअल फंडों द्वारा जारी लिखतों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश में मामूली कमी हुई, तथापि मार्च 2011 के अंत और मई 2011 के प्रारंभ के बीच इसमें लगभग 1.5 गुना वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 2011-12 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा म्यूच्युअल फंडों के डेट लिखतों में कुल निवेश को सीमित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मई 2011 के मध्य से ऐसी योजनाओं में निवेश कम होने लगा तथापि, जुलाई 2011 में ठीक उल्टी स्थिति देखी गई।

चार्ट II.31: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियां और बैंक ऋण



IV. वित्तीय बाजार





अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में सरकार के ऋण चूक संबंधी जोखिम सामने आए

II.4.1 2010-11 के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में जोखिमों का बार-बार मूल्यांकन किया गया, जो निरंतर जारी अनिश्चितता को दर्शाता है। सरकार की ऋण चूक जोखिमों की चिंताओं ने वर्ष के एक बड़े हिस्से में वित्तीय बाजार विशेष रूप से यूरो क्षेत्र को प्रभावित किया क्योंकि ग्रीक सरकार की ऋण चूक संबंधी समस्या का संक्रमण यूरो क्षेत्र की अन्य अर्थव्यवस्थाओं जैसे आयरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में फैल गया, ऐसी स्थिति भारी भरकम यूरोपियन बचाव पैकेज के कारण आई अल्पकालिक स्थिरता के बावजूद उत्पन्न हुई। इसका परिणाम हुआ कि इस क्षेत्र में सरकारी ऋण चूक स्वैप अंतर और बढ़ गया (चार्ट II.33क से घ)। बहुगति वाली वैश्विक रिकवरी से भिन्न-भिन्न नीतिगत प्रतिवाद सामने आए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को या तो बनाये रखा अथवा उसे और आसान बनाया किंतु कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रास्फीतिक दबावों के जवाब में मौद्रिक कड़ाई का सहारा लिया। 2010 के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में चलनिधि की आसान उपलब्धता के कारण बहुत अधिक पोर्टफोलियो प्रवाह आकर्षित किया विशेष रूप से अमरीकी फैंड द्वारा दूसरे दौर की संख्यात्मक सुगमता (क्यूई2) की घोषणा के पश्चात। इन प्रवाहों ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं तथा आस्ति मूल्यों पर उर्ध्वगामी दबाव डाला जिससे इनमें से कुछ अर्थव्यवस्थाओं को समष्टि विवेकपूर्ण उपायों और हल्के पूंजी नियंत्रणों का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा।

II.4.2 2010 के अंत और 2011 के प्रारंभ में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अमरीका में, आर्थिक रिकवरी मजबूत होने के कारण वैश्विक पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित किया गया। इस कारण इन अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी के मूल्यों में वृद्धि हुई। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण स्प्रेड काफी कम हुआ, लेकिन, उनकी बांड आय में बढ़ोतरी हुई जिससे सकल देशी उत्पाद और ऋण अनुपात में संकट के पश्चात हुई वृद्धि तथा मुद्रास्फीतिक चिंताओं के आरंभिक संकेतों का पता चलता है। फरवरी 2011 के अंत तक मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका (एमईएनए) में भू-राजनैतिक जोखिम के तेल मूल्यों पर पड़े दुष्प्रभाव ने निवेशकों के विचारों को प्रभावित किया तथा सरकारी ऋण चूक स्वैप अंतर यूरो क्षेत्र की कुछ कमजोर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं

चार्ट II.33: वैश्विक वित्तीय बाजारों की गतिविधियों के संकेतक



में बढ़ गया। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं स्थिर स्थावर संपदा बाजार, उच्च बेरोजगारी तथा कमजोर सरकारी तुलन पत्र से दबी रहीं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आय वक्र समतल रहा विशेष रूप से मार्च 2001 से जिससे आर्थिक वृद्धि में आई कमी का पता चलता है। वैश्विक वित्तीय बाजार कुल मिलाकर अप्रैल 2001 के अंत से करेक्शन की दशा में रहा है लेकिन जोखिम बढ़ रहे हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते ब्याज दर अंतरों तथा अमरीकी सरकार के ऋण की निम्न रेटिंग के कारण बढ़े हुए वित्तीय जोखिमों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम वृद्धि की आशंकाओं के कारण 2011 की दूसरी छमाही के और अधिक अस्थिर रहने की संभावना हो सकती है। वैश्विक बाजार की गतिविधियों का भारत के इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजार में स्पिल ओवर प्रभाव पड़ा।




चलनिधि के घाटे की स्थिति में जाने से मौद्रिक नीति संप्रेषण मजबूत होता है

11.4.3 2010-11 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट-पूर्व की वृद्धि स्थिति पर लौटने से, रिजर्व बैंक की मुख्य चिंता नीति दरों में

वृद्धियों के माध्यम से मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को रोकना था। वित्तीय बाजार में नीति दर वृद्धियों का प्रभाव इनके संप्रेषण पर निर्भर करेगा। मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया पर बने कार्य समूह (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) ने पाया कि मुद्रा बाजार में मौद्रिक नीति का संप्रेषण सबसे अधिक होता है और यह चलनिधि आधिक्य वाली स्थिति की तुलना में चलनिधि की कमी वाली स्थिति में अधिक प्रभावी होता है। रिजर्व बैंक ने संकट के चलते अपनाए गए विस्तारकारी मौद्रिक नीति रुझान से सोच समझकर बाहर निकलने के एक हिस्से के रूप में, अप्रैल 2010-मार्च 2011 में अपने रिपो दर को 175 आधार अंक और रिवर्स रिपो दर को 225 आधार अंक बढ़ाया। वर्ष के दौरान चलनिधि स्थितियां आधिक्य से घाटे की स्थिति में बदल गई जिसके परिणाम स्वरूप नीति दर में 325 आधार अंकों की प्रभावी वृद्धि हुई।

11.4.4 वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार दरों का उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से अंतर्निहित चलनिधि स्थितियों और नीति दर परिवर्तनों से प्रभावित हुआ (चार्ट II.34)। रिपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि के कारण चलनिधि आधिक्य चरण (अप्रैल-मई 2010) के दौरान औसत दैनिक

चार्ट II.34: वित्तीय बाजार में नीति दरों का संप्रेषण




मांग मुद्रा दर 32 आधार अंक बढ़ी। जमा प्रमाणपत्रों की दरों में गिरावट आई। मध्यम से दीर्घावधि में 5 वर्षीय और 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों की आय में भी क्रमशः 21 आधार अंक और 38 आधार अंक की गिरावट आई।

II.4.5 चलनिधि में कमी चरण के दौरान मौद्रिक संप्रेषण मजबूत हुआ। जून 2010-मार्च 2011 की अवधि के दौरान रिपो दर में 150 आधार अंक की वृद्धि के कारण औसत दैनिक मांग दर में 332 आधार अंकों की वृद्धि हुई और यह कोरिडोर की ऊपरी सीमा के आसपास बनी रही। उच्चतर मांग मुद्रा दर विभिन्न बैंकों की कम एसएलआर धारिताओं में परिलक्षित हुई। संपार्श्वकीकृत खंड में दरें सामान्यतया मांग दर के समान चलती हैं, लेकिन अधिकांशतया ये इसके नीचे बनी रहीं। अन्य मुद्रा बाजार दरें भी बढ़ीं। मौद्रिक नीति रुझान के अनुरूप आय वक्र ऊपर की ओर बढ़ा जिससे अल्प से मध्यम अवधि दरों में तेजी का पता चलता है। 2010-11 की दूसरी छमाही में अनुमान से कम बाजार उधार कार्यक्रमों, सरकारी प्रतिभूतियों में एफआइआइ की निवेश सीमा में वृद्धि, 2010-11 की तीसरी तिमाही के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा की गयी ओएमओ खरीदों तथा 2011-12 की पहली छमाही के लिए घोषित उम्मीद से कम बाजार उधारों ने भी बाजार भाव में सुधार किया। मध्यम से दीर्घावधि सुनियंत्रित मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं और वृद्धि संभावनाओं सहित इन कारकों ने आय वक्र को समतल रखने में योगदान किया। तदनुसार, मध्यम अवधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 वर्ष) आय में वृद्धि मुद्रा बाजार दरों की तुलना में कम रही (चार्ट II.35)। दीर्घावधि में आय वक्र के समतल हो जाने के कारण दीर्घावधि प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों का हिस्सा वर्ष के दौरान बढ़ा।

II.4.6 ऋण बाजार में नीति दर वृद्धियों का संप्रेषण 2010-11 की पहली तिमाही के दौरान कमजोर रहा, तथा इसके पश्चात जुलाई 2010 में आधार दर के शुरू होने के बाद इसमें सुदृढ़ता आई और मई 2010 के अंत से चालू चलनिधि दशाओं में और कमी आई। बैंकों ने ऋण में तीव्र वृद्धि को खपाने के लिए जून 2010 के अंत और मार्च 2011 के अंत के बीच विभिन्न परिपक्वताओं पर जमा दरों को 25-500 आधार अंक बढ़ाया। कई बैंकों ने जुलाई 2010 के अंत और मार्च 2011 के अंत के बीच अपनी आधार दरों को 25-250 आधार अंक बढ़ाया। आधार दरों के बीच अंतर बहुत

चार्ट II.35: सरकारी प्रतिभूति आय वक्र में उतार-चढ़ाव



कम रहा जिससे पता चलता है कि विभिन्न बैंकों की दरों का आपस में संविलयन हुआ। आधार दर प्रणाली ने नीति दरों के बैंक उधार दरों में संप्रेषण को और बेहतर बनाया है (कृपया आधार दर अपनाए जाने के बाद मौद्रिक नीति संचरण पर अध्याय III का बॉक्स III.1 देखें)।

2011-12 के दौरान मौद्रिक संप्रेषण में और मजबूती आई

II.4.7 2011-12 के दौरान अब तक संप्रेषण प्रणाली में और मजबूती आई। अप्रैल-जुलाई 2011 में रिपो दर में 125 आधार अंक की संचयी वृद्धि के पश्चात मुद्रा बाजार दरें नीति दर वृद्धियों के अनुरूप बढ़ीं। सरकारी प्राप्तियों और व्यय के अस्थायी अंतर को पूरा करने के लिए अप्रैल-जुलाई 2011 के दौरान जारी 58,000 करोड़ रुपये के नकदी प्रबंधन बिलों ने भी मुद्रा बाजार दर पर प्रभाव डाला। 2011-12 के दौरान (अप्रैल-अगस्त 2012) विभिन्न परिपक्वताओं वाली दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर आय बढ़ी। यह आय लंबी अवधि की तुलना में अल्पावधि में अधिक बढ़ी जिससे नीति दर वृद्धियों और अल्पावधि में बढ़े-बड़े निर्गमों के प्रभाव का पता चलता है। मजे की बात यह है कि 10 वर्षीय प्रतिभूतियों पर आय कम अवधि की प्रतिभूतियों की आय की तुलना में कम रही जिससे पसंदीदा बाजार रुचि और 10 वर्षीय बेंचमार्क खंड में चलनिधि का पता चलता है और जिसके परिणामस्वरूप आय वक्र में उतार-चढ़ाव आया।

II.4.8 ऋण बाजार के संबंध में, बैंकों ने रिजर्व बैंक द्वारा नीति दरों में वृद्धि के कारण अपनी जमा और उधार दरों में बढ़ोतरी की। 2011-12 की पहली तिमाही के दौरान (अप्रैल-अगस्त 2011) 52 प्रमुख बैंकों ने, जिनका ऋण हिस्सा लगभग 99 प्रतिशत था, अपनी आधार दरों को 50-175 आधार अंक बढ़ाया और 23 प्रमुख बैंकों ने, जिनकी बैंक जमा राशियां लगभग 75 प्रतिशत थीं, अपनी दरों को 25-250 आधार अंक के दायरे में बढ़ाया। सभी श्रेणी के बैंकों में 1 वर्ष तक की परिपक्वता के लिए जमा दरों में वृद्धि सापेक्षिक रूप से तीव्रतर रही।

II.4.9 अप्रैल 2011 में भारतीय पूंजी बाजार में कुछ नयी जान आई जिसे निरंतर एफआइआइ अंतर्प्रवाहों और सुदृढ़ वैश्विक संकेतों से सहायता मिली। लेकिन, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों का बेहतर कार्यनिष्पादन बाजार भावों पर हावी रहा। यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण समस्याओं के जारी रहने तथा वैश्विक स्तर पर अमरीका में अत्यधिक सार्वजनिक ऋण की उच्चतम सीमा को अंतिम रूप देने में विलंब और देशी स्तर पर कुछ प्रमुख कंपनियों की अनुमान से कम आय ने बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया। मई 2011 से शेयर बाजार निस्तेज बने रहे।

II.4.10 चूंकि चलनिधि की अत्यधिक कमी वित्तीय बाजार को अस्थिर कर सकती है तथा वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रति ऋण प्रवाह को रोक सकती है, अतः रिजर्व बैंक ने अपने मौद्रिक रुझान और चलनिधि प्रबंधन के बीच अंतर करना शुरू किया तथा वित्तीय बाजार में सुव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए चलनिधि बढ़ाने वाले उपाय किए (कृपया रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों के ब्यौरे के लिए अध्याय III की सारणी III.3.1 देखें)।

बाजार खंडों के बीच भिन्न-भिन्न मात्रा वृद्धि

II.4.11 वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात जैसे ही वित्तीय बाजार में स्थितियां सामान्य हुईं, वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों में 2010-11 के दौरान लेन-देन की मात्रा में और रिकवरी दिखी (चार्ट II.36)। 2010-11 के दौरान ओवर नाइट मुद्रा बाजार का संपार्श्विकीकृत खंड कुल मात्रा का लगभग 85 प्रतिशत था। वाणिज्यिक पत्र बाजार में आधार दर के तुरंत बाद बड़े-बड़े निर्गम दिखे तथा अक्टूबर 2010 में बाजार मुख्य रूप से पट्टादायी और वित्त तथा विनिर्माण कंपनियों के निर्गमों में तीव्र वृद्धि के कारण शीर्ष पर पहुंच गया।

जमा प्रमाण पत्रों का निर्गम वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान तेजी से बढ़ा जो ऋण की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए और अधिक धन जुटाने हेतु बैंक के प्रयासों को परिलक्षित करता है। ब्याज दर के बढ़ते परिवेश में सरकारी प्रतिभूति बाजार की मात्रा में गिरावट आई।

वित्तीय बाजार में अस्थिरता में कमी







II.4.12 मई 2010 के दौरान बढ़ी हुई अस्थिरता के एक छोटे दौर को छोड़कर भारतीय वित्तीय बाजार में अस्थिरता¹ सामान्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम रही (चार्ट II.37)। मई 2010 के दौरान बढ़ी हुई अस्थिरता के लिए मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि आधिक्य के कमी में बदलने तथा यूरो क्षेत्र के इक्विटी और मुद्रा बाजार में सरकारी ऋण चिंताओं के पुनः प्रकट होने को उत्तरदायी माना जा सकता है।

इक्विटी बाजार बेहतर आय के न होने के कारण दायरे के अंदर बने रहे

II.4.13 2010-11 के दौरान इक्विटी बाजार दायरे के अंदर बने रहे (चार्ट II.38)। 2010-11 की दूसरी और तीसरी तिमाही का मुनाफा 2010-11 की चौथी तिमाही के करेक्शन द्वारा आफसेट हुआ। जुलाई-दिसंबर 2010 के दौरान इक्विटी बाजार में भारी तेजी आई। इस बाजार में मई 2010 में यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण संकट के कारण ऋणात्मक प्रभाव पड़ा था। इस बाजार में यह तेजी मुख्य रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों के बड़े-बड़े निवेशों, बेहतर कंपनी कार्य निष्पादनों तथा सापेक्षिक रूप से मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण थी। 2010-11 की चौथी तिमाही के दौरान इक्विटी बाजार देशी कंपनी लाभप्रदता, कमजोर निवेश वातावरण तथा वैश्विक अनिश्चितताओं की चिंताओं से ग्रसित था। प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से संसाधनों का संग्रहण एक वर्ष पहले की तुलना में अधिक रहा जो मुख्य रूप से अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्तावों (एफपीओ) तथा अधिकार निर्गमों को दर्शाता है (परिशिष्ट सारणी 12)। यद्यपि एक वर्ष पहले की तुलना में 2010-11 में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आइपीओ) की संख्या अधिक थी, लेकिन अलग-अलग निर्गम की राशि कम थी। इक्विटी बाजार में म्यूच्युअल फंडों द्वारा जुटाये गये संसाधन ऋणात्मक रहे जो खुदरा सहभागियों और कंपनियों की मौन सहभागिता को दर्शाते हैं। लेकिन, ऋण खंड में म्यूच्युअल फंडों द्वारा

¹ अस्थिरता का मापन जनरलाइज्ड ऑटोरिग्रेसिव, कंडीशनल हेट्रोस्केडेसिटी (गार्च) मॉडल का प्रयोग करके किया जाता है।

चार्ट II.36: देशी वित्तीय बाजार में गतिविधियां



जुटाए गये संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ गये जिससे बढ़ रहे ब्याज दर वातावरण में संस्थागत निवेशकों की पसंदगी का पता चलता है।





इक्विटी और करेंसी डेरिवेटिव की बढ़ती मात्रा

II.4.14 वर्षों के दौरान डेरिवेटिव खंड अर्थात ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडिड की मौजूदगी एवं भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है (बॉक्स II.8, चार्ट II.39)। इक्विटी बाजार के डेरिवेटिव खंड की

मात्रा 2010-11 के दौरान काफी अधिक बढ़ी लेकिन उसकी यह मात्रा नकदी खंड की मात्रा से काफी अधिक थी। 2010-11 के दौरान इक्विटी डेरिवेटिव का बढ़ा हुआ कारोबार स्टॉक मूल्य सूचकांक में कम अस्थिरता के कारण था।

II.4.15 यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज (यूएसई) द्वारा परिचालन शुरू किए जाने से सितंबर 2010 में करेंसी फ्यूचर्स खंड की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई। यूएसई ने चार करेंसी युग्मों में करेंसी फ्यूचर्स शुरू किये (परिशिष्ट सारणी 13)। इसके पश्चात करेंसी फ्यूचर्स की दैनिक

चार्ट II.37: भारतीय वित्तीय बाजार में अस्थिरता





लेन-देन मात्रा में लगातार क्रमिक वृद्धि हुई। करेंसी फ्यूचर्स बाजार में बढ़ी हुई मात्रा के लिए मुख्य रूप से ये कारण उत्तरदायी हैं: नकद निपटान (जिसके कारण मूल राशि के भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती है), अंतर्निहित एक्सपोजर की आवश्यकता न होने के कारण काल्पनिक हित तथा निरस्तीकरण और रि-बुकिंग पर प्रतिबंध।

आवास के मूल्य बढ़े लेकिन संख्या घटी

II.4.16 तीसरी तिमाही में महानगरों के आवास मूल्यों में मामूली कमी के अल्प चरण को छोड़कर 2010-11 के दौरान आवास मूल्यों में बढ़ोतरी जारी रही, ऐसा नीति दर वृद्धियों के अनुसरण में बंधक दरों के बढ़ने के बावजूद हुआ जैसा कि रिज़र्व बैंक के तिमाही आवास मूल्य सूचकांक

चार्ट II.38: इ क्वटी बाजार में उतार-चढ़ाव



बॉक्स. II. 8

भारत में वित्तीय डेरिवेटिव - वर्तमान स्थिति

भारत में डेरिवेटिव लिखतों का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (2006 में यथासंशोधित) भारतीय रिजर्व बैंक को डेरिवेटिव ओटीसी उत्पादों को विनियमित करने की शक्ति उस स्थिति में प्रदान करता है जब लेनदेन में शामिल कम-से-कम एक पार्टी इसके द्वारा विनियमित हो; एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिवों का संचालन संबंधित एक्स्चेंजों के नियमों द्वारा किया जाता है और इनका निरीक्षण सेबी द्वारा किया जाता है। भारत में वित्तीय संस्थाएं स्वयं के तुलन-पत्रों के प्रबंधन के लिए ओटीसी डेरिवेटिवों का प्रयोग कर सकती हैं जबकि गैर-वित्तीय फर्मों को केवल अपने ऋण आदि जोखिमों से बचाव की अनुमति है।

ओटीसी डेरिवेटिव

वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न प्लेन वनीला ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों को शुरू किया। कैप/फ्लोर/कॉलर जैसे प्रकट/परोक्ष आप्शन विशेषताओं वाले कतिपय स्वैप उत्पादों को अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा स्वैपों, कैपों और कॉलरों और फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स के प्रयोग की अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार को विकसित करने के लिए ऋण चूक स्वैपों और प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 में वायदा दर करारों और ब्याज दर स्वैपों के लिए दिशानिर्देश जारी किए ताकि बैंक, प्राथमिक डीलर और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अपने तुलन पत्र प्रबंधन के लिए इन उत्पादों का प्रयोग कर सकें तथा कंपनियों ब्याज दर जोखिम से बचाव कर सकें। मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर आधारित ओवरनाइट इंडेक्स स्वैपों में वर्षों के दौरान काफी वृद्धि हुई है, यद्यपि ओवरनाइट से अधिक अवधि वाले अन्य बेंचमार्क संभवतः सक्रिय अंतर-बैंक मीयादी मुद्रा बाजार के न होने के चलते प्रचलित नहीं हुए हैं। विदेशी बैंक ब्याज दर स्वैपों पर हवी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा विकसित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर अपने ब्याज दर स्वैप / फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स को रिपोर्ट करें। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड नवंबर 2008 से फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स / ब्याज दर स्वैप लेन-देनों का गारंटी रहित निपटान कर रहा है। ब्याज दर स्वैप / फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स खंड में गारंटीकृत निपटान के भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा शीघ्र शुरू किए जाने की आशा है। सीसीआइएल ने ओटीसी ब्याज दर स्वैप में पोर्टफोलियो कंप्रेशन एक्सरसाइज प्रदान करना भी शुरू कर दिया है जिसका उद्देश्य समग्र आनुमानिक बकायों तथा बकाया संविदाओं की संख्या को कम करना है।

ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव बाजार क्षेत्र में स्वैप खंड सबसे सक्रिय हिस्सा रहा। जुलाई 2003 में अनुमत रुपया विदेशी मुद्रा ऑप्शन्स धीरे-धीरे गति पकड़ रहे हैं।

एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव

भारत में एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव से संबंधित अनुभव मिलाजुला रहा है। जून 2000 में इंडेक्स फ्यूचर्स जैसे इक्विटी डेरिवेटिव शुरू किए गए, इसके बाद जून 2001 में इंडेक्स ऑप्शन और फिर क्रमशः जुलाई 2001 और नवंबर 2001 में अलग-अलग प्रतिभूतियों पर ऑप्शन्स और फ्यूचर्स शुरू किए गए। इक्विटी डेरिवेटिव में उनको आरंभ किए जाने के पश्चात से ही तेज वृद्धि हुई है। डेरिवेटिव से संबंधित संविदाओं का निपटान नकदी भुगतान के माध्यम से किया जाता है और इसमें निहित उत्पादों की वास्तविक सुपुर्दगी शामिल नहीं होती है। इक्विटी डेरिवेटिव बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या बढ़ती रही है और वर्तमान में बाजार के टर्नओवर में इनका लगभग 21 प्रतिशत का योगदान है।

नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज में रुपये-अमरीकी डालर के युग में अगस्त 2008 से शुरू हुए करेंसी फ्यूचर्स की मात्रा में काफी अधिक वृद्धि हुई। जनवरी 2010 को भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय शेयर बाजार और एमसीएक्स ने मुद्राओं के तीन नए युगों नामतः ईयूआर-आइएनआर, जीबीपी-आइएनआर और जेपीवाइ-आइएनआर, में फरवरी 2010 को फ्यूचर्स का लेनदेन आरंभ किया। भारतीय शेयर बाजार में अक्टूबर 2010 को आरंभ किए गए करेंसी ऑप्शन्स की मात्रा और मुक्त ब्याज में काफी वृद्धि हुई।

ब्याज दर फ्यूचर्स में लेनदेन को 7 प्रतिशत नोशनल कूपन वाली 10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर अगस्त 2009 को पुनः आरंभ किया गया जिसके निपटान के लिए वास्तविक डेलिवरी की आवश्यकता होगी। भारत सरकार द्वारा निर्गत 91-दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज दर फ्यूचर्स के लेनदेन को भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2011 को अनुमति दी जिसमें इसके नकदी निपटान की व्यवस्था है। मई 2011 के वार्षिक नीति वक्तव्य में 2 और 5 वर्षों की अवधि वाले ब्याज दर फ्यूचर्स को शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

एक्स्चेंज ट्रेडेड इक्विटी और करेंसी डेरिवेटिव खंड से तुलना करने पर, भारत में ब्याज दर फ्यूचर्स क्षेत्र निष्क्रिय बना हुआ है जबकि दुनिया भर के शेयर बाजारों में समस्त डेरिवेटिव टर्नओवर में इसका हिस्सा 70 प्रतिशत है।



एक्स्चेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव का सन् 2000 से कमोडिटी एक्स्चेंज में लेन-देन किया जा रहा है। वर्तमान में, देश में कार्य कर रहे 22 कमोडिटी एक्स्चेंज अधिकांशतयः फ्यूचर्स का लेन-देन करते हैं।

(एचपीआइ)² द्वारा प्रमाणित है (चार्ट II.40 क और ख)। 2010-11 की दूसरी और तीसरी तिमाहियों के दौरान सौदों की संख्या में गिरावट आई लेकिन चौथी तिमाही के दौरान अधिकांश शहरों में इनमें पुनः गति आई। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, सात शहरों में से

पांच शहरों में सौदों की संख्या में गिरावट आई जबकि छह शहरों में आवास मूल्य बढ़े। मुंबई और दिल्ली में आवास के मूल्य तथा सौदों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़नी जारी रही। 2010-11 के दौरान आवास क्षेत्र ऋण में तिमाही नियोजन में बढ़ोतरी

² रिजर्व बैंक का आवास मूल्य और संख्या सूचकांक संबंधित राज्य सरकारों के पंजीकरण और स्टाम्प विभाग द्वारा एकत्रित सात शहरों के डेटा पर आधारित है।

चार्ट II.39: वित्तीय डेरिवेटिव बाजार में गतिविधियां



जारी रही। ऐसा ब्याज दरों में वृद्धि तथा समष्टि विवेकपूर्ण नीति उपाय जैसे लुभावनी (टीयर) ब्याज दरों के साथ आवास ऋण के लिए प्रावधानन आवश्यकता में वृद्धि, उच्च मूल्य आवास ऋण के लिए जोखिम भारांकों में वृद्धि तथा उच्च मार्जिन के अनुमान के बावजूद हुआ।

वास्तविक विनियम दर में वृद्धि मुद्रास्फीति अंतरों को परिलक्षित करती है

II.4.17 2010-11 के दौरान जब एशिया के कई देशों ने पूंजी नियंत्रण का सहारा लिया, तब भारत ने विदेशी मुद्रा खरीद / बिक्री अथवा सक्रिय पूंजी खाता प्रबंधन के माध्यम से बहुत कम हस्तक्षेप किया। रुपया डॉलर विनियम दर में प्रति अमरीकी डॉलर 44.03 - 47.58 रुपयेके दायरे में दुतरफा उतार-चढ़ाव दिखा (चार्ट II.41)। वर्ष के दौरान अमरीकी डॉलर की तुलना में औसत आधार पर रुपये के मूल्य में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिकांश मूल्य वृद्धि सुदृढ़ इक्विटी अंतर्वाहों के कारण दूसरी तिमाही के दौरान हुई। औसत आधार पर, 2010-11 में 6 - मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनियम

दर (आरईआर) में 13.1 प्रतिशत की, 30- मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनियम दर में 4.5 प्रतिशत की और 36- मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनियम दर में 7.7 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई। अन्य सूचकांकों की तुलना में 6- मुद्रा सूचकांक में अधिकतम मूल्य वृद्धि हुई जिससे इन देशों में उच्चतर मुद्रास्फीतिक अंतर का पता चलता है (परिशिष्ट सारणी 14)।



वित्तीय प्रणाली बैंक प्रधान बनी रही

II.4.18 भारतीय वित्तीय प्रणाली मुख्य रूप से एक बैंक प्रधान प्रणाली है। बैंकों की प्रधानता संकट अवधि के बाद और बढ़ गई है जिससे यह पता चलता है कि बचतों को सुरक्षित स्थान में रखने की पसंदगी बढ़ती जा रही है (बॉक्स II.9)।


वित्तीय बाजार बैंकिंग संकेतकों का पूरी तरह से अनुकरण नहीं कर पाते हैं

II.4.19 बाजार शक्तियों के साथ इंटरफेस होने के कारण बैंकिंग प्रणाली सामान्य रूप से वित्तीय बाजार गतिविधियों से जुड़ी

चार्ट II.40: आवास मूल्यों में उतार-चढ़ाव और लेनदेन



चार्ट II.41: विनिमय दर और वायदा प्रीमियम



रहती है जिससे बाजार जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ सकता है और चूकें भी हो सकती हैं। लेकिन, भारत में बैंक संकट अवधि के दौरान भी आघात-सहनीय बने रहे


और उन्हें निधीयन तथा परिपक्वता जोखिमों का उतना सामना नहीं करना पड़ा जितना कि वैश्विक बैंकों को करना पड़ा (बॉक्स II.10)। लेकिन, भारत में बैंकों के ऋण चूक स्वैप और

बॉक्स II.9

गैर-बैंक वित्तीय की प्रवृत्तियां - क्या वित्तीय प्रणाली अभी भी बैंक प्रधान है?

भारत में वाणिज्यिक बैंकों के पास वित्तीय प्रणाली की कुल आस्तियों का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है (चार्ट 1)। वित्तीय प्रणाली के अन्य प्रमुख घटकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा संस्थाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सहकारी बैंक और म्यूच्युअल फंड शामिल हैं, इनको उनकी आस्तियों के हिस्से के अवरोही क्रम में रखा गया है।

मार्च 2009 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पास बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग 72 प्रतिशत था। यह इस बात का प्रमाण है कि सुविचारित सरकारी समर्थन से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास आस्तियों का अंतर्वाह तेजी से हुआ है। वित्तीय प्रणाली में बैंकों की प्रधानता वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह से भी स्पष्ट है (सारणी 1)। वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक ऋण का प्रवाह 2010-11 में तेजी से बढ़कर 58.5 प्रतिशत हो गया जिससे 47.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।



सारणी 1: वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. बैंकों से प्रवाह	4,44,807 (44.5)	4,21,091 (48.3)	4,78,614 (44.8)	7,11,031 (58.2)
ख. गैर बैंकों से प्रवाह (क1 + ख2)	5,54,333 (55.5)	4,51,399 (51.7)	5,88,784 (55.2)	5,11,006 (41.8)
ख1. देशी संसाधन	2,47,926 (24.8)	2,58,132 (29.6)	3,65,214 (34.2)	2,92,084 (23.9)
ख2. विदेशी संसाधन	3,06,407 (30.7)	1,93,267 (22.2)	2,23,570 (20.9)	2,18,922 (17.9)
ग. संसाधनों का कुल प्रवाह (क + ख)	9,99,140 (100.0)	8,72,490 (100.0)	10,67,398 (100.0)	12,22,037 (100.0)

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल संसाधन में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

बॉक्स II.10

बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों पर वित्तीय बाजार की गतिविधियों का प्रभाव

हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के आकार में काफी अधिक वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र की सुदृढ़ता बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट के दौरान भी बनी रही है। बैंकों पर सब-प्राइम संकट का प्रभाव रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिचक्र्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों के कारण हानिग्रस्त आस्तियों में सीमित एक्सपोजर के चलते लगभग नगण्य रहा।

बैंकों पर वित्तीय बाजार गतिविधियों का प्रभाव उनके विभिन्न सुदृढ़ता संकेतकों अर्थात् आस्ति पर प्रतिफल (आरओए), पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रुझान में परिलक्षित हुआ। बैंकिंग प्रणाली के कुछ सुदृढ़ता संकेतकों में संकट की अवधि के दौरान काफी अधिक आघात - सहनीयता दिखी (सारणी 1)। ब्याज दरों के बढ़ने और गिरने के

चरण के दौरान अग्रिमों और निवेशों का प्रतिफल विपरीत दिशा में चला। परिणाम के रूप में, बैंक अपने पोर्टफोलियो का समुचित समायोजन करके अस्थिर बाजार में स्थिर आस्ति पर प्रतिफल (आरओए) अर्जित कर सके, जबकि बैंकों ने सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता और पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) का उच्च स्तर बनाये रखा।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के स्थिर कार्य निष्पादन और अच्छी स्थिति ने उन महत्वपूर्ण पहलों में बाधा नहीं डाली है जिनको बैंकों की परिचालन क्षमता को और बढ़ाने के लिए किये जाने की आवश्यकता हुई है। वित्तीय बाजार की गतिविधियों के कारण प्रकट हो रहे अदृश्यों जोखिमों का सामना करने के लिए प्रतिचक्र्रीय विवेकपूर्ण विनियामक ढांचे को मजबूत करने तथा पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सारणी 1: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का आकार और सुदृढ़ता

वर्ष	सकल देशी उत्पाद की तुलना में बैंकिंग आस्तियां	आस्ति पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अग्रिम पर प्रतिफल	सकल अनर्जक आस्तियां	पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्ति अनुपात
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	72.4	1.01	7.9	8.1	5.2	12.8
2005-06	75.6	1.01	7.7	8.2	3.3	12.3
2006-07	80.6	1.05	7.2	8.9	2.5	12.3
2007-08	86.8	1.12	7.3	8.9	2.3	13.0
2008-09	93.8	1.13	7.0	9.9	2.3	13.2
2009-10	92.0	1.05	6.6	9.3	2.4	13.6
औसत	83.5	1.10	7.3	9.2	3.0	12.8
मानक विपथन	8.7	0.05	0.46	0.95	1.14	0.51

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, विभिन्न अंक।
भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणियां, विभिन्न अंक।

शेयर मूल्यों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर वैश्विक रुझान के समानांतर बने रहे, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजार के साथ उनके बढ़ रहे एकीकरण का पता चलता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का वित्तीयन आगे चुनौती प्रस्तुत करेगा

II.4.20 वित्तीय बाजार की गतिविधियां और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के यथेष्ट तुलन-पत्र वित्तीय मध्यस्थता की पूर्व आवश्यकताएं हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी को पूरा किया जा सकेगा (बॉक्स II.11)।

बॉक्स II.11

इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीयन

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ी रुकावट है। यह सर्वविदित है कि खराब और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है, पूंजी की उत्पादकता प्रभावित हो रही है और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आ रही है (सुब्बाराव, 2009)। योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 40,99,240 करोड़ रुपये (लगभग 1,025 बिलियन अमरीकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता का अनुमान किया है, जिसे राजकोषीय दबावों के चलते केवल सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर में सकल पूंजी निर्माण जीडीपी के लगभग 5 प्रतिशत के आस-पास रहा है और 2012 तक इसके 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के जीडीपी

के 9 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रहने की संभावना है, यह लक्ष्य कुछ एशियाई देशों द्वारा प्राप्त स्तर के भी बराबर है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंक ऋण के हिस्से में काफी वृद्धि हुई है और यह मार्च 2001 के अंत के 2.2 प्रतिशत के सकल बैंक ऋण से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में लगभग 13.4 प्रतिशत हो गया है। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गए ऋण में आस्ति-देयता अंतर के जोखिम की विवशताएं हैं।

वैश्विक रूप से कंपनी बांड बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तीयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में कंपनी बांड बाजार कम विकसित है और सूचीबद्ध गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण का स्टॉक मलेशिया, कोरिया और चीन जैसी अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम अर्थात् सकल देशी उत्पाद का 2 प्रतिशत (जारी...)

(... समाप्त)

है। कंपनी बांड बाजार विकसित करने के लिए जिन उपायों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वे हैं: विदेशी संस्थागत निवेशकों को विदहोल्डिंग कर से छूट, राज्यों में स्टाम्प शुल्क का युक्तीकरण, पासथ्रू प्रमाण पत्रों का कर संव्यवहार, बांड और डिबेंचरों के परिभाषागत अंतरों का समाधान, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि/पेंशन/प्रैज्युटी निधियों के द्वारा निवेश की गुंजाइश में वृद्धि, भविष्य में सूचीबद्ध होने वाले बांडों में निवेश के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति, बीमा कंपनियों और म्यूच्युअल फंडों द्वारा रिपो उधार, सभी कंपनियों द्वारा रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए एकल संयुक्त डेटाबेस तथा बैंकों द्वारा आंशिक ऋण वृद्धि। इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड / ऋण का प्रतिभूतीकरण, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के ऋण वित्तपोषण की मात्रा को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के पास इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड/ऋण की प्रतिभूतियों को समूहित करने और उन्हें संस्थागत तथा फुटकर निवेशकों को उनके अनुमानित जोखिम के आधार पर बेचने की क्षमता है। क्रेडिट डेरिवेटिव और क्रेडिट बीमा से यह भी अपेक्षित है कि वे सक्षम जोखिम अंतरण-प्रणाली उपलब्ध कराएंगे और इस तरह से वे कारपोरेट बांड बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण चूक स्वैप पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें 24 अक्टूबर 2011 से लागू किया जाएगा। ऋण चूक स्वैप बीमाकर्ताओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों और म्यूच्युअल फंडों के साथ-साथ कंपनियों को कंपनी बांडों की चुकौती में चूक के जोखिम से हेज करेगा। निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे वे उच्च अपेक्षित प्रतिफलों के बदले जोखिम के उच्च स्तरों को स्वीकार करें। अंतरण वित्तपोषण, जो बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की मात्रा बढ़ाने का महत्वपूर्ण और नवोन्मेषी तरीका है और साथ ही यह आस्ति-देयता प्रबंधन में भी सहूलियत प्रदान करता है, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है तथा इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में विदेशी स्रोत इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्त पोषण में देशी वित्तपोषण के पूरक का काम कर रहे हैं। कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रतिशत के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा 2002-03 के 4 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में बढ़कर 16.7 प्रतिशत हो गया है।

V. सरकारी वित्त

निम्नतर संयुक्त राजकोषीय घाटा केंद्र और राज्य वित्तों में सुधार प्रतिबिंबित करता है, परंतु उसकी धारणीयता के लिए और सुधार आवश्यक है

11.5.1 केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त में वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान (संशोधित अनुमान) घाटे के प्रमुख संकेतकों के अनुसार स्पष्ट सुधार हुआ। सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा 2009-10 के 9.3 प्रतिशत से काफ़ी घटकर 2010-11 में 7.7 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट सारणी 15)। संयुक्त राजस्व घाटे में भी पर्याप्त कमी आई। केंद्र और राज्य - दोनों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के

सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भागीदारी दुनियाभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण का एक प्रमुख तरीका रही है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भागीदारी को टेलीकॉम, एयरपोर्ट और रोडवेज को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों में कम प्रोत्साहन मिला है, जबकि ऐसी भागीदारी में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है। इस संबंध में कई कारक जिम्मेदार हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिससे समय और लागत को प्रभावी तरीके से कम किया जा सके, उदाहरणार्थ परियोजना मूल्यांकन क्षमता में कमी, जोखिम सहभागिता प्रणाली को ज्यादा-से-ज्यादा विकसित करने में आने वाली समस्याएं, बोली लगाने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी, विनियामक अधिकार-क्षेत्रों का अतिव्यापन, और अभिशासन की चिंताएं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली ऐसी परियोजनाओं के लिए, जो आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं किंतु वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में और दीर्घावधिक ऋण के रूप में, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (यूके), जो इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों में काफ़ी ढील दी है और इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त के लिए कई विनियामक रियायतों को भी आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा उन कारपोरेट बांडों में निवेश करने के लिए सीमा को बढ़ाकर 25 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कंपनियों द्वारा जारी पांच वर्ष से अधिक अवधि परियोजना वाले हैं।

संदर्भ :

दीपक पारेख रिपोर्ट (2007), दिरिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, योजना आयोग, नई दिल्ली।

आर्थिक सर्वेक्षण, 2010-11

आर.एच. पाटिल समिति (2005), कारपोरेट बांडों और प्रतिभूतीकरण पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सुब्बाराव, दुव्वुरी (2009), शुड बैंकिंग बी मेड बोरिंग? - एन इंडियन पर्सपेक्टिव। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, दिसंबर।

मार्ग पर लौटने के कारण राजकोषीय घाटे के अनुपात और कम हुए। तथापि ये अनुपात अभी भी 2007-08 के स्तर से पर्याप्त ऊपर हैं।

11.5.2 व्यय की वृद्धि में प्रत्याशित कमी के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बजटों में और अधिक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर विचार किया जा रहा है। सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे में 2011-12 में और गिरावट आने का अनुमान है। तथापि, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठित प्रयास आवश्यक होंगे ताकि विशेष रूप से पण्य और ईंधन की वैश्विक कीमतों ऊंची रहने की स्थिति में सब्सिडी पर अधिक व्यय से 2011-12 में उत्पन्न होने वाली राजकोषीय गिरावट की स्थिति को टाला जा सके।

11.5.3 फिर भी वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नतर घाटे की धारणीयता के लिए राजकोषीय सुधारों के क्षेत्र में पर्याप्त नये उपायों की आवश्यकता है, क्योंकि 2011-12 में हुए सुधार राजस्व में चक्रिय उछाल और एकबारगी लाभों के कारण हुए हैं। राजकोषीय स्थिति में धारणीय सुधार के लिए व्यय में और कमी लाने तथा राजस्व बढ़ाने वाले उपाय करने आवश्यक होंगे।

केंद्र का निम्नतर घाटा एकबारगी अपूर्वानुमानित राजस्व और उच्चतर नाममात्र सकल देशी उत्पाद वृद्धि प्रतिबिंबित करता है

11.5.4 वैश्विक वित्तीय संकट के घटित होने से वृद्धि की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई विस्तारवादी राजकोषीय नीति के रुझानों के कारण 2008-09 और 2009-10 के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त गिरावट आई। तथापि 2010-11 के दौरान सरकार आर्थिक रिकवरी के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा में कमी करके राजकोषीय सुदृढीकरण के रास्ते पर लौट आई। पूर्वानुमान से अधिक करेतर राजस्व की वसूली और सकल देशी उत्पाद का लाभ प्राप्त होने के कारण केंद्र के प्रमुख घाटे/सकल देशी उत्पाद के अनुपात में, मूल बजट अनुमान की तुलना में, संशोधित पूर्वानुमान में कमी आ गई (चार्ट II.42ए और बी)। वर्ष 2010-11 के लिए संशोधित पूर्वानुमान यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार की प्राप्तियां, बजट अनुमान से अधिक बेहतर साबित हुईं, जो घरेलू आर्थिक गतिविधि में उछाल जारी रहने और उपलब्ध कराई जाने वाली राजकोषीय सहायता की मात्रा में आंशिक कमी किए जाने के बाद, अप्रत्यक्ष कर दरों में वृद्धि के सूचक हैं। तथापि, कुल व्यय बजट अनुमान के स्तर से बढ़ गया। ऐसा 3 जी/ब्रांडबैंड वायरलेस ऐक्सिस की नीलामी से प्राप्त आशा से अधिक राजस्व का उपयोग प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का अधिकार



अधिनियम का कार्यान्वयन, राज्यों को योजनागत सहायता और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण) में बढ़ी हुई लागत का वित्तपोषण करने के सरकार के निर्णय के कारण हुआ। इसके बावजूद, सकल देशी उत्पाद से आशा से अधिक लाभ प्राप्त होने के कारण कुल व्यय-सकल देशी उत्पाद अनुपात वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान के भीतर रहा।

11.5.5 महालेखानियंत्रक से प्राप्त अनंतिम आँकड़ों से वर्ष 2010-11 में केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति में अपेक्षित सुधार की पुष्टि होती है। अनुमान से अधिक राजस्व प्राप्तियों और योजना व्यय में कमी के कारण घाटे के मुख्य संकेतकों का अनुमान, संशोधित अनुमानों की तुलना में अनंतिम लेखे में कम हो गया। निम्नतर राजकोषीय असंतुलन के कारण सरकार के ऋण-सकल देशी उत्पाद अनुपात में 2010-11 के दौरान कमी आई, जिससे समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए होने वाले जोखिमों को नियंत्रित रखा जा सका।

11.5.6 तथापि राजकोषीय सुधार की आवश्यकता अभी भी बरकरार है। व्यय को कम करने और सरकारी निवेशों पर बेहतर प्रतिफल की प्राप्ति के माध्यम से सुधार जारी रखने को प्रभावी राजकोषीय रणनीति की आधारशिला बनाना होगा। मध्यावधि से दीर्घावधि तक एकबारगी राजस्व उगाही के उपायों की स्पष्ट सीमाएं भी हैं।

11.5.7 व्यय वृद्धि 2010-11 के बजट अनुमान से उच्चतर रही जिससे कुल माँग पर दबाव बना रहा। सब्सिडी पर (मुख्यतः खाद्यान्न, उर्वरक और पेट्रोलियम) कुल व्यय के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से अधिक रहे जो इन पण्यों के उच्चतर अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करते हैं। पूँजी व्यय, योजनागत और गैर-योजनागत - दोनों, 2010-11 के बजट अनुमान से अधिक रहे। कुल मिलाकर

चार्ट II.42 : घाटे के प्रमुख संकेतक



व्यय में वृद्धि न केवल 2010-11 के बजट अनुमान से अधिक रही, बल्कि 2009-10 की तुलना में उसकी गति भी तेज हो गई।

राज्य सरकारों ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पुनः आरंभ किया

11.5.8 राज्य सरकारों ने 2008-09 और 2009-10 में बाधा झेलने के बाद 2010-11 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की (परिशिष्ट सारणी 16)। 28 राज्यों के वर्ष 2010-11 के बजटों पर आधारित संशोधित अनुमान राज्य मुख्य घाटा अनुपात में कमी दर्शाते हैं। इससे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति राज्य सरकारों की वचनबद्धता स्पष्ट होती है। आगे चलकर, राज्यों द्वारा 2011-12 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को जारी रखे जाने की संभावना है क्योंकि 2009-10 और 2010-11 के दौरान राजस्व खाते के घाटे में रहने के बाद अधिशेष में परिवर्तित होने की संभावना है, जबकि सकल राजकोषीय घाटा-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और घट जाने की संभावना है।

11.5.9 भिन्न-भिन्न किस्म के विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि 2011-12 में राज्यों के राजस्व लेखाओं में बजट-अनुमानित सुधार मुख्यतः राजस्व व्यय में गिरावट के कारण हैं, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ-सकल देशी उत्पाद अनुपात थोड़ी अधिक रहने की उम्मीद है। तथापि राजस्व व्यय की वृद्धि में कमी का मुख्य कारण विकास व्यय की वृद्धि (जिसमें सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ शामिल हैं) में तीव्र गिरावट कहा जा सकता है। राजस्व लेखाओं में सुधार के अनुरूप, राज्यों के सकल राजकोषीय घाटा-सकल देशी उत्पाद अनुपात के 2011-12 (बजट अनुमान) में कम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। 2011-12 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पूँजी परिव्यय 2.2 प्रतिशत के स्तर पर है जो अभी भी 2006-07 से 2008-09 के दौरान प्राप्त उच्च स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। समग्र रूप से, राज्य अपने वित्तों को मध्यम अवधि में कायम रखने योग्य स्तर पर लाने के लिए वचनबद्ध दिखाई दे रहे हैं और वर्तमान में उनके द्वारा उठाया गया कदम तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाये गये मार्ग के आस-पास प्रतीत होता है।

समष्टि स्थिरता के लिए और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण आवश्यक है


11.5.10 वर्ष 2007-08 तक नियम-आधारित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के चलते सरकारी वित्त में हुए सुधार की वजह से केंद्र और राज्यों को यह अवसर मिला कि वे वृद्धि में आई कमी से निपटने के लिए 2008-09 और 2009-10 के दौरान राजकोषीय विस्तार कर सकें। 2010-

11 में राजकोषीय स्थिति में हुए सुधार के बावजूद राजकोषीय घाटा संकेतक संकट-पूर्व के स्तर तक नहीं पहुँच पाए। कम मुद्रास्फीति और समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए इन संकेतकों में कमी करना आवश्यक है। आगे चलकर, सरकार के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को तेज करना अवश्यंभावी है। तदनुसार, विचारित कर सुधारों - प्रत्यक्ष कर कोड तथा माल और सेवा कर - के साथ अधिक कठोर व्यय सुधार जारी रखने होंगे। व्यय सुधारों को, व्यय में अपने आप होने वाली वृद्धि को नियंत्रित रखने और उसके स्वरूप में संरचनात्मक बदलाव लाने की ओर निर्देशित किया गया है (बॉक्स II.12)।

केंद्र की व्यय द्वारा चालित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रणनीति चुनौतीपूर्ण हो सकती है

11.5.11 केंद्र सरकार की वर्ष 2011-12 के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण नीति मुख्यतः व्यय से चालित है जो वेतन, पेंशन और सब्सिडी पर होने वाले व्यय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि का सूचक है। विशेष रूप से ब्याज सब्सिडी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी में 2011-12 में कमी आने का बजट में अनुमान किया गया है (चार्ट II.43)। सब्सिडियों की प्रणाली में सुधार लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके साथ ही, राजस्व संबंधी पूर्वानुमानों के मामले में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया। यद्यपि यूनियन बजट 2011-12 में अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर संकट से पूर्व प्रचलित स्तरों तक न ले जाने का विकल्प चुना गया है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क को मानक दर

चार्ट II. 43 : केंद्र सरकार की मुख्य सब्सिडियाँ



बॉक्स II.12

राजस्व और व्यय सुधार - सुदृढ़ और व्यापक वृद्धि के लिए राजकोषीय परिवेश में सुधार लाना

वृद्धि में सुधार लाना, उसे व्यापक बनाना और राजकोषीय घाटा कम और कायम रखे जाने योग्य स्तर पर रखना (ये सभी) आर्थिक नीतियों के लिए वांछनीय लक्ष्य हैं। फिर भी यह माना जाता है कि उनका आपस में सामंजस्य नहीं हो सकता। तथापि धारणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाकर इन विभिन्न लक्ष्यों को अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। वृद्धि और इक्विटी (दोनों) संबंधी उद्देश्यों को, सरकार के राजस्व और व्यय के बीच संतुलन स्थापित करके पूरा किया जा सकता है जिसके लिए राजस्व और व्यय सुधार करना जरूरी है।

भारत में कुछ समय से राजस्व सुधार किए जा रहे हैं। दरों की संख्या कम की गई है, कर की दरें भी कम की गयी हैं और कर के आधार विस्तृत बनाये गये हैं। सेवा और उत्पाद करों को मिलाकर (एक कर बनाकर) उनकी मानक दर अब 10 प्रतिशत कर दी गई। 1980 के दशक के अंत में जो सीमा-शुल्क 300 प्रतिशत से अधिक के चरम स्तर पर था उसे, मध्यम अवधि में, विभिन्न शुल्कों को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के देशों में प्रचलित स्तर पर लाने की वचनबद्धता के एक अंग के रूप में, कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है। मुख्य उपलब्धियों में 1994 में सेवा कर लागू किया जाना और 2004-08 के दौरान राज्यों द्वारा मूल्य योजित कर का प्रारंभ किया जाना शामिल हैं।

राज्य वेट के वर्तमान ढांचे में कुछ ऐसे तत्व हैं जो तेजी से फैलते हैं। तथापि, माल और सेवा कर के शुरू होने के साथ ही लगातार सेट-ऑफ के जरिए केंद्रवैट और सेवा कर के तेजी से बढ़ते प्रभाव के खत्म होने की संभावना है। माल और सेवा कर कर्दादातों को तो लाभ देगा ही, यह सरकारों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तेरहवें वित्त आयोग (2009) ने यह अनुमान लगाया कि माल और सेवा कर भारत के सकल देशी उत्पाद को 0.9 से 1.7 प्रतिशत के रेंज में लाभ प्रदान करेगा। अतिरिक्त सकल देशी उत्पाद और बेहतर कर अनुपालन से राजस्व प्राप्ति भी बहुत ज्यादा होने की संभावना है। तब बजट संसाधनों के माध्यम से व्यापक वृद्धि कार्यक्रमों का विस्तार करना संभव होगा।

प्रत्यक्ष कर कोड सकल देशी उत्पाद को बढ़ाने, कर-सकल देशी उत्पाद अनुपात को बढ़ाने और प्रत्यक्ष करों की आबंटन दक्षता तथा निष्पक्षता (राज्यों के बीच आपस में तथा केंद्र और राज्यों के बीच) लाने में योगदान देगा जिससे प्रशासनिक और अनुपालन लागत में कमी आएगी (भारत सरकार, 2009)। छूटों को कम करने, कर आधार बढ़ाने, कर दरों को कम करने और प्रभावी कार्यान्वयन को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष कर कोड के कारण वर्तमान आयकर और संपत्ति कर अधिनियमों को निरस्त करना पड़ेगा। इस कोड में लाभ से जुड़ी कटौतियों को समाप्त करने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए निवेश से जुड़ी कटौतियों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

कर सुधारों के ये दोनों महत्वपूर्ण स्तंभ राजनीतिक मतैक्य न बन पाने तथा परिचालनात्मक ब्योरो के संबंध में मतैक्य के अभाव में स्थगित रखे गये हैं। हमारी राजकोषीय प्रणाली के संघीय ढांचे के कारण कर सुधार और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गए हैं जिसके अंतर्गत सभी संबंधित पक्षों द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना जरूरी है। तथापि, माल और सेवा कर और प्रत्यक्ष कर कोड बिना किसी विलंब के प्रारंभ करने की आवश्यकता है। इन कर सुधारों से राज्य और केंद्र - दोनों को लाभ होगा। कर सुधारों के साथ-साथ राजस्व बढ़ानेवाले अन्य उपायों की आवश्यकता होगी। सरकारी निवेशों पर अधिक प्रतिफल मिलने से इसमें सहायता मिल सकती है। सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं का बेहतर अभिशासन (विशेष रूप से छोटे स्तरों पर) राजकोषीय असंतुलनों को दूर करने में बहुत सहायक हो सकता है। हो रहे नुकसानों को रोकने के साथ-साथ उचित उपयोक्ता प्रभार निश्चित करना आवश्यक है। राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है। राजकोषीय स्थिति को सही रास्ते पर बनाये रखने के लिए केवल राजस्व सुधार पर्याप्त नहीं हैं। व्यय में कटौती करना भारत में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का सर्वप्रमुख

उपाय है। जहाँ एक ओर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के तौर-तरीके और गति विभिन्न देशों में अलग-अलग रहे हैं, वहीं व्यय संबंधी सुधार महत्वपूर्ण घटक हो गए हैं। बारिओज और अन्य विद्वानों ने यह पाया है कि सरकारी व्यय में कटौतियों को आधार बनाकर किए गए सुदृढ़ीकरण अधिक प्रभावी होते हैं। वे राजकोषीय व्यय में कटौती की राजनीतिक इच्छाशक्ति के संबंध में विश्वासोत्पादक संकेत भेजते हैं और साथ ही उसकी मध्यावधिक व्यवहार्यता भी सुनिश्चित करते हैं। कई देशों में व्यय सुधारों के कारण अंतरणों, सब्सिडी और सरकारी खपत पर व्यय में कटौती करके, राजकोषीय समायोजन के बड़े लक्ष्य प्राप्त किये गए हैं और साथ ही शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए पहले जैसे ही पर्याप्त आबंटन भी सुनिश्चित किए गए हैं (हॉटमियर और अन्य 2007)।

भारत में किए गए व्यय सुधारों का उद्देश्य व्यय में अपने-आप हो रही वृद्धि को नियंत्रित रखना और उसके स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन लाना है। इस संबंध में पिछले कई वर्षों में किए गए अनेक उपायों का उद्देश्य मानवशक्ति की आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाना और चल रही योजनाओं की लाभप्रदता का मूल्यांकन करना है। निरंतर आधार पर वचनबद्ध व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए नयी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस प्रक्रिया में वर्तमान सब्सिडी प्रणाली की समीक्षा भी निहित थी। उदाहरण के लिए, सरकार यूरिया की फुटकर कीमतों में वृद्धि करने के साथ, उर्वरक क्षेत्र में पोषक-आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की ओर धीरे-धीरे बढ़ रही है। केरोसीन और उर्वरकों के मामले में अधिक दक्षता, लागत में कमी और बेहतर वितरण-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चरणबद्ध तरीके से नकदी सब्सिडी सीधे ही अंतरित करने की दिशा में बढ़ने के संबंध में बहस आरंभ कर दी है। पेट्रोलियम संबंधी सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने जून 2010 में पेट्रोल की कीमतों के निर्धारण पर से नियंत्रण हटा लिया। तथापि, ये उपाय पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि तेल, उर्वरक और खाद्य सब्सिडी की मात्रा अभी भी बहुत अधिक है। 2010-11 में सकल देशी उत्पाद में कुल सब्सिडी का हिस्सा 2.1 प्रतिशत था जो 2006-07 में जीडीपी के 1.3 प्रतिशत के कहीं अधिक था। अतः व्यय संबंधी सुधार और तेजी से किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में डीजल और अन्य इंधनों की कीमतों का विनियमन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।

व्यापक वृद्धि के उद्देश्य हेतु राजस्व संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व और व्यय संबंधी सुधार और तेज गति से किये जाने की आवश्यकता है। सरकार की व्यापक वृद्धि संबंधी रणनीति से लोगों को रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा, शिक्षा और सूचना के संबंध में कानूनी अधिकारों के माध्यम से अधिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इन वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी राशि खर्च करना आवश्यक होगा जिसके लिए एक स्थिर, दक्ष और व्यापक आधार वाली कर-प्रणाली की आवश्यकता है जो समग्र कारोबारी वातावरण के लिए अनुकूल होगी।

संदर्भ :

बारिओएस, एस., एस. लागेडिक और एल आर पेन्च (2010), “ईयू फिस्कल कॉनसॉलिडेशन आफ्टर दी फाइनेन्शियल क्राइसिस : लेसन्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियेन्सेस”, यूरोपीयन इकॉनॉमी इकॉनॉमिक पेपर नं. 418, ड्राइरेक्टरेट जनरल फॉर इकॉनॉमिक एण्ड फाइनेन्शियल अफेअर्स, ब्रूसेल्स।

एम्पॉवर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर्स (2009) : फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया, नवंबर, नयी दिल्ली।

भारत सरकार (2009), प्रत्यक्ष कर कोड, डिस्कशन पेपर, वित्त मंत्रालय, अगस्त।
हॉटमियर, सेबेस्टियन, मार्टिन हेपर्ट्ज और लजर स्कूकेनेट (2007), “एक्सेंडीचर रिफॉर्म इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज : ए केस स्टडी एप्रोच, वर्किंग पेपर सिरीज नं. 634, यूरोपीयन सेंट्रल बैंक, मई।

पर और सेवा कर को 10 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है, फिर भी केंद्र सरकार ने कर को तर्कसंगत बनाने के उपाय घोषित किए हैं जिनके कारण विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित मूल्यों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा।

II.5.12 गैर-योजना राजस्व व्यय की वृद्धि में कमी लाना अभिनंदनीय है क्योंकि उससे अन्य मदों पर पैसा खर्च करने का अवसर मिलता है। तथापि पूँजी व्यय, जिसके बजट में 2011-12 के दौरान कम होने का अनुमान किया गया है, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता के बारे में चिंताएं उत्पन्न कर रहा है।

II.5.13 सरकार यह मानती है कि 2010-11 के राजकोषीय सुधार से, स्पेक्ट्रम की नीलामी से आशा से अधिक राजस्व प्राप्त संबंधी एकबारगी अप्रत्याशित लाभ द्योतित होता है जो 2011-12 में असंभव है। 2011-12 के केंद्रीय बजट में राजस्व के एकबारगी ऐसे किसी स्रोत का ध्यान नहीं रखा गया है तथा कर में उछाल के बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण रखा गया है।

II.5.14 आगे चलकर, विश्वसनीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रणनीति ऋण-सकल देशी उत्पाद अनुपात को धारणीय स्तर पर बनाये रखने सहायक होगी। इस संबंध में, 2010-11 में केंद्र के ऋण-सकल देशी उत्पाद अनुपात कम होकर 50 प्रतिशत से कम हो जाना एक सकारात्मक बात है। ऋण के समेकन की संशोधित प्रणाली के अनुसार, जिसके अंतर्गत सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए प्रयोग न की गई देयताओं को अलग कर दिया जाता है और बाह्य ऋण की गणना वर्तमान विनिमय दरों पर की जाती है, बजट में केंद्र के ऋण-सकल देशी उत्पाद अनुपात के 2011-12 के दौरान घटकर 44.2 प्रतिशत पर आ जाने का बजट अनुमान है।

अन्य क्षेत्रों पर सब्सिडी के संभावित प्रभाव 2011-12 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए चुनौती हैं

II.5.15 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति केंद्र सरकार की वचनबद्धता के बावजूद, इस संबंध में होने वाली प्रगति कुछ बातों पर निर्भर है। पहला, 2011-12 के दौरान व्यय की वृद्धि में कमी, अंतरराष्ट्रीय उर्वरक और पेट्रोलियम मूल्यों में 2011-12 के दौरान कोई भारी उतार-चढ़ाव न होने की अंतर्निहित धारणा के आधार पर, 2011-12 के लिए अपेक्षाकृत कम सब्सिडी व्यय के कारण हुई। तथापि, बाद के घटनाक्रमों ने कच्चे तेल और उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का संकेत दिया जिससे का सब्सिडी संबंधी व्यय पर काफ़ी प्रभाव

पड़ सकता है। यद्यपि डीजल, पीडीएस केरोसिन और एलपीजी की घेरलू कीमतों में 24 जून 2011 को आंशिक रूप से संशोधन कर दिया गया है, तथापि पेट्रोलियम सब्सिडी का अनुमानित स्तर 2011-12 के बजट अनुमान के स्तर से अधिक रहने की संभावना है। पेट्रोल उत्पादों पर सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिए जाने/कम कर दिए जाने पर राजस्व घाटा होगा और इससे राजकोषीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, आर्थिक वृद्धि में कमी लाने वाले अनेक देशी और अंतरराष्ट्रीय जोखिमों को देखते हुए, यदि वृद्धि में मंदी आती है तो कर राजस्व की वसूली की मात्रा में कमी से इनकार नहीं किया जा सकता। तथापि, इस कमी के परिणामस्वरूप तेल की कीमतें गिर सकती हैं जिससे सब्सिडी पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गति और स्वरूप मध्यम अवधि में चिंता का कारण बना रहेगा

II.5.16 मध्यम अवधि में, केंद्र सरकार ने 2012-13 और 2013-14 के लिए निर्धारित अपने चल लक्ष्यों के अंतर्गत राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में धीरे-धीरे सुधार लाने पर ध्यान दिया है। यद्यपि राजकोषीय घाटे संबंधी चल लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव प्रतीत होता है, फिर भी वर्तमान समय में राजस्व संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना चुनौती भरा काम होगा। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मध्यम अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कमी आ सकती है। राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 में वर्ष 2011-12 के दौरान संशोधन किए जाने की उम्मीद है, जो अगले पाँच वर्षों के लिए राजकोषीय रोडमैप निर्धारित करेगा। संकटपूर्व अवधि में कई उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निश्चित किए गए राजकोषीय नियमों की भी समीक्षा की जा रही है (बॉक्स II.13)।

दीर्घावधिक वृद्धि पर राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के प्रभाव पड़ सकते हैं

II.5.17 राजस्व व्यय की वृद्धि पर नियंत्रण से न केवल यह सुनिश्चित होता है कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया कायम रखने योग्य है, बल्कि इससे अतिरिक्त पूँजी व्यय का भार उठाने के लिए राजकोषीय गुंजाइश भी निर्मित होती है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए और स्थिर आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। फिर भी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के संबंध में कुछ

बॉक्स II.13

नियम आधारित ढाँचे में राजकोषीय संकेतक : विभिन्न देशों का सर्वेक्षण

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद कई देशों में राजकोषीय नियमों पर दबाव पड़ा है क्योंकि ये नियम आर्थिक उतारों व चढ़ावों में कोई फर्क नहीं करते। ये राजकोषीय नियम राजकोषीय नीति को दिशा देने के लिए दीर्घवधि में बजटीय समुच्चयों के संबंध में 'संख्यात्मक लक्ष्य' निर्धारित करके बजट निर्माताओं के लिए अवरोध खड़ा कर देते हैं (कॉप्टिस, 2001)। वैसे तो देशों ने वित्तीय संकट के पहले के राजकोषीय नियमों को रद्द नहीं किया है, पर उनमें से कई देशों ने अपने नियमों की या तो अनदेखी की है या उन्हें व्यवस्थित किया है तथा आर्थिक मंदी से निजात पाने के लिए राजस्व में कटौती करने, खर्च बढ़ाने और घाटे को अधिक करने के लिए अपने विवेक से कार्रवाई भी की है। तथापि उच्च राजकोषीय घाटों और सरकारी ऋण जोखिमों ने उन्हें राजकोषीय नियमों के पुनरीक्षण के लिए विवश कर दिया है ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पटरी पर आने से पहले ही अपने राजकोषीय असंतुलों पर रोक लगा सकें। प्रभावी राजकोषीय नियमों का ध्यान न केवल लोक ऋण की धारणियता जैसे अंतिम उद्देश्य से सुस्पष्ट और स्थिर रूप से जुड़े संख्यात्मक लक्ष्यों की ओर होना चाहिए, बल्कि उनमें आघातों से निपटने लायक पर्याप्त लचीलापन भी होना चाहिए।

व्यवहार में नियम-आधारित ढाँचे के तहत राजकोषीय नीति विभिन्न बजटीय समुच्चयों से जुड़ी होती है। पारंपरिक तौर पर बजट संतुलन का समग्र लक्ष्य ऋण की धारणियता की ओर अग्रसर होना होता है जिससे ऋण-जीडीपी अनुपात एक सीमाबद्ध स्तर पर आकर मिल सकें। तथापि, चूँकि यह संकेतक आघातों के प्रति कार्रवाई करने के लिए राजकोषीय नीति को बहुत कम चक्रीय लचीलापन उपलब्ध कराता है, इसलिए देश संरचनात्मक या चक्रीय समायोजित शेषों को भी टारगेट करते हैं जिससे सरकार एक पूर्ण आर्थिक चक्र में औसत आधार पर एक सांकेतिक बजट बैलेंस हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करती है। हालांकि प्राथमिक शेष संबंधी नियम भी हैं, पर ऋण की धारणियता से उनका संबंध कम है क्योंकि वे ब्याज संबंधी भुगतानों के चलते हुए असंतुलों को अनदेखा करते हैं। इसी प्रकार, पूँजीगत व्यय कम कर देने के बाद बचने वाले समग्र शेष को टारगेट करने वाले स्वर्णिम नियम भी ऋण से कम ही जुड़े हैं। देश लोक ऋण (पूर्णतः संख्यात्मक रूप में या जीडीपी के अनुपात के रूप में) के मामले में सीधे सकल/निवल रूप में (वित्तीय आस्तियों को समायोजित करने के बाद) एक स्पष्ट सीमा या लक्ष्य निर्धारित करने वाले ऋण नियम भी अपना सकते हैं। यद्यपि ऋण नियम ऋण संबंधी लक्ष्य की ओर ले जाने में सर्वाधिक कारगर हैं, पर वे राजकोषीय नीति के घटकों की दृष्टि से राजकोषीय नीति के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं दे पाते और कई बार, जब ऋण का स्तर अधिकतम सीमा से कम हो परंतु बढ़ रहा हो, तब वे ऋण-नियम भ्रामक भी हो सकते हैं।

दूसरा रास्ता यह है कि कुछ देश कुल, प्राथमिक, या चालू खर्च पर संख्यात्मक रूप में, वृद्धिदरों या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्थायी सीमा या अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं (व्यय नियमावली) या (कर उगाही बढ़ाने / करों का बोझ कम करने के लिए) राजस्व पर न्यूनतम/उच्चतम सीमा तय कर सकते हैं (राजस्व नियमावली)। आर्थिक मंदी के दौर में व्यय नियम राजस्व में चक्रीय व विवेकाधीन कटौतियों के जरिये राजकोषीय नीति के संचालन में लचीलेपन का अवसर तो देते हैं, पर सामान्यतः वे विवेकाधीन व्यय बढ़ाने की अनुमति नहीं देते। दूसरी तरफ, राजस्व नियम सरकारी खर्च पर लगाम नहीं लगाते। ये दोनों नियम लोक ऋण के नियंत्रण से सीधे-सीधे नहीं जुड़े हैं। इसके अलावा, मंदी (या राजस्व सीमाओं के लिए

उछाल के दौर में) के दौर में राजस्व नियम सामान्यतः राजस्व पक्ष में स्वतः स्थिरकारक तत्त्वों के परिचालन का ध्यान नहीं रखते। चूँकि स्वतः स्थिरकारक तत्त्व राजस्व पक्ष में अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होते हैं, इसलिए ये नियम एक तरह से चक्राभिमुखी राजकोषीय नीति का रूप ले सकते हैं। अतः दीर्घवधिक राजकोषीय धारणियता सुनिश्चित करने के लिए व्यय नियमों और राजस्व नियमों के साथ-साथ ऋण संतुलन नियम या बजट संतुलन नियम भी होने चाहिए।

ऐतिहासिक रूप से, राजकोषीय नियमों की शुरुआत उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में हुई। तथापि, केवल नियम-निर्माण को अपर्याप्त मानकर, देशों ने (1994 में न्यूजीलैंड, फिर लैटिन अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों ने) राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी संस्थागत व्यवस्था के तौर पर विश्वसनीय, पूर्वानुमानयोग्य और पारदर्शी राजकोषीय जवाबदेही कानून बनाने की शुरुआत की (कोरबाचो और श्वार्ट्ज, 2007)। राष्ट्रीय और/या बहुराष्ट्रीय राजकोषीय नियम अपनाते वाले देशों की संख्या 1990 में सात थी जो बढ़कर 2009 में 80 हो गई (आइएमएफ, 2009)। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और मैक्सिको) सहित उत्तरोत्तर कई (60 प्रतिशत) देशों ने ऋणों की धारणियता कायम रखने के लिए अपने राजकोषीय नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु बजट संतुलन और ऋण लक्ष्यों के मिश्रण को अपनाया है। बहुराष्ट्रीय नियमों में भी ऋण नियमों के साथ बजट संतुलन नियमों को जोड़ दिया गया है (41 देशों में) तथा इनमें से, विशेषतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इन नियमों के साथ राष्ट्रीय नियम भी हैं, जैसे कुछ देशों में खर्च की अधिकतम सीमा और राजस्व संबंधी विशिष्ट नियम (उदाहरण के लिए डेनमार्क में कर राजस्व सीमा और फ्रांस में अप्रत्याशित राजस्व-प्राप्ति नियम)।

विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उनकी भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं, संस्थागत क्षमता और वैश्विक आघातों के प्रति उनकी भेद्यता के आधार पर अलग-अलग देशों में नियम-आधारित राजकोषीय ढाँचों में विभिन्नताएं होती हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने चक्र-समायोजित संतुलों को लक्ष्य-संकेतक के रूप में अपनाकर अपने राजकोषीय नियमों में लचीलेपन की ओर रुझान दिखाया है। दूसरी तरफ, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने ऋण की धारणियता की दिशा में काम करने के लिए बैलेंस बजट नियमों और ऋण नियमों के मिश्रण को प्राथमिकता दी है। जहाँ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नियमों के साथ राजकोषीय दायित्व कानून भी हैं, वहीं विकसित देशों ने सामान्यतः राजकोषीय दायित्व कानून नहीं अपनाए हैं जो इस बात का सूचक है कि उनका मौजूदा कानूनी व संस्थागत ढाँचा मजबूत है (लिएनर्ट, 2010)।

भारत में केंद्र सरकार ने 2003 में और बाद में राज्यों ने राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम लागू किया और इस प्रकार यहाँ राजकोषीय दायित्व संबंधी कानूनी ढाँचे की शुरुआत हुई। ऐसे कानूनों को और कारगर बनाने के लिए भारत के राजकोषीय दायित्व कानून में विभिन्न राजकोषीय संकेतकों (जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और ऋण) के लिए तय किए गए लक्ष्यों का मिश्रण अपनाया गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्व और राजकोषीय संतुलों को अलग-अलग टारगेट करने की भारतीय राजकोषीय दायित्व कानून की व्यवस्था दुनिया भर में अनूठी है क्योंकि अन्य देश सामान्यतः समग्र बजटीय संतुलन को टारगेट करते हैं। शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य रखकर भारत के राजकोषीय दायित्व कानून में, सरकार के चालू खर्च के

(जारी....)

(समाप्त...)

लिए उधार के संसाधनों पर निर्भरता को क्रमशः समाप्त किये जाने के महत्त्व को स्वीकार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारियों का उपयोग दीर्घावधिक राजकोषीय धारणीयता के लिए केवल पूंजीगत व्यय के लिए ही किया जा रहा है। इस प्रकार यह यूनाइटेड किंगडम के राजकोषीय ढाँचे के 'स्वर्णिम नियम' ('गोल्डेन रूल') से मेल खाता है जिसमें उधार का प्रावधान केवल पूंजीगत व्यय के लिए ही है। संघीय बजट 2011-12 से केंद्र सरकार ने "प्रभावी राजस्व घाटा" कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है जिसके तहत, राज्यों को दिया जाने वाला पूंजीगत अनुदान, राजस्व घाटे के हेडलाइन माप से बाहर रखा गया है। यह मानते हुए कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण समष्टि आर्थिक प्रबंधन में सहायक है, केंद्र सरकार राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 में 2011-12 में एक संशोधन लाने वाली है जिसके द्वारा आगामी पाँच वर्षों के लिए राजकोषीय कार्यक्रम निरधारित किया जाएगा।

चिंताएँ हैं। पहला, सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात, जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण बेंचमार्क है, 2007-08 के 41.4 प्रतिशत से काफ़ी बढ़कर 2011-12 (बजट अनुमान) में 74.4 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। इससे यह संकेत मिलता है कि उधारियों के ज्यादातर भाग का उपयोग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है जिससे पूंजीगत खर्च के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है जिसका संभाव्य वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता था। 2011-12 के बजट में सकल राजकोषीय घाटा-सकल देशी उत्पाद अनुपात कम होने का अनुमान करने के साथ-साथ, उच्चतर राजस्व घाटा-सकल राजकोषीय घाटा अनुपात इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि 2011-12 के दौरान विचारित राजकोषीय समायोजन मुख्यतः पूंजीगत व्यय में कमी लाकर ही किया जा सकता है। तदनुसार राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता का वृद्धि पर दीर्घावधिक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि पूंजी व्यय के मामले में राजकोषीय गुणक के सामान्यतया उच्चतर रहने की उम्मीद है (बॉक्स II.14)।

राज्यों के स्थायी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए उनके अपने उपाय महत्वपूर्ण हैं

II.5.18 संशोधित राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियमों में संशोधित राजकोषीय रोडमैप देते समय, राज्यों को चाहिए कि वे केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की बदलती रूपरेखा को ध्यान में रखें। विशेष रूप से वर्ष 2004-05 से केंद्र द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा में तीव्र गिरावट आने के बाद, हाल के वर्षों में केंद्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण मुख्यतः चालू अंतरणों, अर्थात् कर अंतरण और अनुदानों के माध्यम से हुए हैं। जबकि केंद्र से किए जाने वाले वर्तमान अंतरणों ने संकटपूर्व अवधि (2003-04 से 2007-08) के दौरान

संदर्भ :

कोर्बाचो, अना, एंड गर्ड श्वार्ट्ज, 2007, "फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉज" इन प्रमोटिंग फिस्कल डिसिप्लिन, मनमोहन एस. कुमार और टेरेसा टर - मिनासियन (वाशिंगटन) : इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा संपादित।

कोपिट्स, जी. (2001), "फिस्कल रूल्स: यूजफुल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑर अन्सेसेसरी ऑर्नामेंट? आइएमएफ वर्किंग पेपर 01/145।

लिएनर्ट, इयान (2010), "शुड एडवान्सड कन्ट्रीज अडॉप्ट ए फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ?" फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट, आइएमएफ वर्किंग पेपर 10/254

आइएमएफ (2009), "फिस्कल रूल्स - एंकरिंग एक्स्पेक्टेडेशन्स फॉर सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस", फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट, दिसंबर 16।

राज्यों के राजस्व लेखे के सुधार में एक तिहाई योगदान किया, वहीं संकट के दौरान केंद्र स्तर पर कर-वसूली में चक्रीय अधोमुखी प्रवृत्ति के कारण हुए अपेक्षाकृत कम कर-अंतरण की क्षतिपूर्ति अधिक अनुदानों द्वारा की गयी।

II.5.19 केंद्र स्तर पर कर-वसूली में चक्रीयता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को चाहिए कि वे प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् ऊर्जा और सिंचाई में सुधार करके स्वयं के राजस्व के कर से इतर स्रोतों की खोज करें। स्वयं के कर से इतर राजस्वों के संग्रहण से, जिनके कर राजस्वों से अधिक टिकाऊ होने की उम्मीद है, विशेष रूप से मंदी के दौरान राज्यों की केंद्र पर निर्भरता कम होगी। जहाँ एक ओर प्रस्तावित माल और सेवा कर के कार्यान्वयन से राज्यों का कर आधार विस्तृत होने की संभावना है, वहीं राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्था के ढाँचे के आधार पर अपनी राजस्व संबंधी प्रभावों का मूल्यांकन भी करना होगा।

II.5.20 तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्र से कर-अंतरण के रूप में राज्यों को मिलने वाला अनुशांसित हिस्सा भी बढ़ा दिया है। बृहत्तर विकेंद्रीकरण को सुकर बनाने और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को स्थानीय निकायों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे ताकि तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें राज्य-विशिष्ट अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके। आगे चलकर, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को मध्यम अवधि के लिए संशोधित राजकोषीय रोडमैप तैयार करने के लिए अपने राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियमों में संशोधन करने की जरूरत होगी।

II.5.21 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि की व्यापक समीक्षा के लिए जुलाई 2010 में एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) गठित की थी। समिति के विचारार्थ विषय अन्य

बॉक्स II.14

राजकोषीय गुणक : विभिन्न दशों के अनुभव

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद उन विभिन्न देशों में प्रायः एक सहज प्रतिक्रिया के रूप में विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन वाले उपाय सामने आए जहाँ समग्र मांग में वांछित परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च या कर संबंधी उपायों के बारे में अस्पष्ट धारणा बनी हुई थी। संकट के दौरान व्यापक स्तर पर विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाए जाने के कारण राजकोषीय गुणक के आकार के बारे में एक लंबी बहस सैद्धांतिक रूप में और विभिन्न देशों में फ़िर से शुरू हो गई है। 'गुणक प्रभाव' (मल्टीप्लायर एफ़ेक्ट), जिसे मूलतः रिचर्ड कान (1930) ने प्रतिपादित किया और बाद में कोन्स ने लोकप्रिय बनाया, द्वारा समग्र माँग में वांछित परिवर्तन लाने में सरकारी खर्च और कर उपायों की प्रभावकारिता को मापा जाता है। राजकोषीय गुणक साधारण कोन्सियन ढाँचे के एकत्व की व्यवस्था से भी आगे बढ़ जाता है परंतु अब यह ज्ञात हो चुका है कि इसमें काफ़ी अंतर आ सकता है, यहाँ तक कि प्रभाव नकारात्मक से बड़े सकारात्मक अंकों तक हो सकते हैं। बड़ी संख्या में समष्टि आर्थिक मानकों से होने वाले सहसंपर्क से अंततः गुणक का आकार तय होता है। यदि राजकोषीय विस्तार के साथ मौद्रिक स्थितियाँ अनुकूल रहें तो राजकोषीय गुणक साधारणतः अधिक बढ़ा होता है। खर्च के अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग से गुणक का मूल्य जहाँ बढ़ता है, वहीं दीर्घावधिक राजकोषीय धारणीयता से संबंधित समस्याएँ इसे कम प्रभावी और यहाँ तक कि नकारात्मक भी बना सकती हैं। विकासशील देशों में राजकोषीय प्रोत्साहनों के प्रभाव का आकलन करने में खर्च के घटकों की भूमिका अहम होती है। इसके अलावा, प्रभाव गुणक (इम्पैक्ट मल्टीप्लायर) के रूप में परिगणित राजकोषीय गुणक, संचयी गुणक (क्यूमुलेटिव मल्टीप्लायर) या शिखर गुणक (पीक मल्टीप्लायर) से अलग है। राजकोषीय गुणक (फ़िस्कल मल्टीप्लायर) के आकलन के संबंध में प्रचुर साहित्य उपलब्ध होने के बावजूद, राजकोषीय गुणक, जो विभिन्न रेंज वाले परिणाम देता है, के संबंध में किए गए अनुभवसिद्ध कार्यों से सैद्धांतिक बहस रुकी नहीं है।

विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के मामले में यह विशेष रूप से देखा गया है कि गुणक सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और मामूली रूप से सकारात्मक होते हैं। इसके विपरीत, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मध्यम अवधि में परिणाम पर पड़ने वाला प्रभाव लगातार नकारात्मक पाया गया जो दर्शाता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उठाए गए विवेकाधीन राजकोषीय कदम तत्काल तो सकारात्मक परिणाम देते हैं पर मध्यम अवधि में वे वृद्धि-रोधी प्रतीत होते हैं क्योंकि वे संरचनात्मक स्वरूप के ज्यादा हो जाते हैं और इस प्रकार बाद के वर्षों में उन्हें समाप्त करने में अधिक मुश्किल आती है।

वैश्विक संकट आरंभ होने के बाद विभिन्न परिस्थितियों में राजकोषीय प्रोत्साहनों के प्रभावों की छानबीन के लिए कई अध्ययन किए गए। इलजेट्जकी और दूसरे विद्वानों

ने (2011) दिखाया है कि सरकारी खपत का उत्पादन पर पड़ने वाला संचयी प्रभाव ऊँची आय वाले देशों की तुलना में विकासशील देशों में कम था। जिन राजकोषीय विस्तारों के हमेशा बने रहने की उम्मीद थी, उनके गुणक प्राइवेट सेक्टर के मजबूत प्रतिसंतुलन के कारण अपेक्षाकृत कम रहे हैं। सामान्यतः संकट के समय, जब मंदी के हालात का मुकाबला करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन तैयार किए जाते हैं, राजकोषीय गुणकों के सामान्य परिस्थितियों की तुलना में बड़े होने की उम्मीद की जाती है जब मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ एक दूसरे के प्रयोजनों को पूरा करने का काम करती हैं।

सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और केंद्र सरकार के पूँजीगत व्यय से जुड़े राजकोषीय गुणकों के आकार का आकलन करने के लिए एस्पिनोज़ा और सेन्हाडजी (2011) जैसी प्रविधि के वेक्टर ऑटो रिग्रेसन ढाँचे का प्रयोग करते हुए किए गए अध्ययन से पता चलता है कि भारत में राजकोषीय गुणक कम रहे हैं। 1996-97 से 2009-10 तक के तिमाही आँकड़ों से यह पाया गया कि सरकारी खपत का जीडीपी वृद्धि (वास्तविक और सांकेतिक - दोनों) पर अल्प अवधि में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकारी खपत संबंधी गुणक पहली तीन तिमाहियों में (वैकल्पिक परिस्थितियों में 0.11 और 0.20 की रेंज में) बढ़ता है और इसके बाद इसका प्रभाव क्रमशः घटने लगता है। वार्षिक पूँजीगत व्यय (वास्तविक) में प्रतिबिंबित केंद्र सरकार के निवेश के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने पर, गुणक के पूरा बढ़ने की स्थिति में, संचयी गुणक लगभग 1.5 होता है। इस प्रकार विभिन्न देशों और भारत के परिणामों से यह पता चलता है कि गुणक का आकार अपेक्षाकृत बहुत छोटा होने के कारण सरकारी खपत निवेश को बाहर कर देता है जबकि निवेश-गुणक लंबे समय तक काम करता है तथा इसका आकार एक से अधिक होता है जिसके प्रभाव के कारण बहुत अधिक निवेश प्राप्त होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि, जैसे-जैसे केंद्र और राज्य सरकारें नियम-आधारित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर आगे बढ़ें, खर्च को निवेश में नियोजित करके उत्तरोत्तर युक्तिसंगत बनाकर सरकारी व्यय के प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।

संदर्भ:

इलजेट्जकी, एथन; एनरिक जी. मेंडोज़ा एंड कार्लोस ए. वेघ (2011), "हाउ बिग (स्मॉल?) आर फ़िस्कल मल्टीप्लायर्स?", *आइएमएफ़ वर्किंग पेपर नं. डब्ल्यू पी/ 11/52*

एस्पिनोज़ा, राफ़ाएल एंड एब्डेलहॉक सेन्हाडजी (2011), "हाउ स्ट्रॉंग आर फ़िस्कल मल्टीप्लायर्स इन द जीसीसी? एन इम्पीरिकल इन्वेस्टिगेशन", *आइएमएफ़ वर्किंग पेपर नं. डब्ल्यू पी/11/61*।

बातों के साथ-साथ ये थे - लघु बचत योजनाओं को बाजार से जोड़ने की व्यवस्था के संबंध में सिफारिश करना और लघुबचत की कुल वसूली की राशि को केंद्र तथा राज्यों को उधार के रूप में दिए जाने के बारे में सिफारिश करना, तथा उस निधि के निवेश के वैकल्पिक साधन सुझाना। समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को जून 2011 में प्रस्तुत कर दी (बॉक्स II.15)। समिति की सिफारिशों का लक्ष्य लघु बचत लिखतों पर मिलने वाले ब्याज को सरकारी प्रतिभूतियों पर

मिलने वाले बाजार दरों के अनुरूप बनाना है। इससे लघु बचत संग्रह के क्षेत्र में अस्थिरता कम होगी जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी और ऋण प्रबंधन में अधिक दक्षता आएगी तथा मौद्रिक नीति के संकेतकों का सुचारु अंतरण होगा। इन सिफारिशों से राज्य सरकारों को, उनकी नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लघु बचत निधि से उधार लेने के संबंध में अधिक विवेकाधीन अधिकार प्राप्त होंगे और राष्ट्रीय लघु बचत निधि की लाभप्रदता भी बढ़ेगी।

बॉक्स II.15

राष्ट्रीय लघु बचत निधि की व्यापक समीक्षा के लिए गठित समिति की राय

बचत के लिखतों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें दीं: (i) बचत जमा राशियों पर ब्याज दर बढ़ाकर 4 प्रतिशत वार्षिक करना ताकि यह वाणिज्य बैंकों की बचत जमा दर के अनुरूप हो जाए; (ii) आवर्ती और सावधि जमा योजनाओं पर चलनिधि बेहतर बनाने के संबंध में कदम उठाना; (iii) मासिक आय योजना पर परिपक्वता बोनस समाप्त करना; (iv) पीपीएफ में वार्षिक निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना ताकि यह आयकर अधिनियम की धारा 80 सी में दी गई सीमा के बराबर हो जाए; (v) एनएससी के उपचित ब्याज पर 80 सी के अंतर्गत मिलने वाले आयकर लाभ को हटा लिया जाए; (vii) किसान विकास पत्र को हटा लिया जाए क्योंकि उसके वाहक-जैसा लिखत होने के कारण इसके दुरुपयोग की संभावना है; और (viii) दीर्घतर परिपक्वता लिखत - दस वर्षीय एनएससी - प्रारंभ किया जाए।

समिति ने सिफारिश की कि लघु बचत लिखतों के लिए (बचत बैंक जमा राशियों को छोड़कर) समान परिपक्वता वाली केंद्र सरकार प्रतिभूतियों पर द्वितीयक बाजार में मिलने वाला प्रतिफल बेंचमार्क माना जाना चाहिए। एक वर्ष की एक संदर्भ अवधि - पिछले कैलेंडर वर्ष के मासान्त के द्वितीयक बाजार प्रतिफलों का औसत लेकर - अपनाया जा सकती है; तथापि ब्याज दर में अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव किसी दिशा में अधिकतम 100 आधार अंकों तक सीमित होगा। समान परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में (पिछली समिति द्वारा अनुशंसित 50 आधार अंकों की जगह) 25 आधार अंकों का एक सकारात्मक अंतर एनएसएसएफ को लाभप्रद बनाने में सहायक होगा। अपवाद केवल 10 वर्षीय एनएससी और वरिष्ठ नागरिक

बचत योजना के मामले में रखा गया जहाँ क्रमशः 50 और 100 आधार अंकों के स्प्रेड की सिफारिश की गई है। 2012-13 से, लघु बचत योजनाओं पर सरकार द्वारा ब्याज दर की अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख हर वर्ष 1 अप्रैल होगी।

समिति ने राज्यों के अनिवार्य शेयर को वर्तमान के 80 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर देने की सिफारिश की है। राज्यों द्वारा अपने विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने के बाद, और उसके बाद कोई शेष राशि बची हो तो उसे या तो केंद्र ले ले या दूसरे राज्यों को, यदि वे चाहें तो, उधार देने के लिए दिया सकता है या पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए उधार देने के लिए दिया जा सकता है। राजकोषीय स्थिति में नियम-आधारित सुधार के बाद, हो सकता है, अपेक्षाकृत कम परिपक्वता में पुनर्वितीयन संबंधी जोखिम न रहे। तदनुसार, व्यापक तौर पर लघु बचत लिखतों की परिपक्वता प्रोफाइल से मेल बिठाने के लिए, समिति ने एनएसएसएफ द्वारा निवेश के लिए 10 वर्ष की अपेक्षाकृत कम अवधि की सिफारिश की जिससे काफ़ी हद तक एनएसएसएफ की आस्ति-देयता परिपक्वता की असमानता दूर हो पाएगी। केंद्र/राज्य सरकारों को जारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर, बकाया लघु बचतों पर भारत औसत ब्याज लागत और औसत प्रशासनिक लागत के योगफल के बराबर होगी और इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को की जाएगी। पुनर्विनिवेश उन्हीं शर्तों पर हो जो नए निवेश के लिए हैं। एनएसएसएफ की बकाया आस्ति-देयताओं में ऋणात्मक अंतर की फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इन उपायों से एनएसएसएफ की लाभप्रदता में वृद्धि होगी।

VI. बाह्य क्षेत्र

वैश्विक बहाली सही पथ पर है, परंतु सरकारी तुलन-पत्र जोखिम अनिश्चितता को बढ़ा रहे हैं

II.6.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2009 में 0.5 प्रतिशत के संकुचन के बाद 2010 में 5.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ फिर से पूर्व की स्थिति में आ गयी। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की 7.4 प्रतिशत की वृद्धि ने 2000 की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर को पीछे छोड़ दिया (चार्ट II.44 क)। चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ-5 की वृद्धि दरें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि की दर से काफ़ी अधिक रहीं। तथापि अमरीका, जर्मनी और जापान की वृद्धि दर में काफ़ी अधिक उतार-चढ़ाव रहा और इनकी वृद्धि दर गहरे ऋणात्मक के स्तर से सुधरकर मामूली धनात्मक की स्थिति में आ गयीं।







II.6.2 वृद्धि की प्रक्रिया के बनी रहने के संबंध में अनिश्चितता के चलते बहाली प्रभावित हुई। वर्ष 2010 की पहली छमाही में बहाली की प्रक्रिया सुदृढ़ रहने के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने ग्रीस, आयरलैंड और पुर्तगाल द्वारा सरकारी ऋण की चुकौती में चूक किये जाने की

आशंकाओं एवं इटली और स्पेन के सरकारी तुलनपत्रों की कमजोर स्थिति के कारण बढ़ते अधोमुखी जोखिम का सामना किया। वर्ष की दूसरी छमाही में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अमरीका और जापान, में वैश्विक बहाली की गति में कुछ कमी आयी। वैश्विक औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में भी मार्च 2010 के उच्चतम स्तर के बाद गिरावट के लक्षण दिखायी दिये। तथापि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने दो बार मंदी की आशंका का सामना करने के बावजूद अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। तथापि स्टैंडर्ड एंड पूअर द्वारा अमरीकी सरकारी ऋण को हाल में डाउनग्रेड किये जाने का विश्वभर के वित्तीय बाजारों के माहौल पर प्रतिकूल असर पड़ा है तथा वैश्विक रिकवरी के कमजोर पडने की आशंका के चलते मंदी की आशंका पुनः व्याप्त हो रही है। चीन और भारत की अगुवाई में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज गति से बढ़ती रहीं।

उभरती बजार अर्थव्यवस्थाओं ने पण्य कीमतों के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना किया

II.6.3 वर्ष 2010 के दौरान उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। यह औसत उपभोक्ता मूल्य आधार पर पिछले वर्ष के 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 6.1

चार्ट II.44: प्रमुख वैश्विक संकेतक



प्रतिशत हो गयी। भारत और चीन दोनों ने भारी मुद्रास्फीतिकारी दबाव का सामना किया। परिणामस्वरूप, विकासशील एशिया की 2009 में 3.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर 2010 में लगभग दुगुनी होकर 6.0 प्रतिशत हो गयी। इसके विपरीत, उन्नत अर्थव्यवस्था में इसी अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 1.6 प्रतिशत हो गयी, परंतु वह इन देशों के दीर्घावधि औसत से कम रही। इन अर्थव्यवस्थाओं में मूल मुद्रास्फीतिकारी दबाव नियंत्रण में रहे, परंतु हाल के महीनों में ईंधन तथा गैर-ईंधन पण्यों की कीमतों के तेजी से बढ़ने के चलते उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति के बढ़ने से इसमें और स्पष्ट अंतर दिखाई दिया।

II.6.4 2010 के दौरान वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि हुई जो उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हुई तेज वृद्धि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हुई अपेक्षा से अधिक सुदृढ़ वृद्धि एवं मौसम संबंधी आपूर्ति आघातों की वजह से थी। बाजार के खिलाड़ियों द्वारा लांग पोजिशन लेने के साथ-साथ वैश्विक ब्याज दरें कम रहने और अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में चलनिधि की उपलब्धता के चलते वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि हुई। 2010 के दौरान ओपेक का उत्पादन अपेक्षा से कम रहने एवं मध्य-पूर्व और उत्तर अफ्रीका (एमईएनए) में जनवरी 2011 से अशांति फैलने से तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। 2011 में पण्य कीमतों के ऊंचे स्तर पर बनी रहने की संभावना है। परंतु यदि

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक समर्थन क्रमशः हटा लिये जाते हैं तो इसके कारण ब्याज दरों में होने वाली वृद्धि के चलते पण्य बाजारों में लीवरेज की स्थिति में कमी आ सकती है जिससे पण्यों की कीमतों में गिरावट आ सकती है। यदि वैश्विक बहाली की रफ्तार कम रहती है तो पण्यों की कीमतों में भी कमी आ सकती है।

II.6.5 क्षमता के लगभग पूर्ण उपयोग के साथ-साथ वैश्विक वृद्धि की भिन्नता के चलते पूंजी के सुदृढ़ अंतर्प्रवाह एवं इसके परिणामस्वरूप समर्थनकारी मौद्रिक नीति से अलग-अलग समयों में निकासी के परिणामस्वरूप ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा रूस सहित अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिक दबाव में वृद्धि हुई। आपस में जुड़े वैश्विक जगत में भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में स्वतंत्र रूप से मौद्रिक नीति का संचालन करने का विकल्प सीमित हो सकता है परंतु इसका प्रबंधन समुचित नीतियों से किया जा सकता है (बॉक्स II.16)।

II.6.6 बेहतर हो रही मांग की स्थितियों ने 2010 में वैश्विक व्यापार की बाहली को संकट-पूर्व के स्तर तक लाने में मदद की। उभरती बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात में वृद्धि की दर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से अधिक रही। 2010 के दौरान निर्यात में वृद्धि हुई तथा वैश्विक व्यापार मार्च 2011 में सुधरकर जुलाई 2008 में पहली बार संकट से पूर्व के उच्च स्तर से अधिक रहा (चार्ट II.44ख)। परंतु खाद्यान्नों एवं अन्य प्राथमिक उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होने तथा तेल निर्यातक प्रमुख देशों में अशांति फैलने से वैश्विक व्यापार में वृद्धि की दर कम रहने की संभावना है। 2011 के दौरान पूंजी प्रवाह सुदृढ़ रहने की संभावना है परंतु हाल की गतिविधियों के मद्देनजर प्रवाह के स्तर में अकस्माक बदलाव की एकाध संभावित घटनाओं से भी इसमें उतार-चढ़ाव आने का जोखिम रहता है (चार्ट II.44ग)।

II.6.7 2010 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति ने आर्थिक कार्यकलापों को समर्थन देना जारी रखा (चार्ट II.44 घ और ङ)। आगे चलकर राजकोषीय समेकन योजनाओं को अंगीकार करना अत्यंत आवश्यक है। इसकी जरूरत विशेष रूप से यूरो क्षेत्र के देशों, जापान तथा अमरीका जैसे उन देशों में है जहां ऋण की वहनीयता का मुद्दा है ताकि संक्रमण को सरकार के तुलन-पत्र से बैंक के तुलनपत्रों तथा वित्तीय बाजारों तक फैलने से रोका जा सके। वर्ष 2010 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी काफी अधिक रही तथा 2011 में धीरे-धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है (चार्ट II.44.च)।

2010-11 में भुगतान संतुलन में सुधार

II.6.8 2010-11 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में हुआ सुधार वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान निर्यात में हुई वृद्धि को दर्शाता है। अदृश्य मद संबंधी अधिशेष के उच्चतर स्तर पर बने रहने से 2010-11 में चालू खाते के घाटे में कमी आयी। वैश्विक वृद्धि की बहाली के चलते जहां निर्यात एवं अदृश्य मदों में सुधार हुआ वहीं पण्यों, विशेष रूप से कच्चे तेल की ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर आयात बिलों पर पड़ा। बेहतर निवल पूंजी आगमों ने पूंजी खाते के उच्चतर घाटे को कम करने में मदद की तथा विदेशी मुद्रा भंडार में मामूली वृद्धि हुई। बाह्य क्षेत्र संबंधी प्रमुख संकेतक जैसे कि चालू खाते का घाटा, बाह्य ऋण का स्तर तथा विदेशी मुद्रा भंडारों का निर्यात कवर संतोषजनक बने रहे। पूंजी खाते के क्षेत्र में, पूंजी अंतर्प्रवाह की संरचना कतिपय चिंताओं को जन्म देती है क्योंकि जहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कमी आयी है, वहीं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं अल्पावधि व्यापार कर्ज जैसे अधिक उतार-चढ़ाव वाले उन घटकों में वृद्धि हुई जिनका बाह्य-ऋण की वहनीयता की दृष्टि से महत्त्व है। द्विपक्षीय संकेतिक रुपया-डॉलर विनिमय दर में दोतरफा परिवर्तन होता रहा जो मुख्यतः विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थितियों को दर्शाता है।

व्यापार के विविधीकरण ने व्यापार घाटे को कम करने में मदद की

II.6.9 2010-11 के दौरान भारत के वणिक निर्यात में सुदृढ़ वृद्धि हुई जो वैश्विक आय में वृद्धि की उच्चतर दर तथा व्यापार की दिशा एवं संरचना में हुए विविधीकरण की वजह से थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मुक्त व्यापार मंडल, शुल्क छूट हकदारी योजना, फोकस बाजार योजना तथा फोकस उत्पाद योजना के जरिए प्रोत्साहन देने की सरकार की निर्यात संबंधी नीति ने निर्यात के विविधीकरण में योगदान दिया है और यह विविधीकरण इंजीनियरी तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों एवं उभरती बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में श्रम प्रधान उत्पादों से उच्चतर मूल्ययोजित उत्पादों के रूप में हुआ है (चार्ट II.45)। जहां 2010-11 में इंजीनियरी तथा पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा 2005-06 के 21 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में क्रमशः 27 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत हो गया वहीं इसी अवधि में श्रम प्रधान उत्पादों का हिस्सा 29 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत हो गया। जहां कुल निर्यात में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा 2005-06 के 38 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 42 प्रतिशत हो गया वहीं इसी अवधि में ओईसीडी के देशों के निर्यात का हिस्सा 45 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत रह गया।

बॉक्स II.16

क्या बढ़ते वैश्वीकरण ने भारत की राष्ट्रीय नीतियों के प्रभाव को सीमित कर दिया है?

वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर, वित्तीय वैश्वीकरण एक बार फिर जांच के दायरे में आ गया है। वैश्वीकरण के आलोचकों ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि वैश्वीकरण से ऐसा कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलता है जो पहले से ही मुक्त व्यापार से हासिल न किया जा सकता हो। पूंजी के बढ़ते हुए प्रवाह के संदर्भ में, अलोचकों ने एक बार फिर यह बताया है कि माल में किए जाने वाले व्यापार से होने वाले लाभ का स्थान पहला है जब कि जगदीश भगवती के अनुसार पूंजी (डॉलर) में किए जाने वाले व्यापार से होने वाले लाभ का स्थान दूसरा है। दूसरा निष्कर्ष यह रहा है कि मुक्त बाजारों के वैश्वीकरण से उन देशों को सबसे अधिक फायदा नहीं हुआ है जिन्होंने इसे पूरी तरह हृदय से अपनाया है, बल्कि उन देशों को अधिक फायदा हुआ जिन्होंने चयनित रूप से इसके कुछ भाग को अपनाया। मुक्त बाजार की परिकल्पना केवल तभी सफल हो पाती है जब इसे सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक संस्थाओं के भीतर समाहित किया जाता है और जो यह सुनिश्चित करते हुए इसे वैध बनाता है कि पूंजीवाद के फायदे व्यापक रूप से सभी को मिल रहे हैं (रॉड्रिक, 2011)।

इसके विपरीत के तर्क भी उतने ही जोरदार हैं। इसके अलावा, कोज इत्यादि (2009) ने वित्तीय वैश्वीकरण और उन विभिन्न आर्थिक नीतियों के फायदों को उजागर करने के लिए विशाल साहित्य की समीक्षा की जिनसे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संभाल पाईं। उन्होंने पाया कि सुदृढ़ समष्टि अर्थव्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र का विकास, संस्थागत गुणवत्ता और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों से विकासशील देशों को वित्तीय समेकन के फायदे लेने में मदद मिली। तथापि हाल के दिनों में यह चिंता रही है कि क्या वैश्वीकरण से राष्ट्रीय नीति की प्रभावोत्पादकता का हास हो रहा है?

इसका जवाब आसान नहीं है। सुब्बाराव (2011) कहते हैं कि एक ऐसा तरीका तलाशने की जरूरत है जिससे कम-से-कम कीमत पर वैश्वीकरण का अधिक-से-अधिक फायदा मिल सके। जब प्रचुरता की स्थिति पैदा होती है तो हमें उससे निपटने की जरूरत पड़ती है। क्यूई 2 (क्वांटिटेटिव ईजिंग 2) एक विशेष मामला रहा है जिसमें बाह्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव शामिल हैं। इसकी घोषणा से उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं को दोहरा आघात लगा, उनके पूंजी अंतर्प्रवाह में बढ़ोतरी हुई और वस्तुओं के दाम बढ़े तथा इन दोनों वजहों से उन्हें मुद्रास्फीति के दबाव को संभालना जरूरी हो गया। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ये नीति संबंधी परेशानी का कारण बन जाती है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उच्चतर ब्याज दर से पूंजी का अंतर्प्रवाह और अधिक तेज हो सकता है। तथापि क्यूई2 से अमेरिका में रिकवरी बहाल करने में मदद मिली, वित्तीय बाजार में पुनः विश्वास बढ़ा और अंततः व्यापार एवं पूंजी खाता प्रवाह में बढ़ोतरी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को मदद मिली। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का प्रभाव कम हो जाता है, विशेषकर तब जब उनमें आपस में समन्वय न हो।

तथापि, राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रभाव पर वैश्वीकरण का असर अंततः एक ऐसा प्रश्न है जो प्रयोग एवं अनुभव से जुड़ा है, न कि सिद्धांत से। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाले चैनलों के बारे में हमारी सैद्धांतिक समझ भी अपर्याप्त है। तब भी, यह कहना सही नहीं होगा कि बढ़ते खुलेपन के साथ घरेलू मौद्रिक, राजकोषीय या विनिमय दर नीतियां निरर्थक हो गई हैं। नीति के चयन में असमंजस की स्थिति एक जग जाहिर समस्या है और इसका समाधान एकाधिक साधनों की सहायता से करने की जरूरत है। वास्तव में वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों को और अधिक सुव्यवस्थित एवं युक्तिसंगत होना चाहिए।

उदाहरण के लिए, विभिन्न दुष्प्रभावों तथा आस्तियों से प्राप्त होने वाले नाममात्र के लाभों को नियंत्रित करने की जरूरत के चलते वैश्वीकरण के युग में मौद्रिक नीति का नया महत्त्व सामने आया है। इस स्थिति में मूल्य स्थिरता सबसे महत्त्वपूर्ण मौद्रिक उद्देश्य बन जाता है। यहां तक कि मामूली मूल्य कठोरता के बिना भी, मूल्य स्थिरता

महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह नॉमिनल बांडों की जोखिम शेयरिंग संबंधी विशेषताओं को बढ़ा देती है (डेवेरेक्स एवं सदरलैंड, 2008)। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण सापेक्षी मूल्य में, न कि पूर्ण मूल्य में हुए आघात को दर्शाता है। सामान्य मूल्य स्तर के बारे में क्या होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय मौद्रिक नीति निर्माता क्या करने का निर्णय लेते हैं।


यह तर्क दिया जाता है कि वास्तव में भारत में मुक्त व्यवस्था तेजी से बढ़ी है और इससे मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता का तब नुकसान हुआ जब विनिमय दर को स्थिर करने के प्रयास किए गए (शाह एवं पटनायक, 2011)। यह सच है कि इरादतन नीति के चयन के रूप में विनिमय दर व्यवस्था को अधिक लचीलेपन की ओर ले जाया गया है, ऐसा अर्थव्यवस्था के बदलते ढांचे और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सोच-समझ कर किया गया है और इससे मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता भी कम नहीं हुई है। कुछ समय से नीतियों ने इस मुहिम का साथ दिया है और साथ ही साथ अस्थिरता एवं आघात को रोकने के लिए क्षमता निर्माण भी किया है। इन नीतियों के चलते विनिमय दर को तेजी से एक बफर के रूप में उभरने का अवसर मिला है और जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो तब मुद्रा का अवमूल्यन करके और जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो तब अधिक मांग को कम करके तथा मुद्रा को मजबूत करके सावधानीपूर्वक ऐसा किया गया। पिछले दो सालों में विदेशी मुद्रा बाजार में कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी सी बढ़ोतरी विभिन्न उपचित राशियों, ब्याज आय और मूल्यांकन में हुए परिवर्तनों की सूचक है। विनिमय दर में अधिक लचीलेपन ने इस खतरे को भी काफी कम कर दिया है कि मुद्रा के मजबूत होने पर 'वन-वे बेट' के द्वारा विदेशी अंतर्प्रवाह अधिक आकर्षित होगा या देशी प्रतिष्ठान अपने एक्सपोजर को सुरक्षित किए बिना विदेश से अधिक उधार लेंगे।

वैश्वीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसने अब स्वयं शक्ति प्राप्त कर ली है। नीतिगत हस्तक्षेप का लक्ष्य वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए सही नीति निर्धारित करना और जोखिम कम-से-कम रखना हो सकता है। ये लाभ महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि बढ़ती वैश्विक अंतर्निर्भरता से भारतीय अर्थव्यवस्था बाह्य मांग और विनिमय दर आघातों से अधिक प्रभावित होगी। तथापि, संकटों के दौरान भुगतान संतुलन संबंधी आघातों के बीच, विनिमय दर के बेमेलपन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक रूप से भलीभांति जुड़ने के बाद, वैश्विक संकट के चरमोत्कर्ष के समय केवल एक वर्ष में कुल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल पूंजी अंतर्प्रवाह के बड़े आघात को संभाला गया है और इसका विनिमय दर, ब्याज दर, बाह्य तथा आंतरिक संतुलनों पर भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया।

संदर्भ :

- डेवेरेक्स, माइकल बी एंड एलन सदरलैंड (2008), "फाइनेंशिएल ग्लोबलाइजेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी", *जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकॉनॉमिक्स*, 55 (8): 1363-1375, नवंबर।
- कोज, ए. एहत, ईश्वर प्रसाद, केनेथ रॉगॉफ और शांग-जिन वाइ (2009), "फाइनेंशिएल ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक पोलिसिज", *आइजेडए डिस्कसन पेपर* नं. 4037.
- रॉड्रिक, डानी (2011) *द ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स*, डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्टन एवं कंपनी शाह, अजय एंड इला पटनायक (2011), "इंडियाज फाइनेंशिएल ग्लोबलाइजेशन", *एनआइपीएफपी वर्किंग पेपर* नं. 2011-79।
- सुब्बाराव, डी (2011), "पॉलिसी डिस्प्लिन एंड स्पिलओवर इन ऐन इंटर-कनेक्टेड ग्लोबल इकॉनॉमी", अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर ज्युरिक में 10 मई 2011 को एसएनबी - आइएमएफ सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराव की टिप्पणी।

चार्ट II.45: भारत का बाह्य व्यापार




II.6.10 देशों के बीच तुलना करने पर, उभरती बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह के निर्यात में वैश्विक निर्यात की तुलना में वृद्धि हुई। 2010 के दौरान भारत, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, तथा रूस जैसे देशों में उच्चतर वृद्धि देखी गई (चार्ट II.46)।

II.6.11 जहां 2010-11 के दौरान पण्यों के लगभग सभी प्रमुख समूहों के निर्यात में उल्लेखनीय सुधार हुआ वहीं इंजीनियरी तथा पेट्रोलियम जैसे मूल्य योजित करने वाले क्षेत्रों का निष्पादन उल्लेखनीय रहा। इंजीनियरी उत्पादों, पेट्रोलियम उत्पादों तथा रत्न एवं आभूषणों में काफी अधिक वृद्धि दिखायी दी (चार्ट II.47)। इसके अलावा, विशेष रूप से अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका में नये बाजारों की तलाश के साथ-साथ उभरती बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में

अतिरिक्त बल दिये जाने के कारण भी निर्यात के निष्पादन में बेहतर सुधार हुआ।

II.6.12 निर्यात की प्रक्रियाओं की कुशलता में सुधार हेतु केंद्रीय बजट 2011-12 में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी है: (i) आयातकों तथा निर्यातकों द्वारा सीमा शुल्क संबंधी देयताओं के आकलन संबंध में स्व-मूल्यांकन की प्रणाली की शुरुआत करना; (ii) वस्तुओं के निर्यातों के संबंध में उपयोग में लाई गयी सेवाओं पर शुल्क वापसी योजनाओं की तर्ज पर करों की वापसी को सरल बनाना; (iii) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अंदर सरलीकृत वापसी की प्रक्रिया के साथ-साथ करमुक्त सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति दिया जाना; (iv) सात मेगा लेदर क्लस्टरों तथा एक हैंडिक्राफ्ट मेगा क्लस्टर की स्थापना करना।





चार्ट II.46: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की वर्ष-दर-वर्ष निर्यात वृद्धि



II.6.13 2010-11 के दौरान निर्यातों की तुलना में आयातों में वृद्धि की दर कम रही। कुल आयातों (सोना तथा चांदी को घटाकर गैर तेल आयात, थोक उपभोक्ता वस्तुएं, विनिर्मित उर्वरक तथा प्रोफेशनल उपकरण) में औद्योगिक निविष्टियों के हिस्से में वृद्धि हुई जो आयातों की प्रवृत्ति में हुए कुछ गुणात्मक बदलाव को दर्शाती है। वर्ष के दौरान निर्यात से संबंधित वस्तुओं के आयातों में लगभग 59 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद कुल आयातों में सोना और चांदी का हिस्सा पिछले वर्ष के स्तर के लगभग समान रहा।

II.6.14 वाणिज्यिक आसूचना एवं अंक संकलन महानिदेशालय के अनुसार 2010-11 के दौरान भारत के वणििक निर्यातों तथा आयातों में क्रमशः 42.3 प्रतिशत तथा 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इनमें 2.2 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम

चार्ट II.47: मुख्य पण्यों के निर्यात और आयात



होकर 98.2 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 5.7 प्रतिशत) रह गया (परिशिष्ट सारणी 17)। परंतु, भुगतान संतुलन आधार पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापार घाटा उच्चतर अर्थात् 7.5 प्रतिशत रहा।

अदृश्य मदों में सुदृढ़ वृद्धि



II.6.15 2010-11 के दौरान अदृश्य मद संबंधी प्राप्तियों तथा भुगतानों में सुदृढ़ वृद्धि हुई जबकि 2009-10 में प्राप्तियों में गिरावट आयी थी। सेवाओं के निर्यातों एवं निजी अंतरणों के कारण हुई इस वृद्धि में निवेश आय में हुई गिरावट के कारण अंशतः कमी आयी। अदृश्य मद संबंधी भुगतानों में हुई तेज वृद्धि में इसके प्रमुख घटक अर्थात् सेवाओं तथा निवेश आय का योगदान रहा। इसके परिणामस्वरूप निवल अदृश्य मदों में पिछली अवधि की तुलना में मामूली वृद्धि हुई। अदृश्य मदों के प्रमुख घटकों में, सेवा निर्यात में 37.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारी सुधार हुआ जिससे सेवा निर्यात की राशि बढ़कर 132 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। जहां सॉफ्टवेयर सेवाओं की प्राप्तियों का कुल सेवा निर्यातों में 44.7 प्रतिशत हिस्सा

रहा वहीं वर्ष के दौरान कारोबार तथा वित्तीय सेवाओं के निष्पादन में भी सुधार आया।

II.6.16 सेवाओं से संबंधित आंकड़ों के बारे में उल्लेखनीय पक्ष भारत के भुगतान संतुलन संबंधी नियम पुस्तिका (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) पर बनी कार्यदल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के अनुसरण में पहली बार अप्रैल 2011 के सेवाओं में व्यापार संबंधी अनंतिम समेकित आंकड़ों का प्रकाशन किया जाना रहा। सेवाओं में व्यापार संबंधी सकल आंकड़ों का प्रकाशन लगभग 45 दिनों के अंतराल पर मासिक आधार पर किया जाएगा।

II.6.17 निवेश आय संबंधी प्राप्तियों में, जो कि अदृश्य मदों का एक प्रमुख घटक है, विदेशों में ब्याज दरें कम रहने के कारण लगभग एक-तिहाई की कमी आयी। 2010-11 के दौरान निजी अंतरण प्राप्तियों में, जो वैश्विक संकट के दौरान अदृश्य प्राप्तियों का एक सुदृढ़ घटक था, मामूली वृद्धि हुई। 2010-11 के दौरान अन्य खंडों के बेहतर प्रदर्शन के चलते चालू प्राप्तियों में निजी अंतरण प्राप्तियों के हिस्से में गिरावट आयी (चार्ट II.48)।


चार्ट II.48: भारत की अदृश्य मदों का निष्पादन



चालू खाते के घाटे में कमी

II.6.18 आयातों की तुलना में निर्यातों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के बावजूद भुगतान संतुलन आधार पर व्यापार घाटा राशि के रूप में पिछले वर्ष के 118 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 8.6 प्रतिशत) से बढ़कर 130 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 7.5 प्रतिशत) हो गया (परिशिष्ट सारणी 18)। निवल अदृश्य मदों ने व्यापार घाटे के लगभग 66.1 प्रतिशत हिस्से का वित्तपोषण किया जबकि पिछले वर्ष यह हिस्सा 67.6 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप चालू खाते का घाटा 2010-11 के दौरान घटकर जीडीपी का 2.6 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 2.8 प्रतिशत था (चार्ट II.49)। इस प्रकार चालू खाते का घाटा न्यूनतम वहनीय स्तर अर्थात् 2.7 - 3.0 प्रतिशत के अंदर है (बॉक्स II.17)।

चार्ट II.49: भुगतान संतुलन के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियाँ



पूंजी खाते में सुधार, हालांकि प्रवाह की संरचना के बारे में चिंताएं बरकरार

II.6.19 भारत की वृद्धि की संभावनाओं के बारे में सकारात्मक धारणा ने 2010-11 के दौरान पूंजी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया जिसके कारण पिछली वर्ष की तुलना में पूंजी प्रवाह में 6.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। ऐसे प्रवाहों की संरचना तथा अस्थिरता कुछ चिंताओं को जन्म देती है। प्रवाहों में अस्थायी स्वरूप के विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारियों जैसे ऋण का सृजन करने वाले प्रवाहों एवं अल्पावधि कर्ज का प्राधान्य रहा जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों में गिरावट आयी। विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवल अंतर्प्रवाह लगभग पिछले वर्ष के स्तर के समान रहा, हालांकि निवेशकों की धारणाओं में बदलाव होने पर बीच-बीच पर निवल बहिर्वाह भी हुआ। भारत में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह में उल्लेखनीय गिरावट एवं उच्चतर सकल बहिर्वाह के चलते निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाहों में लगभग 11.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की गिरावट आयी। 2010-11 के दौरान बढ़ते ऋण प्रवाहों सहित इक्विटी प्रवाहों आयी कमी वहनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।

II.6.20 10-11 के दौरान अनिवासी जमाराशियां मुख्यतः एनआरओ जमाराशियों के अंतर्गत उच्चतर अंतर्प्रवाहों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर रहीं (चार्ट II.50)। जहां ऋण का सृजन करने वाला प्रवाह ब्याज दरों में अंतर के प्रति समग्र स्तर पर काफी संवेदनशील होता है वहीं पूंजी प्रवाह ब्याज दरों में अंतर के प्रति कम संवेदनशील होता है (बॉक्स II.18)। भारत को प्राप्त होने वाली निवल बाह्य सहायता 2 बिलियन अमरीकी डॉलर अधिक रही जो विश्व बैंक से प्राप्त हुए वित्तीय क्षेत्र ऋण के कारण थी। देशी आर्थिक

बॉक्स II.17

भारत के चालू खाता घाटे का वहनीय न्यूनतम स्तर

संकल्पना के रूप में, वहनीयता का तात्पर्य किसी देश की निरंतर आधार पर अपने चालू खाते के घाटे का वित्तीयन करने की क्षमता से है। इसलिए चालू खाता शेष के उस स्तर को वहनीय स्तर माना जा सकता है जिनका वित्तीयन बिना किसी बाह्य भुगतान की कठिनाइयों के निरंतर आधार किया जा सके। सामान्यतः चालू खाता घाटे के वहनीय स्तर को अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार निवल बाह्य देयताओं (एनईएल) के रूप में मापा जाता है। चालू खाता शेष के उस स्तर को वहनीय माना जाता है जो अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में निवल बाह्य आस्तियों/ देयताओं को संतुलित करता हो। निवल बाह्य देयता/देशी घरेलू उत्पाद अनुपात के अलावा, वहनीयता का आकलन कई सारे आर्थिक संकेतकों अर्थात् ऋण-जीडीपी अनुपात, आयात कवर और ऋण चुकौती अनुपात के रूप में भी किया जा सकता है। चालू खाता शेष की वहनीयता को ऋण शोधन क्षमता के रूप में भी देखा जा सकता है। किसी देश को ऋण शोधन क्षमतावाला देश तभी समझा जाएगा यदि उसके भावी समायोजित चालू खाता अधिशेषों का जोड़ निवल बाह्य देयताओं के चालू स्तर से अधिक हो। ऋण शोधन क्षमता और वहनीयता आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं क्योंकि बाह्य शेष के निरंतर अवहनीय बने रहने से देश की ऋण शोधन क्षमता प्रभावित होगी। सैद्धांतिक रूप से, पहले से यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि निवल बाह्य देयता के अनुपात का वहनीय स्तर क्या होगा। अलग-अलग देशों में यह अनुपात अनेक कारणों से अलग-अलग होता है। इन कारणों में निवेशकों के हित की रक्षा करने की किसी देश की विश्वसनीयता और क्षमता शामिल हैं।

कई देशों में चालू खाते की वहनीयता के मुद्दे को समय-समय पर उठाया जाता रहा है। एक व्यावहारिक समाधान के रूप में, ऐतिहासिक रूप से किसी वहनीय स्तर को भविष्य में भी उसके वहनीय बने रहने के रूप में माना जा सकता है (आइएमएफ, 1999)। मिलेस्सी- फेरेट्टी और रेजिन (1996) ने दर्शाया है कि यद्यपि सकल देशी उत्पाद के 5 प्रतिशत के चालू खाते के घाटे को सामान्यतया खतरे का संकेत माना जाता है, परंतु चालू खाते का घाटा अधिक होने अथवा न होने संबंधी प्रश्न का उत्तर केवल बाह्य असंतुलों की गति का पूर्वानुमान करके दिया जा सकता है। लेकिन 5 प्रतिशत का स्तर निश्चित रूप से उन देशों के लिए भी खतरे का संकेत है जिनकी वैश्विक पूंजी बाजार में पहुंच अबाध रूप से है। ओब्सटफेल्ड और रोगॉफ (2005) ने दर्शाया है कि अमरीका के सकल देशी उत्पाद के 5.4 प्रतिशत के चालू खाते के घाटे से उस समय अमरीकी डॉलर के धराशायी होने की प्रबल संभावना थी। हाल में यूरो क्षेत्र के कुछ देशों में चालू खाते के घाटे की वहनीयता संबंधी चिंताएं पुनः उभरकर आई हैं। गैगनॉन (2011) चेतावनी देते हैं कि राजकोषीय नीति, बाह्य वित्तीय नीति, निवल विदेशी आस्ति और तेल मूल्य के पारस्परिक प्रभाव के

कारण चालू खाते के असंतुलन की वापसी हो रही है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के चालू खाता घाटे का वहनीय स्तर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम रहने की संभावना है।

भारत में समय के साथ वहनीय चालू खाता घाटा/ सकल देशी उत्पाद अनुपात में वृद्धि हुई है। कैलेन और कैशिन (1999) ने अपने एक प्रारंभिक अध्ययन में वृद्धि दर और बाह्य वित्त की लागत के आधार पर इसका अनुमान 1.5 - 2.5 प्रतिशत लगाया था। लेकिन, बहुत अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह और इसे अवशोषित करने की बेहतर संस्थागत क्षमता के चलते इस अनुपात में वृद्धि हुई है। ऐतिहासिक रूप में, भारत का 1996-97 का लगभग 21 प्रतिशत का निवल बाह्य देयता अनुपात सर्वाधिक था, लेकिन इसने अर्थव्यवस्था पर कोई दबाव नहीं डाला। आनुभविक रूप से निर्धारित चालू खाता शेष के स्तर, जो सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में निवल बाह्य देयता (एनईएल) अनुपात के ऐतिहासिक वहनीय शीर्ष स्तर के सुसंगत हो, को जानने के लिए 'ऋण वहनीयता के डोमर मॉडल' जैसा एक मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। इस मॉडल के अंतर्गत वृद्धि दर और ब्याज दर के बीच संख्यात्मक अंतर का आकार जितना बड़ा होगा चालू खाता शेष के स्तर का आकार उतना ही उच्चतर होगा जो एक स्थिर निवल बाह्य देयता अनुपात के अनुरूप हो। इस पद्धति के अनुसार 2.7 - 3.0 प्रतिशत का चालू खाता घाटा मध्यावधि में भारत के लिए वहनीय पाया गया है बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, अर्थात् (i) सकल देशी उत्पाद में वृद्धि 7.0 से 9.0 प्रतिशत के बीच हो तथा मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत के आसपास बनी रहे; (ii) बाह्य देयताओं की औसत ब्याज लागत 2.0 से 3.5 प्रतिशत के दायरे में हो; और (iii) पूंजी प्रवाह सकल देशी उत्पाद का लगभग 4-4.5 प्रतिशत हो तथा इन प्रवाहों का 3/5 वां हिस्सा ऋण का सृजन न करने वाला अंतर्प्रवाह हो।

संदर्भ:

कैलेन, टिम और पॉल कैशिन पी (1991), "एसेसिंग एक्स्टर्नल सेक्टर सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया", आइएमएफ वर्किंग पेपर, सं. 181।
गैगनॉन, जोसेफ ई. (2011) "करेंट एकाउंट इम्बेलेसेस कमिंग बैक, ' पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी-11-1, जनवरी।
मिलेसी-फेरेट्टी, गियान मारिया और आसफ रेजिन (1996), "करेंट एकाउंट सस्टेनेबिलिटी", प्रिंसटन स्टडीज इन इंटरनेशनल फाइनेंस, सं. 81, अक्टूबर।
ओब्सटफेल्ड, मौरिस और केनेथ रोगोफ (2004), "दि अनसस्टेनेबल यूएस करेंट एकाउंट पोजिशन रिविजिटेड", एनबीईआर वर्किंग पेपर सं. 10869।


गतिविधियों में उछाल, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में सुधार एवं विदेशों में निधियों की कम लागत के चलते भारतीय कंपनियों ने बाह्य वाणिज्यिक उधारियां लीं जिनकी राशि चार गुना बढ़कर 11.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। अल्पावधि व्यापार कर्ज में भी वृद्धि हुई। पूंजी प्रवाह उच्चतर रहने के बावजूद चालू खाते का घाटा उच्चतर रहने के कारण निवल पूंजी प्रवाह में कमी आयी।

II.6.21 देशवार रूप में, 2010-11 के दौरान भारत को प्राप्त हुए सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाहों में मॉरिशस के जरिए प्राप्त

होने वाले निवेश का हिस्सा सबसे बड़ा था जिसके बाद सिंगापुर तथा नीदरलैंड का स्थान था (परिशिष्ट सारणी 19) (चार्ट II.51)। 2010-11 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण, सेवा तथा 'निर्माण, स्थावर संपदा तथा खनन' क्षेत्रों में किया गया (चार्ट II.52)।


II.6.22 2010-11 के दौरान भुगतान संतुलन आधार पर विदेशी मुद्रा आस्तियों में 13.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की जो वृद्धि हुई वह मुख्यतः बाह्य सहायता के अंतर्गत राशि प्राप्त होने (6.1 बिलियन

चार्ट II.50 : पूँजी प्रवाहों (निवल) के प्रमुख घटकों की प्रवृत्तियां



अमरीकी डॉलर), ब्याज तथा निधीयन आय (4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर) तथा प्राधिकृत व्यापारियों से निवल खरीद (रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में हस्तक्षेप) (1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) की वजह से थी। 2011-12 के दौरान अब तक (12 अगस्त तक) भारतीय रुपये के मूल्य में सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में गिरावट आयी जो अंशतः आयातकों की ओर से मांग में बढ़ोतरी होने की वजह से थी (चार्ट II.53)। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान स्तर पर रुपये की विनिमय दर का मूल्यांकन उचित रूप में हुआ है (बॉक्स II.19)।


चार्ट II.51: देश-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह




रुपये के मूल्य में लचीलेपन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति सुदृढ़

II.6.23 2010-11 के दौरान निवल पूँजी खाते में अधिशेष के चलते, बड़ी मात्रा के चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण करने के बाद, विदेशी मुद्रा भंडार में 13.1 बिलियन अमरीकी डॉलर (मूल्यन प्रभाव को छोड़कर) की निवल अभिवृद्धि हुई। मूल्यन लाभों को शामिल करने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में 25.8 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि

चार्ट II.52: उद्योगवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह



चार्ट II.53: भारत में विनिमय दर का लचीलापन



बॉक्स II.18

भारत में आने वाली पूंजी की ब्याज दर संवेदनशीलता

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी के अंतर्प्रवाह के लिए ब्याज दर में अंतर को प्रमुख निर्धारक कारक माना गया है और कभी-कभी मौद्रिक नीति संबंधी उपाय, जो मुद्रास्फीति और संवृद्धि के उद्देश्य से निर्धारित होते हैं, किसी देश में पूंजी प्रवाह को तेज या कम कर सकते हैं। हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बहुत तेज गति से हुई रिकवरी और मुद्रास्फीति की अलग-अलग प्रवृत्ति के चलते उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक सहायता वापस लेने के मामले में असमानताएं देखी गईं। इस प्रक्रिया का नतीजा यह हुआ कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक पूंजी प्राप्त हुई जिससे उनकी आस्तियों की कीमतों में तथा विनिमय दर में वृद्धि हुई। भारत में 2010-11 में मौद्रिक नीति के सामान्य होने के दौरान, जब नीति संबंधी ब्याज दरें क्रमिक रूप से बढ़ाई जा रही थीं, इसी प्रकार की चिंताएं विशेष रूप से पहली छमाही में सामने आईं। तथापि, उच्च चालू खाता घाटा और उससे जुड़ी उच्चतर निधीयन संबंधी आवश्यकताओं ने विनिमय दर पर दबाव को कम किया। संवेदनशीलता को बढ़ाने वाले कारकों के अंतर्गत, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगभग शून्य नीति दरों, उनकी वृद्धि की कमजोर संभावनाओं और मौद्रिक समर्थन की सूचक पर्याप्त वैश्विक चलनिधि की स्थिति का मतलब यह था कि भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, अधिक प्रतिलाभ की चाहत में, और अधिक पूंजी आने की गुंजाइश थी। सुदृढ़ समष्टि आर्थिक परिवेश में मजबूत रिकवरी तथा बहुत लंबे समय से विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में भारत का एक स्थान होने की सामान्य सोच के चलते भी भारत को बाहर से पूंजी प्राप्त होने में आवश्यक सहायता मिली।

भारत के मामले में, आकस्मिक (कभी-कभार) और दीर्घावधिक सह-एकीकरण विश्लेषणों का प्रयोग करने संबंधी हाल के अनुभवसिद्ध आकलन से यह संकेत मिलता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर और विदेशी संस्थागत निवेशक ईक्विटी निवेश पर, जो 2000-01 से 2009-10 तक की 10-वर्ष की अवधि के कुल निवल पूंजी प्राप्तियों के लगभग तीन-चौथाई भाग के बराबर है, ब्याज दर में होनेवाले अंतरों का प्रभाव नहीं पड़ता है (वर्मा और प्रकाश, 2011)। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से प्राप्त होने वाली पूंजी मुख्यतः दीर्घावधिक स्वरूप की होती है तथा इसकी मात्रा मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावना पर तथा विदेशी निवेशकों के इस विश्वास

पर निर्भर करती है कि भारत दीर्घावधिक निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान है। शोयर बाजार से प्राप्त होनेवाले प्रतिलाभ देशी वित्तीय बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगायी जाने वाली पूंजी की मात्रा को बढ़ाने के मामले में एक प्रमुख कारक साबित हुए हैं। आशाओं के अनुरूप ऋण का सृजन करने वाली प्राप्त होने वाली पूंजी पर, विशेष रूप से बाह्य वाणिज्यिक उधारों, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) और अनिवासी (ई) रुपया खाता जमाराशियों की मात्रा पर, ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यद्यपि ब्याज दर में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों की तुलना में अन्य कारणों का प्राप्त होने वाली ऐसी पूंजी की मात्रा पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। समग्र स्तर पर ब्याज दर विभेदक में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि होने पर संघीय सकल पूंजी आगम में लगभग 0.05 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है। ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों का पूंजी के आगम पर कम प्रभाव पड़ने से यह संकेत मिलता है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति और वृद्धि संबंधी लक्ष्यों पर अपना फोकस जारी रखने की जरूरत है और साथ ही और अधिक पूंजी के आगम को आकर्षित करने तथा इसके परिणामस्वरूप विनिमय दर और घरेलू चलनिधि संबंधी चुनौतियों से जुड़ी धारणा के आधार पर अपने उपायों में शिथिलता नहीं लानी चाहिए। पूंजी प्रवाह की मात्रा और उसके स्वरूप को अन्य साधनों का प्रयोग करके व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसा कि पहले भी किया जाता रहा है।

संदर्भ :

काल्वो गुइलमो ए., एडुअर्डो फर्नांडीस-परियास, कार्मन रेनहार्ट, एंड अर्नेस्टो ताल्वी (2001), “द ग्लोथ-इन्टरेस्ट रेट साइकिल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स कन्सिक्वेंसेस फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, ” इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक वर्किंग पेपर सं. 458, वाशिंगटन।
सिंह, भूपाल (2009), “चेजिंग कन्टूर ऑफ कैपिटल फ्लोज टु इंडिया” इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2009, वॉल्यूम XLIV सं. 43 अक्टूबर 24।
वर्मा, राधेश्याम तथा आनंद प्रकाश (2011) “सेंसिटिविटी ऑफ कैपिटल फ्लोज टु इन्टरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स : एन एम्पीरिकल एसेसमेंट फॉर इंडिया”, आरबीआइ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपीएस (डीईपीआर) : 7/2011, मई।

हुई। 12 अगस्त 2011 को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की राशि 316.6 बिलियन अमरीकी डॉलर थी (परिशिष्ट सारणी 20)। डॉलर तथा यूरो की तुलना में भारतीय रुपये में होनेवाला दोतरफा उतार-चढ़ाव पहले की अवधि की तुलना में फरवरी 2007 के बाद अधिक तेज रहा जो इसके लचीलेपन को दर्शाता है (चार्ट II.54)।

विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन

II.6.24 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के निदेशक लक्ष्यों में सुरक्षा, चलनिधि तथा प्रतिलाभ रहे और ये सामान्य अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर पारंपरिक रूप से विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ावों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप और अन्य मुद्राओं तथा ब्याज आय की तुलना में प्रतिभूतियों तथा अमरीकी डॉलर के मूल्यों में होनेवाले बदलाव के कारण मूल्यन में होनेवाले परिवर्तनों से निर्धारित होता रहा है। इसके अलावा, जैसाकि कुछ अन्य देशों में देखा गया है,

रिजर्व का गठन व्यापार अधिशेष से न करके मुख्यतः अस्थायी पूंजी प्रवाहों से किया जाता है, अतः पूंजी प्रवाह के अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले दौर में कूशन के रूप में रिजर्व को बनाये रखना आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ नोट खरीद समझौते के अंतर्गत निवेश

II.6.25 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधारयोग्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने उसके साथ नोट की खरीद का समझौता किया जिसके अंतर्गत वह 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के समकक्ष राशि तक के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष नोटों की खरीद करेगा। नोट खरीद समझौते के अंतर्गत 10 मिलियन अमरीकी डॉलर खरीद करने का आश्वासन को 1 अप्रैल 2011 से लागू नयी उधार व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है। 30 जून 2011 तक एनएबी के तहत 750 मिलियन (5367.90 करोड़ रुपये) राशि की एसडीआर का निवेश नोटों में किया गया है।

बॉक्स II.19
संतुलित विनिमय दर

विश्व अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण के कारण बाह्य समायोजन प्रक्रिया में विनिमय दर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और ऐसी स्थिति संतुलित विनिमय दर के सही आकलन की अपेक्षा करती है। संतुलित विनिमय दर का मूल्यांकन वास्तव में एक आनुभविक प्रक्रिया से किया जाने वाला कार्य है।

नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण से दीर्घावधि में विनिमय दर व्यवस्था की तीन पद्धतियां हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। ये हैं: समष्टि-आर्थिक शेष (एमबी) दृष्टिकोण, संतुलित वास्तविक विनिमय दर का संक्षिप्त दृष्टिकोण और बाह्य वहनीय (ईएस) दृष्टिकोण। विनिमय दर मूल्यांकन संतुलन की धारणा पर आधारित है अर्थात् मध्यावधि से दीर्घावधि में बाह्य और आंतरिक शेष में सुसंगतता। समष्टि-आर्थिक शेष दृष्टिकोण, जो कई वर्षों तक चालू खाता और विनिमय दर मूल्यांकनों का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा है, प्रचलित विनिमय दरों पर मध्यम अवधि में अनुमानित चालू खाता शेषों और अनुमानित संतुलित चालू खाता शेषों के बीच अंतर की गणना करता है। विनिमय दर समायोजन, जो इस अंतर को मध्यावधि में समाप्त कर देगा, वास्तविक विनिमय दर संबंधी व्यापार शेषों की देश-विशिष्ट अनुमानित अनुक्रियाओं का प्रयोग करते हुए प्राप्त किया जाता है। संतुलित वास्तविक विनिमय दर दृष्टिकोण प्रत्येक देश के लिए एक संतुलित वास्तविक विनिमय दर का आकलन मध्यावधि के मूलभूत तत्वों, जैसे कि देश की निवल विदेशी आस्तियों की स्थिति, व्यापार योग्य तथा गैर व्यापार योग्य क्षेत्रों के बीच उत्पादकता में सापेक्ष अंतर तथा व्यापार की शर्तों, के एक फलन के रूप में करता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत अल्पावधि में संतुलन स्थापित करने के लिए विनिमय दर में किए जाने वाले समायोजन की गणना आकलित संतुलित वास्तविक विनिमय दर तथा इसके चालू मूल्य के अंतर के रूप में की जाती है। बाह्य स्थिरता संबंधी दृष्टिकोण के अंतर्गत वास्तविक चालू खाता शेष तथा उस शेष के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है जिसमें किसी बेंचमार्क स्तर पर देश की एनएफए स्थिति संतुलित स्थिति में आती हो।

जहां तक भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध है, बाह्य वहनीयता संबंधी दृष्टिकोण का प्रयोग करके किए गए प्रारंभिक कार्य दर्शाते हैं कि भारत के चालू खाता घाटे का वहनीय स्तर लगभग तीन प्रतिशत का है। चूंकि भारत के चालू खाते के घाटे का वर्तमान स्तर लगभग 3 प्रतिशत है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विनिमय दर अपने संतुलित मूल्य के करीब है। 36 मुद्रा युक्त व्यापक मुद्रा व्यापार भारत वास्तविक प्रभावी विनिमय दर भी, जो कि बाह्य प्रतिस्पर्धा की एक माप है और भारत के कुल व्यापार के लगभग 85 प्रतिशत को कवर करती है और लगभग 100 के आधार स्तर के आसपास सामान्यतः विचरण कर रही है, उक्त अनुभवसिद्ध अभ्यास की पुष्टि करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकलन है कि समष्टि-आर्थिक शेष दृष्टिकोण आधारित रुपये की वास्तविक प्रभावी दर थोड़ी-सी अवमूल्यित है, परंतु औसत रुपये का मूल्य संतुलित है (आइएमएफ 2011)।


भारत में विनिमय दर नीति किसी निश्चित अथवा पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अथवा दायरे से निर्देशित नहीं है, बल्कि यह विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती है। परंतु विनिमय दर नीति के लक्ष्य के रूप में उस समय विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लचीलेपन को बनाये रखा गया है जब पूंजी प्रवाह एक साथ भारी मात्रा में हो एवं इसमें काफी उतार-चढ़ाव हो अथवा इसके कारण समष्टि-आर्थिक स्थिति में व्यवधान उत्पन्न होता हो।

संदर्भ :

जावो ली, गियान मारिया, मिलेसी-फेरेट्टी, जोनाथन ओस्ट्रे, एलेसान्द्रा प्राति एंड लूका एंटोनिओ रिक्की (2008) 'एक्सचेंज रेट असेसमेंटस् : सीजीआईआर मेथडालॉजिस' इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आकैजनाल पेपर नं: 261।

आइएमएफ (2010); 'करेंट अकाउंट एंड एक्सटर्नल सस्टेनेबिलिटी', आइएमएफ स्टाफ टेक्निकल नोट फर आर्टिकल IV कन्सल्टेशन्स विद इंडिया, नवंबर।

चार्ट II.54: अमरीकी डॉलर और यूरो की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन



बाह्य ऋण में मामूली वृद्धि

II.6.26 मार्च 2011 के अंत में भारत के बाह्य ऋण की मात्रा 17.2 प्रतिशत बढ़कर 306 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई जो वाणिज्यिक उधारियों, अल्पावधि व्यापार ऋणों, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय उधारियों में वृद्धि होने एवं अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में गिरावट आने के चलते हुए मूल्यन प्रभाव की वजह से थी। जहां दीर्घावधि ऋण 32.2 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 241 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया वहीं अल्पावधि ऋण (मूल परिपक्वता के आधार पर) 13 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 65 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (परिशिष्ट सारणी 21)। मुद्राओं की संरचना के अनुसार मार्च 2011 के अंत में 59.9 प्रतिशत हिस्से के साथ कुल बाह्य ऋण में अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गित ऋण का हिस्सा प्रमुख था जिसके बाद भारतीय रुपये (13.2 प्रतिशत), जापानी येन (11.4 प्रतिशत), एसडीआर (9.7 प्रतिशत) का क्रम था तथा शेष 5.8

प्रतिशत हिस्सा यूरो, पौंड-स्टर्लिंग तथा अन्य मुद्राओं का था। ऋण की वहनीयता के विभिन्न संकेतक सामान्य स्तर पर बने रहे (चार्ट II.55)।


अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति में गिरावट

II.6.27 निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति, जिसकी गणना अर्थव्यवस्था की बाह्य आस्तियों तथा देयताओं के अंतर के रूप में की जाती है, बाह्य क्षेत्र के वित्तपोषण की वहनीयता की दृष्टि से किसी देश की शक्ति का संकेतक होती है। अंतरराष्ट्रीय आस्तियां मार्च 2010 के अंत के 381 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 425 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गयीं जो मुख्यतः विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश और रिजर्व आस्तियों में हुई वृद्धि की वजह से थी। अंतरराष्ट्रीय देयताएं मार्च 2010 के अंत के 539 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 643 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गयीं जो मुख्यतः आवक प्रत्यक्ष निवेश एवं पोर्टफोलियो निवेश एवं अन्य निवेशों में वृद्धि होने की वजह से थी। इसके परिणामस्वरूप निवल देयताओं में 61 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई।

बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ परंतु वैश्विक अनिश्चितताएं चालू तथा पूंजी खाते की स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं

II.6.28 भारत का बाह्य क्षेत्र वैश्विक वित्तीय संकट को झेलने के बाद भी सुदृढ़ बना हुआ है। परंतु वैश्विक अनिश्चितताएं भुगतान संतुलन की चालू तथा पूंजी खाते की स्थिति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकती हैं। 2010-11 में निर्यात की स्थिति अच्छी रही परंतु यदि वैश्विक वृद्धि में गिरावट का जोखिम सही साबित हो जाता है तो शायद निर्यात की उच्च गति को बनाये रखा नहीं जा सकेगा। तथापि सरकार द्वारा अपनायी गयी सक्रिय नीतियों के साथ-साथ उत्पादों के विविधीकरण हेतु किये गये लगातार प्रयास तथा नये बाजारों को लक्षित करने जैसे उपायों ने निर्यात में वृद्धि की संभावना के दोहन के लिए अनुकूल स्थिति पैदा की है। सॉफ्टवेयर सेवाओं में भारत के तुलनात्मक लाभ के चलते सेवाओं का निर्यात बेहतर रहने की संभावना

चार्ट II.55: बाह्य ऋण संकेतक



है। नेस्कॉम के पूर्वानुमान के अनुसार 2011-12 में सॉफ्टवेयर निर्यातों में 16-18 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हो सकती है। पण्यों, विशेष रूप से तेल, की बढ़ती कीमतें तथा भू-राजनीतिक अशांति भुगतान संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। निजी अंतरण की स्थिति अच्छी बनी रही।

II.6.29 चालू खाते का घाटा अधिक न रहने की संभावना को देखते हुए 2011-12 में इसका वित्तपोषण में बाधाएं नहीं आनी चाहिए। यद्यपि यूरो क्षेत्र की गतिविधियां तथा अमरीका में सरकारी ऋण की सीमा में की गयी बढ़ोतरी पूंजी प्रवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। 2011-12 में अनुमोदित किये गये प्रस्तावों एवं जून 2011 तक उपलब्ध प्रारंभिक प्रवृत्ति को देखते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह काफी अधिक होने की संभावना है। जहां तक पोर्टफोलियो प्रवाह की अस्थिरता का संबंध है, वृद्धि दरों में अंतर रहने के चलते भारत ऐसे प्रवाह के लिए पसंदीदा देश हो सकता है। ऋण के प्रवाह ब्याज दरों के अंतरों को दर्शाते रहेंगे। अतः भुगतान संतुलन की स्थिति नियंत्रण में है, तथापि वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते इस पर निरंतर निगरानी रखने की जरूरत है।

भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली
और परिचालन

III

मौद्रिक नीति का परिचालन

मूल्य स्थिरता एवं वृद्धि के दोहरे लक्ष्य के बीच संतुलन स्थापित करते समय मौद्रिक नीति का संचालन ‘रिकवरी के प्रबंधन’ से ‘मुद्रास्फीति के प्रबंधन’ की ओर हुए बदलाव की नीतिगत चुनौती से प्रेरित रहा। 2010-11 की पहली छमाही के दौरान नीतिगत लक्ष्य नीतिगत रुझान को व्यवधान रहित तरीके से सामान्य स्थिति में लाने का रहा जो वृद्धि को आगे ले जाने में सहायक हो। मुद्रास्फीति की दर ऊंची रही, परंतु सामान्य स्थिति की बहाली हेतु मुद्रास्फीति संबंधी दबाव के स्रोतों को सतर्कतापूर्वक समायोजित करने की जरूरत है। तीव्र वृद्धि के माहौल में मुद्रास्फीति की प्रक्रिया के व्यापक बनने के साथ-साथ उसके ऊंचे स्तर पर बने रहने के चलते वर्ष की दूसरी छमाही में मौद्रिक नीति का मुद्रास्फीति-रोधी प्रयास अधिक सुदृढ़ रहा। मौद्रिक नीति-निर्माण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से मौद्रिक नीति पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति की बैठकों के कार्यवृत्त अब सार्वजनिक किये जा रहे हैं। मौद्रिक नीतिगत रुझान के संबंध में बेहतर तरीके से संकेत देने के उद्देश्य से एकल नीतिगत दर के रूप में रिपो दर को अपनाते हुए मई 2011 में मौद्रिक नीति के परिचालनात्मक ढांचे में संशोधन किया गया।

III.1 मुद्रास्फीति की चिंताओं के चलते 2010-11 के दौरान मौद्रिक नीतिगत रुझान में बदलाव आया और इसका रुख सामान्य स्थिति की ओर नपेतुले सामान्यीकरण से कड़ाई की ओर रहा। मौद्रिक नीतिगत रुझान में बदलाव के अनुरूप चलनिधि की स्थितियां सामान्य रहीं, हालांकि चलनिधि के कुछ कारक अस्थिर बने रहे। अस्थायी कारकों (जैसे, अग्रिम कर संग्रहण), प्रतिरोधात्मक कारकों (भारी मात्रा में सरकार का अधिशेष) तथा ढांचागत कारकों (अर्थात् परिचालनरत मुद्रा में उच्च वृद्धि तथा जमाराशि में वृद्धि की तुलना में कर्ज की मात्रा में उच्चतर वृद्धि) के चलते चलनिधि की बड़े स्तर के घाटे की स्थितियां बनीं जिनका प्रबंध रिज़र्व बैंक ने सांविधिक चलनिधि अनुपात, खुला बाजार परिचालन तथा चलनिधि समायोजन सुविधा का समुचित उपयोग करके किया।

III.2 मौद्रिक नीति के संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान कई उपाय किये गये। रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान चार मध्य-तिमाही समीक्षाएं प्रारंभ कीं। 2010-11 की अन्य उल्लेखनीय गतिविधियों में आधार दर प्रणाली को लागू किया जाना है जिसे जुलाई 2010 से बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) के स्थान पर लाया गया। इसने मौद्रिक नीति के संचरण में हुए सुधार का आकलन करने में मदद की (बाक्स III.1)।

मौद्रिक नीति के संबंध में संप्रेषण की भूमिका

III.3 मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता तथा वृद्धि के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है तथा इसका असर लंबे तथा अनियत अंतराल पर दिखता है। मौद्रिक नीति के संचरण में समय-अंतराल को देखते हुए मौद्रिक नीति के लक्ष्यों के संबंध में प्रभावी संप्रेषण, नीतिगत कार्रवाई के औचित्य तथा इनके संभावित परिणाम की भूमिका महत्वपूर्ण है। समुचित मौद्रिक कार्रवाई के साथ किये गये प्रभावी संप्रेषण मुद्रास्फीति प्रत्याशा को सुस्थिर रखने में मदद करते हैं। अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह ही रिज़र्व बैंक ने भी अपनी मौद्रिक नीति के प्रभावी संप्रेषण को काफी महत्व दिया है। मौद्रिक नीति के रुझान तथा उसके औचित्य के बारे में जनसाधारण को कई तरीकों से अवगत कराया जाता है, जैसे-नियमित अंतरालों पर जारी किये जाने वाले मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य, अन्य प्रकाशन, शीर्ष प्रबंध-तंत्र के भाषण तथा प्रेस प्रकाशनी। संप्रेषण की प्रक्रिया के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हाल में कई उपाय किये गये हैं। तेजी से बदल रही वैश्विक तथा देशी समष्टि-आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए लचीलेपन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तिमाही प्रक्रिया की कठोरता और व्यापकता के साथ इसे जोड़ने हेतु सितंबर 2010 से रिज़र्व बैंक ने मध्य-तिमाही समीक्षा की शुरुआत की।

बॉक्स III.1

आधार दर को अपनाये जाने के बाद मौद्रिक नीति संचरण

बैंचमार्क मूल उधार दर की शुरुआत 2003 में इस आशा के साथ की गयी थी कि यह बैंकों की निधियों की वास्तविक लागत को दर्शाते हुए कर्ज संबंधी उत्पादों के मूल्य-निर्धारण में बैंचमार्क दर के रूप में कार्य करेगी। परंतु बीपीएलआर प्रणाली उधार दरों में पारदर्शिता लाने के मूल उद्देश्य पर खरी नहीं उतरी। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ कि इसके अंतर्गत बैंक बीपीएलआर से कम दर पर कर्ज दे सकते हैं। सितंबर 2008 में बीपीएलआर से कम दर पर दिये गये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कर्ज का हिस्सा 77 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर था जो बाद में जून 2010 को समाप्त तिमाही में घटने के बावजूद 70 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर था। इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक की नीति दरों के बैंकों के उधार दरों में अंतरण का आकलन करने में कठिनाई हो रही थी।

इस समस्या को दूर करने के लिए 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने एक कार्यदल (अध्यक्ष: दीपक मोहंती) गठित करने की घोषणा की जो बीपीएलआर प्रणाली की समीक्षा करके कर्ज के मूल्यन को पारदर्शी बनाने हेतु उसमें आवश्यक बदलाव करने के बारे में सुझाव देगा। कार्यदल ने अक्टूबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कार्यदल की सिफारिशों तथा संबंधित विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2010 में आधार दर प्रणाली से संबंधित दिशानिर्देश जारी किये। आधार दर प्रणाली को 1 जुलाई 2010 से बीपीएलआर प्रणाली के स्थान पर लागू किया गया।

नयी प्रणाली के अंतर्गत उधारकर्ता पर लगाई जाने वाली वास्तविक उधार दर वह होती है जो आधार दर और ग्राहक विशेष पर लगाये जाने वाले प्रभार को जोड़कर बनती है। आधार दर सभी कर्ज के लिए ऐसी न्यूनतम दर है जिसके नीचे बैंकों को, कतिपय विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर, कर्ज देने की अनुमति नहीं है। इन विशिष्ट श्रेणियों में (क) विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) वाले अग्रिम, (ख) बैंकों के अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले कर्ज, (ग) बैंकों के जमाकर्ताओं को उनकी स्वयं की जमाराशियों की जमानत पर दिया जाने वाला कर्ज, (घ) कृषिगत कर्ज के संबंध में सरकार द्वारा ब्याज दर में दी गयी छूट तथा रुपया निर्यात कर्ज, तथा (ङ) पुनर्गठित कर्ज के कुछ विशिष्ट मामले शामिल हैं। 2 लाख रुपये तक की छोटी राशि के कर्ज एवं रुपया निर्यात कर्ज पर लगायी जाने वाली ब्याज दरों को नियंत्रण से मुक्त रखा गया है ताकि छोटे उधारकर्ताओं तथा निर्यातकों को उचित दरों पर कर्ज मिल सके। इन उपायों के साथ ही रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले रुपया कर्ज पर से नियंत्रण पूरी तरह समाप्त करने का कार्य पूरा किया। यह आशा की जाती है कि आधार दर प्रणाली से कर्ज का मूल्यन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा, कर्ज की दरों में पारदर्शिता बढ़ेगी और मौद्रिक नीति के संचरण के आकलन में सुधार होगा। यद्यपि अब तक का अनुभव सीमित स्तर का रहा है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन लक्ष्यों को मोटे तौर पर प्राप्त कर लिया गया है।

रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 के मध्य से रिपो दर में 325 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। परंतु नीति दरों को कठोर बनाये जाने का वास्तविक असर 475 आधार अंकों का रहा है जैसाकि प्रणाली के अधिशेष वाले मोड से घाटे वाले मोड में चले जाने से पता चलता है। इसके प्रत्युत्तर में जुलाई 2010 तथा 11 अगस्त 2011 के बीच आधार

दरों में 75-375 आधार अंकों की वृद्धि की गई (सारणी 1)। परंतु, प्रमुख 49 बैंकों के मामलों में आधार दर की वृद्धि का दायरा काफी कम अर्थात् 175-375 आधार अंक रहा।

सारणी 1 : रिजर्व बैंक की नीति दरों में परिवर्तन एवं अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा/उधार दरें

अवधि	(आधार अंकों में)			
	रिपो रेट में की गयी बढ़ोतरी	जमाराशि की दरों में वृद्धि	उधार दरों में की गयी बढ़ोतरी	आधार दर बीपीएलआर
मार्च 2010 के मध्य से				कोई परिवर्तन
मई 2010 तक	50	25-160	लागू नहीं	नहीं
जून 2010 से				
11 अगस्त 2011 तक	275	25-550	75-375	100-375

यह देखा गया है कि बीपीएलआर प्रणाली की स्थिति की तुलना में समय बीतने के साथ बैंकों की आधार दरों के निर्धारण में समानता बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा नीति दरों के बढ़ाये जाने की स्थिति में यह पाया गया है कि बीपीएलआर प्रणाली की तुलना में आधार दर प्रणाली अधिक पारदर्शी तथा संवेदनशील रही है। यह बात जुलाई 2010 से सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आधार दरों में की गई औसत वृद्धि में दिखाई देती है। यह देखा गया कि नीति दर में वृद्धि के फलस्वरूप आधार दर में की गई वृद्धि की गति पहले से धीमी रही किंतु दिसंबर 2010-फरवरी 2011 के दौरान उसने गति पकड़ ली। साथ ही इस अवधि में इन बैंकों द्वारा अपनी आधार दरों को बढ़ाने में लिये गये दिनों की संख्या में कमी आई (सारणी 2)। परंतु खाद्येतर कर्ज में वृद्धि धीरे-धीरे कम हो जाने के कारण रिपो दर की तुलना में आधार दर में वृद्धि की गति फरवरी 2011 से आगे धीमी हो गई और आधार दर को बढ़ाने में लिये गये दिनों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

सारणी 2 : सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आधार दरों को बढ़ाने में लिया गया समय तथा बढ़ोतरी की सीमा

अवधि (माह-दर-माह)	रिपो दर में वृद्धि (आधार अंक)	आधार दर में वृद्धि का औसत (आधार अंक)	आधार दर को बढ़ाने में लिये गये दिनों की औसत संख्या
दिसंबर 10/जुलाई 10	75	58	140
फरवरी 11/दिसंबर 10	25	65	74
मई 11/फरवरी 11	75	64	88
11 अगस्त 11/मई 11	125	69	87

इस प्रकार विभिन्न बैंकों के बीच आधार दरों में न केवल अधिक समानता होने लगी है बल्कि ये रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों में हुई वृद्धि के अनुरूप भी बदलने लगी है। इसके परिणामस्वरूप बीपीएलआर प्रणाली की तुलना में नयी प्रणाली के अधीन मौद्रिक नीति के संचरण के आकलन में सुदृढ़ता आयी है।

III.4 दोतरफा संवाद को बढ़ावा देने के लिए किये गये उपायों में गवर्नर के पत्रकार सम्मेलन की वेबकास्टिंग और तिमाही समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति पर अनुसंधानकर्ताओं/विश्लेषकों के साथ

बातचीत करना शामिल है। रिजर्व बैंक की वेबसाइट में पत्रकार सम्मेलन एवं अनुसंधानकर्ताओं/विश्लेषकों के साथ हुई टेलीकान्फरेंसिंग की ऑडियो रिकार्डिंग एवं उसका पाठ उपलब्ध कराया जाता है।

III.5 रिजर्व बैंक संचार संबंधी अपनी नीति के एक अंग के रूप में एवं अधिक पारदर्शिता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति-निर्माण संबंधी सभी आंकड़ों/जानकारी को सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहा है। तदनुसार, तकनीकी परामर्शदात्री समिति की बैठकों में मौद्रिक नीति के संबंध में हुई चर्चाओं की प्रमुख बातें समिति की बैठक के लगभग चार सप्ताह बाद वेबसाइट में डाली जा रही हैं। जनवरी 2011 में हुई तकनीकी परामर्शदात्री समिति की बैठक की मुख्य-मुख्य बातें पहली बार फरवरी 2011 में वेबसाइट में डाली गयीं।

मध्य-तिमाही समीक्षाओं की शुरुआत

III.6 अधिकांश प्रमुख केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति की घोषणाएं कम समय-अंतरालों पर करते हैं जिनकी संख्या वर्ष में 8 से 12 तक होती है। प्रारंभ में रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में दो बार मौद्रिक और कर्ज संबंधी नीति की समीक्षा की जाती थी। समय बीतने के साथ-साथ यह अनुभव किया गया कि दो नीतिगत वक्तव्यों के बीच समय-अंतराल कम होना चाहिए तथा 2005-06 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गयी कि मौद्रिक नीति की समीक्षा कम समय-अंतराल अर्थात् तिमाही आधार पर की जाएगी। मौद्रिक नीति की प्रस्तावित तिमाही समीक्षा का उद्देश्य यह था कि इससे बाजार के साथ अधिक बारंबारता के साथ सुविचारित संवाद स्थापित करने का अवसर मिलेगा, हालांकि रिजर्व बैंक को परिस्थिति के अनुसार आवश्यक विशिष्ट कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

III.7 तेजी से बदलती हुई समष्टि-आर्थिक स्थितियों को देखते हुए यह महसूस किया गया कि दो नीतिगत समीक्षाओं के बीच का समय-अंतराल काफी लंबा है। कई ऐसे अवसर आये (अप्रैल, जून तथा सितंबर-दिसंबर 2008; जनवरी तथा मार्च 2009; मार्च तथा जुलाई 2010) जब रिजर्व बैंक को समष्टि-आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत उपाय करने पड़े। जहां ये दृष्टांत तिमाही कार्यसूची की व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं वहीं ये लचीलेपन की जरूरत को भी रेखांकित करते हैं।

III.8 तदनुसार, जुलाई 2010 की मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में मध्य-तिमाही समीक्षा की घोषणा की गयी। मध्य-तिमाही समीक्षा प्रारंभ करने का रिजर्व बैंक का उद्देश्य यह था कि सामान्य समीक्षाओं के अलावा अन्य समय में अकस्मात् प्रकार की घोषणाएं न करनी पड़ें। परंतु, रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि बदली हुई

समष्टि-आर्थिक गतिविधियों के कारण आवश्यकता पड़ने पर वह तत्काल की जाने वाली तथा पूर्वोपायी प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। प्रेस प्रकाशनी द्वारा कार्रवाई अथवा यथास्थिति रखरखाव को औचित्य प्रदान करते हुए जून, सितंबर, दिसंबर तथा मार्च में मध्य तिमाही समीक्षा की घोषणा करने का निर्णय लिया गया। प्रथम मध्य तिमाही समीक्षा सितंबर 2010 में आयोजित की गई।

III.9 यह विचार किया गया है कि तिमाही समीक्षाओं के विपरीत मध्य-तिमाही समीक्षा की प्रक्रिया कम गहन होगी। मध्य-तिमाही समीक्षाओं से पहले वित्तीय बाजार तथा उद्योग से जुड़े लोगों के साथ नीतिगत घोषणा से पूर्व किए जानेवाले विचार-विमर्श नहीं किये जाते हैं। परंतु, तकनीकी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया है। रिजर्व बैंक ने मध्य-तिमाही समीक्षा से पूर्व परामर्शदात्री समिति के सदस्यों का परामर्श प्राप्त करने हेतु प्रतिसूचना के एक निर्धारित प्रारूप में सदस्यों के विचार जानने के लिए एक व्यवस्था की शुरुआत की है।

मौद्रिक नीति का परिचालन: संदर्भ तथा औचित्य

III.10 2010-11 की मौद्रिक नीति के रुझान का स्वरूप घरेलू वृद्धि व मुद्रास्फीति की बदलती गतिशीलता के अनुरूप उभरकर आया। 2010-11 की पहली छमाही में मौद्रिक नीति का बल वैश्विक स्तर पर अनिश्चतता के माहौल में बहाली के रास्ते में नीतिगत बाधाओं से बचने के साथ-साथ मुद्रास्फीति के दबावों को रोकने की ओर भी था। हेडलाइन मुद्रास्फीति में, जिसने 2010-11 की पहली तिमाही में दहाई के अंक को छू लिया था, वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरावट आई, परंतु यह रिजर्व बैंक के प्रत्याशित स्तर से ऊपर रही। खाद्य मुद्रास्फीति सामान्य मानसून के बावजूद मांग-आपूर्ति के ढांचागत असंतुलन के चलते उच्चतर रही। यद्यपि खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में वर्ष की शुरुआत के ऊंचे स्तर से गिरावट आयी, फिर भी वह मध्यावधि प्रवृत्ति से ऊपर तथा ऊंचे स्तर पर बनी रही। वैश्विक अनिश्चतता तथा घरेलू वृद्धि की दृष्टि से इसके महत्त्व को देखते हुए एवं इस बात पर विचार करते हुए कि मुद्रास्फीति मुख्यतः आपूर्ति पक्षीय कारकों से प्रेरित रही है, रिजर्व बैंक ने नीति के सामान्यीकरण हेतु नपेतुले कदम उठाये (सारणी III.1)।

III.11 2010-11 की दूसरी छमाही में जहां वृद्धि की दर में सुधार आना शुरू हुआ, वहीं आपूर्ति पक्षीय लगातार आघातों, जिनमें घरेलू तथा वैश्विक कारणों से उत्पन्न आघात शामिल हैं, के चलते

सारणी III.1: प्रमुख नीतिगत दरों में घट-बढ़ तथा भारत में आरक्षित निधि अपेक्षाएं

(प्रतिशत)

प्रभावी होने की तारीख	रिवर्स रिपो दर	रिपो दर	आरक्षित नकदी अनुपात	सीमांत स्थायी सुविधा दर
1	2	3	4	5
फरवरी 13, 2010	3.25	4.75	5.50 (+0.50)	-
फरवरी 27, 2010	3.25	4.75	5.75 (+0.25)	-
मार्च 19, 2010	3.50 (+0.25)	5.00 (+0.25)	5.75	-
अप्रैल 20, 2010	3.75 (+0.25)	5.25 (+0.25)	5.75	-
अप्रैल 24, 2010	3.75	5.25	6.00 (+0.25)	-
जुलाई 2, 2010	4.00 (+0.25)	5.50 (+0.25)	6.00	-
जुलाई 27, 2010	4.50 (+0.50)	5.75 (+0.25)	6.00	-
सितंबर 16, 2010	5.00 (+0.50)	6.00 (+0.25)	6.00	-
नवंबर 2, 2010	5.25 (+0.25)	6.25 (+0.25)	6.00	-
जनवरी 25, 2011	5.50 (+0.25)	6.50 (+0.25)	6.00	-
मार्च 17, 2011	5.75 (+0.25)	6.75 (+0.25)	6.00	-
मई 3, 2011	6.25 (+0.50)	7.25 (+0.50)	6.00	8.25*
जून 16, 2011	6.50 (+0.25)	7.50 (+0.25)	6.00	8.50 (+0.25)
जुलाई 26, 2011	7.00 (+0.50)	8.00 (+0.50)	6.00	9.00 (+0.50)

टिप्पणी: 1. रिवर्स रिपो चलनिधि के अवशोषण तथा रिपो चलनिधि के अंतर्वेशन को दर्शाता है।
2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत में नीतिगत दरों में परिवर्तन को दर्शाते हैं।
* : सीमांत स्थायी सुविधा 9 मई 2011 से प्रभावी है।

दिसंबर 2010 के प्रारंभ से मुद्रास्फीति की घटती हुई प्रवृत्ति में बदलाव आया। दिसंबर 2010 तथा जनवरी 2011 में सब्जियों की कीमतों में हुई बे-मौसमी वृद्धि के चलते खाद्य-वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। वर्ष की दूसरी छमाही में कपास व कच्चे रबड़,

धातु तथा खनिज की वैश्विक कीमतों में हुई तेज वृद्धि का असर देशी बाजारों में भी तेजी से फैला। खनिज तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई, परंतु खनिज तेल की नियंत्रित कीमतों में बदलाव न होने के कारण इसकी कीमत कच्चे तेल की वैश्विक कीमत से कम स्तर पर बनी रही। अतः मांग की स्थितियों की सुदृढ़ता के चलते निविष्टियों की कीमतों में वृद्धि हुई जिसका असर अंतिम उत्पादों पर भी पड़ा जिससे मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया था कि मुद्रास्फीति का बढ़ा हुआ स्तर कहीं इसी रूप में न बना रहे। अतः 2010-11 के अंत के आस-पास रिजर्व बैंक द्वारा नपेतुले तरीके से कड़े मौद्रिक नीतिगत उपाय किये जाने के चलते मौद्रिक नीतिगत रुझान में बदलाव आया। दीर्घावधि वृद्धि की संभावनाओं में विघ्न न आने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसी कार्रवाई करना जरूरी हो गया था, हालांकि ऐसा करते समय अल्पावधि में वृद्धि की दर के साथ समझौता करना पड़ा (सारणी III.2)।

III.12 भारत में मौद्रिक नीति की परिचालनात्मक समीक्षा हेतु गठित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) की रिपोर्ट के आधार पर तथा प्राप्त हुई प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए 2011-12 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में मौद्रिक नीति की परिचालनात्मक प्रक्रिया के संबंध में हुए बदलाव की घोषणा की गयी (बॉक्स III.2)।

सारणी III.2: मौद्रिक नीति की समीक्षाएं

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11

पृष्ठभूमि

- घरेलू तथा बाह्य मांग में वृद्धि के चलते व्यापक आधार वाली बहाली में स्पष्ट सुधार
- मुद्रास्फीतिकारी दबाव का प्रारंभ में खाद्यान्नों की कीमतों के चलते अधिक व्यापक हो जाना
- कारपोरेटों द्वारा कई क्षेत्रों में कीमत तय करने की क्षमता अर्जित किया जाना
- परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का स्तर उच्चतर रहना

आधारगत पूर्वानुमान/निदर्शनात्मक दायरा:

- 2010-11 के दौरान जीडीपी में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि (और बढ़ने की संभावना के साथ)
- मार्च 2011 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 5.5 प्रतिशत
- 2010-11 के दौरान एम₃ तथा खाद्येतर कर्ज में क्रमशः 17.0 प्रतिशत तथा 20.0 प्रतिशत की वृद्धि

उपाय:

- रिपो दर, रिवर्स रिपो दर तथा सीआरआर प्रत्येक में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी

प्रत्याशित परिणाम:

- मुद्रास्फीति को रोकना तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशा को स्थिर रखना
- बहाली की प्रक्रिया को बनाये रखना
- सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताओं एवं निजी कर्ज की मांग को पूरा करना
- अर्थव्यवस्था की बदलती स्थिति के अनुरूप नीतिगत उपकरणों को संतुलित करना

अवधि-मध्य के नीतिगत उपाय: 2 जुलाई 2010

पृष्ठभूमि :

- हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर दोहरे अंकों में
- पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त किया गया तथा अन्य इंधनों, जैसे-डीजल, एलपीजी तथा किरोसिन की नियंत्रित कीमतों में जून 2010 के अंत में वृद्धि किया जाना

उपाय:

- रिवर्स दर तथा रिपो दर प्रत्येक में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गयी (मई 2010 के अंत से एलएएफ विंडो कमी वाले मोड में चला गया, प्रभावी कड़ाई का स्तर 175 आधार अंकों का)।

2010-11 की मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा

पृष्ठभूमि

- 2010-11 की पहली तिमाही में वृद्धि की प्रक्रिया में और गति आई
- खाद्यान्नों की समग्र मुद्रास्फीति उच्चतर स्तर पर
- लौह अयस्क और बिजली की प्रशासित कीमतों में वृद्धि
- खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति मध्यावधि प्रवृत्ति से काफी अधिक स्तर पर

आधारगत पूर्वानुमान/ निदर्शनात्मक दायरा:

- 2010-11 के दौरान 8.5 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि
- मार्च 2011 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 6.0 प्रतिशत

(जारी...)

(...समाप्त)

उपाय:

- रिपो दर तथा रिवर्स रिपो दर में क्रमशः 25 आधार अंकों एवं 50 आधार अंकों की वृद्धि

मध्य-तिमाही समीक्षा: सितंबर 2010

- नीतिगत कार्रवाई के लिए मुद्रास्फीति अभी भी प्रमुख चिंता का विषय
- रिपो दर तथा रिवर्स रिपो दर में क्रमशः 25 आधार अंकों एवं 50 आधार अंकों की वृद्धि

2010-11 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा

पृष्ठभूमि:

- सामान्य मानसून ने खरीफ फसलों में बेहदारी की संभावना को बढ़ाया
- तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण ने समग्र कारोबारी स्थितियों ने बेहदारी को दर्शाया
- उच्च प्रोटीनयुक्त वस्तुओं की कीमतें उच्चतर स्तर पर बनी रहने के चलते खाद्यान्नों की मुद्रास्फीति में गिरावट सामान्य मानसून के अनुरूप न होना
- खाद्येतर प्राथमिक वस्तुओं, विशेष रूप से फाइबर की मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि

आधारगत पूर्वानुमान / निदर्शनात्मक दायरा:

- 2011-11 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि
- मार्च 2011 में 5.5 प्रतिशत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (नये आधार वर्ष के अनुसार), जोकि पुराने आधार वर्ष के अनुसार 6.0 प्रतिशत के समतुल्य है।

उपाय:

- रिपो दर तथा रिवर्स रिपो दर दोनों में 25 आधार अंकों की वृद्धि

प्रत्याशित परिणाम:

- मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम के बने रहने को देखते हुए हाल के मौद्रिक नीतिगत उपायों तथा परिणामों के अनुरूप मुद्रास्फीति प्रतिरोधी उपायों पर बल दिया जाना
- वृद्धि की गति में व्यवधान उत्पन्न किये बिना बढ़ती मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर नियंत्रण लगाना जो खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि की ढांचागत प्रकृति के चलते और बढ़ सकती है।

मध्य-तिमाही समीक्षा: दिसंबर 2010

- मुद्रा बाजारों में अत्यधिक कड़ाई के चलते चलनिधि का प्रबंधन नीतिगत चिंताओं के बीच प्रमुख चिंता का विषय बन गया
- 18 दिसंबर 2010 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात को उनके एनडीटीएल के 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत किया गया
- 48,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु चरणबद्ध खुला बाजार परिचालन नीलामियों की घोषणा की गयी
- आशा है कि इन उपायों से प्रणाली में उल्लेखनीय मात्रा में प्राथमिक चलनिधि आ जायेगी जिसके चलते प्रणाली में चलनिधि की कमी की स्थिति में सुधार होगा और यह रिजर्व बैंक के प्रत्याशित स्तर तक आ जाएगी, साथ ही रिजर्व बैंक के परिचालनात्मक नीति दर के अनुरूप एक दिवसीय अंतर-बैंक बाजार में ब्याज दर में स्थिरता आएगी।

2010-11 की मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा

पृष्ठभूमि:

- 2010-11 की पहली छमाही के दौरान वास्तविक जीडीपी में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सुदृढ़ देशी मांग, विशेष रूप से निजी खपत तथा निवेश, तथा बाह्य मांग में हुए सुधार को दर्शाती है
- पण्य मूल्यों से जुड़े लगातार कई आघात लगे, विशेष रूप से सब्जियों, कच्चे तेल के मूल्यों के संबंध में

आधारगत पूर्वानुमान / निदर्शनात्मक दायरा:

- 2010-11 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि (इसके और बढ़ने की संभावना के साथ)
- मार्च 2011 में 7.0 प्रतिशत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति

उपाय:

- रिपो तथा रिवर्स रिपो दर प्रत्येक में 25 आधार अंकों की वृद्धि

मध्य-तिमाही समीक्षा: मार्च 2011

- जनवरी 2011 के बाद मुद्रास्फीति के दबाव में और वृद्धि
- मार्च 2011 के लिए लगभग 8 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान
- रिपो तथा रिवर्स रिपो दर प्रत्येक में 25 आधार अंकों की वृद्धि

2011-12 का मौद्रिक नीति वक्तव्य

पृष्ठभूमि:

- मुद्रास्फीति की दर में तेज बढ़ोतरी तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का उच्चतर स्तर
- निविष्टियों की कीमतों में हुई वृद्धि का देशी विनिर्मित वस्तुओं में तेजी से अंतरण
- वृद्धि की दर में गिरावट के लक्षण, विशेष रूप से निवेश से जुड़े व्यय में गिरावट
- फरवरी 2011 के अंत में कोयले की नियंत्रित कीमतों में वृद्धि

आधारगत पूर्वानुमान / निदर्शनात्मक दायरा:

- 2011-12 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि
- मार्च 2012 में 6.0 प्रतिशत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (और आगे बढ़ने की संभावना सहित)
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एम₃, सकल जमाराशियों तथा खाद्येतर कर्ज में क्रमशः 16.0 प्रतिशत, 17.0 प्रतिशत तथा 19.0 प्रतिशत की वृद्धि

उपाय:

- रिपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके उसे 7.25 प्रतिशत किया गया
- रिवर्स रिपो दर रिपो दर से 100 आधार अंक कम रखे जाने के चलते स्वतः ही वह 6.25 प्रतिशत पर समायोजित हो गया
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर, जिसे रिपो दर से 100 आधार अंक से अधिक के स्तर पर निर्धारित किया जाता है, को 8.25 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया
- बचत बैंक की जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर को 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत किया गया

प्रत्याशित परिणाम:

- मांग पक्षीय दबावों को रोककर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
- मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर रखना तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मध्यावधि में वृद्धि को बनाए रखना

मध्य-तिमाही समीक्षा: जून 2011

- मौद्रिक नीतिगत रुझान मुद्रास्फीति प्रतिरोधी के रूप में बना हुआ है
- रिपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गयी

2011-12 की मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा

पृष्ठभूमि

- औद्योगिक उत्पादन में थोड़ी गिरावट जारी
- कृषि की स्थिति की संभावनाएं स्पष्ट नहीं
- मुद्रास्फीति का उच्च स्तर पर बना रहना
- जून 2011 में नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि

आधारगत पूर्वानुमान/निदर्शनात्मक दायरा:

- 2011-12 के दौरान जीडीपी में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि
- मार्च 2011 में थोक मूल्य सूचकांक 7.0 प्रतिशत
- एम₃ तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्येतर कर्ज में क्रमशः 15.5 प्रतिशत तथा 18.0 प्रतिशत की वृद्धि

उपाय:

- रिपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत किया गया
- रिवर्स रिपो दर, जोकि रिपो दर से 100 आधार अंक नीचे रहती है, स्वतः ही 7.0 प्रतिशत हो गयी
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर, जोकि रिपो दर से 100 आधार अंक ऊपर रहती है, को 9.0 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया

बाक्स III.2

मौद्रिक नीति की परिचालनात्मक प्रक्रिया में परिवर्तन

पृष्ठभूमि

मुद्रा बाजार के विकास तथा वित्तीय क्षेत्र में हुए सुधार के चलते चलनिधि की स्थितियों में हुए बदलाव की पृष्ठभूमि में 1990 के दशक के प्रारंभ से भारत में मौद्रिक नीति की परिचालनात्मक प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव आया। इस प्रक्रिया में जून 2000 में प्रारंभ की गयी चलनिधि समायोजन सुविधा मौद्रिक नीति की प्रमुख परिचालनात्मक प्रक्रिया के रूप में उभरी जिसमें रिपो तथा रिवर्स रिपो की दरों का मौद्रिक नीति रुझान का संकेत देने के लिए मुख्य उपकरण के रूप में उपयोग किया गया। चलनिधि समायोजन सुविधा ने सीआरआर, खुला बाजार परिचालन तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) जैसे उपकरणों के साथ भारतीय मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणाली में उल्लेखनीय योगदान दिया। पूंजीगत प्रवाहों में होनेवाले भारी उतार-चढ़ावों तथा सरकार की नकदी शेष राशि में हुए बदलावों ने चलनिधि के प्रबंधन हेतु रिजर्व बैंक के सम्मुख कई चुनौतियां पैदा कीं।

इस प्रकार 2010-11 की मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में भारत में मौद्रिक नीति की परिचालनात्मक प्रक्रिया में संशोधन करने की जरूरत के बारे में प्रस्ताव किया गया। तदनुसार 1 अक्टूबर 2010 को भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त बाजार के वित्तीय सहभागियों तथा शिक्षाविदों को सदस्य के रूप में लेकर एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) का गठन किया गया।

मौद्रिक नीति की वर्तमान परिचालनात्मक प्रक्रिया में परिवर्तन

कार्यदल की सिफारिशों तथा प्राप्त हुई प्रतिसूचनाओं के आधार पर मौद्रिक नीति की वर्तमान परिचालन प्रक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन लागू किये गये हैं जैसा कि 2011-12 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया है:

- भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा दर अब मौद्रिक नीति का परिचालनात्मक लक्ष्य है।
- रिपो दर एकमात्र स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होने वाली नीति दर बन गई है।
- एक सीमांत स्थायी सुविधा लागू की गयी है जिससे अनुसूचित वाणिज्य बैंक एक दिन के लिए अपने एनडीटीएल के 1.0 प्रतिशत तक उधार ले सकते हैं जिसकी दर रिपो दर से 100 आधार अंक अधिक होगी।

संशोधित दायरे के कोरिडोर की सीमा 200 आधार अंकों की है। रिपो दर को कोरिडोर के मध्य में रखा गया है जिसके 100 आधार अंक नीचे रिवर्स रिपो और 100 आधार अंक ऊपर सीमांत स्थायी सुविधा होगी। तथापि, मौद्रिक स्थितियों के देखते हुए कोरिडोर की सीमाओं में बदलाव करने का रिजर्व बैंक को अधिकार होगा।

मौद्रिक नीति के लिए आस्ति मूल्यों का महत्त्व

III.13 सामान्यतः भारत में संपत्ति प्रभाव काफी उल्लेखनीय रूप से नहीं दिखाई देता है। बचत का एक छोटा सा हिस्सा ही-अर्थात् पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय आस्तियों में कुल बचतों का लगभग 12 प्रतिशत- इक्विटी बाजार में निवेश किया जाता है। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कुल वित्तीय बचतों में ऐसी बचतों का हिस्सा काफी बड़ा होता है। अतः इक्विटी बाजारों में आई गिरावट का सकल मांग पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक स्थावर संपदा बाजार का संबंध है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत में मकान मालिक खरीद किये गये अपने मकानों की कीमतों में वृद्धि होने पर उसकी जमानत पर उधार नहीं लेते हैं। इस प्रकार स्थावर संपदा की कीमतों में हुई गिरावट का खपत और सकल मांग पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आस्तियों के मूल्य मुद्रास्फीति के पथ को प्रभावित नहीं करते तथा मौद्रिक नीति के संचालन करते समय आस्ति मूल्य के चक्र के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाई करने से बचना चाहिए। रिजर्व बैंक ने आस्ति मूल्य चक्रों से वित्तीय स्थिरता को होने वाले जोखिम को सीमित करने हेतु व्यष्टि व समष्टि दोनों प्रकार के विवेकपूर्ण उपायों का उपयोग किया है। समष्टि-आर्थिक नीति संबंधी उपकरण के रूप में मौद्रिक नीति एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा

देता है जिसमें विवेकपूर्ण विनियमन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है।

समग्र मूल्यांकन

III.14 2010-11 की अधिकांश अवधि के दौरान मौद्रिक नीति का रुझान नपेतुले सामान्यीकरण की ओर रहा। 2010-11 की दूसरी तथा तीसरी तिमाहियों में मुद्रास्फीति की दर में आई गिरावट ऐसे नपेतुले सामान्यीकरण को सही साबित करती है। रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति प्रतिरोधी रुझान तथा चलनिधि को अवशोषित कर लेने के उसके नपेतुले दृष्टिकोण के अनुरूप ज्योंही चलनिधि समायोजन सुविधा व्यवस्था अधिशेष से कमी के मोड में आई, त्योंही 2010-11 में चलनिधि प्रबंधन का मुद्दा भी मुख्य फोकस में आ गया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि विस्तारित हो रही अर्थव्यवस्था की प्राथमिक चलनिधि की जरूरत पूरी हो जो मुद्रास्फीति प्रतिरोधी मौद्रिक नीतिगत रुझान के अनुरूप हो। तथापि, वृद्धि की प्रक्रिया में मामूली गिरावट के लक्षणों के बावजूद 2010-11 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि हुई। मुद्रास्फीतिकारी दबाव के बढ़ने के तात्कालिक कारण घरेलू तथा वैश्विक जगत में हुए आपूर्ति पक्षीय लगातार कई आघात रहे हैं जिनका असर विनिर्माण उत्पादों के व्यापक समूहों में शीघ्रता से फैल गया। मुद्रास्फीतिकारी दबाव तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशा का उच्चतर स्तर भावी वृद्धि के लिए जोखिम के रूप में उभरा। तदनुसार,

2011-12 के मौद्रिक नीतिगत रुझान में मुद्रास्फीति को रोकने तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशा को स्थिर रखने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी जिसके लिए अल्पावधि में वृद्धि दर के साथ समझौता भी करना पड़ा।

चलनिधि का प्रबंधन - रिज़र्व बैंक के परिचालनों को प्रभावित करने वाले नये कारक

III.15 2010-11 के दौरान रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार का नकदी शेष एवं परिचालन में स्थित मुद्रा स्वायत्त चलनिधि के प्रमुख निर्धारक थे। आर्थिक वृद्धि में सुधार होने से कर्ज देने की दर जमाराशि संग्रहण की दर से अधिक रही, जिसके चलते लंबे समय तक समग्र ढांचे में चलनिधि की कमी रही। चलनिधि में कमी की स्थिति बनी रही जो एलएएफ रिपो की व्यवस्था का अत्यधिक उपयोग किए जाने से स्पष्ट है (चार्ट : III.1)। रिज़र्व बैंक ने चलनिधि का प्रबंधन सक्रियता से किया ताकि न तो आधिक्य से मौद्रिक संप्रेषण कमजोर हो और न ही चलनिधि की कमी के कारण निधि का प्रवाह बंद हो जाए। प्रणाली में समग्र चलनिधि जहां नीतिगत रुझान के अनुसार घाटे की स्थिति में रही वहीं घाटे का स्तर बैंकों के एनडीटीएल के (+)/(-) एक प्रतिशत के रिज़र्व बैंक के प्रत्याशित स्तर से काफी अधिक रहा (सारणी : III.3)।


III.16 2010-11 की पहली तिमाही के दौरान चलनिधि की स्थितियों में उल्लेखनीय बदलाव हुआ। अर्थव्यवस्था में रिकवरी की स्थिति बेहतर होने के साथ रिज़र्व बैंक ने अपने नीतिगत उपकरणों को सामान्य रूप में लाने की दिशा में नपे-तुले कदम उठाए। तदनुसार फरवरी

2010 से प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि की मात्रा में क्रमशः गिरावट आई। 3जी/बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त राशि के चलते सरकार की जमाराशि में भारी वृद्धि होने तथा जून 2010 में करों के तिमाही अग्रिम भुगतानों के चलते मई 2010 के अंत से चलनिधि की स्थितियां घाटे वाली मोड़ में आ गयीं।


III.17 2010-11 की दूसरी तिमाही के दौरान 2010 के जुलाई के अंत तक चलनिधि की स्थितियां घाटे में बनी रहीं तथा उसके बाद मुख्यतः भारी मात्रा में सरकारी ऋण की चुकौती के चलते स्थिति में सुधार हुआ। अतिरिक्त चलनिधि की छोटी-सी अवधि (अगस्त के अंत से सितंबर 2010 के शुरुआती समय तक) के बाद चलनिधि पुनः घाटे की स्थिति में चली गई क्योंकि दूसरी तिमाही में करों के अग्रिम भुगतानों के चलते चलनिधि सरकार की शेष राशि के रूप में रिज़र्व बैंक के पास आ गयी।

III.18 2010-11 की तीसरी तिमाही के दौरान मुख्यतः स्वायत्त कारकों अर्थात् रिज़र्व बैंक के पास सरकार की जमाराशि में बढ़ोतरी तथा परिचालन में स्थित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के चलते चलनिधि की उपलब्धता में उल्लेखनीय रूप से कमी आई एवं बैंकों द्वारा अनुभव की जा रही ढांचागत चलनिधि असंतुलन की समस्या ने स्थिति को और जटिल बना दिया। करों की अग्रिम वसूली के चलते सरकार के अधिशेष की राशि दिसंबर 2010 में उच्चतम स्तर तक पहुंच गयी। चलनिधि समायोजन योजना के अंतर्गत डाली गई निवल राशि दिसंबर 2010 के तीसरे सप्ताह के दौरान 1,70,485 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंच गयी (चार्ट III.2)।

चार्ट III.1: एलएएफ के अंतर्गत रिपो (+) / रिवर्स रिपो (-)



चार्ट III.2: एलएएफ के अंतर्गत बकाया राशि तथा भारत सरकार की शेष राशि



टिप्पणी: ऋणात्मक (-) चिह्न एलएएफ प्रणाली में चलनिधि के अंतर्वेशन को दर्शाता है।

सारणी III.3: 2010-11 में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए चलनिधि प्रबंधन के उपाय

समय अवधि / घटना	उपाय
1	2
अंत मई 2010 : अग्रिम करों के बहिर्प्रवाह के अलावा 3जी/बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम के संबंध में अपेक्षा से अधिक संग्रहण के कारण चलनिधि का अंतरण रिज़र्व बैंक के पास स्थित केंद्र सरकार के खाते में हो गया।	28 मई 2010 से 2 जुलाई 2010 तक की अवधि के दौरान: (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अपने एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्राप्त कर सकते हैं (इस सुविधा का लाभ लेने के कारण एसएलआर में कमी होती है तो बैंक दंडात्मक ब्याज की माफी के लिए अनुरोध कर सकते हैं)। (ii) दैनिक आधार पर दूसरे एलएएफ (एसएलएएफ) तक पहुंच की अनुमति दी गयी। चलनिधि की कमी की स्थिति बनी रहने के कारण उपाय (i) को 16 जुलाई 2010 तक और उपाय (ii) को 30 जुलाई 2010 तक बढ़ाया गया।
अंत अक्टूबर 2010 : स्वायत्त कारकों के चलते चलनिधि का अस्थायी दबाव	(i) रिज़र्व बैंक ने 29 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2010 को दूसरी विशेष चलनिधि समायोजन योजना (एसएलएएफ) संचालित की एवं 30 अक्टूबर 2010 को दो-दिवसीय रिपो नीलामी का आयोजन किया तथा एलएएफ के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्राप्त करने के कारण एसएलआर में एनडीटीएल के 1.0 प्रतिशत तक होने वाली कमी (30 तथा 31 अक्टूबर 2010 के लिए) के संबंध में लगाये जाने वाले दंडात्मक ब्याज को माफ किया। (ii) रिज़र्व बैंक ने चलनिधि को सुगम बनाने के इन उपायों को आगे 1 से 4 नवंबर 2010 के दौरान भी जारी रखा और इस दौरान एसएलएएफ का परिचालन किया तथा एलएएफ के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्राप्त करने कारण एसएलआर के निर्धारित स्तर (एनडीटीएल के 1.0 प्रतिशत तक) में होने वाली कमी पर लगाये जाने वाले दंडात्मक ब्याज को 7 नवंबर 2010 तक के लिए माफ किया। (iii) रिज़र्व बैंक ने 4 नवंबर 2010 से खुला बाजार परिचालनों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की। (iv) 9 नवंबर 2010 को रिज़र्व बैंक ने दैनिक एसएलएएफ को पुनः शुरू किया तथा एलएएफ के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्राप्त करने के लिए एसएलआर में होने वाली एनडीटीएल की 1 प्रतिशत तक की कमी पर लगाये जाने वाले दंडात्मक ब्याज को 16 दिसंबर 2010 तक माफ किया। (v) 29 नवंबर 2010 को रिज़र्व बैंक ने दैनिक एसएलएएफ को आगे भी जारी रखा तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 28 जनवरी 2011 तक एलएएफ के अंतर्गत एनडीटीएल के 2.0 प्रतिशत तक अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्राप्त करने की अनुमति दी।
मध्य दिसंबर 2010: तीसरी तिमाही के अग्रिम कर संग्रहण के चलते सरकार के खाते की शेष राशि में वृद्धि जारी रहना	मध्य-तिमाही समीक्षा में रिज़र्व बैंक ने: (i) 18 दिसंबर 2010 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एसएलआर को एनडीटीएल के 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया। एसएलआर में स्थायी रूप से कमी किये जाने को ध्यान में रखते हुए एनडीटीएल का 1.0 प्रतिशत का अतिरिक्त चलनिधि समर्थन 18 दिसंबर 2010 से 28 जनवरी 2011 तक दिया गया। (ii) अगले 1 माह के दौरान 48,000 करोड़ रुपये (प्रति सप्ताह 12,000 करोड़ रुपये की खरीदी के रूप में विभाजित) की कुल राशि की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु खुला बाजार परिचालन नीलामी संचालित करने की घोषणा की गयी।
अंत जनवरी 2011: अस्थायी तथा ढांचागत चलनिधि दबाव	रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2011 की तीसरी तिमाही समीक्षा में दैनिक एसएलएएफ तथा एलएएफ के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को एनडीटीएल के 1.0 प्रतिशत का अतिरिक्त चलनिधि समर्थन 8 अप्रैल 2011 तक बढ़ाया। बाद में दोनों ही उपायों को 6 मई 2011 तक बढ़ाया गया।

III.19 2010-11 की चौथी तिमाही की शुरुआत में केंद्र सरकार की शेष राशि में गिरावट आने तथा रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 2010 से जनवरी 2011 के दौरान अलग-अलग समय में खुला बाजार परिचालन किए जाने के समग्र प्रभाव के चलते चलनिधि समायोजन योजना के अंतर्गत चलनिधि के अंतर्वेशन की मात्रा में मामूली गिरावट आयी। 2010-11 के दौरान रिज़र्व बैंक ने खुला बाजार नीलामियों के

जरिए लगभग 67,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की। फरवरी 2011 में केंद्र सरकार की शेष राशि में गिरावट आने के चलते चलनिधि की स्थिति में और सुधार हुआ। मार्च 2011 के मध्य के दौरान तिमाही अग्रिम करों के संबंध में बहिर्प्रवाह के बावजूद माह के दौरान सरकार द्वारा किये गये उच्चतर व्यय के कारण चलनिधि की कमी नियंत्रण में रही। इस प्रकार मुख्यतः रिज़र्व बैंक द्वारा खुला

बाजार परिचालन के अंतर्गत खरीदी एवं रिजर्व बैंक के पास स्थित सरकार की नकद शेष राशि में गिरावट के चलते तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में चलनिधि की कमी की मात्रा में गिरावट आयी।

III.20 सरकारी व्यय के उच्चतर स्तर एवं सरकारी प्रतिभूतियों की सामान्य नीलामी के अभाव में चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अप्रैल 2011 के पहले सप्ताह में चलनिधि की स्थिति अवशोषण वाली बनी रही। अप्रैल 2011 के दूसरे सप्ताह से चलनिधि की स्थिति अंतर्वेशन वाले मोड में चली गयी। अप्रैल 2011 के दौरान औसत दैनिक निवल चलनिधि अंतर्वेशन की मात्रा मार्च 2011 के लगभग 81,000 करोड़ रुपये से काफी घटकर लगभग 19,000 करोड़ रुपये हो गयी। माह के दौरान जहां रिजर्व बैंक के पास सरकार की जमाराशि ऋणात्मक होने से प्रणाली में चलनिधि की मात्रा में वृद्धि हुई वहीं जनता के पास स्थित करेंसी की बढ़ी हुई मात्रा ने इसकी विपरीत दिशा में कार्य किया। 2010 के दिसंबर के अंत से कर्ज में वृद्धि तथा बैंकों द्वारा जमाराशि संग्रहण की दर के बीच का अंतर कम होते जाने से मई 2011 में चलनिधि की स्थिति और असहज हो गई, परंतु मई 2011 में इस प्रवृत्ति में बदलाव आया और इस अंतर में वृद्धि हुई। साथ ही सरकार द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट में गिरावट आयी।

III.21 तिमाही के दौरान करों के अग्रिम भुगतान के कारण चलनिधि के बहिर्प्रवाह के चलते जून 2011 में चलनिधि की स्थिति घाटे में चली गई। औसत दैनिक निवल चलनिधि अंतर्वेशन की मात्रा और बढ़कर लगभग 74,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। जुलाई 2011 की शुरुआत में अंशतः बकाया स्टॉक में स्थित 37,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की चुकौती के चलते चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ। परंतु बाद में चलनिधि के घाटे में वृद्धि हुई तथा जुलाई 2011 के दौरान औसत दैनिक निवल चलनिधि अंतर्वेशन की राशि लगभग 44,000 करोड़ रुपये थी। 1 से 16 अगस्त 2011 के दौरान चलनिधि समायोजन योजना के अंतर्गत औसत दैनिक निवल चलनिधि अंतर्वेशन की राशि लगभग 37,000 करोड़ रुपये थी। मई 2011 में शुरू की गयी सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत अगस्त 2011 के मध्य तक निधियों का उपयोग केवल दो बार किया गया।

III.22 जैसी कि ऊपर चर्चा की गयी है, चूंकि हर तिमाही में चलनिधि स्थिति के प्रमुख प्रेरक तत्व बदलते रहे, अतः रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति संबंधी रुझान के संभावित विरोधाभास से बचते हुए चलनिधि की स्थिति का प्रबंध सक्रियता से करना पड़ा। मौद्रिक नीति के संप्रेषण में सुदृढ़ता के लक्षणों के बावजूद मुद्रास्फीति का उच्चतर स्तर पर बने रहना रिजर्व बैंक के लिए प्रमुख चुनौती थी।

समावेशक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण साधन है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को पर्याप्त लेकिन अर्थक्षम बनाने पर अपनी नीतियों को जारी रखते हुए बैंकरहित क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाओं के प्रवेश को बढ़ाने के प्रयासों को जारी रखा है। रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता प्रयासों में और विशेष रूप से आउटरीच कार्यक्रम में जनता और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने पर्याप्त रुचि दिखायी है तथा उनका भरपूर सहयोग मिला है। वित्तीय समावेशन हेतु विनियामक कार्रवाई में अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों में परिवर्तन, शाखा को प्राधिकृत करने की नीति को शिथिल करना, बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट के रूप में कार्य करने के लिए पात्र संस्थाओं का विस्तार करना तथा बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में अतिरिक्त शाखाएं खोलने की अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशतता शामिल हैं।

IV.1 भारत जैसे विविधतायुक्त देश में ऋण सुपुर्दगी में अन्य बातों के साथ-साथ समाज के उन क्षेत्रों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे में लाना जो वित्तीय रूप से वंचित हैं, वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, ऋण सुपुर्दगी तंत्र में सुधार लाने जैसी चुनौतियां शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पहलें जारी रखी हैं; जैसे वित्तीय समावेशन योजना लागू करना, उधार के बहुआयामी माध्यमों को प्रोत्साहित करना तथा बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट मॉडल के क्षेत्र को बढ़ावा देना, लघु और छोटे उद्यमों के क्षेत्रों में ऋण सुपुर्दगी प्रक्रिया में सुधार लाना तथा सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी सॉल्यूशंस को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

IV.2 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार का फोकस जनसंख्या के बड़े भाग को प्रभावित करने वाले, दुर्बल वर्गों और रोजगार की गहनता वाले क्षेत्रों, यथा, कृषि और अति लघु तथा लघु उद्यमों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर है। मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 81 में से 15 बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये थे (सारणी IV.1)।

IV.3 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के निर्धारित लक्ष्य/उप-लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि के मूल कोष में अंशदान करना होगा तथा यह निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)/राष्ट्रीय आवास बैंक में स्थापित की गयी हैं। इन निधियों के मूल कोष की घोषणा भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है।

IV.4 वर्ष 2011-12 के केन्द्रीय बजट में घोषणा की गयी कि नाबार्ड, सिडबी और राष्ट्रीय आवास बैंक के पास इस वर्ष के दौरान क्रमशः ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि XVII (18,000 करोड़ रुपये की मूल निधि जिसमें से 2000 करोड़ रुपये भंडारण सुविधा निर्माण करने के लिए रखे जाएंगे), अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि (10,000 करोड़ रुपये की मूल निधि) अति लघु, लघु और मझोले उद्यम (पुनर्वित्त) निधि (5,000 करोड़ रुपये की मूल निधि) और ग्रामीण आवास निधि (3,000 करोड़ रुपये की मूल निधि) स्थापित करने की घोषणा की गयी है।

कृषि क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह

IV.5 सरकार ने 2010-11 में कृषि ऋण के प्रवाह के लिए 3,75,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य की घोषणा की है जिसमें से बैंकों ने,

सारणी IV.1: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

(राशि करोड़ रुपये में)

	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2010*	8,63,777 (41.6)	2,14,669 (45.8)	59,960 (36.0)
2011*	10,22,925 (41.0)	2,49,139 (46.7)	66,796 (39.1)

- टिप्पणी:**
- *: मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को।
 - कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता अथवा ओबीई के ऋण के समकक्ष, संबंधित समूहों में जो भी उच्चतर हो, के हैं।
 - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार का समग्र अग्रिमों का लक्ष्य देशी बैंकों के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत अथवा ओबीई के ऋण के समकक्ष, जो भी उच्चतर हो तथा विदेशी बैंकों के लिए 32 प्रतिशत है।
 - वर्ष 2011 के आँकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत: बैंकों द्वारा दिये गये अनन्तिम आँकड़े।

सारणी IV.2: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत संवितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य	लक्ष्य-प्राप्ति	लक्ष्य-प्राप्ति का प्रतिशत	संवितरण में वार्षिक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5
2007-08	1,52,133	1,33,226	87.6	8.8
2008-09	1,59,470	1,65,198	103.3	24.0
2009-10	2,04,460	2,07,347	101.4	26.0
2010-11*	2,29,709	2,05,367	89.4	-0.95

*: आंकड़े अर्न्ततम हैं।

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, मार्च 2011 के अंत (अर्न्ततम) तक लगभग 119 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2011-12 के लिए सभी एजेंसियों द्वारा कृषि को संवितरण करने का 4,75,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे कृषि को सीधे उधार दें तथा लघु और सीमांत किसानों को ऋण दें।

IV.6 वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरण पिछले वर्ष के 2,04,460 करोड़ रुपये (अनुमानित राशि का 101.41 प्रतिशत) की तुलना में 2,07,347 करोड़ रुपये था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 62,352 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि (अनुमानित राशि का 126 प्रतिशत) की तुलना में 78,452 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया गया संवितरण सारणी IV.2 में दिया गया है।

IV.7 वर्ष 2010 के अंत में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली दर में पिछले वर्ष देखी गयी वृद्धि की तुलना में मामूली गिरावट आयी है (सारणी IV.3)।

सारणी IV.3: प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली

(राशि करोड़ रुपये में)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेय	मांग के प्रति वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2008	95,100	71,739	23,361	75.44
2009	1,19,084	90,660	28,425	76.13
2010*	92,905	68,665	24,240	73.91

*: आंकड़े अर्न्ततम हैं।

IV.8 वर्ष 2010-11 के लिए सरकार ने 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए ब्याज आर्थिक सहायता की दर 1.5 प्रतिशत कम कर दी जबकि तत्परता से अदा करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ब्याज आर्थिक सहायता 2 प्रतिशत बढ़ा दी; तदनुसार ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 5 प्रतिशत वार्षिक तक होने की संभावना है।

IV.9 कृषि ऋण छूट तथा ऋण राहत योजना की प्रतिपूर्ति सारणी के अनुसार भारत सरकार ने जनवरी 2011 में 11,340 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी की जिसमें से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए 1,240 करोड़ रुपये की राशि नाबार्ड को दी गयी तथा शेष राशि (10,100 करोड़ रुपये) का उपयोग अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए किया गया (सारणी IV.4)।

अति लघु, लघु और मझोले उद्यमों की ओर ऋण प्रवाह

IV.10 अति लघु, लघु और मझोले उद्यमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया (अध्यक्ष: श्री टी के ए नायर, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव)। तदनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 29 जून 2010 में

सारणी IV.4: उधार देने वाली संस्थाओं को कृषि ऋण छूट तथा ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत मुआवजा

(राशि करोड़ रुपये में)

उधार देने वाली संस्थाएं	प्रस्तावित प्रतिपूर्ति*			
	पहली किस्त सितंबर 2008	दूसरी किस्त जुलाई 2009	तीसरी किस्त जुलाई 2010	चौथी किस्त जुलाई 2011
1	2	3	4	5
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी संस्थाएं	17,500	10,500	2,800	शेष राशि, यदि कोई हो
अनु. वाणिज्य बैंक, शहरी सह. बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक	7,500	4,500	9,200	शेष राशि, यदि कोई हो
कुल	25,000	15,000	12,000	शेष राशि

*: चालू अर्न्ततम अनुमानों पर आधारित।

सूचित किया गया था कि वे लघु और मझोले उद्यमों में लघु उद्यमों का 60 प्रतिशत हिस्सा तीन चरणों में बढ़ायें (अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत और बाद के वर्षों में 55 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत) जिसमें लघु उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो तथा लघु और मझोले उद्यमों के उधार में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 20 प्रतिशत हो। रिजर्व बैंक द्वारा एक उपयुक्त फार्मेट तैयार किया गया जिसमें छमाही आधार पर अर्थात् मार्च और सितंबर में बैंकों द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।

IV.11 केन्द्रीय बजट 2011-12 में आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज की आर्थिक सहायता की वर्तमान योजना को उदार बनाते हुए 15 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है जहाँ मकान की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक न हो; यह क्रमशः 10 लाख रुपये और 20 लाख रुपये की वर्तमान सीमा के बदले होगी। तदनुसार 21 अप्रैल 2011 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को आवश्यक अनुदेश जारी किये गये।

IV.12 वर्ष 2010-11 में मांग की स्थिति में उठाव परिलक्षित होते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से लघु और मझोले उद्यमों को प्राप्त कुल ऋण में वर्ष के दौरान 33.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.5)।

IV.13 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के पुनरुत्थान पर कार्य दल (अध्यक्ष: प्रो.ए. वैद्यनाथन) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार ने अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुत्थान के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया है जिसमें ग्राम/आधार स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, मध्यम स्तर पर मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा शिखर स्तर पर राज्य सहकारी बैंक आते हैं। अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे को ग्रामीण भारत, विशेष रूप से छोटे किसानों की ऋण आवश्यकताओं

सारणी IV.5: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अति लघु और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण

1	एमएसई को बकाया ऋण		एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई/एसएसआइ ऋण
	खातों की सं. (मिलियन में)	राशि (करोड़ रुपये में)	
2010	8.5	3,62,291 (41.4)	13.4
2011*	9.3	4,84,473 (33.7)	9.9

*: मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में ऋण में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
2. 2011 के आंकड़े अंतिम हैं।

को पूरा करने के सक्षम माध्यम के रूप में तैयार करने के अतिरिक्त पैकेज के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: - i) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ताकि प्रणाली को एक स्वीकार्य स्तर पर लाया जा सके। ii) इसकी जनतांत्रिक, स्वयं सिद्ध तथा सक्षम कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक वैधानिक, तथा संस्थागत सुधार लागू करना; तथा iii) प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार के उपाय करना।

IV.14 इसमें भाग लेने के इच्छुक पच्चीस राज्यों से अपेक्षा की गयी थी कि वे केन्द्र सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। इसमें देश की अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की 96 प्रतिशत से अधिक इकाइयां शामिल हैं। साथ ही इक्कीस राज्यों ने वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने राज्य सहकारी समिति अधिनियम में सुधार कर लिया है।

IV.15 नाबार्ड ने 16 राज्यों की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनः पंजीकरण के लिए भारत सरकार के हिस्से के रूप में जून 2011 के अंत तक 8,993 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी कर दी है जबकि राज्य सरकारों ने भी 854 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा जारी कर दिया है। अखिल भारतीय आधार पर पुनरुत्थान पैकेज के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति द्वारा किया जाता है।

IV.16 रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को विनियमित करता है और नाबार्ड उनका पर्यवेक्षण करता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने पर अक्टूबर 2009 में (नाबार्ड के परामर्श से) संशोधित दिशानिर्देश जारी करने के पश्चात 10 राज्य सहकारी बैंकों और 160 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं जिसमें जून 2011 के अंत तक लाइसेंसशुदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या क्रमशः 24 और 235 हो गयी।

IV.17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण को उदार बनाते हुए उन्हें जनगणना 2001 में पहचाने गये टियर 3 से टियर 6 (49,999 तक की जनसंख्या वाले) के केन्द्रों में प्रत्येक मामले में रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी गयी है बशर्ते वे कतिपय शर्तें पूरी करते हों और इनकी रिपोर्टिंग करते हों। तदनुसार नवंबर 2010 में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके प्रायोजक बैंकों को अनुदेश जारी किये गये।

IV.18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्य दल (अध्यक्ष: श्री जी श्रीनिवासन) ने सिफारिश की है कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सितंबर 2011 तक कोर बैंकिंग सोल्यूशंस पूरी तरह लागू कर दिये

जाएं। अभी तक कुल 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 42 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कोर बैंकिंग सोल्यूशंस पूरी तरह लागू हो गया है जबकि शेष बैंकों में यह कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय समावेशन

IV.19 वित्तीय समावेशन का व्यापक रूप से आशय है कि मुख्यधारा की संस्थाओं द्वारा कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग की पहुंच उनके द्वारा वहनीय कीमत पर उचित और पारदर्शी रूप से उन वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक सुनिश्चित करना जिनकी उन्हें आवश्यकता है। बैंकिंग क्षेत्र के व्यापक विस्तार के बावजूद पारिवारिक इकाइयों का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर ग्रामीण बैंकों में, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के कवरेज से बाहर है। ग्रामीण रहवासियों के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से

की पहुंच बैंक खातों तक नहीं है तथा भारत के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह 3/5 से अधिक है।

IV.20 पिछले कई वर्षों से रिजर्व बैंक के लिए सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन की ओर जाना एक नीतिगत प्राथमिकता रहा है क्योंकि निरंतर और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण घटक बन गया है (बॉक्स IV.1)।

सेवाएं प्रदान करना मजबूत करने के लिए प्रयोग किये गये साधन और इनकी प्रभावशीलता का आकलन

IV.21 वित्तीय समावेशन बैंकों के लिए ग्राह्य कारोबार प्रस्ताव के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से यदि सुपुर्दगी मॉडलों का उद्देश्य लागत केन्द्रित होने के बजाय राजस्व सृजन हो जैसे कि ग्राहकों

बॉक्स IV.1

वित्तीय समावेशन और समावेशक वृद्धि: प्रायोगिक तथ्य क्या दर्शाते हैं?

आर्थिक विकास की प्रणाली के रूप में समावेशक वृद्धि को हाल ही के वर्षों में पुनः महत्व प्राप्त हुआ है जिसका कारण यह बढ़ती चिंता है कि आर्थिक वृद्धि के लाभों की हिस्सेदारी समान रूप से नहीं हुई है। वृद्धि तभी समावेशक होती है जब आर्थिक अवसरों की समानता हो। वित्तीय समावेशन से वृद्धि व्यापक आधारित तथा दीर्घकालिक होती है जिससे उस वर्ग तक पहुंच क्रमिक रूप से बनायी जाती है जो अब तक वंचित था। वित्तीय समावेशन अब नीति चयन न होकर नीति संबंधी आवश्यकता है।

बैंकों और अन्य वित्तीय सेवाओं की संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ति संबंधी उन कमियों को दूर करें जिनके कारण गरीब और वंचित सामाजिक समूह वित्तीय प्रणाली के लाभ नहीं ले पाते। प्रायोगिक तथ्य दर्शाते हैं कि वित्तीय उत्पादों तक पहुंच विभिन्न कारणों से बाधित होती है जैसे: वित्तीय उत्पादों की जानकारी न होना, अवहनीय उत्पाद, उच्च लेन-देन लागत तथा वे उत्पाद जो असुविधाजनक हैं, लचीले और अनुरूप नहीं हैं और निम्न गुणवत्तापूर्ण हैं। माइक्रो फाइनेंस और वित्तीय साक्षरता इन मुद्दों को हल करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

प्रायोगिक तथ्य दर्शाते हैं कि जिन देशों में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अधिक औपचारिक वित्तीय प्रणाली से वंचित है वहां गरीबी अनुपात और असमानता अधिक होती है। समावेशक वृद्धि देश विश्लेषकों का भिन्न मत है जो वृद्धि की गति और स्वरूप पर ध्यान केन्द्रित करता है। मूल रूप से गरीबी कम करने के लिए वृद्धि की तेज गति निश्चित रूप से आवश्यक है लेकिन इस वृद्धि को दीर्घकालिक बनाने के लिए यह सभी क्षेत्रों में व्यापक आधारित होनी चाहिए तथा देश के मजदूर वर्ग के बड़े हिस्से को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। समावेशक वृद्धि के विश्लेषकों का आशय है वृद्धि के व्यष्टि तथा समष्टि निर्धारकों के बीच सीधा संपर्क होना चाहिए।

दीर्घकालिक और समावेशक वृद्धि मुख्य रूप से उत्पादक रोजगार से हो सकती है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय स्तर पर टोबिट मॉडल लागू करके इस आधार पर किया गया अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2001 के लिए विभिन्न वर्गों के संबंध में सामाजिक - आर्थिक विशेषताओं के नियंत्रण के उपरांत उत्पादक ऋण राशि और गरीबी के बीच अत्यधिक महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध दर्शाता है। बांग्लादेश का पैनेल डाटा अध्ययन दर्शाता है कि माइक्रो फाइनेंस तक पहुंच से विशेष रूप से महिला

सहभागियों की गरीबी कम करने में मदद मिलती है। वित्तीय समावेशन से संबंधित कारकों पर क्रॉस कंट्री अध्ययन दर्शाता है कि मानव विकास और वित्तीय समावेशन के स्तर में सकारात्मक संबंध है जिसके कुछ अपवाद हैं।

किसी देश में वित्तीय समावेशन के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक कारक प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद, आय की असमानता, प्रौढ़ शिक्षा और शहरीकरण हैं। साथ ही प्रत्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी तथा सूचना का उपलब्ध होना अर्थात टेलीफोन और इंटरनेट का उपयोग भी वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।

भारत के लिए राज्य और जिला स्तर पर मेहरोत्रा (2009) के वित्तीय समावेशन सूचकांक के अनुमानित मूल्य दर्शाते हैं कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमानित मूल्य से यह निर्दिष्ट होता है कि 2002 से 2006 के बीच वित्तीय समावेशन के स्तर में तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ है तथा निम्नतम ग्रेड में जिलों की संख्या 378 से कम हो कर 330 रह गयी है।

प्रायोगिक निष्कर्षों से इस बात की पुष्टि होती है कि वित्तीय अलगाव सामाजिक अलगाव दर्शाता है क्योंकि जिन देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कम है, तुलनात्मक रूप से आय असमानता का स्तर उच्च है, शहरीकरण कम है और कनेक्टिविटी खराब है वे कम वित्तीय समावेशित हैं। अतः नीतिगत उद्देश्य के रूप में वित्तीय समावेशन का महत्व बढ़ जाता है।

संदर्भ:

चक्रवर्ती, के.सी. (2010) 'इन्क्लुसिव ग्रोथ - रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर', नैशनल फाइनेंस कॉन्क्लेव में दिया गया भाषण।

इयानचोविचाइना, ई. एण्ड लंडस्ट्रॉम (2009), 'इन्क्लुसिव ग्रोथ एनालिटिक्स: फ्रेमवर्क एण्ड एप्लिकेशन, नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर सं.4851. इमाई के., टी अरुण और एस के अनिम (2010), "माइक्रोफाइनेंस एण्ड हाउसहोल्ड पावर्टी रिडक्शन - न्यू एविडेंस फ्रॉम इंडिया,' आर्थिक चर्चा पेपर श्रृंखला ईडीपी-1008, मैनेचेस्टर विश्वविद्यालय

मेहरोत्रा, एन., वी पडुसेंडी, जी जी नायर और बी बी साहू (2009), 'फाइनेंशियल इन्क्लुसिव-एन ओवरव्यू,' नाबार्ड, ओकेजनल पेपर सं.48,

को गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएं उनके द्वार पर मिलने के साथ-साथ बैंकों के लिए कारोबार के अवसर पैदा करें।

IV.22 यह तभी संभव है जब सेवाओं की सुपुर्दगी में कम से कम ये चार उत्पाद शामिल हों: - i) बचत व ओवरड्राफ्ट खाता ii) इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण तथा अन्य विप्रेषणों के लिए विप्रेषण उत्पाद iii) एक विशेष बचत उत्पाद, आदर्शतः एक आवर्ती जमा योजना तथा iv) जनरल क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उद्यमशीलता ऋण।

IV.23 रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन को उच्च प्राथमिकता देते हुए कुछ प्रणालियों के मिश्रण, जैसे विनियामक दिशानिर्देशों से छूट, नये उत्पादों का प्रावधान तथा अन्य समर्थक उपाय से नीचे दिये अनुसार दीर्घकालिक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त कर रहा है।

क) नये उत्पाद उपलब्ध कराना

- मार्च 2011 तक देशी वाणिज्य बैंकों द्वारा 74.4 मिलियन 'नो फ्रिल खाते' खोले गये जिनका बकाया शेष 6,566 करोड़ रुपये है। आधारभूत बैंकिंग नो फ्रिल खाते शून्य अथवा बहुत कम न्यूनतम शेष और प्रभार वाले होते हैं जो जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की पहुंच इन खातों तक बना पाते हैं।
- नो फ्रिल खाते में लेन-देन को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे खातों में छोटे ओवरड्राफ्ट उपलब्ध करायें। मार्च 2011 के अंत तक बैंकों ने 199 करोड़ रुपये मूल्य के 4.2 मिलियन ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराये हैं।
- बैंकों से कहा गया कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में 25,000 रुपये तक के जनरल क्रेडिट कार्ड शुरू करने पर विचार करें। इस योजना का उद्देश्य बैंक के ग्राहकों को नकदी प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर बाधा रहित ऋण, जमानत प्रयोजन और उसके उपयोग पर जोर दिये बिना उपलब्ध कराना है। यह एक प्रकार की परिक्रामी ऋण सुविधा है जिसमें धारक उसे स्वीकृत सीमा तक आहरण कर सकता है। मार्च 2011 तक बैंकों के पास 0.95 मिलियन जनरल क्रेडिट कार्ड खाते थे जिनका बकाया शेष 1308 करोड़ रुपये था।
- बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए तेजी से खाते खोलें

ताकि ग्राहकों को उनके द्वार पर लाभ उपलब्ध कराए जा सकें। मार्च 2011 तक बैंकों ने बिजनेस कारेस्पांडेंट के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 37.2 मिलियन खाते खोले हैं।

ख) विनियामक उपाय

- राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एमजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा जारी जॉब कार्ड अथवा भारतीय अदावी ब्याज लेखा द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या दी हो, शामिल करके बैंक खाता खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए अपेक्षाओं में वर्ष के दौरान और छूट दी गयी।
- सरलीकृत शाखा प्राधिकरण: बैंक शाखाओं के असमान रूप से फैलाव के मुद्दे को हल करने के लिए देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिसंबर 2009 से यह अनुमति दी गयी कि वे रिपोर्टिंग की शर्त पर 50,000 से कम जनसंख्या वाले टियर 3 से टियर 6 केन्द्रों में सामान्य अनुमति से अपनी शाखाएं आसानी से खोल सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अब ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त किये बिना अपनी शाखाएं खोल सकते हैं किंतु उन्हें इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी।
- बिजनेस कारेस्पांडेंट की नियुक्ति: 2010-11 के दौरान 'लाभ के लिए' कंपनियों को बिजनेस कारेस्पांडेंट - मध्यस्थ के रूप में वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के लिए सुविधा प्राप्त संस्था के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। मार्च 2011 के अंत में देशी वाणिज्य बैंकों ने 76,801 गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 58,361 बिजनेस कारेस्पांडेंट/ग्राहक सेवा प्रदाता नियुक्त करने की सूचना दी है।
- बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलना: बैंकिंग के प्रवेश में सुधार लाने और वित्तीय समावेशन की ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ाने के लिए बिजनेस कारेस्पांडेंट के उपयोग के साथ-साथ भवन युक्त और शाखाएं खोलने की आवश्यकता महसूस की गयी।

तदनुसार मई 2011 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों के लिए यह आवश्यक किया गया कि वे वर्ष के दौरान कुल शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में खोलें।

ग) सहायक उपाय:

- i) वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विकासात्मक तथा उसके उन्नयन की लागत पूरी करने के लिए “वित्तीय समावेशन निधि” तथा अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी की लागत पूरी करने के लिए “वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि” नामक दो निधियों की स्थापना नाबार्ड में की गयी है जिनमें से प्रत्येक की समग्र राशि 500 करोड़ रुपये है। 2011-12 के केन्द्र के बजट में इन निधियों की राशि में 100 करोड़ रुपये प्रत्येक की वृद्धि कर दी गयी है।
- ii) उत्तर पूर्व में बैंकिंग के प्रवेश में सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक ने पांच वर्ष के लिए पूंजी और अन्य लागत के निधीयन का प्रस्ताव रखा है बशर्ते संबंधित राज्य सरकार परिसर उपलब्ध कराने और समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने की इच्छुक हो। वर्ष के दौरान मेघालय में 2 सहमति प्राप्त क्षेत्रों में, त्रिपुरा में 2 और मणिपुर में 4 शाखाएं खोली गयीं।
- iii) देश के सभी भागों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में एक समान प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों को सूचित किया गया कि वे मार्च 2012 तक 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक बैंकरहित गांव में बैंकिंग स्थल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप तैयार करें। रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि ऐसी बैंकिंग सेवाओं के लिए शाखा भवन का होना आवश्यक नहीं है अपितु ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मॉडलों के विभिन्न स्वरूपों, बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट सहित, द्वारा दी जा सकती हैं। लगभग 72,800 ऐसे बैंकरहित गांवों की पहचान की गयी तथा उन्हें राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों के माध्यम से विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया।

वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन में प्रगति

IV.24 जनवरी 2010 में सभी निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन वर्ष की वित्तीय

समावेशन योजना तैयार करें तथा रिजर्व बैंक को मार्च 2010 तक प्रस्तुत करें। तदनुसार बैंकों ने अपनी वित्तीय समावेशन योजना प्रस्तुत की जिसमें मार्च 2011, 2012 और 2013 के लक्ष्य शामिल किये गये थे।

IV.25 इन योजनाओं में व्यापक रूप से ग्रामीण शाखाएं (भवन) खोलने के संबंध में स्व-निर्धारित लक्ष्य; बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट की नियुक्ति; 2000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंकरहित ग्रामों तथा 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंकरहित ग्रामों की शाखाओं/बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट/अन्य साधनों द्वारा कवरेज; बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा खोले गये खातों सहित नो फ्रिल खाते खोलना; किसान क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा वित्तीय रूप से वंचित वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार अन्य विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी कारोबार योजनाओं के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना तैयार करें तथा अपने स्टाफ के कार्य निष्पादन मूल्यांकन में वित्तीय समावेशन को एक मानदंड के रूप में शामिल करें।

IV.26 वित्तीय समावेशन योजना लागू करने में बैंकों की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से तथा भविष्य में प्रगति तेज करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक बैंकों के साथ वार्षिक वित्तीय समावेशन योजना समीक्षा बैठकें आयोजित करता रहा है। मई-जून 2011 के दौरान की गयी चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाई बिंदु निम्नानुसार हैं:-

- i) बैंक अपने सुपुर्दगी मॉडलों की समीक्षा करेंगे ताकि वित्तीय समावेशन परिणाम उनके लिए लाभदायक कारोबार हो।
- ii) बैंक 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- iii) भविष्य में बैंक बैंकरहित गांवों में शाखा भवन खोलने पर अधिक ध्यान देंगे। यह एक कम लागत की मध्यस्थ शाखा हो सकती है जिसका भवन सीधा-सादा हो, जिसमें छोटे ग्राहक लेन-देन किए जा सकें तथा 2-3 किलोमीटर की दूरी पर 8-10 बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट को सहायता दी जा सके।
- iv) बैंक शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले कामगारों और वेंडरों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक खाते खोलने के लिए आधार नामांकन करते हुए वित्तीय समावेशन पहल का विस्तार करेंगे।

- v) सरकारी क्षेत्र के बैंक उनके द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन योजनाएं तैयार करेंगे तथा निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करेंगे ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये गये लक्ष्य पूरे किए जा सकें।

आउटरीच गतिविधियों सहित वित्तीय साक्षरता प्रयास

IV.27 वित्तीय साक्षरता से वित्तीय समावेशन में सहायता मिलती है जिसके परिणामस्वरूप समग्र वृद्धि और विकास होता है। भारत जैसे भिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले देशों में उन लोगों के लिए वित्तीय शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है जो बहुत गरीब हैं तथा मार्जिन पर कार्य करते हैं और जो निरंतर अधोगामी वित्तीय दबावों के प्रति संवेदनशील हैं।

IV.28 व्यापक रूप से वित्तीय शिक्षा की परिभाषा वित्तीय बाजार उत्पादों और विशेष रूप से सूचना के आधार पर चयन करने के उद्देश्य से प्रतिफल और जोखिम की पहचान और समझ की क्षमता के रूप में दी जा सकती है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए कई उपाय किये हैं।

- i) भारतीय रिजर्व बैंक ने 'परियोजना वित्तीय साक्षरता' नामक एक परियोजना इस उद्देश्य से शुरू की है कि केन्द्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के संबंध में जानकारी का प्रसार स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी गरीबों, सुरक्षा कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों के बीच किया जा सके।
- ii) रिजर्व बैंक ने 2007 में बैंकिंग और आम आदमी के संबंध में सभी मामलों पर 13 भारतीय भाषाओं में एक बहु भाषी वेबसाइट शुरू की है।
- iii) स्कूली बच्चों की पहचान बैंकिंग से कराने के उद्देश्य से सचित्र पुस्तकें वेबसाइट में पहले ही रखी जा चुकी हैं। विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए इसी प्रकार की पुस्तकें तैयार की गयी हैं और रिजर्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में बड़ी संख्या में वितरित की गयी हैं।
- iv) राज्य सरकारों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के सक्रिय सहयोग से प्रत्येक राज्य में वित्तीय साक्षरता

कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रसार और नाटक, रोड शो, प्रदर्शनीयां, कार्यशालाएं और सम्मेलन शामिल हैं।

IV.29 रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्रों पर एक आदर्श योजना तैयार की गयी और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस सूचना के साथ प्रेषित की गयी कि इन केन्द्रों की स्थापना अलग संस्थाओं के रूप से की जाए और वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्रों की सेवाएं जिले में अन्य बैंकों के ग्राहकों को भी उपलब्ध होनी चाहिए।

IV.30 वित्तीय शिक्षा में क्षमता निर्माण उपायों पर जोर दिया जाता है ताकि सबसे निम्न वर्ग के उधारकर्ता भी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के पूरे समूह जैसे: ऋण के साथ-साथ बचत, विप्रेषण, बैंकिंग क्षेत्र से बीमा और पेंशन का लाभ उठा सकें। राज्य सरकारों तथा अन्य जोखिमधारकों द्वारा व्यक्त किये अनुसार इन केन्द्रों की उपयोगिता के मद्देनजर बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे सभी जिलों में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना करें। मार्च 2011 को देश के विभिन्न राज्यों में 252 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना की गयी।

IV.31 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन पर अग्रणी प्रबंधकों के सम्मेलन का आयोजन इस आशय के साथ किया गया कि वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के समीक्षा की जाए, मांग और सुपुर्दगी से आधार स्तर पर वित्तीय समावेशन से संबंधित समस्याओं को समझा जाए तथा हमारे वित्तीय समावेशन प्रयासों की वर्तमान स्थिति पर आधार स्तर की वास्तविकता को समझा जा सके। देश के विभिन्न भागों से बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं, बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के आधार स्तर के कार्यकर्ताओं और वित्तीय सेवाओं के प्रतिनिधि ग्राहकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

IV.32 2010 में आंध्र प्रदेश माइक्रोफाइनेंस संकट को देखते हुए विभिन्न जोखिमधारकों द्वारा चिंता व्यक्त की गयी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गयी जो माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के रूप में कार्यरत हैं। नवंबर 2010 की दूसरी तिमाही समीक्षा में निर्दिष्ट किये अनुसार माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के क्षेत्र में मुद्दों और चिंता के विषयों का अध्ययन करने के लिये रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की उप समिति (अध्यक्ष: श्री वाइ एच मालेगाम) का गठन किया गया (बॉक्स IV.2)।

बॉक्स IV.2

माइक्रोफाइनेंस संस्था क्षेत्र पर समिति (मालेगाम समिति)

मालेगाम समिति ने जनवरी 2011 की अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार सिफारिशों की हैं :- i) एक अलग श्रेणी की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का सृजन; ii) व्यक्तिगत ऋणों पर मार्जिन उच्चतम सीमा और ब्याज दर उच्चतम सीमा; iii) ब्याज प्रभारों में पारदर्शिता; iv) किसी एक उधारकर्ता को दो से अधिक माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं द्वारा उधार न दिया जाए; v) एक या अधिक ऋण सूचना ब्यूरो का सृजन; vi) माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं द्वारा शिकायत निवारण प्रक्रिया की उचित प्रणाली की स्थापना; vii) एक या अधिक 'सामाजिक पूंजी निधि' का सृजन तथा viii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के लिए निर्धारित विनियम का अनुपालन, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को बैंक ऋण का श्रेणीकरण जारी रखना। प्राप्त प्रतिसाद के आधार पर समिति द्वारा सिफारिश किये गये विनियम के व्यापक ढांचे को स्वीकार कर लिया गया।

मई 2011 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 1 अप्रैल 2011 अथवा उसके बाद माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को आगे व्यक्तियों तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों/संयुक्त देयता समूह को देने के लिए बैंक ऋण को संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा यथा कृषि, लघु और छोटे उद्यम, और माइक्रो ऋण (अन्य प्रयोजनों के लिए) अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में बशर्ते माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की कुल आस्तियों का 85 प्रतिशत से अधिक (नकदी से इतर, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास शेष, सरकारी प्रतिभूतियाँ और मुद्रा बाजार लिखत) "अर्हताप्राप्त आस्तियों" के रूप में हो।

इसके अतिरिक्त, आय सृजन गतिविधि के लिए दी गयी ऋण की समग्र राशि माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं द्वारा दिये गये कुल ऋणों के 75 प्रतिशत से कम न हो।

- "अर्हताप्राप्त आस्ति" का अर्थ माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं द्वारा वितरित वह ऋण है जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदण्ड पूरे करता हो ; i) ऐसे उधारकर्ता को ऋण दिया जाए जिसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000/- रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों से इतर में 1,20,000/- रुपये से अधिक न हो; ii) उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए; iii) ऋण बिना किसी संपार्श्विक के होना चाहिए। iv) ऋण की चुकौती उधारकर्ता की इच्छानुसार साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक किस्तों में होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों के रूप में वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्रता हेतु

माइक्रोफाइनेंस संस्था अन्य मूल्यन दिशानिर्देशों के साथ-साथ मार्जिन और ब्याज दरों पर निर्धारित किये अनुसार अधिकतम सीमा का पालन करती हो।

- सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के लिए 12 प्रतिशत मार्जिन की अधिकतम सीमा। बकाया उधारों के लिए ब्याज लागत की गणना औसत पाक्षिक शेष राशि पर की जाएगी तथा ब्याज आय की गणना अर्हताप्राप्त आस्तियों के बकाया ऋण संविभाग औसत पाक्षिक शेष राशि पर की जाएगी।
 - सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के लिए प्रत्येक ऋण पर ब्याज की अधिकतम सीमा 26 प्रतिशत वार्षिक होगी।
 - ऋणों के मूल्यन में केवल घटक शामिल किए जाने चाहिए यथा (क) शुल्क, जो सकल ऋण राशि के 1 प्रतिशत से अधिक न हो (ख) ब्याज प्रभार तथा (ग) बीमा प्रिमियम।
 - शुल्क 26 प्रतिशत की मार्जिन अधिकतम सीमा अथवा ब्याज सीमा में शामिल न किया जाए।
 - केवल बीमा की वास्तविक लागत अर्थात् उधारकर्ता और उसके पति/पत्नी के जीवन स्वास्थ्य और सामूहिक बीमा की वास्तविक लागत; प्रशासनिक प्रभार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार वसूल किये गये।
 - विलम्ब से भुगतान पर कोई दण्ड नहीं होना चाहिए।
 - कोई प्रतिभूति जमा/मार्जिन नहीं लिया जाना चाहिए।
- बैंकों को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से प्रत्येक तिमाही में सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र लेना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया हो कि i) माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की कुल आस्तियों का 85 प्रतिशत 'अर्हताप्राप्त आस्तियों' के रूप में है, ii) आय सृजन गतिविधि के लिए दिये गये ऋण की कुल राशि माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं द्वारा दिये गये कुल ऋणों के 75 प्रतिशत से कम नहीं है, तथा iii) मूल्यन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।
 - माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को बैंक ऋण जो उक्त शर्तों का पालन नहीं करते तथा अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण 1 अप्रैल 2011 से प्राथमिकता प्राप्त ऋणों के रूप में नहीं माने जाएंगे। 1 अप्रैल 2011 से पहले दिये गये ऋण, जिन्हें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, उन्हें उनकी परिपक्वता तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत माना जाएगा।

आउटरीच गतिविधियां

IV.33 आउटरीच गतिविधियों के लाभदायक प्रभाव को देखते हुए इन घटनाओं की सावधानीपूर्वक योजना बनायी गयी थी ताकि वर्ष के दौरान देशभर में वित्तीय शिक्षा और साक्षरता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। कुल 214 गांव, रिजर्व बैंक के पिछले प्लेटिनम जयंती वर्ष में पहचान किये गये 167 गांवों सहित, "आदर्श गांवों" के रूप में परिवर्तित करने हेतु लिये गये थे।

IV.34 जमीनी स्तरीय महत्त्वपूर्ण आउटरीच कार्यक्रमों के दौरान व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रदर्शनियां तथा नाटक आदि का आयोजन किया

गया ताकि लोगों को उनके जीवन में रिजर्व बैंक द्वारा अदा की जा रही भूमिका से अवगत कराया जा सके। आउटरीच कार्यक्रमों को देश में जनता, सरकारी पदाधिकारियों, बैंकों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आदि से प्रशंसा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक के उच्चाधिकारियों (2010-11 में 34 आउटरीच कार्यक्रमों में) और बैंकों, नाबार्ड तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के उच्चाधिकारियों की सहभागिता ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच नयी उम्मीद जगायी है जैसा कि इन कार्यक्रमों में उनके पूरे दिल से शामिल होने से दिखता है। रिजर्व बैंक ने इन कार्यक्रमों के बाद भी गतिविधियों को जारी रखने के अपने प्रयास जारी रखे हैं ताकि वित्तीय समावेशन के दीर्घावधि उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें।

वित्तीय बाजारों ने 2010-11 के दौरान सुगमता से कार्य किया। वित्तीय बाजारों में कार्यकुशलता को प्रोत्साहन देते हुए विनियामक ढांचे को अधिक मजबूत करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने कतिपय विनियामक कमियों पर ध्यान देने, पारदर्शिता बढ़ाने और मुद्रा बाजारों में चलनिधि की स्थिति सुधारने के लिए नीतिगत पहलें शुरू कीं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र की नीतिगत पहलें क्रियाविधिक सरलीकरण और उदारीकरण प्रक्रिया की दीर्घकालिकता बनाये रखने पर केंद्रित थीं। डेरिवेटिव बाजार में रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता मामले और बाजार की कार्यकुशलता के बीच संतुलन बनाये रखते हुए नये बाजार लिखत शुरू करने की दिशा में चरणबद्ध और क्रमिक प्रयास जारी रखे।

V.1 वित्तीय स्थिरता को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के मुख्य लक्ष्य के रूप में पहचाना गया है। वित्तीय स्थिरता का अर्थ वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थाओं की स्थिरता है। वित्तीय बाजार की स्थिरता अनिश्चितता कम करती है और नापने योग्य जोखिम के उचित दायित्व के साथ निवेश संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। बाजार विकास से बाजार की कार्यकुशलता बढ़ती है जिससे लेनदेन लागत घटती है, पारदर्शिता बढ़ती है, मूल्यन के उद्देश्य से बेंचमार्क स्थापित होता है और वृद्धि के लिए दीर्घकालिक बचत और निवेश को पोषण मिलता है। बाजार की अस्थिरता जोखिम लेने की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है और वृद्धि की निरंतरता में बाधा आती है जिससे वृद्धि के लिए वित्तीय बाजार का विनियमन आवश्यक हो जाता है। किंतु वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन से कम-से-कम अल्पावधि में गति धीमी हो जाती है जब वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बनाये गये विनियामक उपाय बाजार की कार्यकुशलता के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। तदनुसार सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए धीमी गति को पहचानना किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए आवश्यक है जो कि वित्तीय बाजारों के विभिन्न घटकों के विकास और विनियमन के उसके दायित्व में निहित है।

मुद्रा बाजार

V.2 मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह न केवल प्रणाली में चलनिधि के बेमेल के प्रभाव को दर्शाता है बल्कि मौद्रिक नीतिगत परिवर्तनों को वित्तीय प्रणाली के अन्य भागों में अंतर्गत करने के प्रथम साधन के रूप में कार्य भी करता है। मई 2010 में चलनिधि घाटे की स्थिति में जाने से 2010-11 के दौरान नीतिगत उपायों का लक्ष्य बाजारों का सुगमतापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करना रखा गया ताकि आर्थिक गतिविधियों में रुकावट न आये। इस

समष्टिआर्थिक पृष्ठभूमि में कतिपय विनियामक कमियों पर ध्यान देने, पारदर्शिता बढ़ाने और मुद्रा बाजार में चलनिधि में सुधार लाने के लिए नीतिगत उपाय किये गये।

एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों का विनियमन

V.3 एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता के अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के मामले में निजी स्थानन के माध्यम से मौजूदा विनियामक कमी दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने भारिबैं (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 45 डब्ल्यू के अनुसरण में 23 जून 2010 को दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों में एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता के अपरिवर्तनीय डिबेंचर जो कि मुद्रा बाजार के लिखत होते हैं, जारी करने संबंधी विनियमन दिये गये हैं। यह दिशानिर्देश जमानती और साथ ही बेजमानती अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर लागू हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार 90 दिन से कम की अवधिपूर्णता के अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किये जा सकते और इनमें कॉल/पुट विकल्प नहीं हो सकता जो कि निर्गम तिथि से 90 दिन के भीतर कार्यान्वित किये जाते हैं। इन अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए पात्रता मानदंड, रेटिंग आवश्यकताएं आदि सामान्य रूप से वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम पर मौजूदा दिशानिर्देशों की तर्ज पर निर्धारित की गयी हैं। बाजार सहभागियों से प्राप्त प्रतिसूचना को ध्यान में लेते हुए रिजर्व बैंक ने 6 दिसंबर 2010 को संशोधनकारी निर्देश जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं को एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति दी गयी; कार्यशील पूंजी की सीमा न बनाये रखने वाले प्राथमिक व्यापारियों सहित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता के अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की अनुमति दी गयी; और विदेशी संस्थागत निवेशकों को इस संबंध में

जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम तथा सेबी के दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक वर्ष तक की अवधिपूर्णाता के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति दी गयी।

जमा प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

V.4 जमा प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों के लिए गौण बाजार में पारदर्शिता के लिए रिजर्व बैंक ने जमा प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों के सभी गौण बाजार लेनदेनों के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म शुरू किया। उक्त रिपोर्टिंग प्लेटफार्म निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ द्वारा 1 जुलाई 2010 से परिचालित किया गया। रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे जमा प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों के उनके ओवर दि काउंटर लेनदेनों की रिपोर्ट निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर दें।

कारपोरेट बांडों में रिपो

V.5 कारपोरेट बांड बाजार में चलनिधि की व्यवस्था पर लक्ष्यित उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने कारपोरेट बांडों में रिपो की अनुमति देते हुए जनवरी 2010 में दिशानिर्देश जारी किये। कारपोरेट बांडों में रिपो लेनदेनों को और सुगम बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने बाजार सहभागियों के साथ परामर्श करके कारपोरेट बांडों में रिपो को विनियमित करने वाले दिशानिर्देशों की समीक्षा की। परिणामस्वरूप निहित संपार्श्विक पर लागू न्यूनतम हेयरकट 25 प्रतिशत से संशोधित करके 10 प्रतिशत (एएए रेटेड बांड के मामले में), 12 प्रतिशत (एए+) और 15 प्रतिशत (एए) किया गया। इसके अलावा, कारपोरेट बांडों में टी+0 आधार पर (टी+1 और टी+2 के अलावा) रिपो लेनदेनों के निपटान की भी अनुमति दी गयी।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

V.6 सरकारी प्रतिभूति बाजार वित्तीय बाजार का प्रमुख घटक है क्योंकि यह राजकोष को कम लागत पर वित्त उपलब्ध कराता है, कंपनी ऋण के मूल्यन के लिए संदर्भ बिंदु उपलब्ध कराता है, अवधिपूर्णाता स्तरों में मौद्रिक नीति के संप्रेषण के साधन का कार्य करता है और खुले बाजार के परिचालनों के माध्यम से केंद्रीय बैंक के चलनिधि प्रबंधन का साधन भी उपलब्ध कराता है। 2010-11 के दौरान खुले बाजार के परिचालनों के तहत बाजार सहभागियों से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से चलनिधि बढ़ी और संरचनात्मक चलनिधि बेमेलों में कमी आयी।

हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक अनेक उपाय कर रहा है जिनसे मूल्य संबंधी ज्ञान प्राप्ति, निवेशक आधार बढ़ने, बाजार की पारदर्शिता में वृद्धि और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा में योगदान मिला है। 2010-11 के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास संबंधी पहलों का लक्ष्य बाजार में अधिक चलनिधि और प्रभावी विनियमन के बीच संतुलन सुनिश्चित करना था।

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, धारा 27 और 30 - सहायक सामान्य खाता-बही फार्मों के बाउंसिंग पर दंड लगाना

V.7 सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, धारा 27 और 30 (3) के प्रावधानों के अनुसरण में सहायक सामान्य खाता-बही अंतरण के दिशानिर्देशों की समीक्षा की गयी और सहायक सामान्य खाता-बही बाउंसिंग के लिए वर्तमान विनियामक दंड के स्थान पर जुलाई 2010 में पारदर्शी और नियम-आधारित आर्थिक दंड लाया गया। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत किसी वित्तीय वर्ष में पहली नौ घटनाओं के लिए वर्गीकृत मौद्रिक दंड (प्रति घटना अधिकतम 5 लाख रुपये) लगाया जाता है जबकि दसवीं चूक से उक्त वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में मंदडिया विक्रय पर रोक लगायी जाती है। आंतरिक नियंत्रण में सुधार आदि के संदर्भ में कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद मंदडिया विक्रय की अनुमति अगले वर्ष बहाल की जाती है।

गिल्ट खाता धारकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में भुगतान बनाम सुपुर्दगी III सुविधा देना

V.8 भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार का निपटान 2 अप्रैल 2004 से भुगतान बनाम सुपुर्दगी II से भुगतान बनाम सुपुर्दगी III में अंतरित हो गया। किंतु यह स्पष्ट किया गया कि भुगतान बनाम सुपुर्दगी III सुविधा गिल्ट खाता धारकों द्वारा किये गये लेनदेनों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। लेनदेन और निपटान इंफ्रास्ट्रक्चर के स्थिरीकरण हो जाने से जुलाई 2011 से भुगतान बनाम सुपुर्दगी III सुविधा गिल्ट खाता धारकों द्वारा किये गये लेनदेनों (एक समान कस्टोडियन के गिल्ट खाता धारकों के बीच किये गये लेनदेन छोड़कर) के लिए उपलब्ध करायी गयी ताकि गिल्ट खाता धारकों को निधि और प्रतिभूति के कुशल उपयोग का लाभ मिल सके।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.9 2010-11 के दौरान पूंजी प्रवाह मुख्यतः चालू खाते के घाटे से अवशोषित हो गये थे। वर्ष के दौरान पूंजी प्रवाहों में विदेशी

संस्थागत निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, बाह्य सहायता और अनिवासी भारतीय जमाराशि की अधिकता थी। किंतु आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की धीमी गति चिंता बनी रही हालांकि 2011-12 (अप्रैल-जून) के दौरान आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रोत्साहनजनक था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में उठाये गये नीतिगत कदम क्रियाविधिक सरलीकरण, विदेशी बाजार की स्थिरता और उदारीकरण प्रक्रिया की मजबूती बनाये रखने पर केंद्रित थे।

चालू खाता

V.10 संकट काल के दौरान शुरू किये गये विशेष प्रति-चक्रीय उपाय इस कार्य से बाहर निकलने की नीति के एक भाग के रूप में या तो कम किये गये या वापस लिये गये। निर्यात-आयात बैंक को प्राप्त विशेष रुपया पुनर्वित्त सुविधा 1 अप्रैल 2010 से समाप्त की गयी और इसे प्राप्त स्वैप सुविधा 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से कम करके 525 मिलियन अमरीकी डॉलर (25 जनवरी 2010 का बकाया स्तर) की गयी और यह 30 सितंबर 2010 तक उपलब्ध करायी गयी।

V.11 संकटोत्तर काल में उन्नत देशों की मंदी का भारत के निर्यातों पर लगातार प्रभाव होने से निर्यातकों को माल और सेवाओं के निर्यात के दिनांक से 12 महीनों के भीतर निर्यात आगम की वसूली और प्रत्यावर्तन करने की अनुमति 30 सितंबर 2011 तक बढ़ा दी गयी। वसूल न हुए निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालने के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I के बैंकों को सूचित किया गया कि यदि निर्यातकों ने विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत किसी भी निर्यात उन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ लिया है तो, शुल्क वापसी योजना के तहत के मामले छोड़कर, कुछ शर्तों पर आनुपातिक इंसेटिव सरेंडर करने पर जोर न दिया जाए।

V.12 निर्यातकों को निर्यात लेनदेनों और विशेष रूप से कम मूल्य के माल और सेवाओं के मामले में सहायता पहुंचाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के महत्त्व को पहचानते हुए ऐसे लेनदेनों का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम विनियमावली के अनुरूप उचित रूप से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किये गये।

V.13 व्यापार लेनदेन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाने में सहायता देने के लिए अनिवासी आयातकों और निर्यातकों को अब अनुमति दी गयी है कि वे भारत से निर्यात और यहां आयात के संबंध में भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के बैंकों के साथ भारतीय रुपये में उनकी मुद्रा जोखिम को प्रतिरक्षित कर सकते हैं।

V.14 विदेश जाने के संबंध में विदेशी मुद्रा के मुद्रा घटक की समीक्षा की गयी और ईराक, लिबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रूसी संघटन और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल के अन्य लोकतांत्रिक देशों से भिन्न देशों में जाने वाले यात्रियों के लिए इसकी सीमा वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती 2,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 3,000 अमरीकी डॉलर या इसके समकक्ष की गयी और इसके लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होती।

V.15 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I के बैंकों के लिए यह आवश्यक था कि वे 100,000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य से अधिक का माल आयात करने के लिए अग्रिम का विप्रेषण करने के लिए भारत से बाहर स्थित किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक से बिना शर्त, अप्रतिसंहरणीय आपाती ऋण-पत्र या गारंटी या भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I के बैंक की गारंटी प्राप्त करें बशर्ते ऐसी गारंटी भारत से बाहर स्थित किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक की प्रति-गारंटी के आधार पर जारी की गयी हो। क्रियाविधि को उदार बनाने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र की कंपनी या केंद्र/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम से भिन्न किसी आयातक के लिए उक्त सीमा बढ़ाकर 200,000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य की गयी जहां 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के अग्रिम विप्रेषण के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी जाती हो।

पूंजी खाता

V.16 बाह्य वाणिज्यिक उधार की नीतियों को उत्तरोत्तर उदार बनाया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अधिक बाह्य निधि लायी जा सके। उदारीकरण के हाल के उपायों में निम्न बातें शामिल हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा का विस्तार करके इसमें " कृषि और संबंधित उत्पाद, समुद्री उत्पाद और मांस के अनुरक्षण या स्टोरेज के लिए फार्म स्तरीय प्री-कूलिंग सहित शीत गृह सुविधा" शामिल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों को आगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को उधार देने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा पूंजी बाजार लिखतों के माध्यम से ऋण जुटाने के लिए ऋण-विस्तार की सुविधा और पुलों तथा बिजली क्षेत्र सहित बंदरगाहों और हवाई अड्डों, सड़कों की परियोजनाओं के विकास के लिए अनुमोदन माध्यम के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार के माध्यम से वित्त जुटाने की योजना। समन्वयित गृह संकुलों के विकास में लगे हुए कारपोरेट्स को दिसंबर 2010 के अंत तक अनुमोदन मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की सुविधा दी गयी थी। सॉफ्टवेयर, अस्पताल और होटल जैसे चुनिंदा

सेवा क्षेत्रों के कारपोरेट्स को अनुमोदन मार्ग के तहत 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी।

V.17 विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की अवधिपूर्व वापसी खरीद की सुविधा जून 2011 के अंत तक उपलब्ध थी जिसे घटी हुई न्यूनतम डिस्काउंट दरों के साथ मार्च 2012 के अंत तक बढ़ा दिया गया। चुकौती दायित्व पूरा करने की दृष्टि से भारतीय कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी कि वे अपने शेष दायित्वों के पुनर्विचयन के लिए स्वचालित माध्यम के तहत वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार नये बाह्य वाणिज्यिक उधार/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड जुटाये।

V.18 इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की व्यापक निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और देश में सरकारी प्रतिभूति और कारपोरेट बांड बाजार का चरणबद्ध तरीके से विकास करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की सीमा सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में 5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 10 मिलियन अमरीकी डॉलर और बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में परिभाषित इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी कारपोरेट बांडों के संबंध में 15 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 40 बिलियन अमरीकी डॉलर की गयी बशर्ते वृद्धिशील सीमा पांच वर्ष से अधिक की अवशिष्ट अवधिपूर्णाता की प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निर्धारित की जाए। इस उपाय से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वित्त प्रवाह बढ़ाने के अलावा दीर्घावधि पेपर्स की चलनिधि भी बढ़ेगी।

V.19 विदेश में परियोजना कार्यान्वयन में कार्यनिष्पादन गारंटी लिखत की उपयोगिता और प्रयोग को ध्यान में रखते हुए और वित्तीय गारंटियों की तुलना में ऐसी गारंटियों से जुड़ी जोखिम पर विचार करते हुए कार्यनिष्पादन गारंटी की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भाग विदेश स्थित उसके संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं की वित्तीय प्रतिबद्धताओं की गणना के लिए हिसाब में लिया जायेगा जो कि भारतीय पक्ष की निवल मालियत के 400 प्रतिशत के भीतर होगा। प्रत्यक्ष सहायक संस्था परिचालक कंपनी हो या विशेष प्रयोजन संस्था हो, भारतीय प्रवर्तक संस्था विदेश में प्रत्यक्ष निवेश की मौजूदा सीमा के भीतर स्वचालित माध्यम के तहत पहले चरण की सहायक परिचालन कंपनी की ओर से कारपोरेट गारंटी दे सकती है। इसके अलावा, पूंजी और प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डालने में संबद्ध विदेश स्थित संस्था के तुलनपत्र के पुनर्निर्धारण संबंधी क्षेत्र और विदेश स्थित

बट्टे खाते डालने में संबद्ध संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में भारतीय पक्षों द्वारा अपने हिस्से का विनिवेश करने को उदार बनाया गया।

V.20 सेबी की अपने ग्राहक को जानिए अपेक्षा पूरी करने वाले अनिवासी निवेशकों (सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेश को छोड़कर) को 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर प्रत्यावर्तन आधार पर देशी पारस्परिक निधियों की इक्विटी योजनाओं के रुपया मूल्यवर्गित यूनिट खरीदने की अनुमति दी गयी। इन निवेशकों को यह भी अनुमति दी गयी कि वे उन देशी पारस्परिक निधियों की ऋण योजनाओं के यूनिटों में 3 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त राशि तक निवेश कर सकते हैं जो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा जारी कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा 25 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की वर्तमान उच्चतम सीमा के भीतर न्यूनतम 5 वर्ष की अवशिष्ट अवधिपूर्णाता के इंफ्रास्ट्रक्चर (बाह्य वाणिज्यिक उधार मानदंडों के तहत परिभाषित किये अनुसार) में निवेश करती हैं।

V.21 भारत की वृद्धि प्रक्रिया में अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के योगदान के महत्त्व और अनिवासी भारतीयों तथा निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के वर्तमान विनियामक ढांचे के तहत के विदेशी मुद्रा के वास्तविक लेनदेनों को सुगम बनाने की आवश्यकता को पहचानते हुए अप्रैल 2011 में एक समिति (अध्यक्ष: श्रीमती के.जे.उदेशी, पूर्व उप गवर्नर, भारिबैं) गठित की गयी ताकि क्रियाविधि को सुसंगत और सरल किया जा सके जिससे परिचालनात्मक बाधाएं हटायी जा सकेंगी और उनके द्वारा निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्राधिकृत व्यक्तियों के कार्य-कौशल के स्तर का आकलन किया जा सकेगा। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2011 में प्रस्तुत की है और इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

डेरिवेटिव बाजार

V.22 डेरिवेटिव वित्तीय बाजारों के विकास में महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर सकते हैं जब यह संविभागीय भिन्नता और जोखिम से प्रतिरक्षा करने में सहायक होते हैं जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। किंतु डेरिवेटिव दोधारी तलवार भी बन सकते हैं जैसा कि वित्तीय संकट में सिद्ध हो गया। संकटोत्तर काल में जोखिम पर ध्यान देने के बजाय डेरिवेटिव बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्रेतर स्रोत और छुपे एक्सपोजर के रूप में उभरे। भारत में रिजर्व बैंक ने

वित्तीय स्थिरता के मामलों और बाजार की कार्यकुशलता के बीच ट्रेड-ऑफ को पहचानते हुए नये बाजार लिखत शुरू करने की दिशा में चरणबद्ध और क्रमिक प्रयास जारी रखे।

91 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज दर फ्यूचर्स की शुरुआत

V.23 10 वर्षीय राष्ट्रीय कूपन वाली भारत सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज दर फ्यूचर्स संविदा 31 अगस्त 2009 से पुनः शुरू की गयी। बाजार की प्रतिसूचना और मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों पर तकनीकी परामर्शदाता समिति की सिफारिशों के आधार पर अल्पकालिक ब्याज दर फ्यूचर्स संविदा शुरू करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अल्पकालिक ब्याज दरों में घट-बढ़ के प्रबंधन के लिए सहभागियों को अतिरिक्त लिखत उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2011 से 91 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज दर फ्यूचर्स की अनुमति दी गयी।

ऋण चूक स्वैप की शुरुआत

V.24 ऋण जोखिम के प्रबंधन में लिखतों की कमी को दूर करने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी जिसके लिए ऋण चूक स्वैप की शुरुआत का कार्य 2003 में शुरू किया गया और 2007 में इस पर अनुवर्ती कार्रवाई की गयी। किंतु वैश्विक वित्तीय संकट शुरू हो जाने से इन पहलों को रोकना पड़ा। वैश्विक वित्तीय संकट से सीखे गये सबक को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कारपोरेट बांडों पर ऋण चूक स्वैप की अनुमति दी जाए और इस संबंध में मई 2011 में दिशानिर्देश जारी किये गये (बाक्स V.1)।

शेयर बाजारों में व्यापारित मुद्रा डेरिवेटिव

V.25 मुद्रा फ्यूचर्स बाजार 2010-11 के दौरान सक्रिय बना रहा। मार्च 2011 के अंत में तीन सक्रिय शेयर बाजारों (राष्ट्रीय शेयर बाजार, बहु पण्य विनिमय शेयर बाजार और यूएसई) के मुद्रा फ्यूचर्स में दैनिक औसत पण्यवर्त 8.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि मार्च 2010 के अंत में यह 7.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था। विदेशी मुद्रा लेनदेनों की बढ़ती मात्रा में भी देशी और वैश्विक वित्तीय बाजारों की घटनाओं जैसी ही संभाव्य विनिमय दर जोखिम है। इससे रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न लिखत शुरू करना आवश्यक हो गया ताकि निवासियों के विनिमय एक्सपोजर को सुरक्षा मिल सके। वर्तमान में भारत के निवासियों को मान्यताप्राप्त तीन शेयर

बाजारों में चार मुद्राओं के युग्म में फ्यूचर्स संविदाओं में लेनदेन करने की अनुमति है।

V.26 मुद्रा जोखिम से सुरक्षा के लिए साधन बढ़ाने की दृष्टि से मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों को निवासियों के लिए स्पॉट अमरीकी डॉलर/रुपया विनिमय दर पर सामान्य मुद्रा विकल्प शुरू करने की अनुमति दी गयी। शेयर बाजारों में व्यापारित मुद्रा विकल्प बाजार रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य करता है।

V.27 विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित व्यापक हिस्से को देखते हुए और विनिमय दर पर होने वाले प्रभाव को सहने में भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार की क्षमता में वृद्धि पर विचार करते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब अनुमति दी गयी है कि वे वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संविभाग के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत तक भाग रद्द और रिबुक कर सकते हैं। उक्त सीमा पहले 2 प्रतिशत थी।

गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा बाजार

V.28 गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा बाजार मुख्यतः अपरिवर्तनीय या कम व्यापारित मुद्राओं के संबंध पर होता है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूंजी प्रवाह बढ़ने से गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा बाजार उन विदेशी निवेशकों को सुविधाजनक प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराता है जिनकी नियंत्रणों के कारण संबंधित मुद्रा के ऑफशोर बाजार तक पूरी पहुंच न हो या जो सुविधा के लिए उनकी जानकारी वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में लेनदेन करने को वरीयता दें। गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा बाजार की व्यापक जानकारी उपलब्ध न होने के बावजूद प्राप्त सूचना के अनुसार ब्राजील का रीयल, चीन का रेनमिनबी, ताईवान का डॉलर, दक्षिण कोरिया का वॉन और भारतीय रुपये का इसमें मुख्य हिस्सा है। प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय रुपये के गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा बाजार के मुख्य केंद्र सिंगापुर, लंदन, न्यूयार्क और हांगकांग हैं। भारत में गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा बाजार और देशी वित्तीय बाजारों के बीच संबंध कमजोर बना हुआ है (बाक्स V.2)।

ओवर द काउंटर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव

V.29 ओवर द काउंटर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव और पण्य मूल्य तथा विदेश में मालभाड़ा जोखिम से सुरक्षा पर दिसंबर 2010 में समग्र दिशानिर्देश जारी किये गये। फरवरी 2011 से लागू हुए इन

बॉक्स V.1

कार्पोरेट बांडों के लिए क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप पर दिशानिर्देश

बाजार प्रतिभागियों को ऋण जोखिम का प्रबंधन करने के लिये उपाय उपलब्ध कराने हेतु भारत में क्रेडिट डेरीवेटिव्स लागू करने से पहले इसकी सक्रिय रूप से जांच की गयी। तदनुसार वर्ष 2003 और वर्ष 2007 में क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप लागू करने के संबंध में दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया गया। तथापि तत्कालीन बैंकिंग प्रणाली में मौजूद जोखिम प्रबंधन विधियों और वित्तीय संकट से संबंधित अनुभवों को भी ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों के अंतिम स्वरूप को जारी करना स्थगित कर दिया गया।

इस मामले की समीक्षा की गयी और वर्ष 2009-10 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में समुचित सुरक्षा मानकों की शर्त के अधीन कार्पोरेट बांडों के लिए एकदम सरल ओवर द काउंटर एकल नामित क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप लागू करने का प्रस्ताव किया गया। तदनुसार भारत में कार्पोरेट बांडों के लिए एकल-नामधारी क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप लागू करने के लिए परिचालनात्मक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के लिए एक आंतरिक कार्यदल गठित किया गया। इस दल ने फरवरी 2011 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप पर दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया और जनता की टिप्पणियों के लिए इसे 23 फरवरी 2011 को बैंक की वेब-साइट पर डाला गया। बाजार प्रतिभागियों और अन्य हित धारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुये 23 मार्च 2011 को क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किये गये और वे 24 अक्टूबर 2011 से लागू हो जायेंगे।

दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- सूचीबद्ध कार्पोरेट बांडों, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के गैरसूचीबद्ध परंतु रेटिंग प्राप्त बांडों और संदर्भित बाध्यता के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा बनायी गयी विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी गैर-सूचीबद्ध/ रेटिंग रहित बांडों पर क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप की अनुमति होगी।
- संदर्भित इकाई एकल विधि निवासी इकाई होगी।
- अनुमति प्राप्त प्रतिभागियों को इस प्रकार श्रेणीकृत किया गया है :
 - क) बाजार निर्माता : वाणिज्य बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और एकल-आधार वाले प्राथमिक व्यापारियों जैसे प्रतिभागियों को निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त के अधीन संरक्षित खरीद और संरक्षित बिक्री करने की अनुमति प्रदान की गयी है। बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों को बाजार-निर्माता के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी बशर्ते वे अपने संबंधित विनियामक से इसकी अनुमति प्राप्त करें।
 - ख) उपयोगकर्ता : प्रतिभागियों को केवल अपने विचाराधीन एक्सपोजर को हेज करने की अनुमति होगी जैसे : वाणिज्य बैंक, प्राथमिक व्यापारी,

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों, भविष्य निधि, विदेशी संस्थागत निवेशक और सूचीबद्ध कार्पोरेट।

- विचाराधीन एक्सपोजर के बिना उपयोगकर्ता क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप नहीं खरीद सकते और संरक्षण केवल इस प्रकार के विचाराधीन जोखिम की सीमा (मात्रा एवं अवधि दोनों के रूप में) तक ही खरीदा जा सकता है।
- उपयोगकर्ताओं के लिये भौतिक निपटान अनिवार्य है। बाजार-निर्माता निपटान की तीन विधियों (भौतिक, नकद या नीलामी द्वारा निपटान) में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं बशर्ते क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप दस्तावेज में इस प्रकार के निपटान का प्रावधान किया गया हो।
- क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप संविदाओं को कूपन, कूपन भुगतान तिथियों आदि के रूप में मानकीकृत किया जायेगा।
- दिवालिया होना, भुगतान में असफल होना, अस्वीकार करना/ऋणस्थगन, दायित्व में बढ़ोतरी, दायित्व में चूक, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के तहत अनुमोदित पुनर्संरचना और कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना विधि और कार्पोरेट बांड पुनर्संरचना, क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप के लिये पात्र क्रेडिट घटनाएं हैं।
- चूंकि क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप बाजार विभिन्न प्रकार के जोखिमों से रूबरू होते हैं जैसे क्रेडिट विस्तार में अचानक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप मार्क-टु-मार्केट हानियाँ, जम्प-टु-डिफाल्ट जोखिम, आधारभूत जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम आदि। अतः बाजार प्रतिभागियों के लिए यह अपेक्षित होता कि वे इन जोखिमों को ध्यान में रखें और सुदृढ़ तथा समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाएं ताकि इस प्रकार के जोखिमों का सामना किया जा सके। प्रतिपक्ष क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, पीवी 01¹ सीमा और जोखिमों के सभी पहलुओं की रिपोर्टिंग निगरानी और नियंत्रण के लिए स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, निष्पादन अनुमान, एक्सपोजर मूल्यांकन, निगरानी और लागू करने की स्थिति तथा क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप के लिए अन्य सीमाओं हेतु विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं।
- बाजार-निर्माता, उपयोगकर्ताओं और अन्य बाजार निर्माताओं दोनों के साथ किये गये अपने क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप व्यापार की जानकारी क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप व्यापार रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर डील करने के समय से 30 मिनट के भीतर रिपोर्ट करेंगे। व्यापार रिपोर्टिंग बाजार प्रतिभागियों की स्थिति के संबंध में प्रमुख जानकारी का प्रसार करेगी और नियामकों और बाजार प्रतिभागियों की मदद करेगी ताकि क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप के संबंध में बाजार के समग्र जोखिम एक्सपोजर की सम्पूर्ण और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

दिशानिर्देशों के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं: (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के बैंक सामान्य यूरोपीय क्रॉस मुद्रा का ही प्रस्ताव दे सकते हैं; (ii) विदेशी मुद्रा-रुपया स्वेप के मामले में चिह्नित क्रॉस मुद्रा विकल्प की अनुमति; (iii) कतिपय रक्षोपायों की शर्त पर संविदागत

एक्सपोजर और पूर्व निष्पादन मार्ग दोनों के तहत लागत कटौती संरचना के प्रयोग की अनुमति; और (iv) कतिपय रक्षोपायों की शर्त पर स्वेप को रुपया देयता से विदेशी मुद्रा देयता में ले जाने की अनुमति।

¹ आय में एक आधार अंक परिवर्तन के लिए 100 रुपये के सांकेतिक बांड के मूल्य में परिवर्तन।

बॉक्स V.2

गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड बाजार और देशी वित्तीय बाजारों पर इसका प्रभाव

गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड का तात्पर्य काउंटर पर किये गये ऐसे वायदा लेन-देन से है जिसका निपटान सुपुर्दगी द्वारा नहीं किया जाता बल्कि इसका निपटान संविदा दर और संदर्भित दर के बीच अंतर के भुगतान द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के लेन-देन में सामान्यतः गैर-परिवर्तनीय (पूँजी नियंत्रण के कुछ अंश के साथ) या कम व्यवहृत मुद्राएं शामिल होती हैं और ये किसी बाहरी स्थान पर या तो उस स्थान के विनयमों से पार पाने अथवा लेन-देन करने वाले पक्षों के लिए सुविधाजनक होने के कारण किये जाते हैं। यह संविदा किसी निश्चित देय तारीख पर (गैर-परिवर्तनीय मुद्रा की) निर्धारित राशि के लिये और सहमत वायदा दर पर की जाती है। परिपक्व होने पर मौजूदा स्पॉट दर (संदर्भ दर) की तुलना संविदाकृत गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड दर से की जाती है। सामान्य तौर पर इस अंतर का भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में परिपक्वता की तारीख को कर दिया जाता है। परिपक्वता की तारीख पर संदर्भित या देशी मुद्रा की किसी प्रकार की सुपुर्दगी नहीं होती है। गैर-परिवर्तनीय मुद्रा में किसी प्रकार का भुगतान या खाते का संचालन नहीं होता। जब किसी गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड लेन-देन के लिये सहमति बनती है, पक्षकार संदर्भ दर (परिपक्वता पर) निश्चित करने की विधि पर भी सहमत होते हैं। यह संदर्भाधीन केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित दैनिक दर या विभिन्न बैंकों द्वारा प्रकाशित एक औसत दर होती है। गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड के लिए एक विशिष्ट संविदा की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय स्वैप्स एंड डेरीवेटिव्स एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों को पूरा करती हो।

भारतीय रुपये में गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड बाजार

रुपया गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड हेतु मांग में कई स्रोतों से वृद्धि हो सकती है, उदाहरणार्थ :

1. भारतीय इक्विटी /बांड बाजार में भविष्य के संभाव्य एक्सपोजर की हेजिंग के लिए हेज फंड / विदेशी संस्थागत निवेशक (क्योंकि वर्तमान व्यवस्था केवल वास्तविक एक्सपोजरों के लिए हेजिंग की अनुमति देती है, संभाव्य के लिए नहीं)।
2. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो भारतीय रुपये में इनवाइस बनाती हैं और भारत में जिनके उत्पादन या व्यापारिक हित हैं परंतु उन्हें रुपये में अपने जोखिम की हेजिंग करने की अनुमति प्राप्त नहीं है; और
3. किसी प्रकार के विचाराधीन एक्सपोजर के बिना सटोरियों द्वारा भारतीय रुपये पर निर्देशात्मक शर्त लगाना।

गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड बाजार और देशी बाजार के बीच संबंधता बैंकों और कारपोरेटों से आ सकती है जिनके वैश्विक खाते हैं और इसलिये वे अपने विदेशी और भारतीय लेखों में स्थितियों को प्रति संतुलित कर सकते हैं। यह संबंधता गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड बाजार में से देशी बाजार या इसके विपरीत मूल्य अंतरित कर सकेगी। तथापि यह संबंधता कमजोर है क्योंकि कारपोरेटों का घरेलू विदेशीमुद्रा वायदा लेन-देन विचाराधीन एक्सपोजर पर आधारित होता है और बैंकों द्वारा समग्र (नकद और डेरीवेटिव) एक्सपोजर लेने की भी एक सीमा है। अनुभवजन्य विश्लेषण भी यह संकेत करते हैं कि गैर सुपुर्दगी योग्य फारवर्ड और देशी बाजार दरों के बीच एक कमजोर संबंध है।

संदर्भ :

पद्मनाभन, जी. (2011), 'फोरेक्स मार्केट डेवलपमेंट-इश्यूज एंड चैलेंजेस: थॉट्स ऑफ अ रिटर्निंग फोरेक्स मार्केट रेग्युलेटर', सिंगापुर में 13 अगस्त को भारतीय फोरेक्स संघ के सेमीनार में दिया गया मुख्य भाषण।

V.30 वित्तीय बाजारों में सामान्य स्थिति लौट आने से रिज़र्व बैंक ने अपने बाजार विकास के लक्ष्य और प्रभावी विनियमन के बीच उचित संतुलन बनाये रखने के प्रयास जारी रखे ताकि वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके जो कि दीर्घकालिक वृद्धि के लिए पूर्व शर्त है। कतिपय विनियामक कमियों को दूर करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और

वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थिति सुधारने के लिए नीतिगत उपाय किये गये। वित्तीय स्थिरता संबंधी मामलों और बाजार की कार्यकुशलता के बीच ट्रेड-ऑफ को पहचानते हुए नये बाजार लिखत शुरू करने की दिशा में रिज़र्व बैंक के चरणबद्ध और क्रमिक प्रयासों से वित्तीय बाजारों की स्थिरता में योगदान मिला है।

वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत के बाद विशेष रूप से केंद्रीय बैंकों द्वारा स्पष्ट नीतिगत लक्ष्य के रूप में वित्तीय स्थिरता को महत्व दिया जा रहा है। भारत में रिजर्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियां हमेशा से ही प्रणालीगत स्थिरता बनाये रखने की ओर अभिमुख रही हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली आघातों के प्रति सामान्यतः मजबूत और लचीली बनी रही जैसा कि विभिन्न तनाव-जांचों से देखा जा सकता है। विकसित देशों में लीवरेज का उच्च स्तर, जो कि वैश्विक संकट के पीछे का एक कारण था, भारत में निरंतर निम्न बना हुआ है। रिजर्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना वर्ष के दौरान और मजबूत हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों संबंधी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में अन्य के साथ-साथ प्रतिक्रिय प्रवधानीकरण मानदंडों को मजबूत करना, आवास ऋण घटक में अत्यधिक लीवरेज से बचने के उपाय, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को ऋण सहायता देना आदि शामिल हैं। शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती आने के बाद उनकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

VI.1 वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अनेक देशों में केंद्रीय बैंकों का कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है जिसमें प्रणालीगत विनियमन और समष्टि विवेकसम्मत पर्यवेक्षण शामिल हैं। भारत में विनियमन और पर्यवेक्षण बहुत समय से रिजर्व बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। रिजर्व बैंक के वर्तमान कार्यक्षेत्र में बैंकों और साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन है और इसने अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता बनाये रखने और व्यक्तिगत संस्थाओं को विफल होने से बचाने के लक्ष्य से किये हैं।

VI.2 विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने से भारतीय बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान की मंदी का सामना करने में मदद मिली। रिजर्व बैंक ने उक्त संकट की शुरुआत से बहुत पहले ही मजबूत विवेकसम्मत विनियमन अपना लिये थे। भारतीय वित्तीय प्रणाली में अब भी बैंकों की प्रमुखता है जिससे प्रणालीगत स्थिरता बनाये रखने में लचीली बैंकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण है। तनाव-जांच के परिणामों से पता चलता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली काफी लचीली है जो सत्याभाषी आघातों का सामना कर सकती है।

वित्तीय स्थिरता का आकलन

VI.3 संकट के बाद में वैश्विक रूप से वित्तीय स्थिरता समष्टिआर्थिक नीतिगत संरचना के एकीकृत भाग के रूप में पहचानी गयी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड का गठन किया गया है

ताकि प्रणालीगत दुर्बलता का पता लगाया जा सके और पर्यवेक्षी तथा विनियामक संरचना को मजबूत किया जा सके जिससे वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत वित्तीय स्थिरता बोर्ड का भी सदस्य है और यह अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है (बाक्स VI.1)।

VI.4 मौद्रिक नीति के प्रति बहुविध संकेतक दृष्टिकोण के साथ ही विवेकसम्मत वित्तीय क्षेत्र प्रबंधन से रिजर्व बैंक वैश्विक अर्थव्यवस्था से उत्पन्न जोखिम की स्थिति में भी देश में वित्तीय स्थिरता बनाये रख सका। विनियामकों और सरकार के बीच समन्वय के लिए संस्थागत प्रणाली की स्थापना पर संकट के बाद किये गये फोकस के परिणामस्वरूप दिसंबर 2010 में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना की गयी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होंगे और इसकी सहायता एक उप समिति करेगी जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे। इस संरचना से यह प्रयास किया गया है कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के सरकारी लक्ष्य और केंद्रीय बैंक तथा अन्य विनियामकों के परिचालनात्मक कार्यों के बीच संतुलन बनाया जाए। जहां उप समिति का अधिक सक्रिय होना अपेक्षित है, सामान्य समय में वित्तीय स्थिरता के लिए अधिक सक्रिय साधन के रूप में, वहीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की दृष्टि व्यापक होगी और संकट के दौरान वह केंद्रीय भूमिका में होगी (बाक्स VI.2)।

VI.5 इसके अलावा भारत के तेजी से बढ़ रहे वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, नियमों और

बॉक्स VI.1
वित्तीय स्थिरता बोर्ड

वित्तीय स्थिरता बोर्ड जिसे 2009 में वित्तीय स्थिरता फोरम के उत्तराधिकारी के रूप में बनाया गया, एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसे वित्तीय प्रणाली की दुर्बलताओं को दूर करने तथा वित्तीय स्थिरता के हित में सुदृढ़ विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों के विकास और क्रियान्वयन के लिए बनाया गया है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने ऐसे मामलों की पहचान की है जिनका प्रणालीगत स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है तथा वह अंतरराष्ट्रीय तौर पर इन मामलों से निपटने के लिए निम्नानुसार कई उपाय कर रहा है:

1. वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में समष्टि विवेकपूर्ण ढांचे और नीतिगत उपायों को बनाना;
2. वित्तीय संस्थाओं की पूंजी और चलनिधि मानकों को बढ़ाने के लिए बासेल समिति के प्रस्तावों को लागू करना जिसे अब बासेल III के रूप में जाना जाता है। इन प्रस्तावों में 4.5 प्रतिशत न्यूनतम सामान्य इक्विटी पूंजी अनुपात, 2.5 प्रतिशत तक का पूंजी संरक्षण बफर, चलनिधि कवरेज अनुपात का सही-सही आकलन तथा एक निवल स्थिर निर्धायन अनुपात आदि; शामिल है।
3. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं संबंधी नीतियों में सुधार लाना जिससे असफलता की संभावना और उसके प्रभाव को कम किया जा सके, समाधान क्षमता में सुधार किया जा सके तथा मूल वित्तीय आधारभूत संरचना और बाजार को मजबूत किया जा सके;
4. शैडो बैंकिंग प्रणाली द्वारा लाये गये प्रणालीगत जोखिम और विनियामक विवाचन संबंधी चिंताओं के निराकरण के लिए संभावित विनियामक उपायों की खोज करना;
5. ओवर द काउंटर और पण्य डेरिवेटिव बाजार को उन उपायों के माध्यम से सुधारना जिनके लिए सभी मानकीकृत ओवर द काउंटर डेरिवेटिव संविदाओं की आवश्यकता है तथा जिन्हें विनियम अथवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर खरीदा बेचा जाए और जहां उचित हो वहां केन्द्रीय काउंटर पार्टियों की माध्यम से समाशोधन किया जाए; ट्रेड निक्षेपागार में ओवर द काउंटर डेरिवेटिव संविदाओं को रिपोर्ट करना और गैर-केन्द्रीय तौर पर समाशोधित संविदाओं के लिए उच्चतर पूंजी अपेक्षाओं को रखना;
6. अन्य उपाय जैसे वित्तीय संस्थाओं के मुआवजा व्यवहारों को सुधारना, लेखांकन मानकों को बढ़ाना और मजबूत करना तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर निर्भरता को कम करना।

रिजर्व बैंक के विचार

भारत वित्तीय स्थिरता बोर्ड का एक सदस्य है तथा रिजर्व बैंक सक्रिय तौर पर बोर्ड में नीति निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ है। यह चरणबद्ध तरीके से अंतरराष्ट्रीय

मानकों और सर्वोत्तम व्यवहारों को अपनाने के लिए तथा जहां जरूरी है वहां इन्हें स्थानीय दशाओं के अनुसार बनाने के लिए प्रतिबद्ध बना हुआ है।

भारत में बैंक भली प्रकार पूंजीकृत हैं और बासेल III के मानदंडों से कुल मिलाकर बैंकिंग प्रणाली में अनुचित दबाव पड़ने की संभावना नहीं है यद्यपि कुछ वैयक्तिक बैंकों को इन मानकों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता पड़ सकती है जब वे इस चरण में प्रवेश करते हैं। अंतरराष्ट्रीय तौर पर विचार में चल रहे कई विनियामक नुस्खों, विशेष रूप से मूल पूंजी के संबंध में, को संकट से काफी पहले भारतीय विनियामक ढांचे में प्रयोग किया गया है।

वित्तीय संगुटों के कार्यकलापों की निगरानी के लिए एक ढांचा देश में तैयार किया गया है। यद्यपि कोई भी भारतीय संस्था वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था के रूप में होने के लिए पात्र नहीं है फिर भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था की पहचान करने और समाधान तंत्र बनाने में हुई प्रगति को देशी विनियामक व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

शैडो बैंकिंग क्षेत्र, जैसा कि इसे वैश्विक रूप से समझा जाता है, भारत में अस्तित्व में नहीं है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र जिसे मोटे तौर पर शैडो बैंकिंग के रूप में जाना जाता है भी बड़े पैमाने पर नियंत्रित है। फिर भी यहां पर कुछ विनियामक कमी बनी रहती है जिसमें विवाचन की गुंजाइश रहती है। एक कार्य दल को अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का दायित्व दिया गया है।

अधिकांश क्षेत्राधिकारों से भिन्न, जहां पर केन्द्रीकृत ट्रेड रिपोर्टिंग केवल संकट के बाद शुरू की गई है, भारत में सारांश जानकारी से लेकर लेन-देन के स्तर डेटा तक विभिन्न ओवर द काउंटर डेरिवेटिव लेन-देनों की रिपोर्टिंग के लिए व्यवस्था की गयी है। वर्तमान रिपोर्टिंग व्यवस्था में विदेशी मुद्रा, ब्याज दर, सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट बॉन्ड और मुद्रा बाजार लिखतों में ट्रेड करने की आवश्यकता है जो भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को रिपोर्ट किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये कार्य दल ने ऐसे उत्पादों की सूची बढ़ाने के लिए कई मानदंड सुझाए हैं जिन्हें रिपोर्ट किया जाता है तथा विनियामक अधिदेशों के माध्यम से ऐसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है।

प्रणालीगत चिंताओं के निराकरण के लिए भारत में कुछ समय के लिए समष्टि विवेकपूर्ण नीति उपकरण लगाये गये हैं तथा इसके परिणाम बड़े पैमाने पर सकारात्मक रहे हैं। भारत में प्रयुक्त उपकरणों में एक्सपोजर मानदंडों को विशेषीकृत / संशोधित करना, मानक आस्तियों के लिए प्रावधानन करना, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम भारांकों में अंतर करना, मूल्य और ऋण अनुपात का विशिष्ट निर्देशीकरण करना आदि शामिल है। ऐसे लिखतों को प्रभावी बनाये रखने के लिए गुणात्मक और संख्यात्मक संकेतकों का एक बड़ा दायरा बनाए जाने की आवश्यकता है तथा डेटा की अखंडता को भी बढ़ाना होगा।

विनियमों को उपयुक्त बनाने के लिए इन्हें पुनः लिखने और सुसंगत करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने मार्च 2011 में न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार समिति का गठन किया।

VI.6 प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2010 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में एक नया अध्याय (अध्याय III-ई) शामिल किया गया। इस अध्याय में एक संयुक्त प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष

बॉक्स VI.2

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद और इसकी उप समिति से संबंधित गतिविधियां

2010-11 के केन्द्रीय बजट में घोषणा के फलस्वरूप दिसंबर 2010 में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद बनायी गयी जिससे वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए तंत्र को संस्थागत रूप दिया जा सके और उसे मजबूत बनाया जा सके। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, अन्य बातों के साथ-साथ, बड़े वित्तीय संगुटों की कार्यप्रणाली सहित वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास, अंतर विनियामक समन्वयन और अर्थव्यवस्था के समष्टि विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों पर कार्य करेगी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के प्रमुख तथा वित्त मंत्रालय के प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

इसकी उप समिति वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सहयोग करती है जो वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का मूल्यांकन करने और दुर्बलता के किसी प्रकार के प्रारंभिक संकेतकों की निगरानी करने के लिए बार-बार (तिमाही अंतराल पर) बैठक करती है। इस समिति के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों सहित वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य

होते हैं। इस उप समिति ने पूर्व वित्तीय बाजार उच्च स्तरीय समन्वयन समिति का स्थान ग्रहण किया है।

अपने प्रारंभ से वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद तीन बैठकें कर चुकी है और इन बैठकों में इसने समष्टिआर्थिक, भारत पर उन्नत देशों की गतिविधियों के प्रभाव, भारत की सरकारी रेटिंग तथा विभिन्न क्षेत्राधिकारों द्वारा प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन के प्रभाव से संबंधित मुद्दों का जायजा लिया। अपने गठन के समय से उप समिति तीन बैठकें कर चुकी है जिसमें इसने प्रणालीगत जोखिम से संबंधित मुद्दों को केन्द्र में रखते हुए प्रमुख समष्टि आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की है। यह वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण के लिए अंतर विनियामक समन्वयन हेतु एक संस्थागत तंत्र बनाने तथा ओवर द काउंटर डेरिवेटिव बाजार के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म लाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसकी कार्यसूची में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में मौजूद विनियामक अंतरालों को पाटने, सरकार द्वारा प्रवर्तित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विनियमन करने, निवेश परामर्श सेवा का विनियमन, वित्तीय उत्पादों के वितरण में हित-संघर्ष, रिपो को कारपोरेट बांडों में विकसित करना, इफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि शुरू करना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं।

होंगे, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक उपाध्यक्ष, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्य होंगे जो विनियामकों के बीच किसी भी मतभेद को दूर करने का कार्य करेंगे। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उक्त संयुक्त समिति को कोई मुद्दा विनियामकों द्वारा ही विचारार्थ भेजा जाएगा, न कि केन्द्र सरकार द्वारा। संयुक्त समिति का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

वित्तीय स्थिरता की निगरानी

VI.7 रिजर्व बैंक द्वारा समष्टिआर्थिक निगरानी के एक भाग के रूप में तनाव-जांच नियमित रूप से की जाती है। ऋण, चलनिधि और ब्याज दर जोखिम के संबंध में की गयी विभिन्न तनाव-जांचों से पता चला कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में काफी लचीलापन बना रहा हालांकि उसकी लाभप्रदता पर काफी प्रतिकूल असर हुआ था। तनाव-जांच दर्शाती है कि पुनर्संचित मानक आस्तियों का 30 प्रतिशत भाग अनर्जक आस्तियों में बदल जाए तब भी ऋण जोखिम ठीक से नियंत्रित रहेगी। आधार स्तर पर 150 प्रतिशत के अत्यधिक कड़े ऋण गुणवत्ता आघात के तहत प्रणाली स्तरीय जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था किंतु बैंकिंग प्रणाली अपनी

पूंजी के आधार पर प्रतिकूल अनर्जक आस्तियों के आघात का सामना कर सकी। चलनिधि की तनाव-जांच में चिंता के कुछ क्षेत्र दिखे हालांकि पिछले आकलन की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है। जमाराशि स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर की गई ऋण जोखिम तनाव-जांच से पता चला कि विभिन्न स्थितियों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात पर होने वाला प्रभाव चिंताजनक नहीं होगा।

कारपोरेट और हाउसहोल्ड क्षेत्र का लीवरेज

VI.8 हाल की अवधि में विशेष रूप से विकसित देशों में कारपोरेट और हाउसहोल्ड क्षेत्र का लीवरेज स्तर चिंता का कारण रहा है। इनमें से हाउसहोल्ड और काफी सीमा तक कारपोरेट क्षेत्र में भी लीवरेज एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से विनियमित नहीं है हालांकि कारपोरेट क्षेत्र और खुदरा क्षेत्र को बैंक और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा ऋण दिए जाने के संबंध में समष्टि विवेकसम्मत दिशानिर्देश मौजूद है। किंतु भारत में कारपोरेट और हाउसहोल्ड क्षेत्र के लीवरेज का स्तर विकसित देशों में मौजूद उच्च स्तर की तुलना में काफी कम है (बॉक्स VI.3)।

बैंकिंग क्षेत्र का आकलन

VI.9 2010-11 के दौरान हुई मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ मजबूत ऋण वृद्धि भी हुई थी हालांकि जमाराशि में वृद्धि की गति

बॉक्स VI.3

कारपोरेट और हाउसहोल्ड लीवरेज, ऋण चक्र और आर्थिक वृद्धि


विकसित अर्थव्यवस्थाओं में और विशेष रूप से वर्ष 2000 के बाद कर्ज के ऊँचे स्तर और लीवरेज में आये लगातार व तीव्र उछाल को वैश्विक वित्तीय संकट को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक माना गया है। लीवरेज का यह उच्च स्तर विशेष रूप से हाउसहोल्ड क्षेत्र और कारपोरेट क्षेत्र के मामले में था। वित्तीय संकट के पूर्ववर्ती वर्षों में और विशेषकर अमरीका, यूके, आयरलैंड और स्पेन जैसे देशों में जहाँ आवास क्षेत्रों में तेजी आयी थी, हाउसहोल्ड कर्ज की मात्रा काफी बढ़ी। आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और यूके जैसे कुछ देशों में कारपोरेट ऋण अनुपात भी तेजी से बढ़ गये किंतु अमरीका के मामले में ये अनुपात स्थिर रहे (चार्ट 1)। इसके विपरीत, अधिकतर देशों में सरकारी ऋण अनुपात स्थिर रहे। आश्चर्यजनक रूप से अधिकतर देशों में हाउसहोल्ड क्षेत्र और कारपोरेट क्षेत्र के ऊँचे स्तर के लीवरेज के बावजूद उन देशों में संकट के पूर्ववर्ती वर्षों में वित्तीय क्षेत्र का समग्र लीवरेज मामूली ढंग से बढ़ा या कुछ घट गया। इसका मुख्य कारण प्रतिभूतिकरण में वृद्धि था जिसके चलते बैंकों ने अनर्जक ऋणों को अपने तुलनपत्रों से निकाल दिया था।

आर्थिक साहित्य में यह बात स्पष्ट रूप से दी गयी है कि अक्सर ऋण की तेजी के बाद वित्तीय संकट पैदा होते हैं जैसा कि सकल देशी उत्पाद - कर्ज अनुपात में हुई तीव्र वृद्धि में दिखाई पड़ा। ऋण में तेजी आते समय लीवरेज काफी बढ़ जाता है जो ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले दोनों की जोखिम उठाने की प्रवृत्ति दर्शाता है

जिससे प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होती है। जोखिम के वास्तविकता में बदलने पर समस्या बढ़ जाती है। इस प्रकार के ऋण चक्र कई देशों में विभिन्न काल खंडों में नियमित रूप से होते रहते हैं और साफ-साफ दिखाई पड़ते हैं तथा इनसे बैंकिंग संकट आने की संभावना रहती है। इस प्रकार प्रारंभिक अवधि में बड़ी मात्रा में होने वाले लीवरेज की वजह से ऋण में तेजी आने से उच्च आर्थिक वृद्धि का दौर शुरू हो जाता है लेकिन यह बुलबुला फटते ही वृद्धि बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। आम तौर पर इसके बाद डिलीवरेजिंग की लंबी और प्रायः कष्टप्रद प्रक्रिया शुरू होती है क्योंकि वित्तीय क्षेत्र, हाउसहोल्ड क्षेत्र और कारपोरेट क्षेत्र अपने कर्ज एक्सपोजरों को कम कर देते हैं। हाल ही के संकट के बाद भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में डिलीवरेजिंग की प्रक्रिया शुरू हो गयी है और कोई लक्ष्य पूरा किये बिना समाप्त भी हो गयी। कई अर्थव्यवस्थाओं में एक ओर हाउसहोल्ड और कारपोरेट क्षेत्र के कर्ज में गिरावट आने लगी तो दूसरी ओर वित्तीय संकट संबंधी प्रोत्साहक कार्यक्रमों और वित्तीय क्षेत्र को संकट से उबारने संबंधी वित्तपोषण के कारण सरकारी उधार में बढ़ोत्तरी हुई। इसके विपरीत वित्तीय संस्थाओं के मामले में डिलीवरेजिंग की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि इन संस्थाओं ने उधार देने की मात्रा को कम कर दिया और अपने तुलनपत्रों के आकार को कम करने की चेष्टा की।

विकासशील देशों के ठीक विपरीत भारत में कर्ज का स्तर बहुत कम रहा है। वास्तव में विगत वर्षों में कारपोरेट क्षेत्र का लीवरेज घटता जा रहा है जिसका तात्पर्य है

चार्ट 1: ऋण - सकल देशी उत्पाद अनुपात: विभिन्न देशों का अनुभव





डाटा स्रोत: यूरोस्टैट, ओईसीडी स्टैट, राष्ट्रीय आर्थिक लेखा आंकड़े, अमरीका।

(जारी...)

(समाप्त...)

चार्ट 2: भारत में ऋणग्रस्तता



टिप्पणी: चार्ट 2क में अनुपात गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों का ऋण-इक्विटी अनुपात, सरकारी क्षेत्र के संबंध में केंद्र और राज्य की संयुक्त कुल देयताएं-सकल देशी उत्पाद अनुपात और हाउसहोल्ड क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा हाउसहोल्ड क्षेत्र को दिया गया ऋण-निजी व्यय योग्य आय है।

कारपोरेट क्षेत्र ने निधि जुटाने के लिए कर्ज के विकल्प के बजाय इक्विटी विकल्प को प्राथमिकता दी है। निर्गम और मूल्य निर्धारण से संबंधित मानदंडों को उदार बनाने के साथ-साथ बाजार की स्थिति को बढ़ावा देने की वजह से पूंजी बाजारों के माध्यम से वित्त जुटाने के तरीके को अपेक्षाकृत और सहज बनाने जैसे सूक्ष्म संरचनागत मुद्दों ने कारपोरेटों द्वारा कर्ज के बजाय इक्विटी को चुनने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विकसित देशों में हाउसहोल्ड क्षेत्र की ऋणग्रस्तता चिंता की बात बनी हुई है जबकि भारत में इसका स्तर काफी कम है। हालांकि 2000-01 की अवधि में कर्ज अनुपात तीव्रता से बढ़ा था फिर भी वित्तीय संकट के बाद की अवधि में उसमें कुछ कमी आने लगी। भारत में कुल वैयक्तिक ऋणों में आवास ऋणों का हिस्सा लगभग आधा होता है जिसके परिणामस्वरूप आवास बाजार में आने वाली तेजी और मंदी का असर आस्तियों की गुणवत्ता पर पड़ता है। इस क्षेत्र की प्रणालीगत जोखिम से बचने का

मुख्य कारण रिजर्व बैंक द्वारा स्थावर संपदा को दिये जाने वाले ऋणों के जोखिम भारांकों में परिवर्तन करने जैसे विवेकपूर्ण उपाय करना था।



संदर्भ:

- टैंग, जी. और उप्पर, सी.(2010): 'डेट रिडक्शन आफ्टर क्राइसेस', बीआइएस तिमाही समीक्षा, सितंबर, पृ. 25-38.
- रॉक्सबर्ध, सी. और सहयोगी (2010) : डेट एंड डीलिवरेजिंग: दी ग्लोबल क्रेडिट बबल एण्ड इट्स इकोनॉमिक कन्सीक्वेंस, मॉकिसे ग्लोबल इनिशियेटिव, जनवरी।
- गीनाकोफ्लोस, जे.(2010): "सॉल्विंग द प्रेसेंट क्राइसिस एंड मैनेजिंग द लीवरेज साइकल", एफआरबीएनवाई आर्थिक नीति समीक्षा, अगस्त, 101-131.

कम थी और इस अंतर को बाजार उधार के बढ़ते हिस्से से पाटा गया था। उधार की निधि पर निर्भरता में हुई इस वृद्धि से आस्ति-देयता के बीच असमानता संबंधी चिंता उभरी। किंतु हाल की अवधि में ऋण और जमाराशि वृद्धि में अंतर की प्रवृत्ति में बदलाव आया है।

VI.10 2010-11 के दौरान हुई मजबूत ऋण वृद्धि अनर्जक आस्ति वृद्धि से अधिक थी जिससे बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट VI.1क)। बैंकों द्वारा अपने तुलन-पत्रों को ठीक करने के लिए अनर्जक आस्तियों को बट्टे खाते में डालने से भी अनर्जक आस्ति

चार्ट VI.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों संबंधी सुदृढ़ता संकेतक



अनुपात कम करने में मदद मिली। बैंकिंग प्रणाली के ऋण संविभाग में उचित विविधता होने के बावजूद ऋण वृद्धि मुख्यतः तीन क्षेत्रों - इन्फ्रास्ट्रक्चर, खुदरा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा - से हुई थी। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के आस्ति गुणवत्ता अनुपात का विशेष सेट होने के कारण 2010-11 के दौरान एक्सपोजर में तेजी से हुई वृद्धि कुछ चिंता उत्पन्न करती है।

VI.11 बासेल-II मानदंडों के तहत प्रणाली स्तरीय-जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात मार्च 2011 के अंत में 14.2 प्रतिशत था जो कि 9 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता से काफी अधिक था (चार्ट VI.1ख)। किंतु बाद में जून 2011 के अंत में जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात कम होकर 13.8 प्रतिशत रह गया जिसका मुख्य कारण काफी मात्रा में हुआ ऋण उठाव था। बासेल-II मानदंडों के तहत मार्च 2011 के अंत में सभी बैंक समूहों का जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात 12 प्रतिशत से अधिक था।

VI.12 प्रतिभूति लेनदेन में भारी कमी आने से ब्याजेतर आय में कमी होने और साथ ही उच्च जोखिम प्रावधानीकरण के बावजूद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ में 2010-11 के दौरान 20

प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण निवल ब्याज आय में 35 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि था। तदनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का इक्विटी पर प्रतिलाभ और आस्तियों पर प्रतिलाभ के साथ ही निवल ब्याज मार्जिन बढ़ गया। कुल आस्ति-चल आस्ति अनुपात 2010-11 के दौरान कम हो गया और मार्च 2011 के अंत में 30 प्रतिशत रह गया जो कि पिछले कई वर्षों से 32 प्रतिशत से अधिक बना हुआ था।

VI.13 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है। जमाराशि न लेने वाली और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भी आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है। जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ है जबकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात में थोड़ी कमी आयी (सारणी VI.1)।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिये गये मुख्य निर्णय

VI.14 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामक पहलों के पीछे की मुख्य दिशानिर्देशक शक्ति बना हुआ है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने जुलाई 2010 से जून

सारणी VI.1: चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	प्राथमिक व्यापारी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-डी	एनबीएफसी-एनडी-एसआइ
1	2	3	4	5	6	7	8
सीआरएआर	2010	14.5	12.8	24.2	43.5	22.2	42.1
	2011	14.2	12.7	22.1	46.2	21.0	N.A.
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	2010	2.5	9.3	0.3	N.A.	2.0	2.5
	2011	2.3	7.4	0.3	N.A.	0.9	1.9
निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए	2010	1.1	4.4	0.1	N.A.	-	1.2
	2011	0.9	3.1	0.1	N.A.	-	0.8
कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ	2010	1.1	0.8	1.2	1.8	1.5	2.0
	2011	1.1	0.9	1.0	1.1	N.A.	2.2
इक्विटी पर प्रतिलाभ	2010	13.3	N.A.	10.4	6.8	9.0	7.0
	2011	13.7	N.A.	9.2	5.1	N.A.	8.7
कौशल (लागत/आय अनुपात)	2010	45.8	58.8	14.6	31.2	81.8	73.5
	2011	46.0	49.9	19.3	36.1	N.A.	68.7
ब्याज अंतर (प्रतिशत)	2010	2.7	N.A.	2.3	N.A.	3.9	1.8
	2011	3.1	N.A.	2.0	N.A.	N.A.	1.9

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी: 1. 2011 के आंकड़े अलेखापरीक्षित और अनंतिम हैं।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल नहीं हैं।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात छोड़कर देशी परिचालन शामिल हैं।

4. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात के आंकड़ों में माधवपुरा मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लि. शामिल नहीं है।

5. जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के 2011 के आंकड़े सितंबर 2010 को समाप्त अवधि के हैं।

स्रोत: 1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक: ऑफसाइट पर्यवेक्षी विवरणी।

2. शहरी सहकारी बैंक: ऑफसाइट निगरानी विवरणी।

2011 के दौरान बारह बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में इसने अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 2009-10 के दौरान के कार्यनिष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति पर विचार किया। इसने 94 निरीक्षण रिपोर्टें (सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 25, निजी क्षेत्र के बैंकों की 28, विदेशी बैंकों की 31, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की 4 और वित्तीय संस्थाओं की 6 रिपोर्टें) की समीक्षा की। उक्त अवधि के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने श्रेणी I/II के रूप में श्रेणीबद्ध अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के 15 निरीक्षण-सार और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय मुख्य-मुख्य बातों के 43 सारों की भी समीक्षा की। पर्यवेक्षी रेटिंग के सुसंगतीकरण की दृष्टि से वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने रेटिंग की क्रियाविधि की संपूर्ण समीक्षा की आवश्यकता दर्शायी है जो इस समय प्रक्रियाधीन है।

VI.15 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी नीतियों, कार्यविधियों और प्रक्रिया की पर्याप्तता का आकलन करने और वैश्विक मानकों के अनुसार पर्यवेक्षी ढांचे की बेंचमार्किंग के लिए संशोधन सुझाने हेतु डॉ. के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी। इसके अलावा बैंकों के कारोबार की बढ़ती मात्रा और जटिलताओं से पैदा होनेवाली पर्यवेक्षी समस्याओं का समाधान करने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संगठनात्मक ढांचे और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को पुनर्गठित किया गया है। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रमुख बैंकिंग समूहों से संबंधित पर्यवेक्षी प्रक्रिया (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष - दोनों) एक प्रभाग (वित्तीय संगुट निगरानी प्रभाग) के अंतर्गत लायी जा रही है ताकि बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सके और उपलब्ध पर्यवेक्षी संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके। इसके अलावा, विभाग के अन्य परिचालनात्मक क्षेत्रों की आवश्यकता पर आधारित पुनर्गठन का काम भी किया जाएगा।

VI.16 निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों में आंतरिक सतर्कता ढांचे से जुड़े मुद्दों पर विचार करते समय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय भी लिया कि बैंकों से कहा जाए कि वे प्रत्येक स्तर पर संवेदनशील पदों की पहचान करने, समय-समय पर रोटेशन करने और अनिवार्य छुट्टी की अवधि के संबंध में एक ढांचा तैयार करने के लिए अपनी स्वयं की नीति तैयार करें।

VI.17 विभिन्न राज्यों में सहकारी न्यायालयों के गठन और कार्यनिष्पादन से जुड़े मुद्दों पर विचार करते समय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने विचार व्यक्त किया था कि सहकारिता कानूनों के अंतर्गत

वसूली को विवाद माना जाता है, और शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे अपने बाईलाज और ऋण संबंधी करारों में, आम सभा द्वारा गठित मध्यस्थता समिति के माध्यम से ऋणों की वसूली का आंतरिक समाधान करने के लिए, एक प्रावधान शामिल करें। बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड के निर्देशों के आधार पर इस संबंध में शहरी सहकारी बैंकों के संबंधित टास्कफोर्सों और विधि विभाग के विचार मंगाए गए थे। बाद में सभी राज्य सरकारों की सहकारी समितियों के सचिवों और रजिस्ट्रारों को 8 जुलाई 2010 को सूचित किया गया कि यदि उनके संबंधित अधिनियमों में मध्यस्थता/विवाचन के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रावधान न हो तो राज्य सहकारी समितियों के अधिनियम को आंतरिक विवाद समाधान व्यवस्था का प्रावधान करने के लिए, संशोधित कर दिया जाए।

वाणिज्य बैंक विनियामक उपाय

निजी क्षेत्र में नये बैंकों का प्रवेश

VI.18 वर्ष 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा किये जाने के बाद नये बैंकों के लाइसेंस के संबंध में अगस्त 2010 में प्रकाशित एक चर्चा-पत्र में सभी संबंधित पक्षों से सुझाव और विचार मांगे गये थे। बाद में चर्चा-पत्र पर प्राप्त ऐसे विचारों का सारांश और संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद उभरे विचारों का सारांश दिसंबर 2010 में रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1993 और 2001 में जारी किये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत नये बैंकों की लाइसेंसिंग से प्राप्त अनुभवों के आधार पर तथा संबंधित पक्षों और जनसाधारण से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके “निजी क्षेत्र में नये बैंकों का प्रवेश” के संबंध में दिशानिर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विदेशी बैंकों का प्रवेश

VI.19 रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2005 में जारी किये गये “भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के संबंध में रोडमैप” का संशोधन अप्रैल 2009 में किया जाना था। लेकिन उस समय पूरे विश्व में वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल की स्थिति थी और पूरे विश्व में बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी। इस पृष्ठभूमि में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में रिकवरी तथा अपेक्षाकृत उसकी स्थिरता

के संबंध में अधिक स्पष्टता के बाद ही उक्त रोडमैप की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। इस समय विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंच नीतियों का ऐसा ढांचा तैयार करने में लगे हैं जिनके अंतर्गत संकट से प्राप्त सीखों को भी शामिल किया जा रहा है। संकट से सीख प्राप्त करते हुए, “भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति” विषय पर एक चर्चा-पत्र जनवरी 2011 में जारी किया गया था जिसमें संबंधित पक्षों और जनसाधारण से प्रतिसूचना/सुझाव मांगे गए थे। “भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के संबंध में रोडमैप” का विवरण देने संबंधी दिशानिर्देशों को संबंधित पक्षों से प्राप्त प्रतिसूचना/सुझाव को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जाएगा।

VI.20 लेकिन रिजर्व बैंक भारत में शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों को प्रत्येक मामलों पर विचार करने के बाद लाइसेंस जारी कर रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों को उनकी प्रारंभिक उपस्थिति के संबंध में 4 अनुमोदन निर्गत किये जिससे भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों की कुल संख्या जून 2011 के अंत में 37 हो गयी। इसके अलावा भारत में 47 विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं।

बासेल II - उन्नत दृष्टिकोण लागू करना

VI.21 बासेल II ढांचे के अनुरूप रिजर्व बैंक ने परिचालन जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु एडवांस्ड मेजरमेंट एप्रोच के संबंध में अप्रैल 2011 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये। जो बैंक एडवांस्ड मेजरमेंट एप्रोच अपनाना चाहते हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी का आकलन कर लें। वे इस एप्रोच के कार्यान्वयन के लिए तैयार होने के बाद अपने इरादे की सूचना देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करें।

VI.22 भारत में सभी वाणिज्य बैंकों से कहा गया कि वे 31 मार्च 2013 तक बासेल I ढांचे के अंतर्गत पैरलल रन जारी रखें तथा समय-समय पर उसकी समीक्षा भी करें और यह सुनिश्चित करें कि बासेल II के अंतर्गत उनकी न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं बासेल I के अंतर्गत की उनकी पूंजी अपेक्षाओं से 80 प्रतिशत से अधिक हों।

बासेल III

VI.23 बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति द्वारा “बासेल III: अधिक लचीले बैंकों और बैंकिंग प्रणाली के लिए वैश्विक विनियामक ढांचा” शीर्षक दस्तावेज दिसंबर 2010 में निर्गत किये जाने के बाद

यह दस्तावेज जनवरी 2013 से लागू हो जाएगा और बैंकों से कहा गया है कि वे “स्टेप-अप ऑप्शन” वाले टियर-I और टियर-II पूंजी दस्तावेज जारी न करें ताकि ऐसे दस्तावेज विनियामक पूंजी की नयी परिभाषा में शामिल किये जाने के लिए पात्र बन सकें (बॉक्स VI.4)।

अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात और अन्य प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

VI.24 समष्टि विवेकपूर्ण उपाय के रूप में सितंबर 2010 के अंत की स्थिति को संदर्भ अवधि मानते हुए बैंकों से कुल अनर्जक आस्तियों का 70 प्रतिशत प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा की गयी थी। निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों से अधिक के अधिशेष प्रावधान को अलग करके “काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर” नामक अलग खाते में रखा जाना चाहिए जिसका उपयोग करने की अनुमति रिजर्व बैंक के अनुमोदन से पूरी प्रणालीगत मंदी की अवधि में करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा करने का उद्देश्य ऐसे समय तक अंतरिम उपाय करना था जब तक रिजर्व बैंक उभरते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखते हुए काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण के संबंध में और अधिक व्यापक व्यवस्था लागू नहीं कर देता।

VI.25 रिजर्व बैंक ने मई 2011 में कुछ किस्म की अनर्जक आस्तियों और पुनर्गठित खातों से संबंधित प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को बढ़ा दिया। “अवमानक” आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गयी। इस श्रेणी में अप्रतिभूत ऋण आदि जोखिमों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गयी। एक वर्ष तक “संदिग्ध” श्रेणी में रह चुके अग्रिमों के अप्रतिभूत भाग के संबंध में प्रावधानीकरण अपेक्षा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गयी जबकि एक से तीन वर्ष के भीतर संदिग्ध श्रेणी में रह चुके अग्रिमों के लिए यह अपेक्षा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गयी।

VI.26 मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों पर अब पुनर्गठन की तारीख से प्रारंभिक दो वर्षों में 2 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा। पुनर्गठन के बाद ब्याज/मूल धन के भुगतान पर स्थगन के मामले में ऐसे अग्रिमों पर स्थगन की अवधि के लिए और उसके बाद के 2 वर्षों की अवधि के लिए 2 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा। अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों पर उन्हें मानक श्रेणी में अपग्रेड करने के बाद अपग्रेड करने की तारीख से प्रारंभ के दो वर्षों में अब 2 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा।

बॉक्स VI.4

रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III मानदंड अपनाने की दिशा में उठाये गये कदम

वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने मुख्य रूप से बासेल II पूंजी पर्याप्तता ढांचा निर्मित करने की दृष्टि से संकट के बाद के कई सुधारात्मक उपाय किये हैं। बैंकों की ट्रेडिंग बही में पायी गयी पूंजीकरण की कमियों को दूर करने की दृष्टि से क्रमिक रूप से जुलाई 2009 में तीन स्तंभ जोड़कर इस ढांचे को और मजबूत किया गया। उसके बाद दिसंबर 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने पूंजी और चलनिधि विनियमावली के संबंध में संशोधित नियमावली जारी की है अर्थात् 'बासेल III : अधिक लोचपूर्ण बैंक और बैंकिंग प्रणाली के लिए एक वैश्विक विनियामक ढांचा' और 'बासेल III : चलनिधि जोखिम के माप, मानक और निगरानी संबंधी अंतरराष्ट्रीय ढांचा' जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षाकृत अधिक लोचपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र को तैयार करना और चलनिधि संबंधी विनियमावली को सुदृढ़ बनाना है। संशोधित बासेल-II के पूंजी संबंधी ढांचे और नये वैश्विक मानकों का मिला-जुला रूप 'बासेल-III' कहलाता है।

हालांकि बासेल-III बासेल-II का उन्नत रूप है लेकिन वह अपनी व्यापकता की दृष्टि से बासेल-II से काफी भिन्न है। विशेष रूप से विनियामक पूंजी की परिभाषा में संशोधन के अलावा यह बृहत् जोखिम को कवर करता है और प्रणालीगत जोखिमों पर ध्यान देने के लिए इसमें कई उपाय शामिल हैं। बासेल-III को लागू किये जाने से बैंकों और बैंकिंग पर्यवेक्षण दोनों को समान रूप से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

जहाँ तक भारत में बासेल-III को लागू करने का संबंध है गुणवत्ता और मात्रा दोनों की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता ने बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार नये ढांचे के कार्यान्वयन का मार्ग काफी हद तक सुगम कर दिया है। फिर भी रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र को बासेल-III ढांचे के अंतर्गत निर्बाध रूप से लाने के लिए कई पहलें की हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड,

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति और उनके कई उप-समूहों में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व होने के कारण रिजर्व बैंक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन व पर्यवेक्षण और विशेषकर बासेल-III के संबंध में नीति तैयार करने की जानकारी हासिल करने और उसमें योगदान करने का अति आवश्यक अवसर प्राप्त होता है। जब 2009 में रिजर्व बैंक बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति का सदस्य बना तब से बैंकों के बीच बासेल-III के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए रिजर्व बैंक बैंकों के अध्यक्षों को लगातार जानकारी देता रहा है। इन बैठकों से रिजर्व बैंक को बासेल-III के कार्यान्वयन में बैंकों की तैयारी को परखने और इस संबंध में यदि उनके कुछ प्रश्न हो तो उनके उत्तर देने का अवसर मिलता है। रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये अन्य कदमों के अंतर्गत अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, बैठकें तथा भारतीय बैंक संघ और अन्य स्वनियामक निकायों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों में सहभागिता आदि शामिल हैं।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति बैंकों से संबंधित अर्ध-वार्षिक परिमाणान्तरक प्रभाव अध्ययन के माध्यम से बासेल-III के प्रभाव पर निगरानी रखती है। इस परिमाणान्तरक प्रभाव अध्ययन प्रणाली में भारत के दस बैंक भाग ले रहे हैं। इस परिमाणान्तरक प्रभाव अध्ययन के निष्कर्ष से न केवल भारतीय बैंकों पर बासेल-III के नियमों के प्रभावों की जानकारी मिलेगी बल्कि इससे बासेल-III प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं के निहितार्थ को समझने में मदद मिलेगी।

इस बीच रिजर्व बैंक बासेल-III विनियमावली की जांच कर रहा है और वह उचित समय में भारत में संचालित बैंकों के लिए अपेक्षित दिशानिर्देश जारी करेगा। रिजर्व बैंक बासेल-III के अंतर्गत प्रतिक्रिय पूंजी बफ़र लागू करने के संबंध में भी कार्य कर रहा है। रिजर्व बैंक 1 जनवरी 2013 से बासेल-III लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित चरणबद्ध अवधि का पालन करेगा।

वाणिज्य बैंकों द्वारा आवास ऋण दिया जाना - मूल्य की तुलना में ऋण का अनुपात, जोखिम भार और प्रावधानीकरण

VI.27 वाणिज्य बैंकों द्वारा आवास ऋण संविभाग में अत्यधिक लीवरेजिंग रोकने के लिए बैंकों को दिसंबर 2010 में सूचित किया गया कि आवास ऋणों के मामले में मूल्य की तुलना में ऋण का अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन छोटे मूल्य के आवास ऋणों के लिए, यथा 20 लाख रुपये तक के आवास ऋणों के मामले में, मूल्य की तुलना में ऋण का अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 75 लाख रुपये और उससे अधिक के रिहायशी आवास ऋणों के लिए जोखिम भार, मूल्य की तुलना में ऋण का अनुपात चाहे कुछ भी हो, 125 प्रतिशत होगा। टीजर रेट पर आवास ऋणों की बकाया राशि पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण अपेक्षा 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दी गयी। इन आस्तियों पर प्रावधानीकरण, संबंधित खातों के 'मानक' बन रहने की स्थिति में उच्चतर दर पर रेट निर्धारित

किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद पुनः पुरानी दर अर्थात् 0.4 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को ऋण सहायता

VI.28 इस बात पर विचार करते हुए कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं पर दुष्प्रभाव डाल रही समस्याएं ऋण की कमी से अनिवार्यतः संबंधित नहीं थीं बल्कि उसका कारण कुछ अन्य बातें थीं, जनवरी 2011 में यह निर्णय लिया गया कि विशेष विनियामक आस्ति वर्गीकरण का लाभ माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के ऐसे पुनर्गठित खातों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है जो पुनर्संरचना के समय मानक श्रेणी में थे, हालांकि वे पूर्णतः सुरक्षित न हों। यह शिथिलता मात्र अस्थायी उपाय के रूप से दी गयी थी और 31 मार्च 2011 तक पुनर्संरचित मानक माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के ऐसे पुनर्संरचित खातों पर लागू थी। यह समय सीमा बैंकों द्वारा अपनाये गये कंसोर्टियम दृष्टिकोण के तहत और

कंपनी ऋण पुनर्गठन के तहत माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के पुनर्संरचित ऋणों के मामले में 6 जून 2011 तक बढ़ायी गयी। इसका लक्ष्य माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को कुछ समय के लिए केवल तब तक के लिए चलनिधि संबंधी सहायता प्रदान करना और उन्हें अपना कारोबार जारी रखने में सहायता देना था जब तक माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के कामकाज में दीर्घावधिक और ढांचागत परिवर्तन लाने के लिए उचित कदम नहीं उठा लिये जाते।

जीरो कूपन बांडों में निवेश के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड

VI.29 यह देखा गया कि बैंक कारपोरेट्स और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किये गये दीर्घावधिक जीरो कूपन बांडों में निवेश कर रहे थे। चूंकि जीरो कूपन बांडों के निर्गमकर्ताओं के लिए बांडों के परिपक्व होने तक ब्याज या किस्त का भुगतान करना अपेक्षित नहीं था इसलिए ऐसे बांडों की परिपक्वता पर ऐसे निवेशों से जुड़े ऋण जोखिमों का पता कर पाना संभव नहीं होगा और यह जोखिम दीर्घावधिक जीरो कूपन बांडों के मामले में बहुत बड़ा हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि बड़ी मात्रा में किये गए ऐसे निर्गमों और निवेशों के मामले में प्रणालीगत समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए बैंकों को सितंबर 2010 में सूचित किया गया कि जब तक ऐसे बांडों का निर्गमकर्ता सभी उपचित ब्याज के लिए ऋणशोधन निधि तैयार न करे/न बनाए और ऐसी निधि को तरल निवेशों/प्रतिभूतियों (सरकारी बांडों) में निवेश न करे, तब तक बैंक जीरो कूपन बांडों में निवेश न करें। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे जीरो कूपन बांडों में अपने निवेशों के लिए संतुलित सीमाएं निश्चित कर लें। शहरी सहकारी बैंकों को भी इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किये गये।

बैंकों की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट

VI.30 सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में बैंकों के ऐसे निवेशों के मूल्य में, जिन्हें “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया, स्थायी गिरावट/कमी के आकलन/मापन की विधि के संबंध में खास अनुदेश न होने के कारण, बैंक यह निश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे थे कि क्या “परिपक्वता तक धारित” या “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणियों के अंतर्गत रखे गये उनके रणनीतिक इक्विटी निवेशों में स्थायी कमी हुई है। जनवरी 2011 में बैंकों को उन परिस्थितियों के बारे में सूचित किया गया जिनके तहत ऐसे निवेशों के मूल्य में आयी कमी को निश्चित करने की जरूरत पड़ती है और ऐसी स्थिति में किसी प्रतिष्ठित/योग्य मूल्यांकन से ऐसे निवेशों का मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसी कमी के लिए प्रावधान करना पड़ेगा।

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत रखे गये निवेशों को बिक्री

VI.31 परिपक्वता तक धारित श्रेणी की प्रतिभूतियों को बैंको द्वारा उनकी परिपक्वता अवधि तक अपने पास रखा जाना चाहिए और तदनुसार बाजार मूल्य के अनुसार उनका मूल्य निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह पाया गया कि कई बैंक इस श्रेणी की प्रतिभूतियों को, अनुकूल बाजार की परिस्थिति का लाभ लेने और फायदा अर्जित करने के लिए बार-बार बेच दे रहे थे। इसीलिए अगस्त 2010 में बैंकों को सूचित किया गया कि यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखे गये निवेशों के बहीमूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उन्हें अपने तुलनपत्र के लेखा संबंधी नोट में इस श्रेणी में रखे गए निवेशों का बाजार मूल्य सूचित करना चाहिए और बाजार मूल्य से अधिक वह अधिक बहीमूल्य बताना चाहिए जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था। किंतु बैंकों द्वारा निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखा वर्ष की शुरुआत में परिपक्वता तक धारित श्रेणी को/से एक बार प्रतिभूति अंतरित करने की अनुमति और भारिबैं को खुले बाजार की पूर्वघोषित नीलामी के तहत बिक्री उल्लिखित 5 प्रतिशत की सीमा के बाहर रखी गयी है।

निवेश के लिए लेखाकरण प्रक्रिया

VI.32 यह पाया गया कि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में किये गए अपने निवेशों के लेखाकरण के मामले में एक समान तरीका नहीं अपना रहे थे। वे या तो “ट्रेड डेट” लेखाकरण या “सेटलमेंट डेट” लेखाकरण अपना रहे थे। इसलिए इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए बैंकों को केवल “सेटलमेंट डेट” लेखाकरण पद्धति अपनाने को कहा गया। इसी तरह के दिशानिर्देश शहरी सहकारी बैंकों को भी दिये गये।

सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश

VI.33 दिसंबर 2010 में रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र जारी कर बैंकों को कंपनियों द्वारा (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) जारी किये गये एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति दे दी बशर्ते प्रचलित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया गया हो।

बैंकों के आस्ति-देयता प्रबंधन - ब्याज दर जोखिम के संबंध में दिशानिर्देश

VI.34 रिजर्व बैंक ने ब्याज दर जोखिम के संबंध में बैंकों के आस्ति-देयता प्रबंध ढांचे से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश 4 नवंबर 2010 को जारी किये। दिशानिर्देशों में बैंकों से कहा गया कि वे ब्याज दर जोखिम

के प्रबंधन के लिए, पहले से निर्दिष्ट परंपरागत अंतराल विश्लेषण के अलावा, अवधि अंतराल विश्लेषण का पालन करें।

भुगतान संबंधी अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताएं जारी करना

VI.35 कुछ बैंकों द्वारा म्यूच्युअल फंडों और विदेशी संस्थागत निवेशों की ओर से विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों को जारी किये जा रहे अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने, अक्टूबर 2011 के अंत तक के लिए अल्पकालिक उपाय के रूप में, सितंबर 2010 में जोखिम कम करने के लिए कुछ उपाय निर्धारित किये। इन उपायों में बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ग्राहकों के साथ किये जाने वाले करार में एक ऐसा खंड शामिल करें जिसके द्वारा उन्हें, 1 नवंबर 2010 के पहले किसी भी निपटारे में भुगतान के रूप में प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियों पर अहस्तांतरणीय अधिकार मिले। कुछ बैंकों द्वारा परिचालनगत कठिनाई का मुद्दा उठाए जाने पर यह समय-सीमा बाद में दिसंबर 2010 के अंत तक के लिए बढ़ा दी गयी।

बिजनेस कॉरस्पॉण्डेंटों के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश

VI.36 सितंबर 2010 में दिशानिर्देश जारी करके बैंकों को यह अनुमति दे दी गयी कि वे, पहले से अनुमत व्यक्तियों/संस्थाओं के अलावा, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनियों को बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेंट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जिनका बड़ा और व्यापक क्षेत्र में खुदरा आउटलेट हो लेकिन इन कंपनियों के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल नहीं होंगी।

बैंकों का क्रेडिट कार्ड संबंधी कारोबार

VI.37 क्रेडिट कार्ड संबंधी कारोबार के विषय में समय-समय पर बैंकों को अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद क्रेडिट कार्ड धारक रिजर्व बैंक को और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों में शिकायतें भेजते रहते हैं। इसलिए बैंकों को पुनः सूचित किया गया कि यदि वे निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो रिजर्व बैंक उनके विरुद्ध उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा तथा इसके अंतर्गत अर्थदंड लगाया जाना भी शामिल होगा।

शाखा प्रधिकरण नीति

VI.38 वित्तीय समावेशन और बैंकिंग में लोगों की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शाकाएं खोलने में तेजी लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे किसी भी वर्ष खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं में से कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण (टियर 5 और टियर 6) केंद्रों में खोलें।

उचित व्यवहार संहिता - प्रकटीकरण

VI.39 निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने की दृष्टि से बैंकों से कहा गया कि वे ऋण संबंधी आवेदन-पत्रों की प्रोसेसिंग/मंजूरी के संबंध में सभी प्रभारों को उपभोक्ताओं को पारदर्शी तरीके से बताएं। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि ऐसे प्रभारों/शुल्कों के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

करेंसी ऑप्शनों की ट्रेडिंग में बैंकों की सहभागिता

VI.40 मान्यताप्राप्त स्टॉक/नये एक्सचेंजों पर करेंसी ऑप्शनों की ट्रेडिंग के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिये जाने के बाद अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I वाणिज्य बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे स्वयं और अपने सदस्यों की ओर से, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के “एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स मार्केट” के ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बन जाएं। सभी दूसरे राज्य सहकारी बैंकों को केवल सदस्य के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गयी। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के रूप में लाइसेंसप्राप्त शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - एनडी - एसआइ को भी इस बात की अनुमति दी गयी कि वे केवल अपने अंतर्निहित विदेशी मुद्रा संबंधी ऋण आदि जोखिमों के लिए, सेबी द्वारा ग्राहक के रूप में मान्यता-प्रदत्त निर्दिष्ट करेंसी ऑप्शन्स एक्सचेंजों में भाग ले सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के रूप में लाइसेंसशुदा शहरी सहकारी बैंकों को सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त नामित शेयर बाजार के शेयर बाजार में व्यापारित मुद्रा ऑप्शन बाजार में मात्र ग्राहकों के रूप में और भारिबैं दिशानिर्देशों के तहत सहभागी होने की अनुमति दी गयी थी। ऐसी सहभागिता की अनुमति ग्राहक लेनदेनों से उभरने वाले निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों से प्रतिरक्षा के लिए ही है।

पेंशन ऑप्शन पुनः खोलना - विवेकपूर्ण व्यवहार

VI.41 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाये जाने और अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन ऑप्शन पुनः खोले जाने के कारण व्यय में हुई वृद्धि को अवशोषित करने में इन बैंकों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए इन बैंकों को ऐसी राशि के विभाजन की विशेष विनियामक व्यवस्था की अनुमति दी गयी। इस व्यवस्था का लाभ बाद में निजी क्षेत्र के दस पुराने उन बैंकों को भी प्रदान किया गया जो भारतीय बैंक संघ के तत्त्वावधान में 9वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के अंतर्गत शामिल हुए। इन बैंकों को संबंधित राशि का विभाजन, वित्त वर्ष 2010-11 से आरंभ करके, 5 वर्ष की अवधि में करने की अनुमति दी गयी तथा इसके अंतर्गत यह शर्त रखी गयी कि वे हर वर्ष कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग आर्बिट्रर कर सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम

के अनुसार अप्रैल 2013 से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक लागू कर दिए जाने के बाद बैंकों की आरक्षित निधि का प्रारंभिक शेष आबंटित न किये गये अग्रणीत व्यय की सीमा तक घटा दिया जाएगा। इसके अलावा, आबंटित न किये गये व्यय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं होगी। इस स्थिति के आपवादिक स्वरूप का होने के कारण विशेष मामले के रूप में आबंटित न किया गया खर्च टियर-1 पूंजी में से घटाया नहीं जाएगा।

बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल, 2011

VI.42 बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल, 2011 लोकसभा में मार्च 2011 में पेश किया गया। इस बिल के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन किया जाना है। बैंककारी विनियमन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ वोटिंग अधिकारों पर लगे प्रतिबंध हटाना, बैंकिंग कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप पूंजी जुटाने के अधिकार देना, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का गठन, कतिपय मामलों में रिजर्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल को अधिक्रमित करने के अधिकार देना, किसी बैंकिंग कंपनी के संबद्ध उद्यम की जानकारी मंगाने/उसका निरीक्षण करना और किसी बैंकिंग कंपनी के विलयन को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों से छूट देना प्रस्तावित है ताकि भारिबैं के विनियामक अधिकार अधिक प्रभावी हो सकें।

VI.43 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 में प्रस्तावित संशोधन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अधिकृत पूंजी बढ़ाना, उन्हें राइट इश्यू/बोनस शेयर निर्गम करके पूंजी जुटाने के अधिकार देना और वोटिंग अधिकारों पर प्रतिबंध बढ़ाना प्रस्तावित है।

पर्यवेक्षी उपाय

सीमापारीय पर्यवेक्षण और सहयोग

VI.44 दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय पर्यवेक्षण हेतु चुने गये 16 कार्यक्षेत्रों/देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संपादित करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। पहले से चुने गये 16 विदेशी पर्यवेक्षकों में से चाइना बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन और दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद स्वतंत्र

समन्वित वित्तीय सेवा और दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के विनियामक हस्ताक्षरित किये गये हैं। अन्य 7 विदेशी पर्यवेक्षकों से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है।

विनियामक और लेखा परीक्षीय अनुपालन

VI.45 भारत में स्थित विदेशी बैंकों द्वारा विनियामक अनुपालन की पर्याप्तता से संबंधित चिंताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह सूचित किया गया कि भारत में काम कर रहे सभी विदेशी बैंकों के मामले में विनियामक और सांविधिक अनुपालन के प्रभावी निरीक्षण तथा भारत में किए जा रहे सभी परिचालनों से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रिया और उसके अनुपालन के लिए संबंधित बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तरदायी होगा।

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी संबंधी गतिविधियां

VI.46 भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अंग के रूप में, ज्यादा धोखाधड़ी वाले क्षेत्रों, धोखाधड़ी से जुड़े तरीकों और बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किये जानेवाले उपायों के संबंध में संबंधित बैंकों को निरंतर सावधान करता रहता है। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी से जुड़ी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने कई उपाय किये।

सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों के अभिशासन में सुधार

VI.47 वर्ष 2010 के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा किए जाने के बाद रिजर्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टेक्नॉलॉजी रिस्क मैनेजमेंट और साइबर फ्रॉड के संबंध में श्री जी.गोपालकृष्ण की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया। उक्त कार्यदल की सिफारिशों और संबंधित पक्षों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर बैंकों को 29 अप्रैल 2011 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये। इन दिशानिर्देशों का लक्ष्य इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सूचना सुरक्षा उपायों, साइबर फ्रॉडों, आइटी नियंत्रण की प्रभावकारिता के बारे में स्वतंत्र आश्वासन तथा उनसे जुड़े क्षेत्रों के अभिशासन में सुधार लाना है।

बैंकों में आंतरिक सतर्कता

VI.48 निजी क्षेत्र के और विदेशी बैंकों में सतर्कता की स्थिति को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुरूप बनाने के प्रयासों के अंग के रूप में निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं

ताकि निजी क्षेत्र के और विदेशी बैंकों के कामकाज में होनेवाली चूकों के चलते उठने वाली सभी समस्याओं (विशेष रूप से घूसखोरी, कदाचार, धोखाधड़ी इत्यादि) का समाधान करने के लिए बैंक समय से तथा उपयुक्त कार्रवाई कर सकें।

धोखाधड़ी रोकने के लिए दिशानिर्देश

VI.49 धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने, उनकी रिपोर्ट करने और निगरानी के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी जा रही नीति और परिचालन ढांचे का पता करने के लिए एक अध्ययन किया गया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि बैंकों में इनके नियंत्रण की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ तो हैं लेकिन वे इतनी सुगठित और व्यवस्थित नहीं हैं कि धोखाधड़ी की खास तरह की घटनाओं पर उचित ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके अलावा, धोखाधड़ी की विशेषताओं वाले लेनदेनों को किस स्वरूप का माना जाए - इस मामले में, तथा सक्षम प्राधिकारी को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के संबंध में भी एकरूपता का अभाव था। बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी नीतियों में उपयुक्त संशोधन करें और परिचालन ढांचे में सुधार लाएं। विशेष रूप से आवास ऋण, निर्यात वित्त, सावधि जमा रसीदों की प्रतिभूति पर दिये जाने वाले ऋणों इत्यादि से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए गहन निगरानी तथा बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु बैंकों से कहा गया है कि वे आगे निर्दिष्ट 3 क्षेत्रों में अपना परिचालनगत ढांचा पुनर्गठित करें (i) धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाना और उनकी रिपोर्टिंग, (ii) सुधारात्मक कार्रवाई और (iii) निवारक और दंडात्मक कार्रवाई।

शहरी सहकारी बैंक

विलय द्वारा सुदृढीकरण

VI.50 शहरी सहकारी बैंकों का सुदृढीकरण करने के लिए कमजोर संस्थाओं को, बैंकिंग व्यवस्था में कोई बड़ा उथल-पुथल पैदा किये बिना, व्यवस्था के बाहर निकलने का तरीका उपलब्ध कराने और कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों के साथ विलय करने का काम वर्ष 2005-06 से ही शुरू किया गया है। पिछले छः वर्षों में रिजर्व बैंक को विलय के 158 प्रस्ताव मिले हैं। रिजर्व बैंक ने 120 मामलों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है। जारी किये गये 120 अनापत्ति प्रमाणपत्रों में से केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार/संबंधित राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के संवैधानिक आदेशों के अनुसार 95 मामलों में विलय की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। विलय के 95 मामलों में से 59 शहरी सहकारी बैंकों की निवल मालियत ऋणात्मक थी। इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ बनाने के लक्ष्य से, लाभ अर्जित करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को भी वित्तीय दृष्टि से मजबूत शहरी सहकारी बैंकों के साथ विलय की अनुमति प्रदान की गयी।

शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं का वाणिज्य बैंकों को अंतरण

VI.51 अपेक्षाकृत बड़े आकार के तुलनपत्र वाले वित्तीय दृष्टि से कमजोर कुछ शहरी सहकारी बैंक (अर्थात् टियर - II के शहरी सहकारी बैंक) विलय का लाभ नहीं ले सके क्योंकि कोई शहरी सहकारी बैंक, इतने बड़े संचित घाटे वाले शहरी सहकारी बैंकों को अपने अधिकार में लेने का इच्छुक नहीं था। इस समस्या का समाधान करने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों और विलय में रुचि रखनेवाले राज्य सहकारी बैंकों (दोनों) की आपसी सहमति से कुछ आस्तियों और देयताओं के अंतरण के बारे में फरवरी 2010 में पहली बार निश्चित दिशानिर्देश जारी किये गये। अब तक शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं के राज्य सहकारी बैंकों को अंतरण के दो मामले सामने आ चुके हैं। श्री सुवर्ण सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे की खास आस्तियों और देयताओं को इंडियन ओवरसीज बैंक ने तथा मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई की आस्तियों और देयताओं को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने अधिकार में लिया।

गैर-लाइसेंसशुदा शहरी सहकारी बैंक और नये शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंसिकरण

VI.52 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अगस्त 2009 में जारी किये गये दिशानिर्देशों के आधार पर गैर-लाइसेंसशुदा शहरी सहकारी बैंकों की समीक्षा की गयी और 51 शहरी सहकारी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस मंजूर किए जा चुके हैं। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार गैर-लाइसेंसशुदा चार बैंक हैं और इन शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित समीक्षा का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नये शहरी सहकारी बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने की उचितता का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन किया (बॉक्स VI.5)।

अप्रतिभूत ऋणों और अग्रिमों पर अधिकतम सीमाएं

VI.53 शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता तथा मांग और मीयादी देयताओं के आकार (दोनों) के मानदंडों को दृष्टिगत रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा वैयक्तिक और सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए (जमानतदार सहित या बिना जमानतदार के या चेक खरीद के लिए) अप्रतिभूत ऋणों की मंजूरी के लिए अधिकतम सीमाएं बढ़ा दी गईं। बढ़ी हुई सीमाएं (10 करोड़ रुपये तक की मांग और मीयादी देयताओं वाले तथा जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के नौ प्रतिशत से कम अनुपात वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए) 0.25 लाख रुपये और (100 करोड़ रुपये से अधिक की मांग और मीयादी देयताओं वाले तथा जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के नौ प्रतिशत से अधिक अनुपात वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए) 5.00 लाख

बॉक्स VI.5

नये शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिकरण पर विशेषज्ञ समिति

चूंकि विगत समय में नये लाइसेंसशुदा शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति अल्प समय में बिगड़ रही थी जिससे शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही थी अतः रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से 2005 में शहरी सहकारी बैंकों संबंधी एक व्यापक नीति जारी की। उसने यह भी निर्णय लिया कि बाद में नये शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस न दिये जाएं। रिजर्व बैंक ने विनियामक नीतियों के समन्वयन और अलाभकारी शहरी सहकारी बैंकों का विलय वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों के साथ करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। इन नीतियों के कारण वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बैंकों की हिस्सेदारी 2005 के 61.3 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 80.3 प्रतिशत हो गयी। चूंकि इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है अतः शहरी सहकारी बैंकों को नये-नये क्षेत्रों में कारोबार करने की अनुमति दी गयी।

इस परिप्रेक्ष्य में नये शहरी सहकारी बैंकिंग लाइसेंस जारी करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए एक समिति (अध्यक्ष : श्री वाइ.एच. मालेगाम) का गठन किया गया। इसके आलावा 2010-11 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसार उक्त समिति को सूचित किया गया कि वह शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक व्यापक संगठन की व्यवहार्यता का पता

लगाए। समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

- पिछले दशक में और विशेष रूप से 2005 में विज्ञान दस्तावेज अपनाने के बाद से शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका और कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना,
- आर्थिक नीति में वित्तीय समावेशन और बैंकिंग जगत में नये वाणिज्य बैंकों के प्रस्तावित प्रवेश पर जोर देते हुए शहरी सरकारी बैंकों से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचे के परिप्रेक्ष्य में नये शहरी सहकारी बैंकों के गठन की आवश्यकता की समीक्षा करना,
- नये शहरी सहकारी बैंकों के गठन संबंधी मौजूदा विनियामक नीति की समीक्षा करना और नये शहरी सहकारी बैंकों के प्रवेश संबंधी मानदंड निर्धारित करना,
- यह जांच करना कि रूपांतरण तरीके से वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और सुप्रबंधित सहकारी ऋण समितियों को ही लाइसेंस दिया जाए,
- सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों के विकास को सुसाध्य बनाने के लिए कानूनी एवं विनियामक संचरना विशेष रूप से सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप पूंजी जुटाने के मामले में सिफारिश करना,
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक व्यापक संगठन की व्यवहार्यता का पता लगाना,
- शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिकरण से संबंधित अन्य मामलों की जांच करना और उपयुक्त सिफारिश करना।

रुपये के बीच थीं। किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा मंजूर किये गये कुल अप्रतिभूत ऋणों और अग्रिमों की अधिकतम सीमा, पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उसकी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शहरी सहकारी बैंकों में उधार लेने संबंधी मानदंडों के साथ शेरों का संबंध

VI.54 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम 12 प्रतिशत पूंजी का अनवरत अनुपात बनाए रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों को शेरों से लिंक करने वाले अनिवार्य मानदंडों से छूट प्रदान कर दी गयी।

आवास और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए ऋण एक्सपोजर

VI.55 शहरी सहकारी बैंकों का आवास, स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए अनुमत ऋण एक्सपोजर उनकी जमाराशियों के 15 प्रतिशत से संशोधित करके उनकी कुल आस्तियों का 10 प्रतिशत किया गया। 10 प्रतिशत की यह सीमा किसी व्यक्ति को मंजूर किए गए 15.00 लाख रुपये तक के ऋणों के मामले में आवास की कुल आस्तियों के पांच प्रतिशत तक और बढ़ायी जा सकती है।

शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार के क्षेत्र का विस्तार

VI.56 कम-से-कम 50 करोड़ रुपये की आकलित निवल मालियत वाले वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और सुप्रबंधित सभी शहरी सहकारी बैंकों को अन्य मानदंड पूरे करने की शर्त पर उनके मूल पंजीकरण के राज्य से बाहर और उनकी पसंद के किसी भी दूसरे राज्य में उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इसके अलावा, यदि ऐसे शहरी सहकारी बैंक ने किसी अन्य राज्य में कमजोर बैंकों का अधिग्रहण किया है तो उसे अधिग्रहीत बैंक के पंजीकरण वाले पूरे राज्य में अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा शाखाएं खोले जाने के लिए उदारीकृत मानदंड

VI.57 वर्तमान शाखाओं सहित प्रति शाखा आकलित निवल मालियत की दृष्टि से अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी रखने वाले वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और अच्छी तरह प्रबंधित सभी शहरी सहकारी बैंकों को, उनके द्वारा अन्य मानदंड पूरे किए जाने की शर्त के अधीन, वर्तमान शाखा नेटवर्क की 10 प्रतिशत वार्षिक अधिकतम सीमा से अधिक शाखाएं/विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति दी गयी।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट/बिजनेस फैसिलिटेटर का प्रयोग

VI.58 शहरी सहकारी बैंकों को उनके कारोबार के क्षेत्र में आधारभूत तथा सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के मामले में इन बैंकों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से अच्छी तरह प्रबंधित और वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को सूचना और संचार टेक्नॉलॉजी समाधानों का प्रयोग करने वाले बिजनेस फैसिलिटेटर/बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट की सेवाएं लेने के अनुरोधों पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

आदाता खाते में भुगतान योग्य चेकों की वसूली

VI.59 आदाता खाता में देय चेकों की वसूली के मामले में सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों को हो रही कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से शहरी सहकारी बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे अपने ऐसे ग्राहकों के खातों पर आहरित 50,000 रुपये से अनधिक राशि के आदाता खाते में देय चेकों की वसूली करें जो सहकारी ऋण समितियां हैं, बशर्ते ऐसे चेकों के आदाता ऐसी सहकारी ऋण समितियों के ग्राहक हों।

ग्रामीण सहकारी समितियां

ग्रामीण सहकारी समितियों के पुनरुज्जीवन के लिए पैकेज

VI.60 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के बारे में प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर, और राज्य-सरकारों से विचार-विमर्श करके, केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर ग्रामीण सहकारी समितियों के पुनरुज्जीवन के लिए एक पैकेज अनुमोदित किया था। सोलह राज्यों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के पूंजीकरण के लिए भारत सरकार के हिस्से के रूप में नाबार्ड ने 30 जून 2011 तक 8,993 करोड़ रुपये की कुल राशि प्रदान की थी जबकि राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से के रूप में 854 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग

VI.61 अप्रैल 2009 के वार्षिक नीति वक्तव्य में गैर-लाइसेंसशुदा राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी तथा इस संबंध में अक्टूबर 2009 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गये थे। संशोधित दिशानिर्देश जारी किये जाने के बाद 10 राज्य सहकारी बैंकों और 160 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किये गये जिससे जून 2011 के अंत की स्थिति

के अनुसार लाइसेंसशुदा राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या 24 तथा लाइसेंसशुदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की कुल संख्या 235 हो गयी। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि शेष गैर-लाइसेंसशुदा बैंक निर्धारित तिथि तक लाइसेंसिकरण के मानदंड पूरे कर लें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के प्लेटफार्म के उपयुक्त बनाना

VI.62 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में टेक्नॉलॉजी के उन्नयन हेतु श्री. जी. श्रीनिवासन की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने सिफारिश की थी कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सितंबर 2011 तक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पूरी तरह लागू कर दिया जाना चाहिए। आज की स्थिति के अनुसार 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 45 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पूरी तरह लागू किया जा चुका है जबकि शेष 37 में यह प्रक्रिया चल रही है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

VI.63 अप्रत्याशित घटनाओं के कारण जनता द्वारा बैंकों से अचानक अपना पैसा निकाले जाने की स्थिति को रोकने में जमा बीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी है। डीआइसीजीसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही जमा बीमा योजना सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में सभी वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू है। जमा बीमा योजना लक्षद्वीप, चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली के 3 संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर, पूरे देश के सभी सहकारी बैंकों पर भी लागू है। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,217 थी जिसके अंतर्गत 82 वाणिज्य बैंक, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 स्थानीय क्षेत्रीय बैंक तथा 2,049 सहकारी बैंक शामिल हैं। भारत में जमा बीमा की वर्तमान सीमा 1 लाख रुपये है तथा 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बीमा योजना द्वारा रक्षित कुल खातों की संख्या (977 मिलियन) कुल खातों (1052 मिलियन) का 93.0 प्रतिशत है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क¹ 80 प्रतिशत का है। राशि की दृष्टि से 17,35,800 करोड़ रुपये की बीमाकृत जमाराशियां 49,52,427 करोड़ रुपये की अनुमान योग्य जमाराशियों का 35 प्रतिशत है जबकि इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क¹ 20 से 40 प्रतिशत का है। वर्तमान स्तर पर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बीमा कवर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का 1.63 गुना है जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क वित्तीय संकट के पहले प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 1 से 2 गुना के आसपास था।

¹ : बासेल, स्विजरलैंड में मई 2002 में अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संगठन के पहले वार्षिक सम्मेलन में व्यावहारिक नियम के रूप में स्वीकार किया गया।

VI.64 निगम अपना जमा बीमा फंड हर साल व्यय से अधिक आय (बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेशों से मिलने वाले ब्याज की आय और असफल को चुके बैंकों की आस्तियों से नकदी की प्राप्ति) में से कर घटाने के बाद बची अतिरिक्त शेष राशि से बढ़ाता रहता है। इस निधि का इस्तेमाल परिसमापन/पुनर्गठन/समामेलन इत्यादि में आ चुके बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान निगम ने वाणिज्य बैंकों (अनुपूरक दावा) और 73 सहकारी बैंकों (28 मूल दावे और 45 अनुपूरक दावे) के निपटान पर 655 करोड़ रुपये की राशि खर्च की। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार जमा बीमा निधि में 24,704 करोड़ रुपये थे जो 1.4 प्रतिशत का आरक्षित अनुपात (जमा बीमा निधि/बीमाकृत जमा राशियां) दर्शाता है।

VI.65 “ड्राफ्ट असेसमेंट मेथडॉलॉजी फॉर कोर पिन्सिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इन्श्योरेंस सिस्टम” का फील्ड टेस्ट करने के लिए आइएडीआइ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधियों की एक आकलन करने वाली टीम ने सितंबर 2010 में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का दौरा किया। उस टीम के आकलन के अनुसार “प्रभावी जमा बीमा प्रणाली” के 18 मूल सिद्धांतों में से डीआइसीजीसी पूर्णतः या अधिकांश सिद्धांतों का अनुपालन कर रहा है। “पे-बॉक्स” काम में, डीआइसीजीसी सभी प्रमुख सिद्धांतों का पूरी तरह या अधिकांश सिद्धांतों का अनुपालन कर रहा है। लेकिन दिवालियापन से संबंधित समग्र ढांचे, जो डीआइसीजीसी के नियंत्रण से बाहर है, में कमजोरी के चलते कई प्रमुख सिद्धांतों के समग्र अनुपालन पर एक सीमा लग जाती है। टीम की रिपोर्ट में कई सिफारिशों की गयीं, जैसे दिवालिया सहकारी बैंकों को प्रणाली से बाहर कर देना, बैंकों से जमा राशियों से संबंधित विशिष्ट सूचनाएं मानक फार्मेट में प्राप्त करना, डीआइसीजीसी द्वारा उन अन्य जमाबीमाकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन किया जाना जिनके बैंक भारत में काम कर रहे हैं, जमाकर्ताओं को त्वरित गति से प्रतिपूर्ति हेतु जरूरी निधि प्रदान करने के लिए डीआइसीजीसी को रिजर्व बैंक से या वित्त मंत्रालय से निधीयन के “फास्ट ट्रैक” स्रोत का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करना, औपचारिक रूप से जनजागरण कार्यक्रम चलाना तथा डीआइसीजीसी द्वारा एक उपयुक्त टारगेट रिजर्व फंड स्थापित किया जाना। जमा बीमा के क्षेत्र में सुधार तथा डीआइसीजीसी अधिनियम में संशोधन के लिए बनाया गया कार्यदल उक्त फील्ड टेस्ट टीम की सिफारिशों पर भी कार्यवाही करेगा।

भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड

VI.66 भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड की सदस्यता 2006 के 67 बैंकों से बढ़कर 2011 में 112 बैंक हो गयी तथा 14 और बैंकों

की सदस्यता प्रक्रियाधीन है। भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड ने ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता के कोड और अति लघु तथा लघु उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता के कोड के प्रावधानों के अनुपालन के स्वतंत्र रूप से सत्यापन के लिए वर्ष के दौरान भारत के 22 शहरों में 49 सदस्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शहरी सहकारी बैंक छोड़कर) की 1,000 शाखाओं और 135 हबों का सर्वेक्षण किया। शाखाओं में 2,000 से अधिक ग्राहकों के प्रतिसाद के लिए उनका साक्षात्कार लिया गया। सामान्य रूप से इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला कि ग्राहक सेवा में काफी सुधार हुआ है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

VI.67 वार्षिक नीति 2010-11 में की गयी घोषणा के अनुसार कोर इनवेस्टमेंट कंपनियों के लिए विनियामक ढांचा घोषित किया गया (बॉक्स VI.6)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मानक आस्तियों के लिए 0.25 प्रतिशत का प्रावधान

VI.68 प्रतिचक्रियता के हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वित्तीय मंदी के प्रभावों से बचाव के रूप में एक वित्तीय बफर का निर्माण करें, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उनकी मानक आस्तियों के संबंध में उनकी बकाया मानक आस्तियों के 0.25 प्रतिशत के बराबर का प्रावधान करने की व्यवस्था लागू की गयी।

करेंसी फ्यूचर्स में सहभागिता करना

VI.69 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) उनके अंतर्निहित विदेशी मुद्रा संबंधी ऋण आदि जोखिमों की रक्षा के प्रयोजन हेतु सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त निर्दिष्ट करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंजों में केवल ग्राहक के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को किए गए लेन-देनों के संबंध में तुलन-पत्र में उपयुक्त प्रकटीकरण करने की सलाह दी गयी।

दीर्घावधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बांडों के लिए छूट

VI.70 इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करके उगाही गयी राशि को “नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी एक्सेप्टेन्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स (रिजर्व बैंक) डाइरेक्शन्स, 1998” के तात्पर्य के अंतर्गत “लोक जमा” नहीं माना जाएगा।

बॉक्स VI.6

कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियामक ढांचा

कोर निवेश कंपनी शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण का कारोबार करने वाली एक ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो (क) अपनी समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों, अधिमान्य शेयरों, बांडों, डिबेंचरों, कर्ज और ऋणों में निवेश के तौर पर कम-से-कम 90 प्रतिशत तक अपनी निवल आस्तियां रखती हो और (ख) अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों में अपनी निवल आस्तियों के कम-से-कम 60 प्रतिशत तक अपना निवेश रखती हो।

कोर निवेश कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आइ ए के तहत रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित नहीं है। किंतु व्यवहार में यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि किसी कंपनी द्वारा किसी दूसरी कंपनी के शेयरों में किया गया निवेश हिस्सेदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया या कारोबारी प्रयोजन के लिए किया गया। अतः यह निर्णय लिया गया कि अन्य कंपनियों के शेयरों में किये जाने वाले निवेश, चाहे हिस्सा प्राप्त करने के उद्देश्य से क्यों न हो, को भी शेयरों के अधिग्रहण का कारोबार ही माना जाए। इसके अलावा, चूंकि कोर निवेश कंपनियों का कारोबारी मॉडल अनूठा है, जैसे समूह कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी रखना और समूह संस्थाओं का निधि पोषण करना, अतः कोर निवेश कंपनियों को अपनी निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी मौजूदा अपेक्षाओं और रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए निर्धारित एक्सपोजर मानदंडों का पालन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2010 में कोर निवेश कंपनियों के लिए संशोधित विनियामक ढांचा घोषित किया गया। इस ढांचे की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गयी हैं:

- ऐसी कोर निवेश कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण की अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम हो। इस प्रयोजन से किसी समूह में शामिल सभी कोर निवेश कंपनियों को एक साथ मिलाया जाएगा।
- 100 करोड़ रुपये से अधिक के आस्ति आकार वाली किंतु जनता से राशि न स्वीकारने वाली कोर निवेश कंपनियों को भी भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण की अपेक्षाओं से छूट दी गयी है।
- चूंकि इसमें जनता की निधि (जैसे वाणिज्य पत्र, डिबेंचर, अंतर-कारपोरेट जमा-राशियों और अन्य उधार-राशियों के माध्यम से जुटायी गयी निधि) शामिल होने से प्रणालीगत समस्या उत्पन्न हो सकती है अतः ऐसी कोर

निवेश कंपनियों को प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। इनके लिए रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है।

- प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्येक कोर निवेश कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वह हमेशा 'न्यूनतम पूंजी अनुपात' बनाये रखती है जिससे उसकी समायोजित निवल मालियत उसकी कुल जोखिम भारत आस्तियों और तुलन-पत्र से इतर मर्दों के जोखिम समायोजित मूल्य के 30 प्रतिशत से कम न हो।
- प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्येक कोर निवेश कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी बाहरी देयताएं कभी भी उसकी समायोजित निवल मालियत के 2.5 गुने से अधिक न हों।
- प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसी कोर निवेश कंपनी को न्यूनतम सांविधिक निवल स्वाधिकृत निधि रखने और पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों की अपेक्षाओं सहित "गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा-राशि स्वीकार न करने वाली और होल्डिंग) कंपनियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) संबंधी निर्देश, 2007" की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से छूट दी गयी है जो उपर्युक्त (iii) और (iv) में बताए अनुसार पूंजी अपेक्षाओं और लीवरेज अनुपात संबंधी अपेक्षाओं का पालन करती हो।

परिवर्तित विनियामक ढांचे के मद्देनजर प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी कोर निवेश कंपनियों, चाहे जिन्हें रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण किये जाने से पहले विशेष रूप से छूट प्राप्त हो या न हो, को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। परिवर्तित नीति के परिवेश को निर्बाध रूप से साकार करने की दृष्टि से निर्धारित समय के अंदर पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को तब तक अपना मौजूदा कारोबार जारी रखने का निर्देश दिया गया है जब तक रिजर्व बैंक द्वारा उनके आवेदन का निपटान न किया जाता हो। तथापि ऐसी कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आइ ए के प्रावधानों का उल्लंघनकर्ता माना जाएगा जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं किया है। वर्तमान में 100 करोड़ रुपये की आस्ति आकार वाली ऐसी कंपनियों को रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र लेने के लिए आवेदन करना जरूरी है जिन्होंने 100 करोड़ रुपये के तुलनपत्र का आकार हासिल कर लिया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की परिभाषा में संशोधन

VI.71 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कहा गया कि वे ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा के रूप में टेलिकॉम टॉवरों को भी शामिल करें। इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी बताया गया कि केवल रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ही इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों को रेटिंग प्रदान कर सकती हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां साझेदारी फर्मों में साझेदार नहीं बन सकतीं

VI.72 साझेदारी फर्मों के साथ अपने को जोड़ने के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पैदा हुए जोखिमों को दृष्टिगत रखते

हुए साझेदारी फर्मों की पूंजी के लिए धन उपलब्ध कराने या साझेदारी फर्मों में साझेदार बनने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर रोक लगा दी गयी। वर्तमान साझेदारी के मामले में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया कि वे साझेदारी फर्मों से जल्दी बाहर निकलने के उपाय करें।

शारीरिक विकलांगों/नेत्रहीनों को ऋण सुविधाएं दिया जाना

VI.73 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया कि विकलांगता के आधार पर शारीरिक विकलांगों/नेत्रहीन आवेदकों को वित्तीय उत्पाद और सुविधाएं (ऋण सुविधा सहित) उपलब्ध कराए जाने के मामले में

किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए तथा ऐसे ग्राहकों को हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

केंद्रीकरण संबंधी मानदंडों से छूट का लागू किया जाना

VI.74 प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सार्वजनिक निधियां न प्राप्त करने वाली कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एनडी - एसआइ ऋण/निवेशों के केंद्रीकरण संबंधी मानदंडों के बारे में निर्धारित अधिकतम सीमा में संशोधन के लिए रिजर्व बैंक से अनुरोध कर सकती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एनडी - एसआर गारंटियां भी जारी करती होंगी तथा ऐसी गारंटियों की मात्रा बढ़ाए जाने पर सार्वजनिक निधि से धन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तदनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोक निधि न प्राप्त करनेवाली, या गारंटियां जारी न करने वाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एनडी-एसआइ उपयुक्त व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकती है।

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात बढ़ाकर पंद्रह प्रतिशत किया जाना

VI.75 जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी तथा एनबीएफसी - एनडी - एसआइ सभी कंपनियों का न्यूनतम पूंजी अनुपात एक समान 15 प्रतिशत कर देने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार जमा स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया कि वे टियर-I और टियर-II पूंजी वाली पूंजी पर न्यूनतम पूंजी अनुपात बढ़ा दें जो 31 मार्च 2012 से तुलन-पत्र में शामिल जोखिम भारित कुल आस्तियों और तुलन-पत्र से इतर के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीमा कारोबार में प्रवेश पर दिशानिर्देशों की समीक्षा

VI.76 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार रिजर्व बैंक में पंजीकृत और पात्रता मानदंड पूरे करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कारोबार करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसी संयुक्त उद्यम कंपनी में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी प्रदत्त पूंजी का 50 धारित कर सकती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एक ही समूह की एक से अधिक कंपनियां (भलेही वह वित्तीय कार्य करती हो या नहीं) बीमा कंपनी में जोखिम धारित करना चाहती हों तो उक्त एक ही समूह की सभी कंपनियों का अंशदान बीमा के संयुक्त उपक्रम में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की 50 प्रतिशत की उक्त सीमा के लिए हिसाब में लिया जाएगा। इसके अलावा एक ही समूह की कंपनियां, अनुषंगी पॅरेंट्स, सहयोगी संस्था, प्रवर्तक-प्रमोटी, संबंधित पक्ष, सामान्य ब्रांड आदि भी परिभाषित किये गये।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखा/अनुषंगी संस्था/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना

VI.77 इस समय भारत के बाहर वित्तीय सेवा कार्य करने वाली किसी संस्था में निवेश करने के लिए किसी भारतीय पक्ष को संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्वानुमति लेनी होती है। रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में 14 जून 2011 को निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विदेश में शाखा/अनुषंगी संस्था/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या निवेश करने से पहले रिजर्व बैंक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा।

2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक के सामने बड़ी चुनौती यह थी कि मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव एवं चलनिधि की तंग स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकारों - दोनों के बाजार उधार कार्यक्रम का प्रबंधन कैसे किया जाए। मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा नीतिगत दरों में लगातार वृद्धि ने प्रतिफल पर, विशेष रूप से अल्पावधि में, दबाव डाला। तथापि, उधार की लागत को अन्य उपायों के साथ-साथ परिपक्वता तथा प्रतिफल के विवेकपूर्ण मिश्रण से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका।

VII.1 वित्तीय वर्ष 2010-11 की विशेषता नीतिगत दरों में लगातार वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति का बढ़ता दबाव एवं चलनिधि की तंग स्थिति रही। रिजर्व बैंक ने सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में बाजार उधार कार्यक्रम का संचालन सुचारु रूप से किया। ऐसा करते समय उसके दो लक्ष्य थे अर्थात् समय के साथ लागत में कमी लाना तथा ऐसी परिपक्वता प्रोफाइल हेतु प्रयास करना जो कम रोलओवर जोखिम के अनुरूप हो। 2010-11 के दौरान केंद्र सरकार का बाजार उधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। वर्ष के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए उगाही गयी निवल राशि पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत कम रही।

VII.2 2010-11 के दौरान 3जी एवं ब्राडबैंड वायरलेस ऐक्सेस की नीलामियों जैसे एकबारगी गैर राजस्व मदों के कारण सरकार के खाते में राशि का संचय भारी मात्रा में हुआ और तदनुसार बाजार उधार कार्यक्रम को संचालित किया गया। 2010-11 के दौरान प्रमुख नीतिगत दरों में वृद्धि तथा स्फीतिकारी प्रत्याशाओं में हुई बढ़ोतरी ने बाजार उधार की लागत पर गहरा प्रभाव डाला। साथ ही, वर्ष की शुरुआत में राजस्व की प्राप्तियों के कारण सरकार के नकदी शेष में हुई अप्रत्याशित वृद्धि तथा वर्ष के उत्तरार्ध में व्यय किये जाने के कारण

वित्तीय प्रणाली में अस्थायी चलनिधि असंतुलन की स्थिति बनी जिसका असर सरकार के उधार की लागत पर पड़ा।

केंद्र सरकार के ऋण का प्रबंधन

बाजार उधारियां

VII.3 2010-11 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए उगाही गयी सकल तथा निवल राशियां पिछले वर्ष उगाही गयी राशियों से क्रमशः लगभग 3 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत कम थीं (सारणी VII.1)। 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक के सामने प्रमुख चुनौती यह थी कि चलनिधि की तंग स्थितियों एवं मुद्रास्फीति की बढ़ती प्रत्याशाओं के बीच बाजार उधार कार्यक्रमों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। फिर भी, 3 जी तथा ब्राडबैंड वायरलेस ऐक्सेस नीलामियां जैसी एकबारगी राजस्व मदों के चलते सरकार की शेष राशि में भारी वृद्धि हुई, जिसने वर्ष के दौरान बाजार से कम मात्रा में उधार लेने में मदद की। रिजर्व बैंक ने संरचनात्मक चलनिधि असंतुलन से निपटने के लिए खुले बाजार परिचालन के माध्यम से लगभग 67,200 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की और इसने 2010-11 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ बड़े सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता की।

सारणी VII.1: केंद्र सरकार की सकल तथा निवल बाजार उधारियां

(करोड़ रुपये)

मद	2009-10			2010-11			2011-12	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक@
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल उधारियां	4,91,044 *	4,92,368 *	4,92,497	4,98,635	4,88,595	4,79,482	4,69,738	1,97,203
निवल उधारियां	3,97,957 *	3,94,229 *	3,94,358	3,45,010	3,35,512	3,26,398	3,53,128	1,33,354
(i) दिनांकित प्रतिभूतियां	3,97,957 *	3,98,411 *	3,98,411 *	3,45,010	3,35,414	3,25,414	3,43,000	1,20,527
(ii) 364-दिवसीय खजाना बिल	-	-4,182	-4,053	-	98	984	10,128	12,827

#: दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खजाना बिल।

*: एमएसएस डिसिक्वेस्ट्रिंग शामिल है।

@: 31 जुलाई 2011 तक।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक प्रोफाइल #

(प्रतिफल प्रतिशत में / परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में परिपक्वता प्रतिफल का दायरा			वर्ष के दौरान किये गये निर्गम			बकाया स्टॉक	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता का दायरा	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारत औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	7.71-8.42	7.69-8.77	7.77-8.81	7.69	6-30	13.8	10.45	8.23
2009-10	6.09-7.25	6.07-7.77	6.85-8.43	7.23	5-30	11.16	9.82	7.89
2010-11	5.98-8.67	7.17-8.19	7.64-8.63	7.92	5-30	11.62	9.78	7.81

#: एमएसएस के अंतर्गत के निर्गमों को छोड़कर; वाइटीएम: परिपक्वता प्रतिफल

VII.4 2010-11 के दौरान मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीति दरों में बढ़ोत्तरी की जिसका असर सरकार की बाजार उधार लागत पर पड़ा। दिनांकित प्रतिभूतियों का भारत औसत प्रतिफल 2009-10 के 7.23 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 7.92 प्रतिशत हो गया। तथापि, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का भारत औसत कूपन 31 मार्च 2010 के 7.89 प्रतिशत से मामूली घटकर 31 मार्च 2011 को 7.81 प्रतिशत हो गया (सारणी VII.2)।

VII.5 2010-11 के दौरान प्रतिफल वक्र अधिक समय तक समतल रहा जैसा कि प्रतिफल के स्प्रेड में हुई उल्लेखनीय गिरावट से स्पष्ट होता है। प्रतिफल वक्र में घट-बढ़ के अनुरूप दूसरी छमाही के दौरान दीर्घावधिक दिनांकित प्रतिभूतियां बड़ी मात्रा में जारी की गयीं। 2010-11 के दौरान 10-14.99 वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से 37.53 प्रतिशत बाजार उधारियां जुटायी गईं जबकि 2009-10 में 21.77 प्रतिशत बाजार उधारियां जुटायी गयी थीं (सारणी VII.3)। इसके फलस्वरूप, 2010-11 के

दौरान ऋण निर्गमों की भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के 11.16 वर्ष से बढ़कर 11.62 वर्ष हो गयी।

VII.6 बकाया स्टॉक (अवशिष्ट परिपक्वता पर आधारित) की भारत औसत परिपक्वता 31 मार्च 2010 के 9.82 वर्ष से मामूली घटकर 31 मार्च 2011 को 9.78 वर्ष हो गयी।

VII.7 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक ने एकसमान मूल्य आधारित नीलामियों के जरिए केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी करना जारी रखा ताकि अनिश्चित बाजार स्थितियों के परिवेश में बाजार सहभागियों को आक्रामक बोलियों का लाभ दिया जा सके। 2010-11 के दौरान 3,000 करोड़ रुपये के अस्थायी दर बांड जारी किये गये जबकि 2009-10 में 5,000 करोड़ रुपये के बांड जारी किये गये थे।

VII.8 केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2011 को 4,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की 8.01 प्रतिशत 'डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2021' एवं 3,000 करोड़ रुपये की 8.08 प्रतिशत

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता पैटर्न

(करोड़ रुपये)

अवशिष्ट परिपक्वता	2008-09		2009-10		2010-11	
	जुटायी गयी राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	जुटायी गयी राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	जुटायी गयी राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	-	-	52,000	12.44	11,000	2.52
5 - 9.99 वर्ष	77,000	29.5	1,80,000	43.06	1,52,000	34.78
10 -14.99 वर्ष	99,000	37.93	91,000	21.77	1,64,000	37.53
15 -19.99 वर्ष	14,000	5.36	39,000	9.33	54,000	12.36
20 वर्ष तथा उससे अधिक	71,000	27.2	56,000	13.4	56,000	12.81
कुल	2,61,000	100	4,18,000	100	4,37,000	100

‘डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023’ जारी की। रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2011 से राज्य विद्युत बोर्डों की देयताओं की एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत 27 राज्य सरकारों, विद्युत मंत्रालय, केंद्र सरकार एवं रिजर्व बैंक के बीच हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किये गये पावर बांडों, जिनकी परिपक्वता तिथि 1 अक्टूबर 2015 तथा 1 अप्रैल 2016 है, के अंतरण/ट्रेडिंग की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2011 को पुनर्खरीद की पहली श्रृंखला में विभिन्न उर्वरक कंपनियों को जारी 5,763 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) के उर्वरक बांडों की एवं 26 जुलाई 2011 को द्वितीय श्रृंखला में 6,032 करोड़ रुपये के उर्वरक बांडों की पुनर्खरीद की।

VII.9 केंद्रीय बजट 2011-12 में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 2011-12 के लिए केंद्र की सकल बाजार उधारियों की अनुमानित राशि 4,17,128 करोड़ रुपये (निवल 3,43,000 करोड़ रुपये) निर्धारित की गयी है। 2011-12 की पहली छमाही का दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम कैलेंडर केंद्र सरकार के परामर्श से 25 मार्च 2011 को जारी किया गया। 2011-12 की पहली छमाही में 2,50,000 करोड़ रुपये की राशि की उगाही का कार्यक्रम है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,84,000 करोड़ रुपये की राशि उगाही गयी थी।

VII.10 हालांकि बजट में 2011-12 में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से केंद्र सरकार की सकल बाजार उधारियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 प्रतिशत कम हैं, लेकिन निवल बाजार उधारियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 5.4 प्रतिशत अधिक होंगी। केंद्र सरकार ने (31 जुलाई 2011 तक) 2011-12 के अनुसूचित उधार कार्यक्रम के एक बड़े भाग को पूरा कर लिया है (सारणी VII.1)। 2011-12 के दौरान (31 जुलाई 2011 तक) जारी दिनांकित प्रतिभूतियों का भारत औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के 7.67 प्रतिशत की तुलना में उच्चतर अर्थात् 8.38 प्रतिशत रहा।

नकदी का प्रबंधन


VII.11 सरकार ने वर्ष 2010-11 की शुरुआत 16,514 करोड़ रुपये की मामूली नकदी शेष के साथ की, परंतु शीघ्र ही अपनी व्यय संबंधी प्रतिबद्धताओं के कारण उसने 6 अप्रैल 2010 को अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया। पहली छमाही के लिए निर्धारित 30,000 करोड़ रुपये

के अर्थोपाय अग्रिम की अधिकतम सीमा का अतिक्रमण कर लेने के बाद सरकार ने 23-25 अप्रैल 2010 के दौरान ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया। सरकार ने 14 मई 2010 को एक दिन के लिए पुनः ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया और 30 मई 2010 तक वह अर्थोपाय अग्रिम लेती रही। नकदी के अस्थायी असंतुलन से निपटने के लिए मई 2010 के दौरान 12,000 करोड़ रुपये के नकदी प्रबंधन बिल, 6000-6000 करोड़ रुपये की दो श्रृंखलाओं में, क्रमशः 35 दिनों तथा 28 दिनों के लिए जारी किये गये। 31 मई 2010 को नकदी शेष के धनात्मक स्थिति में आने के बाद सरकार ने पुनः 4 एवं 5 सितंबर 2010 को अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया। कुल मिलाकर सरकार ने 2010-11 के दौरान तीन दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट का एवं 57 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया।

VII.12 3 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त हुई राशियों तथा कर संग्रहण में उछाल के कारण वर्ष की अधिकांश अवधि में सरकार के नकदी शेष धनात्मक बने रहे। नकदी प्रबंधन के एक भाग के रूप में सरकार ने 2010 में 11,767 करोड़ रुपये मूल्य के दिनांकित प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की। 12 अगस्त 2010 को 18,759 करोड़ रुपये की रिजर्व बैंक की अधिशेष राशि सरकार को अंतरित किये जाने के कारण उस दिन सरकार का नकदी शेष बढ़कर 37,916 करोड़ रुपये हो गया। धीरे-धीरे सरकार का नकदी शेष बढ़कर 27 दिसंबर 2010 को 1,61,101 करोड़ रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गया। 2010-11 के लिए केंद्र सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की पहली छमाही की सीमा 30,000 करोड़ रुपये और दूसरी छमाही की सीमा 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी थी। 2011-12 के दौरान *अन्य बातों के साथ-साथ* करों की वापसी के कारण केंद्र सरकार के नकदी शेष में अस्थायी असंतुलन के बड़े हुए स्तर को ध्यान में रखते हुए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को बढ़ाकर 1 अप्रैल 2011 से 20 अप्रैल 2011 के लिए 30,000 करोड़ रुपये, 21 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 के लिए 45,000 करोड़ रुपये, 1 जुलाई 2011 से 30 सितंबर 2011 के लिए 30,000 करोड़ रुपये एवं वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर से मार्च) के लिए 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।

VII.13 नकदी प्रवाह के अस्थायी असंतुलों को ठीक करने के लिए रिजर्व बैंक ने सरकार के परामर्श से अप्रैल-जुलाई 2011-12 (अप्रैल-जुलाई 2010-11 में 12,000 करोड़ रुपये) के दौरान 58,000 करोड़ रुपये के नकदी प्रबंधन बिल जारी किये। इसके अलावा, अप्रैल-जुलाई 2011-12 में खजाना बिलों के निर्गम की अधिसूचित राशि में, रोलओवर

चार्ट VII.1: भारत सरकार के नकदी शेष



की राशि के अतिरिक्त, 61,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी (चार्ट VII.1)।

VII.14 केंद्र एवं राज्य सरकारों के बैंकर का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से एवं दक्षतापूर्ण तरीके से करने के लिए रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में परिचालनात्मक एवं तकनीकी स्तर पर कई उपाय किये हैं (बॉक्स VII.1)।

राज्य सरकारों के ऋण का प्रबंधन

बाजार उधारियां

VII.15 2010-11 के दौरान राज्य सरकारों का बाजार उधार कार्यक्रम सुचारु रूप से पूरा किया गया। सकल बाजार उधारियां पिछले वर्ष की तुलना में कम थीं। 2010-11 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार

सारणी VII.4 : राज्यों की बाजार उधारियां

मद	(करोड़ रुपये)	
	2009-10	2010-11
1	2	3
निवल आबंटन	1,02,458	1,42,157
अतिरिक्त आबंटन	2,679	5,971
वर्ष के दौरान परिपक्वता	16,238	15,641
सकल आबंटन	1,21,375	1,63,769
अनुच्छेद 293 (3) के अधीन सकल मंजूरीयां	1,36,948	1,09,063
वर्ष के दौरान उगाही गयी सकल राशि@	1,31,122	1,04,039
वर्ष के दौरान जुटायी गयी निवल राशि	1,14,883	88,398
कुल स्वीकृत राशि के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान उगाही गयी राशि	95.8	95.4

@ 31 मार्च 2010 को 500 करोड़ रुपये राशि की नीलामी की गई।

उधार कार्यक्रम के अंतर्गत निवल आबंटन की राशि 1,42,157 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी थी। 15,641 करोड़ रुपये की चुकौतियों एवं 5,971 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन को हिसाब में लेते हुए सकल आबंटन की राशि 1,63,769 करोड़ रुपये थी (जबकि अनुच्छेद 293 (3) के अधीन सकल स्वीकृतियां 1,09,063 करोड़ रुपये की थीं)। राज्य सरकार ने 2010-11 में 1,04,039 करोड़ रुपये की सकल राशि जुटायी, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1,31,122 करोड़ रुपये थी (सारणी VII.4)। 2005-06 से राज्य सरकार की संपूर्ण बाजार उधारियां 10 वर्षीय प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से जुटायी जा रही हैं। अतः 2011-12 में जारी की गयी प्रतिभूतियां 2020-21 में परिपक्व हो जाएंगी (सारणी VII.5)। 2010-11 में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा सिक्किम ने बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, जबकि 2009-10 में केवल एक राज्य (अर्थात् उड़ीसा) ने बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। 2010-11 में चार राज्यों ने अपनी स्वीकृत राशि में से पूरी राशि नहीं जुटायी, जबकि 2009-10 में ऐसे राज्यों की संख्या पांच थी।

VII.16 2010-11 के दौरान जारी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल पिछले वर्ष के 8.11 प्रतिशत के मुकाबले उच्चतर अर्थात् 8.39 प्रतिशत था (सारणी VII.6)। वर्ष के दौरान भारित औसत स्प्रेड (अर्थात् नीलामी के दिन एसडीएल के भारित औसत प्राथमिक बाजार प्रतिफल तथा केंद्र सरकार की उसी दिन की तदनुसूची परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों पर द्वितीयक बाजार प्रतिफल के बीच का अंतर) पिछले वर्ष के 86 आधार अंकों की तुलना

सारणी VII.5 : बकाया राज्य विकास ऋणों और पावर बांडों की अवशिष्ट परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च 2011 के अंत में)

परिपक्वता का वर्ष	राज्य विकास ऋण	पावर बांड	कुल
			(करोड़ रुपये)
1	2	3	4
2011-12	21,989	1,453	23,442
2012-13	30,628	2,870	33,498
2013-14	32,079	2,870	34,949
2014-15	33,384	2,870	36,254
2015-16	35,191	2,785	37,976
2016-17	31,522	1,575	33,097
2017-18	67,779	—	67,779
2018-19	1,18,138	—	1,18,138
2019-20	1,30,622	—	1,30,622
2020-21	1,04,539	—	1,04,539
कुल	6,05,871	14,423	6,20,294

बॉक्स VII.1

सरकार के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक की भूमिका संबंधी गतिविधियां

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20, 21 और 21(क) के अनुसार रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों (अर्थात् एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड तथा ऐक्सिस बैंक लिमिटेड), जो एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करते हैं, की शाखाओं के माध्यम से सरकारों का सामान्य बैंकिंग कारोबार करता है। इस संबंध में अपनी कार्य-कलाप संबंधी जिम्मेदारियों में और सुधार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किये गये विभिन्न उपाय संक्षेप में नीचे दिये गये हैं।

- रिजर्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लोक लेखा विभाग, जो सरकारी विभागों के खातों का रखरखाव और परिचालन करते हैं, अब परिचालन के लिए पूर्व के स्टैंड अलोन से और अधिक सुदृढ़ तथा सुरक्षित केन्द्रीकृत वेब आधारित अनुप्रयोग अर्थात् केन्द्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली (सीपीएडीएस) में स्विचओवर कर गये हैं। सीपीएडीएस अनेक सुविधाओं वाला एक यूजर-फ्रेंडली अनुप्रयोग है।
- रिजर्व बैंक अपनी सक्रिय भूमिका के अनुरूप और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय तथा कुशल बैंकिंग लेन-देनों के लिए सरकारी विभागों को प्रेरित कर रहा है कि वे विभिन्न ई-उत्पादों जैसे एनईएफटी, एनईसीएस/आरईसीएस, आरटीजीएस आदि, जो एजेंसी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं, के माध्यम से अपने भुगतानों और प्राप्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्विचओवर कर लें। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय खाताधारकों को निधियों के प्रेषण के लिए एनईएफटी सुविधा प्रदान करने में एक मुख्य और सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभाग करों के संग्रहण हेतु इंटरनेट मोड में स्विचओवर कर गये हैं। मई 2011 में मुंबई में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से प्राप्तियों और भुगतानों के ई-मोड में स्विचओवर के लिए एक रोडमैप बनायें।
- भारत सरकार के ई-भुगतान पहलों के सहीलियतकर्ता के रूप में रिजर्व बैंक ने विभिन्न मानदंडों पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के ओल्टास (ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली) तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के ईएएसआईएसटी (उत्पाद और सेवा शुल्क की इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली) के अंतर्गत एजेंसी बैंकों के कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा की है। तदनुसार, ऐसे एजेंसी बैंकों को अपनी स्थिति सुधारने की सलाह दी गयी जिनका इस संबंध में कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं था।
- रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के ई-प्राप्ति (ईएएसआईआर) मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन सोल्यूशन की तर्ज पर कर्नाटक सरकार के वाणिज्यिक करों के संग्रहण के लिए मई 2011 में एक ई-भुगतान प्रणाली शुरू की है।

- विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हेतु केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, एजेंसी बैंकों, आइबीए, एनएसडीएल आदि के शीर्ष अधिकारियों को एक मंच प्रदान करने के एक फोरम के रूप में रिजर्व बैंक ने “उच्च स्तरीय बैठक” की संकल्पना की है और उसे औपचारिक रूप दिया है। यह फोरम आरबीआइ/एजेंसी बैंकों के माध्यम से सरकारी कारोबार करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों का जायजा लेता है और नीति-निर्माण के लिए आधार सामग्री प्रदान करता है।
- सरकारी खातों में निधियों का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने में रिजर्व बैंक एक प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। तदनुसार रिजर्व बैंक सरकार के साथ परामर्श करके एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी खातों में जमा करने के लिए एकत्र की गयी निधियों के प्रेषण हेतु समय-सीमा निर्धारित करता है तथा उसकी समीक्षा करता है। साथ ही निर्धारित मानदंडों का अनुपालन न करने के मामले में दंडात्मक ब्याज दर भी निर्धारित करता है। नवंबर 2010 से इलेक्ट्रॉनिक प्राप्तियों के प्रेषण की अवधि को घटाकर सभी एजेंसी बैंकों के लिए टी+1 कर दिया गया है।
- एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के ग्राहक सेवा संबंधी पहलुओं पर विचार करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गयी एक समिति (अध्यक्ष: श्री प्रभाकर राव) की अनुशंसाओं में पेंशन संचितरण के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा केन्द्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीपीसी) की स्थापना, करों आदि के संग्रहण में ग्राहक अनुकूल उपाय करना शामिल है। एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वे इन अनुशंसाओं को कार्यान्वित करें। परिणामस्वरूप, अधिकांश एजेंसी बैंकों ने सीपीपीसी की स्थापना की है जबकि अन्य उन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। ग्राहक अनुकूल उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने पेंशनरों के लाभ के लिए अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी डाले हैं।
- नियत तिथि के बाद पेंशन के विलंबित भुगतान के लिए पेंशनरों को क्षतिपूर्ति देने के उद्देश्य से एजेंसी बैंकों को अनुदेश दिये गये कि वे विलंबित अवधि के लिए बैंक दर +2 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज अदा करें। क्षतिपूर्ति की राशि बिना किसी दावे की प्रतीक्षा के स्वतः ही पेंशनरों के खाते में जमा हो जाएगी।
- रिजर्व बैंक लेखांकन संबंधी नीतियों के निर्माण और सरकारी कारोबार के अन्य संबंधित मामलों में भारत सरकार के सलाहकार के रूप में सरकारी राजस्व संग्रहण और लेखांकन प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए सरकार द्वारा बनाई गयी विभिन्न समितियों से संबद्ध रहता है।
- बैंक के एजेंट के रूप में सरकारी कारोबार करने के लिए रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के अंतर्गत एजेंसी बैंकों की नियुक्ति की व्यवस्था भी देखता है। हाल में रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2011 से जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार का कारोबार करने के लिए एजेंट के रूप में जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड को नियुक्त किया है।

में घटकर 45 आधार अंक हो गया। 2010-11 के दौरान स्प्रेड कम रहने के पीछे कई कारक थे जिनमें राज्यों की नकदी की अच्छी स्थिति, निर्गमों का औसत निम्न आकार तथा द्वितीयक बाजार में 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में अस्थिरता कम रहना शामिल हैं।

VII.17 2011-12 के दौरान (31 जुलाई 2011 तक) राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत दस शृंखलाओं में नीलामियां आयोजित की गईं और 14 राज्यों ने सकल आधार पर कुल 37,023 करोड़ रुपये (निवल राशि 30,147 करोड़ रुपये) की राशि जुटायी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 17 राज्यों ने

सारणी VII.6 : राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल

वर्ष	दायरा	(प्रतिशत)
		भारित औसत
1	2	3
1997-98	12.30-13.05	12.82
1998-99	12.15-12.50	12.35
1999-00	11.00-12.25	11.89
2000-01	10.50-12.00	10.99
2001-02	7.80-10.53	9.20
2002-03	6.60-8.00	7.49
2003-04	5.78-6.40	6.13
2004-05	5.60-7.36	6.45
2005-06	7.32-7.85	7.63
2006-07	7.65-8.66	8.10
2007-08	7.84-8.90	8.25
2008-09	5.80-9.90	7.87
2009-10	7.04-8.58	8.11
2010-11	8.05-8.58	8.39
2011-12@	8.36-8.68	8.55

@ 31 जुलाई 2011 तक

31,640 करोड़ रुपये (निवल राशि 23,519 करोड़ रुपये) की राशि जुटायी थी।

नकदी का प्रबंधन

VII.18 2010-11 के लिए पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश सरकार सहित, राज्यों के कुल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 9,925 करोड़ रुपये रखी गयी जो पिछले वर्ष के ही समान है। जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ हुए अनुपूरक समझौते के अनुसार अप्रैल 2011 में 2011-12 की उनके सकल अर्थोपाय अग्रिम की सीमा बढ़ाकर 10,240 करोड़ रुपये कर दी गयी। सामान्य तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं

ओवरड्राफ्ट की ब्याज दरें रिपो दर से संबद्ध बनी रहीं। 2010-11 में राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का मासिक औसत उपयोग 2009-10 की तुलना में उच्चतर था (सारणी VII.7 एवं VII.8)।

VII.19 हाल के वर्षों में अधिकतर राज्य सरकारों के पास काफी नकद शेष राशि जमा हो गयी है जो 2005-06 से चलायी गयी राजकोषीय सुदृढीकरण की प्रक्रिया को दर्शाती है। 2010-11 के दौरान चलनिधि का दबाव कुछ राज्य सरकारों तक की सीमित रहा (सारणी VII.9)। राज्य सरकारों के नकद अधिशेष का निवेश 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में स्वतः हो जाता है, जिसका बट्टा दर वर्तमान में 5 प्रतिशत निर्धारित है। 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में औसत निवेश पिछले वर्ष के 84,462 करोड़ रुपये से घटकर 78,875 करोड़ रुपये हो गया है। राज्यों द्वारा मध्यवर्ती खजाना बिलों में निवेश की शेष राशि मार्च 2010 के अंत के 93,776 करोड़ रुपये के मुकाबले मार्च 2011 के अंत में 1,01,301 करोड़ रुपये थी। नीलामी खजाना बिलों में राज्य सरकारों का औसत निवेश पिछले वर्ष के 2,680 करोड़ रुपये की तुलना में तीन गुने से भी अधिक बढ़कर 9,620 करोड़ रुपये हो गया। मार्च 2011 के अंत में नीलामी खजाना बिलों में राज्य सरकारों के निवेश का शेष मार्च 2010 के अंत के 250 करोड़ रुपये की तुलना में उच्चतर अर्थात् 10,187 करोड़ रुपये था (सारणी VII.9)।

VII.20 रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की ओर से समेकित ऋण शोधन निधि और गारंटी उन्मोचन निधि का रखरखाव करता है। समेकित

सारणी VII.7: राज्य सरकारों का अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट
(औसत मासिक बकाया)

(करोड़ रुपये)

माह	विशेष अर्थोपाय अग्रिम			सामान्य अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट			कुल		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अप्रैल	619	589	970	294	290	698	111	191	868	1024	1070	2536
मई	126	298	619	50	14	114	2	-	39	178	312	772
जून	5	36	227	67	-	175	-	-	16	72	36	418
जुलाई	76	2	144	7	-	97	-	-	-	83	2	241
अगस्त	72	6	-	52	122	-	-	-	-	124	128	-
सितंबर	216	120	-	246	88	-	77	3	-	539	211	-
अक्टूबर	54	821	-	161	537	-	2	117	-	217	1475	-
नवंबर	389	898	-	74	480	-	-	242	-	463	1620	-
दिसंबर	22	19	-	31	60	-	-	-	-	53	79	-
जनवरी	120	454	-	47	112	-	25	-	-	192	566	-
फरवरी	523	952	-	35	522	-	-	194	-	558	1668	-
मार्च	252	893	-	252	383	-	90	295	-	594	1571	-
औसत	206	424	-	110	217	-	26	87	-	341	730	-

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी VII.8: राज्यों द्वारा लिये गये विशेष एवं सामान्य अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट - दिनों की संख्या

राज्य	विशेष अर्थोपाय अग्रिम			सामान्य अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	1	3	—	—	—	—	—	—	—
हरियाणा	7	10	13	5	10	13	—	8	6
केरल	18	—	—	2	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	11	—	—	11	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	69	—	11	45	—	6	13	—	—
पंजाब	130	133	40	128	132	40	29	13	14
राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	8	4	—	8	4	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	95	195	79	15	113	40	8	62	24
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मिज़ोरम	29	25	6	15	15	—	—	—	—
गोवा	—	—	—	1	—	—	—	—	—
उत्तराखंड	69	35	25	26	12	8	9	10	—
मेघालय	—	1	—	—	—	—	—	—	—
झारखंड	—	—	4	—	—	4	—	—	—

ऋण शोधन निधि जहां बाजार उधारियों/देयताओं को चुकाने में मदद करती है वहीं गारंटी उन्मोचन निधि उधारियों के संबंध में राज्य स्तरीय उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा जारी की गयी गारंटियों को लागू करने के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक देयताओं की चुकौती की व्यवस्था करती है। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार पुदुचेरी सहित 20 राज्य सरकारों के पास अधिसूचित समेकित ऋण शोधन निधियां थीं और 10 राज्यों ने गारंटी उन्मोचन निधि की स्थापना की थी। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार सीएसएफ तथा

जीआरएफ में निवेश की शेष राशि क्रमशः 36,504 करोड़ रुपये एवं 3,704 करोड़ रुपये थी।

VII.21 राज्य वित्त सचिवों का 24 वां सम्मेलन 24 मई 2011 को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक में आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गयी वे इस प्रकार हैं : बेहतर मुद्रास्फिति प्रबंधन के लिए आपूर्ति पक्षीय बाधाओं को दूर करने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में राज्यों की भूमिका; 2011-

सारणी VII.9: राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के निवेश *

(करोड़ रुपये)

माह	मध्यवर्ती खजाना बिल			नीलामी खजाना बिल			कुल		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	72,837	77,068	86,409	9,329	250	10,862	82,166	77,318	97,271
मई	66,143	76,631	72,810	8,811	250	14,530	74,954	76,881	87,340
जून	69,983	78,015	67,789	6,312	635	24,979	76,295	78,650	92,768
जुलाई	75,122	84,787	61,389	1,931	3,001	32,644	77,053	87,788	94,033
अगस्त	77,321	78,121	—	1,125	7,995	—	78,446	86,116	—
सितंबर	73,617	71,814	—	1,125	11,263	—	74,742	83,077	—
अक्टूबर	84,369	66,444	—	798	12,503	—	85,167	78,947	—
नवंबर	88,089	68,203	—	750	13,468	—	88,839	81,671	—
दिसंबर	98,003	82,494	—	637	15,462	—	98,640	97,956	—
जनवरी	99,668	76,754	—	500	18,323	—	100,168	95,077	—
फरवरी	103,214	80,347	—	500	17,830	—	103,714	98,177	—
मार्च	105,182	105,818	—	339	14,461	—	105,521	120,279	—
औसत	84,462	78,875	72,099	2,680	9,620	20,754	87,142	88,495	92,853

* दैनिक आंकड़ों का औसत

12 के दौरान केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम के प्रबंधन की चुनौतियां; 2011-12 के लिए राज्य सरकार के नकदी शेष और बाजार उधार का प्रबंधन; राज्यों की उधारियों की चुकौती / विनिमय दर जोखिम एवं इन दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋण शोधन निधि का गठन; बिजली क्षेत्र में उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं के कारण राज्य वित्त को जोखिम; सरकारों के बैंकिंग कारोबार के भुगतान एवं प्राप्तियों का इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्विचओवर तथा केंद्र व राज्य सरकारों के खातों के प्रस्तावित वर्गीकरण की संरचना।

VII.22 2011-12 में केंद्र सरकार की बाजार उधारियों के तुलनात्मक रूप से कम बजटीय प्रावधान के बावजूद चलनिधि की तंग स्थिति तथा बैंकों की एसएलआर धारिता के उच्च स्तर एवं अनवाइडिंग के लिए एमएसएस प्रतिभूतियां उपलब्ध न होने के कारण बाजार उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। बाजार उधार कार्यक्रमों का संचालन, सरकार की राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की क्षमता, बाजार उधार के माध्यम से बजट में अनुमानित स्तर तक घाटे का वित्तपोषण एवं मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को नियंत्रित करनेवाली मौद्रिक नीति संबंधी उपायों से प्रभावित होगा।

प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के चलते भुगतान के गैर-नकदी मोड के अधिकाधिक उपयोग के बावजूद मुद्रा की मांग में वृद्धि निरंतर जारी है। रिजर्व बैंक ने अपनी स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में गंदे बैंक नोटों के शीघ्र निपटान के अनुरूप नये बैंक नोटों की आपूर्ति का प्रावधान किया। जहां चालू वित्तीय वर्ष में 25 पैसे तथा उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों का संचलन बंद किया गया वहीं अर्थव्यवस्था में उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की ओर एक क्रमिक अंतरण जारी रहा। रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ जन-जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे ताकि जाली नोटों की चुनौती से निपटा जा सके।

VIII.1 मुद्रा का प्रबंधन केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक होने के कारण इस पर जनता की नजर हमेशा बनी रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के अनुसार भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। एक रुपये के नोट/सिक्के तथा अन्य छोटे सिक्के सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही उन्हें संचलन में लाया जाता है। इसके साथ ही, अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक पर देशभर में पर्याप्त मात्रा में बैंकनोट उपलब्ध कराने के साथ-साथ संचलन में स्थित बैंकनोटों की गुणवत्ता बनाये रखने की भी जिम्मेदारी है।

VIII.2 तदनुसार रिजर्व बैंक ने 2010-11 के दौरान नोट जारी करने तथा मुद्रा प्रबंधन का कार्य किया है। हमेशा की तरह जाली नोटों की रोकथाम एवं उनका पता लगाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। करेंसी नोटों की सुरक्षा विशेषताओं में सुधार लाने की अनवरत प्रक्रिया नये उत्साह के साथ जारी रखी गई। साथ ही, जाली नोटों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के सुविचारित प्रयास किये गये। प्रौद्योगिकी-चालित सुधार ग्राहक सेवा के क्षेत्र में भी किये गये।

संचलन में बैंकनोट

VIII.3 2010-11 के दौरान बैंकनोटों के मूल्य एवं मात्रा दोनों में लगातार वृद्धि होती रही (सारणी VIII.1)। बैंकनोटों के मूल्य में हुई वृद्धि उनकी मात्रा में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक रही, जो उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों, विशेष रूप से 1,000 तथा 500 रुपये के नोटों की ओर संरचनात्मक बदलाव को दर्शाती है।

संचलन में सिक्के

VIII.4 2010-11 के दौरान संचलन में स्थित छोटे सिक्कों सहित सिक्कों के कुल मूल्य में पिछले वर्ष के 12.2 प्रतिशत की तुलना में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-11 के दौरान सिक्कों की मात्रा में एक वर्ष पहले के 5.8 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.2)।

VIII.5 सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 15 क द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने जून 2011 की समाप्ति से 25 पैसे एवं उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को संचलन से हटाने का निर्णय लिया। इस तारीख के बाद ये सिक्के भुगतान एवं हिसाब-किताब के लिए कानूनी रूप से वैध नहीं

सारणी VIII.1 : संचलन में बैंकनोट

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग में) मार्च के अंत में			मूल्य (करोड़ ₹ में) मार्च के अंत में		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
₹2 & ₹5	7,865 (16.0)	7,953 (14.1)	11,116 (17.2)	2,936 (0.4)	2,930 (0.4)	4,281 (0.5)
₹10	12,222 (25.0)	18,536 (32.8)	21,288 (33.0)	12,222 (1.8)	18,536 (2.4)	21,288 (2.3)
₹20	2,200 (4.5)	2,341 (4.1)	3,020 (4.7)	4,399 (0.6)	4,681 (0.6)	6,040 (0.7)
₹50	4,888 (10.0)	4,211 (7.4)	3,196 (5.0)	24,440 (3.6)	21,057 (2.7)	15,980 (1.7)
₹100	13,702 (28.0)	13,836 (24.5)	14,024 (21.7)	1,37,028 (20.1)	1,38,364 (17.6)	1,40,243 (15.0)
₹500	6,166 (12.6)	7,290 (12.9)	8,906 (13.8)	3,08,304 (45.3)	3,64,479 (46.2)	4,45,311 (47.6)
₹1,000	1,918 (3.9)	2,383 (4.2)	3,027 (4.7)	1,91,784 (28.2)	2,38,252 (30.2)	3,02,713 (32.4)
कुल	48,963	56,549	64,577	6,81,133	7,88,299	9,35,856

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

सारणी VIII.2 : संचलन में सिक्के

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग में) मार्च के अंत में			मूल्य (करोड़ ₹ में) मार्च के अंत में		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
छोटे सिक्के	54,736 (57.7)	54,738 (52.0)	54,797 (48.9)	1,455 (14.6)	1,455 (13.1)	1,458 (11.5)
₹1	26,975 (27.0)	29,461 (28.0)	32,675 (29.1)	2,696 (27.1)	2,964 (26.8)	3,267 (25.9)
₹2	11,179 (11.2)	13,198 (12.5)	15,342 (13.7)	2,236 (22.4)	2,640 (23.8)	3,068 (24.3)
₹5	7,141 (7.1)	7,760 (7.4)	9,070 (8.1)	3,570 (35.9)	3,880 (35.0)	4,535 (35.9)
₹10	-	149 (0.0)	300 (0.3)	-	149 (1.3)	300 (2.4)
कुल	100,013	105,306	112,184	9,957	11,070	12,628

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

होंगे। छोटे सिक्कों के डिपो वाली बैंक शाखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में भी इन सिक्कों के विनिमय की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

मुद्रा परिचालन

VIII.6 अच्छी गुणवत्ता वाले बैंकनोट उपलब्ध कराने के सतत प्रयास के रूप में रिजर्व बैंक ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जिसमें नये बैंकनोटों की नियमित आपूर्ति, गंदे बैंकनोटों का शीघ्र निपटान एवं नकदी प्रोसेसिंग संबंधी कार्यकलापों का मशीनीकरण शामिल है। स्वच्छ नोट नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बैंकनोटों की आयु बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों एवं जाली नोटों के खतरे से निपटने के उपायों पर लगातार विचार किया जाता रहा।

मुद्रा प्रबंधन की बुनियादी सुविधाएं

VIII.7 रिजर्व बैंक नोट जारी करने तथा मुद्रा प्रबंधन का कार्य अपने 18 निर्गम कार्यालयों, लखनऊ स्थित एक उप-कार्यालय, कोच्ची स्थित एक करेंसी चेस्ट एवं 4,247 करेंसी चेस्टों एवं 4,017 छोटे सिक्कों के डिपो के विस्तृत नेटवर्क के जरिए करता है। रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ एजेंसी व्यवस्था कर रखी है, जिसके अंतर्गत उन्हें करेंसी चेस्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उप खजाना कार्यालयों के पास स्थित करेंसी चेस्टों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है और इनकी संख्या 2010-11 के दौरान घटकर 11 रह गई है। भारतीय स्टेट बैंक एवं उनके सहयोगी बैंकों के पास करेंसी चेस्टों का सबसे बड़ा हिस्सा (71 प्रतिशत) है जिसके पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों (26 प्रतिशत) का स्थान है (सारणी VIII.3)।

सारणी VIII.3 : करेंसी चेस्ट और छोटा सिक्का डिपो

(31 दिसंबर 2010 की स्थिति)

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटा सिक्का डिपो की संख्या
1	2	3
खजाना	11	-
भारतीय स्टेट बैंक	2,120	2,050
भा.स्टे.बैंक के सहयोगी बैंक	886	868
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,112	982
निजी क्षेत्र बैंक	110	109
सहकारी बैंक	1	1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3	3
विदेशी बैंक	4	4
कुल	4,247	4,017

स्वच्छ नोट नीति

नये बैंकनोटों एवं सिक्कों की मांग एवं आपूर्ति

VIII.8 2010-11 में बैंकनोटों की मांग का लगभग 93 प्रतिशत प्रिंटिंग प्रेस द्वारा पूरा किया गया। नोटों की कुल आपूर्ति 2009-10 के 16.4 बिलियन नग से बढ़कर 2010-11 में 16.5 बिलियन नग हो गई। आपूर्ति की मात्रा एवं मूल्य, आपूर्ति की प्रभावी निगरानी एवं प्रेस की क्षमता के कार्यकुशल आबंटन तथा प्रबंधन की पुष्टि करता है (सारणी VIII.4 और VIII.5)।

गंदे बैंकनोटों का निपटान

VIII.9 2010-11 के दौरान गंदे बैंकनोटों के 13.9 बिलियन नगों (संचलन में स्थित बैंकनोटों का 21.4 प्रतिशत) को संसाधित किया गया और संचलन से हटाया गया (सारणी VIII.6)। वर्ष के दौरान संचलन से हटाकर रिजर्व बैंक के कार्यालयों में अंततः निपटाये गये बैंकनोटों की संख्या में वृद्धि हुई। यह कार्य करेंसी चेस्ट से गंदे बैंकनोटों

सारणी VIII.4 : बैंकनोटों की मांग तथा आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

मात्रा (मिलियन नग में)

मूल्यवर्ग	2009-10		2010-11		2011-12
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6
₹5	1,000	548	-	674	-
₹10	5,000	5,060	5,000	5,143	5,700
₹20	800	820	1,500	1,104	600
₹50	1,000	1,004	2,000	1,602	1,200
₹100	4,000	3,969	4,300	3,420	6,100
₹500	4,000	4,008	4,000	4,130	2,000
₹1,000	1,000	1,007	1,000	467	2,000
कुल	16,800	16,416	17,800	16,540	17,600

सारणी VIII.5 : सिक्कों की मांग एवं आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग में)						मूल्य (करोड़ रुपये में)			
	2009-10		2010-11		2011-12	2009-10		2010-11		
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50 पैसे	200	100	70	59	70	10	5	4	3	
₹1	3,000	2,918	2,600	2,746	1,600	300	292	260	275	
₹2	2,000	2,284	1,700	1,811	2,900	400	457	340	362	
₹5	800	778	1,300	1,292	800	400	389	650	646	
₹10	100	205	1,000	232	1,000	100	205	1,000	232	
कुल	6,100	6,285	6,670	6,140	6,370	1,210	1,348	2,254	1,518	

को शीघ्रता से हटाने एवं रिजर्व बैंक के कार्यालयों की उनका निपटान करने की क्षमता के संवर्धन के लिए किये जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा था।

VIII.10 2010-11 के दौरान निपटाये गये 13.9 बिलियन नगों में से 8.05 बिलियन नगों को 54 मुद्रा सत्यापन एवं संसाधन प्रणाली (सीवीपीएस) के माध्यम से संसाधित किया गया। शेष बैंकनोटों का निपटान डाइनेमिक वर्किंग मॉडल (डीडब्ल्यूएम) के अंतर्गत किया गया।

VIII.11 गंदे नोटों के संसाधन एवं निपटान की क्षमता में और संवर्धन के लिए वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के 5 चुनिंदा कार्यालयों में 5 नई सीवीपीएस मशीनें लगवाई गईं।

संचलन में स्थित बैंकनोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय

VIII.12 सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं में नोट सॉर्टिंग मशीनें (एनएसएम) लगवाई गई हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे प्राप्त होने वाले सभी नोटों की जांच जनता को

सारणी VIII.6 : गंदे नोटों का निपटान एवं नये बैंकनोटों की आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग में)					
	2008-09		2009-10		2010-11	
	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
₹1,000	39	664	78	865	179	706
₹500	735	2,611	1,247	3,513	1,864	4,347
₹100	3,690	4,277	4,307	3,935	5,227	4,085
₹50	2,403	1,042	2,400	791	2,095	1,114
₹20	1,003	605	790	467	664	1,296
₹10	3,700	4,607	3,832	4,975	3,657	5,580
₹5 तक	392	3	418	441	166	549
कुल	11,962	13,809	13,072	14,987	13,852	17,677

टिप्पणी : आपूर्ति में करेंसी चेस्टों तथा जनसाधारण को आपूर्ति किये गये नये नोट शामिल हैं।

पुनः जारी करने से पहले कर लें। मुद्रा वितरण की प्रणाली तथा प्रक्रिया संबंधी उच्चस्तरीय समिति की एक सिफारिश के अनुपालन के रूप में, बैंकों को यह भी निदेश दिया गया कि नोटों को काउंटरों पर अथवा एटीएम के जरिए जारी करने से पहले 100 रुपये अथवा उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों का संसाधन रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी “नोट अधिप्रमाणन तथा उपयुक्तता छंटाई मानदंड” के अनुसार मशीनों से किया जाए। प्रतिदिन 50 लाख रुपये अथवा उससे अधिक की नकद राशि प्राप्त करने वाली बैंक शाखाएं मार्च 2011 के अंत तक ऐसी मशीनें लगवा लेंगी।

VIII.13 अप्रैल 2011 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने उपर्युक्त श्रेणी में आनेवाली शाखाओं में 4,091 नोट सॉर्टिंग मशीनें लगवा ली हैं। साथ ही, बैंकों ने अन्य 1,823 शाखाओं में मशीन द्वारा संसाधित नोट जारी करने की व्यवस्था की है।

VIII.14 उपर्युक्त उपायों से बैंकनोटों की कुशल सॉर्टिंग को बढ़ावा देने के अलावा स्वच्छ नोट नीति को सुदृढ़ बनाने एवं जाली नोटों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

VIII.15 रिजर्व बैंक ने देश के चुनिंदा स्थानों पर 10 रुपये मूल्यवर्ग के पॉलिमर/प्लास्टिक के बैंकनोट ‘क्षेत्र परीक्षण’ आधार पर चलाने का अपना प्रयास जारी रखा। ‘क्षेत्र परीक्षण’ की प्रक्रिया जारी रखने के साथ-साथ रिजर्व बैंक ने “पॉलिमर आधारित बैंकनोटों तथा कॉटन आधारित बैंकनोटों के पर्यावरण संबंधी प्रभाव (कार्बन फुटप्रिंट)” विषय पर एक अध्ययन भी शुरू किया।

जाली बैंकनोट

VIII.16 जाली नोटों के प्रति बैंकों की अत्यधिक जागरूकता एवं नोट सॉर्टिंग मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण वर्ष के दौरान पकड़े गये

सारणी VIII.7: पकड़े गये जाली नोट

वर्ष	(नगों की संख्या)		
	भा.रि.बैंक में पकड़े गये	अन्य बैंकों में पकड़े गये	कुल
1	2	3	4
2008-09	55,830 (14.0)	342,281 (86.0)	398,111
2009-10	52,620 (13.1)	348,856 (86.9)	401,476
2010-11	45,235 (10.4)	390,372 (89.6)	435,607

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

जाली नोटों की संख्या पहले से अधिक थी। पकड़े गये 0.4 मिलियन जाली नोटों में से लगभग 90 प्रतिशत नोट बैंक शाखाओं में पकड़े गये जो उनमें नोट सॉर्टिंग मशीनों के बढ़ते उपयोग को दर्शाते हैं (सारणी VIII.7)।

VIII.17 जाली बैंक नोटों के जोखिम को रोकने के अन्य उपायों, जैसे कि सुरक्षा विशेषताओं का सुदृढीकरण, बैंकों तथा अन्य संगठनों को प्रशिक्षण, जाली करेंसी से निपटने की क्रियाविधि को युक्तिसंगत बनाना (बॉक्स VIII.1), नोटों के मशीनी संसाधन के क्षेत्र में सुधार आदि के साथ-साथ रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकनोटों के बारे में जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की है।

VIII.18 इस अभियान के अंतर्गत शुरुआत में अगस्त 2010 में दूरदर्शन पर “पैसा बोलता है” नामक एक हिंदी विज्ञापन फिल्म

दिखाई गई। बाद में इस फिल्म का अनुवाद 11 प्रमुख भारतीय भाषाओं में किया गया और इन्हें दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों में दिखाया जा रहा है। आम आदमी के लिए इस फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि वे बैंक नोटों को जांचना अपनी आदत बना लें। साथ ही इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि आम आदमी को भारतीय बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं के बारे में अवगत कराया जाए। भावी योजनाओं में विभिन्न मीडिया, जैसे कि अन्य टी.वी. चैनलों, रेडियो, समाचारपत्रों आदि के जरिए प्रचार अभियान चलाना शामिल है।

VIII.19 रिजर्व बैंक ने वेब पेज के लिए एक माइक्रोसाइट भी तैयार की है जिसमें जनसाधारण के लाभ के लिए असली भारतीय बैंकनोटों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “पैसा बोलता है” नामक माइक्रोसाइट प्रदर्शित की गई है जिसे यूआरएल <http://www.paisaboltahai.rbi.org.in/> पर भी देखा जा सकता है।

VIII.20 सरकार ने सिक्का निर्माण विधेयक, 2011 प्रस्तुत किया जिसे लोकसभा द्वारा मार्च 2011 में पारित कर दिया गया है। इस विधेयक द्वारा सिक्कों और टुकसालों से संबंधित कानूनों को मजबूत बनाने के अलावा सिक्कों को पिघलाने अथवा उन्हें नष्ट करने, गैरकानूनी तरीके से बनाने, अथवा पैसे के रूप में इस्तेमाल किये जाने हेतु धातु के टुकड़े को जारी करने अथवा उनको खुद के पास रखने पर प्रतिबंध एवं जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है।

**बॉक्स VIII.1
जाली करेंसी से निपटने की क्रियाविधि**

जाली भारतीय करेंसी नोटों का मुद्रण करना और/अथवा उनका परिचालन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489ई के तहत एक अपराध है। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि यदि वह करेंसी की जालसाजी सहित किसी अपराध के किये जाने अथवा ऐसा अपराध करने की नीयत रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी रखता हो, तो वह उसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंकों को चाहिए कि वे पकड़े गये ऐसे सभी जाली नोटों को जब्त करें और उन्हें कानून के अनुसार एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस के पास भेज दें।

नकली नोटों की बढ़ती घटनाओं के कारण, व्यक्तियों के पास जाने-अनजाने जाली नोट आ सकता है और वह अनजाने में किसी बैंक अथवा कारोबार प्रतिष्ठान को प्रस्तुत कर उसके संचलन का माध्यम बन सकता है।

मुद्रा वितरण की प्रणाली तथा क्रियाविधि के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा गठित उच्चस्तरीय दल ने अगस्त 2009 की अपनी रिपोर्ट में जाली नोटों के पकड़े जाने

पर एफआइआर दर्ज करने संबंधी प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की।

इस मामले पर गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श करके निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

- सैद्धांतिक रूप में यह निर्णय लिया गया कि जाली नोट संबंधी अपराध के मामलों को दर्ज करने के लिए हर जिले में एक नोडल पुलिस स्टेशन को नामित किया जाए। तदनुसार बैंक हर जिले में एक नोडल अधिकारी को नामित करेगा, जिस पर पुलिस के पास ऐसे मामले दर्ज करने की जिम्मेदारी होगी।
- बैंक का नोडल अधिकारी नामित पुलिस स्टेशन को एकल रिपोर्ट दर्ज करेगा जिसमें एकल लेन-देन में प्राप्त 1 से 4 नग तक के नोटों के संबंध में विस्तृत जानकारी होगी।
- एकल लेन-देन में प्राप्त 5 अथवा उससे अधिक नगों के मामले में अलग एफआइआर दर्ज किया जाएगा।

कई राज्यों ने जिला स्तर पर नोडल पुलिस स्टेशनों को नामित किया है। रिपोर्टिंग प्रणाली को सरल बनाने संबंधी विषय केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

ग्राहक सेवा

VIII.21 गंदे तथा विकृत / कटे-फटे नोटों के विनिमय से संबंधित सरलीकृत नोट वापसी नियमावली, 2009 अगस्त 2009 में लागू हो गई है। नई नियमावली सरल है जिसे समझना तथा लागू करना आसान है और इसमें व्यक्तिनिष्ठता की कम गुंजाइश है। कटे-फटे नोटों को स्वीकार करने, उनके अधिनिर्णय तथा अभिलेख के रख-रखाव के संबंध में शाखाओं द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में एक पुस्तिका तैयार की गई है और उसे सभी करेंसी चेस्टों में वितरित कर दिया गया है।

VIII.22 नागरिकों के अधिकार संबंधी घोषणा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है जिसमें गंदे तथा कटे-फटे नोटों के सार्वजनिक काउंटरों पर विनिमय, इसकी प्रक्रिया, लागत तथा इन सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाले समय एवं शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

VIII.23 देश के मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मुंबई स्थित मौद्रिक संग्रहालय में सिक्कों की समृद्ध एवं विविध विरासत के प्रलेखन एवं परिरक्षण की पहल की है। यह भी सोचा गया है कि यह संग्रहालय भारतीय रिजर्व बैंक के आउटरीच कार्यक्रम का एक माध्यम होगा। संग्रहालय में देश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को चित्रित करने वाले लगभग 8,000 सिक्कों एवं 730 करेंसी नोटों को प्रदर्शित किया गया है तथा वर्ष 2010 के दौरान लगभग 27,468 दर्शक संग्रहालय में आये।


बैंकनोटों के उत्पादन के लिए कागज, स्याही एवं अन्य कच्चे माल का स्वदेशीकरण

VIII.24 भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) तथा सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एवं मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआइएल) के बीच 50:50 शेयरधारिता के आधार पर संयुक्त उद्यम के रूप में एक पेपर मिल की स्थापना से संबंधित कार्य की शुरुआत की गयी है। इसके पहले चरण के उत्पादन संबंधी कार्य मैसूर में किया जा रहा है जिसकी वार्षिक क्षमता 6000 मैट्रिक टन होगी। रिजर्व बैंक भारत सरकार के साथ परामर्श करके बैंकनोटों के उत्पादन की अन्य महत्वपूर्ण निविष्टियों के स्वदेशीकरण के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एवं संवितरण पर व्यय

VIII.25 2010-11 (जुलाई-जून) में सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग प्रभार (नोट फार्म) की मद पर किये गये व्यय में 378 करोड़ रुपये

चार्ट VIII.1 : सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग की लागत



(13.7 प्रतिशत) की गिरावट आयी जो मुख्यतः इंडेंट की तुलना में 2010-11 में कतिपय मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की आपूर्ति में हुई गिरावट की वजह से थी (चार्ट V.1 तथा सारणी VIII.4)।

VIII.26 2010-11 में खजानों का प्रेषण संबंधी व्यय 2009-10 (जुलाई-जून) के 37 करोड़ रुपये से बढ़कर 2010-11 में 45.5 करोड़ रुपये हो गया जो मुख्यतः करेंसी चेस्टों में बैंकनोटों/ सिक्कों की आपूर्ति में वृद्धि होने के कारण था।

VIII.27 रिजर्व बैंक जनता को पर्याप्त मात्रा में बैंकनोट तथा सिक्के उपलब्ध कराना जारी रखेगा। ग्राहक सेवा में और सुधार लाने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाएंगे। प्रणाली में सुधार एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके मुद्रा परिचालन में और अधिक प्रगति पर समुचित बल देते हुए गंदे नोटों की वापसी एवं स्वच्छ बैंकनोटों की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। यंत्रचालित प्रोसेसिंग की क्षमता के निर्माण/ बैंकनोटों तथा सिक्कों के वितरण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

VIII.28 रिजर्व बैंक जागरूकता अभियानों, अंतर-एजेंसी समन्वय तथा प्रणाली व प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाकर जालसाजी के कारण होने वाले जोखिमों को कम करने का प्रयास जारी रखेगा। रिजर्व बैंक भारतीय बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को सुदृढ़ करने के अपने प्रयास भी जारी रखेगा ताकि जाली नोट बनाना और अधिक कठिन हो।

तकनीकी तौर पर उन्नत, सुरक्षित, कुशल, एक्सेस योग्य भुगतान और निपटान प्रणालियों की जरूरत को समझते हुए, रिजर्व बैंक ने भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीके को बढ़ावा देने के अपने प्रयास जारी रखे। पूर्वदत्त भुगतान लिखतों और मोबाइल फोन आधारित भुगतान सेवाओं के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं। रिजर्व बैंक को एक ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर बैंक ने आइटी और इसके अनुप्रयोगों का सुविचारित प्रयोग करने का प्रयास किया है।

IX.1 एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई वित्तीय और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहबद्धताओं वाली प्रणाली में एक कुशल भुगतान और निपटान प्रणाली का होना श्रेयस्कर है। भारतीय व्यवस्था में जहां बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य वित्तीय संगठनों का एक व्यापक फैलाव है, कुशलता लाने वाले सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ एक समुचित भुगतान और निपटान ढांचा सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है तथा इस प्रकार यह रिजर्व बैंक की एक दूसरी अनूठी जिम्मेदारी है।

IX.2 वर्ष के दौरान देश में विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियां कुशलतापूर्वक कार्य करती रहीं जिससे विशेष रूप से वित्तीय बाजार और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप आसानी से चलते रहे। 2010-11 में मूल्य और मात्रा दोनों ही दृष्टि से विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों के अंतर्गत कुल कारोबार में 10 प्रतिशत की सतत वृद्धि हुई (सारणी IX.1)।

भारत में भुगतान प्रणालियों की निगरानी

IX.3 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) देश के अंदर भुगतान प्रणालियों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार प्रदान करता है। बैंक का निगरानी संबंधी कार्य मिशन वक्तव्य “भारत में भुगतान प्रणाली विजन 2009-12 (जुलाई-जून)” में दिये गये नीतिगत उद्देश्यों के द्वारा निर्देशित है जिसके अनुसार बैंक “यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि देश में परिचालित सभी भुगतान और निपटान प्रणालियां सुरक्षित, संरक्षित, सुदृढ़, कुशल, पहुंच-योग्य तथा प्राधिकृत हैं”। निगरानी के लिए आवश्यक है कि

“वर्तमान और योजनाबद्ध प्रणालियों की निगरानी करके सुरक्षा और कार्य कुशलता के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाए, इन उद्देश्यों की तुलना में उनका मूल्यांकन किया जाए और जहां जरूरी हो वहां परिवर्तन किया जाए”²।

IX.4 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक सभी योजनाबद्ध भुगतान प्रणालियों की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि केवल उन्हीं भुगतान प्रणालियों को देश में परिचालन के लिए प्राधिकृत किया जाए जिनके पास मजबूत प्रणाली संरचना हो, पर्याप्त जोखिम प्रबंधन समाधान हों तथा मजबूत वित्तीय मानदंड हों।

IX.5 सभी प्राधिकृत संस्थाओं का मूल्यांकन उनकी वैयक्तिक प्राधिकरण शर्तों और बैंक द्वारा जारी संबद्ध नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑफ-साइट निगरानी और ऑन-साइट निगरानी आती है।

IX.6 ऑफ-साइट निगरानी में डेटा संग्रहण और विश्लेषण, प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा स्व-मूल्यांकन, योग्य पेशेवर व्यक्तियों द्वारा प्रणाली की आवधिक लेखा-परीक्षा तथा बाजार आसूचना शामिल है। डेटा का आवधिक विश्लेषण भावी नीतिगत कार्रवाइयों के लिए किसी पैटर्न और / अथवा रुझान का पता करने के लिए किया जाता है। प्रणाली लेखा-परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली डेटा सुरक्षा और अखंडता के सर्वोत्तम मानकों के अनुसार कार्य करती है तथा यह प्रक्रिया और क्रियाविधि प्राधिकरण शर्तों के अनुरूप है।

1 : नियंत्रण करने और पर्यवेक्षण करने की शक्तियों में शामिल हैं: मानक निर्धारित करने की शक्ति (धारा 10); भुगतान प्रणाली में परिवर्तन की सूचना (धारा 11); विवरणियों, दस्तावेजों अथवा अन्य सूचनाओं को मंगाने की शक्ति (धारा 12); सूचनाओं तक पहुंच (धारा 13); प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति (धारा 14); लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने की शक्ति (धारा 16); निदेश जारी करने की शक्ति (धारा 17); सामान्य रूप से निदेश जारी करने की रिजर्व बैंक की शक्ति (धारा 18); रिजर्व बैंक के निदेशों का सामान्यतया अनुपालन किया जाए (धारा 19)।

2 : भुगतान और निपटान प्रणाली की केन्द्रीय बैंक द्वारा निगरानी, मई 2005, सीपीएसएस, बीआइएस।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार

मद	संख्या (मिलियन में)			मूल्य (करोड़ ₹ में)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियां (एसआइपीएस)						
1. बड़े मूल्य वाले समाशोधन	21.8	5.5	0.0	45,50,667	18,61,560	0
2. आरटीजीएस	13.4	33.2	49.3	3,22,79,881	3,94,53,359	4,84,87,234
कुल एसआइपीएस (1+2)	35.2	38.8	49.3	3,68,30,548	4,13,14,919	4,84,87,234
				(6.6)	(6.3)	(6.2)
वित्तीय बाजार समाशोधन						
3. सीबीएलओ	0.1	0.1	0.1	88,24,784	1,55,41,378	1,22,59,744
4. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.3	0.3	0.4	62,54,519	89,86,718	69,70,236
5. विदेशी मुद्रा समाशोधन	0.8	0.9	1.2	1,69,37,489	1,42,11,486	1,91,60,153
कुल वित्तीय बाजार समाशोधन (3-5)	1.2	1.4	1.7	3,20,16,792	3,87,39,582	3,83,90,133
				(5.7)	(5.9)	(4.9)
अन्य						
6. माइकर समाशोधन	1,142.0	1,144.2	1,155.1	58,57,575	66,69,957	83,01,218
7. गैर-माइकर समाशोधन	233.6	230.6	232.3	20,60,893	18,78,425	18,32,909
खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन						
8. ईसीएस डेबिट	160.1	149.3	156.7	66,976	69,524	73,646
9. ईसीएस क्रेडिट	88.4	98.1	117.3	97,487	1,17,613	1,81,686
10. ईएफटी/एनईएफटी	32.2	66.3	132.3	2,51,956	4,09,507	9,39,149
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	280.6	313.8	406.4	4,16,419	5,96,644	11,94,481
कार्ड						
11. क्रेडिट कार्ड	259.6	234.2	265.1	65,356	61,824	75,516
12. डेबिट कार्ड	127.7	170.2	237.1	18,547	26,418	35,705
कुल कार्ड	387.2	404.4	502.2	83,903	88,242	1,14,207
कुल अन्य (6 to 12)	2,043.4	2,092.9	2,296.0	84,18,790	92,33,268	1,14,35,745
				(1.5)	(1.4)	(1.5)
सकल योग (1 to12)	2,079.8	2,133.0	2,346.9	7,72,66,130	8,92,87,769	9,83,13,112
				(13.9)	(13.6)	(12.5)

टिप्पणी: 1. बड़े मूल्य के समाशोधन 1 अप्रैल 2010 से बंद कर दिए गए हैं।

2. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेन-देन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है।

3. अप्रैल 2011 के अंत में, माइकर समाशोधन 66 केन्द्रों (पिछले वर्ष 65 केन्द्रों पर था) पर उपलब्ध था।

4. कार्डों की संख्या केवल बिक्री स्थान टर्मिनलों पर किये गये लेन-देनों की है।

5. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी की तुलना में अनुपात हैं।

IX.7 इसके अलावा, भुगतान और निपटान प्रणाली समिति जो भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करने वाली संस्था है द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित अन्य मानदंडों के साथ-साथ, प्रत्येक प्राधिकृत संस्था को अपने परिचालनों, जोखिम प्रबंधन तथा कारोबार निरंतरता व्यवस्था का स्व-मूल्यांकन करना पड़ता है। रिजर्व बैंक को सूचित स्व-मूल्यांकन के परिणामों को संस्था का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाजार आसूचना द्वारा एकत्र की गयी जानकारी को भी एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता आधारित ऑन-साइट निरीक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया को पूर्ण करता है।

IX.8 हितधारियों से विचार-विमर्श तथा किये गये मूल्यांकन और बाजार आसूचना के आधार पर, रिजर्व बैंक सुरक्षा और कार्य कुशलता तथा ग्राहक सुविधा और सेवा में सुधार के लिए भुगतान प्रणाली में परिवर्तन करता है। इस प्रयोजन के लिए बड़े मूल्य और खुदरा भुगतानों सहित विभिन्न उत्पादों में परिचालनगत कुशलता के लिए नियमावली, विनियमावली, क्रियाविधि दिशानिर्देश, ऐक्सेस मानदंड और न्यूनतम मानकों का प्रयोग किया जाता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम द्वारा दी गई सांविधिक शक्तियों का भी आवश्यक निदेश देने के लिए प्रयोग किया जाता है।

IX.9 निगरानी की प्रक्रिया में मदद के लिए चार महानगरों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं।

नीति संबंधी उपाय

IX.10 भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

पेपर आधारित भुगतान प्रणाली

IX.11 पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बावजूद पेपर आधारित लेन-देनों की संख्या भुगतान प्रणाली में अधिक बनी रही। कुल लेन-देनों की संख्या में इसका हिस्सा 59 प्रतिशत था। बैंक ने पेपर समाशोधन की निपटान अवधि को कम करने तथा भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड में अंतरण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किये हैं।

- i) नेटवर्क वाले वातावरण में मल्टी यूजर इनपुट की स्वीकृति, कोर-बैंकिंग के एकीकरण तथा ग्राफिक इंटरफेस कंपैटिबिलिटी को और अधिक सुकर बनाने के लिए 'एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम' (ईसीसीएस) नामक एक नया पैकेज विकसित किया गया है। इसमें सभी नवीनतम विशेषताएं शामिल हैं तथा इसके सितंबर 2011 तक देश के सभी गैर मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकग्नीशन (माइकर) प्रणाली वाले स्थानों में शुरू किये जाने की आशा है, साथ ही सभी केन्द्रों में स्पीड समाशोधन सुविधा भी शुरू की जाएगी।
- ii) स्पीड समाशोधन का विस्तार सभी 66 माइकर केन्द्रों सहित 216 केन्द्रों तक किया गया है।
- iii) माइकर सीपीसी के माध्यम से चेक प्रोसेसिंग के लिए सेवा प्रभार और बाहरी स्थान/स्पीड समाशोधन के लिए संग्रहण प्रभार को तर्कसंगत बनाया गया है।
- iv) सीटीएस मानक 2010 को शामिल करते हुए ग्रिड आधारित चेक ट्रेकिंग प्रणाली का दूसरा चरण चेन्नै में क्रियान्वयन के करीब है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

IX.12 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद से ग्राहकों को परंपरागत कागज आधारित भुगतान लिखतों की तुलना में तीव्रतर, किफायती और सुरक्षित भुगतान व्यवस्था सुलभ होती है। देश में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

उत्पादों का विकास दो चरणों में हुआ है: (i) प्रारंभिक चरण (ii) युक्तीकरण चरण।

IX.13 प्रारंभिक चरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) और इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी) जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शुरू किये गये। इन प्रणालियों को विकेंद्रीकृत किया गया है जो विशिष्ट क्षेत्र के लोगों को सेवा प्रदान कर रही हैं। युक्तीकरण चरण के दौरान मुख्य ध्यान तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) जैसे केन्द्रीकृत अखिल भारतीय भुगतान समाधान शुरू करने पर रहा है जिससे पूरे देश में फैले ग्राहकों को सेवा प्रदान की जा सके और एक केन्द्रीय स्थान पर निपटान किया जा सके। यह चरण बैंकों में कोर-बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) / केन्द्रीकृत चलनिधि प्रबंधन समाधानों के कार्यान्वयन का समकालिक भी है।

IX.14 मार्च 2004 से शुरू हुई आरटीजीएस प्रणाली में निपटान के मूल्य और मात्रा दोनों में निरंतर वृद्धि हुई है (चार्ट IX.1)।

IX.15 वर्ष के दौरान केन्द्रीकृत प्रणालियों को और परिमार्जित करने के लिए किए गये उपाय इस प्रकार हैं :

- (i) एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस (क्रेडिट) और एनईसीएस प्रणाली जैसी क्रेडिट पुश प्रणालियों में प्रक्रिया प्रवाह को आसान बनाने के लिए बैंक अब हितधारक के खाते में समुचित सावधानी बरतते हुए पूरी तरह से खाता संख्या के ब्यौरे के आधार पर क्रेडिट दे सकते हैं।
- (ii) रिजर्व बैंक वर्ष 2006 से खुदरा इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों पर प्रोसेसिंग प्रभार नहीं ले रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रवर्तक बैंक पर प्रोसेसिंग प्रभार लगाने के लिए समाशोधन गृहों / प्रोसेसिंग केन्द्रों को अनुमति दी जाए। इसके अलावा, गंतव्य बैंक भी अपने इन्फ्रास्क्चर का प्रयोग करने के लिए भरपाई के रूप में प्रवर्तक बैंक पर कुछ मामूली प्रभार लगायेंगे।
- (iii) क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (आरईसीएस), जो राज्य व्यापी भुगतान और प्राप्तियों को सुगम बनाने के लिए 2009 में शुरू की गयी, बेंगलुरु, चेन्नै, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी,

कोलकाता, भुवनेश्वर और जयपुर में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। जबकि इन सभी केंद्रों में क्रेडिट स्कीम कार्य कर रही है, बेंगलुरु और चेन्नै में भी डेबिट स्कीम कार्य कर रही है।

(iv) एनईएफटी के अंतर्गत 1-2 लाख रुपये खंड में एक नयी मूल्य सीमा बनायी गयी जिसमें ग्राहकों को कम प्रभार चुकाना पड़ता है। आरटीजीएस लेनदेनों के लिए न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

IX.16 कागज आधारित भुगतानों के बजाए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किये गये प्रयास जाहिर हैं क्योंकि इनके मूल्य और मात्रा दोनों में भारी वृद्धि हो रही है (चार्ट XI.1)।

IX.17 प्रणाली प्रदाता और प्रणाली सहभागियों के बीच विवादों का समय से समाधान सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत एक विवाद समाधान प्रणाली (डीआरएम) बनायी गयी है। विवादों को निपटाने के लिए अधिकतम 15 कार्य-दिवसों की समय सीमा तय की गयी है।

IX.18 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और इसके पश्चात बनी विनियमावली में नेटिंग तथा निपटान की अंतिमता की प्रक्रिया के लिए एक मजबूत विधिक आधार दिया गया है। इन पहलुओं को और परिवर्धित करने के लिए निपटान और डिफाल्ट हैंडलिंग क्रियाविधि पर निदेश जारी किये गये हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत सभी बहुपक्षीय और आस्थगित निवल निपटान प्रणाली को कवर करते हैं।

नये भुगतान माध्यम


IX.19 कार्ड आधारित भुगतान प्रणालियां क्रेडिट / डेबिट और पूर्वदत्त कार्डों को कवर करती हैं। देश में लगभग 250 मिलियन से अधिक कार्ड (डेबिट, क्रेडिट) जारी किये जाने से स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम), बिक्री केन्द्रों (पीओएस), ई-कामर्स, एम-कामर्स, इंटरएक्टिव रेस्पांस (आइवीआर) आदि जैसे विभिन्न सुपुर्दगी चैनलों में इन कार्डों के प्रयोग में तेजी पाई गई है। इन कार्डों का प्रयोग करते हुए एक माह में औसतन 1000 बिलियन रुपये से अधिक मूल्य के 400 मिलियन लेनदेन किए जा रहे हैं।

IX.20 इन उत्पादों के प्रयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने आदेश दिया है कि

- मेल आर्डर टेलीफोन आर्डर (मोटो) लेन-देनों को छोड़कर सभी कार्ड-रहित लेन-देनों के लिए प्राधिकरण का एक अतिरिक्त कारक शामिल किया जाए। बैंक कार्ड से लेन-देनों (एटीएम और बिक्री केंद्र चैनलों में कार्ड से किए गए लेन-देन) की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की प्रक्रिया में है। कार्ड से किए गए लेन-देनों की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की दी हैं जिनका क्रियान्वयन करने के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है।
- 01 जुलाई 2011 से सभी प्रकार के कार्ड लेन-देनों के लिए ऑन लाइन एलर्ट जारी किये जायें चाहे राशि कोई भी हो / कार्ड का प्रयोग किसी भी चैनल पर किया गया हो।

IX.21 पूर्वदत्त भुगतान लिखतों पर दिशानिर्देश जारी किये जाने के फलस्वरूप, इस खंड की गतिविधियों में भी तेजी आई है। बैंक

चार्ट IX.1: पेपर आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का हिस्सा



और गैर-बैंक वर्तमान में पूर्वदत्त भुगतान प्रणाली खंड में कार्य कर रहे हैं। गैर-बैंक प्रणाली प्रदाताओं को भुगतान क्षेत्र में प्रवेश के लिए इस उत्पाद से लाभ मिल रहा है। पंद्रह गैर-बैंक संस्थाओं को इन उत्पादों को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और अब इसे नवोन्मेषी भुगतान उत्पादों में शामिल कर लिया गया है जो ई-कामर्स और एम-कामर्स जैसे भुगतान चैनलों को लाभ पहुंचा रहा है। सेमी क्लोज्ड एम वालेट को 50,000 रुपये मूल्य तक जारी किया जा सकता है जिससे उसे अन्य सेमी क्लोज्ड पूर्वदत्त लिखतों के बराबर लाया जा सके।

IX.22 पूर्वदत्त लिखतों पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि (i) उपयोगिता बिल / आवश्यक सेवाओं के भुगतान के लिए बनाए गए सेमी क्लोज्ड पूर्वदत्त लिखतों का हवाई / रेल यात्रा के टिकटों को खरीदने में प्रयोग किया जा सके। (ii) कारोबार संपर्कियों के अतिरिक्त एजेन्टों के माध्यम से सेमी क्लोज्ड पूर्वदत्त लिखत जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति दी जा सके। (iii) को-ब्रैंडिड और उपहार पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने की अनुमति दी जा सके। (iv) सरकारी संगठनों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को पूर्वदत्त लिखतें जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति दी जा सके जिससे वे इनको लाभकर्ताओं/ग्राहकों को दे सकें तथा धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत लाभकर्ताओं को प्राप्त विदेशी आवक प्रेषणों के भुगतान के लिए अनुमति दी जा सके।

IX.23 मोबाइल फोन आधारित बैंकिंग, जो भुगतान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, वर्तमान में 38 बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही है। बैंकों को 5,000 रुपये तक के मोबाइल बैंकिंग लेनदेन बिना एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन के करने की भी अनुमति दी गयी है।

IX.24 फेल हुए एटीएम लेन-देनों के समय पर और तेजी से निपटान को सुनिश्चित करने के एक और कदम के रूप में, शिकायतों को निपटाने की समय-सीमा को शिकायत की तिथि से 12 कार्य दिवसों से घटाकर 7 कार्य दिवस कर दिया गया है जो जुलाई 2011 से प्रभावी होगी, ऐसा न करने पर बैंक को दण्ड के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होगा (बशर्ते ग्राहक द्वारा शिकायत लेन-देन के 30 दिन के भीतर की गई हो)।

IX.25 हितधारियों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सलाह दी गई है कि अन्य बैंक के किसी एटीएम पर बचत बैंक खाता धारकों को एक माह में अनुमत पांच मुक्त लेन-देनों में वित्तीय और गैर वित्तीय सभी प्रकार के लेन-देनों को शामिल किया जाए।

भुगतान प्रणाली में अंतर्निर्भरताएं

IX.26 देश का भुगतान और निपटान प्रणाली का ढांचा, प्रणालियों के बीच प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संबंधों एवं सामान्य तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं के प्रयोग के कारण, बड़े पैमाने पर एक दूसरे पर निर्भर होता जा रहा है। परिणामस्वरूप, कई प्रणालियों के निपटान प्रवाह, उनकी परिचालन प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन कार्यविधि एक दूसरे पर अधिकाधिक निर्भर हो गयी है। इस प्रकार, किसी एक प्रणाली का सुचारु रूप से कार्य करना अक्सर अन्य संबंधित प्रणालियों के सुचारु कार्यकलापों पर निर्भर होता है (बॉक्स IX.1)।

भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) की पहले

IX.27 जून 2009 में सीपीएसएस तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन की तकनीकी समिति (आइओएससीओ) का एक संयुक्त कार्यदल बनाया गया जिससे केंद्रीय काउंटर पार्टियों संबंधी सिफारिशों को ओटीसी डेरिवेटिव और ओटीसी डेरिवेटिव बाजार³ में व्यापार निक्षेपागारों के लिए लागू करने हेतु दिशानिर्देश दिया जा सकें। सीपीएसएस ने रिपो समाशोधन और निपटान व्यवस्था तथा लेन-देन के बाद की सेवाओं का अध्ययन करने के लिए जून 2009 में दो अन्य कार्यदलों का गठन किया।

IX.28 पहले कार्यदल ने सितंबर 2010 की अपनी रिपोर्ट⁴ में इस बात का अध्ययन किया कि अस्थिरता को बढ़ाने में रिपो के समाशोधन और निपटान ढांचे की भूमिका कितनी रही, जैसा कि संकट के दौरान कुछ रिपो बाजारों में घटित हुआ। कार्यदल ने यह सुझाव दिया कि रिपो की वर्तमान समाशोधन और निपटान

³ इस कार्यदल की दो रिपोर्टें मई 2010 में परामर्शकारी रिपोर्टों के रूप में जारी की गईं, ये रिपोर्टें हैं: ओटीसी डेरिवेटिव सीपीपी के लिए केंद्रीय काउंटरपार्टी संबंधी 2004 सीपीएसएस - आइओएससीओ सिफारिशों को लागू करने पर दिशानिर्देश और ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में ट्रेड निक्षेपागार पर विचार करना। परामर्शकारी प्रक्रिया के दौरान प्राप्त दोनों रिपोर्टों का फीडबैक एफएमआइ रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

⁴ रिपो समाशोधन और निपटान व्यवस्था को मजबूत करना।

बॉक्स IX.1 भुगतान प्रणाली में अंतर्निर्भरताएं

भुगतान प्रणाली ढांचे में बढ़ रही अंतर्निर्भरता तथा उसके नॉक-ऑन प्रभाव, जो अंतर्संबद्धता और अंतर्निर्भरता के कारण कई प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं, को रेखांकित करते हुए भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस), बीआइएस ने जून 2008 में ‘‘भुगतान और निपटान प्रणाली अंतर्निर्भरता’’ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें सीपीएसएस देशों की प्रणालियों के बीच मौजूद विभिन्न अंतर्निर्भरताओं की पहचान की गयी है; इसमें अंतर्निर्भरताओं के कारण होने वाले जोखिमों का विश्लेषण किया गया है तथा इससे जुड़ी जोखिम प्रबंधन चुनौतियों का मूल्यांकन किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्निर्भरताओं के बहुत अधिक विकास ने एक तरफ जहां विभिन्न लागतों और जोखिमों को कम करके वैश्विक भुगतान और निपटान प्रणाली ढांचे को मजबूत बनाने में मदद की है वहीं दूसरी तरफ व्यवधानों के विभिन्न प्रणालियों और बाजारों में तेजी से चारों ओर फैलने की संभावना भी बढ़ी है। इसने प्रणाली परिचालकों, सहभागियों और सेवा प्रदाताओं के लिए इस बात पर जोर दिया है कि वे भुगतान और निपटान ढांचे के सुरक्षित और कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए अंतर्निर्भरताओं के कारण हुए जोखिमों की प्रभावी तरीके से पहचान करें, उनको समझें और इनका प्रबंधन करें।

भारतीय भुगतान और निपटान प्रणाली ढांचे में अंतर्निर्भरताओं पर एक अध्ययन किया गया है जिसमें इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों और देश के अंदर विभिन्न बाजार खंडों के विकास तथा उनके बीच अंतर्निर्भरताओं को ध्यान में रखा गया है।

इस अध्ययन की कुछ प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं:

- भारतीय भुगतान प्रणाली ढांचे में काफी बड़ी संख्या में भुगतान प्रणालियां हैं जैसे-बड़े मूल्य की भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस), सीसीआइएल परिचालित प्रणालियां (सरकारी प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा, सीबीएलओ), केन्द्रीकृत खुदरा भुगतान प्रणाली जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है जैसे-एनईएफटी, एनईसीएस, एनएफएस-एटीएम और अन्य खुदरा प्रणालियां जैसे- मुंबई में माइकर चेक समाशोधन जो केन्द्रीय बैंक मुद्रा में निपटान करता है। इसके अलावा, समाशोधन निगम जैसे- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (आइसीसीएल) और राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड (एनएससीसीएल) सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) 1 आधार पर आरटीजीएस प्रणाली में कंपनी बांड के लेन-देन के निधि चरण का केन्द्रीय बैंक मुद्रा में निपटान करते हैं। इस प्रकार देश में इन

प्रमुख भुगतान प्रणालियों के लिए निपटान आस्ति के रूप में केन्द्रीय बैंक मुद्रा के प्रयोग ने ऋण और चलनिधि दोनों जोखिमों को कम करने में योगदान किया है।

- केन्द्रीय बैंक मुद्रा में निपटान एक ऐसी प्रमुख विशेषता है जिसके कारण भुगतान प्रणाली आपस में बहुत अधिक एकीकृत और अंतर्निर्भरता का एक संजाल बनती जा रही है, इसके केन्द्र में केन्द्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) है। इसका विभिन्न प्रणालियों के बीच निपटान प्रवाह पर प्रभाव पड़ा है तथा यह सभी भुगतान दायित्वों का केन्द्रीय बैंक मुद्रा में सुगम निपटान निर्धारित करता है। प्रणालियों की अंतर्संबद्धता के कारण ऋण और चलनिधि जोखिम पूरी प्रणाली में बड़ी तेजी से फैल सकते हैं। परंतु, व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना विभिन्न बाजारों जैसे यूएसडी-आइएनआर विदेशी मुद्रा खंड, सीबीएलओ और सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए केन्द्रीय काउंटर पार्टी (सीसीपी) ढांचे के प्रयोग के कारण कम हो गई है।
- इस अध्ययन ने भारतीय भुगतान और निपटान प्रणाली ढांचे में विभिन्न प्रणालियों के बीच चलनिधि और परिचालनगत जोखिमों की उपस्थिति को भी रेखांकित किया है। यह बात विशेष रूप से सीसीआइएल के मामले में लागू होती है। सीसीआइएल जहां विभिन्न बाजार खंडों में चलनिधि आवश्यकताओं को कम करता है और विभिन्न बाजार खंडों में निपटान की गारंटी देता है वहीं यह स्वयं में भारतीय भुगतान और निपटान प्रणाली ढांचे के लिए काउंटर पार्टी जोखिम और परिचालनगत जोखिम के संकेद्रण का सबसे बड़ा स्रोत है।
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में दिये गये साक्ष्यों का प्रयोग करते हुए अध्ययन इस बात को स्वीकार करता है कि संकेद्रण जोखिम ऐसे कुछ सहभागियों के मामले में स्पष्ट रूप से होते हैं जो भारी मात्रा में लेन-देन करते हैं। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि सबसे बड़े पांच सहभागियों में से एक अथवा एक से अधिक सहभागियों के परिचालन में विफलता अथवा व्यवधान के कारण विभिन्न भुगतान प्रणालियों के परिचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- भारतीय भुगतान और निपटान प्रणाली के उच्च स्तरीय एकीकरण और अंतर्संबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रणालीगत जोखिम की पूरी तरह से रोकथाम के लिए भुगतान प्रणाली के प्रत्येक जोखिम प्रबंधन नियम और विनियम को समझा जाए। तदनुसार अध्ययन के निष्कर्ष में रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों को अपनाने की सलाह दी गई है।

व्यवस्था की समीक्षा की जाए ताकि इसमें आवश्यक सुधार किये जा सकें।

IX.29 ट्रेड पश्चात की सेवाओं पर बने दूसरे कार्यदल ने नवंबर 2010 की अपनी रिपोर्ट⁵ में, सीपीएसएस देशों में वर्ष 2000 और

2010 के बीच समाशोधन उद्योग तथा बाजार ढांचे की गतिविधियों और इन गतिविधियों के नवीन जोखिमों पर प्रभाव जिनका केन्द्रीय काउंटर पार्टी की सुदृढ़ता पर प्रभाव पड़ सकता था, विवरण दिया गया।

⁵ ‘समाशोधन उद्योग में बाजार संरचना संबंधी गतिविधियां: वित्तीय स्थिरता के लिए महत्व’।

वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सिद्धांत

IX.30 90 के दशक के उत्तरार्ध में हुए एशियाई संकट के अनुसरण में, सीपीएसएस और आइओएससीओ की तकनीकी समिति ने भुगतान और निपटान प्रणाली ढांचे (भुगतान प्रणाली और प्रतिभूति निपटान प्रणाली दोनों सहित) को मजबूत करने के लिए मानकों के तीन सेट जारी किये। ये हैं: (i) सीपीएसएस ने “प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के लिए मूल सिद्धांत (सीपी)” (2001) तैयार किए; (ii) संयुक्त सीपीएसएस-आइओएससीओ ने “प्रतिभूति निपटान प्रणाली के लिए सिफारिशें (आरएसएसएस)” (2001) कीं; और (iii) संयुक्त सीपीएसएस-आइओएससीओ ने “केन्द्रीय काउंटर पार्टियों के लिए सिफारिशें (आरसीसीपी)” (2004) कीं।

IX.31 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट ने इन मानकों के पुनरावलोकन को आवश्यक बना दिया। तदनुसार, एक संयुक्त सीपीएसएस-आइओएससीओ संचालन समूह बनाया गया ताकि वह मानकों की एक व्यापक सूची बनाए, जिसमें न केवल संकट के सबकों को शामिल किया जाए बल्कि कई देशों में भुगतान और निपटान प्रणाली ढांचे का मूल्यांकन करने और उसे मजबूत बनाने में पिछले दशक में इन मानकों के प्रयोग का अनुभव भी शामिल किया जाए।

IX.32 यह पहल अंतरराष्ट्रीय मानकों की कमियों को पहचानने और उनको दूर करने के माध्यम से वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के प्रयासों का भी समर्थन करती है। इस प्रयोजन से “वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआइ) के सिद्धांत” नामक परामर्शी रिपोर्ट मार्च 2011 में जनसाधारण के विचार जानने के लिए जारी की गयी है।

IX.33 वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर को ‘प्रणाली के परिचालक सहित सहभागी वित्तीय संस्थाओं के बीच बहुपक्षीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है तथा जिसका उपयोग रिकॉर्डिंग, भुगतानों, प्रतिभूतियों, डेरिवेटिव अथवा अन्य वित्तीय लेन-देनों के समाशोधन अथवा निपटान के प्रयोजन के लिए किया जाता है’। वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से सभी सहभागियों के लिए सामान्य नियमों और क्रियाविधि का एक सेट होता है तथा उसमें एक तकनीकी ढांचा और जोखिम प्रबंधन भी होता है।

IX.34 परामर्शी रिपोर्ट के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद मानकों के उक्त तीन सेटों के स्थान पर मानकों का एक एकल सेट लाया जाएगा। ये सिद्धांत (कुल 24) भुगतान और निपटान प्रणाली

के संपूर्ण दायरे को कवर करते हैं तथा इसमें भुगतान प्रणाली, केन्द्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार, प्रतिभूति निपटान प्रणाली, केन्द्रीय काउंटर पार्टी तथा वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक नया वर्ग अर्थात् ट्रेड निक्षेपागार शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी

IX.35 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक ने अपने आइटी ढांचे में सुधार करके, नये अनुप्रयोगों को चालू करके प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषों के अनुरूप भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की सहायता करने तथा बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को और आगे बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे।

IX.36 एक आइटी विजन दस्तावेज 2011-17 जारी किया गया है जिसे एक समिति (अध्यक्ष: डॉ. के. सी. चक्रवर्ती) ने तैयार किया है। समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम), भारतीय बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी), बैंक और रिजर्व बैंक सदस्य हैं। *अन्य बातों के साथ-साथ*, विजन दस्तावेज में आरबीआइ को एक ज्ञान आधारित संगठन के रूप में स्थापित करने और इसके लिए अपनी मानव संसाधन क्षमता के उपयोग हेतु महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में आइटी के प्रयोग की दिशा में बढ़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। वाणिज्य बैंकों के लिए इस विजन में वर्धित कार्य कुशलता हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, छोटे लेन-देनों की लागत कम करना, बेहतर ग्राहक सेवा देना और विनियामकों को बेहतर सूचनाएं प्रदान करना शामिल है (बॉक्स IX.2)।

IX.37 वाणिज्य बैंकों से प्राप्त डेटा / सूचनाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए, रिजर्व बैंक ने बैंकों के कोर बैंकिंग सोल्यूशन अथवा अन्य आइटी प्रणालियों से स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के द्वारा रिजर्व बैंक में डेटा के स्वतः प्रवाह हेतु एक परियोजना शुरू की है। उक्त विषय पर एक दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए बैंकों, रिजर्व बैंक, आइडीआरबीटी और भारतीय बैंक एसोसिएशन (आइबीए) के विशेषज्ञों वाला एक कोर समूह बनाया गया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन विभिन्न बैंकों की प्रौद्योगिकी और प्रोसेस परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए एक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर

IX.38 आरबीआइ को एक ज्ञान आधारित संगठन के रूप में स्थापित करने के विजन ने आंतरिक प्रौद्योगिकीय पुनर्निर्माण को नया जीवन

बॉक्स IX.2

आइटी विज्ञान दस्तावेज: 2011-2017

भारतीय रिजर्व बैंक के आइटी विज्ञान दस्तावेज 2011-2017 को एक उच्चस्तरीय समिति ने तैयार किया है। इसके अध्यक्ष डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर हैं। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि वाले रिजर्व बैंक के और बाहर के विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में रखा गया है।

विज्ञान 2011-2017 का उद्देश्य (i) एंटरप्राइज ज्ञान बढ़ाने, (ii) ग्राहक सेवा में सुधार लाने, (iii) अभिशासन को मजबूत करने, (iv) समग्र कार्यकुशलता को बढ़ाने, और (v) पर्यावरण के अनुकूल प्रणालियां सुनिश्चित करने के लिए आइटी का महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोग करना है।

भावी स्थिति को प्राप्त करने वाले कदमों की इस प्रकार पहचान की गयी है:

- किसी नई परियोजना को विकसित करने के पहले समुचित कारोबार प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग तथा संसाधन आबंटन;
- अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकों का पालन करना;
- सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए कारोबार आसूचना उपकरण का उपयोग करना;
- अपनी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में बैंकों को तथा इसके पश्चात बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रिजर्व बैंक में स्रोत प्रणालियों से डेटा का स्वतः प्रवाह सुनिश्चित करना;

- आइटी अभिशासन में सुधार लाना;
- प्रभावी परियोजना प्रबंधन;
- सुपरिभाषित सूचना नीतियां और सूचना सुरक्षा ढांचा विकसित करना; और
- बेहतर वेंडर प्रबंधन और आउटसोर्सिंग व्यवहार।

वाणिज्यिक बैंकों के लिए एमआइएस, विनियामक रिपोर्टिंग, वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नीति निर्माण, जोखिम कम करने की आवश्यकता, बेहतर ग्राहक संबंध प्रबंधन में विश्लेषण के प्रयोग जैसे क्षेत्रों में आइटी के वर्धित प्रयोग को प्राथमिकता के रूप में रखा गया है।

इस विज्ञान दस्तावेज में समन्वित आइटी वातावरण की दिशा में बढ़ने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गयी है। बैंकिंग क्षेत्र की तकनीकी और प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं को एक सर्वोत्तम केन्द्र के रूप में विकसित करने की चाह के बारे में इस दस्तावेज में उल्लेख किया गया है। यह केन्द्र अनुसंधान और विकास कार्य के लिए प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करेगा।

रिजर्व बैंक का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआइटी) विज्ञान दस्तावेज की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति के समन्वयन और निगरानी के लिए केंद्रीय विभाग होगा।

प्रदान किया है जिसको वर्तमान ढांचागत सपोर्ट को उन्नत करने से संवर्धन मिला है।

IX.39 इंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल (इकिपी): इकिपी के परिवर्धन के लिए बाहरी विशेषज्ञ को लेकर एक अंतर्विभागीय तकनीकी परामर्शदात्री समूह का गठन किया गया है। इंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल प्रभावी आंतरिक संप्रेषण के लिए बैंक की इंटरनेट साइट है।

IX.40 डेटा सेंटर बैंक की महत्वपूर्ण भुगतान और गैर-भुगतान प्रणालियों को चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यहां पर अनुप्रयोगों और डेटा की अबाध उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त आधार (रिडनडेंसी) रखा गया है। वर्ष के दौरान कारोबार निरंतरता की तैयारी की जांच हेतु भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों की जांच के लिए तीन डिजास्टर रिकवरी (डीआर) कवायदें की गईं। गैर भुगतान अनुप्रयोगों के लिए डिजास्टर रिकवरी संबंधी कवायद तिमाही आधार पर की गई है।

IX.41 नेटवर्क: भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट), जो आइडीआरबीटी द्वारा प्रबंधित भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए संचार का आधार है, सभी भुगतान और निपटान अनुप्रयोगों के

एक्सेस के लिए एक सुरक्षित फ्लैटफॉर्म प्रदान करता है। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों ने अधिक विश्वसनीय तथा किफायती मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग (एमपीएलएस) प्रौद्योगिकी को अपनाया है। नेटवर्क उपलब्धता में काफी अधिक सुधार आया है। बैंक धीरे-धीरे एमपीएलएस को अंगीकार कर रहे हैं।

IX.42 आरबीआइ के सभी कार्यालयों में लेन का नवीकरण: बैंक के विभिन्न स्थानों पर 1999 से 2002 के दौरान चरणबद्ध रूप में लोकल एरिया नेटवर्क (लेन) लगाया गया ताकि विभिन्न अनुप्रयोगों को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ताओं को कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के प्रत्येक कार्यालय में लेन प्रणाली को अद्यतन करने का कार्य पूरा हो गया है जिससे वर्तमान और निकट भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इसी समय रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में सिंगल डोमेन को अंगीकार कर लिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

IX.43 रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान, मुद्रा प्रबंधन, ऋण प्रबंधन, बैंक तथा सरकारी खाता प्रबंधन, विनियामक निगरानी, आंतरिक खाता

प्रबंधन, डेटा बेस प्रबंधन और संप्रेषण जैसे प्रयोजनों के लिए बाहरी और आंतरिक प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त बहुत से आइटी अनुप्रयोगों का प्रबंधन करता है।

IX.44 तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस): पाजिटिव इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफर प्रोसेसर (आइएफटीपी) पावती के समापन के लिए पैचेस और पार्टीसिपेंट इंटरफेस (पीआइ) सॉफ्टवेयर में आ रहे संदेशों की बढ़ती संख्या की हैडलिंग के लिए मल्टीथ्रेडिंग को सफलतापूर्वक लगाया गया है। वर्ष के दौरान सहभागी बैंकों ने अपने पीआइ से विंडोज 2008 में अंतरण किया है। वर्तमान आरटीजीएस प्रणाली को अगली पीढ़ी की तत्काल सकल भुगतान (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली में बदलने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा नई कारोबार प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। एनजी-आरटीजीएस प्रणाली में कुछ नई विशेषताएं शामिल करने का प्रस्ताव है जो इस प्रकार हैं- अग्रिम चलनिधि प्रबंधन सुविधा; एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज (एक्सएमएल) आधारित मैसेजिंग प्रणाली जो आइएसओ 20022 मानक के अनुरूप हो; तथा तत्काल सूचना और लेन-देन निगरानी तथा नियंत्रण प्रणाली।

IX.45 लोक ऋण कार्यालय - निगोशिएटिड डीलिंग सिस्टम (पीडीओ-एनडीएस): सरकारी प्रतिभूतियों में कॉल एण्ड पुट ऑप्शन की शुरुआत के लिए तथा समाप्त हो रही बॉट बैंक प्रतिभूतियों, बाजार स्थिरीकरण योजना तथा सामान्य प्रतिभूतियों हेतु बाइ बैंक नीलामी के लिए और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) हेतु सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के विकास के लिए प्रणाली को सपोर्ट प्रदान करने हेतु अनुप्रयोग में समुचित रूप से संशोधन किया गया है।

IX.46 केन्द्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली (सीपीएडीएस): यह एक केन्द्रीकृत वेब आधारित अनुप्रयोग है जिसमें सरकारी लेन-देन करने के लिए पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआइ) आधारित सुरक्षा उपाय कार्यरत है तथा यह अनुप्रयोग डेटा सेंटर से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। वर्ष के दौरान इस अनुप्रयोग की महत्वपूर्ण गतिविधि, लोक लेखा विभाग (पीएडी) बेंगलुरु द्वारा कर्नाटक राज्य के वाणिज्य करों के ई-भुगतानों के संग्रहण के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया जाना है। यह मॉड्यूल सुरक्षित वेबसाइट से कार्य कर रहा है तथा पीएडी बेंगलुरु सहित सभी सहभागी बैंकों को कर्नाटक राज्य के वाणिज्य करों का ई-भुगतान करने के लिए एक्सेस प्रदान किया गया है। इसने टी+0 आधार पर बैंकों के माध्यम से वाणिज्य करों का संग्रहण करने के लिए कर्नाटक की राज्य सरकार को सहूलियत प्रदान की है।

IX.47 समन्वित लेखांकन प्रणाली (आइएएस): बेसिस को आइएएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है तथा यह प्रणाली सभी केंद्रों में शुरू कर दी गई है।

IX.48 कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस): आरबीआइ विशिष्ट कोर बैंकिंग सोल्यूशन विकसित करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है जिसमें पीडीओ, पीएडी और डीएडी जैसे विभागों के कार्यों को शामिल किये जाने की संभावना है।

IX.49 डेटाबेस प्रबंधन: रिजर्व बैंक द्वारा काफी बड़ी मात्रा में सांख्यिकीय डेटा एकत्र, समेकित और प्रसारित किये जाते हैं। डेटा जनरेट करने वाली यह प्रणाली नीति निर्माण की प्रक्रिया, जो बैंक का

बॉक्स IX.3

डेटा प्रसार के माध्यम के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी

भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक, बैंकिंग और वित्तीय सांख्यिकी का समेकन करता आ रहा है जबकि केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय अधिकांश आर्थिक सांख्यिकी तैयार करता है। डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी सोल्यूशन के संभावित प्रयोग को मानते हुए, बैंक ने तदनुसार डेटा कवरेज की गुणवत्ता बढ़ाने और नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान के लिए निरंतर ऐसे नवीनतम सोल्यूशन लगाये हैं।

वर्तमान में स्टैंड एलोन स्प्रेडशीट आधारित प्रणालियों से लेकर कारोबार आसूचना (बीआइ) उपकरणों पर आधारित नवीनतम प्रणालियों तक बहु डोमेन विशिष्ट

सांख्यिकी सूचना प्रणालियों का बैंक में उपयोग किया जा रहा है। बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की गयी है।

इस दृष्टिकोण में सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, जनरलाइजेशन ऑफ डेटा हैडलिंग प्रोसेसेज तथा इंटीग्रेशन ऑफ डेटा एलीमेंट को शामिल किया गया है। अपनाई गई प्रौद्योगिकी जेनरिक स्टेटिस्टिकल बिजनेस प्रोसेसेज (जीएसबीपीएम 4.0, 2009), जैसे डेटा के डिजाइन, संग्रहण, प्रोसेसिंग, विश्लेषण, प्रसारण आदि के संपूर्ण क्षेत्रों में फैली हुई है।

(जारी...)

(समाप्त...)

विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए डेटा संग्रहण और एक्सचेंज प्रोसेस में सुधार को, विशेष रूप से बैंकों में, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली (ओआरएफएस) के प्रयोग द्वारा आसान बनाया गया है, जबकि इस प्रणाली के प्रयोग से पूर्व कागज फार्मेट अथवा अनस्ट्रक्चर्ड एक्सेल फार्मेट में विवरणियां प्रस्तुत की जाती थीं। ओआरएफएस एक विवरणी प्रस्तुत करने वाली एकल विंडो प्रणाली है जिसमें वाणिज्यिक बैंक डेटा की प्रविष्टि करते हैं अथवा वेब आधारित फ्रंट-इंड के माध्यम से ऑनलाइन रिटर्न अपलोड करते हैं। बैंकों द्वारा भेजे गए विवरण पहले एक केन्द्रीय डेटा पूल में पहुंचते हैं जिसके पश्चात उन्हें रिजर्व बैंक में प्रयोक्ता विभागों को भेजा जाता है।

ओआरएफएस जहां डेटा संग्रहण करता है और बैंकों से रिजर्व बैंक को विवरणियों का प्रेषण करता है, वहीं डेटा के आदान-प्रदान के लिए इसमें कोई मानक नहीं शामिल किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा डेटा की रिपोर्टिंग के लिए एक्स्टेंसिबिल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) को अपनाया है। तकनीकी रूप से, एक्सबीआरएल वित्त और लेखांकन में एक्सएमएल का एक विस्तार है और यह एक्सएमएल की सुविधाओं का पूरा लाभ उठाता है।

हाल में बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) अथवा वाणिज्यिक बैंकों की दूसरी आइटी प्रणालियों से रिजर्व बैंक को स्वतः डेटा प्रवाह (एक स्ट्रेट थ्रू प्रक्रिया) पर एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया। इसके अनुसार पहले चरण में बैंकों को अपने लेन-देन सर्वर से अपने प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) सर्वर में डेटा के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित करना है और इसके पश्चात बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एमआइएस सर्वर से सभी विवरणियां स्वतः तैयार होंगी। दूसरे चरण में रिजर्व बैंक एक स्ट्रेट थ्रू प्रक्रिया के जरिए बैंकों के एमआइएस सर्वर से डेटा के प्रवाह के लिए एक प्रणाली की शुरुआत करेगा।

समय के साथ-साथ रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के दायरे को बढ़ाया गया है और डेटा को जारी करने के तरीके को बदलकर प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किया

गया है। सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसारण में सुधार के लिए बैंक विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी सोल्यूशनों का प्रयोग कर रहा है और उनमें से मुख्य बैंक का डेटा वेयरहाउस फ्लेटफार्म है।

डेटा अब बैंक के डेटा वेयरहाउस, जिसे बैंक ने दिसंबर 2002 में अपने आंतरिक प्रयोग के लिए बनाया, के माध्यम से डाउनलोड करने योग्य तथा पुनर्प्रयोग करने योग्य फार्मेट में उपलब्ध कराये जाते हैं। रिजर्व बैंक के बाहर के अनुसंधानकर्ताओं, विश्लेषकों और ऐसे डेटा के अन्य प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए, बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) में एक लिंक, जिसे डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, के माध्यम से इंटरनेट पर जनता को डेटा वेयरहाउस के प्रकाशन योग्य हिस्से तक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। इस प्रयास का सामान्य रूप से शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं और सामान्य जनता द्वारा स्वागत किया गया है।

डेटा संग्रहण प्रक्रिया को ईटीएल (एक्स्ट्रैक्ट ट्रांसफार्म एंड लोड) टूल का प्रयोग करके स्वचालित बनाया जा रहा है। यह टूल पूर्व परिभाषित डेटा लोड स्ट्रेटेजी के अनुसार वृद्धिशील आधार पर डेटा वेयरहाउस को अद्यतन करता है जिसमें स्रोत प्रणाली में डेटा परिवर्तनों पर आधारित पुश / पुल प्रौद्योगिकी शामिल है। ईटीएल उपकरण डेटा क्लिनिंग का कार्य करता है तथा विभिन्न स्रोतों से संबंधित डेटा को एकीकृत करने के लिए डेटा का रूपांतरण करता है जिसके परिणामस्वरूप डेटा वेयर हाउस में डेटा अद्यतन रहते हैं।

पहली बार “भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी संबंधी हैडबुक” को आरबीआइ डेटा वेयरहाउस से सीधे तौर पर जनरेट करके छपा गया है तथा इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है जिससे आंकड़े लगभग रिएल टाइम आधार पर प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा, “भारत में बैंकों से संबंधित मूल सांख्यिकी सारणियां” का प्रकाशन भी सीधे डेटा वेयरहाउस से किया गया है तथा और अधिक प्रकाशनों को इस फ्लेटफॉर्म में जोड़ने की योजना है।

मूल कार्य है, का संवर्धन करती है। डेटा प्रबंधन और प्रसारण की प्रक्रिया की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा उन्नत आइटी अनुप्रयोगों का प्रयोग किया गया है (बॉक्स IX.3)।

नीति संबंधी उपाय

IX.50 एक ही स्थान पर सभी आइटी प्रणालियों को केंद्रीकृत करने संबंधी परिवर्तित नीति और आइटी उद्योग में परिवर्तन की पृष्ठभूमि में 2005 में जारी सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा प्रक्रिया शुरू की गयी है। एक अंतर्विभागीय समिति बनायी गई है जिसका अध्यक्ष एक बाहरी विशेषज्ञ है।

IX.51 आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतरता हमेशा एक प्राथमिकता रही है। लेकिन ऐसी सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रणाली और अनुप्रयोगों पर आधारित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने से कारोबार निरंतरता की तैयारी ने बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया है। इस मामले में बैंक के सभी कार्यों के लिए कारोबार निरंतरता तथा डिजास्टर रिकवरी योजना दस्तावेज बनाया गया है। डीआइटी को यह दस्तावेज तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, इसमें कारोबार स्वामित्व वाले विभागों की समुचित सामग्री शामिल की जाएगी।

रिजर्व बैंक को विविध प्रकार के ऐसे कार्यों को संपन्न करने का दायित्व सौंपा गया है जिनका दायरा मौद्रिक नीति से लेकर वित्तीय बाजारों में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण तक फैला हुआ है। इन बहुआयामी कार्यों के सफलतापूर्वक संपादन हेतु अभिशासन, मानव संसाधन विकास तथा संगठनात्मक प्रबंधन अति महत्वपूर्ण हैं। रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में स्टाफ की नियुक्ति, स्टाफ के प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा की योजनाओं एवं स्टाफ द्वारा प्रोफेशनल योग्यता हासिल करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा पारदर्शिता एवं अभिशासन में सुधार तथा ज्ञान के संवर्धन हेतु कई उपाय किये। अधिकाधिक तालमेल बिठाने के लिए रिजर्व बैंक के कुछ विभागों का पुनर्गठन किया गया। कारपोरेट के सामाजिक दायित्व के एक अंग के रूप में बैंक ने हरित संवर्धन हेतु अनेक उपाय किये।

बेहतर अभिशासन के उपाय

X.1 भारतीय रिजर्व बैंक हाल के वर्षों में अपने कानूनी ढांचे के अंतर्गत अपने अभिशासन में निरंतर सुधार करता रहा है (बॉक्स X.1)। कई अन्य केन्द्रीय बैंकों की तुलना में स्वयं के अधिदेश अधिक व्यापक होने के चलते अर्थव्यवस्था की जटिलताओं में निरंतर हो रही वृद्धि को देखते हुए अभिशासन पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार मुद्रा जारी करना तथा मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं। परंतु अधिनियम ने रिजर्व बैंक को कई अन्य कार्य भी सौंपे हैं जैसे कि गैर-बैंक वित्तीय मध्यवर्तियों और वित्तीय संस्थाओं का विनियमन, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, सरकारी ऋण का-केन्द्रीय सरकार के संबंध में विधि के निर्धारण द्वारा एवं राज्य सरकारों के संबंध में करार के माध्यम से - प्रबंधन, विदेशी मुद्रा, मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूतियों के बाजारों एवं उनके डेरिवेटिव्स का विनियमन। अन्य विभिन्न विधियों ने रिजर्व बैंक पर भुगतान तथा निपटान प्रणालियों की निगरानी का दायित्व सौंपा है तथा ये रिजर्व बैंक के विनियामक एवं पर्यवेक्षी कार्यकलापों में मदद करते हैं।

X.2 रिजर्व बैंक ने अपने विविध कार्यों के संबंध में बहु-स्तरीय अभिशासन का ढांचा बनाया है जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया को सहज रूप में पूरा करने में मदद करता है। रिजर्व बैंक ने निर्णय लेने वाले सदस्यों तथा परामर्शी निकायों को विश्वसनीय जानकारी शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने अपने निर्णयों अथवा अपनी परामर्शी व्यवस्थाओं द्वारा की गयी सिफारिशों के बेहतर संप्रेषण हेतु कदम उठाए हैं (पैराग्राफ X.18 से X.27 तक)।

केन्द्रीय बोर्ड तथा उसकी समिति की बैठकें

X.3 वर्ष 2010-11 (जुलाई-जून) के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात नियमित बैठकें आयोजित की गयीं। इनमें से बजट के बाद आयोजित की गयी बैठक, जिसमें माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने भाग लिया, सहित चार बैठकें पारंपरिक महानगरीय केन्द्रों में आयोजित की गयीं। दो बैठकें गैर-पारंपरिक केन्द्रों में तथा एक बैठक अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित की गयी जहां मई 2011 में बैंक का एक नया कार्यालय खोला गया।

X.4 वर्ष के दौरान मुंबई में केन्द्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी) की छियालीस साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गयीं। केन्द्रीय बोर्ड की समिति ने निर्गम तथा बैंकिंग विभागों के साप्ताहिक लेखाओं को अनुमोदित करने सहित बैंक के चालू कार्यों को संपन्न किया।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्डों के निदेशकों/सदस्यों में 1 जुलाई 2010 से बदलाव

X.5 श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर 9 नवंबर 2010 को कारोबार की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हुईं। उन्हें मुंबई स्थित उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र (सीएएफआरएएल) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

X.6 श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर 20 जून 2011 के पूर्वाह्न से सेवानिवृत्त हुईं। उन्हें 21 सितंबर 2004 को उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।

X.7 श्री आनंद सिन्हा ने 19 जनवरी 2011 से उप गवर्नर का पदभार संभाला। .

बॉक्स X.1
भारतीय रिजर्व बैंक में अभिशासन का ढांचा

जहां विभिन्न केंद्रीय बैंकों के बीच बोर्ड के कार्यों में भारी भिन्नताएं हैं (लेबेक एंड मोरिस, 2004), वहीं केंद्रीय बैंक अभिशासन संबंधी मुद्दों पर काफी ध्यान दे रहे हैं (बीआइएस, 2009; बीआइएस, 2010)। केंद्रीय बैंक अभिशासन का संबंध उन तरीकों से है जिनसे सरकारें केंद्रीय बैंकों के लिए कतिपय लक्ष्यों का निर्धारण करती हैं और केंद्रीय बैंक अपने संस्थागत प्रबंधनों के जरिए उनको पूरा करते हैं। यह बोर्डों, प्रबंधनों और अन्य निर्णय लेने वाले निकायों पर है कि वे केंद्रीय बैंकों को सौंपे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कार्य करते हैं। जैसा कि कारपोरेट गवर्नेंस के मामले में होता है, इसमें भी संविदागत और कानूनी प्रबंध और प्रबंधकीय प्रथाएं शामिल हैं।

कारपोरेट अभिशासन और केंद्रीय बैंक अभिशासन में बुनियादी अंतर होता है। कारपोरेट फर्मों के मामले में अभिशासन को बेहतर तरीके से उन उपायों के रूप में समझा जा सकता है जिनसे कारपोरेशन में वित्त लगाने वाले अपने निवेश पर प्रतिफल सुनिश्चित करते हैं। तथापि, केंद्रीय बैंक अभिशासन का लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं होता, क्योंकि केंद्रीय बैंक ऐसी सेवाएं देते हैं जो सार्वजनिक हित से जुड़ी होती हैं। इसका संबंध कानूनी आधारों, प्रथाओं, अपने अधिदेश के संबंध में अभिशासन और जवाबदेही से है।

जहां कई केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक संकट के बाद ही मौद्रिक नीति के अलावा अन्य कार्य करने के लिए अपने अधिदेश को व्यापक बनाया वहीं रिजर्व बैंक वर्षों से अपने व्यापक अधिदेश के अंतर्गत पूर्णतः सेवा प्रदान करने वाला केंद्रीय बैंक रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और गैर- बैंक वित्तीय कंपनियों, भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियामक और पर्यवेक्षक तथा मुद्रा, विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और क्रेडिट बाजारों का विनियामक है, साथ ही वह अंतिम उधारदाता भी है। रिजर्व बैंक को अपना अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और अन्य विशिष्ट कानूनों से प्राप्त होता है। अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक अपनी कार्य-प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहा है और वैश्विक और घरेलू स्थितियों के अनुसार प्रणालियों, प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन-तंत्र संबंधी अभिशासन के स्तरों को बेहतर करने में लगा हुआ है। जो बात रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों से अलग करती है वह अर्थव्यवस्था में इसकी विकासात्मक भूमिका है, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सुविधा से वंचित समाज के लोगों की जरूरतों के प्रति ध्यान देने तथा उन्हें पूरा करने के संबंध में।

अभिशासन का ढांचा

केंद्रीय निदेशक मंडल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक के अभिशासन का कार्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशक-मंडल को सौंपा गया है। केंद्रीय बोर्ड आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा करता है और बैंक के कार्यों के संबंध में समग्र निर्देश देता है। रिजर्व बैंक के कार्यों के सुचारु रूप से संपादन में केंद्रीय बोर्ड की विभिन्न समितियां तथा उप समितियां सहायता करती हैं।

समितियां

केंद्रीय बोर्ड की समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधि एवं निदेशकों का संतुलित प्रतिनिधित्व होता है। निर्गम तथा बैंकिंग विभागों से संबंधित रिजर्व बैंक के साप्ताहिक लेखाओं का अनुमोदन करने सहित बैंक के चालू कार्यों के निष्पादन एवं विभिन्न नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करने हेतु इस समिति की बैठक प्रति सप्ताह आयोजित की जाती है।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस), जो केंद्रीय बोर्ड की एक समिति है, वित्तीय क्षेत्र के समेकित पर्यवेक्षण का कार्य करता है जिसमें वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्थाएं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं।

भुगतान तथा निपटान प्रणाली बोर्ड (बीपीएसएस) भी केंद्रीय बोर्ड की एक समिति है जो भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के साथ-साथ इनके सुचारु परिचालन को सुनिश्चित करता है। बीपीएसएस के पास विद्यमान तथा भविष्य की प्रणालियों के संबंध में मानक निर्धारित करने, भुगतान तथा निपटान प्रणालियों को प्राधिकृत करने तथा इन प्रणालियों की सदस्यता संबंधी मानदंड निर्धारित करने का भी अधिकार है जिनमें सदस्यता को जारी रखना, उसे समाप्त करना एवं सदस्यता को अस्वीकृत करना शामिल है।

उप-समितियां

निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा उप समिति केंद्रीय कार्यालय विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबंध और प्रणाली लेखा-परीक्षा निरीक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनुपालन संबंधी जांच करती है तथा कार्यपालक प्रबंधन को फीडबैक देती है। मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति बैंक में मानव संसाधनों की आयोजना की समीक्षा एवं पदों के सृजन/उन्नयन हेतु आवश्यक अनुमोदन प्रदान करती है। भवन उप-समिति रिजर्व बैंक को स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण, कार्यालय तथा आवासीय भवनों के नवीकरण सहित विभिन्न विषयों पर परामर्श देती है। भवन उप-समिति वर्ष के दौरान पूंजीगत बजटों के उपयोग की समीक्षा भी करती है।

स्थानीय बोर्ड

चार स्थानीय बोर्ड, जिनमें देश के चारों क्षेत्रों की स्थानीय सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय बैंकों के भौगोलिक एवं आर्थिक हितों का यथासंभव प्रतिनिधित्व होता है, आर्थिक हितों से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में केंद्रीय बोर्ड को परामर्श देते हैं।

मौद्रिक नीति के संबंध में तकनीकी परामर्शदात्री समिति

मौद्रिक नीति संबंधी तकनीकी परामर्शदात्री समिति का गठन जुलाई 2005 में किया गया था। यह समिति मौद्रिक नीति के रूझान तथा आगामी नीतिगत समीक्षा में किये जाने वाले मौद्रिक उपायों के बारे में रिजर्व बैंक को सलाह देती है। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उपाध्यक्ष के रूप में मौद्रिक नीति संबंधी विषय के प्रभारी उप गवर्नर एवं सदस्य के रूप में अन्य तीन उप गवर्नर होते हैं। इनके अलावा समिति में पांच बाहरी सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। तकनीकी

(जारी...)

(... समाप्त)

परामर्शदात्री समिति की भूमिका परामर्शी स्वरूप की होती है तथा निर्णय से संबंधित दायित्व, उत्तरदायित्व तथा समय-सीमा के निर्धारण का संपूर्ण दायित्व रिजर्व बैंक का होता है। तकनीकी परामर्शदात्री समिति की बैठकों के कार्यवृत्त रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर कुछ समय-अंतराल के बाद डाले जाते हैं।

अन्य वरिष्ठ प्रबंधन समूह/ समिति

गवर्नर की अध्यक्षता में एक शीर्ष प्रबंधन समूह (टीएमजी) का गठन किया गया है। इसमें उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक तथा रिजर्व बैंक के चुनिंदा विभागाध्यक्ष भाग लेते हैं। समूह की बैठक महीने में एक बार आयोजित की जाती है जिसमें प्रमुख विषयों पर चर्चा के साथ-साथ अल्पावधि एवं मध्यावधि के भावी कार्यों के संबंध में रणनीति तैयार की जाती है। उप गवर्नरों की समिति की बैठक नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाती है जिसमें समिति को संदर्भित किए गए विभिन्न नीतिगत विषयों पर चर्चा करके निर्णय लिए जाते हैं। केंद्रीय बोर्ड की बैठकों के दौरान आयोजित की जानेवाली अन्य संबंधित बैठकों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के दौरों के दौरान आयोजित बैठकों की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं।

अभिशासन में सुधार करना

रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाला केंद्रीय बैंक नहीं है तथा सरकार एवं रिजर्व बैंक के बीच किसी प्रकार का समझौता ज्ञापन अथवा 'परिणाम संबंधी करार' नहीं है। इसके बावजूद रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ दो-तरफा विचार-विमर्श की प्रक्रिया के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। बैंक ने अभिशासन में सुधार करने हेतु कई कदम उठाए हैं जिनमें नीति का निर्माण करते समय व्यापक परामर्श करना एवं गहन नीतिगत विचार-विमर्श के लिए अपने रुझान, कार्य, प्रत्याशित परिणामों, नीतिगत सफलताओं एवं विफलताओं का विभिन्न माध्यमों से संप्रेषण

करना शामिल है (सुब्बाराव, 2011)। इससे औपचारिक व्यवस्था के न होने के बावजूद स्वतंत्रता एवं जवाबदेही में सुधार हुआ है। रिजर्व बैंक ने पारदर्शिता, समयबद्धता तथा विश्वसनीयता में बेहतरी के उद्देश्य से संचार संबंधी नीति का व्यापक उपयोग किया है। रिजर्व बैंक अपना संप्रेषण कई उपायों से करता है जिनमें वेबसाइट, प्रकाशन, प्रेस प्रकाशनी, पत्रकार सम्मेलन, पत्रिकाएं, मौद्रिक नीति वक्तव्य, गवर्नर/ उप गवर्नरों के भाषण, दैनिक/साप्ताहिक सूचनाएं एवं मीडिया के साथ साक्षात्कार शामिल हैं। रिजर्व बैंक पारदर्शिता संबंधी अपने संकल्प एवं जनसाधारण और हितधारकों के प्रति दायित्व को इन सार्वजनिक उपायों से दोहराता है और इस प्रकार जवाबदेही के स्तर को बढ़ाता है।

संदर्भ:

बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2009), इश्यूज इन दि गवर्नेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स, ए रिपोर्ट फ्रॉम दि सेंट्रल बैंक गवर्नेंस ग्रूप, बीआइएस कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट, बासेल, मार्च।

बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2010), "दि फ्यूचर ऑफ सेंट्रल बैंकिंग अंडर पोस्ट क्राइसिस मैन्डेट्स", बीआइएस पेपर नं. 55, नौवां बीआइएस वार्षिक सम्मेलन, मौद्रिक और आर्थिक विभाग, बीआइएस, बासेल, जून।

लीबेक, टोनी और जॉन मॉरिस (2004), "सेंट्रल बैंक गवर्नेंस इश्यूज: ए सर्वे ऑफ बोर्ड्स ऐंड मैनेजमेंट", अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्किंग पेपर, डबल्यू पी /4/ 226।

सुब्बाराव, डी (2011), "सेंट्रल बैंक गवर्नेंस इश्यूज: सम आरबीआइ पर्सपेक्टिव्स" 09 मई 2011 को बासेल में केंद्रीय बैंक अभिशासन समूह की बैठक में दिया गया भाषण।

X.8 श्री आर.गोपालन, सचिव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 15 फरवरी 2011 से बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया गया। श्री गोपालन का नामांकन श्री अशोक चावला, जो 31 जनवरी 2011 को कारोबार की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हुए, के स्थान पर किया गया है।

X.9 श्री हारुन रशीद खान ने 4 जुलाई 2011 से बैंक के उप गवर्नर का कार्यभार ग्रहण किया।

X.10 श्री कमल किशोर गुप्ता, सनदी लेखाकार तथा श्री मिहिर कुमार मित्र को स्थानीय बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) के सदस्य के रूप में क्रमशः 26 अगस्त 2010 तथा 24 सितंबर 2010 से नियुक्त किया गया।

X.11 मोहम्मद सोहराब को स्थानीय बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) में 28 दिसंबर 2010 से सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

पश्चिम बंगाल की विधान सभा का सदस्य बन जाने के कारण 13 मई 2011 को उनका त्यागपत्र स्वीकार किया गया।

कार्यपालकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

X.12 श्री सी. कृष्णन, कार्यपालक निदेशक 28 फरवरी 2011 को कारोबार की समाप्ति से बैंक की सेवा से निवृत्त हुए।

X.13 श्री एस. करुप्पसामी तथा श्री आर. गांधी को क्रमशः 02 फरवरी 2011 तथा 01 मार्च 2011 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री पी. विजय भास्कर तथा श्री बी. महापात्र को 13 जून 2011 को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री जी. पद्मनाभन को 4 जुलाई 2011 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

पुरस्कार

X.14 केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री अजीम प्रेमजी तथा केंद्रीय बोर्ड के भूतपूर्व सरकारी निदेशक श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया तथा डॉ. विजय केलकर को गणतंत्र दिवस, 2011 पर क्रमशः व्यापार तथा उद्योग एवं सार्वजनिक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

शोक समाचार

X.15 केंद्रीय बोर्ड के निदेशक प्रोफेसर सुरेश डी. तेंडुलकर (72) का निधन पुणे में 21 जून 2011 को हुआ। प्रोफेसर तेंडुलकर एक विशिष्ट विद्वान थे तथा आर्थिक सिद्धांतों को लागू करने की उनकी क्षमता तथा गरीबी एवं असमानता से जुड़ी वास्तविक समस्याओं पर उनकी अंतर्दृष्टि के लिए शिक्षाविदों एवं समाज में उनको अति सम्मान के साथ देखा जाता था। गरीबी से जुड़े विषयों पर व्यापक कार्य करने हेतु उनकी ख्याति है तथा उन्होंने उदारीकरण एवं वैश्वीकरण सहित भारतीय विकास संबंधी मुद्दों तथा नीतियों पर व्यापक तौर पर लिखा है। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। केंद्रीय बोर्ड में उनकी नियुक्ति 27 जून 2006 को की गयी थी। प्रोफेसर तेंडुलकर पूर्वी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य तथा बैंक की मानव संसाधन उप समिति के सदस्य थे।

X.16 रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की निदेशक श्रीमती शशि राजगोपालन (60) का 5 अगस्त 2011 को हैदराबाद में निधन हो गया। उन्हें 27 जून 2006 को केंद्रीय बोर्ड में नामित किया गया था और वे वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की सदस्य थीं। वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के नामित सदस्य के रूप में भी कार्यरत थीं एवं उस बोर्ड द्वारा गठित लेखा-परीक्षा समिति की अध्यक्ष थीं। श्रीमती राजगोपालन ने ग्रामीण महिलाओं के बीच ऋण सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया। वे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाये गये सहकारी कानूनों की समीक्षा करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सदस्य थीं। कई सिविल सोसायटी संगठनों के साथ वे दीर्घकाल तक जुड़ी रहीं। वे देश के वाटरशेड डेवलपमेंट क्षेत्र से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थीं। वे केंद्रीय बोर्ड की उप समिति की सदस्य थीं जो 'माइक्रो फाइनेंस संस्था क्षेत्र की समस्याओं' का अध्ययन करती हैं।

विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन

X.17 वर्ष के दौरान सत्रह देशों के 38 प्रतिनिधि-मंडलों ने बैंक का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडलों ने गवर्नर तथा अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। इस दौरान व्यापक विषयों पर चर्चा हुई जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य तथा नीतियां, मौद्रिक नीति की विशेषताएं, बैंकिंग पर्यवेक्षण, आर्थिक नीति, व्यापार तथा द्विपक्षीय संबंध शामिल हैं।

X.18 2010-11 के दौरान कई अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने बैंक का दौरा किया जिनमें अन्यो के साथ-साथ यूके के चांसलर ऑफ एक्स्चेकर माननीय जार्ज ओस्बोर्न, अमरीका के वाणिज्य सचिव गैरी लॉक, अमरीका के बैंकिंग, आवास तथा शहरी कार्य समिति के अध्यक्ष सिनेटर क्रिस्टोफर जे. डोड, लंदन शहर के लार्ड मेयर ऐल्डरमैन निक ऐन्स्टी, यूके के व्यापार और निवेश राज्य मंत्री लार्ड स्टिफेन ग्रीन, इजराइल के वित्त मंत्री महामहिम डॉ. यूवल स्टेनिट्ज, बैंक ऑफ इजराइल के गवर्नर प्रोफेसर स्टेनली फिशर, बैंक ऑफ मारीशस के गवर्नर श्री रणदीरसिंग भीनिक और विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ. नोजी ओकोन्जो-इवेले शामिल हैं (अनुबंध II)। इन उच्चस्तरीय दौरों ने विचारों के आदान-प्रदान में मदद करने के साथ-साथ इस बात को भी रेखांकित किया कि विश्व समुदाय भारत की आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र संबंधी नीतियों को समझने के लिए कितना इच्छुक है और इसने वैश्विक संकट का सामना करने में देश की मदद की।

बेहतर संप्रेषण हेतु किये गये प्रयास

X.19 रिजर्व बैंक पारदर्शी संप्रेषण नीति का पालन करने का प्रयास करता रहा है तथा उसने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसके प्रकाशनों के आकार संक्षिप्त हुए हैं और इनके संदेश स्पष्ट हुए हैं। रिजर्व बैंक के प्रकाशनों में दो सांविधिक प्रकाशन-वार्षिक रिपोर्ट तथा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट - तथा अन्य प्रकाशन जैसे मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट, मौद्रिक नीति एवं समष्टि आर्थिक तथा मौद्रिक गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट शामिल हैं। इन प्रकाशनों के साथ एक संक्षिप्त प्रेस प्रकाशनी जारी की जाती है तथा इन प्रकाशनों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है एवं इनके संबंध में अनुसंधानकर्ताओं, विश्लेषकों एवं मीडिया द्वारा टिप्पणी की जाती है।

मौद्रिक नीति का संप्रेषण

X.20 मौद्रिक नीति के संप्रेषण में और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 2010-11 के दौरान तीन नयी पहलें कीं। पहली, बैंक ने वार्षिक, मध्यावधि तथा दोनों तिमाही नीतियों की घोषणाओं के बाद अनुसंधानकर्ताओं तथा विश्लेषकों के साथ टेलीकॉन्फरेंसिंग की व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था ने उन्हें नीति के औचित्य के बारे में प्राथमिक जानकारी सीधे नीति निर्माताओं से प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। दूसरी, अप्रैल 2011 से रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए गवर्नर के वक्तव्य के सीधे प्रसारण की शुरुआत की जिसने बाजार द्वारा नीति का विश्लेषण शुरू किये जाने से पूर्व ही रिजर्व बैंक का नीति संबंधी रुझान सीधे गवर्नर से पब्लिक डॉमेन में लाने में मदद की। तीसरी, इसने सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार मौद्रिक नीति संबंधी तकनीकी परामर्शदात्री समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों को कुछ समय के अंतराल के बाद सार्वजनिक करने की प्रक्रिया की शुरुआत की।

बेहतर समझ के लिए हितधारकों के साथ चर्चाओं को बढ़ावा देना

X.21 अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में रिजर्व बैंक अपने अनुसंधानमूलक प्रकाशनों, मौद्रिक नीति संबंधी प्रकाशनों, मौद्रिक नीति की घोषणा से पहले रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षणों, विनियामक विषयों एवं वित्तीय समावेशन जैसे विकासात्मक उपायों पर सेमिनार आयोजित करता रहा है। इन सेमिनारों ने विभिन्न हितधारकों के साथ आपसी चर्चा करने एवं समझ बढ़ाने में मदद की। केंद्रीय बैंकिंग के बारे में लिखने वाले संवाददाताओं के लिए केंद्रीय बैंकिंग के कार्यकलाप संबंधी विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं जिन्होंने मीडिया एवं केंद्रीय बैंक के बीच समझ बढ़ाने में मदद की। लोगों को रिजर्व बैंक के कार्यों तथा कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देने के लिए वित्तीय शिक्षा संबंधी सत्र भी आयोजित किये गये।

X.22 वित्तीय शिक्षा संबंधी प्रयासों के एक अंग के रूप में छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों तथा युवा उद्यमियों के लिए रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालयों का नियमित शैक्षिक दौरा आयोजित किया जाता है। इसमें भाग लेने वालों को रिजर्व बैंक के इतिहास की एक झलक प्राप्त करने के लिए मौद्रिक संग्रहालय देखने एवं चेक समाशोधन प्रक्रिया को समझने के लिए राष्ट्रीय समाशोधन केंद्र में जाने का अवसर मिलता है। रिजर्व बैंक के कार्यपालकों के साथ आपसी चर्चा भी इसका एक भाग है।

2008 से अब तक 150 से भी अधिक शैक्षिक दौरों का आयोजन किया जा चुका है।

आउटरीच कार्यक्रम

X.23 पिछले वर्ष प्लैटिनम जयंती वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने 'आउटरीच' कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें बैंकिंग तथा केंद्रीय बैंकिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बैंक प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों ने देश के दूर-दराज के गांवों की यात्रा की। इस कार्यक्रम ने रिजर्व बैंक को सीखने का अति बेहतर अवसर दिया और बैंक ने 2010-11 के दौरान भी आउटरीच कार्यक्रम को नियमित कार्य के रूप में जारी रखने का निर्णय लिया है।

X.24 रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक को आम आदमी के और करीब लाने के एक प्रयास के रूप में प्रतिवर्ष एक टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। 2010 का यह कार्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित किया गया जिसमें प्रमुख दर्शक के रूप में छात्र-वर्ग उपस्थित था। एक समाचार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें मिंट रोड माइलस्टोन - रिजर्व बैंक की प्लैटिनम जयंती प्रकाशन से संबंधित रिजर्व बैंक के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टें तथा फोटोग्राफों को प्रदर्शित किया गया। दिसंबर 2010 में कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया जिसके बाद इसे दस अन्य केंद्रों में, विशेष रूप से दूसरे स्तर के तथा दूर-दराज के शहरों में, आयोजित करने का कार्यक्रम है।

X.25 रिजर्व बैंक ने जनसाधारण के साथ संपर्क करने के लिए अपनी वेबसाइट का व्यापक उपयोग करना जारी रखा। इस साइट में आज की तारीख में 53,000 पंजीकृत यूजर हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की वेबसाइट के आकार में भी भारी वृद्धि हुई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

X.26 पारदर्शिता के अपने लक्ष्य एवं सांविधिक दायित्व के एक अंग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता रहा है। केंद्रीय कार्यालय के विभागाध्यक्षों एवं 15 बैंकिंग लोकपालों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। कार्यपालक निदेशक (श्री वी.एस.दास) को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के निदेशों के अनुपालन हेतु प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

X.27 सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या 2008-09 (जुलाई-जून) के 3,333 से बढ़कर 2009-10 में 4,350 और आगे 2010-11 में 5,087 हो गई। 2010-11 (जुलाई-जून) के दौरान प्राप्त 97 प्रतिशत अनुरोधों का जवाब दे दिया गया।

X.28 बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपने सभी रिकार्डों को डिजिटल रूप में रखने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। मुख्य सूचना आयुक्त के निदेशों के अनुपालन हेतु रिजर्व बैंक ने सूचनाओं की निदर्शनात्मक नकारात्मक सूची/श्रेणी तैयार की है जिनके बारे में रिजर्व बैंक का विचार है कि इनपर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रकटीकरण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते। इस सूची का अनुमोदन केंद्रीय बोर्ड की समिति ने कर दिया है और इसे बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

मानव संसाधन विकास संबंधी

उपाय

प्रशिक्षण/ प्रतिनियुक्ति/ उच्चतर अध्ययन/ दूरस्थ शिक्षा

X.29 रिजर्व बैंक ने मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने स्टाफ सदस्यों के कौशल के संवर्धन हेतु अवसर उपलब्ध कराना जारी रखा। रिजर्व बैंक के दो प्रशिक्षण संस्थान-अर्थात् रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै तथा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग उद्योग के अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके मानव संसाधन विकास के लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। ये संस्थान कौशल के संवर्धन हेतु लगातार कोशिश करते रहे हैं। साथ ही ये प्रशिक्षण देने की पद्धति को आधुनिक बनाने के

साथ-साथ केंद्रीय बैंकों की उभरती चुनौतियों तथा बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विषयों को नया रूप देते रहे हैं। रिजर्व बैंक के चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों का मुख्य फोकस अपने तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ-सदस्यों की प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने पर है (सारणी X.1)।

आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों का पुनर्गठन

X.30 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना 1963 में चार महानगरीय केंद्रों में की गई थी। इसका उद्देश्य बैंकों के कामगार कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करना था। इन प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता तथा भौतिक संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था जबकि प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रशिक्षण आवश्यकताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अतः आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों को अधिकारियों के कार्यात्मक तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी दोनों ही प्रकार के कौशल के संवर्धन के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसके साथ-साथ वे कामगार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना भी जारी रखेंगे।

बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण

X.31 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक ने अपने 1,090 अधिकारियों को बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भारत के प्रबंधन / बैंकिंग संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों तथा सम्मेलनों में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया। वर्ष के दौरान तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कुछ कर्मचारियों को भी भारत में बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के 166 कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के 295 कर्मचारियों को बैंक के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया। रिजर्व बैंक ने 34 से भी अधिक देशों के बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों एवं बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों तथा

सारणी X.1: रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थान - चलाये गये कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2008-09(जुलाई-जून)		2009-10(जुलाई-जून)		2010-11 (जुलाई-जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै	149	3,015	143	2,960	147	2,904*
सीएबी, पुणे	161	4,867	160	4,885	162	4,951@
जेडटीसी (श्रेणी I)	17	370	47	1,066	57	1,140
जेडटीसी (श्रेणी III)	150	2,602	112	1,826	87	1,310
जेडटीसी (श्रेणी IV)	64	1,329	63	1,214	70	1,422

* : 19 समवर्ती लेखा परीक्षक, 4 सनदी लेखाकार और 31 विदेशी सहभागी शामिल हैं।

@ : 29 विदेशी सहभागी शामिल हैं।

आरबीएससी: रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय

सीएबी: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय

जेडटीसी : आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

सारणी X.2: भारत और विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किये गये अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	विदेश में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
1	2	3
2008-09	718	426
2009-10	1,104	553
2010-11	1,090	578

कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु 578 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया (सारणी X.2)।

X.32 2011-12 के दौरान स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विदेश में उच्चतर अध्ययन हेतु चार अधिकारियों का चयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत बैंक के अधिकारियों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का अवसर मिलता है। इस योजना की शुरुआत अर्थात् 1986 से अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 103 अधिकारियों का चुनाव किया जा चुका है। वर्ष के दौरान बैंकिंग तथा वित्त पर दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अधिकारियों को प्रायोजित करने की योजना के अंतर्गत एनआइबीएम, पुणे में अध्ययन हेतु एक अधिकारी का चुनाव किया गया। वर्ष के दौरान बैंक के 6 अधिकारियों ने उच्चतर शिक्षा हेतु विविध योजनाओं के अंतर्गत अध्ययन छुट्टी की सुविधा का लाभ उठाया। इसके अलावा 2010-11 के दौरान 450 कर्मचारियों ने चुनिंदा अंशकालिक तथा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया।

भारत-आइएमएफ संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम- पुणे

X.33 भारतीय रिजर्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मई 2006 में भारतीय अधिकारियों (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक संस्थाओं के अधिकारियों) तथा दक्षिण एशिया एवं पूर्वी अफ्रीकी देशों के अधिकारियों को अर्थशास्त्र तथा संबद्ध परिचालनात्मक क्षेत्रों में नीति अभिमुख प्रशिक्षण देने के लिए एनआइबीएम, पुणे में भारत-आइएमएफ संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत-आइएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम विश्व के अन्य देशों में प्राप्त नीतिगत सबकों के आदान-प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करता है, साथ ही यह क्षेत्रीय मुद्दों की चर्चा हेतु एक फोरम का भी कार्य करता है। वर्ष के दौरान संयुक्त प्रशिक्षण पहलों के अंतर्गत छह कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समष्टि-आर्थिक प्रबंधन तथा वित्तीय क्षेत्र संबंधी विषय, सरकारी वित्त संबंधी सांख्यिकी,

समष्टि-आर्थिक विश्लेषण, मौद्रिक तथा वित्तीय सांख्यिकी और धन-शोधन निवारण के उपाय एवं आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी विषय शामिल थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक के 36 अधिकारियों ने भाग लिया।

सीएएफआरएएल का परिचालन

X.34 सीएएफएल की स्थापना 19 अप्रैल 2007 में एक सोसाइटी के रूप में की गई जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया। बाद में बंबई न्यास अधिनियम 1950 के अंतर्गत इसका पंजीकरण किया गया। यह केंद्र लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। डॉ. अशोक गांगुली की अध्यक्षता में 2009 में सीएएफएल की अवधारणा समिति का गठन किया गया जिसने सीएएफएल के प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण किया। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इस केंद्र का नाम उन्नत वित्तीय अध्ययन केंद्र (सीएएफएल) के बदले उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र (सीएएफआरएएल) रखने की सिफारिश की। उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र की एक संचालन परिषद है जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं।

मानव संसाधन प्रबंध विभाग का निर्माण (एचआरएमडी)

X.35 पूर्ववर्ती प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग (डीएपीएम) तथा मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडीडी) के कार्यों का एकीकरण करके बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन विभाग नामक नये विभाग का निर्माण किया गया। गवर्नर महोदय ने 3 अगस्त 2011 को इस विभाग का उद्घाटन किया। इस एकीकरण के कारण मानव संसाधन संबंधी नीतियों को बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के बीच अधिकाधिक तालमेल होगा।

संगठनात्मक प्रबंधन संबंधी उपाय

X.36 बैंक के रणनीतिगत लक्ष्यों तथा उसकी क्षमता के संवर्धन संबंधी उपायों पर अधिक बल देते हुए रिजर्व बैंक वर्ष के दौरान स्वयं को ज्ञान आधारित संस्था के रूप में पुनः स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ जिसके लिए उसने बैंक के कार्मिकों के उपयोग के स्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के साथ-साथ कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाने के नए उपाय किये एवं स्पष्ट तथा विस्तारित संप्रेषण रणनीति तैयार की।

ज्ञान संवर्धन संबंधी उपाय

X.37 ज्ञान एक बहुआयामी परिदृश्य है जो किसी संस्था के कार्मिकों तथा उसकी प्रक्रियाओं के माध्यम से संस्था में दिखाई देता है। अतः ज्ञान संबंधी नीति के प्रभावी होने के लिए कार्मिकों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित लक्ष्य एवं रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक की ज्ञान संबंधी नीति का निर्धारण अल्पावधि तथा मध्यावधि - दो लक्ष्य समूहों बांटेकर किया गया है (बॉक्स X.2)।

अनुसंधान विभागों का पुनर्गठन

X.38 रिजर्व बैंक ने अनुसंधान कार्यों पर अपनी निर्भरता में निरंतर वृद्धि की है ताकि नीति-निर्धारण की प्रक्रिया को सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार दिया जा सके। बैंक के कार्य का आर्थिक तथा परिचालनात्मक

माहौल अधिक जटिल एवं गतिशील होते जाने के चलते पिछले कई वर्षों के दौरान बैंक की आर्थिक अनुसंधान एवं विश्लेषण संबंधी जरूरतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में यह अनुभव किया गया कि आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीईपी) के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया जाए ताकि विभाग के कार्यों एवं बैंक की अनुसंधान तथा विश्लेषणात्मक जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जा सके। एक आंतरिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों पर विचार करते हुए थीम आधारित वर्गीकरण के साथ विभाग का पुनर्गठन किया गया। सितंबर 2010 से विभाग का नाम भी बदलकर “आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर)” कर दिया गया।

बॉक्स X.2 ज्ञान संबंधी पहलें

इस समय संगठन के सिद्धांतों के संबंध में एक बुनियादी पुनर्विचार हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे डिजाइनों की खोज आरंभ हुई है जिनमें मूलतः लचीलापन हो, जिनका ज्यादा से ज्यादा झुकाव समस्या को सुलझाने की ओर हो और प्रयोगों के माध्यम से लगातार सीखते रहने के प्रति रुझान हो। अब ऐसे संगठनों और उद्योगों की ओर झुकाव स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है जिन्हें ‘ज्ञान आधारित’ कहा जा रहा है, जो पारंपरिक संगठनों एवं उद्योगों के मूल्य सृजन के आस्ति आधारित मॉडल के विपरीत है।

जैसे-जैसे कार्य की प्रकृति ज्ञान प्रधान होती जाती है, संस्थाओं को ज्ञान आधारित संस्थाओं में परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात को समझा और इसीलिये हाल ही में इसने इस दिशा में पहल की जो संस्था की सभी कार्य-पद्धतियों में ज्ञान के स्तर को बढ़ाने पर बल देती है।

ज्ञान एक ऐसा बहुआयामी परिदृश्य है, जो किसी संगठन में लोगों और प्रक्रियाओं (दोनों) के माध्यम से परिलक्षित होता है। अतः ज्ञान आधारित नीति के अंतर्गत लोगों और प्रक्रियाओं - दोनों ही से संबंधित लक्ष्य और रणनीतियां स्पष्ट होनी चाहिए ताकि ये प्रभावी हो सकें। जहां तक दोनों ही मोर्चों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता की बात है, अकस्मात किये गये परिवर्तन विघटनकारी साबित हो सकते हैं। इन प्रथाओं में ज्ञान के स्तर में वृद्धि करते समय भी नीति में परिवर्तन चरणों में किया जाना चाहिए ताकि कार्य की वर्तमान पद्धतियों में व्यवधान कम-से-कम हो।

इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की ज्ञान संबंधी नीति को दो लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें मध्यावधि के आधार पर अंतर किया गया है। नीति में विहित अल्पकालिक लक्ष्य त्वरित कार्रवाई की मांग करते हैं, जिनका आशय मौजूदा प्रक्रियाओं और लोगों के प्रबंधों को देखते हुए ज्ञान के संवर्धन के लिये उपलब्ध अवसरों का उपयोग करना है। मध्यावधि लक्ष्य और भी अधिक महत्वाकांक्षी हैं और इनका आशय बैंक में निर्णय लेने और कार्यान्वयन में ज्ञान की भूमिका को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने से है। इसके लिए प्रक्रियाओं और लोगों से संबंधित नीतियों (दोनों ही) में परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

वर्ष 2010 की रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन की रिपोर्ट में बैंक द्वारा ज्ञान के प्रबंधन के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कई इनपुट प्राप्त हुए। इनमें से कुछ अल्पावधि के लक्ष्यों के अनुकूल थे जबकि अन्य संगठनात्मक नीतियों में अनियमित परिवर्तनों की मांग करते थे, अतः ये मध्यावधि के लक्ष्यों के अनुकूल थे।

भारतीय रिजर्व बैंक की ज्ञान संबंधी नीति का लक्ष्य संगठन के बीच ज्ञान के प्रवाह को सुकर बनाना है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्यान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और विभागों और व्यक्तियों द्वारा सूचना और ज्ञान को बांटने की संस्कृति की शुरुआत की जा सके। इसका मध्यावधि लक्ष्य भी है जिसका संबंध ज्ञान को नियोजन तथा स्थानांतरण संबंधी निर्णयों के साथ जोड़ने एवं कनिष्ठ अधिकारियों के कैरियर के मार्ग को डिजाइन करने से है।

रिजर्व बैंक ने अपने मानव संसाधन को प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त करने के अलावा उसके ज्ञान के आधार एवं कौशल को बढ़ाने के लिये भी कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (क) बैंक के “एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल” - जिससे कर्मचारियों को संगठन के अंदर एवं बाहर दोनों ही से संबंधित अद्यतन जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं- के नवीनीकरण के लिये प्रौद्योगिकी की सहायता लेना जिसका फोकस सूचना की जगह ज्ञान के अनुकूलन पर है; (ख) बैंक के सभी कार्यालयों में इन-हाउस समूहों की स्थापना करना जो अन्य बातों के साथ-साथ महत्वपूर्ण और उभरते मुद्दों पर सेमिनारों का आयोजन करेंगे और बैंक में व्यापक आधार वाले स्टडी सर्कलों का भी आयोजन करेंगे ताकि आपसी हितों और चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और बहस की जा सके; (ग) रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना करना जिनमें पुस्तकें आदि पर्याप्त संख्या में होंगी; (घ) “ज्ञान के आदान-प्रदान संबंधी श्रृंखलाएं” चलाना जहां बाह्य विशेषज्ञों को सामान्य रुचि, स्वास्थ्य, निजी निवेश से लेकर महिला सशक्तीकरण जैसे विविध विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है; और (ङ) प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली “थीमैटिक वीडियो कन्फरेंस” जो विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंध में सूचना के प्रसार की दिशा में की गयी एक पहल है।

X.39 आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग का विज्ञान मौद्रिक, वित्तीय, बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय तथा समष्टि-आर्थिक विषयों पर नीतिगत अनुसंधान का एक ज्ञान प्रधान केंद्र बनना है। शीर्ष प्रबंध-तंत्र को एक समेकित प्रारूप में विश्लेषणात्मक जानकारी के साथ आंकड़ों तथा सूचनाओं की संक्षिप्त जानकारी शीघ्रता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग की प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) को सुदृढ़ किया गया है। अनुसंधान कार्य करने हेतु अल्पावधि तथा मध्यावधि के लिए अनुसंधान कार्य का एक एजेंडा तैयार किया गया है जो समष्टि-आर्थिक विषयों से संबंधित व्यापक क्षेत्रों में नीतिगत निर्णय लेने में आधार सामग्री का कार्य करेगा।

X.40 वित्तीय संकट, बढ़ते वैश्वीकरण तथा मौद्रिक एवं बैंकिंग विनियामक नीतियों में परिवर्तन की पृष्ठभूमि में मौद्रिक नीति-निर्माण में गुणवत्तापूर्ण तथा अद्यतन सांख्यिकी की जरूरत पहले की अपेक्षा काफी अधिक बढ़ गयी है। मौद्रिक नीति की घोषणाएं कम समय अंतरालों पर किये जाने के चलते अधिक बारंबारता के साथ अग्रदर्शी सूचनाएं, जिनका संग्रह मुख्यतः सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है, आवश्यक हो गयी हैं। इस पृष्ठभूमि में, 2010 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम) ने अपने विभाग का पुनर्गठन किया और अपने सांख्यिकीय कार्यों की दिशा आंकड़ों के निर्माण, उसके प्रबंधन, आंकड़ों के प्रसार, सर्वेक्षण, विश्लेषण और अनुसंधान की ओर निर्धारित की। समष्टि-आर्थिक आंकड़े कम समय अंतराल पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी' लगभग तत्काल आधार पर रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है।

X.41 रिजर्व बैंक के स्टाफ को अपने अनुसंधान पेपरों के प्रकाशन हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए पूर्णतः वेब प्रकाशन के रूप में 'आरबीआइ वर्किंग पेपर सीरीज' नामक एक नये प्रकाशन की शुरुआत की गयी। इसका उद्देश्य बैंक के स्टाफ को अपने अनुसंधान संबंधी पेपरों को प्रस्तुत करने एवं अनुभवी अनुसंधानकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने हेतु सुविधा प्रदान करना है। इस श्रृंखला का पहला अंक मार्च 2011 में जारी किया गया। आरबीआइ वर्किंग पेपर सीरीज का फोकस बैंक से संबंधित समसामायिक मुद्दों तथा चुनौतियों पर संक्षिप्त विश्लेषणात्मक अनुसंधान करने पर होगा। इसके अतिरिक्त 'आरबीआइ ऑकैजिनल पेपर' ने विभिन्न मुद्दों पर रिजर्व बैंक के स्टाफ के अनुसंधानमूलक कार्यों के प्रसार का कार्य जारी रखा जिनकी नीतिगत चर्चाओं में प्रमुखता थी तथा इनका प्रकाशन नियमित रहा। बैंक के अनुसंधानकर्ताओं ने देश तथा विदेश के प्रमुख पत्रिकाओं में कई अनुसंधानपरक लेख भी प्रकाशित किये।

बाहरी अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना

X.42 विभाग से बाहर अनुसंधान कार्यों को समर्थन देने के लिए बैंक द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता की प्रमुख श्रेणियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (क) विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थानों में आरबीआइ चेयरों की स्थापना (ख) विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) अध्ययन, शुरू करना (ग) परियोजनाओं का वित्तपोषण, (घ) सेमिनारों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं का वित्तपोषण, (ङ) अनुसंधानपरक पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु वित्तीय समर्थन तथा (च) शैक्षिक संस्थानों के फैकल्टी के सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति की योजना।

X.43 विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की सिफारिशों के अनुसरण में तथा हाल के आरबीआइ चेयरों के कार्यों का मामला-दर-मामला विश्लेषण, चेयर प्रोफेसरों के साथ चर्चाओं के दौरान प्राप्त सुझावों और छोटे वेतन आयोग द्वारा यूजीसी प्रोफेसरों के लिए घोषित वेतनमान संबंधी मानदंडों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कोष निधि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया जाए और विभिन्न बाहरी/अनुसंधान योजनाओं के परिचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को मजबूत बनाया जाए। इस समय 17 आरबीआइ चेयर (शर्तों का पालन न किए जाने के कारण इनमें से एक आरबीआइ चेयर की कोष निधि को वापस ले लिया गया) स्थापित हैं एवं नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दो नये आरबीआइ चेयरों की स्थापना की गयी है। जालान समिति की सिफारिशों के अनुसार आर्थिक और नीति अनुसंधान संचालन समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष अनुसंधान विभागों के प्रभारी उप गवर्नर तथा उपाध्यक्ष अनुसंधान विभागों के प्रभारी कार्यपालक निदेशक हैं। इसके सदस्यों में शैक्षिक क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति तथा रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं। समिति के लक्ष्यों में अनुसंधान की कार्यसूची तैयार करना तथा बाहरी अनुसंधान के लिए अनुसंधान के क्षेत्रों की पहचान करना, बैंक द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान कार्यों की समीक्षा एवं इनकी उपयोगिता, पारदर्शिता तथा इस संबंध में जवाबदेही तय करना है। आर्थिक और नीति अनुसंधान संचालन समिति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करने के लिए तीन उप समितियां गठित की गयी हैं।

कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

X.44 कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों को समीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप दिये जाने के बाद सभी अधिकारियों

को अपनी रिपोर्ट देखने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रविष्टियों की जानकारी दिये जाने के बाद अधिकारियों से प्राप्त होने वाली अपीलों की सुनवाई हेतु एक निवारक तंत्र स्थापित किया गया है जिसके लिए सभी वर्ग के अधिकारियों के लिए अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किये गये हैं।

कार्यभार का सर्वेक्षण

X.45 संगठनात्मक विकास संबंधी पहल के रूप में बैंक ने 2010-11 के दौरान अपने सभी कार्यालयों के कर्मचारियों के कार्यभार के स्तर का पता लगाने के लिए एक कर्मचारी कार्यभार सर्वेक्षण करवाया। बैंक के सूचीबद्ध सलाहकारों में से एक अर्थात् एओन हेविट कंसल्टेंसी ने बैंक की ओर से यह सर्वेक्षण किया। जहां स्टाफ के कार्यभार का स्तर उच्च पाया गया वहीं सर्वेक्षण में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का भी उल्लेख मिला जहां कार्यभार का स्तर कम प्रतीत होता है। इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है।

अनुदान तथा इन्डाउमेंट

X.46 रिजर्व बैंक ने अपने प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अलावा भारत में चार अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात् (i) इंदिरा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आइजीआइडीआर), मुंबई (ii) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआइबीएम), पुणे (iii) इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (आइआइबीएम), गुवाहाटी तथा (iv) इन्स्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आइडीआरबीटी), हैदराबाद की स्थापना में भूमिका निभाई। 2010-11 के दौरान रिजर्व बैंक ने आइजीआइडीआर, एनआइबीएम तथा आइआइबीएम को क्रमशः 1,800 लाख, 263 लाख तथा 75 लाख रुपये का वित्तीय समर्थन दिया।

औद्योगिक संबंध

X.47 2010-11 के दौरान बैंक में औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहा। वर्ष के दौरान मानव संसाधन के उपयोग के लिए समुचित क्षतिपूर्ति पैकेज डिजाइन करने के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक के सभी संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में 1 नवंबर 2007 से संशोधन किया गया। ये परिवर्तन उन्नत उत्पादकता संबंधी रणनीतियों एवं कर्मचारियों के कार्य तथा घर के बीच बेहतर संतुलन के जरिए संगठनात्मक विकास के प्रति रिजर्व बैंक के सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

सारणी X.3: रिजर्व बैंक द्वारा भर्ती - 2010*

भर्ती की श्रेणी	कुल	जिसमें से		प्रतिशत	
		अ.जा.	अ.जन.	अ.जा.	अ.जन.
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	109	13	08	11.9	7.3
श्रेणी III	3	0	0	0.0	0.0
श्रेणी IV					
(क) अनुरक्षण परिचारक	8	5	1	62.5	12.5
(ख) अन्य	45	0	3	0.0	6.7
कुल	165	18	12	10.9	7.3

* : जनवरी-दिसंबर


भर्ती

X.48 2010 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिजर्व बैंक ने 165 कर्मचारियों की भर्ती की। इनमें से 18 कर्मचारी अनुसूचित जाति के तथा 12 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी के थे। भर्ती किये गये कुल कर्मचारियों में इनका प्रतिशत 18.2 बैठता है (सारणी X.3)।

स्टाफ संख्या

X.49 31 दिसंबर 2010 को रिजर्व बैंक में स्टाफ की संख्या 19,207 थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह संख्या 20,295 थी (सारणी X.4 एवं चार्ट X.1)। कुल स्टाफ में से 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के तथा 8.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के थे।

चार्ट X.1: रिजर्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या



सारणी X.4: रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या

श्रेणी	कुल संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत	
	अ.जा.		अ.जन.		अ.जा.		अ.जन.	
	दिसंबर 31, 2009	दिसंबर 31, 2010	दिसंबर 31, 2009	दिसंबर 31, 2010	दिसंबर 31, 2009	दिसंबर 31, 2010	दिसंबर 31, 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	9,430	8,754	1,365	1,277	658	598	14.6	6.8
श्रेणी III	3,789	3,604	596	554	439	422	15.4	11.7
श्रेणी IV	7,076	6,849	2,300	2,200	710	688	32.1	10.0
कुल	20,295	19,207	4,261	4,031	1,807	1,708	21.0	8.9

X.50 वर्ष 2010 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक में आरक्षण संबंधी नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा हेतु प्रबंधन तथा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा बुद्धिस्ट फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच चार बैठकें आयोजित की गईं। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार 8 सितंबर 1993 से रिज़र्व बैंक ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देना शुरू किया। 31 दिसंबर 2010 को रिज़र्व बैंक में अन्य पिछड़े वर्ग के स्टाफ की संख्या 942 थी। इनमें से 335 श्रेणी I, 82 श्रेणी III तथा 525 श्रेणी IV में थे।

X.51 भारतीय रिज़र्व बैंक में आरक्षण संबंधी नीति के कार्यान्वयन के विषय पर चर्चा करने के लिए प्रबंध तंत्र तथा अखिल भारतीय ओबीसी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

X.52 रिज़र्व बैंक में 31 दिसंबर 2010 को भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की संख्या श्रेणी I में 216, श्रेणी III में 113 तथा श्रेणी IV में 728 थी। रिज़र्व बैंक में 31 दिसंबर 2010 को शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या श्रेणी I में 245, श्रेणी III में 81 तथा श्रेणी IV में 136 थी।

X.53 कुल स्टाफ में से 45.6 प्रतिशत श्रेणी I, 18.8 प्रतिशत श्रेणी III तथा शेष कर्मचारी श्रेणी IV में थे (सारणी X.5)।

X.54 स्टाफ संख्या की दृष्टि से (लगभग 30 प्रतिशत) मुंबई (केंद्रीय कार्यालय के विभागों सहित) सबसे अधिक स्टाफ नियोजित करने वाला केंद्र बना रहा (सारणी X.6)।

अगरतला (त्रिपुरा) में रिज़र्व बैंक का उप कार्यालय खोलना

X.55 19 मई 2011 को अगरतला में रिज़र्व बैंक का एक उप कार्यालय खोला गया। इस प्रकार त्रिपुरा उत्तर पूर्व में रिज़र्व बैंक का कार्यालय होने वाला असम के बाद दूसरा राज्य बन गया। नया कार्यालय विशेष प्रयोजन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा वित्तीय समावेशन आयोजना के अंतर्गत 2,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु बैंकों, राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों आदि

सारणी X.5: श्रेणी-वार स्टाफ संख्या

(31 दिसंबर 2010 को)

श्रेणी	वास्तविक संख्या
1	2
अ. श्रेणी I	8,754
1. वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड एफ	93
2. वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड ई	228
3. वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड डी	391
4. अधिकारी ग्रेड सी	939
5. अधिकारी ग्रेड बी	1,339
6. अधिकारी ग्रेड ए	5,652
7. कोषपाल	11
8. उप कोषपाल	34
9. सहायक कोषपाल	67
आ. श्रेणी III	3,604
1. वरिष्ठ सहायक	1,154
2. सहायक	876
3. सचिवीय सहायक	116
4. शब्द संसाधन सहायक	365
5. विशेष सहायक (गणक)	608
6. श्रेणी III (अन्य)	485
इ. श्रेणी IV	6,849
1. रखरखाव स्टाफ	1,470
2. सेवा स्टाफ	4,411
3. तकनीकी स्टाफ	202
4. अन्य स्टाफ	766
भा.रि.बैंक की कुल स्टाफ संख्या (अ+ आ+इ)	19,207

**सारणी X.6 : रिज़र्व बैंक की कार्यालय-वार
स्टाफ संख्या**

(31 दिसंबर 2010 को)

कार्यालय (उप-कार्यालय सहित)	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1. अहमदाबाद		379	179	298	856
2. बेंगलूर		468	145	260	873
3. बेलगुम		155	68	233	456
4. भोपाल		184	26	96	306
5. भुवनेश्वर		209	73	227	509
6. चंडीगढ़		199	34	114	347
7. चेन्नै		541	316	517	1,374
8. देहरादून		11	2	3	16
9. गंगटोक		4	0	0	4
10. गुवाहाटी		244	99	219	562
11. हैदराबाद		353	127	294	774
12. जयपुर		290	125	226	641
13. जम्मू		102	8	61	171
14. कानपुर		285	182	393	860
15. कोच्ची		52	44	44	140
16. कोलकाता		701	417	671	1,789
17. लखनऊ		200	58	135	393
18. मुंबई		972	534	1,152	2,658
19. नागपुर		300	250	275	825
20. नई दिल्ली		594	275	409	1,278
21. पणजी, गोवा		7	4	2	13
22. पटना		258	69	286	613
23. पुणे-सीएबी-सीआरडीसी-आइटीपी		69	19	84	172
24. रायपुर		12	0	0	12
25. रांची		11	0	0	11
26. शिमला		7	0	0	7
27. तिरुवनंतपुरम		218	71	167	456
अ. कुल		6,825	3,125	6,166	16,116
आ. क.का.वि. #		1,929	479	683	3,091
कुल योग		8,754	3,604	6,849	19,207

सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
सीआरडीसी : केंद्रीय अभिलेख और प्रलेखन केंद्र
आइटीपी : आइएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुणे
@ : श्रीनगर उप-कार्यालय शामिल है
: केंद्रीय कार्यालय विभाग

टिप्पणी : अगरतला उप-कार्यालय 19 मई 2011 को खोला गया।

के साथ समन्वय के कार्य को आगे बढ़ायेगा। यह कार्यालय इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि बैंक 'नो फ्रिल' खाताधारकों में बैंकिंग की आदत डालने का प्रयास करते हैं। यह राज्य के लिए कर्ज की नई संभावनाओं का पता लगाएगा ताकि राज्य में कर्ज-जमा अनुपात में सुधार किया जा सके और अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों की उपलब्धता की निगरानी कर सके।

राजभाषा

X.56 2010-11 के दौरान रिज़र्व बैंक ने राजभाषा नीति से संबंधित सांविधिक आवश्यकता के अनुसरण में अपने कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास जारी रखा। वर्ष के दौरान कई हिंदी

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' नामक एक तिमाही हिंदी पत्रिका 'सहकारी बैंकिंग' के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित की गई जिसमें हिंदी में मौलिक लेख शामिल किये गये थे। बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय विभागों द्वारा हिंदी के प्रयोग के संबंध में तिमाही रिपोर्टें सीधे ऑनलाइन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए एक राजभाषा रिपोर्टिंग पैकेज की शुरुआत की गयी। राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के अलावा संबंधित राजभाषा अधिकारियों के साथ क्षेत्रवार बैठकें आयोजित की गयीं ताकि हिंदी के प्रयोग की दिशा में की गयी प्रगति पर निगरानी रखी जा सके। बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सभी हैंडआउट द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराये गये तथा बैंक ने विभिन्न प्रकाशन द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करना जारी रखा।

बैंक के परिसरों का प्रबंधन

X.57 परिसर विभाग ने वर्ष के दौरान अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रखे। अधिकारियों के फ्लैट के लिए चार परियोजनाओं तथा आइजीआइडीआर एवं आरबीएससी में छात्रावासों के लिए दो परियोजनाओं सहित कुल छह परियोजनाओं को 'डिजाइन एंड बिल्ड' मोड के अंतर्गत लिया गया है जिनके 2013 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है। इन सभी भवनों का निर्माण एकल परियोजना के रूप में किया जाएगा जो बैंक में इस तरह की पहली परियोजना होगी। बैंक द्वारा निर्धारित कांट्रैक्टर अर्थात् शापोरजी पल्लूनजी एंड कंपनी लिमिटेड इनकी आयोजना, डिजाइन, नियंत्रक नागरिक प्राधिकारियों से अनुमति लेने तथा इन्हें कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगा जबकि परिसर विभाग कार्यो के मुख्य-मुख्य चरणों के पूरा किये जाने की स्थिति की निगरानी करेगा ताकि परियोजनाओं का कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप एवं समय पर पूरा किया जा सके।

हरित संवर्धन संबंधी पहलें

X.58 बैंक के कारपोरेट समाजिक दायित्व के एक अंग के रूप में पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु कई पहलें की गयीं। परिसर विभाग ऊर्जा तथा जल के अपव्यय के स्तर की पहचान करने हेतु उसकी ऑडिट कराता है एवं संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के उपाय करता है। जल तथा ऊर्जा के उपयोग के स्तर का पता लगाने हेतु केंद्रीय कार्यालय भवन के विभिन्न स्थानों पर नये उपकरण लगाये गये हैं। इसके अलावा, सेंट्रल एयर-कंडिसनिंग के अधिकांश पुराने उपकरणों के स्थान पर पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेटों का उपयोग

करके ऊर्जा की कम खपत करने वाले नये एयर-कंडिशनिंग उपकरण लगाये गये हैं, साथ ही शेष पुराने उपकरणों को भी अगले दो वर्षों में बदल दिया जाएगा।

X.59 पुराने लिफ्टों को बदलकर माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली सहित 'वैरियबल वोल्टेज वैरियबल फ्रिक्वेंसी (वीवीवीएफ)' आधारित ऊर्जा की कम खपत करने वाले लिफ्टों के नये उपकरण लगाये जा रहे हैं। हाल में प्रारंभिक परियोजना के रूप में केंद्रीय कार्यालय भवन की कार्बन फूटप्रिंट की मैपिंग हेतु कार्रवाई की गयी है। इन प्रयासों के चलते रिजर्व बैंक के 24 कार्यालय भवनों को ऊर्जा मंत्रालय के एनर्जी एफिसिएंसी ब्यूरो से स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। इस समय चल रही भवन निर्माण की नयी परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी अद्यतन आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

बैंक में आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण

X.60 निरीक्षण विभाग बैंक के विभिन्न कार्यालयों/ विभागों की स्थिति के बारे में शीर्ष प्रबंध-तंत्र को वस्तुनिष्ठ प्रतिसूचना देने के उद्देश्य से प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा नियंत्रणों की जांच करके उनका मूल्यांकन करता है। 2010-11 के दौरान सामान्य तथा विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करते हुए सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा का एक संकलन सभी संबंधितों के बीच परिचालित किया गया। लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास के रूप में वर्ष 2010-11 के दौरान पांच क्षेत्रीय कार्यालयों को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा(आरबीआइए) के अंतर्गत लाया गया। वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल के चार कार्यालयों की प्रबंधन संबंधी लेखा-परीक्षा की गयी। वर्ष के दौरान एन्टरप्राइज

नालेज पोर्टल (ईकेपी), मेल मैसेज सर्विस(एमएमएस) तथा इंटिग्रेटेड कंप्यूटराज्ड करेंसी आपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम (आइसीसीओएमएस) की टेक्नोलॉजी लेखा-परीक्षा भी बाहरी विशेषज्ञों से करायी गयी।

X.61 निरीक्षण विभाग के गुणवत्ता आश्वासन की जांच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल आडिटर्स (आइआइए) के एक दल द्वारा दिसंबर 2010 में की गयी जिसने विभाग को सर्वोच्च रेटिंग अर्थात् 'आम तौर पर अनुरूप' दी। लेखा-परीक्षा की सिफारिशों के अनुसार गुरुत्व संबंधी मैट्रिक्स तैयार करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के कुछ विभागों को लेकर एक समूह का गठन किया गया है ताकि बैंक में एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) और जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्यान्वयन सुगमतापूर्वक किया जा सके। कार्यात्मक जोखिम की पहचान एवं जोखिम रजिस्टर को अद्यतन करने हेतु सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों एवं 'इंसीडेंट डेटाबेस' तैयार करने हेतु सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभ में चार महानगरीय केंद्रों में बाहरी सहायता से निरंतर आश्वासन आधार पर (समवर्ती लेखा-परीक्षा की तरह) सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा की एक व्यवस्था की शुरुआत की गयी है।

X.62 वर्ष के दौरान आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) ने आइएसओ 9001-2000 प्रमाणन प्राप्त किया। आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में आइएसओ प्रमाणन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वर्ष के दौरान केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर तथा वित्तीय बाजार विभाग, मुंबई की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आइएसएमएस) के प्रमाणन का कार्य पूरा किया गया।

वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र में काफी विस्तार हुआ जो मुख्यतः रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये मौद्रिक और चलनिधि परिचालन का प्रभाव दर्शाता है। विदेशी आस्तियों से हुई आय में निरंतर दूसरे वर्ष गिरावट हुई जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कम ब्याज की स्थिति दर्शाती है। 2010-11 में विदेशी आस्तियों से हुई आय में गिरावट देशी आस्तियों से हुई आय से हुए संतुलन से अधिक थी जिसमें विस्तार हुआ था। जहां रिज़र्व बैंक की सकल आय 2010-11 में 12.73 प्रतिशत बढ़कर 37,070.12 करोड़ रुपये हो गयी वहीं सकल व्यय 3 प्रतिशत बढ़कर 8,655.22 करोड़ रुपये हो गया। आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में आवश्यक अंतरण की आवश्यकता पूरी करने के बाद सरकार को अंतरित करने के लिए 15,009 करोड़ रुपये आबंटित किये गये।

XI.1 2010-11 (जुलाई-जून) में रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के आकार में काफी विस्तार हुआ जिसका मुख्य कारण इसके चलनिधि प्रबंधन के परिचालन थे। देयता पक्ष में विस्तार का कारण संचलन के नोटों में भारी वृद्धि और बैंकिंग प्रणाली में जमाराशि में हुई वृद्धि के अनुरूप रिज़र्व बैंक में बैंकों की जमाराशि में वृद्धि होना भी था (बाक्स II.6 देखें)। आस्ति पक्ष में बैंकों के देशी आस्तियों के संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में काफी वृद्धि हुई थी जिसका कारण खुले बाजार के क्रय, रिपो क्रय और रिज़र्व बैंक में रखे भारत सरकार के अधिशेष का विनिवेश था। विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि ने मुख्यतः संविभाग पर मूल्यन प्रभाव दर्शाया।

XI.2 रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और इसके तहत जारी अधिसूचना के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। रिज़र्व बैंक दो तुलनपत्र प्रस्तुत करता है। मुद्रा प्रबंधन के एकमात्र कार्य से संबंधित पहला तुलनपत्र निर्गम विभाग के तुलनपत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा तुलनपत्र रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यों के प्रभाव दर्शाता है और यह बैंकिंग विभाग का तुलनपत्र कहलाता है। 2010-11 (जुलाई-जून) के दौरान के रिज़र्व बैंक के परिचालनों के प्रमुख वित्तीय परिणाम इस अध्याय में दिये गये हैं।

आय

XI.3 रिज़र्व बैंक की आस्तियां और देयताएं दर्शाती हैं कि इस संबंध में रिज़र्व बैंक के परिचालन वाणिज्यिक विचार से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली से संबंधित समग्र नीतिगत लक्ष्यों से मार्गदर्शित थे।

XI.4 रिज़र्व बैंक के आय के दो मुख्य स्रोत विदेशी स्रोतों से अर्जन और देशी स्रोतों से अर्जन हैं। निवल ब्याज प्राप्तियों के मुख्य स्रोत में बढ़ा, विनिमय, कमीशन आदि जैसे अन्य स्रोतों से होने वाली आय की तुलनात्मक रूप से छोटी राशियों से विस्तार हुआ है।

XI.5 रिज़र्व बैंक की 2010-11 की सकल आय 37,070.12 करोड़ रुपये थी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12.73 प्रतिशत की वृद्धि थी (सारणी XI.1)। विदेशी स्रोतों से हुई आय में गिरावट देशी स्रोतों से हुई आय में वृद्धि से संतुलित हो गयी।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

XI.6 विदेशी मुद्रा आस्ति और स्वर्ण के अभिनियोजन रिज़र्व बैंक को होने वाली आय 2009-10 के 25,102.55 करोड़ रुपये से 3952.86 करोड़ रुपये (15.75 प्रतिशत) कम होकर 2010-11 में 21,149.69 करोड़ रुपये रह गयी। विदेशी मुद्रा आस्ति और स्वर्ण पर आय की दर 2009-10 के 2.09 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 1.74 प्रतिशत पर कम थी (सारणी XI.2)।

देशी स्रोतों से अर्जन

XI.7 देशी स्रोतों से हुआ अर्जन 2009-10 के 7,781.59 करोड़ रुपये से 104.59 प्रतिशत वृद्धि के साथ 8,138.84 करोड़ रुपये बढ़कर 2010-11 में 15,920.43 करोड़ रुपये हो गया (सारणी XI.3)। इस वृद्धि का मुख्य कारण चलनिधि समायोजन सुविधा परिचालन, सरकार के नकदी प्रबंधन के परिचालन जिसमें रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों का बड़ी मात्रा में लाभ लिया गया और सरकारी

रिज़र्व बैंक का 2010-11 का लेखा

सारणी XI.1: सकल आय

(करोड़ रुपये)

मद	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
क. विदेशी स्रोत					
ब्याज, बट्टा, विनिमय	35,152.99	51,883.27	50,796.21	25,102.55	21,149.69
ख. देशी स्रोत					
(i) ब्याज	5,144.52	4,958.35	9,056.27	6,646.35	15,031.84
(ii) एसबीआई में निवेश किये गये शेयरों की बिक्री से लाभ	34,308.60	-	-	-	-
(iii) अन्य अर्जन	742.22	909.17	879.50	1,135.24	888.59
कुल : [(i)+(ii)+(iii)]	40,195.34 (5,886.74)	5,867.52	9,935.77	7,781.59	15,920.43
ग. कुल आय (सकल) (क+ख)	75,348.33 (41,039.73)	57,750.79	60,731.98	32,884.14	37,070.12

टिप्पणी: कोषकों के आंकड़े एसबीआई में 34,308.60 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री पर हुए लाभ को छोड़कर हैं।

प्रतिभूतियों के बढ़े हुए संविभाग पर उच्च कूपन प्राप्तियां शामिल होती हैं। औसत देशी आस्तियों की आय दर पिछले वर्ष के 3.45 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 3.77 प्रतिशत हो गयी।

व्यय

XI.8 रिज़र्व बैंक के व्यय में एजेंसी प्रभारों और सिक्योरिटी छपायी प्रभारों जैसे रिज़र्व बैंक के सांविधिक कार्य करने की प्रक्रिया में आने वाले व्यय के अलावा इसके स्थापना व्यय शामिल होते हैं। रिज़र्व बैंक का कुल व्यय 2009-10 के 8,403.12 करोड़ रुपये से 252.10 करोड़ रुपये (3.00 प्रतिशत) बढ़कर 2010-11 में 8,655.22 करोड़ रुपये हो गया जिसका मुख्य कारण स्थापना व्यय और एजेंसी प्रभारों में वृद्धि था किंतु यह वृद्धि सिक्योरिटी छपायी प्रभारों में गिरावट आने से कुछ संतुलित हो गयी थी (सारणी XI.4)।

स्थापना व्यय

XI.9 2010-11 के स्थापना व्यय में 313.89 करोड़ रुपये (15.80 प्रतिशत) की वृद्धि होकर यह 2,300.71 करोड़

रुपये हुआ जोकि 2009-10 में 1,986.82 करोड़ रुपये था। इस वृद्धि का मुख्य कारण सभी श्रेणी के स्टाफ के वेतन में पूर्व प्रभाव से किया गया संशोधन था। इसके अलावा कर्मचारियों को देय विभिन्न कल्याण लाभों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन से स्थापना व्यय में वृद्धि हुई।

स्थापनेतर व्यय

XI.10 2010-11 के दौरान एजेंसी बैंकों को भुगतान किये गये एजेंसी कमीशन की राशि 2009-10 के 2,855.02 करोड़ रुपये की तुलना में 2010-11 के दौरान 3,012.49 करोड़ रुपये थी। 157.47 करोड़ रुपये (5.52 प्रतिशत) की इस वृद्धि का मुख्य कारण एजेंसी बैंकों द्वारा किये गये सरकारी कारोबार की मात्रा में वृद्धि था। हामीदारी कमीशन के रूप में एजेंसी शुल्क में रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किये गये शुल्क का छोटा घटक भी एजेंसी कमीशन में शामिल होता है। यह घटक 2009-10 के 64.14 करोड़ रुपये से कम होकर 2010-11 में 36.76

सारणी XI.2 : विदेशी स्रोतों से अर्जन

(करोड़ रुपये)

मद	निम्नलिखित तारीख को		घट-बढ़	
	30 जून 2010	30 जून 2011	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,03,828.90	12,17,751.21	13,922.31	1.16
अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	25,102.55	21,149.69	(-) 3,952.86	(-) 15.75
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अर्जन	2.09	1.74		

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी XI.3 : देशी स्रोतों से अर्जन

(करोड़ रुपये)

मद	निम्नलिखित तारीख को		घट-बढ़	
	30 जून 2010	30 जून 2011	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
देशी आस्तियां	3,88,594.36	5,35,907.16	1,47,312.80	37.91
देशी आस्तियों का साप्ताहिक औसत अर्जन	2,25,373.78	4,22,033.42	1,96,659.64	87.26
	7,781.59	15,920.43	8,138.84	104.59
जिसमें से :				
ब्याज तथा अन्य आय	6,646.35	15,031.84	8,385.49	126.17
(i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	8,667.27	3,091.15	(-) 5,576.12	(-) 64.34
(ii) प्रतिभूतियों पर ब्याज (क-ख)	(-)2,435.08	11,165.65	13,600.73	-
जिसमें से :				
क) देशी आस्तियों पर ब्याज, एलएएफ परिचालन और लाभांश	13,027.82	22,321.67	9,293.85	71.34
ख) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	15,462.90	11,156.02	(-) 4,306.88	(-) 27.85
(iii) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	378.97	731.05	352.08	92.90
(iv) अन्य ब्याज प्राप्तियां	35.19	43.99	8.80	25.01
अन्य अर्जन	1,135.24	888.59	(-) 246.65	(-)21.73
(i) बढ़ा	-	-	-	-
(ii) विनिमय	0.01	0.01	0.00	0.00
(iii) कमीशन	687.08	781.47	94.39	13.74
(iv) वसूला गया किराया और अन्य	448.15	107.11	(-) 341.04	(-) 76.10
जापन :				
प्रतिशत के रूप में अर्जन (औसत देशी आस्तियों पर)	3.45	3.77	-	-

करोड़ रुपये रह गया और 2010-11 में यह एजेंसी प्रभागों का 1.22 प्रतिशत था।

XI.11 2010-11 में सिक्क्योरिटी छपायी प्रभागों (चेक,नोट फार्म आदि) पर हुए व्यय में 377.75 करोड़ रुपये (13.72 प्रतिशत) गिरावट हुई। इस गिरावट का मुख्य कारण 2010-11 के दौरान 100 (20 प्रतिशत) और 1,000 (53 प्रतिशत) मूल्यवर्ग के नोटों के मांगपत्र की तुलना में मुद्रनालयों द्वारा कम आपूर्ति करना था। समग्र रूप से नोटों की आपूर्ति मांगपत्र की तुलना में 7 प्रतिशत कम हुई।

भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष

XI.12 2010-11 में भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष 15,000 करोड़ रुपये था। इसमें सरकार को देय व्यापारयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तनीय विशेष प्रतिभूतियों पर 1,322 करोड़ रुपये का ब्याज अंतर शामिल है। उक्त ब्याज अंतर के भुगतान का कारण ब्याज व्यय में अंतर के लिए सरकार को मुआवजा देना था जो कि ऐसी विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण के कारण सरकार को वहन करना था। पिछले पांच वर्षों में सरकार को अंतरित

सारणी XI.4: व्यय

(करोड़ रुपये)

मद	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
I. ब्याज भुगतान	1,135.38	2.58	1.33	1.02	55.06
जिसमें से :					
अनुसूचित बैंक	1,134.85	1.90*	0.00*	0.00*	0.00*
II. स्थापना	1,425.81	1,430.87	2,448.25	1,986.82	2,300.71
III. गैर-स्थापना	4,603.06	4,663.68	5,768.30	6,415.28	6,299.45
जिसमें से :					
क) एजेंसी प्रभाग	2,042.50	2,111.14	2,999.19	2,855.02	3,012.49
ख) प्रतिभूति मुद्रण	2,020.89	2,032.23	2,063.17	2,754.12	2,376.37
जोड़ [I+II+III]	7,164.25	6,097.13	8,217.88	8,403.12	8,655.22

* : भारिबैं अधिनियम 1934 में किये गये संशोधन के अनुसरण में पात्र नकदी आरक्षित निधि अनुपात शेष पर देय ब्याज 31 मार्च 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से वापस लिया गया। 2007-08 में राशि का भुगतान पिछले वर्ष से संबंधित नकदी आरक्षित निधि अनुपात शेष पर ब्याज के लिए किया गया था।

रिज़र्व बैंक का 2010-11 का लेखा

सारणी XI.5: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
कुल आय (सकल)	41,039.73 (75,348.33) #	57,750.79	60,731.98	32,884.14	37,070.12
निम्नलिखित को अंतरण घटाएं:					
(i) आकस्मिक आरक्षित निधि	20,488.97	33,430.74	26,191.40	5,168.39	12,167.27
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि	1,971.51	3,207.92	1,309.70	549.63	1,234.63
कुल (i + ii)	22,460.48	36,638.66	27,501.10	5,718.02	13,401.90
कुल आय (निवल)	18,579.25 (52,887.85) #	21,112.13	33,230.88	27,166.12	23,668.22
कुल व्यय	7,164.25	6,097.13	8,217.88	8,403.12	8,655.22
निवल प्रयोज्य आय	11,415.00 (45,723.60) #	15,015.00	25,013.00	18,763.00	15,013.00
घटाये : निधियों में अंतरण *	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सरकार को अंतरित अधिशेष	11,411.00 (45,719.60) #	15,011.00	25,009.00	18,759.00	15,009.00

: कोष्ठकों के आंकड़े 29 जून 2007 को एसबीआइ में शेयर बिक्री पर हुए लाभ को शामिल करके हैं जो कि 29 जून 2007 को विनिवेशित किये गये थे।

* : पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि को अंतरित की गयी।

अधिशेष आय और व्यय की स्थिति सारणी XI.5 में दी गयी है।

आंतरिक आरक्षित निधि

XI.13 आकस्मिकता आरक्षित निधि प्रतिभूतियों के मूल्यहास विनिमय गारंटी और मौद्रिक/विनिमय दर नीति बाध्यताओं से उत्पन्न जोखिम सहित अनपेक्षित और अनदेखी आकस्मिकताएं पूरी करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग रखी गयी राशि का प्रतिनिधित्व करती है। आंतरिक पूंजी व्यय की आवश्यकता पूरी करने और अनुषंगी संस्थाओं में निवेश करने के लिए एक और निधि उपलब्ध करायी

जाती है और आस्ति विकास आरक्षित निधि में जमा की जाती है। आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि अंतरण की राशि और कुल आय के प्रतिशत के रूप में सरकार को अंतरित अधिशेष सारणी XI.6 में दिये गये हैं।

तुलनपत्र

XI.14 रिज़र्व बैंक के समग्र तुलनपत्र का आकार 2010-11 के दौरान काफी बढ़ गया जिसका कारण संचलन के नोटों (निर्गम विभाग की देयता) में वृद्धि और रिज़र्व बैंक में बैंक जमा राशियों (बैंकिंग विभाग की देयता) में वृद्धि था। जहां उक्त पहला घटक मांग से प्रेरित

सारणी XI.6: आकस्मिकता तथा आस्ति विकास आरक्षित निधियां और सरकार को अधिशेष अंतरण

(करोड़ रुपये)

मद	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
कुल आय (सकल)	41,039.73 *	57,750.79	60,731.98	32,884.14	37,070.12
आकस्मिकता आरक्षित निधि को अंतरण	20,488.97 (49.92)	33,430.74 (57.89)	26,191.40 (43.13)	5,168.39 (15.72)	12,167.27 (32.82)
आस्ति विकास आरक्षित निधि को अंतरण	1,971.51 (4.80)	3,207.92 (5.55)	1,309.70 (2.16)	549.63 (1.67)	1,234.63 (3.33)
सरकार को अधिशेष अंतरण	11,411.00 * (27.80)	15,011.00 (25.99)	25,009.00 (41.18)	18,759.00 (57.05)	15,009.00 (40.49)
व्यय घटाकर कुल आय (सकल) के प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष का अंतरण	33.69	29.06	47.62	76.63	52.82

* : एसबीआइ के शेयरों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल आय का अनुपात दर्शाते हैं।

होता है वहीं दूसरा घटक जमाराशि में वृद्धि और नकदी आरक्षित निधि अनुपात के माध्यम से किये गये मौद्रिक नीतिगत परिवर्तन से बदलता है।

निर्गम विभाग - देयता

XI.15 निर्गम विभाग की देयता उन करेंसी नोटों के बराबर होती है जो कि रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 1935 को कार्यारंभ करने से पहले भारत सरकार ने जारी किये थे और रिजर्व बैंक ने तब से भारिबैं अधिनियम की धारा 34 (1) के संदर्भ में जारी कये हैं। संचलन के नोटों में 2009-10 के 20 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 के दौरान 15.11 प्रतिशत वृद्धि हुई।

निर्गम विभाग - आस्तियां

XI.16 भारिबैं अधिनियम के संदर्भ में निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के और बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के, सरकारी प्रतिभूतियां और आंतरिक विनिमय बिल शामिल हैं। रिजर्व बैंक की कुल स्वर्ण धारिता 557.75 मेट्रिक टन है। स्वर्ण-स्टॉक का एक भाग निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में चिह्नित किया गया है और तदनुसार निर्गम विभाग के तुलनपत्र में दर्शाया गया है। शेष स्वर्ण-स्टॉक बैंकिंग विभाग की आस्ति माना जाता है और बैंकिंग विभाग के तुलनपत्र में "अन्य आस्तियां" के रूप में दर्शाया जाता है।

बैंकिंग विभाग - देयताएं

XI.17 बैंकिंग विभाग की देयताओं में निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

- क) प्रदत्त पूंजी: रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में की गयी थी जिसकी प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपये थी। 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकृत किया गया और अब इसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसकी प्रदत्त पूंजी भारिबैं अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में निरंतर 5 करोड़ रुपये बनी हुई है।
- ख) आरक्षित निधि: 5 करोड़ रुपये की मूल आरक्षित निधि भारिबैं अधिनियम की धारा 46 के अनुसरण में बनायी गयी थी जो कि रिजर्व बैंक द्वारा तत्कालीन सोवरेन सरकार से मुद्रा देयता के संदर्भ में केंद्र सरकार के अंशदान के रूप में थी। उसके बाद अक्टूबर 1990 तक सोने के आवधिक पुनर्मूल्यन पर लाभ के

माध्यम से इस निधि में 6,495 करोड़ रुपये जमा किये गये जिससे यह 6,500 करोड़ रुपये हो गयी। तब से पुनर्मूल्यन लाभ/हानि को तुलनपत्र में "अन्य देयताएं" शीर्षके तहत "मुद्रा और पुनर्मूल्यन लेखा" में दर्शाया जाता है।

ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि: यह निधि जुलाई 1964 में भारिबैं अधिनियम की धारा 46सी के तहत स्थापित की गयी थी जिसकी प्रारंभिक मूल निधि 10 करोड़ रुपये और पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए बैंकों का वार्षिक अंशदान थी। 1992-93 से प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये की मात्र सांकेतिक राशि का अंशदान किया जाता है।

घ) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि: यह निधि जनवरी 1989 में भारिबैं अधिनियम की धारा 46डी के तहत स्थापित की गयी थी जिसकी प्रारंभिक मूल निधि 50 करोड़ रुपये और उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक के वित्तीय निभाव के लिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान हैं। 1992-93 से प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये की मात्र सांकेतिक राशि का अंशदान किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि नामक दो अन्य निधियां भी हैं जिनकी स्थापना भारिबैं अधिनियम की धारा 46ए के तहत की गयी है और जिन्हें अब नाबार्ड के साथ रखा गया है। प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये की सांकेतिक राशि का अंशदान प्रत्येक में किया जाता है।

ड) जमाराशि: इसमें रिजर्व बैंक में केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, निर्यात-आयात बैंक, नाबार्ड आदि जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि संबंधी विविध खातों के शेष शामिल हैं।

च) देय बिल: यह डिमांड ड्राफ्ट और भुगतान आदेश जिनका भुगतान शेष है और जारी किये गये डिमांड ड्राफ्ट का नकदीकरण होने तक विप्रेषण समाशोधन खाते के तहत के शेष शामिल हैं।

छ) अन्य देयताएं: आंतरिक आरक्षित निधि और रिजर्व बैंक के प्रावधान अन्य देयताओं के मुख्य घटक हैं। विशिष्ट उप-शीर्षों

के संदर्भ में अन्य देयताओं में आकस्मिकता आरक्षित निधि, आस्ति विकास आरक्षित निधि, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, विदेशी मुद्रा समकरण खाता, निवेश पुनर्मूल्यन खाता और सरकार को न किया गया अंतरणीय शेष और बकाया व्ययों के प्रावधान शामिल हैं। अन्य देयताएं 30 जून 2010 के 3,28,809.39 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 जून 2011 को 4,14,197.15 करोड़ रुपये हो गयी जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में वृद्धि था।

ज) "अन्य देयताएं" में दर्शायी गयी आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि रिज़र्व बैंक द्वारा तुलनपत्र के अलग शीर्ष में धारित 6,500 करोड़ रुपये की "आरक्षित निधि" के अतिरिक्त है।

मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, विदेशी मुद्रा समकरण खाता और निवेश पुनर्मूल्यन खाता

XI.18 विदेशी मुद्रा दरों/स्वर्ण मूल्य में घट-बढ़ के चलते विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन में होने वाला लाभ/हानि लाभ और हानि खाते में नहीं लिया जाता बल्कि मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता नामक तुलनपत्र के शीर्ष के तहत लिखा जाता है। इस खाते का शेष विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन पर संचित निवल लाभ होता है। 2010-11 के दौरान मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में 63,152.06 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिससे इसका शेष 30 जून 2010 के 1,19,133.98 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 जून 2011 को 1,82,286.04 करोड़ रुपये हो गया। इसने स्वर्ण-मूल्य में और अमरीकी डॉलर के प्रति अन्य मुद्राओं में वृद्धि दर्शायी।

XI.19 विदेशी मुद्रा समकरण खाते का शेष वायदा प्रतिबद्धताओं से उभरने वाली विनिमय हानियों को दर्शाता है। 30 जून 2011 को विदेशी मुद्रा समकरण खाते का शेष 1.12 करोड़ रुपये था।

XI.20 रिज़र्व बैंक विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिन को प्रचलित बाजार मूल्यों पर करता है और उससे उभरने वाली मूल्यवृद्धि/मूल्यहास निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2011 को निवेश पुनर्मूल्यन खाते

का शेष 4,269.09 करोड़ रुपये था। मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते, विदेशी मुद्रा समकरण खाते और निवेश पुनर्मूल्यन खाते के शेष तुलनपत्र में "अन्य देयताएं" के तहत समूहबद्ध किये जाते हैं (सारणी XI.7)।

आकस्मिकता आरक्षित निधि

XI.21 रिज़र्व बैंक आकस्मिकता आरक्षित निधि बनाये रखता है ताकि वह अनपेक्षित और अनदेखी आकस्मिकताओं का सामना कर सके। 2010-11 के दौरान रिज़र्व बैंक की आय से आकस्मिकता आरक्षित निधि में 12,167.27 करोड़ रुपये के अंतरण से इसका शेष 30 जून 2010 के 1,58,560.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 जून 2011 को 1,70,727.87 करोड़ रुपये हो गया। आकस्मिकता आरक्षित निधि में उपलब्ध शेष आकस्मिक देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

आस्ति विकास आरक्षित निधि

XI.22 रिज़र्व बैंक ने आंतरिक पूंजी व्यय पूरा करने और अपनी सहयोगी तथा संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने के लिए 1997-98 में एक अलग आस्ति विकास आरक्षित निधि का गठन किया जिसका लक्ष्य संयुक्त रूप से आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि के लिए 12 प्रतिशत के समग्र सांकेतिक लक्ष्य के भीतर रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों के एक प्रतिशत तक पहुंचना था। 2010-11 में आय से आस्ति विकास आरक्षित निधि में 1,234.63 करोड़ रुपये के अंतरण से इसका स्तर 30 जून 2010 के 14,631.58 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 जून 2011 को 15,866.21 करोड़ रुपये हो गया। 30 जून 2011 को संयुक्त रूप से आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों

सारणी XI.7: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते, विदेशी मुद्रा समकरण खाते और निवेश पुनर्मूल्यन खाते में शेष राशियां

30 जून को	पुनर्मूल्यन खाते में शेष राशियां (करोड़ रुपये)		
	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	विदेशी मुद्रा समकरण खाता	निवेश पुनर्मूल्यन खाता
1	2	3	4
2007	21,723.52	9.68	—
2008	1,63,211.83	0.00	—
2009	1,98,842.03	26.98	—
2010	1,19,133.98	18.87	9,370.96
2011	1,82,286.04	1.12	4,269.09

सारणी XI.8: आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में शेष राशियां

(करोड़ रुपये)

30 जून को	आकस्मिक आ. निधि में शेष	आस्ति विकास आ. निधि में शेष	कुल	कुल आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4 (2+3)	5
2007	93,770.07	9,564.33	1,03,334.40	10.31
2008	1,27,200.81	12,772.25	1,39,973.06	9.57
2009	1,53,392.21	14,081.95	1,67,474.16	11.89
2010	1,58,560.60	14,631.58	1,73,192.18	11.15
2011	1,70,727.87	15,866.21	1,86,594.08	10.34

के 10.34 प्रतिशत थी (सारणी XI.8)। अब आस्ति विकास आरक्षित निधि रिजर्व बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की अपेक्षा की तुलना में 0.88 प्रतिशत है।

बैंकिंग विभाग - आस्तियां

XI.23 बैंकिंग विभाग की आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के, छोटे सिक्के, खरीदे और बढ़ाकृत किये गये बिल, विदेश में धारित शेष, निवेश, ऋण और अग्रिम तथा अन्य आस्तियां शामिल होती हैं। तुलनपत्र में इन्हें चलनिधि के उतरते क्रम में दर्शाया जाता है।

नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

XI.24 यह बैंक नोटों, एक रुपये के नोट, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के सिक्के और छोटे सिक्कों का स्टॉक है जो कि एक बैंकर के रूप में सामान्य भुगतान और प्राप्तियों के लेनदेन करते समय उभरने वाली आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखा जाता है।

विदेश में धारित शेष

XI.25 यह विदेश में धारित मुद्रा का शेष होता है। यह बैंकिंग विभाग की आस्तियों के तहत दर्शाया गया बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों का भाग होता है।

विदेशी मुद्रा आस्तियां

XI.26 विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी प्रतिभूतियां और विदेश में धारित शेष आते हैं। भारिबैं अधिनियम में विदेशी मुद्रा आस्तियों और सोने के अभिनियोजन का विधिक ढांचा दिया गया है। विदेशी मुद्रा आस्तियों में अन्य केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, विदेशी

वाणिज्य बैंकों में रखी गयी जमाराशि, सरकारी और अधिराष्ट्रीय संस्थाओं और रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित किये गये लिखत या संस्थाओं के ऋण की प्रतिनिधि प्रतिभूतियां शामिल हैं जिनकी अवशिष्ट अवधिपूर्णता 10 वर्ष से अधिक न हो। विदेशी मुद्रा आस्तियों में रुपया संदर्भ में हुई वृद्धि का मुख्य कारण अमरीकी डॉलर से भिन्न मुद्रा आस्तियों की मूल्यवृद्धि था। बकाया विदेशी मुद्रा आस्तियों और देशी आस्तियों की पिछले पांच वर्षों की स्थिति सारणी XI.9 में दी गयी है।

XI.27 विदेशी मुद्रा आस्तियां देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का मुख्य भाग होती हैं। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की पिछले दो वर्षों की स्थिति सारणी XI.10 में दी गयी है। यह उल्लेखनीय है कि विशेष आहरण अधिकार और रिजर्व ट्रॉच पोजिशन भारत की आधिकारिक आरक्षित निधि का भाग होती है किंतु यह भारत सरकार द्वारा धारित होते हैं अतः रिजर्व बैंक के तुलनपत्र में नहीं दर्शाये जाते।

XI.28 रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उधार लेने की नयी व्यवस्था के तहत विशेष आहरण अधिकार 8740.82 मिलियन (62,559.91 करोड़ रुपये) तक के संसाधन उपलब्ध कराने की सहमति दी है। 30 जून 2011 को विशेष आहरण अधिकार 750 मिलियन (5,367.90 करोड़ रुपये) का निवेश उधार लेने की नयी व्यवस्था के तहत जारी नोटों में किया गया।

XI.29 रिजर्व बैंक ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में निवेश करने की सहमति दी है जिसकी राशि 5 बिलियन अमरीकी डॉलर (22,360 करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक ने इन बांडों में 250 बिलियन अमरीकी डॉलर (1,118 करोड़ रुपये) का निवेश किया था।

सारणी XI.9: बकाया विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियां

(करोड़ रुपये)

30 जून को	विदेशी मुद्रा आस्तियां	देशी आस्तियां
1	2	3
2007	8,39,878.79	1,62,058.59
2008	12,98,552.05	1,64,431.13
2009	12,17,541.80	1,90,652.64
2010	11,64,431.33	3,88,594.36
2011	12,68,743.82	5,35,907.16

सारणी XI.10: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

(करोड़ रुपये)

मद	निम्नलिखित तारीख को		घट-बढ़	
	30 जून 2010	30 जून 2011	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां	11,64,431.33	12,68,743.82	1,04,312.49	8.96
स्वर्ण	92,704.13	1,10,317.23	17,613.10	19.00
विशेष आहरण अधिकार	22,718.63	20,631.97	(-) 2,086.66	(-) 9.18
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित निधि की स्थिति	6,117.62	13,302.68	7,185.06	117.45
कुल विदेशी मुद्रा में आरक्षित निधि	12,85,971.71	14,12,995.70	1,27,023.99	9.88

*: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित निधि की स्थिति, जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दर्शाया गया था, को 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से आरक्षित निधि में शामिल किया गया है।

भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश

XI.30 भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश 30 जून 2010 के 1,92,901.62 करोड़ रुपये से 1,03,181.38 करोड़ रुपये बढ़कर 30 जून 2011 को 2,96,083.00 करोड़ रुपये हो गया जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत क्रय की गयी (रिपो) और बेची गयी (रिवर्स रिपो) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं। इस वृद्धि का मुख्य कारण रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये खुले बाजार के क्रय और सरकार द्वारा अधिदेश नकदी शेष का विनिवेश था।

अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के शेयरों में निवेश

XI.31 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के निर्णय के अनुसार नाबार्ड में अपने शेयर का विनिवेश किया। इस प्रकार रिज़र्व बैंक द्वारा पहले धारित नाबार्ड की 2,000 करोड़ रुपये की कुल शेयर पूंजी के 72.5

प्रतिशत में से 71.5 प्रतिशत 13 अक्टूबर 2010 को सम मूल्य पर भारत सरकार को अंतरित किया गया। रिज़र्व बैंक के पास अब नाबार्ड में एक प्रतिशत शेयर धारिता है (सारणी XI.11)। शेयरों में निवेश का मूल्यन लागत पर किया जाता है।

अन्य आस्तियां

XI.32 "अन्य आस्तियां" में उपचित किंतु अप्राप्त आय, अचल आस्तियां (मूल्यहास छोड़कर), बैंकिंग विभाग में धारित स्वर्ण, पूरी न हुई परियोजनाओं पर हुए व्यय की राशि और स्टाफ अग्रिम आदि शामिल हैं। "अन्य आस्तियां" का मूल्य 30 जून 2010 के 58,676.68 करोड़ रुपये से 11,172.21 करोड़ रुपये बढ़कर 30 जून 2011 को 69,848.89 करोड़ रुपये हो गया जिसका मुख्य कारण स्वर्ण-धारिता का मूल्य 30 जून 2010 के 44,126.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 जून 2011 को 52,510.70 करोड़ रुपये हो जाना था।

सारणी XI.11: सहायक/सहयोगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश

(करोड़ रुपये)

संस्था	निम्न तारीख को धारित शेयरों का बही मूल्य	
	30 जून 2010	30 जून 2011
1	2	3
1. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	50.00	50.00
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1,450.00	20.00
3. राष्ट्रीय आवास बैंक	450.00	450.00
4. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि.	800.00	800.00
कुल	2,750.00	1,320.00

लेखापरीक्षक

XI.33 रिज़र्व बैंक के 2010-11 के लेखों की लेखापरीक्षा मे.वी.शंकर अय्यर एंड कंपनी और मे. जैन चौधरी एंड कंपनी द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में की गयी। शाखा कार्यालयों की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों, नामतः मे.रामानंद अय्यर एंड कंपनी, नयी दिल्ली, मे.के.के.मानकेश्वर एंड कंपनी, नागपुर, मे.एम.के.दांडेकर एंड कंपनी, चेन्नै और मे.एस.एन.गुहा एंड कंपनी, कोलकाता द्वारा की गयी। इन लेखापरीक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारिबै अधिनियम की धारा 50 के संदर्भ में की गयी।

रिजर्व बैंक का 2010-11 का लेखा

30 जून 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(हजार रुपये)

2009-10	आय	2010-11
27166,12,24	ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि ¹	23668,21,72
27166,12,24	जोड़	23668,21,72
	व्यय	
1,01,60	ब्याज	55,06,44
1986,82,29	स्थापना	2300,70,71
2,08,15	निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय	2,29,61
37,12,10	खजाना प्रेषण	45,52,77
2855,02,06	एजेंसी प्रभार	3012,48,83
2754,12,35	प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)	2376,37,20
26,58,89	मुद्रण और लेखन-सामग्री	23,32,59
42,48,93	डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार	71,84,43
85,15,56	किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	85,50,27
2,51,17	लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय	3,13,86
2,75,54	विधि प्रभार	3,26,84
274,21,93	बैंक संपत्ति का मूल्यांकन और उसकी मरम्मत	243,91,95
333,21,67	विविध व्यय	431,76,22
8403,12,24	जोड़	8655,21,72
18763,00,00	उपलब्ध शेष राशि	15013,00,00
	घटाइए: निम्नलिखित में अंशदान:	
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घविधि परिचालन) निधि	1,00,00
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घविधि परिचालन) निधि 2	1,00,00
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि 2	1,00,00
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घविधि परिचालन) निधि	1,00,00
4,00,00		4,00,00
18759,00,00	केंद्रीय सरकार को देय अधिशेष	15009,00,00

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार 13401,90,26 हजार रुपये (2009-10 में 5718,01,83 हजार रुपये) का सामान्य या आवश्यक प्राक्खान करने के बाद।
2. यह निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) के पास हैं।

ए.के. बेरा
मुख्य महाप्रबंधक

एच.आर खान
उप गवर्नर

आनंद सिन्हा
उप गवर्नर

सुबीर गोकर्ण
उप गवर्नर

के.सी.चक्रवर्ती
उप गवर्नर

डी.सुब्बा राव
गवर्नर

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्रीय सरकार को 30 जून 2011 की स्थिति का बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून 2011 की स्थिति के तुलन-पत्र की और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि लेखे की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से जो जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे संतोषजनक हैं।

इस वित्तीय विवरण में बैंक के उन्नीस लेखा यूनितों के लेखा शामिल किये गये हैं जो संविक्रम शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं। शाखा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गयी है जिसे हमने रिपोर्ट तैयार करते समय विचारार्थ लिया है।

इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायित्व बैंक-प्रबंधन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण आधार पर, वित्तीय विवरण में राशि और प्रकटन की पुष्टि करनेवाले साक्ष्यों की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

कृते शंकर अय्यर ऐंड कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.109208 डब्ल्यू
एस.वैक्टरमण
भागीदार
(सदस्यता क्र. 34319)

कृते जैन चौधरी ऐंड कं.
सन्दी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.113267डब्ल्यू
एस.सी.जैन
भागीदार
(सदस्यता क्र.14871)

दिनांक: 11 अगस्त 2011
स्थान: मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और 2010-11 के लेखे पर टिप्पणियां

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं और जहां पुनर्मूल्यन को दशनि हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, पारंपरिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गयी लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

2. राजस्व निर्धारण

आय और व्यय का निर्धारण दंडात्मक ब्याज और लाभांश को छोड़कर, उपचित आधार पर किया जाता है क्योंकि उनकी गणना प्राप्त-आधार पर की जाती है। केवल वसूली गयी प्राप्तियों को ही आय के रूप में माना जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावी और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और रिज़र्व बैंक की आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें रिज़र्व बैंक की आय में से वसूल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को पूर्ववर्ती सप्ताह / पूर्ववर्ती माह / वर्षांत के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

3. स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

(क) स्वर्ण

स्वर्ण का मूल्य निर्धारण माह के अंत में उस माह के लिए औसत दैनिक लंदन मूल्य के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये

का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ / हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में समायोजित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं सप्ताह के अंतिम कारोबार के दिन तथा माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर रूपांतरित की जाती हैं। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में आस्तियां और देयताएं उन मामलों को छोड़कर जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित हैं, अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर रूपांतरित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के ऐसे रूपांतरण से होनेवाले विनिमय लाभ और हानियां मुद्रा और स्वर्ण मूल्यन खाते में लिये जाते हैं और उसी में समायोजित रहते हैं। वायदा मुद्रा संविदाओं का मूल्यांकन छमाही रूप से किया जा है और यदि कोई निवल हानि हो तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

खजाना बिलों से भिन्न विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रति माह अंतिम कारोबारी दिन प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है। मूल्यवृद्धि या मूल्यहास, यदि कोई हो, निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। निवेश पुनर्मूल्यन खाते का जमा शेष बाद के वर्ष में लाया जाता है। वर्ष के अंत में निवेश पुनर्मूल्यन खाते का नामे शेष, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन लाभ और हानि खाते में जमा में रिवर्स किया जाता है।

विदेशी खजाना बिल और वाणिज्यिक पत्र बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत पर रखे जाते हैं। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के संबंध में की जाती है। किंतु विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों के मामले में ऐसा न करते हुए इन्हें परिशोधित मूल्य के संदर्भ में पहचाना जाता है। इसके अलावा विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों के विक्रय/चुकौती पर प्रतिभूति के विक्रय संबंधी निवेश पुनर्मूल्यन खाते के लाभ हानि को लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाता है।

4. रुपया प्रतिभूतियां

खजाना बिलों को छोड़कर निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गयी रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित आय-व्रक पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य के मूल्यहास का समायोजन चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खजाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

5. शेयर

शेयरों में किये गये निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाते हुए दिया जाता है।

कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (1 लाख रुपये और उससे अधिक की लागतवाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यहास सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यहास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 प्रतिशत

पट्टाधारित भूमि और भवनों पर मूल्यहास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यहास की दर
पट्टाधारित भूमि और उस पर निर्मित भवन	फ्रीहोल्ड भूमि पर बना भवन पट्टे की अवधि के अनुपात में किंतु 5 प्रतिशत से कम नहीं
फ्रीहोल्ड भूमि और उस पर बना भवन	10 प्रतिशत

एक लाख रुपये से कम लागत वाली अचल आस्तियां (10,000 रुपयों से अधिक लागत वाली आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में लाभ / हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

अचल आस्तियों से संबंधित वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यहास लगाया गया है।

7. कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

8. आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

आकस्मिकता आरक्षित निधि प्रतिभूतियों के मूल्यहास, विनिमय गारंटियों और मौद्रिक / विनिमय दर नीति संबंधी अनिवार्यताओं से उभरे जोखिमों सहित अप्रत्याशित और आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपलब्ध करायी गयी राशि को दर्शाती है।

आंतरिक पूंजीगत व्यय की पूर्ति तथा सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने के लिए अतिरिक्त निर्दिष्ट राशि का प्रावधान किया गया है और उसे आस्ति विकास आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

लेखों पर टिप्पणियां

1. भारत सरकार को अधिशेष का अंतरण

सरकार को अंतरित किये जानेवाले अधिशेष में भारत सरकार द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री-योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने से 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि से संबंधित ब्याज अंतर के रूप में 1,322.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1,407.00 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है।

2. निर्धारित प्रतिभूतियां

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि, छुट्टी नकदीकरण (सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी) की देयता की पूर्ति के लिए अपने निवेश लेखों में से 10,066.55 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9,466.68 करोड़ रुपये) के बही-मूल्य की कुछ सरकारी प्रतिभूतियां निर्धारित की हैं।

3. आरक्षित निधि

आरक्षित निधि में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में किया गया 5.00 करोड़ रुपये का अंशदान और अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से हुई 6,495.00 करोड़ रुपये की मूल्यवृद्धि शामिल है। उसके पश्चात् मासिक आधार पर स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से होनेवाले लाभ / हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में लिया जाता है।

4. जमाराशि

(क) सरकार

केंद्र सरकार ने बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत कोई बकाया शेष नहीं रखा है।

राज्य सरकारों की जमाराशि में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सरकार के शेष शामिल हैं।

(ख) अन्य :

विवरण	(करोड़ रुपये)	
	30 जून के अनुसार	
	2010	2011
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रुपया जमाराशियां	3,246.36	725.23
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं से जमाराशियां	516.33	198.94
III. संचित सेवानिवृत्ति-लाभ	8,817.13	9,401.14
IV. विविध	227.91	2,105.45
कुल	12,807.73	12,430.76

5. अन्य देयताओं के विवरण

विवरण	(करोड़ रुपये)	
	30 जून के अनुसार	
	2010	2011
1	2	3
I. आकस्मिकता आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1,53,392.21	1,58,560.60
जोड़: वर्ष के दौरान उपचय	5,168.39	12,167.27
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,58,560.60	1,70,727.87
II. आस्ति विकास आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	14,081.95	14,631.58
जोड़: वर्ष के दौरान उपचय	549.63	1,234.63
वर्ष के अंत में शेष राशि	14,631.58	15,866.21
III. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1,98,842.03	1,19,133.98
जोड़: वर्ष के दौरान निवल उपचय		
(+)/निवल उपयोग (-)	(-) 79,708.05	63,152.06
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,19,133.98	1,82,286.04
IV. निवेश पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	-	9,370.96
जोड़: वर्ष के दौरान निवल उपचय		
(+)/निवल उपयोग (-)	9,370.96	(-)5,101.87
वर्ष के अंत में शेष राशि	9,370.96	4,269.09
V. विदेशी मुद्रा समकरण खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	26.98	18.87
विनिमय खाते से अंतरण	18.87	1.12
जोड़: वर्ष के दौरान निवल उपचय		
(+)/निवल उपयोग (-)	(-) 26.98	(-) 18.87
वर्ष के अंत में शेष राशि	18.87	1.12
VI. निपटान देयता	-	16,688.64
VII. बकाया व्ययों के लिए प्रावधान	1,548.02	1,517.53
VIII. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष	18,759.00	15,009.00
IX. विविध	6,786.35	7,831.65
कुल (I से IX)	3,28,809.36	4,14,197.15

6. कर्मचारी लाभ

लेखांकन मानक (एएस) 15 - कर्मचारी लाभ (संशोधित) के अनुसरण में दीर्घावधि कर्मचारी लाभ की देयता का "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के अंतर्गत पता लगाया गया और लेखों में रखा गया है।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य खाता

‘अन्य देयताओं’ के अंतर्गत अंतर-कार्यालय लेनदेनों संबंधी 17.19 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 18.37 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है और शेष राशियों, जो कि समाधान के विभिन्न स्तरों पर हैं, का समायोजन आवश्यकतानुसार समाधान करके किया जाता है।

8. रुपया निवेश

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी (रिपो) और बेची (रिवर्स रिपो) गयी प्रतिभूतियों को क्रमशः ‘निवेशों’ में जोड़ा और इनसे घटाया जाता है। वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया रिपो और रिवर्स रिपो की राशि क्रमशः 1,04,690.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 78,630.00 करोड़ रुपये) और 2,600.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 20.00 करोड़ रुपये) थी।

9. विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

विवरण	(करोड़ रुपये)	
	30 जून के अनुसार	
	2010	2011
1	2	3
I. निर्गम विभाग में रखी गयी	7,92,300.93	9,10,165.62
II. बैंकिंग विभाग में रखी गयी		
क) निवेशों में शामिल	32,904.06	55,047.27
ख) विदेशों में रखी गयी राशि	3,39,226.34	3,03,530.93
कुल	11,64,431.33	12,68,743.82
टिप्पणी:		
1. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के आंशिक प्रदत्त शेयर्स पर न मांगी गयी राशि 30 जून 2011 को 86.18 करोड़ रुपये (विशेष आहरण अधिकार 1,20,41,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि 82.98 करोड़ रुपये (विशेष आहरण अधिकार 1,20,41,250) थी।		
2. भारिबैं ने नोट क्रय करार के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उधार लेने की नयी व्यवस्था [जिसमें 10 बिलियन अमरीकी डॉलर (46,600 करोड़ रुपये) की पूर्ववर्ती प्रतिबद्धता शामिल है] के अंतर्गत अधिकतम 8,740.82 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की राशि तक (62,559.91 करोड़ रुपये) के संसाधन उपलब्ध कराने की सहमति दी है। 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार उधार लेने की नयी व्यवस्था के तहत 750 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की राशि (5,367.90 करोड़ रुपये) का निवेश किया गया था।		
3. भारिबैं ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में निवेश की अनुमति दी है बशर्ते इसका कुल 5 बिलियन अमरीकी डॉलर (22,360 करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में भारिबैं ने ऐसे बांडों में 250 मिलियन अमरीकी डॉलर (1,118 करोड़ रुपये) का निवेश किया है।		

10. अन्य आस्तियों का विवरण

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2010	2011
1	2	3
I. अचल आस्तियाँ (संचित मूल्यहास को घटाकर)	516.08	488.28
II. स्वर्ण	44,126.92	52,510.70
III. उपचित, परंतु प्राप्त न हुई आय	12,969.29	15,901.04
IV. विविध	1,064.39	948.87
कुल	58,676.68	69,848.89

11. ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि

ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

(करोड़ रुपये)

विवरण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष	
	30 जून 2010	30 जून 2011
1	2	3
I. विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	14,764.45	5,537.29
II. बैंक की सम्पत्ति की बिक्री पर निवल लाभ	1.87	2.93

12. लेखा परीक्षकों का शुल्क

लेखापरीक्षकों की 3.14 करोड़ रुपये कुल शुल्क और व्यय में से 24 लाख रुपये की राशि का भुगतान रिज़र्व बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों को किया गया।

13. चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण की अनुरूपता में पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

अनुबंध I

अप्रैल 2010 से मई 2011 के दौरान गवर्नर और उप गवर्नरों द्वारा दिये गये भाषणों की सूची

क्रम संख्या	भाषण का शीर्ष	भाषणकर्ता	तारीख
1	2	3	4
1	आगे-पीछे की सुध लेना	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	1 अप्रैल 2010
2	इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आइबीपीएस) का रजत जयंती समारोह	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	2 अप्रैल 2010
3	परिवेश-पद्धतियों और जैव-वैविध्य के अर्थशास्त्र पर कार्यशाला	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर	13 अप्रैल 2010
4	अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आइएमएफसी) में वक्तव्य	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	24 अप्रैल 2010
5	भारत और वैश्विक वित्तीय संकट : पुनः उबरने से विकास की ओर	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	26 अप्रैल 2010
6	भारतीय बैंकों में आइटी सुरक्षा के नये प्रतिमान	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	26 अप्रैल 2010
7	ग्रामीण सहकारी अल्पावधि ऋण संस्थाओं के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन हेतु समीक्षा बैठक में मुख्य व्याख्यान	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	29 अप्रैल 2010
8	पूँजी प्रवाहों में अस्थिरता : कुछ परिप्रेक्ष्य	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	11 मई 2010
9	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंक ऋण : वर्तमान स्थिति तथा भावी दिशा	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	21 मई 2010
10	रिज़र्व बैंक अभिलेखागार - भावी दिशा	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	1 जून 2010
11	वित्तीय विनियमन तथा वित्तीय समावेशन - साथ में अथवा प्रति-प्रयोजनों के लिए कार्य करना	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर	2 जून 2010
12	वित्तीय समावेशन संबंधी अभियान को मिशन बनाकर वित्तीय गहराई लाना	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	17 जून 2010
13	बैंकसुविधा-रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	18 जून 2010
14	सीबीएस से परे बैंकिंग प्रौद्योगिकी : मुद्दे और भावी दिशा	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	2 जुलाई 2010
15	भारत में ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव बाजार : मुद्दे और परिप्रेक्ष्य	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	28 जुलाई 2010
16	विनियमन का समष्टि विवेकपूर्ण दृष्टिकोण - संभावनाएं तथा मुद्दे	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	4 अगस्त 2010
17	वित्तीय संकट - कुछ पुराने प्रश्न और शायद कुछ नए जवाब	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	5 अगस्त 2010
18	भारत में प्रतिभूतिकरण बाजार - संकटोत्तर परिप्रेक्ष्य	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	10 अगस्त 2010
19	आर्थिक संकट और अर्थशास्त्र में संकट - कुछ प्रतिबिंब	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	27 अगस्त 2010
20	बैंकिंग में प्रौद्योगिकी : आर्थिक वृद्धि का एक साधन	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	3 सितंबर 2010
21	संकट के बाद बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार - विश्व स्तर पर सोचें , स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य करें	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	7 सितंबर 2010
22	विनियमन में नये प्रतिमान बनाना	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर	8 सितंबर 2010
23	अगले दशक में बैंकिंग लेन-देन : तीव्रतर, अधिक सस्ते तथा आसान	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	8 सितंबर 2010
24	वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय बैंकों की तैयारी : रणनीतिक और नीतिगत परिप्रेक्ष्य	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	9 सितंबर 2010
25	वित्तीय क्षेत्र की रणनीति के परिप्रेक्ष्य	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	20 सितंबर 2010
26	भारत में वृद्धि -मुद्रास्फीति संतुलन का प्रबंधन : वर्तमान विचार और दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	5 अक्टूबर 2010
27	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की उल्लेखनीय वैश्विक वृद्धि	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	9 अक्टूबर 2010
28	प्रोटीन का महत्त्व	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	26 अक्टूबर 2010
29	वैश्विक कार्यसूची पर प्रमुख मामले : वैश्विक सहयोग की आवश्यकता	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	27 अक्टूबर 2010
30	संकट के बाद जी 20 : भारतीय परिप्रेक्ष्य	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	27 अक्टूबर 2010
31	ग्राहक सेवा सुधारने के लिए जनबल का विकास	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	12 नवंबर 2010
32	पाठकों के साक्षात्कार	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	18 नवंबर 2010
33	अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा की शुरुआत के अवसर पर उद्घाटन भाषण	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	22 नवंबर 2010
34	समावेशी वृद्धि : वित्तीय क्षेत्र की भूमिका	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	27 नवंबर 2010
35	संकट के बाद मौद्रिक नीति पर विचार : व्यवहारकर्ताओं का दृष्टिकोण	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	1 दिसंबर 2010

**अप्रैल 2010 से मई 2011 के दौरान गवर्नर और
उप गवर्नरों द्वारा दिये गये भाषणों की सूची**

क्रम संख्या	भाषण का शीर्ष	भाषणकर्ता	तारीख
1	2	3	4
36	भारतीय बैंकिंग के पांच प्रमुख मुद्दे	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	3 दिसंबर 2010
37	मिंट रोड की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	8 दिसंबर 2010
38	आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं और भारत के लिए नीतिगत अनिवार्यताएं	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	10 दिसंबर 2010
39	केंद्रीय बैंक संप्रेषण में दुविधा की स्थिति: हाल के अनुभव पर आधारित कुछ उदाहरण	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	7 जनवरी 2011
40	वित्तीय प्रणाली में बैंकों की प्रमुखता	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	8 जनवरी 2011
41	भुगतान प्रणाली की नई प्रवृत्तियां और चुनौतियां	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	19 जनवरी 2011
42	केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र के विस्तार का असर	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	31 जनवरी 2011
43	स्वागत भाषण: तीसरा पी. आर. ब्रह्मानंद स्मारक व्याख्यान	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	11 फरवरी 2011
44	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक लागू करना - संबंधित मुद्दे और चुनौतियां	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	11 फरवरी 2011
45	कोर बैंकिंग समाधान से परे : तेज भागती बैंकिंग 2.0	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	18 फरवरी 2011
46	पूंजी खाता प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण : बदलता स्वरूप	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	18 फरवरी 2011
47	भारतीय रिजर्व बैंक और आपके दैनिक जीवन में परिवर्तन	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	24 फरवरी 2011
48	बैंकिंग और उसके आगे : भारतीय वित्तीय प्रणाली के सामने नई चुनौतियां	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	15 मार्च 2011
49	वित्तीय समावेशन : ग्राहक केंद्रित विचार	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	21 मार्च 2011
50	वैश्विक ऐजेंडा में अग्रणी मुद्दे : उभरती अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	29 मार्च 2011
51	उद्यमशीलता को कर्ज के साथ जोड़ना - वित्तीय प्रणाली की भूमिका	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	4 अप्रैल 2011
52	आर्थिक वृद्धि की निरंतरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण : भावी दिशा	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	5 अप्रैल 2011
53	वैश्विक अर्थव्यवस्था और ढांचा	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	15 अप्रैल 2011
54	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति में दिया गया वक्तव्य	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	16 अप्रैल 2011
55	वैश्विक चुनौतियां, वैश्विक समाधान : कुछ टिप्पणियां	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	16 अप्रैल 2011
56	भारत में डेरिवेटिव बाजारों के संबंध में विनियामक दृष्टिकोण	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	4 मई 2011
57	केंद्रीय बैंक के अभिशासन संबंधी मुद्दे - भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ विचार	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	9 मई 2011
58	आपस में जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में नीति संबंधी अनुशासन और उसके परिणाम	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	10 मई 2011
59	प्रौद्योगिकी पर निर्भरता	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	13 मई 2011
60	प्रतिभाओं का अर्जन और प्रबंधन	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	31 मई 2011
61	समष्टि -विवकपूर्ण नीतियां : भारतीय अनुभव	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	2 जून 2011
62	गैर वित्तीय रिपोर्टिंग: क्या, क्यों और कैसे- भारतीय परिदृश्य	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	6 जून 2011
63	केन्द्रीय बैंकों के वित्तीय स्थिरता संबंधी दायित्व : अंतरराष्ट्रीय और भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुद्दे	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	10 जून 2011
64	ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में चुनौतियां और अवसर	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	17 जून 2011
65	भारत में म्यूचुअल फंड और बाजार की गतिविधियां	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	22 जून 2011
66	भारत और वैश्विक वित्तीय संकट: हमने इससे क्या सीखा?	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	23 जून 2011
67	धारणीय वृद्धि के लिये आर्थिक सुधार	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	23 जून 2011
68	नयी पीढ़ी की बैंकिंग के समक्ष चुनौतियां	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	25 जून 2011
69	भारत में वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन स्थापित करना	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	27 जून 2011
70	बिंदुओं को जोड़ना	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	28 जून 2011
71	भारतीय रिजर्व बैंक में सांख्यिकी	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	5 जुलाई 2011
72	बैंकों में प्रौद्योगिकी - श्रेष्ठता की खोज में	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	4 अगस्त 2011
73	भारतीय शिक्षा व्यवस्था - मुद्दे और चुनौतियां	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	5 अगस्त 2011

अनुबंध II

1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारतीय रिज़र्व बैंक में आगमन

क्रम संख्या	तारीख	विदेशी प्रतिनिधि / प्रतिनिधिमंडल	भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक अधिकारी
1	2	3	4
1.	09 जुलाई 2010	सीनेटर क्रिस्टोफर जे. डोड, अमेरिकी सीनेटर, बैंकिंग, आवास और शहरी मामलों की समिति के अध्यक्ष	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक,
2.	18 जुलाई 2010	आरटी. ऑन जॉर्ज ओसबोर्न, ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, श्रीमती उषा थोरात, डॉ. के.सी. चक्रवर्ती और डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर, सर्वश्री वी. के. शर्मा, सी कृष्णन, आनंद सिन्हा, वी. एस. दास, जी. गोपालकृष्ण, एच.आर.खान और दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक और श्रीमती ग्रेस कोशी, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
3.	10 अगस्त 2010	लॉर्ड मेघनाद देसाई और श्री डेविड वेन मार्श, एससीसीओ इंटरनेशनल, लंदन, ब्रिटेन	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, डॉ. सुबीर गोकर्ण उप गवर्नर, सर्वश्री एच. आर. खान और दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
4.	25 अगस्त 2010	सुश्री सुब्रिनो चाउ, निदेशक, हांगकांग आर्थिक और व्यापार कार्यालय, सिंगापुर, हांगकांग सरकार का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र	श्रीमती ग्रेस कोशी, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
5.	06 सितंबर 2010	श्री सांग जुएजुन, वाणिज्यिक कौंसुल, चीनी वाणिज्य दूतावास और आर्थिक और वाणिज्यिक प्रभाग के प्रमुख और श्री सुन जियांग, चीन के औद्योगिक और वाणिज्य बैंक के प्रारंभिक कार्यदल के प्रमुख	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर
6.	07 सितंबर 2010	लॉर्ड जेम्स ससून, ट्रेजरी के वाणिज्यिक सचिव, ब्रिटेन	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर
7.	09 सितंबर 2010	श्री रॉबर्ट डी. हॉमैट्स, अवर सचिव, आर्थिक, ऊर्जा और कृषि कार्य, यूएसए	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर, श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
8.	20 अक्टूबर 2010	सुश्री कार्ला मैकन्यूटी बायर, मंत्री, वाणिज्य एवं रोजगार, ग्वेर्नेसे सरकार के नेतृत्व में ग्वेर्नेसे राज्य का प्रतिनिधिमंडल	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
9.	27 अक्टूबर 2010	श्री रणदीरसिंग भोन्निक, बैंक ऑफ मॉरीशस के गवर्नर	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर
10.	28 अक्टूबर 2010	श्री माइकेल आर.पी. रेफ्ल्ड, वाइस चेयर, निवेश और कॉर्पोरेट बैंकिंग, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स, के नेतृत्व में कनाडा का प्रतिनिधिमंडल	डॉ. सुबीर गोकर्ण उप गवर्नर, सर्वश्री आनंद सिन्हा, एच.आर.खान और दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
11.	28 अक्टूबर 2010	श्री जोस मैनुअल गार्सिया-मार्गालो वाई मार्फिल, यूरोपीय संसद (ईपीपी) के सदस्य, आर्थिक और मौद्रिक मामलों की समिति के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में यूरोपीय संसद का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक
12.	29 अक्टूबर 2010	लंदन सिटी के लार्ड मेयर, ऐल्डरमैन निक ऐन्स्टी और उनका प्रतिनिधिमंडल, ब्रिटेन	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ और श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, सर्वश्री आनंद सिन्हा, एच.आर.खान और दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
13.	03 नवंबर 2010	श्री सी. लॉरेंस ग्रीनवुड, उपाध्यक्ष, एशियाई विकास बैंक	डॉ. सुबीर गोकर्ण, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, सर्वश्री वी. के. शर्मा, एच. आर. खान, दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
14.	11 नवंबर 2010	इटली में ट्रेन्सिनो क्षेत्र के सहकारी बैंकों का समूह, जिसे ऐसडीर नाम से जाना जाता है।	श्री वी.के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक
15.	22 नवंबर 2010	नैटविसस के आर्थिक अनुसंधान विभाग में उभरते एशिया के समष्टि-आर्थिक परिदृश्य के लिए जिम्मेदार अर्थशास्त्री श्री एडगार्डो टारिजा-जेन	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक

1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारतीय रिजर्व बैंक में आगमन

क्रम संख्या	तारीख	विदेशी प्रतिनिधि / प्रतिनिधिमंडल	भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक अधिकारी
1	2	3	4
16.	29 नवंबर 2010	ऑस्ट्रेलिया से युवा संसदीय शिष्टमंडल	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, सर्वश्री आनंद सिन्हा और दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
17.	30 नवंबर 2010	श्री जॉन क्लार्क, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के उभरते समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
18.	14 दिसंबर 2010	श्री अनिल ककानी, अमेरिका के ट्रेजरी विभाग में भारतीय मामलों के लिए वरिष्ठ सलाहकार	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर
19.	18 जनवरी 2011	श्री फ्रांसिस्को गोजालेज़, अध्यक्ष और बीबीवीए, स्पेन के सीईओ की अध्यक्षता में बीबीवीए का प्रतिनिधिमंडल	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, सर्वश्री आनंद सिन्हा और दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
20.	11 फरवरी 2011	अमेरिका के वाणिज्य मंत्री श्री गैरी लॉक, और उनका प्रतिनिधिमंडल	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, डॉ. सुबीर गोकर्ण और श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर, सर्वश्री एच.आर. खान और दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
21.	11 फरवरी 2011	प्रो. स्टैनली फिशर, गवर्नर, बैंक ऑफ इजराइल	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, डॉ. सुबीर गोकर्ण और श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर
22.	22 फरवरी 2011	श्री सेजी नाकामुरा, बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी बोर्ड के सदस्य	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर और श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
23.	25 फरवरी 2011	अमेरिकी कांग्रेस के 11 स्टाफ सदस्य	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, सर्वश्री एच. आर. खान, दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
24.	28 फरवरी 2011	श्री जियांग जियानक्विंग, आइसीबीसी बोर्ड, चीन के अध्यक्ष और उनका प्रतिनिधिमंडल	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर
25.	03 मार्च 2011	सुश्री लालए ब्रेनार्ड, यूएसए के अंतरराष्ट्रीय मामलों की अवर सचिव	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर, श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक और श्री चंदन सिन्हा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली
26.	16 मार्च 2011	लॉर्ड स्टीफन ग्रीन, ब्रिटेन के व्यापार और निवेश राज्य मंत्री	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर और श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर
27.	18 मार्च 2011	एजेंस फ्रैंकाइस डेवलपमेंट (एएफडी), फ्रांस का समष्टि-आर्थिक विश्लेषक दल	श्री के.यू.बी. राव, प्रभारी अधिकारी तथा आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी
28.	29 मार्च 2011	श्री रसेल ग्रीन, ट्रेजरी अटैशे, अमेरिकी ट्रेजरी और दूतावास	श्री एच. आर. खान, कार्यपालक निदेशक
29.	31 मार्च 2011	महामहिम डॉ. यूवाल स्टेनिज, वित्त मंत्री, इजराइल	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर
30.	26 अप्रैल 2011	श्री अकिताका साइकी, भारत में जापान के राजदूत	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर
31.	26 अप्रैल 2011	श्री फ्लोरेट दउबा, आर्थिक अटैशे, फ्रांस और मुंबई आर्थिक सेवा महावाणिज्य दूतावास	श्री एच. आर. खान, कार्यपालक निदेशक
32.	09 मई 2011	उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम (एएलपी) के तहत कनाडा के आठ सहायक उप मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर, सर्वश्री जी. गोपालकृष्ण, एच.आर.खान और दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
33.	16 मई 2011	डॉ.नगोजी ओकोन्जो-आइवीले, विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, डॉ. सुबीर गोकर्ण, श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर और श्री वी.के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक
34.	14 जून 2011	महामहिम श्री पियरे वईसेन, भारत में बेल्जियम के राजदूत	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर
35.	14 जून 2011	श्री स्पेंसर डेल, बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुख्य अर्थशास्त्री	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर
36.	16 जून 2011	सर रिचर्ड स्टैग, उच्चायुक्त, ब्रिटेन	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर
37.	17 जून 2011	श्री फ्रेडी स्वेन, डैनिश राजदूत	डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर
38.	27 जून 2011	श्री माइकल सी. कैम्पुनेजा, मार्केट ऐक्सेस एण्ड कंप्लायंस (मैक) के लिए अमेरिका के वाणिज्य सहायक सचिव	श्री बी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि-आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 1990-91 से 1999-2000 (दस वर्ष)	औसत 2000-01 से 2009-10 (दस वर्ष)	औसत 2003-04 से 2007-08 (पांच वर्ष)	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था						
I.1 समग्र वास्तविक सकल देशी उत्पाद (प्रतिशत परिवर्तन)	5.7	7.3	8.9	6.8	8.0	8.5
क) कृषि (प्रतिशत परिवर्तन)	3.2	2.4	5.0	-0.1	0.4	6.6
ख) उद्योग (प्रतिशत परिवर्तन)	5.7	7.3	9.0	4.0	8.3	7.8
जिसमें से:						
विनिर्माण (प्रतिशत परिवर्तन)	5.6	8.0	10.0	4.2	8.8	8.3
ग) सेवाएं (प्रतिशत परिवर्तन)	7.1	9.0	10.1	9.5	9.7	9.2
मांग पक्ष के समुच्चय						
घ) अंतिम उपभोग व्यय (प्रतिशत परिवर्तन)	5.0	6.3	7.2	8.2	8.7	8.0
जिसमें से:						
पीएफसीई (प्रतिशत परिवर्तन)	4.8	6.4	7.4	7.7	7.3	8.6
जीएफसीई (प्रतिशत परिवर्तन)	6.3	5.8	5.6	10.7	16.4	4.8
ड) सकल अचल पूंजी निर्माण (प्रतिशत परिवर्तन)	7.2	10.2	15.7	1.5	7.3	8.6
I.2 सकल देशी उत्पाद में हिस्सा						
क) कृषि (प्रतिशत)	28.4	19.4	18.9	15.7	14.6	14.4
ख) उद्योग (प्रतिशत)	20.1	20.0	20.1	20.1	20.2	20.0
ग) सेवाएं (प्रतिशत)	51.5	60.6	61.1	64.2	65.2	65.6
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	188.6	210.5	213.6	234.5	218.1	241.6
जिसमें से:						
चावल	80.1	89.2	90.7	99.2	89.1	95.3
गेहूँ	63.9	73.4	72.9	80.7	80.8	85.9
दालें	13.5	13.5	14.1	14.6	14.7	18.1
I.4 वाणिज्यिक फसलें (मिलियन टन) \$	308.0	341.9	347.9	345.4	353.3	414.3
जिसमें से:						
तिलहन	21.3	23.8	26.3	27.7	24.9	31.1
गन्ना	265.5	289.9	291.2	285.0	292.3	339.2
I.5 खाद्य स्टॉक (मिलियन टन)						
क) प्राप्ति	23.3	42.0	38.4	55.3	58.0	56.8
ख) उठाव	20.6	39.5	41.5	39.5	48.9	52.9
ग) मार्च के अंत में स्टॉक	19.3	30.1	18.6	35.6	43.4	44.4
I.6 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (प्रतिशत परिवर्तन)	6.3	7.4	12.4	2.5	5.3	8.2
क्षेत्रीय						
क) खनन	3.4	4.3	4.0	2.6	7.9	5.2
ख) विनिर्माण	6.5	8.0	14.5	2.5	4.8	9.0
ग) बिजली	7.0	4.8	6.3	2.7	6.1	5.5
उपयोग आधारित						
घ) आधारभूत वस्तुएं	6.3	5.6	8.0	1.7	4.7	6.0
ड) पूंजीगत वस्तुएं	5.5	13.3	30.0	11.3	1.0	14.8
च) मध्यवर्ती वस्तुएं	7.5	6.2	8.5	0.0	6.0	7.4
छ) उपभोक्ता वस्तुएं	5.9	8.2	14.8	0.9	7.7	8.6
I.7 इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग (प्रतिशत परिवर्तन)	6.3	5.5	5.8	2.8	6.6	5.8
I.8 सकल देशी बचत दर (जीडीपी का प्रतिशत)	23.0	30.7	33.3	32.2	33.7	-
जिसमें से:						
पारिवारिक	17.7	23.1	23.5	23.8	23.5	-
निजी कंपनी	3.8	6.3	7.4	7.9	8.1	-
सार्वजनिक	1.5	1.3	2.4	0.5	2.1	-
I.9 सकल देशी निवेश दर (जीडीपी का प्रतिशत)	24.4	31.2	34.3	34.5	36.5	-
II. मूल्य						
II.1 शोक मूल्य सूचकांक वार्षिक औसत (प्रतिशत परिवर्तन)						
सभी पण्य	8.1	5.4	5.5	8.1	3.8	9.6
सभी पण्य-पाइंटूपाइंट	-	-	-	1.6	10.4	9.7
प्राथमिक वस्तुएं	9.4	6.4	6.0	11.0	12.7	17.7
जिसमें से:						
खाद्यान्न वस्तुएं	10.2	5.8	5.2	9.1	15.3	15.6
खाद्येतर वस्तुएं	8.3	6.1	5.5	12.9	5.5	22.3
ईंधन समूह	10.6	8.9	7.3	11.6	-2.1	12.3
विनिर्मित उत्पाद	7.1	4.1	5.0	6.2	2.2	5.7
जिसमें से:						
खाद्यान्न वस्तुएं	8.6	4.7	4.8	8.7	13.5	3.7
खाद्येतर वस्तुएं	6.8	4.0	5.0	5.7	0.2	6.1

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि-आर्थिक और वित्तीय संकेतक (जारी)

मद	औसत 1990-91 से 1999-2000 (दस वर्ष)	औसत 2000-01 से 2009-10 (दस वर्ष)	औसत 2003-04 से 2007-08 (पांच वर्ष)	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
II.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (औसत प्रतिशत परिवर्तन)						
क) सीपीआई औद्योगिक श्रमिक जिसमें से:	9.5	5.9	5.0	9.1	12.4	10.4
सीपीआई-औद्योगिक श्रमिक खाद्यान्न	9.8	6.2	5.5	12.3	15.2	9.9
ख) सीपीआई कृषि श्रमिक	9.3	5.4	5.1	10.2	13.9	10.0
III. मुद्रा और ऋण						
III.1 आरक्षित मुद्रा (एम₀) (प्रतिशत परिवर्तन)	13.9	15.4	20.4	6.4	17.0	19.1
समायोजित आरक्षित मुद्रा (प्रतिशत परिवर्तन)	-	-	-	19.0	12.9	18.2
क) संचलन में मुद्रा (प्रतिशत परिवर्तन)	15.2	15.1	15.9	17.0	15.7	18.8
ख) आरबीआइ के पास बैंकों की जमा राशियां (प्रतिशत परिवर्तन)	11.5	17.9	33.1	-11.3	21.0	20.2
III.2 संकीर्ण मुद्रा (एम₁) (प्रतिशत परिवर्तन)	15.6	16.0	19.6	9.0	18.2	9.8
III.3 व्यापक मुद्रा (एम₂) (प्रतिशत परिवर्तन)	17.2	17.5	18.6	19.3	16.8	16.0
क) जनता के पास मुद्रा (प्रतिशत परिवर्तन)	15.2	15.1	15.9	17.1	15.3	19.1
ख) वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (जीडीपी का प्रतिशत)	28.7	42.9	44.5	54.0	53.3	53.8
ग) सरकार को बैंक ऋण (जीडीपी का प्रतिशत)	22.7	23.1	21.5	22.9	25.5	25.2
घ) मुद्रा-जमा अनुपात (प्रतिशत)	23.1	18.3	18.3	16.1	15.9	16.4
ङ) मुद्रा गुणक	3.4	4.5	4.7	4.9	4.8	4.7
III.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक						
क) कुल जमा राशियां (प्रतिशत परिवर्तन)	17.2	18.1	19.0	19.9	17.2	15.9
ख) सावधि जमा राशियां (प्रतिशत परिवर्तन)	17.4	18.5	18.5	23.9	16.2	18.7
ग) मांग जमा राशियां (प्रतिशत परिवर्तन)	16.5	16.4	21.9	-0.2	23.4	-0.6
घ) बैंक ऋण (प्रतिशत परिवर्तन)	15.9	21.8	25.5	17.5	16.9	21.5
ङ) खाद्येतर ऋण (प्रतिशत परिवर्तन)	15.4	22.4	26.7	17.8	17.1	21.3
च) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (प्रतिशत परिवर्तन)	20.9	17.7	13.3	20.6	19.3	8.6
छ) ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	55.1	64.8	68.0	72.4	72.2	75.7
ज) ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत)	20.6	37.7	39.5	49.7	49.5	50.0
IV. वित्तीय बाजार						
IV.1 ब्याज दर (प्रतिशत)						
क) मांग/सूचना मुद्रा दर	11.7	6.1	5.6	7.1	3.2	5.8
ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	12.3	7.5	7.0	7.5	7.2	7.9
ग) 91 दिवसीय खजाना बिल पर प्रतिफल	9.4	6.1	5.8	7.1	3.6	-
घ) केन्द्र सरकार की उधारियों पर भारत औसत ब्याज दर	12.3	7.8	7.2	7.7	7.2	-
ङ) वाणिज्यिक पेपर	12.5	8.2	7.7	10.8	6.3	8.7
IV.2 चलनिधि (करोड़ ₹)						
क) बकाया एलएएफ	-	-	-	1,485	990	-1,06,005
ख) बकाया एमएसएस	-	-	-	88,077	2,737	-
ग) औसत दैनिक मांग मुद्रा बाजार कारोबार	-	-	18,492	22,436	15,924	17,727
घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार में औसत दैनिक कारोबार	-	-	7,709	10,879	14,426	14,256
V. सरकारी वित्त						
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का प्रतिशत) #						
क) कुल राजस्व प्राप्तियां	9.2	9.5	9.9	9.7	8.7	10.0
i) कर राजस्व	6.8	7.2	7.6	7.9	7.0	7.2
ii) गैर कर राजस्व	2.5	2.3	2.3	1.7	1.8	2.8
ख) कुल व्यय	16.0	15.4	14.8	15.8	15.6	15.4
i) राजस्व व्यय	12.3	12.9	12.2	14.2	13.9	13.4
जिसमें से:						
ब्याज भुगतान	4.2	4.0	3.8	3.4	3.3	3.1
ii) पूंजीगत व्यय	3.7	2.5	2.6	1.6	1.7	2.1
ग) राजस्व घाटा	3.0	3.4	2.3	4.5	5.2	3.4
घ) राजकोषीय घाटा	5.9	4.8	3.6	6.0	6.4	5.1
ङ) प्राथमिक घाटा	1.6	0.8	-0.2	2.6	3.1	2.0
च) देशी ऋण	48.0	56.7	58.2	54.4	51.7	47.9
V.2 राज्य वित्त #						
क) राजस्व घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)*	1.2	1.0	0.5	-0.2	0.5	0.3
ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)*	3.1	3.1	2.7	2.4	2.9	2.6
ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)*	1.2	0.8	0.3	0.6	1.2	1.0
घ) बकाया देयताएं (जीडीपी का प्रतिशत)*	22.3	29.3	30.1	26.3	25.0	23.0

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि-आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 1990-91 से 1999-2000 (दस वर्ष)	औसत 2000-01 से 2009-10 (दस वर्ष)	औसत 2003-04 से 2007-08 (पांच वर्ष)	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
VI. बाह्य क्षेत्र						
VI.1 भुगतान संतुलन						
क) वणिज्य माल का निर्यात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	8.6	17.7	25.3	13.7	-3.6	37.4
तेल निर्यात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	-13.5	505.3 ×	62.6	-2.9	2.3	48.7
तेल से इतर निर्यात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	8.9	18.5 ×	31.0	17.2	-4.6	35.4
ख) वणिज्य माल आयात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	9.6	19.5	32.3	19.8	-2.6	26.7
तेल आयात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	17.7	22.9	35.7	17.6	-7.0	21.7
तेल से इतर आयात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	8.8	18.5	31.0	20.7	-0.6	28.8
ग) व्यापार शेष / जीडीपी (प्रतिशत)	-2.8	-5.3	-5.4	-9.8	-8.6	-7.5
घ) अदृश्य शेष / जीडीपी (प्रतिशत)	1.6	4.8	5.1	7.5	5.8	5.0
ङ) चालू खाता शेष / जीडीपी (प्रतिशत)	-1.3	-0.5	-0.3	-2.3	-2.8	-2.6
च) निवल पूंजी प्रवाह / जीडीपी (प्रतिशत)	2.2	3.4	4.6	0.6	3.9	3.5
छ) चालू खाता शेष (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	-4.4	-8.3	-4.7	-27.9	-38.4	-44.3
निवल अदृश्य मदें	6.0	44.2	45.8	91.6	80.0	86.2
जिसमें से: सेवाएं	1.3	21.5	23.4	53.9	35.7	47.7
निजी अंतरण	7.8	27.9	27.6	44.6	52.1	53.4
निवेश आय	-3.5	-5.0	-4.9	-6.6	-7.2	-13.9
ज) निवल पूंजी प्रवाह (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	7.7	31.0	44.4	6.8	53.4	59.7
जिसमें से: भारत को विदेशों प्रत्यक्ष निवेश	1.6	16.3	15.3	37.7	33.1	23.4
एफआईआई	1.3	7.1	10.6	-15.0	29.0	29.4
अनिवासी भारतीय जमाराशियां	1.3	2.5	2.0	4.3	2.9	3.2
ii) रिजर्व में परिवर्तन (भुगतान संतुलन आधार पर) (बिलियन अमेरिकी डॉलर) [वृद्धि (-) / कमी (+)]	-3.3	-22.9	-40.3	20.1	-13.4	-13.1
VI.2 बाह्य ऋण संकेतक						
क) विदेशी ऋण स्टाक (बिलियन अमेरिकी डॉलर)**	93.0	157.0	156.0	224.5	261.0	305.9
ख) ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत)	29.0	19.0	17.7	20.5	18.0	17.3
ग) रिजर्व का आयात कवर (महीनों में)**	6.5	12.5	14.0	9.8	11.1	9.6
घ) कुल ऋण में अल्पावधि ऋण(प्रतिशत)	6.0	11.8	13.6	19.3	20.0	21.2
ङ) ऋण चुकौती अनुपात (प्रतिशत)	24.9	8.8	8.3	4.4	5.5	4.2
च) ऋण की तुलना में रिजर्व (प्रतिशत)**	23.0	96.0	114.2	112.2	106.9	99.6
VI.3 खुलेपन के संकेतक (प्रतिशत)						
क) वस्तुओं का आयात + निर्यात / सकल घरेलू उत्पाद	18.8	29.5	30.4	41.0	35.0	36.5
ख) वस्तुओं और सेवाओं का आयात + निर्यात / जीडीपी	22.9	39.2	40.8	54.0	46.3	49.0
ग) चालू प्राप्तियां + चालू भुगतान/जीडीपी	26.8	45.1	46.6	61.1	52.8	54.4
घ) सकल पूंजी अर्तवाह + बहिर्वाह / जीडीपी	15.1	33.6	36.8	51.1	46.2	53.9
ङ) चालू प्राप्तियां और भुगतान + पूंजी प्राप्तियां और भुगतान / जीडीपी	41.9	78.7	83.5	112.2	99.1	108.3
VI.4 विनिमय दर संकेतक						
क) विनिमय दर (रुपया/अमेरिकी डॉलर)						
अवधि की समाप्ति	34.1	45.4	43.1	50.9	45.1	44.6
औसत	32.7	45.6	44.1	45.9	47.4	45.6
ख) 36 - मुद्रा रीर (प्रतिशत परिवर्तन)	-0.04 @@	0.4	1.0	-9.9	-3.1	7.7
ग) 36 - मुद्रा नीर (प्रतिशत परिवर्तन)	-1.3 @@	-0.3	0.5	-10.9	-2.6	2.9
घ) 6 - मुद्रा रीर (प्रतिशत परिवर्तन)	0.4 @@	1.5	2.5	-9.3	-0.3	13.1
ङ) 6 - मुद्रा नीर (प्रतिशत परिवर्तन)	-4.0 @@	-1.4	0.4	-13.6	-3.7	5.7

त्व.अ. : त्वरित अनुमान।

सं.अ. : संशोधित अनुमान।

\$: इसमें तिलहन, गन्ना, कपास (लिट) और कच्चा जूट और मेस्ता शामिल हैं।

- : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

: 2010-11 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

* : 2009-10 और 2010-11 के आंकड़े 28 राज्यों के हैं जिनमें से 5 वोट ऑन अकाउंट हैं।

Δ : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों पर आधारित हैं।

× : आंकड़े 2000-01 और 2008-09 के औसत हैं।

** : मार्च के अंत में।

@@ : 1994-95 से 1999-2000 का औसत।

टिप्पणी: 1. पीएफसीई: निजी अंतिम उपभोग व्यय; जीएफसीई: सरकारी अंतिम उपभोग व्यय रीर : वास्तविक प्रभावी विनिमय दर

2. 2010-11 के कृषि उत्पादन के आंकड़े 19-7-2011 की स्थिति के अनुसार चौथे अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं।

3. मद क्रमांक 1.6 और 1.7 के 4थे स्तंभ की औसत वृद्धि दर की गणना नए आधार वर्ष (2004-05) के आधार पर की गई है। तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 की औसत वृद्धि दर स्तंभ में दर्शाई गयी है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रीय संरचना
(2004-05 की कीमतों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर						वास्तविक जीडीपी में हिस्सा				
	औसत 2005-06 से 2010-11	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*	2010-11#	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*	2010-11#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	3.7	4.2	5.8	-0.1	0.4	6.6	17.4	16.8	15.7	14.6	14.4
जिसमें से:											
कृषि	3.1	4.1	6.3	-0.6	-0.1	..	14.7	14.3	13.3	12.3	..
2. उद्योग	8.5	12.9	9.2	4.0	8.3	7.8	20.6	20.6	20.1	20.2	20.0
जिसमें से:											
क) खनन और उत्खनन	4.4	7.5	3.7	1.3	6.9	5.8	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3
ख) विनिर्माण	9.3	14.3	10.3	4.2	8.8	8.3	16.0	16.1	15.8	15.9	15.8
ग) बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति	6.9	9.3	8.3	4.9	6.4	5.7	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9
3. सेवाएं	10.0	10.1	10.4	9.5	9.7	9.2	62.0	62.6	64.2	65.2	65.6
जिसमें से:											
क) विनिर्माण	9.1	10.3	10.7	5.4	7.0	8.1	8.0	8.1	8.0	7.9	7.9
ख) व्यापार, होटल तथा रेस्तराँ	9.1	11.0	10.0	5.5	6.7	9.0	16.7	16.8	16.6	16.4	16.5
ग) परिवहन, भंडारण व संचार	12.7	12.7	12.9	11.1	15.0	12.3	8.9	9.2	9.5	10.2	10.5
घ) वित्तपोषण, बीमा, भू संपदा और कारोबारी सेवाएं	11.7	14.0	11.9	12.5	9.2	9.9	15.7	16.1	17.0	17.2	17.4
ड) सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	8.0	2.9	6.9	12.7	11.8	7.0	12.7	12.4	13.1	13.6	13.4
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	8.6	9.6	9.3	6.8	8.0	8.5	100	100	100	100	100

ज्ञापन: (करोड़ ₹ में)

क्षेत्र	(चालू बाजार मूल्यों पर)				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*	2010-11#
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7,22,984	8,36,518	9,28,943	10,89,297	13,86,882
2. उद्योग	8,17,768	9,41,362	10,39,030	11,52,164	13,28,887
3. सेवाएं	24,11,489	28,03,542	33,14,113	38,91,769	45,91,221
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	39,52,241	45,81,422	52,82,086	61,33,230	73,06,990
क्षेत्र	(स्थिर मूल्यों पर)				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*	2010-11#
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	6,19,190	6,55,080	6,54,118	6,56,975	7,00,390
2. उद्योग	7,36,372	8,04,474	8,36,363	9,06,081	9,76,634
3. सेवाएं	22,10,449	24,39,404	26,72,028	29,30,687	32,00,819
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	35,66,011	38,98,958	41,62,509	44,93,743	48,77,842

* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान .. : उपलब्ध नहीं

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 3: सकल देशी बचत और निवेश

मद	चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी का प्रतिशत				राशि करोड़ ₹ में		
	औसत 2004-05 से 2009-10	2007-08	2008-09 अ	2009-10*	2007-08	2008-09 अ	2009-10*
1	2	3	4	5	6	7	8
1. पारिवारिक बचत	23.3	22.5	23.8	23.5	11,19,829	13,31,033	15,36,071
जिसमें से:							
क) वित्तीय आस्तियां	11.2	11.7	10.8	11.8	5,81,935	6,00,141	7,71,527
ख) भौतिक आस्तियां	12.1	10.8	13.1	11.7	5,37,894	7,30,892	7,64,544
2. निजी कंपनी क्षेत्र	7.9	9.4	7.9	8.1	4,68,707	4,38,376	5,31,403
3. सरकारी क्षेत्र	2.7	5.0	0.5	2.1	2,48,962	28,938	1,39,949
4. सकल देशी बचत	33.9	36.9	32.2	33.7	18,37,498	17,98,347	22,07,423
5. निवल पूंजी आगम	1.5	1.3	2.3	2.8	64,430	1,28,760	1,81,790
6. सकल देशी पूंजी - निर्माण	35.4	38.1	34.5	36.5	19,01,928	19,27,107	23,89,213
7. भूल-चूक	0.1	0.1	-0.8	0.7	5,365	-46,428	45,034
8. सकल पूंजी - निर्माण	35.3	38.0	35.4	35.8	18,96,563	19,73,535	23,44,179
जिसमें से :							
क) सरकारी क्षेत्र	8.5	8.9	9.5	9.2	4,41,923	5,29,231	6,01,618
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	13.4	17.3	11.5	13.2	8,63,154	6,41,199	8,64,643
ग) पारिवारिक क्षेत्र	12.1	10.8	13.1	11.7	5,37,894	7,30,892	7,64,544
घ) मूल्यवान वस्तुएं #	1.3	1.1	1.3	1.7	53,592	72,213	1,13,374
ज्ञापन :							
कुल उपभोक्ता व्यय (क+ख)		67.3	69.4	69.7			
क) निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय		57.0	58.4	57.7			
ख) सरकारी अंतिम उपभोक्ता व्यय		10.3	11.0	12.0			
बचत-निवेश का शेष (4-6)		-1.2	-2.3	-2.8			
सरकारी क्षेत्र का शेष #		-3.9	-9.0	-7.0			
निजी क्षेत्र का शेष #		3.8	7.1	6.7			
क) निजी कंपनी क्षेत्र		-7.9	-3.6	-5.1			
ख) पारिवारिक क्षेत्र		11.7	10.8	11.8			
बाजार मूल्यों पर जीडीपी (चालू मूल्यों पर)		49,86,426	55,82,623	65,50,271			

अ: अनंतिम अनुमान

*: त्वरित अनुमान

: मूल्यवान वस्तुओं में, कला संबंधी और पुरातन वस्तुओं को छोड़कर, मूल्यवान वस्तुओं के अर्जन पर किये गये व्यय शामिल हैं।

स्त्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 4: पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल)

मद	कुल वित्तीय बचत के प्रतिशत के रूप में			करोड़ ₹		
	2008-09 (सं)	2009-10 (सं)	2010-11 (प्रा)	2008-09 (सं)	2009-10 (सं)	2010-11 (प्रा)
1	2	3	4	5	6	7
वित्तीय बचत (सकल)	100.0	100.0	100.0	7,26,889	9,91,582	10,43,977
क) मुद्रा	12.7	9.8	13.3	92,188	96,940	1,39,344
ख) जमाराशियां	60.7	47.2	47.3	441,063	4,67,575	4,93,237
i) बैंकों के पास	52.8	41.7	42.0	3,83,679	4,13,313	4,38,048
ii) गैर - बैंकिंग कंपनियों के पास	2.0	1.9	2.9	14,742	19,220	30,343
iii) सहकारी बैंक और समितियों के पास	4.7	3.6	2.5	34,154	36,140	25,943
iv) व्यापार ऋण (निवल)	1.2	-0.1	-0.1	8,488	-1,097	-1,097
ग) शेयर तथा डिबेंचर	-0.7	4.6	-0.4	-5,070	45,338	-4,636
जिसमें से:						
i) निजी कंपनी कारोबार	1.0	1.3	1.2	7,441	12,758	12,483
ii) बैंकिंग	0.0	0.1	0.1	231	954	766
iii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांड	0.1	0.1	0.1	446	606	828
iv) म्यूचुअल फंड (यूटीआइ सहित)	-1.4	3.3	-1.8	-10,450	33,041	-18,713
घ) सरकार पर दावे	-3.8	4.3	6.5	-27,551	42,872	67,954
i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0.0	0.0	0.0	271	389	321
ii) अल्प बचत आदि में निवेश	-3.8	4.3	6.5	-27,822	42,484	67,633
ड) जीवन बीमा निधि	21.0	22.6	24.2	1,52,861	2,24,487	2,52,919
जिसमें से:						
i) एलआइसी और निजी बीमा कंपनियों का जीवन निधि	20.3	22.0	23.8	1,47,795	2,17,973	2,47,993
च) भविष्य निधि और पेंशन निधि	10.1	11.5	9.1	73,397	1,14,369	95,159

सं : संशोधित

प्रा : प्राथमिक अनुमान

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ तथा दिखाए गए जोड़ के बीच अंतर हो सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 5: कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. सभी फसलें: वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत) \$	6.0	-12.8	7.4	-1.6	12.2	14.3	3.2	-6.3	-1.4	11.8
अ) खाद्यान्न	9.4	-18.5	22.6	-7.1	5.7	4.1	6.2	1.6	-7.0	8.2
आ) खाद्येतर	2.0	-5.7	-8.9	1.6	16.1	19.5	1.8	-9.9	1.5	13.5
अ. खाद्यान्न (क + ख)	212.9	174.8	213.2	198.4	208.6	217.3	230.8	234.5	218.1	241.6
1. चावल	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	93.4	96.7	99.2	89.1	95.3
2. गेहूँ	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	78.6	80.7	80.8	85.9
3. मोटे अनाज	33.4	26.1	37.6	33.5	34.1	33.9	40.8	40.0	33.6	42.2
जिसमें से :										
i) ज्वार	7.6	7.0	6.7	7.2	7.6	7.2	7.9	7.2	6.7	6.7
ii) बाजरा	8.3	4.7	12.1	7.9	7.7	8.4	10.0	8.9	6.5	10.1
iii) मक्का	13.2	11.2	15.0	14.2	14.7	15.1	19.0	19.7	16.7	21.3
4. दालें	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	14.8	14.6	14.7	18.1
जिनमें से :										
i) तुअर	2.3	2.2	2.4	2.4	2.7	2.3	3.1	2.3	2.5	2.9
ii) ग्राम	5.5	4.2	5.7	5.5	5.6	6.3	5.8	7.1	7.5	8.3
क) खरीफ	112.1	87.2	117.0	103.3	109.9	110.6	121.0	118.1	104.0	120.2
1. चावल	80.5	63.1	78.6	72.2	78.3	80.2	82.7	84.9	75.9	80.7
2. मोटे अनाज	26.7	20.0	32.2	26.4	26.7	25.6	31.9	28.5	23.8	32.4
जिनमें से :										
i) ज्वार	4.2	4.2	4.8	4.0	4.1	3.7	4.1	3.1	2.8	3.5
ii) बाजरा	8.3	4.7	12.1	7.9	7.7	8.4	10.0	8.9	6.5	10.1
iii) मक्का	11.3	9.3	12.7	11.5	12.2	11.6	15.1	14.1	12.3	16.3
3. दालें	4.8	4.2	6.2	4.7	4.9	4.8	6.4	4.7	4.2	7.1
जिसमें से :										
i) तुअर	2.3	2.2	2.4	2.4	2.7	2.3	3.1	2.3	2.5	2.9
ख) रबी	100.8	87.6	96.2	95.1	98.7	106.7	109.8	116.3	114.2	121.4
1. चावल	12.8	8.7	9.9	10.9	13.5	13.2	14.0	14.3	13.2	14.7
2. गेहूँ	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	78.6	80.7	80.8	85.9
3. मोटे अनाज	6.7	6.1	5.4	7.1	7.3	8.3	8.9	11.5	9.7	9.8
जिनमें से :										
i) ज्वार	3.3	2.8	1.8	3.2	3.6	3.4	3.8	4.2	3.9	3.3
ii) मक्का	1.9	1.9	2.3	2.7	2.6	3.5	3.9	5.6	4.4	5.0
4. दालें	8.5	7.0	8.7	8.4	8.5	9.4	8.4	9.9	10.5	11.0
जिनमें से :										
i) चना दाल	5.5	4.2	5.7	5.5	5.6	6.3	5.8	7.1	7.5	8.3
आ. खाद्येतर										
1. तिलहन ++	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	24.3	29.8	27.7	24.9	31.1
जिनमें से :										
i) मूंगफली	7.0	4.1	8.1	6.8	8.0	4.9	9.2	7.2	5.4	7.5
ii) रैपसिड और सरसों	5.1	3.9	6.3	7.6	8.1	7.4	5.8	7.2	6.6	7.7
iii) सनफ्लॉवर	0.7	0.9	0.9	1.2	1.4	1.2	1.5	1.2	0.9	0.6
iv) सोयाबीन	6.0	4.7	7.8	6.9	8.3	8.9	11.0	9.9	10.0	12.7
2. गन्ना	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	355.5	348.2	285.0	292.3	339.2
3. कपास @	10.0	8.6	13.7	16.4	18.5	22.6	25.9	22.3	24.2	33.4
4. जूट और मेंस्ता +	11.7	11.3	11.2	10.3	10.8	11.3	11.2	10.4	11.8	10.6
5. चाय*	851.4	846.0	878.7	906.8	948.9	973.1	987.0	972.8	991.2	966.7
6. कॉफी*	300.6	275.3	270.5	275.5	274.0	288.0	262.0	262.3	289.6	299.0

: 19 जुलाई 2011 की स्थिति के अनुसार चौथा अग्रिम अनुमान ।

\$: वृद्धि दरें कृषि उत्पादन सूचकांक पर आधारित हैं जिसका आधार 1993-94 को समाप्त वर्षत्रय=100 है । 2010-11 के आंकड़े 1994-95 से 2007-08 की अवधि के औसत हैं ।

@ : मिलियन बेल, प्रत्येक का वजन 170 किलो ।

+ : मिलियन बेल, प्रत्येक का वजन 180 किलो ।

++ : कुल ग्यारह में से नौ प्रकार के तिलहनों के लिए ।

* : मिलियन किलोग्राम । चाय का 2010-11 का उत्पादन 2001-02 से 2009-10 के उत्पादन का औसत है ।

स्रोत : कृषि मंत्रालय; भारत सरकार ।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 6: खाद्यान्नों की खरीद, उठाव और स्टॉक

(मिलियन टन)

वर्ष	खरीद			उठाव			स्टॉक *		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995-96	9.93	12.33	22.16	11.63	12.72	24.35	13.06	7.76	20.82
1996-97	11.88	8.16	20.04	12.31	13.32	25.63	13.17	3.24	16.41
1997-98	14.54	9.30	23.84	11.20	7.76	18.96	13.05	5.08	18.12
1998-99	11.55	12.65	24.20	11.83	8.90	20.73	12.16	9.66	21.82
1999-00	16.62	14.14	30.76	12.42	10.63	23.05	15.72	13.19	28.91
2000-01	18.93	16.36	35.29	10.42	7.79	18.21	23.19	21.50	44.98
2001-02	21.12	20.63	41.75	15.32	15.99	31.30	24.91	26.04	51.02
2002-03	19.00	19.03	38.03	24.85	24.99	49.84	17.16	15.65	32.81
2003-04	20.78	15.80	36.58	25.04	24.29	49.33	13.07	6.93	20.65
2004-05	24.04	16.80	40.83	23.20	18.27	41.47	13.34	4.07	17.97
2005-06	26.69	14.79	41.48	25.08	17.17	42.25	13.68	2.01	16.62
2006-07	26.31	9.23	35.53	25.06	11.71	36.77	13.17	4.70	17.93
2007-08	26.29	11.13	37.42	25.22	12.20	37.43	13.84	5.80	19.75
2008-09	32.84	22.69	55.53	24.62	14.88	39.50	21.60	13.43	35.58
2009-10	32.59	25.38	57.98	26.89	21.97	48.86	26.71	16.13	43.36
2010-11 अ	31.13	25.92	56.79	29.80	23.07	80.57	28.82	15.36	44.35
2011-12 अ	7.77	27.88	35.65	2.28	1.68	3.96	25.27	35.88	61.30

* : मार्च के अंत में स्टॉक।

: मोटे अनाज सहित।

अ : अनंतिम।

- : उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : 2010-11 का उठाव अप्रैल का है। 2011-12 की खरीद 12 अगस्त 2011 की स्थिति के अनुसार है।

स्रोत : खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 7: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की प्रवृत्ति

(आधार : 2004-05=100)

क्षेत्र	खनन और उत्खनन		विनिर्माण		बिजली		सामान्य	
भार	14.2		75.5		10.3		100.0	
अवधि	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006-07	107.5	5.2 (5.3)	126.8	15.0 (89.0)	112.8	7.3 (5.6)	122.6	12.9 (100.0)
2007-08	112.5	4.6 (3.7)	150.1	18.4 (92.4)	120.0	6.3 (3.9)	141.7	15.5 (100.0)
2008-09	115.4	2.6 (11.5)	153.8	2.5 (78.9)	123.3	2.7 (9.6)	145.2	2.5 (100.0)
2009-10	124.5	7.9 (16.8)	161.3	4.8 (73.1)	130.8	6.1 (10.1)	152.9	5.3 (100.0)
2010-11 अ	131.0	5.2 (7.3)	175.7	9.0 (86.7)	138.0	5.5 (5.9)	165.5	8.2 (100.0)
2009-10								
अप्रैल-जून	117.4	6.2	149.9	-3.7	129.6	6.1	143.2	-1.8
जुलाई-सितंबर	113.7	7.2	158.1	1.8	131.6	7.4	149.1	2.9
अक्तूबर-दिसंबर	127.1	7.5	162.0	6.1	127.8	3.8	153.5	6.1
जनवरी-मार्च	139.9	10.3	175.1	15.4	134.1	7.1	165.9	14.0
अप्रैल-सितंबर	115.5	6.7	154.0	-1.0	130.6	6.8	146.1	0.5
अक्तूबर-मार्च	133.5	9.0	168.5	10.7	131.0	5.4	159.7	10.1
2010-11 अ								
अप्रैल-जून	126.8	8.0	165.4	10.3	136.6	5.4	157.0	9.6
जुलाई-सितंबर	120.9	6.3	169.8	7.4	134.4	2.1	159.2	6.8
अक्तूबर-दिसंबर	135.1	6.3	176.9	9.2	136.1	6.5	166.7	8.6
जनवरी-मार्च	141.4	1.0	190.7	8.9	145.0	8.1	179.0	7.9
अप्रैल-सितंबर	123.8	7.2	167.6	8.9	135.5	3.8	158.1	8.2
अक्तूबर-मार्च	138.2	3.5	183.8	9.1	140.6	7.3	172.9	8.3

अ : अनर्तिम ।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सापेक्ष योगदान से संबंधित हैं जिनकी गणना समग्र सूचकांक में परिवर्तन की तुलना में संबंधित उद्योग समूह के सूचकांक में हुए परिवर्तन के अनुपात (प्रतिशत) के रूप में की गयी है और इनको संबंधित उद्योग समूह के भार से समायोजित किया गया है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 8: थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़

(आधार: 2004-05 = 100)

(प्रतिशत)

प्रमुख समूह / उप-समूह / पण्य	भार	घट-बढ़					
		वर्ष-दर-वर्ष		औसत		वर्ष-दर-वर्ष	
		मार्च 2010	मार्च 2011	2009-10	2010-11	जुलाई 2010	जुलाई 2011 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	100.0	10.4	9.7	3.8	9.6	10.0	9.2
I. प्राथमिक वस्तुएं	20.1	22.2	13.4	12.7	17.7	19.1	11.3
1. खाद्य वस्तुएं	14.3	20.6	9.4	15.3	15.6	18.5	8.2
क) अनाज	3.4	10.5	3.5	12.6	5.3	8.3	5.3
i) चावल	1.8	8.1	2.3	12.3	5.9	9.6	2.5
ii) गेहूँ	1.1	14.7	0.2	12.8	3.0	6.5	1.9
ख) दालें	0.7	25.0	-4.0	22.4	3.2	14.4	-7.4
ग) फल और सब्जियां	3.8	16.3	18.9	9.6	16.4	13.2	11.7
घ) दूध	3.2	24.9	4.4	18.8	20.1	26.1	10.8
ड) अंडे, मांस और मछली	2.4	35.5	13.5	20.8	25.5	31.4	9.2
च) मसाले	0.6	33.7	20.4	20.8	33.6	43.5	2.3
छ) चाय तथा कॉफी	0.2	-4.5	4.7	12.1	-7.3	-17.7	24.8
2. खाद्येतर वस्तुएं	4.3	20.4	27.3	5.5	22.3	15.3	15.5
क) रेशे	0.9	20.5	87.7	1.6	41.7	16.2	29.7
i) कच्चा कपास	0.7	20.0	103.0	-1.9	43.9	13.2	35.3
ख) तिलहन	1.8	6.7	10.9	2.9	4.7	2.2	14.0
ग) गन्ना	0.6	53.3	7.1	5.2	46.8	53.3	7.1
3. खनिज	1.5	37.9	15.2	8.8	24.8	31.6	25.0
क) लौह अयस्क	0.2	42.1	40.2	-1.1	78.8	117.0	8.9
ख) कच्चा पेट्रोलियम	0.9	58.3	6.3	21.2	11.8	13.0	46.3
II. ईंधन तथा बिजली	14.9	13.8	12.5	-2.1	12.3	13.3	12.0
1. कोयला	2.1	7.9	13.3	3.4	5.7	7.9	13.3
2. खनिज तेल	9.4	18.6	14.7	-4.3	16.0	15.9	15.4
3. बिजली	3.5	3.4	3.6	1.0	5.4	8.6	-1.3
III. विनिर्मित उत्पाद	65.0	5.3	7.4	2.2	5.7	5.8	7.5
1. खाद्य उत्पाद	10.0	15.1	2.4	13.5	3.7	7.3	7.6
क) डेयरी उत्पाद	0.6	19.6	4.8	12.9	9.6	15.7	6.7
ख) अनाज मिल उत्पाद	1.3	12.8	0.7	6.1	5.7	10.2	1.2
ग) चीनी, खांडसारी और गुड	2.1	41.7	-7.8	51.6	-0.9	14.1	3.2
घ) खाद्य तेल	3.0	0.4	13.0	-5.9	5.4	2.3	14.1
ड) खली	0.5	10.7	1.5	15.3	0.8	-3.5	5.8
2. पेय, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	1.8	8.1	8.8	6.1	7.4	7.3	12.6
3. वस्त्र	7.3	9.1	18.3	3.4	12.1	10.1	12.9
क) सूती कपड़ा	2.6	12.7	33.1	6.0	18.7	14.5	22.5
ख) मानव निर्मित वस्त्र	2.2	8.4	12.6	0.9	10.4	9.9	7.9
4. लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	0.6	6.6	3.6	9.6	4.0	4.9	9.4
5. कागज तथा कागज के उत्पाद	2.0	2.5	8.4	2.2	5.3	4.6	7.3
6. चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद	0.8	2.5	-1.5	4.9	-1.0	0.0	1.1
7. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	3.0	3.7	10.6	0.7	6.7	5.0	7.7
8. रसायन और रासायनिक उत्पाद	12.0	3.7	7.4	-0.3	5.3	4.4	7.9
क) मूल अकार्बनिक रसायन	1.2	-0.6	4.1	-0.9	1.0	0.3	9.1
ख) मूल कार्बनिक रसायन	2.0	10.8	8.8	-1.9	7.5	6.9	10.9
ग) उर्वरक	2.7	1.9	9.9	1.2	8.0	7.3	10.0
घ) कीटनाशक	0.5	-0.7	1.9	0.1	2.7	2.9	-0.6
ड) दवा और औषधियां	0.5	0.7	3.4	1.2	2.4	2.2	3.0
9. अधात्विक खनिज उत्पाद	2.6	3.2	3.7	7.0	2.7	3.1	3.3
क) सीमेंट और चूना	1.4	2.3	1.7	7.5	1.2	2.5	0.5
10. मूल धातु, मिश्र धातु और धातुओं के उत्पाद	10.7	2.2	11.7	-6.1	8.7	7.9	10.1
क) लौह धातु	8.1	0.5	11.7	-9.0	8.7	7.7	9.8
ख) अलौह धातु	1.0	8.4	2.3	-3.2	5.3	6.9	2.5
ग) धातुओं के उत्पाद	1.7	5.8	17.0	5.0	10.7	8.8	15.5
11. मशीनरी और मशीन टूल्स	8.9	1.5	3.2	0.5	2.8	2.3	2.7
क) गैर-इलेक्ट्रिकल मशीनरी	1.0	7.5	1.3	3.3	2.8	4.5	1.1
ख) इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण और बैटरी	2.3	-1.1	3.2	-1.3	1.5	-0.3	3.3
12. परिवहन, उपकरण और कल-पुर्जे	5.2	1.2	3.6	3.1	3.0	3.8	2.9

अ: अर्न्तम।

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 9: आरक्षित मुद्रा में घट-बढ़

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				वर्ष-दर-वर्ष			
		2009-10		2010-11		13 अगस्त 2010 तक		12 अगस्त 2011 तक	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आरक्षित मुद्रा (घ.1+घ.2+घ.3= स्रो.1+स्रो.2+स्रो.3+स्रो.4-स्रो.5-स्रो.6) घटक	13,76,881	1,67,688	17.0	2,21,195	19.1	2,43,754	26.1	1,93,523	16.5
घ.1. संचलन में मुद्रा	9,49,659	1,08,395	15.7	1,50,111	18.8	1,44,155	20.2	1,31,423	15.3
घ.2. भा.रि.बैंक के पास बैंकों की जमा राशि जिसमें से: अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4,23,509	61,024	21.0	71,211	20.2	1,00,173	47.0	64,317	20.5
घ.3. भारतीय रिजर्व बैंक पास 'अन्य' जमा राशियां	4,02,656	56,474	20.4	68,720	20.6	95,592	47.9	62,368	21.1
घ.3. भारतीय रिजर्व बैंक पास 'अन्य' जमा राशियां	3,713	-1,731	-31.1	-126	-3.3	-574	-12.0	-2,216	-52.5
स्रोत									
स्रो.1. सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख) क) केंद्र सरकार को निवल भा.रि.बैंक ऋण (i-ii)	3,96,555	1,50,006	-	1,84,969	-	2,02,713	-	1,60,964	-
i) केंद्र सरकार पर दावे	3,94,135	65,185	-	1,71,462	-	1,44,542	-	1,60,740	-
ii) केंद्र सरकारी की जमा राशियां	100	-84,634	-	-10,992	-	-58,183	-	-1	-
ख) राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैंक ऋण (i-ii)	2,520	186	-	2,515	-	-12	-	224	-
i) राज्य सरकारों पर दावे	2,919	-1,632	-	2,873	-	-12	-	225	-
ii) राज्य सरकारों की जमा राशियां	399	-1,818	-	358	-	0	-	1	-
स्रो.2. भा.रि.बैंक के वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर दावे जिसमें से: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	5,159	-9,188	-	3,990	-	1,132	-	-11	-
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	5,115	-8,995	-	3,946	-	1,132	-	-16	-
स्रो.3. भा.रि.बैंक का वाणिज्यिक क्षेत्रों को ऋण	2,164	-12,492	-90.4	836	63.0	-9,033	-87.2	385	29.1
स्रो.4. भा.रि.बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	13,28,553	-48,167	-3.8	96,605	7.8	-16,922	-1.3	1,14,144	8.9
स्रो.5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	12,724	1,215	12.1	1,455	12.9	1,345	12.9	1,198	10.2
स्रो.6. भा.रि.बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	3,68,274	-86,315	-22.3	66,660	22.1	-64,520	-16.2	83,157	25.0
स्रो.7. भा.रि.बैंक की निवल देशी आस्तियां (स्रो.1+ स्रो.2+ स्रो.3+ स्रो.5- स्रो.6)	48,328	2,15,856	-	1,24,591	-	2,60,676	-	79,379	-

आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 10: मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				वर्ष-दर-वर्ष			
		2009-10		2010-11		30 जुलाई 2010 तक		29 जुलाई 2011 तक	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संकीर्ण मुद्रा (एम ₁) (घ.1+घ.2(क)+घ.3)	16,35,569	2,29,594	18.2	1,46,268	9.8	2,46,321	19.5	68,105	4.5
विस्तृत मुद्रा (एम ₃) (घ.1+घ.2+घ.3 = स्त्रो.1+ स्त्रो.2+ स्त्रो.3+ स्त्रो.4- स्त्रो.5)	64,99,548	8,07,919	16.8	8,96,817	16.0	7,93,676	15.7	9,55,700	16.4
घटक									
घ.1. जनता के पास मुद्रा	9,14,197	1,02,043	15.3	1,46,704	19.1	1,38,465	20.5	1,20,965	14.9
घ.2. बैंकों के पास कुल जमारशि (क+ख)	55,81,639	7,07,607	17.2	7,50,239	15.5	6,54,994	15.0	8,36,902	16.7
क) मांग जमारशियां	7,17,660	1,29,282	22.0	-310	0.0	1,07,640	18.4	-50,692	-7.3
ख) सावधि जमारशियां	48,63,979	5,78,326	16.4	7,50,549	18.2	5,47,354	14.5	8,87,594	20.5
घ.3. भा.रि.बैंक के पास 'अन्य' जमारशियां	3,713	-1,731	-31.1	-126	-3.3	216	5.1	-2,168	-48.5
स्रोत									
स्रो.1. सरकार को निवल बैंक ऋण (अ+आ)	19,82,771	3,91,853	30.7	3,13,585	18.8	3,35,120	23.6	3,76,360	21.4
अ. सरकार को निवल भा.रि.बैंक ऋण (क+ख)	3,96,555	1,50,006	-	1,84,969	-	1,94,789	-	1,49,499	-
क.केंद्र सरकार को निवल भा.रि.बैंक ऋण	3,94,035	1,49,820	-	1,82,454	-	1,94,789	-	1,49,483	-
ख.राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैंक ऋण	2,520	186	-	2,515	-	0	-	16	-
आ. सरकार को 'अन्य बैंकों' से ऋण	15,86,216	2,41,847	19.9	1,28,616	8.8	1,40,331	10.1	2,26,861	40.8
स्रो.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	42,35,406	4,76,516	15.8	7,43,997	21.3	5,98,612	19.7	6,54,967	18.0
अ. वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	2,164	-12,492	-	836	-	-10,331	-88.6	474	35.8
आ. वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण	42,33,242	4,89,008	16.3	7,43,161	21.3	6,08,943	20.1	6,54,493	18.0
स्रो.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (अ+आ)	13,93,327	-70,715	-5.2	1,11,858	8.7	-20,047	-1.5	1,07,676	8.1
अ. भा.रि.बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	13,28,553	-48,167	-3.8	96,605	7.8	-11,025	-0.8	84,775	6.6
आ. 'अन्य बैंकों' की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	64,774	-22,548	-31.3	15,254	30.8	-9,022	-17.7	22,900	54.7
स्रो.4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	12,724	1,215	12.1	1,455	12.9	1,345	12.9	1,198	10.2
स्रो.5. बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं (अ+आ)	11,24,680	-9,050	-1.1	2,74,079	32.2	1,21,354	15.5	1,84,501	20.4
अ. भा.रि.बैंक की मुद्रेतर देयताएं	3,68,274	-86,315	-22.3	66,660	22.1	-63,009	-14.9	49,024	13.7
आ. अन्य बैंकों की निवल मुद्रेतर देयताएं (अवशिष्ट)	7,56,406	77,265	16.4	2,07,419	37.8	1,84,363	51.3	1,35,477	24.9

टिप्पणी : आंकड़े अर्न्तम हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 11: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन

(राशि करोड़ ₹ में)

क्षेत्र	निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार बकाया			निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़			
	27 मार्च 2009	26 मार्च 2010	25 मार्च 2011	2009-10		2010-11	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
I सकल बैंक ऋण (II + III)	26,47,368	30,88,569	37,31,466	4,41,201	16.7	6,42,897	20.8
II खाद्यान्न ऋण	45,544	48,562	64,111	3,018	6.6	15,549	32.0
III खाद्येतर ऋण (1 से 4)	26,01,825	30,40,007	36,67,354	4,38,182	16.8	6,27,347	20.6
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	3,38,656	416,133	4,60,333	77,477	22.9	44,200	10.6
2. उद्योग (सूक्ष्म तथा लघु, मध्यम और बड़े)	10,54,390	13,11,451	16,20,849	2,57,061	24.4	3,09,398	23.6
3. सेवाएं जिसमें से:	6,46,299	7,26,790	9,00,801	80,491	12.5	1,74,011	23.9
3.1 परिवहन परिचालक	39,302	52,516	65,463	13,214	33.6	12,947	24.7
3.2 व्यावसायिक सेवाएं	44,257	43,401	60,271	-856	-1.9	16,870	38.9
3.3 व्यापार	1,44,377	1,64,497	1,86,286	20,120	13.9	21,789	13.2
3.4 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	92,421	92,128	1,11,836	-293	-0.3	19,708	21.4
3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	98,853	1,13,441	1,75,577	14,588	14.8	62,136	54.8
4. व्यक्तिगत उधार जिसमें से:	5,62,479	5,85,633	6,85,372	23,154	4.1	99,739	17.0
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8,187	8,294	10,156	107	1.3	1,862	22.4
4.2 आवास @	2,79,365	3,00,929	3,46,110	21,564	7.7	45,181	15.0
4.3 सावधि जमा राशियों की जमानत पर अग्रिम (एफसीएनआर(बी), एनआरएनआर जमा राशियों आदि सहित)	48,676	48,654	60,524	-22	0.0	11,870	24.4
4.4 क्रेडिट कार्ड का बकाया	28,000	20,145	18,098	-7,855	-28.1	-2,047	-10.2
4.5 शिक्षा	28,579	36,863	43,710	8,284	29.0	6,847	18.6
ज्ञापन :							
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जिसमें से:	9,32,459	10,92,179	12,58,386	1,59,720	17.1	1,66,207	15.2
5.1 आवास #	1,97,110	2,17,877	2,30,686	20,767	10.5	12,809	5.9

@ : प्रत्यक्ष आवास ऋण।

: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आवास ऋण।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अर्न्तित हैं और ये उन चुनिंदा बैंकों के हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए कुल खाद्येतर ऋण के 95 प्रतिशत का कवर करते हैं।

2. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एकिजम बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं और अंतर बैंक सहभागियों के पास पुनः भुनाए गए बिल शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 12: पूंजी बाजार - प्राथमिक और द्वितीयक बाजार

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	2009-10		2010-11	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाजार				
अ. विवरणिका तथा राइट निर्गम*	71	32,607	77	37,620
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	68	25,479	70	24,830
क) वित्तीय	3	326	6	4,335
ख) गैर-वित्तीय	65	25,153	64	20,496
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	3	7,128	7	12,790
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1	4,026	2	8,025
ख) सरकारी कंपनियां	1	2,777	-	-
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	1	325	5	4,765
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	71	32,607	77	37,620
<i>लिखत का प्रकार</i>				
(i) इक्विटी	70	32,427	77	37,620
(ii) ऋण	1	180	-	-
<i>निर्गम का प्रकार</i>				
(क) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	39	21,609	51	17,053
(ख) सूचीबद्ध	32	10,998	26	20,567
आ. यूरो निर्गम (एडीआर और जीडीआर)	18	15,967	42	9,441
इ. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	2,270	2,33,294	1,337	1,21,451
क) वित्तीय	1,630	1,42,441	877	71,975
ख) गैर-वित्तीय	640	90,853	460	49,476
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख)	218	1,09,985	250	1,16,943
क) वित्तीय	151	74,290	212	98,983
ख) गैर-वित्तीय	67	35,696	38	17,960
3. कुल (1+2, i+ii)	2,488	3,43,279	1,587	2,38,394
(i) इक्विटी	49	36,718	19	13,670
(ii) ऋण	2,439	3,06,561	1,568	2,24,724
ई. म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाई गई राशि (निवल)				
1. निजी क्षेत्र		54,928		-19,215
2. सार्वजनिक क्षेत्र		28,152		-30,191
II. द्वितीयक बाजार				
बीएससी सूचकांक: अवधि के अंत में		17,528		19,445
औसत अवधि		15,585		18,605
मूल्य-अर्जन अनुपात @		21		21
जीडीपी की तुलना में बाजार पूंजीकरण अनुपात प्रतिशत		99		87
टर्नओवर				
नकदी खंड		13,78,809		11,03,466
डेरिवेटिव खंड		234		154
एसएण्डपीसीएनएक्स निफ्टी: अवधि के अंत में		5,249		5,834
औसत अवधि		4,658		5,584
मूल्य-अर्जन अनुपात @		22		22
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण प्रतिशत (%)		96		85
टर्नओवर				
नकदी खंड		41,38,024		35,77,412
डेरिवेटिव खंड		1,76,63,665		2,92,48,221

* :: बिक्री के प्रस्ताव को छोड़कर। - : शून्य/ नगण्य। @ : अवधि के अंत में।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई शेयर बाजार, राष्ट्रीय शेयर बाजार, और विभिन्न मर्चेट बैंकर्स।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 13: भारत के डेरिवेटिव बाजार में टर्नओवर

(करोड़ ₹ में)

वर्ष / माह	इक्विटी डेरिवेटिव				करेसी डेरिवेटिव			ब्याज दर डेरिवेटिव
	इंडेक्स फ्यूचर्स	इंडेक्स ऑप्शन्स	स्टॉक फ्यूचर्स	स्टॉक ऑप्शन्स	वायदा	स्वैप	एक्सचेंज में ट्रेड किये जाने वाले करेसी ऑप्शन्स और फ्यूचर्स	ब्याज दर स्वैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	35,81,870	37,31,512	34,79,657	2,29,227	25,54,994	40,65,695	3,11,389	49,04,752
2009-10	39,34,485	80,28,103	51,95,247	5,06,065	20,35,879	31,45,402	37,27,262	25,69,488
2010-11	43,56,909	1,72,69,366	54,95,757	10,30,343	28,90,222	41,12,539	84,06,307	47,46,390
2009-10								
अप्रैल	3,01,766	4,53,788	3,56,383	31,427	1,54,799	2,88,861	77,244	92,148
मई	3,17,416	4,30,522	4,48,155	31,168	2,47,737	3,16,486	1,24,900	1,73,946
जून	3,46,934	5,45,643	5,89,657	49,746	1,79,079	3,10,792	1,43,348	2,44,290
जुलाई	3,82,924	7,01,247	4,50,632	38,707	1,55,183	3,17,384	1,84,813	1,44,840
अगस्त	3,66,312	6,58,757	4,12,363	36,214	1,50,272	2,40,148	1,80,688	1,37,524
सितंबर	3,02,425	6,09,076	4,34,119	42,758	1,40,390	2,13,851	2,17,455	1,62,582
अक्तूबर	3,29,610	6,69,591	4,65,829	45,387	1,74,382	2,24,087	3,04,473	2,14,872
नवंबर	3,63,523	8,16,408	4,38,220	43,666	1,63,409	1,99,740	3,19,195	1,62,024
दिसंबर	3,29,497	7,56,680	3,95,954	42,855	1,59,544	2,40,832	3,89,913	3,27,312
जनवरी	2,98,931	6,95,988	4,44,134	51,454	1,57,846	2,44,273	5,69,087	2,90,944
फरवरी	3,26,881	8,47,236	3,54,485	41,285	1,63,438	2,43,864	5,69,510	3,12,326
मार्च	2,68,267	8,43,167	4,05,316	51,398	1,89,799	3,05,083	6,46,637	3,06,680
2010-11								
अप्रैल	2,79,573	9,05,472	4,09,844	76,731	1,74,250	2,64,596	7,19,304	2,44,826
मई	3,95,617	1,21,458	4,31,593	79,832	2,70,782	2,97,173	7,82,755	3,09,516
जून	3,72,268	11,69,943	4,21,843	71,547	2,32,419	3,10,394	7,52,470	5,32,618
जुलाई	2,89,424	10,43,354	4,23,422	73,710	1,95,144	3,16,990	5,33,369	5,50,084
अगस्त	2,99,133	11,57,466	4,96,267	1,00,865	2,22,722	3,44,994	4,92,257	5,13,510
सितंबर	3,83,876	16,88,469	5,55,581	1,08,470	2,49,383	3,20,629	8,68,526	3,12,260
अक्तूबर	4,02,463	17,05,514	6,08,830	1,07,693	3,12,475	4,28,143	9,05,836	346,354
नवंबर	4,24,790	19,02,944	5,39,872	98,241	2,72,365	3,89,511	6,76,984	2,77,176
दिसंबर	3,22,806	15,19,280	4,32,644	82,391	2,14,508	3,37,549	5,43,544	3,41,326
जनवरी	3,84,486	19,62,516	4,11,149	83,685	2,17,049	3,12,753	6,60,076	5,72,318
फरवरी	4,02,852	20,44,353	4,01,307	80,876	2,38,612	3,27,239	5,97,965	3,35,470
मार्च	3,99,621	20,48,597	3,63,405	66,303	2,90,511	4,62,568	8,73,221	4,10,932
2011-12								
अप्रैल	2,82,313	16,45,980	3,53,162	69,993	2,06,047	3,67,137	7,22,275	3,75,446
मई	3,05,746	18,92,896	3,36,689	70,090	2,17,188	4,74,893	10,00,498	4,78,938
जून	2,65,191	17,84,570	3,22,695	65,792	2,40,047	4,95,622	10,39,010	5,36,776

स्रोत: भा.रि.बैंक, बीएसई, एनएसई, सीसीआइएल और सेबी।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 14: भारतीय रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर)

वर्ष / माह	36 - मुद्रा व्यापार आधारित भारांक		6 - मुद्रा व्यापार आधारित भारांक	
	(आधार 2004-05=100)		(आधार 2004-05=100)	
	रीर	नीर	रीर	नीर
1	2	3	4	5
2004-05	100.00	100.00	100.00	100.00
2005-06	103.10	102.24	105.17	103.04
2006-07	101.29	97.63	104.30	98.09
2007-08	108.52	104.75	112.76	104.62
2008-09	97.80	93.34	102.32	90.42
2009-10 (अ)	94.74	90.94	101.97	87.07
2010-11 (अ)	102.04	93.56	115.28	92.02
2009-10 (अ)				
अप्रैल	90.62	89.65	96.12	85.28
मई	91.89	90.59	98.51	86.48
जून	92.70	91.04	98.71	86.71
जुलाई	92.03	89.59	97.84	85.22
अगस्त	92.50	89.33	98.90	85.04
सितंबर	91.72	88.35	98.48	84.18
अक्तूबर	94.33	90.66	101.53	86.67
नवंबर	95.66	90.67	102.86	86.56
दिसंबर	96.19	91.10	103.99	87.21
जनवरी	99.11	92.63	107.33	89.30
फरवरी	99.10	93.08	107.98	90.03
मार्च	101.08	94.56	111.43	92.19
2010-11 (अ)				
अप्रैल	103.78	96.35	116.00	94.70
मई	102.95	95.55	116.20	94.23
जून	102.30	94.66	115.21	93.50
जुलाई	99.98	92.03	112.63	90.96
अगस्त	99.57	92.02	112.72	90.92
सितंबर	100.75	92.87	113.96	91.38
अक्तूबर	102.66	94.51	115.19	92.32
नवंबर	101.67	93.34	115.08	91.52
दिसंबर	103.52	93.82	117.94	92.47
जनवरी	102.65	92.72	117.46	91.45
फरवरी	101.78	92.32	115.72	90.37
मार्च	102.88	92.54	116.46	90.44
2011-12 (अ)				
अप्रैल	104.37	93.02	118.78	90.60
मई	101.20	91.79	117.19	89.48
जून	101.51	92.07	117.35	89.48

अ: अनंतिम।

टिप्पणी: सूचकांक के संकलन की विस्तृत पद्धति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के दिसंबर 2005 अंक में प्रकाशित लेख “सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) सूचकांक में संशोधन” देखें।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 15: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं @
1	2	3	4	5
केंद्र				
1990-91	4.1	3.3	7.8	55.2
1995-96	0.9	2.5	5.1	50.9
2000-01	0.9	4.1	5.7	55.6
2007-08	-0.9	1.1	2.6	56.9
2008-09	2.6	4.5	6.0	56.6
2009-10	3.1	5.2	6.4	53.7
2010-11 संअ	2.0	3.4	5.1	49.9
2011-12 बअ	1.6	3.4	4.6	48.5
राज्य *				
1990-91	1.8	0.9	3.3	22.5
1995-96	0.8	0.7	2.6	20.9
2000-01	1.8	2.6	4.2	28.3
2007-08	-0.5	-0.9	1.5	26.6
2008-09	0.6	-0.2	2.4	26.3
2009-10	1.2	0.5	2.9	25.0
2010-11 संअ	1.0	0.3	2.6	23.0
2011-12 बअ	0.7	-0.2	2.2	22.4
संयुक्त				
1990-91	5.0	4.2	9.4	64.8
1995-96	1.6	3.2	6.5	61.1
2000-01	3.6	6.6	9.5	70.6
2007-08	-1.1	0.2	4.1	71.4
2008-09	3.4	4.3	8.5	72.1
2009-10	4.5	5.6	9.3	69.2
2010-11 संअ	3.2	3.7	7.7	64.3
2011-12 बअ	2.4	3.2	6.8	63.0

संअ: संशोधित अनुमान।

बअ: बजट अनुमान।

*: 2009-10 से आगे के आंकड़े अनंतिम हैं और वह 28 राज्य सरकारों के बजटों पर आधारित हैं जिनमें से पांच वोट ऑन अकाउंट हैं।

@: इसमें केंद्र की बाह्य देयताएं शामिल हैं जिसकी गणना ऐतिहासिक विनिमय दरों पर की गई है।

टिप्पणी: ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत: राज्य और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 16: राज्य सरकारों के बजटीय परिचालन

अ: राज्य सरकारों के घाटे का मापन

(करोड़ ₹)

वर्ष	राजकोषीय घाटा		प्राथमिक घाटा		भा.रि.बैंक का निवल ऋण #	पारंपारिक घाटा	राजस्व घाटा
	सकल	निवल	सकल	निवल			
1	2	3	4	5	6	7	8
1990-91	18,786	14,531	10,131	8,280	420	-72	5,309
1995-96	30,869	26,845	9,030	10,791	16	-2,680	8,620
2000-01	87,922	85,576	36,936	45,550	-1,092	-2,379	55,316
2007-08	75,455	68,964	-24,376	-18,230	1,140	-13,410	-42,943
2008-09	1,34,589	1,29,690	31,634	43,092	-1,609	-8,959	-12,672
2009-10* अ	1,88,820	1,79,418	76,013	81,921	186	7,372	31,018
2010-11* (संअ) अ	2,07,857	1,95,813	80,908	86,029	2,515	24,867	22,916
2011-12* (बअ) अ	1,99,427	1,82,541	59,325	59,427	..	-16,136	-16,580
चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में							
1990-91	3.30	2.55	1.78	1.45	0.07	-0.01	0.93
1995-96	2.59	2.25	0.76	0.91	0.00	-0.22	0.72
2000-01	4.18	4.07	1.76	2.17	-0.05	-0.11	2.63
2007-08	1.51	1.38	-0.49	-0.37	0.02	-0.27	-0.86
2008-09	2.41	2.32	0.57	0.77	-0.03	-0.16	-0.23
2009-10* अ	2.88	2.74	1.16	1.25	0.00	0.11	0.47
2010-11* (संअ) अ	2.64	2.49	1.03	1.09	0.03	0.32	0.29
2011-12* (बअ) अ	2.22	2.03	0.66	0.66	..	-0.18	-0.18

आ : राज्य सरकारों के चुनिंदा बजटीय वेरीएबल

(प्रतिशत)

मद्	1990-00 (औसत)	2009-10 अ	2010-11 अ (संअ)	2011-12 अ (बअ)
1	2	3	4	5
1. जीएफडी / कुल व्यय (वसूली को छोड़कर)	22.4	19.0	17.0	14.7
2. राजस्व घाटा / राजस्व व्यय	9.5	3.9	2.3	-1.5
3. पारंपारिक घाटा / सकल संवितरण	-0.04	0.01	0.6	-0.5
4. राजस्व घाटा / जीएफडी	36.2	16.4	11.0	-8.3
5. विकासेतर राजस्व व्यय / राजस्व प्राप्तियां	39.8	39.2	37.0	36.3
6. ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां	16.6	14.7	13.1	12.6
7. विकासात्मक व्यय / जीडीपी	10.0	9.7	10.0	9.7
<i>जिसमें से:</i>				
सामाजिक क्षेत्र के व्यय / जीडीपी	5.7	6.0	6.3	6.1
8. विकासेतर व्यय / जीडीपी	4.6	4.7	4.7	4.6
9. राज्यों के अपने कर राजस्व / जीडीपी	5.2	5.5	5.8	6.0
10. राज्यों के अपने करेतर राजस्व / जीडीपी	1.7	1.4	1.3	1.1

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

.. : उपलब्ध नहीं।

अ : अंतिम आंकड़े।

जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा।

* : 2009-10 से आगे राज्यों से संबंधित आंकड़े उन 28 राज्य सरकारों से संबंधित हैं जिनमें से पांच वोट ऑन अकाउंट हैं।

: आंकड़े उन राज्य सरकारों से संबंधित हैं जिनका भारतीय रिजर्व बैंक के पास खाता है।

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतको में अधिशेष सूचित करता है।

2. भा.रि.बैंक का राज्य सरकारों को निवल ऋण का अर्थ रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये ऋण, रिजर्व बैंक के पास स्थित उनकी वृद्धिशील जमा राशि को घटाने के बाद, में हुए परिवर्तन से है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और रिजर्व बैंक का अभिलेख ।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 17: भारत के निर्यात तथा आयात

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

प्रमुख पण्यों के निर्यात				
पण्य / समूह	अप्रैल-मार्च			
	2007-08	2008-09	2009-10 सं	2010-11 अ
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक उत्पाद	27,551.9	25,335.4	26,396.5	35,358.7
अ. कृषि और संबद्ध उत्पाद	18,432.1	17,534.9	17,734.1	24,696.1
आ. अयस्क और खनिज	9,119.8	7,800.5	8,662.5	10,662.6
II. विनिर्मित वस्तुएं	102,978.8	123,148.9	115,180.7	168,098.1
क. चमड़ा एवं संबद्ध उत्पाद	3,502.5	3,556.0	3,361.1	3,789.3
ख. रसायन एवं संबंधित उत्पाद	21,193.8	22,708.1	22,908.8	28,979.6
ग. इंजीनियरिंग सामान	37,365.2	47,285.6	38,271.3	68,784.1
ड. वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	19,425.7	20,016.4	19,853.0	23,312.2
च. रत्न एवं आभूषण	19,678.7	27,955.2	28,996.3	40,790.7
छ. हस्तशिल्प	508.2	301.0	224.8	233.1
III. पेट्रोलियम उत्पाद	28,363.1	27,547.0	28,192.0	41,918.0
IV. अन्य	4,010.4	6,768.2	8,982.1	9,027.3
कुल निर्यात (I+II+III+IV)	162,904.2	182,799.5	178,751.4	254,402.1
प्रमुख पण्यों के आयात				
I. थोक आयात	112,744.7	138,791.1	125,315.2	150,489.7
अ. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और संबद्ध सामग्री	79,644.5	93,671.7	87,135.9	106,068.2
आ. थोक उपभोक्ता वस्तुएं	4,600.3	4,975.3	9,012.7	8,720.3
इ. अन्य थोक वस्तुएं	28,499.9	40,144.0	29,166.5	35,701.1
II. थोक से इतर आयात	138,694.4	160,042.8	163,057.8	202,085.4
अ. पूंजी वस्तुएं	70,110.5	71,833.1	65,865.0	71,627.2
आ. मुख्यतः निर्यात संबंधी वस्तुएं	20,768.3	31,930.8	31,270.0	49,639.4
इ. अन्य	47,815.7	56,278.9	65,922.8	80,818.7
कुल आयात (I+II)	251,439.2	298,833.9	288,372.9	352,575.0

अ: अनंतिम। सं.: संशोधित।

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 18: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

मद	करोड़ ₹			मिलियन अमरीकी डालर		
	2008-09	2009-10 आंसं	2010-11 अ	2008-09	2009-10 आंसं	2010-11 अ
1	2	3	4	5	6	7
अ. चालू खाता						
1 निर्यात, एफ.ओ.बी.	8,57,960	8,62,333	11,39,517	189,001	182,235	250,468
2 आयात, सी.आइ.एफ	14,05,412	14,23,079	17,34,545	308,521	300,609	380,935
3 व्यापार शेष	-5,47,452	-5,60,746	-5,95,028	-119,520	-118,374	-130,467
4 अदृश्य मदें, निवल	4,19,821	3,80,120	3,92,494	91,605	79,991	86,186
क) 'गैर-कारक' सेवाएं	2,48,406	1,69,843	2,17,058	53,916	35,726	47,664
जिसमें से:						
सॉफ्टवेयर सेवाएं	2,12,242	2,35,161	2,68,538	46,300	49,705	59,001
ख) आय	-32,923	-38,000	-67,734	-7,110	-8,040	-14,863
ग) निजी अंतरण	2,03,209	2,47,113	2,43,102	44,567	52,055	53,368
घ) आधिकारिक अंतरण	1,129	1,164	68	232	250	17
5 चालू खाता शेष राशि	-1,27,631	-1,80,626	-2,02,532	-27,915	-38,383	-44,281
आ. पूंजी खाता						
1 विदेशी निवेश, निवल (क+ख)	22,685	2,43,641	1,72,154	5,785	51,167	37,434
क) प्रत्यक्ष निवेश	87,734	89,675	32,776	19,816	18,771	7,142
जिसमें से:						
i) भारत में	1,70,819	1,57,894	1,06,598	37,672	33,124	23,364
इक्विटी	1,25,621	1,09,349	62,970	27,863	22,907	13,792
पुनर्निवेशित आय	41,541	41,125	42,937	9,032	8,668	9,424
अन्य पूंजी	3,657	7,420	691	776	1,549	148
ii) विदेश	-83,085	-68,219	-73,822	-17,855	-14,353	-16,222
इक्विटी	-63,889	-44,331	-34,946	-13,688	-9,314	-7,674
पुनर्निवेशित आय	-4,986	-5,143	-4,939	-1,084	-1,084	-1,084
अन्य पूंजी	-14,210	-18,745	-33,937	-3,083	-3,955	-7,464
ख) संविभागीय निवेश	-65,049	1,53,966	1,39,378	-14,031	32,396	30,292
भारत में	-64,200	1,53,885	1,44,679	-13,854	32,376	31,471
विदेश में	-849	81	-5301	-177	20	-1,179
2 बाह्य सहायता, निवल	11,558	13,612	22,480	2,441	2,893	4,941
संवितरण	24,435	27,863	35,868	5,232	5,898	7,881
ऋण परिशोधन	12,877	14,251	13,388	2,791	3,005	2,940
3 वाणिज्यिक उधार, निवल	36,530	13,183	54,336	7,862	2,808	11,927
संवितरण	70,846	70,371	1,05,152	15,223	14,954	23,089
ऋण परिशोधन	34,316	57,188	50,816	7,361	12,146	11,162
4 अल्पावधि ऋण, निवल	-13,288	34,878	50,177	-1,985	7,558	10,991
5 बैंकिंग पूंजी	-19,205	9,844	22,025	-3,246	2,084	4,963
जिसमें से:						
अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां, निवल	20,430	14,254	14,822	4,290	2,924	3,239
6 रुपया ऋण चुकौती	-471	-452	-313	-100	-97	-69
7 अन्य पूंजी, निवल @	-11,791	-62,574	-47,726	-3,990	-13,016	-10,440
8 कुल पूंजी खाता	26,018	2,52,132	2,73,133	6,768	53,397	59,747
इ. भूल-चूक	4,498	-7,269	-11,152	1,067	-1573	-2416
ई. राशि शेष [अ(5)+आ(8)+इ]	-97,115	64,237	59,449	-20,080	13,441	13,050
उ. मौद्रिक गतिविधियां (ऊ+ए)	97,115	-64,237	-59,449	20,080	-13,441	-13,050
ऊ. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0	0
ए. रिज़र्व और मानिटरी गोल्ड (वृद्धि - , कमी +)	97,115	-64,237	-59,449	20,080	-13,441	-13,050
जिसमें से: एसडीआर आबंटन	-	-24,983	-	-	-5,160	-

अ : अनंतिम।

आंसं : आंशिक रूप से संशोधित।

@ : इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के तहत अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियां और प्राप्त अग्रिम जिनके संबंध में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत शेयर जारी किये जाने हैं, शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. वापस जाने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चांदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति - प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्ति में की गई है।

2. आयात और निर्यातों के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा दिए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण व्याप्ति, मूल्यांकन और समय में फर्क होना है।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 19: भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह:
देश-वार तथा उद्योग-वार

मिलियन अमरीकी डॉलर

स्रोत / उद्योग	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 अ	2010-11 अ
1	2	3	4	5	6
कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	9,307	19,425	22,697	22,461	14,939
देश-वार अंतर्प्रवाह					
मॉरीशस	3,780	9,518	10,165	9,801	5,616
सिंगापुर	582	2,827	3,360	2,218	1,540
यू.एस.ए.	706	950	1,236	2,212	1,071
साइप्रस	58	570	1,211	1,623	571
जापान	80	457	266	971	1,256
नीदरलैंड	559	601	682	804	1,417
यूनाइटेड किंगडम	1,809	508	690	643	538
जर्मनी	116	486	611	602	163
संयुक्त अरब अमीरात	215	226	234	373	188
फ्रांस	100	136	437	283	486
स्विट्जरलैंड	57	192	135	96	133
हांगकांग	60	106	155	137	209
स्पेन	62	48	363	125	183
दक्षिण कोरिया	68	86	95	159	136
लक्जमबर्ग	-	15	23	40	248
अन्य	1,055	2,699	3,035	2,376	1,184
क्षेत्र-वार अंतर्प्रवाह					
विनिर्माण	1,641	3,726	4,777	5,143	4,793
निर्माण	967	2,551	2,237	3,516	1,599
वित्तीय सेवाएँ	1,330	3,850	4,430	2,206	1,353
भू संपदा कार्यकलाप	431	1,336	1,886	2,191	444
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन	174	829	669	1,877	1,338
वितरण और पारेषण					
संचार सेवाएँ	423	66	2,067	1,852	1,228
व्यापार सेवाएँ	2,425	1,158	643	1,554	569
विविध सेवाएँ	298	1,901	1,458	888	509
कंप्यूटर सेवाएँ	824	1,035	1,647	866	843
रेस्तराँ और होटल	153	280	343	671	218
खुदरा और थोक व्यापार	47	200	294	536	391
खनन	42	461	105	268	592
परिवहन	165	816	401	220	344
ट्रेडिंग	82	176	400	198	156
शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास	43	156	243	91	56
अन्य	262	884	1,097	384	506

टिप्पणी : इसमें केवल एसआइए/एफआइपीबी और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग से प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ही शामिल है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 20 : भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

माह के अंत में	विदेशी मुद्रा भंडार (करोड़ ₹)					विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर)					कुल विदेशी मुद्रा भंडार (वि. आ. अ. मिलियन में)	विदेशी मुद्रा भंडार में घट-बढ़ (वि. आ. अ. मिलियन में)*
	विशेष आहरण अधिकार	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंशको में स्थिति रिजर्व अंश	कुल (2+3+4+5)	विशेष आहरण अधिकार	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंशको में स्थिति रिजर्व अंश	कुल (7+8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च - 94	339	12,794	47,287	938	61,358	108	4,078	15,068	299	19,553	13,841	6,595
मार्च - 95	23	13,752	66,005	1,050	80,830	7	4,370	20,809	331	25,517	16,352	2,511
मार्च - 96	280	15,658	58,446	1,063	75,447	82	4,561	17,044	310	21,997	15,054	-1,298
मार्च - 97	7	14,557	80,368	1,046	95,978	2	4,054	22,367	291	26,714	19,272	4,218
मार्च - 98	4	13,394	1,02,507	1,117	1,17,022	1	3,391	25,975	283	29,650	22,200	2,929
मार्च - 99	34	12,559	1,25,412	2,816	1,40,821	8	2,960	29,522	663	33,153	24,413	2,213
मार्च - 00	16	12,973	1,52,924	2,870	1,68,783	4	2,974	35,058	658	38,694	28,728	4,315
मार्च - 01	11	12,711	1,84,482	2,873	2,00,077	2	2,725	39,554	616	42,897	34,034	5,306
मार्च - 02	50	14,868	2,49,118	2,977	2,67,013	10	3,047	51,049	610	54,716	43,876	9,842
मार्च - 03	19	16,785	3,41,476	3,190	3,61,470	4	3,534	71,890	672	76,100	55,394	11,518
मार्च - 04	10	18,216	4,66,215	5,688	4,90,129	2	4,198	107,448	1,311	112,959	76,298	20,904
मार्च - 05	20	19,686	5,93,121	6,289	6,19,116	5	4,500	135,571	1,438	141,514	93,666	17,368
मार्च - 06	12	25,674	6,47,327	3,374	6,76,387	3	5,755	145,108	756	151,622	105,231	11,565
जून - 06	2	28,479	7,18,701	3,518	7,50,700	-	6,180	155,968	764	162,912	110,123	4,892
सितं - 06	6	28,506	7,27,733	3,502	7,59,747	1	6,202	158,340	762	165,305	111,967	6,736
दिसं - 06	4	28,824	7,52,738	2,416	7,83,982	1	6,517	170,187	546	177,251	117,822	12,591
मार्च - 07	8	29,573	8,36,597	2,044	8,68,222	2	6,784	191,924	469	199,179	131,890	26,659
जून - 07	6	27,655	8,39,913	1,875	8,69,449	1	6,787	206,114	460	213,362	140,780	8,890
सितं - 07	8	29,275	9,53,581	1,740	9,84,604	2	7,367	239,955	438	247,762	159,164	27,274
दिसं - 07	13	32,819	10,50,485	1,703	10,85,020	3	8,328	266,553	432	275,316	174,223	42,333
मार्च - 08	74	40,124	11,96,023	1,744	12,37,965	18	10,039	299,230	436	309,723	188,339	56,449
जून - 08	48	39,548	12,98,552	2,269	13,40,417	11	9,208	302,340	528	312,087	191,040	2,701
सितं - 08	17	40,205	13,01,645	2,194	13,44,061	4	8,565	277,300	467	286,336	183,876	-4,463
दिसं - 08	13	41,110	11,94,790	4,248	12,40,161	3	8,485	246,603	877	255,968	166,184	-22,155
मार्च - 09	6	48,793	12,30,066	5,000	12,83,865	1	9,577	241,426	981	251,985	168,544	-19,795
जून - 09	2	46,914	12,16,345	5,974	12,69,235	1	9,800	254,093	1,248	265,142	170,814	2,270
सितं - 09	25,096	49,556	12,70,049	6,557	13,51,258	5,224	10,316	264,373	1,365	281,278	177,533	8,989
दिसं - 09	24,128	85,387	12,07,065	6,655	13,23,235	5,169	18,292	258,583	1,426	283,470	180,820	12,276
मार्च - 10	22,596	81,188	11,49,650	6,231	12,59,665	5,006	17,986	254,685	1,380	279,057	183,803	15,259
जून - 10	22,719	92,704	11,63,266	6,118	12,84,807	4,875	19,894	249,628	1,313	275,710	186,429	2,626
सितं - 10	23,046	92,157	11,91,418	8,953	13,15,574	5,130	20,516	265,231	1,993	292,870	188,197	4,394
दिसं - 10	22,753	1,00,686	12,00,077	8,838	13,32,353	5,078	22,470	267,814	1,972	297,334	193,070	9,267
मार्च - 11	20,401	1,02,572	12,24,883	13,158	13,61,013	4,569	22,972	274,330	2,947	304,818	192,254	8,451

: स्वर्ण का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया गया है।

* : पिछले मार्च की तुलना में परिवर्तन।

टिप्पणी : 1. धारित स्वर्ण में 1991-92 के दौरान सरकार द्वारा अर्जित 191 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1992-93 के दौरान 29.4 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1993-94 के दौरान 139.3 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1994-95 के दौरान 315.0 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1995-96 के दौरान 17.9 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का स्वर्ण शामिल है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अपनी स्वर्ण बांड योजना के अंतर्गत दायित्व का मोचन करने के लिए 13 नवंबर 1997 को 43.55 करोड़ रुपये (11.97 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 1.27 टन स्वर्ण, 1 अप्रैल 1998 को 1,485.22 करोड़ रुपये (376.0 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 38.9 टन स्वर्ण और 5 अक्टूबर 1998 को 2.13 करोड़ रुपये (0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 0.06 टन स्वर्ण, की पुनः खरीद।

2. विदेशी मुद्रा आस्तियों का अमरीकी डॉलर में परिवर्तन मार्च 1999 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त विनिमय दरों पर किया जाता था। 1 अप्रैल 1999 से यह परिवर्तन न्यूयार्क की कारोबार की समाप्ति के समय की विनिमय दरों पर किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा आस्तियों में आइआइएफसी यूके द्वारा 20 मार्च 2009 से जारी 250 मिलियन अमरीकी डॉलर (उसके समतुल्य भारतीय रुपये सहित) का विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित निवेश शामिल नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 21: भारत का बाह्य ऋण
(मार्च के अंत में)

मद	करोड़ ₹ में			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2009 सं.	2010 आं.सं.	2011 अ	2009 सं.	2010 आं.सं.	2011 अ
1	2	3	4	5	6	7
I. बहुपक्षीय	2,01,425	1,93,442	2,16,628	39,538	42,859	48,464
अ. सरकारी उधारियां	1,81,997	1,70,722	1,90,325	35,724	37,825	42,578
i) रियायती	1,27,771	1,16,046	1,20,651	25,080	25,711	26,991
ii) गैर-रियायती	54,226	54,676	69,674	10,644	12,114	15,587
आ. गैर-सरकारी उधारियां	19,428	22,720	26,303	3,814	5,034	5,886
i) रियायती	0	0	0	0	0	0
ii) गैर-रियायती	19,428	22,720	26,303	3,814	5,034	5,886
II. द्विपक्षीय	104,997	1,01,974	1,15,983	20,610	22,593	25,953
अ. सरकारी उधारियां	74,662	71,584	80,794	14,655	15,860	18,075
i) रियायती	74,662	71,584	80,794	14,655	15,860	18,075
ii) गैर-रियायती	0	0	0	0	0	0
आ. गैर-सरकारी उधारियां	30,335	30,390	35,189	5,955	6,733	7,878
i) रियायती	3,262	3,169	4,101	641	702	917
ii) गैर-रियायती	27,073	27,221	31,088	5,314	6,031	6,961
III. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	5,188	27,264	28,163	1,018	6,041	6,308
IV. व्यापार ऋण	73,772	76,128	83,167	14,481	16,867	18,627
i) क्रेता क्रेडिट	64,046	66,965	73,328	12,572	14,837	16,425
ii) आपूर्तिकर्ता क्रेडिट	3,234	2,938	2,814	635	651	630
iii) द्विपक्षीय क्रेडिट में निर्यात क्रेडिट का घटक	6,492	6,225	7,026	1,274	1,379	1,572
iv) रक्षा हेतु निर्यात क्रेडिट	0	0	0	0	0	0
V. वाणिज्यिक उधारियां	3,18,209	3,19,556	3,94,070	62,461	70,800	88,267
i) वाणिज्यिक बैंक उधारियां	2,19,925	2,02,618	2,59,095	43,169	44,891	58,034
ii) प्रतिभूतिकृत उधारियां (एफसीसीबी सहित) \$	91,286	113,245	1,31,708	17,918	25,090	29,501
iii) उधारियां / प्रतिभूतिकृत उधारियां आदि	6,998	3,693	3,267	1,374	818	731
iv) स्वयं-समाप्त उधारियां	0	0	0	0	0	0
VI. अनिवासी और एफसी (बीएण्डओ) जमाराशियां (एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली)	2,10,118	2,17,062	2,30,813	41,554	47,890	51,682
i) एफसीएनआर (बी)	66,803	64,625	69,658	13,211	14,258	15,597
ii) एनआर(ई)आरए	1,19,181	1,18,984	1,17,802	23,570	26,251	26,378
iii) एनआरओ	24,134	33,453	43,352	4,773	7,381	9,707
VII. रुपया ऋण *	7,760	7,481	7,147	1,523	1,657	1,601
i) रक्षा	6,935	6,710	6,416	1,361	1,486	1,437
ii) नागरिक +	825	771	731	162	171	164
VIII. कुल दीर्घवधि ऋण (I से VII)	9,21,469	9,42,908	10,75,970	181,185	208,707	240,902
IX. अल्पावधि ऋण	2,20,656	2,36,188	2,90,147	43,313	52,329	64,990
i) व्यापार संबंधी ऋण	2,03,345	2,14,267	2,61,006	39,915	47,473	58,462
ii) सरकारी खजाना बिल और अन्य लिखतों में एफआइआइ का निवेश	10,522	15,153	24,214	2,065	3,357	5,424
iii) खजाना बिलों में विदेशी केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं आदि का निवेश	534	467	225	105	103	50
iv) केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंकों का बाह्य ऋण देयताएं	6,255	6,301	4,703	1,228	1,396	1,053
X. कुल जमा	11,42,125	11,79,096	13,66,117	224,498	261,036	305,892
रियायती ऋण	2,13,577	1,98,280	2,12,693	41,981	43,930	47,585
कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में	18.7	16.8	15.6	18.7	16.8	15.6
अल्पावधि ऋण	19.3	20.0	21.2	19.3	20.0	21.2
कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में						
ज्ञापन मदें:						
ऋण संकेतक:						
1. ऋण स्टॉक - जोडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	20.5	18.0	17.3	20.5	18.0	17.3
2. ऋण चुकौती अनुपात (प्रतिशत में) (राजकोषीय वर्ष के लिए) (नागरिकों से इतर को दिये गये ऋण पर ऋण चुकौती सहित)	4.4	5.5	4.2	4.4	5.5	4.2

अ : अन्तिम। सं. : संशोधित। आं.सं. : आंशिक रूप में संशोधित।

\$: इसमें एफआइआइ डेट फंड में 100 प्रतिशत निवल निवेश शामिल है।

* : रूस को देय रुपये में मूल्यवर्गित ऋण जिसका परिवर्तन चालू विनिमय दरों पर किया गया। इसका भुगतान निर्यात से किया जाना है।

+ : इसमें मार्च 1990 के अंत से रुपयों में दिया गया आपूर्तिकर्ता क्रेडिट शामिल है।

टिप्पणी : बहुपक्षीय उधारियों में आइबीआरडी की पूल्ड उधारियां और 1971 से पूर्व के ऋण के संबंध में आइडीए ऋणों का विनिमय दर समायोजन शामिल नहीं है।